औरंगजेबकालीन मुगल अमीर-वर्ग

औरंगज़ेबकालीन मुग़ल अमीर-वर्ग

एम० अतहर अली

अनुवाद
डॉ० राधेश्याम



राधाकृष्ण प्रकाशन

प्रथम हिन्दी संस्करण 1977

मूल्य
42 रुपए

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रायोजित

प्रकाशक
राधाकृष्ण प्रकाशन
2 अंसारी रोड दरियागंज
नई दिल्ली 110002

मुद्रक
अमर प्रेस गांधीनगर द्वारा
गोपाल प्रिंटिंग प्रेस
विश्वासनगर, शाहदरा 110032

M Athar Ali   Aurangzebkalin Mughal Ameer Varg

विषय सूची

मुखबन्ध

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अनेक उद्देश्यों में एक है शोध की उपलब्धियों को उस पाठक-वर्ग तक पहुंचाना जो हमसे यह अपेक्षा रखते हैं कि हम भारतीय भाषाओं में इतिहास सम्बन्धी रचनाएं तैयार तथा प्रकाशित करें। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहासविद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुँच सकते हैं, नाम और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, किन्तु भारतीय पाठक वर्ग का एक छोटा अंश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रवृत्ति बल पकड़ रही है। ऐसी स्थिति में इतिहास की स्तरीय पुस्तकों की कमी गम्भीर रूप से अनुभव की जा रही है। सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास की ओर ध्यान देना है। अतः भा० इ० अ० प० ने कुछ गौरवग्रंथों (क्लासिक्स) तथा इतिहास विषयक शोध की पद्धतियों को प्रतिबिंबित करने वाली कुछ अन्य पुस्तकों का अनुवाद कराने का निश्चय किया है।

इस पुस्तक में औरंगजेब के राज्यकाल में शासक-वर्ग की प्रकृति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न कालों में अमीरों की संख्या, इस संख्या में हुई वृद्धि की दर तथा इस वृद्धि का अमीर वर्ग की आय और उनके आन्तरिक मेल-जोल का विशद विवेचन करने के पश्चात लेखक ने औरंगजेब के राज्यकाल में 'मनसबदारी' प्रथा के वास्तविक कार्य-कलाप पर प्रकाश डाला है। क्या यह प्रथा औरंगजेब के राज्यकाल में वैसी ही थी जैसे कि उसके पूर्ववर्ती शासकों के अन्तर्गत? क्या मुगल अमीर-वर्ग शासन को दक्षतापूर्वक चलाने में सक्षम था, तथा, अमीर-वर्ग अपने व्यय, निवेश अथवा अपने व्यवहार द्वारा आर्थिक विकास में बाधक था या सहायक—ये कुछ समस्याएँ हैं जिनका विवेचन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। विविध स्रोतों का सहारा लेने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने में लेखक सचेत और सावधान रहा है। इस पुस्तक की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता औरंगजेब के अमीरों की सूची है जिसका संकलन लेखक ने तत्कालीन विविध आलेखों से किया है। यह पुस्तक मध्यकालीन भारत में अभिजात-तन्त्र (एरिस्टाक्रेसी)

के बारे में अध्ययन करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी।

पुस्तक का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासों का परिणाम है जिसके लिए अनुवादक डा० राधेश्याम तथा डा० नगेन्द्रप्रसाद वर्मा और अन्य सभी सहयोगियों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

रामशरण शर्मा
अध्यक्ष
भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

नई दिल्ली
17 मई, 1977

संकेताक्षर

साधारणतः निम्न संकेताक्षरों का प्रयोग तालिकाओं और परिशिष्ट में किया गया है

अख०	अखबारात ए-दरबार ए मुअल्ला
अ० मा० त०	अरकान ए माआसीर ए-तैमूरिया
आ०	आलमगीरनामा, लेखक मुहम्मद काज़िम
आदाब	आदाब ए आलमगीरी
ईसरदास	फ़तुहात ए आलमगीरी
कामवार	तज़किरात उस-सलातीन ए चागता
ज० आ०	ज़वाबित ए आलमगीरी
त० उ०	तज़किरात उल-उमरा
ता० मु०	तारीख़ ए-मुहम्मदी
फरहात	फरहात-ए-नाज़रीन
ब० स०	बसातीन उस-सलातीन
मा० आ०	माआसीर ए आलमगीरी
मा० उ०	माआसीर-उल-उमरा
मामूरी	तारीख़ ए औरंगज़ेब
रु०	रुक्कात ए आलमगीर
स० डा० औ०	सेलेक्टेड डाक्यूमन्ट्स ऑफ औरंगज़ेब्स रेन
हातिम खाँ	आलमगीरनामा

प्राक्कथन

यह पुस्तक, इसी शीर्षक के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1961 में पी एच० डी० के लिए प्रस्तुत किये गये शोध प्रबन्ध पर आधारित है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इतिहास विभाग की एक शोध-योजना के अन्तर्गत तैयार किया गया, जिससे मेरे लिए अनेक वर्षों तक शोध-कार्य करना सम्भव हो सका।

विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति, श्री बद्र-उद-दीन तय्यब जी का मैं इस पुस्तक की टंकित प्रति पढ़ने एवं उसके प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए आभारी हूँ।

इसी अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों एवं साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनका मैं अत्यधिक ऋणी हूँ।

मैं, अपने निर्देशक डॉ० सतीश चन्द्र का अत्यन्त आभारी हूँ जो सदैव मेरे प्रति समय एवं मनोयोग दोनों ही दृष्टि से, उदार रहे। अनेक विषयों पर प्रोफेसर मुहम्मद हबीब ने मेरा मार्ग दर्शन किया है और वस्तुतः केवल वे ही जिन्होंने उनके स्फूर्तिदायक प्रवचनों से लाभ उठाया है, मूल समस्याओं के सम्बन्ध में उनकी व्यापक सूझबूझ की सराहना कर सकते हैं कि कोई उनसे किस सीमा तक लाभान्वित हो सकता है। प्रोफेसर एस० ए० रशीद की मेरे कार्य के प्रति जो सहानुभूतिपूर्ण रुचि रही वह निरन्तर मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बनी। प्रोफेसर एस० नुरुल हसन मुझे सदैव सहायता प्राप्त होती रही, और उन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए जो यथासम्भव कार्य किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने में मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता हो रही है। मेरे परम मित्र एवं साथी, डा० इरफ़ान हबीब ने भी विभिन्न प्रकार से मेरी सहायता की।

मैं महाराजकुमार रघुवीरसिंह एम० पी० का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिन्होंने अपनी सीतामऊ स्थित लाइब्रेरी की बहुमूल्य पाण्डुलिपियों के उपयोग करने की अनुमति प्रदान की। मैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के कर्मचारीगण तथा इतिहास विभाग की लाइब्रेरी की श्रीमती सईदा अंसारी का उनके सहयोग के लिए बहुत ही आभारी हूँ।

मैं अपने साथियों, सर्वश्री इक्तिदार आलम खाँ, अहसान जान कैसर, रिफाक़त अली खाँ, अहमान रज़ा खाँ, सतीशकुमार तथा कुमारी अज़ीज़ा हसन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने टंकन प्रति में संशोधन एवं प्रूफ देखने तथा अन्य कार्यों में मेरी सहायता की है।

अन्त में, मैं अपनी पत्नी फिरोज़ा खातून का आभारी हूँ जो इस ग्रन्थ के लेखन-काल में आने वाली परेशानियों, तनावों तथा परिश्रम में सदैव मेरी सहभागिनी रही।

जनवरी, 1966

—एम० अतहर अली

भूमिका

यह बात बार-बार दोहरायी जाती रही है कि भारतीय ऐतिहासिक लेखन में शासित वर्ग की अधिकांशतः उपेक्षा की गयी है। इसके साथ यह भी सत्य है कि शासकों की ओर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। निःसन्देह भारतीय शासकों के प्रभावशाली जीवन चरित एवं शाही वंशों से सम्बन्धित अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। किन्तु राजा चाहे वे कितने ही निरंकुश रहे हों और उनके दावे भी चाहे कितने ही भव्य क्यों न रहे हों केवल एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे—यद्यपि वे शासक वर्ग का एक आवश्यक अंग थे। शासक वर्ग के शेष सदस्यों जो साधारणतः यद्यपि निरपवाद रूप में नहीं अमीर-वर्ग या राजाओं के अधिकारियों के रूप में सामने आते हैं, की ओर भी गम्भीर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस बात पर तर्क करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कि इस वर्ग की या उसमें सन्निहित विभिन्न श्रेणियों की संरचना, परम्पराओं एवं प्राथमिकताओं आदि का उतना ही महत्व है जितना कि व्यक्तिगत राजाओं के चरित्र एवं उनकी नीतियों का।

जैसा कि इसके शीर्षक से विदित होता है, प्रस्तुत ग्रन्थ सम्पूर्ण मध्यकाल या सम्पूर्ण मुगलकाल को समाविष्ट करने का दावा नहीं करता वरन् अन्तिम भारतीय साम्राज्य के महान सम्राटों में से केवल अन्तिम सम्राट के अमीर वर्ग से सम्बन्धित है। प्रस्तुत ग्रन्थ एक अधिकांशतः अनन्वेषित क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास है। अतः सम्भवतः सबसे उत्कृष्ट उद्देश्य यह होगा कि इस विशाल क्षेत्र के केवल छोटे से भाग का ही सर्वेक्षण किया जाय। इसी सीमा के अन्दर रह कर भी प्रस्तुत विषय को कई कारणों से महत्वहीन नहीं समझा जा सकता। औरंगज़ेब की आँखों के सामने ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो चुका था और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में विघटन क्रिया बहुत ही तीव्र एवं व्यक्त हो गयी थी। दूसरे शब्दों में ऐसे समय में जब कि पश्चिम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहा था, भारतीय समाज केवल स्थिर ही नहीं वरन् अप्रगतिशील भी था। यही नहीं, उसका राजनीतिक अधःपतन भी हो रहा था और यहाँ तक कि उसने उन प्रतिमानों से भी पीछे हटना प्रारम्भ कर दिया जहाँ वह इससे पूर्व

पहुंच चुका था। भारतीय इतिहास के परवर्ती काल के लिए इतने अधिक महत्व पूर्ण राजनीतिक पतन के कारण कहाँ खोज जायें ? निःसन्देह उस राजनीतिक पतन के लिए कोई भी तर्कसंगत कारण अटकलबाजी या पूर्वानुमानों या पाठ्य पुस्तकों में दिये गये नुस्खों (जैसे—सम्राटों का निजी अधःपतन, दरबार के विलासी जीवन प्रशासन की अक्षमता) पर आधारित नहीं हो सकता। ये कारण सन्दिग्ध महत्व के हैं तथा इन्हें किसी भी राजवंश या सम्राट के पतन के लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। मुगल शासन के पतन के लिए सम्भवतया मुगल साम्राज्य व्यवस्था के सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन एक उत्तम पृष्ठभूमि उपलब्ध कर सकता है। इन तत्वों में मुगल शासक वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मुगल शासक वर्ग की प्रकृति और भूमिका का विस्तृत विवेचन वांछनीय प्रतीत होता है। अतः यहाँ औरंगजेब के राज्यकाल (1658 1707 ई०) के विशिष्ट सन्दर्भ में मुगल अमीर वर्ग का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य इस वर्ग की संस्थाओं और परम्पराओं का जिन्होंने मुगल साम्राज्य के संगठन और नीतियों को परिभाषित किया तथा उन कठिनाइयों और दबावों का विवरण देना है जिनका मुगल साम्राज्य को सामना करना पड़ा अथवा जो उसने स्वयं अपने लिए उत्पन्न की।

किसी भी प्रकार की भ्रान्ति को रोकने के लिए यह स्पष्टीकरण देना आवश्यक है कि शीर्षक में अमीर वर्ग शब्द का प्रयोग करते समय मुगल शासक-वर्ग की वास्तविक प्रकृति एवं उसकी स्थिति के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में निकाले गये निष्कर्षों की किसी प्रकार से पूर्व कल्पना नहीं की गयी है। लेखक का मन्तव्य यह कभी भी नहीं रहा है कि मुगल अमीर वर्ग के स्वरूप की तुलना रोमन साम्राज्य के अमीरों से या यूरोप के सामन्ती अमीर वर्ग से की जाये। इस प्रकार का गलत अर्थ लगाये जाने की आशंका के बावजूद भी अमीर-वर्ग शब्द का प्रयोग सुविधाजनक है क्योंकि साधारणतः यह शब्द उन व्यक्तियों के वर्ग की ओर संकेत करता है जो सम्राट के अधिकारी थे तथा साथ ही साथ जो राजनीतिक क्षेत्र में एक उत्कृष्ट वर्ग के रूप में प्रतिस्थापित थे और इस ग्रन्थ में इसी अर्थ में इस शब्द का पूर्णरूपेण प्रयोग हुआ है। मुगलकाल में 1,000 या उससे अधिक के मनसबदारों अर्थात अधिकारियों में उच्च श्रेणी के सभी व्यक्तियों के लिए उमरा ('अमीर' का बहुवचन) शब्द का प्रयोग होता था। यहाँ हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप 'उमरा' के स्थान पर अमीर वर्ग का प्रयोग किया गया है। यह अंग्रेजी शब्द 'नोबिलिटी' का समानार्थक भी है। साथ ही यह कहना आवश्यक है कि प्रस्तुत पुस्तक अपने विषय क्षेत्र में सभी मनसबदारों या पदाधिकारियों जो अधिकारी वर्ग का मुख्य भाग थे को सम्मिलित करने का मिथ्या दावा नहीं करती प्रत्युत इसमें केवल उन्हीं मनसबदारों को लिया गया है जो वास्त

विक रूप से अपनी शक्ति एव आय के आधार पर शासक वर्ग में आते हैं। इस कारण विशेषत औरंगजेब के काल के अध्ययन के लिए, उन लोगों के मध्य जो अधिकारी मात्र थे तथा जो इसके साथ ही इस बात का भी दावा करते थे कि साम्राज्य के प्रशासन मे उनका महत्त्व है 1,000 जात-पद की विभाजन रेखा अपनाना लाभप्रद समझा गया है।

मुगल अमीर वर्ग के आकार प्रकार एव सरचना की कुछ सीमा तक विवेचना की जा चुकी है किन्तु दुर्भाग्यवश यह न तो बहुत ही है और न ही कुछ विषयो म त्रुटि मुक्त। विशेषत, विभिन्न कालो म अमीरो की सख्या म सम्बन्धित प्रश्नों का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि किस दर स उनकी सख्या म वृद्धि हुई तथा अमीर-वर्ग की आय एव आन्तरिक समक्ति पर उस वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा? जहा तक आन्तरिक ससक्ति का प्रश्न है, हमें उन वर्गों एव जातियों जिनम मुगल अमीर-वर्ग निर्मित था—विशेष रूप स विदेशियो (और उनके वशजो) एव भारतीयो व इसी प्रकार दो मुख्य धार्मिक समुदायो—मुसलमानो एव हिन्दुओ के अनुयायियो—की स्थिति को ध्यान म रखते हुए अध्ययन करना है। इन प्रश्नो का—विशेषकर अन्तिम दो प्रश्नो का उत्तर देने म न केवल वर्तमान मनोभाव वरन वर्तमान मतविचार भी बुरे परामर्शदाता सिद्ध होगे। इसीलिए इस पुस्तक म इन प्रश्नो का उत्तर समकालीन व्यक्तियो द्वारा दिय गये विवरणो एव तथ्यो के आधार पर तथा औरगजेब के समय के 1,000 व उसके ऊपर के मनसब के सभी अमीरों के जीवन से सम्बन्धित सभी स्रोतो स एकत्र की गयी जानकारी के आधार पर देने की चेष्टा की गयी है। इस जानकारी को जब सांख्यिकी रूप म प्रस्तुत किया गया तो अनेक रोचक सत्य सामने आये जो अन्यथा इस विषय के विद्यार्थी के सम्मुख कदापि नही आ सकते थे। साथ ही यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि सांख्यिकी प्रस्तुतीकरण की अपनी स्वय की दुर्बलताएँ भी हैं। जिस जानकारी पर यह आधारित है उसे न केवल व्यापक ही होना चाहिए वरन तुलना के लिए जब भी यह जानकारी तक साधारण रूप म परिवर्तित की जाय तो उसके लिए विभिन्न प्रतिबन्ध भी सदव आवश्यक हैं। निःसन्देह इस प्रकार के विषय म सांख्यिक प्रस्तुतीकरण इतना अधिक शुद्ध नहीं किया जा सकता कि उसे ऐतिहासिक साक्ष्य म अन्तिम शब्द के रूप म प्रस्तुत कर दिया जाय लेकिन इसके बावजूद अपने ऐतिहासिक स्रोतो या आधुनिक ऐतिहासिक अध्ययनो द्वारा प्रतिपादित सामान्यीकरणो को रोकने म इसकी महत्ता के साथ-साथ शोध के अतिरिक्त मार्गों के बारे म सुझाव देने के लिए भी इसकी उपयोगिता म इन्कार नहीं किया जा सकता।

मुगल अमीर-वर्ग था, जैसा कि सर्वविदित है मनसबदारी प्रथा के ढाँचे मे ही सगठित किया गया। 'मनसब' प्रथा के अनेक मुख्य तत्त्वो की आधुनिक शोध

काय द्वारा प्रकाश में लाया जा चुका है। हम जानते हैं कि प्रत्येक अधिकारी के लिए दो संख्याएँ निश्चित की जाती थीं जिनमें 'ज़ात' व 'सवार' कहते थे तथा व सरकारी श्रेणी में उसका स्थान नियत करती थी। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात है (विशेषकर मोरलैण्ड तथा अब्दुल अज़ीज़ द्वारा) कि 'ज़ात-पद' अधिकारी के व्यक्तिगत ओहदे के साथ-साथ अनुमोदित तालिकाओं के अनुसार उसके व्यक्तिगत वेतन का आधार था और जो संख्या दूसरी उसे रखनी पड़ती थी 'सवार' पद उसका निर्धारण करता था और इस बात का संकेत करता था कि इस संख्या दूसरी को रखने के लिए उसे कितना धन दिया जायगा। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत-कुछ बातें अस्पष्ट रह गयी हैं। इस अध्याय का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि इन अस्पष्ट बातों को अधिकांश अधिक दूर किया जाय ताकि यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाय कि वास्तव में औरंगज़ेब के समय में 'मनसबदारी प्रथा' किस प्रकार काम करती थी। मुझे इस बात का भय है कि हमारे पाठक इसी कठिनाइयों पूर्ण विवरणों एवं उलझनों में न पड़ जायें। किन्तु इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि सामन्ती तथा अमीर वर्ग के उत्तरदायित्व से सम्बन्धित विषय जिनकी चर्चा की गयी है प्रारम्भिक नहीं हैं वरन वे सम्पूर्ण रूप से हमारे विषय के लिए प्रमुख महत्त्व के हैं।

मुगल अमीर वर्ग अपना वेतन या तो नकद या विभिन्न प्रदेशों में नियत किये गये क्षेत्रों जो कि 'जागीर' कहलाते थे से वसूल किये गये राजस्व के रूप में प्राप्त किया करते थे। अनुदान देने की इस प्रथा के मूल तत्त्वों की स्पष्ट व्याख्या के लिए हम मोरलैण्ड के ऋणी हैं। किन्तु जिन समस्याओं का सामना 'जागीरदारों' को राजस्व वसूल करने तथा प्रशासन में विशेषत सत्रहवीं शताब्दी में, करना पड़ता था उनकी विस्तृत ढंग से विवेचना की आवश्यकता है। साथ ही, किस ढंग से सम्राट जागीरदारों की शक्ति को कम करने का प्रयत्न करते थे तथा किस सीमा तक उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई उसका भी सतर्कतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हम विशेष रूप से यह देखना है कि औरंगज़ेब के अन्तर्गत यह प्रणाली अपने सभी मुख्य तत्त्वों में वसी ही थी जैसी कि वह उसके पूर्वजों के अन्तर्गत थी या उसमें कुछ परिवर्तन हुए अथवा उसमें किसी प्रकार के तनाव व खिंचाव के चिह्न तो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे? बर्नियर के सुप्रसिद्ध कथन का कि जागीरों में स्थानान्तरण करने की प्रणाली से बहुत अत्याचार हो रहा था तथा यह किसानों को बर्बाद कर रही थी, जोरदार समर्थन आजकल के कुछ लेखकों ने किया है, और औरंगज़ेब के राज्यकाल के साक्ष्य के प्रकाश में इस कथन के परीक्षण करने की आवश्यकता है।

ज़मींदार वर्ग के अस्तित्व का चाहे वे सरदारों अथवा भूमि या उसके उत्पादन पर विशेष अधिकार धारक के रूप में हों, उस काल के राजनीतिक

समाज में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान था। इस वर्ग तथा मुगल अमीर-वर्ग के मध्य सम्बन्धों की छानबीन करने की आवश्यकता है। जमींदारी वर्ग से उत्पन्न होने वाले तत्वों का मुगल प्रशासक वर्ग में स्थान एवं प्रशासक-वर्ग का सम्पूर्ण जमींदार वर्ग के प्रति दृष्टिकोण रोचक प्रश्न हैं जिसके स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता है। औरंगजेब के काल में, जमींदारों के नेतृत्व में साम्राज्य के विरुद्ध चतुर्दिक विद्रोहों की व्यापक स्थिति में इन प्रश्नों के उत्तर और भी अधिक महत्ता ग्रहण कर लेते हैं।

औरंगजेब का राज्यकाल लगभग 50 वर्षों तक रहा। अपने राज्यकाल की अवधि में विभिन्न राजनीतिक समस्याओं के सम्बन्ध में सम्राट ने जो नीतियाँ बनायीं उन्होंने अमीर वर्ग को गहन रूप से प्रभावित किया। वस्तुतः अमीर वर्ग के विभिन्न समुदायों के प्रति सम्राट का दृष्टिकोण असाधारण महत्त्व का है। निःसन्देह राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति, जो कि उसकी धार्मिक नीति के साथ जोड़ दी गयी है, अत्यधिक रुचिपूर्ण विषय है। प्रस्तुत पुस्तक में इस नीति के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने, उसके विभिन्न सोपानों में अन्तर दिखाने एवं उसे उचित ढंग से सामने रखने की चेष्टा की गयी है।

औरंगजेब के अन्तर्गत मुगल राजनीति पर दक्खन अत्यधिक छाया रहा, तथा दक्खन में अनुसरण की गयी नीति के प्रति विभिन्न अमीरों का दृष्टिकोण एक अत्यधिक रोचक विषय है। अपने राज्यकाल के अन्तिम पच्चीस वर्षों में औरंगजेब के दक्खन में उलझे रहने के कारण जबकि उसने स्वयं सम्पूर्ण प्रायद्वीप को व्यावहारिक रूप से विलयित करने का निर्णय कर लिया था, अमीर-वर्ग के लिए नयी कठिनाइयाँ उत्पन्न कीं एवं नये अवसर उत्पन्न किये। इनका अध्ययन हमें यह समझने में सहायक हो सकता है कि औरंगजेब के समय ही किस प्रकार अमीर-वर्ग के अन्दर विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

अन्त में, अमीरों के रहन-सहन के ढंग एवं प्रशासन तथा आर्थिक जीवन में उनकी भूमिका का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम स्वीकार करते हैं कि यहाँ व्यक्तिगत उदाहरणों के कारण अनुचित सामान्यीकरण होने का खतरा है। समकालीन कथनों का विश्लेषणात्मक परीक्षण करते समय सन्तुलन बनाये रखने की चेष्टा की गयी है तथा अमीर-वर्ग से सम्बद्ध किसी भी साक्ष्य को केवल इसलिए अस्वीकृत नहीं किया गया है कि आज हमारी दृष्टि में वह साक्ष्य पूर्णतः अनैतिक या अश्लील है। मुख्यतः दो प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की जानी चाहिए—हम किस प्रकार मुगल अमीरों का एक कुशल प्रशासन के अनुमापक के रूप में मूल्यांकन कर सकते हैं तथा किस सीमा तक अमीर-वर्ग ने अपने व्यय, पूँजी निवेश या व्यवहार द्वारा आर्थिक विकास में योगदान दिया या बाधा पहुँचायी?

सौभाग्यवश, हमारे अध्ययन के लिए मूल ऐतिहासिक सामग्री का भण्डार बहुत ही विशाल है। यह सत्य है कि औरंगज़ेब के प्रथम दस वर्षों के काल को छोड़कर हमारे पास उस प्रकार के राजकीय फारसी ऐतिहासिक ग्रन्थों का अभाव है जिनमें हम अकबर और शाहजहाँ के राज्यकाल के सम्बन्ध में अत्यधिक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। किन्तु प्राथमिक स्रोतों, जैसे प्रशासनिक नियमावलियों, राजकीय अभिलेखों, अख़बारात (दरबारी समाचारपत्र) अन्य प्रपत्रों, पत्रों आदि के लिए औरंगज़ेब का राज्यकाल बहुत ही धनी है। महत्त्वपूर्ण अनधिकृत ऐतिहासिक ग्रन्थों और जीवनचरितात्मक कोनों में भी इस काल का वर्णन उपलब्ध है। इनमें से कुछ फारसी स्रोत प्रकाशित हो चुके हैं और अधिकांश सामग्री केवल पाण्डुलिपियों के रूप में ही उपलब्ध है। अपनी महत्त एवं चिरस्थायी पुस्तक—हिस्ट्री आफ औरंगज़ेब (मुख्यतः फारसी स्रोतों पर आधारित) में सर जदुनाथ सरकार यह दिखा सकने में समर्थ हुए कि किस प्रकार इन प्रपत्रों से अति महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किन्तु उनके बाद से अब तक अनेक अतिरिक्त अभिलेखों का पता लग चुका है तथा ऐतिहासिक विषय के अनेक ग्रन्थों की खोज हो चुकी है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस काल के राजनीतिक इतिहास के सभी पहलुओं पर अब जानकारी प्राप्त कर सकना सम्भव है।

फारसी साक्ष्य का यूरोपीय पर्यटकों द्वारा छोड़े गये विवरणों, व्यापारिक अभिलेखों, अंग्रेज़ तथा अन्य यूरोपीय व्यापारियों के वैयक्तिक काग़ज़ों द्वारा अनुपूरित कर दिया गया है। अंग्रेज़ों के बहुत से महत्त्वपूर्ण विवरण प्रकाशित हो चुके हैं, और अनेक यूरोपीय पर्यटकों के विवरण अंग्रेज़ी अनुवादों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अत्यधिक संख्या में अंग्रेज़ी व्यापारिक तथा वैयक्तिक प्रपत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं हालाँकि उनके आकार को देखते हुए इस प्रकार के प्रपत्रों में साधारणतः हमारे विषय से सम्बन्धित प्रासंगिक बातें नहीं मिलतीं। आजकल यूरोपीय साक्ष्य की महत्ता को कम करने की प्रवृत्ति चल रही है। वस्तुतः, यह सत्य ही है कि विदेशी यात्रियों ने अपने विवरण या तो जनश्रुतियों के अथवा अपनी निजी जानकारी के आधार पर लिखे हैं अतः हम इन विवरणों का उपयोग करते समय इन दोनों प्रकारों के विवरणों में तथा लोकापवाद एवं तथ्य के बीच अन्तर को स्पष्ट करना चाहिए। किन्तु हम इन विदेशी लेखकों का आभारी भी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसे विषयों का विवरण दिया है जो भारतीय लेखकों के विचार में सभी को मालूम थे या वे उन विषयों को बहुत ही तुच्छ या ध्यान देने योग्य नहीं समझते थे। निःसन्देह हम सत्य के निकट तभी पहुँच सकते हैं जब हम भारत के फारसी स्रोतों और यूरोपीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी को संयुक्त करके उनको जाँचने परखने तथा उनमें तादात्म्य स्थापित कर सकने में समर्थ हों।

अध्याय

1

अमीर-वर्ग की सख्या और उसकी सरचना

(न्यूमरिकल स्ट्रैंग्थ एड कम्पोजीशन ऑफ द नोबिलिटी)

मनसबदारो की सख्या

'मनसबदार' मुगल साम्राज्य का शासक-वर्ग था। लगभग सभी अमीर, प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी मनसब' धारी ही होते थे। परिणामस्वरूप मनसबदारो की सख्या और विभिन्न कालो मे उनकी सरचना न केवल राजनीति तथा शासन को ही प्रभावित करती थी, प्रत्युत साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी उसका गहन प्रभाव पडता था। अत, औरगजेब के राज्यकाल मे अमीर वर्ग की स्थिति का उचित मूल्याकन करने के लिए यह आवश्यक है कि इस वर्ग के आकार और सरचना का परीक्षण किया जाये। इस सम्बन्ध मे 1,000 और उसके ऊपर के मनसबदारो पर ही बल दिया गया है क्योकि केवल यही लोग अमीर' की उपाधि के अधिकारी थे।

मनसबदारो के कुल योग से सम्बन्धित केवल दो ही समकालीन विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं। प्रथम विवरण अब्दुल हमीद लाहोरी ने प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार शाहजहाँ के राज्यकाल के बीसवें वर्ष मे 8,000 मनसबदार थे और 7,000 अहदी और सुसज्जित तोपची थे (वे जो सम्राट की प्रत्यक्ष सेवा मे थे, अर्थात् सम्राट स्वय उनको वेतन देता था)।[1] औरगजेब के राज्यकाल मे —सम्भवत 1690 ई० से कुछ समय पूर्व— मनसबदारो' 'अहदियो (दा अस्पा सेह अस्पा), तोपचियों और अन्य सेवको की सख्या 14,449 थी। यद्यपि यह सख्या लाहोरी द्वारा प्रस्तुत सख्या से मिलती-जुलती तो है परन्तु इसमे मनसबदारो की सख्या का उल्लेख पृथक रूप मे नहीं किया गया है। किन्तु इस अभाव की आशिक पूर्ति सम्राट के सेवको के वर्गीकरण से हो जाती है, जो इस प्रकार है— नकदी मनसबदारो' (अर्थात जो नकद वेतन पाते थे) की सख्या 7457 थी और 6992 जागीरदार थे।[2] यह लगभग निश्चित है कि अहदियो आदि को नकद वेतन मिलता था और कुछ ही मनसबदारों का नाम नकदी पाने वालो की सूची मे था। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त सख्या

में वास्तविक मनसबदारों की संख्या (अहदियों आदि के अतिरिक्त) 8000 से अधिक न थी। यदि इस निष्कर्ष को सही मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि मनसबदारों की जो कुल संख्या शाहजहाँ के राज्यकाल के बीसवें वर्ष में थी उसके अनुपात में जवाबित में उल्लिखित संख्या में कोई विशेष वृद्धि दिखायी नहीं पड़ती। किन्तु चूंकि जवाबित में वर्ष का उल्लेख सुस्पष्ट रूप से नहीं किया गया है इस कारण इस तुलना को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। यह बहुत ही सम्भव है कि उसमें प्रस्तुत आँकड़े औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक भाग में लिए गये हों।

अतः इस तुलना की अनिश्चित प्रकृति के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि हम अन्य सामग्री का सहारा लें। इनमें सबसे प्रमुख वह तालिकाएँ हैं जो कि आईन में 200 और उससे उच्च जात तथा लाहौरी एवं वारिस के बादशाहनामों में 500 और उससे उच्च जात के मनसबदारों से सम्बन्धित हैं।[4] आईन की तालिका में अकबर के समय के उन सभी मनसबदारों का उल्लेख है जो उसके राज्यकाल के चालीसवें वर्ष तक (अर्थात् जब आईन की रचना हुई) 200 या उससे उच्च मनसबों पर आसीन थे। लाहौरी ने दो तालिकाएँ प्रस्तुत की हैं, एक शाहजहाँ के राज्यकाल के प्रथम दशक की और दूसरी द्वितीय दशक की, तथा वारिस की तालिका तीसरे दशक से सम्बन्धित है। इन तीनों तालिकाओं में मनसबदारों के नाम निर्दिष्ट वर्षों में उनके पदों के अनुसार हैं परन्तु इन तालिकाओं में ऐसे मनसबदारों के नाम भी अंकित हैं जो कि भूतपूर्व दशक में या तो परलोक सिधार चुके थे या पदच्युत कर दिये गये थे और उनके मनसब भी वही दिखाये गये हैं जो उनकी मृत्यु या पद से हटने के समय थे। अन्तिम तालिका मुहम्मद सालेह की है जिसमें शाहजहाँ के शासनकाल के सभी मनसबदारों के नाम उनके द्वारा उच्चतम पद की प्राप्ति के आधार पर दिये गये हैं। प्रत्यक्षतः सालेह की तालिका लाहौरी और वारिस की तालिकाओं पर आधारित है किन्तु उसने उन मनसबदारों के नाम भी जोड़ दिये हैं जिनकी शाहजहाँ के राज्यकाल के अंतिम तीन (चन्द्र) वर्षों में या तो नयी नियुक्ति हुई या पदोन्नति हुई।[5]

दुर्भाग्यवश औरंगजेब के राज्यकाल से सम्बन्धित इस प्रकार की कोई भी तालिकाएं प्राप्त नहीं हैं। इस अभाव की पूर्ति का केवल एक ही उपाय है कि अवशिष्ट ऐतिहासिक सामग्री से व्यक्तिगत मनसबदारों और उनके पदों से सम्बन्धित जानकारी एकत्र कर ली जाय। सन् 1658-78 ई० और 1678-1707 ई० की दो अवधियों से सम्बन्धित जो सामग्री मैं एकत्रित कर सका हूं वह मैंने एक परिशिष्ट में प्रस्तुत कर दी है। प्रत्येक तालिका में 1,000 या उससे उच्च मनसब के समस्त मनसबदारों के नाम तथा जिस अवधि में उनको

जो उच्चतम मनसब प्राप्त हुए, अकित कर दिये गये हैं। अत, दोनो तालिकाओ मे कई नाम समान रूप म आय हैं। मैंन यथाशक्ति तालिकाओ को परिपूर्ण करने का प्रयास किया है और इसके लिए मैंन न केवल ऐतिहासिक ग्रन्थो और चरितात्मक कोशो का सहारा लिया है वरन् अखबारात, पत्र सग्रहो और ग्रन्य दस्तावेजो की भी छानबीन की है। उच्चतम वग, अर्थात् 5,000 या उससे उच्च जात वाल अमीरो का तालिकाएँ तो सम्भवत पूण हैं। किन्तु दो निम्न वर्गों अर्थात 1,000 से 2,700 जात के मनसबदारो की सख्या सन 1658 78 ई० की तालिका म सन 1679 1707 ई० की तालिका की अपेक्षा सम्भवत अधिक पूण है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मुहम्मद काजिम द्वारा रचित राजकीय इतिहास आलमगीरनामा म औरगजेब के राज्यकाल के प्रथम दशक के 1,000 जात और उसके ऊपर के मनसबदारो की पदोन्नति का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त हमारे पास कोई भी तुलनात्मक ब्यौरा नही है, और यह भी सम्भव है कि आधारभूत ग्रन्थो मे निम्न श्रेणी के मनसबो का उल्लेख ही नही किया गया हो। अत, सन् 1679 1707 ई० की तालिका म 3 000 स लेकर 4 500 जात के मनसबदारो की सख्या म कुछ वद्धि की तो अवश्य आवश्यकता हो सकती है किन्तु 1 000 से 2 700 जात क मनसबदारो की सख्या वास्तविक सख्या स सम्भवत बहुत ही कम है।

उपरोक्त तालिकाओ की रूपरेखा की लाहौरी और वारिस की तालिकाओ से प्रत्यक्ष तुलना नहीं हो सकती, क्योकि व अपेक्षाकृत सीमित अवधि से सम्बन्धित हैं। अधिकाशत यह आईन और सालेह की तालिकाओ के ही समान हैं। मनसबदारो की एक तुलनात्मक तालिका, जो आईन व सालेह की तालिकाओ पर आधारित है, मैंन बनाई है, और यह तालिका नीचे दी गयी है—

	आईन	सालह	1658 78	1679 1707
सम्राट क पुत्र व पौत्रो के अलावा मनसबदार	अकबर के राज्यकाल के 40 वष	शाहजहाँ के राज्यकाल के 30 सौर वष	(21 वष)	(29 वष)
5 000 और उसस उच्च	29	49	51	79
3 000 स 4 500	30	88	90	133
1 000 से 2 700	74	300	345	363
योग	133	437	486	575

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि अकबर के राज्यकाल के चालीसवें वर्ष और शाहजहाँ के राज्यकाल के तीसवें वर्ष के मध्य मनसबदारों की सभी श्रेणियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी।[6] परन्तु यहाँ हमारा सम्बन्ध विशेष रूप से सोलह की तालिका तथा औरंगजेब के मनसबदारों की दो तालिकाओं के मध्य अन्तर से है।

यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जहाँ शाहजहाँ के राज्यकाल के तीस वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में 5 000 जात व उससे उच्च के मनसबदारों की संख्या केवल 49 ही थी, औरंगजेब के राज्यकाल के प्रथम बीस (बीस) वर्षों में यही संख्या 51 हो गयी। औरंगजेब के राज्यकाल के प्रथम बीस वर्षों में, मनसबदारों की अन्य दो श्रेणियों अर्थात 3 000 से 4 500 और 1 000 से 2,700 की संख्या अपेक्षाकृत अधिक तो है परन्तु दोनों की दशाओं में यह अन्तर प्रचुर नहीं है।[7] सम्भवतः यह वृद्धि औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकार के युद्ध के मध्य और तत्पश्चात अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु नियुक्तियों एव पदोन्नतियों के कारण हुई। शाहजहाँ की स्थिति सिंहासनारोपण के समय अपेक्षाकृत अच्छी थी और उसको मनसबों में अपेक्षाकृत कम वृद्धियाँ करनी पड़ी जैसा कि निम्नांकित आँकड़ों से स्पष्ट है—

प्रदत्त अतिरिक्त मनसब

(यह आँकड़े जात व सवार मनसबों में कुल मिला कर की गयी वृद्धि इंगित करते हैं।)

	शाहजहाँ के राज्यकाल के प्रथम दो वर्ष	औरंगजेब के राज्यकाल के प्रथम दो वर्ष
जात	43 500	89 000
सवार (दो अस्पा सह अस्पा को दुगना करके गणना की गयी है)	44 420	54 000[8]

तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब ने अपने राज्यकाल के अगले आठ वर्षों में पदोन्नतियाँ करने में रोक लगा देने की चेष्टा की जैसा कि आलमगीरनामा पर आधारित नीचे दी गयी तालिका द्वारा स्पष्ट है।

प्रदत्त मनसबों का योगफल

वर्ष	1-2	3	4	5	6	7	8	9	10
जात	89 000	17 700	10 900	5 000	7 200	1 100	10 500	20 500	10 000
सवार	54 000	16 450	7,550	5,230	8 700	17 550	2 400	1 400	5 770

सम्भवतः जो रोक प्रति वर्ष पदोन्नति पर लगती रही उसी के फलस्वरूप इस सम्पूर्ण अवधि में, शाहजहाँ के समय के मनसबदारों की संख्या की तुलना में अधिक वृद्धि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसके विपरीत, मनसबदारों, अहदियों इत्यादि के जो आँकड़े जवाबित ए आलमगीरी में उल्लिखित हैं सम्भवतः वह औरंगजेब के राज्यकाल की प्रथम अवधि (1658 78 ई०) के अन्तिम वर्षों में से किसी एक वर्ष के ही हैं।

परन्तु आगामी अवधि (1679 1707 ई०) में मनसबदारों की कुल संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। *यद्यपि यह अवधि पूर्व अवधि से आठ वर्ष अधिक है*, परन्तु केवल यही तथ्य मनसबदारों की संख्या में वृद्धि का एकमात्र कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जबकि शाहजहाँ के समस्त तीस वर्ष के राज्यकाल में 5 000 और उसके ऊपर के मनसबदारों की संख्या प्रथम बीस-वर्षीय राज्यकाल की अवधि—जिसमें यह संख्या 47 थी—की तुलना में 49 थी,[9] यह अन्तर औरंगजेब के प्रथम इक्कीस वर्षीय अवधि में 51 से बढ़ कर आगामी उनत्तीस वर्षीय अवधि में 79 हो गयी जो 56 प्रतिशत वृद्धि दिखलाता है। इसी प्रकार 3 000 से लेकर 4 500 के मनसबदारों की संख्या 90 से 133 हो गयी, अर्थात् उसमें 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तृतीय श्रेणी—अर्थात् 1,000 से 2,700 के मनसबदारों में *कम वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। इनकी संख्या 345 से बढ़ कर* 363 हो गयी, सम्भवतः इसका कारण यह हो सकता है कि आधारभूत ग्रन्थकारों ने इस श्रेणी के सभी मनसबदारों का उल्लेख नहीं किया है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनसबदारों की संख्या में वास्तविक वृद्धि, विशेषकर उच्च श्रेणी में, औरंगजेब के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में उस समय हुई जब उसने समस्त दक्खन को विलय करने की योजना कार्यान्वित कर दी थी और मराठों के विरुद्ध अनन्त युद्ध भी उसे आरम्भ करना था। ऐसी दशा में अधिकाधिक संख्या में न केवल मराठों और दक्खनी अमीरों की भर्ती ही हुई वरन् उनमें से अनेक की पदोन्नति भी हुई, कभी तो सन्तोषजनक सेवा के कारण परन्तु मुख्यतः दल बदलने के लिए *लालच के रूप में*। इस प्रकार मनसबदारों की संख्या इतनी बढ़ गयी कि उनको जागीरें प्रदान करना भी कठिन हो गया।[10] दशा इतनी नाजुक हो गयी कि सम्राट और उसके

मन्त्री कभी कभी यह भी विचार करने लगे थे कि नयी भर्ती एकदम बन्द कर दी जाय,[11] परन्तु परिस्थितिवश वह इस विचार को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहे।

अमीर-वर्ग की सरचना

सैद्धान्तिक रूप में मुगल अमीर-वर्ग सम्राट की ही रचना थी। केवल उसको ही अपनी प्रजा को मनसब प्रदान करने उसमें उन्नति करने या अवनति करने या उसको जब्त करने का एकाधिकार प्राप्त था। परन्तु यह धारणा कि मुगल अमीर वर्ग में कोई व्यक्ति योग्यता के किसी निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करके और सम्राट को सन्तुष्ट करके सम्मिलित हो सकता था, भ्रामक है। मनसबदार केवल जनसेवक ही न थे वरन साम्राज्य के सम्पन्नतम एवं कुलीन-वर्ग के सदस्य होते थे तथा इस विशिष्ट वर्ग में साधारण व्यक्ति, चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो, सामान्य रूप से प्रवेश पाने का अधिकारी न था।

खानाजाद

अमीरों की नियुक्ति के समय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विचारणीय तथ्य वंश की कुलीनता थी। खानाजाद अर्थात मनसबदारों की सन्तानें या उनके वंशज[12] ही इस वर्ग में प्रविष्ट होने के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी समझे जाते थे। यह कथन इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि 1658 78 की अवधि में 486 एक हजारी या उससे उच्च पद के मनसबदारों में से 213 या तो मनसबदारों की सन्तान थी या वंश द्वारा निकट सम्बन्धी (केवल विवाह द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को छोड़ कर) ही थे। इसी प्रकार सन 1679 1707 की अवधि में एसे मनसबदारों की सख्या 575 में से 272 थी। शेष विवरण निम्नांकित सारिणी में प्रस्तुत है—

अ—1658 78

जात	मनसबदारों की कुल सख्या	खानाजाद	प्रतिशत
5 000 जात और उससे उच्च	51	25	49
3 000 जात से 4 500	90	61	68
1 000 जात से 2 700	345	127	37
योग	486	213	44

ब—1679-1707

ज़ात	मनसबदारों की कुल संख्या	खानाजाद	प्रतिशत
5 000 ज़ात और उससे उच्च	79	24	30
3 000 से 4 500	133	70	53
1,000 से 2,700	363[13]	178	49
योग	575	272	47

उपर्युक्त आँकड़ों को देखने से यह स्पष्ट है कि दोनों ही अवधियों में अमीर वर्ग में खानाजादों की संख्या आधे से कुछ ही कम थी। परन्तु 1679 1707 की अवधि में सम्भवतः उनकी संख्या का अनुपात भ्रमात्मक है। यह स्मरणीय है कि उच्चतम श्रेणी (5 000 और उससे उच्च) के मनसबदारों की कुल संख्या में, जिसके बारे में हमारी जानकारी अधिक पूर्ण है उनका अनुपात गिर कर 51 में से 25 और 79 में से 24 हो गया था। जब हम निम्न श्रेणियों पर आते हैं तो उनका अनुपात बढ़ जाता है, किन्तु निम्न श्रेणियों की हमारी सूचियाँ उतनी पूर्ण नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हमारे इतिहासकारों का ध्यान उन समान श्रेणी वाले मनसबदारों, जिनका सम्बन्ध किसी सुप्रसिद्ध परिवारों से न था, की अपेक्षा उन मनसबदारों की ओर अधिक गया जो विशिष्ट अमीरों के वंशज थे। एक समकालीन लेखक ने तो एक विस्तृत उद्धरण में इस बात पर क्षोभ भी प्रकट किया है कि इस अवधि में नयी नियुक्तियों की बाढ़ ने, विशेषतौर से दक्खनियों की नियुक्तियों ने खानाजादों को एक ओर धकेल दिया है।[14]

ज़मींदार

कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि अमीर-वर्ग का अधिकांश भाग वंशानुगत अधिकार के आधार पर भर्ती किया जाता था, परन्तु उससे कुछ अधिक संख्या उन लोगों की थी जिनका कोई भी सम्बन्ध उन व्यक्तियों के परिवारों से न था जिनके पास मनसब थे। इस प्रकार के व्यक्ति विभिन्न वर्गों से सम्बद्ध थे। उनमें से अनेक ऐसे व्यक्ति थे जो भू-सम्पदा की दृष्टि से श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली थे। इस वर्ग में साम्राज्य के सामन्त या ज़मींदार थे। यद्यपि ज़मींदारों या राज्य ने अधिकारियों की श्रेणी में सम्मिलित कर मुगलों ने कोई नयी बात नहीं की,[15] परन्तु यह सत्य है कि अकबर ने अधिकाधिक ज़मींदारों

और उनके सम्बन्धियों को मनसब प्रदान कर इस वर्ग को अधिक महत्त्व प्रदान किया। उनकी पैतृक सम्पदा उनके पास ही रहने दी गयी, जिसे उनकी 'वतन जागीरें' समझा गया, परन्तु सरकारी अधिकारी होने के नाते उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में साधारण जागीरें प्रदान की गयी।[16] औरंगजेब के राज्यकाल के प्रथम भाग (1658 78) में 486 उच्च अधिकारियों में कम-से-कम 68 अधिकारी ऐसे थे जो जमींदार भी थे। 1679 1707 में 575 मनसबदारों में से 81 जमींदार भी थे। परन्तु इनमें से प्रथम अवधि में 29 जमींदारों और द्वितीय अवधि में भी इतने ही ऐसे जमींदारों को नये मनसब दिये गये जिनके पूर्वज किसी मनसब पर नहीं रहे थे। निम्नलिखित सारिणी[17] में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है—

अ—1658-78

	कुल मनसबदार	कुल जमींदार	वे जमींदार जिनके पिता या निकटतम सम्बन्धी पहले से ही मनसबदार थे	अन्य जमींदार
5 000 जात और उससे ऊपर	51	7	5	2
3,000 जात से 4 500	90	11	10	1
1,000 जात से 2 700	345	50	24	26
योग	486	68	39	29

ब—1679 1707

	कुल मनसबदार	कुल जमींदार	वे जमींदार जिनके पिता या निकटतम सम्बन्धी पहले से ही मनसबदार थे	अन्य जमींदार
5 000 जात और उससे ऊपर	79	15	6	9
3 000 जात से 4 500	133	20	13	7
1 000 जात से 2,700	363	46	33	13
योग	575	81	52	29

अन्य राज्यों से आने वाले अमीर

इनके अतिरिक्त अन्य राज्यों के अमीर एवं उच्च अधिकारी भी थे, जिन्हें उनके अनुभव, स्तर एवं प्रभाव के कारण या इसलिए कि उनके नेतृत्व में सैनिक टुकड़ियां थीं तथा उनके नियंत्रण में प्रदेश थे उन्हें मुगल अमीर वर्ग में स्थान दिया गया। बसरा के ऑटोमन गवर्नर, हुसैन पाशा, जिसे हिन्दुस्तान में आने के पश्चात् शीघ्र ही मनसब प्रदान किया गया इसका एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण था। ईरानियों, चगताइयों तथा उजबेग अमीरों के लिए हिन्दुस्तान सदैव ही स्वर्ण-देश था, जहां शीघ्रतापूर्वक भाग्योदय हो सकता था। दक्खन में सैनिक गतिविधियों के कारण आवश्यकता इस बात की थी कि शान्ति एवं युद्ध दोनों ही में स्वतंत्र राज्यों के अमीरों तथा अधिकारियों को अधिकाधिक संख्या में मुगलों के पक्ष में कर लिया जाये। उन्हें अपने राज्यों के साथ विश्वासघात करने के लिए ऊँचे-से-ऊँचा मनसब देना अति आवश्यक था। इस प्रसंग का सर्वोत्तम उदाहरण मीर जुमला है, वैसे लगभग सभी दक्खनी मनसबदार, चाहे वे बीजापुरी, हैदराबादी या मराठे ही क्यों न हों, इसी श्रेणी में आते हैं।[18]

मुगल अमीर-वर्ग में बहुत ही थोड़े ऐसे लोगों की भर्ती की गयी थी जिनका कोई भी सम्बन्ध कुलीन वंश से न था, लेकिन वे विशेषतया या तो प्रशासक थे या लेखापाल थे। यह लोग लेखापाल जातियों—खत्री, कायस्थ आदि के सदस्य होते थे। साधारणतया इन लोगों की नियुक्तियां वित्तीय विभागों में अधिकारियों या लिपिकों के पदों पर हुआ करती थीं और उन्हें निम्न श्रेणी के मनसब मिलते थे।[19] परन्तु उनमें से कुछ ने उच्च पदों पर भी उन्नति की। अकबर के काल में ऐसा एक उदाहरण राजा टोडरमल का है। औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में दीवान राजा रघुनाथ ने मुख्यतः वित्त विभाग में ही कार्य करके 3,000/700 के मनसब तक उन्नति की। औरंगजेब के अमीरों की हमारी सूचियों में मनसबदारों का यह वर्ग 'अन्य हिन्दुओं'—अर्थात् राजपूतों तथा मराठों के अतिरिक्त हिन्दुओं—में सम्मिलित किया गया है। 1658-78 की अवधि में 1,000 और उससे उच्च जात के 486 मनसबदारों में से केवल 7 अन्य हिन्दू थे। 1679 से 1707 की अवधि में 575 में उनकी संख्या बढ़ कर 13 हो गयी।

अन्त में, मनसब की विभिन्न श्रेणियां शिक्षाविदों, धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों आदि को भी प्रदान की जाती थीं। अकबर के समय में अबुल फज़ल तथा शाहजहाँ के समय में सादुल्लाह खां और दानिशमन्द खां को अपनी विद्वत्ता के कारण उच्च मनसब प्राप्त हुए थे। औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में मन्त्री फ़ाज़िल खां भी 5,000/2,000 का मनसबदार था। शाहजहाँ द्वारा पदवी प्राप्त होने के पूर्व उसका नाम हकीम-उल मुल्क तूनी था तथा वह एक चिकित्सक व

विद्वान था। स्वयं औरंगजेब ने जिन व्यक्तियों की नियुक्ति विभिन्न सेवाओं के लिए अमीर वर्ग में की, उनमें से मुल्ला काबिल खाँ (1000/70) तथा इनायत उल्लाह खाँ कश्मीरी (2,000/250) थे। कुछ धर्मशास्त्रियों एवं पुनीत विद्वानों को भी मनसब दिये गये थे।⁸

जातीय एवं धार्मिक वर्ग

मुगल अमीर वर्ग में, बाबर और हुमायूँ के शासनकाल तथा अकबर के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में अपने विकास के प्रथम चरण समाप्त होने के उपरान्त कुछ विशेष मान्यता प्राप्त जातीय-वर्ग थे। उनमें तूरानी (मध्य एशिया के निवासी), ईरानी (फारस के निवासी), अफगान, शेखजादे (भारतीय मुसलमान जिसमें अनेक उप वर्ग भी सम्मिलित थे) तथा राजपूत इत्यादि सम्मिलित थे। बाद में सत्रहवीं शताब्दी में मुगल शक्ति के दक्खन में बढ़ने के साथ-ही-साथ दक्खनियों, अर्थात बीजापुरियों, हैदराबादियों तथा मराठों ने भी उसमें प्रवेश करना प्रारम्भ किया। चन्द्रभान ब्राह्मण ने, जिसने शाहजहाँ के शासनकाल के अन्तिम वर्षों में अपने ग्रन्थ की रचना की, मुगल अमीर वर्ग की मिश्रित प्रकृति का बहुत ही रोचक विवरण दिया है—

अरब, ईरानी, तुर्क, ताजिक, कुर्द, लारी, तातार, रूसी, हब्शी, काकेशियन इत्यादि विभिन्न जातियों तथा रूम (तुर्की), मिस्र, सीरिया, ईराक, अरब, फारस, गिलान, मजन्दरान, खुरासान, सीस्तान, ट्रान्सआक्सियाना, ख्वारिज्म, किपचक की मरुभूमि, तुर्किस्तान, गरीजिस्तान, कुरदिस्तान जैसे देशों के विभिन्न वर्गों एवं प्रत्येक जाति के लोगों ने शाही दरबार में शरण ली है तथा हिन्दुस्तानियों के विभिन्न वर्गों के विद्वान एवं कुशल सैनिकों उदाहरणार्थ बुखारी और भक्करी, समुचित वंश के सैयद, कुलीनवंश के शेखजादे, अफगान कबीले (उलूसात) जैसे लोदी, रोहिला, ख्वेश्गी, युसुफजई आदि तथा राजपूतों के कुल (सम्बोधित) राना, राजा, राव और रायान जैसे राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, हाड़ा, गौड़, चौहान, झाला, चन्द्रावत, जादौन, तोंवर, बघेला, वंश, बड़गूजर, पनवार, भदौरिया, सोलंकी, बुन्देला, शेखावत और हिन्दुस्तान के अन्य लोग जैसे कि घक्खर, लंगाह, खोखर, बलूच जातियाँ तथा अन्य जातियाँ, कलम तथा तलवार के धनी 7000 से 1000 तथा 1000 से 100 तथा 100 से अहदी पदों पर आसीन हैं तथा रेगिस्तान एवं पहाड़ों के जमींदार तथा साम्राज्याधीन कर्नाटक, बंगाल, आसाम, उदयपुर, श्रीनगर, कुमायूँ, बान्धो, तिब्बत, और किश्तावर आदि प्रदेशों से उनके सम्पूर्ण समूह एवं वर्ग ने शाही दरबार की चौखट चूमने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त कर लिया है।[1]

यह सभी तत्व ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप, किन्तु कुछ सीमा

तव (विशेषत राजपूत) योजनाबद्ध शाही नीति के परिणामस्वरूप मुगल सेवा मे सम्मिलित कर लिए गए थे। ऐसा ज्ञात होता है कि अकबर की नीति इन सभी तत्वो को शाही सेवा म लेकर उनका समाकलन करना था। अकसर वह विभिन्न वर्गों के अधिकारियो को एक उच्च अधिकारी के अन्तगत सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया करता था। लकिन साथ-ही-साथ प्रत्येक वग के अन्तर अथवा उसकी पृथक प्रकृति का आदर किया जाता था। प्रशासन ही विनियमित किया करता था कि किस अनुपात म प्रमुख मनसबदार अपनी ही जाति अथवा कुल के लोगो का भर्ती करेगा।

इस प्रकार वहा विविधता म एकता थी, और विविधता म तनाव उत्पन्न करने की क्षमता थी। इसी तनाव पर 1581 ई० म मिर्जा हकीम ने अपनी आशाएँ केन्द्रित की थी। उसे यह आशा थी कि अकबर की सेना के ईरानी व तूरानी लोग उसके पक्ष म हो जायेंगे तथा राजपूतो व अफगानो को मौत के घाट उतार दिया जायेगा तथा अन्य हिन्दुस्तानी पकड लिय जायेंगे।[3] अकबर की सुलह कुल की नीति, कुछ सीमा तक, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, सुन्नियो (तूरानियो तथा अधिकाश शेखजाद), शिया (अनेक ईरानियो को मिला कर) और हिन्दू (राजपूत) तत्वो को शाही सेवा म लेने और उनके धार्मिक मतभेदो का सिंहासन के प्रति उनकी स्वामिभक्ति म हस्तक्षेप करने को रोकने की इच्छा से प्रेरित थी।[4] जहाँगीर के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षो मे, कम स-कम मिर्जा अजीज कोका ने तो ऐसा सोचा था कि सम्राट चगताइयो (तूरानियो) और राजपूतो क विरुद्ध था तथा वह आवश्यकता म अधिक खुरासानियो (ईरानियो) और शेखजादो[5] के प्रति कृपालु था। परन्तु इस बात के लिए कोई भी विश्वासोत्पादक साक्ष्य उपलब्ध नही है।[6]

कुछ भी हो यह स्पष्ट है कि अमीर वग के विभिन्न वर्गों मे कुछ सीमा तक पारस्परिक द्वेष भावना विद्यमान थी। औरगजेब के अमीर वग ने इन दोनो ही परम्पराओ आन्तरिक वमनस्य एव अविश्वास तथा सिंहासन के प्रति सामान्य निष्ठा स उत्पन्न प्रबल एकता की भावना को पूववर्ती अमीर वग से प्राप्त किया होगा। अगले पृष्ठो म इस बात का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है कि औरगजेब के अन्तगत इन सभी तत्वो म स प्रत्येक की क्या स्थिति रही? हम यह ज्ञात करने की चेष्टा करेंगे कि किस प्रकार सम्राट ने अमीरो के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति सतकतापूवक योजनाबद्ध नीति का अनुसरण किया और उनमे से प्रत्येक की सामथ्य म परिवतन स अमीर वग की एकात्मकता एव सम्बद्धता तथा सम्पूर्ण साम्राज्य पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई?

विदेशी अमीर-वर्ग

मार्ईन म ही ने गयी मनसबदारों की सूची पर टिप्पणी करते हुए मोरलण्ड ने कहा है कि लगभग 70 प्रतिशत अमीर, जिनके वंश के बारे में ज्ञात है विदेशी थे और उनका सम्बन्ध उन परिवारों से था जो या तो हुमायूँ के साथ हिन्दुस्तान आये थे या अकबर के सिंहासनारोहण के पश्चात् दरबार में आये।[27] बाह्य देशों से आये हुए परिवारों से सम्बन्धित मनसबदारों का यह उच्च अनुपात अकबर के उत्तराधिकारियों के अन्तर्गत भी बना रहा। इस प्रकार औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में अमीर वर्ग का विवरण देते हुए बर्नियर ने लिखा है कि यह 'उजबेगों, ईरानियों, अरबों तथा तुर्कों या उनके वंशजों का समूह है। अन्यत्र उसने लिखा है कि अमीर विभिन्न देशों के महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जो एक-दूसरे को दरबार में आने के लिए प्रलोभित करते हैं।[8] किन्तु सही अर्थों में विदेशी में आने वाले उन आप्रवासियों के वंशजों को जो कई पीढ़िया पूर्व यहाँ आ चुके थे तथा जिनका अब अपने देश से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह गया था हम विदेशी नहीं मान सकते।[29] किन्तु हम यदि उन्हें विदेशी मान भी लें तो भी बर्नियर का कथन औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों के लिए केवल कुछ ही अंश तक सत्य सिद्ध होगा। औरंगजेब के राज्यकाल के अमीरों की सूची के आधार पर बनायी गयी तालिकाओं से यह बात सिद्ध होती है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि 1658-1678 में 1 000 जात तथा उसके ऊपर के मनसबदारों की कुल संख्या 417 में से जिनके वंश का निर्धारण किया जा सकता है 202 अर्थात आधे से भी कुछ कम विदेशी थे, और उनमें से 55 ऐसे थे जिनके बारे में यह मालूम है कि उनका जन्म हिन्दुस्तान के बाहर ही हुआ था। 1679-1707 में 1 000 जात और उससे ऊपर के 482 मनसबदारों में से जिनके वंश का निर्धारण किया जा सकता है 197 विदेशी थे और इसमें से 46 का जन्म हिन्दुस्तान के बाहर हुआ था।[30] इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि अकबर के काल से ही विदेशों से सीधे आने वाले अमीरों की संख्या में सुस्पष्ट गिरावट हुई और औरंगजेब के दीर्घकालीन राज्यकाल में विदेशियों की प्रत्यक्ष नियुक्तियों में और भी तीव्र गति से ह्रास हुआ जैसा कि प्रथम अवधि की अपेक्षा द्वितीय अवधि में विदेशों में जन्म लेने वाले अमीरों की कम आनुपातिक संख्या से स्पष्ट प्रतीत होता था। यदि केवल उच्च मनसबों के सम्बन्ध ही में विचार किया जाय तो यह ह्रास और भी अधिक असाधारण प्रतीत होता है। 1658-78 में 5 000 और उसके ऊपर के 51 मनसबदारों में से कम से-कम 32 विदेशी थे जिनमें से 15 का जन्म हिन्दुस्तान के बाहर हुआ था जबकि दो के वंश का निर्धारण नहीं किया जा सका है। 1679-1707 में 5 000 और उसके ऊपर के 66 मनसबदारों जिनके वंश का निर्धारण किया जा

सकता है, मे से 20 विदेशी थे तथा इनमे से केवल 6 का जन्म हिन्दुस्तान के बाहर हुग्रा था।[32]

इस ह्रास के विभिन्न कारणो को इगित किया जा सकता है। उज़बेग व सफ्वी साम्राज्य पहले की ग्रपेक्षा ग्रब उतने शक्तिशाली नही रह गये थे, परिणाम स्वरूप उन देशो से प्रशासनिक ग्रनुभव रखने वाले एव प्रतिष्ठा प्राप्त ग्रमीरो ने पहले की सी सख्या म मुगल ग्रमीर वग मे नियुक्ति के लिए ग्राना बन्द कर दिया। इसके ग्रतिरिक्त ग्रपने राज्यकाल म ग्रौरगजेब की दृष्टि ग्रधिकाशत दक्खन पर ही लगी रही। ग्रतएव ग्रपने पिता एव प्रपितामह की भाँति उसकी कभी भी यह ग्रभिलाषा न रही कि वह उत्तर पश्चिम मे ग्रग्रवर्ती या साम्यवादी नीति का ग्रनुसरण करे। उसके लिए सम्भावनीय न था कि वह तूरानी तथा ईरानी ग्रमीरो को विशिष्ट प्रलोभनो द्वारा ग्रपने स्वामियो को छोडने के लिए लालायित करता।

इसके विपरीत ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही है कि ग्रौरगज़ेब ने कभी भी जान बूझकर ग्रमीर वग का 'भारतीयकरण' करने का प्रयास किया हो। यह 'भारतीयकरण' किसी सकल्पित नीति के कारण नही वरन केवल ऐतिहासिक परिस्थितिया के कारण ही हुग्रा। वास्तव मे कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि ग्रौरगजेब के समय म भी ग्रमीर वग म विदेशी एव स्थानीय तत्वो मे भेद बनाये रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारणा बना ली गयी थी कि उन कुलो की ग्रपेक्षा जो कि हिन्दुस्तान ही के निवासी थे, ईरानिया व तूरानिया को ही प्रतिष्ठित पदो पर होना चाहिए। इस प्रकार मिर्जा राजा जयसिंह ने जो कि स्वय एक राजपूत ग्रमीर था इस बात पर ग्राश्चय प्रकट किया कि ग्रौरगजेब न दक्खन के दुर्गों के दुर्गाध्यक्षो के पदो पर उसके द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्तिया जो ग्रपन नामो स ईरानी व तूरानी प्रतीत होत थ, को नियुक्त करन की ग्रपेक्षा उक्त पदो पर उन व्यक्तिया को नियुक्त करना पसन्द किया जो हिन्दुस्तान ही म उत्पन्न कुलो स सम्बधित (हिन्दुस्तान जाद) सैय्यद, मुगल तथा शमजादे (हिन्दुस्तानी मुसलमान) ग्रौर राजपूत थ।'[3] इस प्रकार के चेतोविकार की झलक मुगल ग्रधिकारियो की उस परम्परा मे मिलती है जिसका उल्लख बर्नियर न किया है कि वे कश्मीरी स्त्रियो से विवाह करत थ ताकि 'उनके बच्चो का रग हिन्दुस्तानियो स भी खुला हो ग्रौर वे मूल मगोल ही समझे जा सकें'।[33] परन्तु इस प्रकार के चेतोविकार के बारे मे ग्रन्य सकेतो के ग्रभाव मे यह ग्रभिधारणा बना लेना ग्रापदापन्न होगी कि केवल जन्मभूमि के ग्राधार पर विदेशिया ग्रौर हिन्दुस्तानियो' मे गहन ईर्ष्या थी ग्रथवा सघष था।

तूरानी व ईरानी

तथाकथित विदेशियो म अधिकाशत तूरानी व ईरानी सम्मिलित थ। 'तूरानी' शब्द का प्रयोग मध्य एशिया जहाँ तुर्की भाषा बोली जाती थी, स थान वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता था। इस तथ्य के बावजूद भी, कि औरगजेब के अधिकारियो के सघष को पूणतया ईरानियो एव तूरानियो के सघष की सज्ञा नही दी जा सकती इस बात स इनकार नही किया जा सकता कि उस समय ईरानी-तूरानी गुट भावना विद्यमान थी या उसका उपयोग सकीण उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अतएव ऐसी स्थिति मे उच्च अधिकारी वग म ईरानियो व तूरानियो के अनुपात का परीक्षण करना आवश्यक होगा। शासक परिवार के स्वय तूरानी होन के कारण कोई भी व्यक्ति यह सहज ही सोच सकता है कि विदेशी अमीर वग म तूरानियो का गुट प्रबल रहा होगा किन्तु बात ऐसी न थी। बर्नियर ने लिखा है कि दरबार म पूवकाल की भाति मूल मुगल नही रहे हैं तथा औरगजेब के अमीरो की सूचियाँ उसके कथन की पुष्टि करती हैं। 1658 78 म 1 000 और उसके ऊपर के 486 मनसबदारो म से 67 तूरानी थ जबकि 1679 1707 म 575 मे उनकी सख्या केवल 72 ही थी।[31] अर्थात पहली अवधि म कुल अमीरो म 13 7 प्रतिशत और दूसरी अवधि म 12 5 प्रतिशत तूरानी थे। सम्भवत औरगजब के राज्यकाल के बहुत पूव तूरानियो की सख्या मे ह्रास हो चुका था। हम पहले ही देख चुके हैं कि जहाँगीर पर तूरानियो के विरुद्ध होने का आक्षेप लगाया जा चुका था। यह बात ध्यान म रखने की है कि उज़बेग साम्राज्य का पतन सफवियो के पतन स बहुत पूव ही प्रारम्भ हो चुका था। इसके अतिरिक्त तूरानी विशेषत उजबेगी, हिदुस्तान म असम्य और गवार समझे जाते थे।[35] औरगजेब के दरबार के एक अमीर न तो सम्राट की उपस्थिति म यहा तक कह दिया था कि एक तूरानी की बात पर कभी भी विश्वास नही किया जा सकता जिस पर उस मामूली सी भत्सना के साथ यह बताया गया कि उस यह याद रखना चाहिए कि उसका सम्राट भी एक तूरानी ही है।[36]

ईरानी

हिरात स लेकर बगदाद तक फारसी बोलन वाले लोग अर्थात आधुनिक फारस की सीमा म रहन वाले सभी निवासी तथा अफगानिस्तान एव ईराक के उन भागो के निवासी जहा फारसी बोली जाती है ईरानी कहे जाते थे इन्हें ईराकी तथा खुरासानी भी कहा जाता था। अज़ीज कोका के पत्र जिसका उल्लेख पहल किया जा चुका है से ज्ञात होता है कि तूरानियो और ईरानियो म अनको पीढियो स पारस्परिक वमनस्य था। यह सत्य है कि तूरानी साधारणत

सुन्नी तथा ईरानी अधिकांशत शिया[37] हुआ करते थे, लेकिन उनके पारस्परिक वमनस्य को कभी-कभी धार्मिक रंग प्रदान कर दिया जाता था। ईरानी औरों से अधिक सुसस्कृत व सभ्य समझे जाते थे तथा उन्होंने जहाँगीर और शाहजहाँ दोनों के ही अन्तर्गत विशिष्ट कृपा प्राप्त की थी। यह कहा गया है कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने सुन्नियों को शियाओं के विरुद्ध खड़ा किया,[38] किन्तु यह कथन आधाररहित है। 1,000 तथा उससे ऊपर के 124 अमीरों में से, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्होंने सामूगढ़ के युद्ध तक औरंगजेब का साथ दिया, 27 ईरानी थे, और उनमें से चार 5,000 जात व उसके ऊपर के मनसबदार थे। इसके विपरीत दाराशिकोह के 87 समर्थकों में 23 ईरानी थे।[39] कुछ भी हो, प्रमुख ईरानी अमीरों में से मीर जुमला तथा शायस्ता खाँ औरंगजेब के ही समर्थक थे। इसी प्रकार बर्नियर का कथन कि शाहजादा शुजा को ईरानियों का समर्थन प्राप्त था सारहीन है।[40] 1,000 जात व उससे ऊपर के उसके 90 समर्थकों में से केवल एक ही ईरानी था।[41]

इस प्रकार, औरंगजेब की विजय का ईरानियों की स्थिति पर कोई भी प्रभाव न पड़ा। बर्नियर के अनुसार विदेशी अमीर वर्ग में 'अधिकांशत' ईरानी थे[42] तथा टवर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य में सर्वोच्च पदों पर ईरानी आसीन थे।[43] इस कथन की पुष्टि आँकड़ों से भी की जा सकती है। 1658-1678 में 486 मनसबदारों में से 136 ईरानी थे जबकि तूरानी मात्र 67। 1679-1707 में भी ईरानियों की संख्या अधिक ही रही—575 की कुल संख्या में 126। सर्वोच्च पद की श्रेणी में, 1657-78 में 23 ईरानी 5,000 व उससे अधिक के मनसब पर थे और 1679-1707 में 14, जबकि तूरानियों की संख्या क्रमश 9 और 6 थी।

दक्खन के राज्यों में काफी संख्या में ईरानियों के सेवा रत रहने के कारण भी ईरानी कुछ सीमा तक अपनी स्थिति को बनाये रख सके। दक्खन में ईरानी दीर्घकाल से प्रभावशाली थे,[44] मुगल सेवा में दक्खन से प्रवेश करने वाले ईरानियों का एक उदाहरण मीर जुमला का है। यह कहा जाता है कि औरंगजेब को फारस के एक प्रान्त ख्वाफ से आये हुए अधिकारियों, जिन्हें उसके राज्य काल में अत्यधिक मान सम्मान मिला, पर अत्यधिक विश्वास था।[45] सम्राट की सुन्नी कट्टरता के कारण भी ईरानियों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा। उसने एक बार बख्शी के पद पर एक व्यक्ति के नियुक्त किये जाने के अनुरोध को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उक्त पद का पदग्राही एक शिया था।[46]

अफ़ग़ान

मुग़ल अमीर-वर्ग में अफ़ग़ानों का बड़ा ही विच्छिन्न इतिहास था। वास्तव में उन्हें विदेशी आगन्तुक नहीं माना जा सकता क्योंकि उनका निवास-स्थान मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं में ही था। दिल्ली के सुल्तानों के समय में अफ़ग़ानों को डाकू व लुटेरों के रूप में तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता था।[47] कुछ भी हो फिरोज़शाह के समय तक कुछ अफ़ग़ानों ने अमीरों के रूप में प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। लोदी साम्राज्य के संस्थापन के साथ साथ उन्होंने अपना शासक वर्ग बना लिया और उनका राज्य हिन्दुस्तान में आगमन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। जब बाबर ने उनके राज्य को उखाड़ कर फेंका तो उनमें से कुछ ने विजेता के साथ संधि कर ली। मध्यकालीन सूर साम्राज्य के उपरान्त मुग़लसत्ता की जब पुनः स्थापना हुई तो अफ़ग़ान सरदार मुग़लों की दृष्टि में सन्देहास्पद बन गये तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर ने उनमें से अधिकांश को एक हाथ दूर ही रखा।[48] फिर जहाँगीर ने उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू किया जैसा कि उसके द्वारा खान जहाँ लोदी को प्रदान की गयी विशिष्टता से स्पष्ट है।[49] शाहजहाँ के राज्यकाल में खान जहाँ लोदी के विद्रोह के उपरान्त अफ़ग़ानों की प्रगति में सम्भवतः बाधा पड़ी और जैसा कि हमें बताया गया है शाहजहाँ को अफ़ग़ानों में विश्वास न रहा।[50]

ऐसा प्रतीत होता है कि शाहज़ादे के रूप में औरंगज़ेब ने अफ़ग़ानों को अपने पक्ष में करने की चेष्टा की थी। एक पत्र में वह इस बात पर आश्चर्य प्रकट करता है कि सम्राट ने एक अफ़ग़ान सरदार की पदोन्नति से सम्बन्धित उसके प्रस्ताव को केवल उसकी जाति के आधार पर ठुकरा दिया।[51] इससे भी कहीं अधिक रहस्योद्घाटन तथ्य यह है कि 1 000 जात व उससे ऊपर के 124 अमीरों में से जिन्होंने औरंगज़ेब का सामूगढ़ के युद्ध तक साथ दिया 23 अफ़ग़ान थे जबकि दारा शिकोह के पक्ष में इसी स्तर के 87 अमीरों में से केवल एक ही अफ़ग़ान था।[5]

अबुल फ़ज़ल मामूरी के अनुसार राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में औरंगज़ेब इस बात में बहुत ही सतर्क रहता था कि अफ़ग़ानों के पदों में अनुचित वृद्धि न की जाय।[53] 1 000 व उससे अधिक के मनसबदारों की हमारी 1658 78 की सूची में 486 में से 43 अफ़ग़ान थे। दूसरी अवधि 1679 1707 में, 575 में से अफ़ग़ानों की संख्या 34 थी। परन्तु यह ह्रास सम्भवतः निम्न श्रेणी के मनसबदारों की हमारी सूचियों की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार 1658 78 में जबकि 5 000 व उससे अधिक के मनसबदारों में 3 अफ़ग़ान थे उसी श्रेणी में 1679 1707 की अवधि में उनकी संख्या 10 से किसी भी भाँति कम न थी। इस प्रकार औरंगज़ेब के उत्तरकालीन वर्षों में अफ़ग़ान अमीरों की

सख्या मे प्रचुर वद्धि दृष्टिगोचर होती है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह वद्धि मुख्यत उन अफगानो, जो पहले बीजापुर राज्य की सेवा मे थे, के शाही सेवा मे भर्ती किये जाने के कारण हुई।

अफगान अमीर वग के बारे मे समकालीन इतिहासकारो ने सुस्पष्ट रूप से अपनी विरक्तता दिखायी है। अफगान एक कबायली समाज से आये थे, तथा मुगल अधिकारी नियुक्त किये जाने के बाद भी वे कबायली नेता बने रहे और अपने ही कबीला एव कुला के लोगो को अपनी सेवा म लेते रहे। मनूची के अनुसार वे केवल दरबार ही मे रईसी वस्त्र पहन कर आया करते थे। जब वे लौट कर घर पहुँचते तो उन वस्त्रो को उतार कर अपनी जाति के साधारण वस्त्रो को धारण कर लिया करते थे।[51] भीमसन को अफगानो से इससे भी अधिक शिकायत थी। अफगान हिन्दुस्तान के सभी भागो म फैले हुए थे और सभी स्थानो मे विप्लव और अशान्ति का एक कारण थे। औरगजेब के दक्कन की ओर प्रस्थान करने के पश्चात उनकी शक्ति बढ गयी तथा उनमे से अनेको ने, जिन्हे शाही सेवा म भर्ती नही किया गया था, अपनी व्यक्तिगत सेना रख ली जिसके सामने परिणामस्वरूप अनेक शाही अधिकारियो की सैनिक टुकडियाँ फीकी पड गयी।[5] अफगान अमीरो की सख्या मे वद्धि के कारण अमीर वग की आन्तरिक ससक्ति कमजोर हो गयी और वह साम्राज्य के भाग्य पर बुरा प्रभाव डालने लगी विशेषतौर से उस समय जब औरगजेब का प्रभावशाली व्यक्तित्व सामने से हट गया और केन्द्रीय प्रशासन म नयी बुराइयाँ प्रविष्ट हो गयीं।

भारतीय मुसलमान

भारतीय मुसलमान साधारणत शेखजादे कहे जाते थे। उनका सम्बन्ध मुख्यत कुछ महत्वपूण कुलो, जसे बारहा के सय्यद और कम्बो से था। 1658 78 म 1 000 और उसके ऊपर के कुल 486 मनसबदारो मे से 65 भारतीय मुसलमान थे, अथात 13 4 प्रतिशत, 1679 1707 म के 575 म से 69 थे, अर्थात 12 प्रतिशत। 1658 78 मे 4 भारतीय मुसलमान 5 000 व उसके ऊपर के पद पर थे, 1679 1707 मे उनकी सख्या 10 थी।[58]

भारतीय मुसलमानो की सख्या मे इस स्वल्प क्षति के पीछे नये वर्गों के अमीर वग मे प्रवेश के कारण पुरान तत्वो का निस्तेज होना था। बारहा के सय्यद और कम्बो, जो अकबर के काल से महत्वपूण पदो पर आसीन थे औरगजेब के उत्तरकालीन वर्षों मे पूव की भाँति उतने अधिक प्रभावशाली नही रह गये थे। बारहा के सय्यदो पर जो परम्परागत मुगल सेना के अग्रिम दल का नेतृत्व करते थे तथा जिन्हे अपनी सामरिक योग्यताओ पर अत्यधिक गव

श्वास नहीं करता था।[58] सम्भवत ऐसा केवल इस कारण
ध्यद दारा शिकोह के अनन्य समर्थक थे। नवीन वर्गों में से,
म प्रवेश किया था, सबसे महत्त्वपूर्ण दक्खन के निवासी थे
नियो को छोड कर जो कि ईरानी, तूरानी या अफगान थे,
तर्गत में हब्शी इसमे सम्मिलित थे)। कश्मीरियों को भी
न्नति की गयी। औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों
या गया है कश्मीरियों में विशेषतौर से चार कश्मीरियों को
न्दिया गया था।[59] किन्तु उसके राज्य के उत्तरकालीन वर्षों
गयी। इनायतुल्लाह कश्मीरी औरंगजेब के प्रिय अमीरों में

राजपूत

राजपूतों के प्रति नीति विवादास्पद विषय है। इसमें तनिक
क्योंकि यह—या इसके बारे में ऐसी धारणा है—उसकी
त्यधिक सम्बन्धित है, और उसकी धार्मिक नीति दीर्घकाल से
नी हुई है। विवेचना के स्पष्टीकरण हेतु यह वांछनीय होगा
धार्मिक नीति से किसी भी प्रकार का पूर्व निश्चित सम्बन्ध
वर्ग में राजपूतों की स्थिति का परीक्षण कर लिया जाय।
धर्मपरायण मुसलमान शासक था जिसने अपनी कट्टरता का
ग अनेक पग उठाये। इसके बावजूद जैसा कि लाहौरी
दी गयी सूचियों में स्पष्ट है[60] उसके राज्यकाल में राजपूत
या में अत्यधिक वृद्धि हुई। औरंगजेब भी धर्मपरायण मुसल
तों के प्रति द्वेष रखने के लिए शाहजहाँ के दरबार में उसकी
थी।[61] परन्तु यह स्पष्टत अस्थायी बात थी उत्तराधिकार
वर्ष पूर्व ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब ने प्रमुख राज
अपने पक्ष में करने की सतत चेष्टा की थी। उसने मेवाड
को जो निशान भेजे थे वे उपलब्ध हैं।[6] इन निशानों में
श्वासन दिया कि 1654 में चित्तौड़ के दुर्ग का पुन सुदृढ
से दण्ड के रूप में लिये गये प्रदेशों को उसे वापस कर दिया
न में तो उसने जोरदार शब्दों में आश्वासन देते हुए कहा
की धार्मिक नीति का अनुसरण करेगा और इस बात की
सम्राट जो दूसरे के धर्म के प्रति असहिष्णुतात्मक व्यवहार
प्रति विद्रोही है।[63] प्रोफेसर कानूनगो ने इस बात का
या है कि किस भाँति मिर्जा राजा जयसिंह गुप्त रूप से

औरंगज़ेब का समर्थन प्राप्त था तथा किस प्रकार [illegible] उत्तराधिकार युद्ध में प्रमुख भाग लिया।[65] यह सत्य है कि, सामूगढ़ के युद्ध से पूर्व औरंगज़ेब के 124 समर्थकों में से 1,000 व उससे ऊपर के मनसबदारों में केवल 9 ही राजपूत थे, जब कि दारा शिकोह के समर्थक इसी श्रेणी के 87 मनसबदारों में से राजपूतों की संख्या 22 थी।[66] किन्तु ऐसा केवल इस कारण था कि उसके राजपूत समर्थकों की गणना करते समय औरंगज़ेब के समर्थकों की श्रेणियों में से जयसिंह तथा कछवाहों को पृथक ही रखा गया, क्योंकि वे उस समय सुलेमान शिकोह की सेना में थे जो शुजा के विरुद्ध कूच कर रही थी। इसके अतिरिक्त दारा शिकोह की सूची में बहुत-से ऐसे राजपूतों के नाम हैं जो उस समय दरबार में थे और उनके सामने दारा का समर्थन करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही न था। वास्तव में दारा के प्रति राजपूतों में व्यक्तिगत स्वामिभक्ति न थी। जैसा कि बाद में शहज़ादा अकबर ने औरंगज़ेब को पत्र में लिखा कि वास्तव में दारा शिकोह राजपूतों की जाति के प्रति पूर्वाग्रही एवं विरुद्ध है। यदि प्रारम्भ से ही उसने उन्हें अपना मित्र बना लिया होता तो उसके साथ जैसा हुआ वैसा न होता।[67]

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में, औरंगज़ेब ने राजपूतों के प्रति कुछ सीमा तक सहानुभूति दिखायी एवं शाहजहाँ के समय जो उनकी स्थिति थी उसमें वास्तव में कुछ सीमा तक सुधार भी हुआ। शाहजहाँ के सम्पूर्ण राज्यकाल में एक भी राजपूत अधिकारी 7,000 का मनसबदार न था। किन्तु अब मिर्ज़ा राजा जयसिंह तथा जसवन्तसिंह—हालांकि जसवन्तसिंह ने धरमत और सामूगढ़ के युद्धों में औरंगज़ेब के विरुद्ध ही भाग लिया—की पदोन्नति 7,000/7,000 तक कर दी गयी। 1606 में मानसिंह को बंगाल से वापस बुला लिये जाने से लेकर अब तक (1658 के अन्त में जसवन्तसिंह की मालवा में नियुक्ति को छोड़कर) किसी भी राजपूत अमीर को कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रान्त नहीं सौंपा गया था, किन्तु 1665 में जयसिंह को, एक शहज़ादे के परामर्शदाता के रूप में नहीं प्रत्युत अपने ही अधिकार द्वारा दक्खन का वायसराय नियुक्त किया गया। मुग़ल साम्राज्य में यह पद सर्वोच्च एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पदों में से एक था जो साधारणतः शहज़ादों को ही सौंपा जाता था। जसवन्तसिंह को भी दो बार (1659-61 व 1670-72) गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। इस प्रकार बर्नियर, जो आगरा में 1665 तक रहा, यह लिख सका कि "यद्यपि महान् मुग़ल एक मुसलमान है, और इस प्रकार हिन्दुओं का शत्रु है, लेकिन फिर भी वह राजपूत राजाओं की बहुत ही अधिक संख्या में अपनी सेवा में रखता है तथा उन लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा अन्य अमीरों के प्रति, तथा अपनी सेनाओं में महत्त्वपूर्ण

था,[57] औरंगजेब विश्वास नहीं करता था।[58] सम्भवतः ऐसा केवल इस कारण था कि बारहा के सय्यद दारा शिकोह के अनन्य समर्थक थे। नवीन वर्गों में से, जिन्होंने अमीर वर्ग में प्रवेश किया था, सबसे महत्त्वपूर्ण दक्खन के निवासी थे (अर्थात उन दक्खनियों को छोड़कर जो कि ईरानी, तूरानी या अफगान थे, किन्तु पश्चिमी समुद्र तट के हब्शी इसमें सम्मिलित थे)। कश्मीरियों की भी अनेक संख्या में पदोन्नति की गयी। औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में, जैसा हमें बतलाया गया है, कश्मीरियों में विशेषतौर से खास कश्मीरियों को यदाकदा ही मनसब दिया गया था।[59] किन्तु उसके राज्य के उत्तरकालीन वर्षों में उनकी संख्या बढ़ गयी। इनायतुल्लाह कश्मीरी औरंगजेब के प्रिय अमीरों में से एक था।

राजपूत

औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति विवादास्पद विषय है। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि यह—या इसके बारे में ऐसी धारणा है—उसकी धार्मिक नीति से अत्यधिक सम्बन्धित है और उसकी धार्मिक नीति दीर्घकाल से विवाद का विषय बनी हुई है। विवेचना के स्पष्टीकरण हेतु यह वांछनीय होगा कि औरंगजेब की धार्मिक नीति से किसी भी प्रकार का पूर्व निश्चित सम्बन्ध बनाये बिना अमीर वर्ग में राजपूतों की स्थिति का परीक्षण कर लिया जाय।

शाहजहां एक धर्मपरायण मुसलमान शासक था, जिसने अपनी कट्टरता का प्रदर्शन करने के लिए अनेक पग उठाये। इसके बावजूद, जैसा कि लाहौरी तथा वारिस द्वारा दी गयी सूचियों से स्पष्ट है[60] उसके राज्यकाल में राजपूत मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। औरंगजेब भी धर्मपरायण मुसलमान था तथा राजपूतों के प्रति द्वेष रखने के लिए शाहजहाँ के दरबार में उसकी निन्दा भी की गयी थी।[61] परन्तु यह स्पष्टतः अस्थायी बात थी, उत्तराधिकार के युद्ध होने से कुछ वर्ष पूर्व ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब ने प्रमुख राजपूत सरदारों को अपने पक्ष में करने की सतत चेष्टा की थी। उसने मेवाड़ के राणा राजसिंह को जो निशान भेजे थे, वे उपलब्ध हैं।[6] इन निशानों में, उसने राणा को आश्वासन दिया कि 1654 में चित्तौड़ के दुर्ग को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए उससे दण्ड के रूप में लिये गये प्रदेशों को उसे वापस कर दिया जायेगा। एक निशान में तो उसने जोरदार शब्दों में आश्वासन देते हुए कहा कि वह अपने पूर्वजों की धार्मिक नीति का अनुसरण करेगा और इस बात की घोषणा की कि वह सम्राट जो दूसरे के धर्म के प्रति असहिष्णुतात्मक व्यवहार करता है, ईश्वर के प्रति विद्रोही है। [illegible] प्रोफेसर कानूनगो ने इस बात का विस्तृत उल्लेख किया है कि किस भांति मिर्जा राजा जयसिंह गुप्त रूप से

औरंगजेब का समर्थक बन गया था तथा जिस प्रकार उसने दारा शिकोह को उखाड़ फेंकने में प्रमुख भाग लिया।[64] यह सत्य है कि सामूगढ़ के युद्ध के पूर्व, औरंगजेब के 124 समर्थकों में से 1 000 व उसके ऊपर के मनसबदारों में केवल 9 ही राजपूत थे जब कि दारा शिकोह के समर्थक उसी श्रेणी के 87 मनसबदारों में से राजपूतों की संख्या 22 थी।[6] किन्तु ऐसा केवल इस कारण था कि उसके राजपूत समर्थकों की गणना करते समय औरंगजेब के समर्थकों की श्रेणियों में से जयसिंह तथा कछवाहों को पृथक ही रखा गया, चूंकि वे उस समय सुलेमान शिकोह की सेना में थे, जो शुजा के विरुद्ध कूच कर रही थी। इसके अतिरिक्त दारा शिकोह की सूची में बहुत से ऐसे राजपूतों के नाम हैं जो उस समय दरबार में थे और उनके सामने दारा का समर्थन करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही न था। वास्तव में दारा के प्रति राजपूतों में व्यक्तिगत स्वामिभक्ति न थी। जैसा कि बाद में शहजादा अकबर ने औरंगजेब को पत्र में लिखा कि 'वास्तव में दारा शिकोह राजपूतों की जाति के प्रति पूर्वाग्रही एवं विरुद्ध है। यदि प्रारम्भ से ही उसने उन्हें अपना मित्र बना लिया होता तो उसके साथ जैसा हुआ वैसा न होता।"[66]

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति कुछ सीमा तक सहृदयता दिखायी एवं शाहजहाँ के समय जो उनकी स्थिति थी, उसमें वास्तव में कुछ सीमा तक सुधार भी हुआ। शाहजहाँ के सम्पूर्ण राज्यकाल में एक भी राजपूत अधिकारी 7 000 का मनसबदार न था। किन्तु अब मिर्जा राजा जयसिंह तथा जसवन्तसिंह—हालांकि जसवन्त सिंह ने धर्मत और खजवाह के युद्धों में औरंगजेब के विरुद्ध ही भाग लिया—की पदोन्नति 7,000/7,000 तक कर दी गयी। 1606 में मानसिंह को बंगाल से वापस बुला लिये जाने से लेकर अब तक (1658 के अन्त में जसवन्त सिंह की मालवा में नियुक्ति को छोड़ कर) किसी भी राजपूत अमीर को कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रान्त नहीं सौंपा गया था, किन्तु 1665 में जयसिंह को, एक शहजादे के परामर्शदाता के रूप में नहीं प्रत्युत अपने ही अधिकार द्वारा दक्खन का वायसराय नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य में यह पद सर्वोच्च एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पदों में से एक था जो साधारणतः शहजादों को ही सौंपा जाता था। जसवन्तसिंह को भी दो बार (1659 61 व 1670 72) गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। इस प्रकार बर्नियर जो आगरा में 1665 तक रहा यह लिख सका कि 'यद्यपि महान मुगल एक मुसलमान है, और इस प्रकार हिन्दुओं का शत्रु है लेकिन फिर भी वह सदैव राजाओं को बहुत ही अधिक संख्या में अपनी सेवा में रखता है तथा उन लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा अन्य अमीरों के प्रति, तथा अपनी सेनाओं में महत्त्वपूर्ण

ग्रमाना पर उनकी नियुक्ति करता है। [87]

ग्रौरगज़ेब के राज्यकाल के प्रथम दशक म उसकी राजपूता क प्रति नीति का ग्रध्ययन करने क लिए एक बहुत ही रोचक उपाय यह है कि मुहम्मद काज़िम द्वारा रचित राजकीय एतिहासिक ग्रथ ग्रालमगीरनामा म मनसबा की वद्धि एव उनम की गयी कटौती क सम्बन्ध म दिय गय विवरण (इसम मनसबदार की मृत्यु के साथ उनके मनसब समाप्त हो जाना, ग्रवकाश ग्रहण करना एव उनका नौकरी स निकाल दिया जाना, सभी कुछ शामिल है) का विश्लेषण किया जाय। यह विवरण नीच दी गयी तालिका म साख्यकीय ढग स प्रस्तुत किया गया है—

	मनसबा म कुल वद्धि या कटौती (शाही शहज़ादा का छाडकर)		कुल सख्या म राजपूता का भाग	
	1 2 वष	3 6 वष	7 10 वष	1 10 वष
ज़ात				
याग	89 000	4,600	—10 000	83 600
राजपूत	12 600	1 000	—1 600	12 000
प्रतिशत	14 16	21 74	16 00 (घटने पर)	14 35
सवार				
याग	54 000	5 430	27,320	86,750
राजपूत	11 900	1 350	—2 500	10,750
प्रतिशत	22 04	24 86	—	12 40

यह तालिका इस बात की ग्रार इगित करती है कि ग्रौरगज़ब क राज्यकाल क प्रारम्भिक वर्षों म राजपूता की स्थिति म सुधार स सम्बधित कथन को सशोधित करने की ग्रावश्यकता है। शाहजहाँ क राज्य क मनसबदारा की सालह ने जा सूची दी है उसम 1 000 ज़ात व उसक ऊपर के 437 ग्रमीरों म स 82 (या 18 7 प्रतिशत) राजपूत थ। जबकि 1 000 व उसस ऊपर के ग्रमीरो के ज़ात पद का कुल याग 10 07 000 था तथा उसम स 1 78 500 या इस कुल योग का 17 7 प्रतिशत राजपूत थ। सम्पूण प्रथम दशक म दिये गये ज़ात मनसब मे 14 35 प्रतिशत की सख्या स यह प्रतीत होता है कि कभी भी पूण रू

से पुराना अनुपात नहीं बनाये रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रथम दशक के प्रथम ■ वर्षों में राजपूतों को अपेक्षा से ऊँचे पद प्रदान किये गये (विशेषतौर पर जहाँ तक सवार पद का सम्बन्ध है), अन्तिम चार वर्षों में उनकी स्थिति में विशेष ह्रास हुआ, जबकि सामान्य अमीरों के कुल मनसब में काफी वृद्धि हुई, राजपूतों के सवार मनसब में बहुत बुरी तरह से कटौती की गयी।

इसलिए मासूरी के कथन में, कि दक्कन की ओर प्रस्थान करने से पूर्व की अवधि में औरंगज़ेब राजपूतों की पदोन्नति करते समय संयम से काम ले रहा था, पर्याप्त सत्यता हो सकती है।[68] ऊपर दी गयी तालिका में प्रतीत होता है कि राज्यकाल के प्रथम दशक के अन्त से पूर्व राजपूतों की पदोन्नति करते समय संयम रखना सकल्पित शाही नीति बन चुकी थी।

दिसम्बर 1678 में जसवन्तसिंह की मृत्यु के उपरान्त जिस प्रकार औरंगज़ेब ने मारवाड़ में उत्तराधिकार के प्रश्न को हल करने की चेष्टा की, उसमें इस नये शाही दृष्टिकोण की झलक मिलती है। हमारे लिए यहाँ उत्तराधिकार के प्रश्न पर तथा जिन कारणों से 1680 81 में राजपूतों ने विद्रोह किया, विस्तार में विवेचना करना प्रासंगिक नहीं है।[69] वास्तव में औरंगज़ेब केन्द्रीय सत्ता का प्रदर्शित करना चाहता था, अत जसवन्तसिंह की मृत्यु होते ही जसवन्तसिंह की मुख्य रानी तथा उसके अधिकारियों के विरोध के बावजूद, उसने जोधपुर को खालिसा (या शाही प्रदेश) में परिवर्तित कर लिया। कुछ भी हो, यह सिद्ध करने के लिए ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि सभी राजपूत राज्यों को समाप्त करने की योजना की यह भूमिका थी।[70] जिस समय जसवन्तसिंह की मृत्यु हुई उसके कोई पुत्र न था, इस तथ्य ने औरंगज़ेब को यह अवसर प्रदान किया कि वह दिवगत राजा के अधिकारियों को जागीरें प्रदान करने के लिए मारवाड़ के कुछ भाग को सीधे मुगल प्रशासन के अन्तर्गत ले ले। परन्तु जसवन्तसिंह की रानियों के दो पुत्रों का पितृनिधनोत्तर जन्म होने के कारण एक नयी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी, और औरंगज़ेब ने पुरानी योजना को पूरा करने का मार्ग, इन्द्रसिंह को मारवाड़ की गद्दी के लिए मनोनीत कर, ढूँढ निकाला। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक सम्भव हो सकता था, औरंगज़ेब परम्परा एवं पूर्वोदाहरण की सीमाओं के भीतर ही रहना चाहता था। इन सब बातों के बावजूद, मुगल सम्राटों ने राजपूतों के उत्तराधिकार-सम्बन्धी परम्परागत नियम का उल्लंघन करते हुए टीका प्रदान करने में हिचकिचाहट नहीं दिखायी थी।[71] उसी समय औरंगज़ेब ने 1681 में मेवाड़ से बहुत ही उदार शर्तों पर सन्धि की हालाँकि दो वर्षों तक कठोर संघर्ष की अवधि में उक्त राज्य के अधिकांश भाग का विध्वंस किया जा चुका था।[72] 1680 81 के विद्रोह में केवल

राठौड़ और सिसोदिया ही शामिल थे। दूसरी उप-जातियाँ न केवल दूर ही रहीं वरन् मुग़लों की सेवा करती रहीं। मआसिर-ए-आलमगीरी में राजपूत अधिकारियों द्वारा अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ मुग़ल सेना में जा मिलने का वर्णन विपुल मात्रा में मिलता है। इस प्रकार इस विद्रोह के परिणामस्वरूप भी राजपूत अमीर वर्ग के भाग्य पर अधिक प्रभाव न पड़ा। 1658-78 में राजपूतों की अनुपातिक संख्या 14.6 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में 1679-1707 की अवधि में मनसबदारों की कुल संख्या 575 में हम केवल 73 ही राजपूत अधिकारी मिलते हैं—केवल 12.6 प्रतिशत[73]—जिसे उनकी संख्या में ह्रास कहा जा सकता है। फिर भी, यह ध्यान में रहना चाहिए कि इसका निम्न सर-स्तरों तक सामान्य रूप से हुआ था। यदि हम केवल सर-स्तरीय अमीरों का ही लें तो 1658-78 की अवधि में कुल मनसबदारों की संख्या में राजपूतों की संख्या 18.6 प्रतिशत थी जबकि 1679-1707 की अवधि में 17.6 प्रतिशत। यह द्वितीय अवधि दक्कन में युद्धों का काल था जिसमें राजपूत सैनिक टुकड़ियों ने शाही सेवाएँ अर्पित की थीं। यहाँ तक कि शाहज़ादा आज़म की पत्नी ने मराठों से अपने शिविर की रक्षा करने के लिए जब हाड़ा को बुलाया तो उसने कहा कि "… चग़ताइयों का गौरव राजपूतों का गौरव है।"[74]

उपर्युक्त आँकड़े इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं कि 1678 के उपरान्त राजपूतों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया गया था। एस० आर० शर्मा ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि औरंगज़ेब ने नियमानुसार नये राजपूत सरदारों को उनके पूर्वजों की तुलना में निम्न श्रेणी के मनसब दिये, हालाँकि यह मनसब उनकी पुश्तैनी ज़मीनों या वतन जागीरों को ध्यान में रखते हुए ही दिये गये थे।[75] लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि नये उत्तराधिकार के समय औरंगज़ेब ने राजपूत राज्यों के किसी भी भाग को विनियमित कर लिया था। औरंगज़ेब ने केवल राजपूतों के मनसबों में वृद्धि पर ही प्रतिबन्ध लगाया ताकि वे वतन-जागीरों के अतिरिक्त शाही जागीरों के लिए दावा न कर सकें। साधारणतः, एक राजपूत सरदार के पास अपनी 'वतन' के बाहर शाही जागीरें हुआ करती थीं, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी कुल जागीर व उसका पूर्ण मनसब उसके उत्तराधिकारी को न मिलकर उसका एक भाग ही उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होता था जैसा कि राणा अमरसिंह ने आसफुद्दौला को एक पत्र (1708 ई०) में लिखा था, कि पहले के सम्राट राजपूताना के (सीमित) साधनों को दृष्टि में रखते हुए आजकल के सरदारों के पूर्वजों को प्रसन्नतापूर्वक, उनकी वतन जागीरों के अतिरिक्त परगने एवं इनाम भूमि प्रदत्त किया करते थे, जिसके बदले वे सबसे सर्वोच्च सेवाएँ अर्पित करते थे।[76] यह भी सोचना त्रुटिपूर्ण होगा कि औरंगज़ेब के राज्यकाल के उत्तरकालीन वर्षों में

जपूता का अपमान जानबूझ कर किया गया था। यह सत्य है कि स्वय सम्राट मुख्य वजीर द्वारा सम्मानित चिह्न के रूप मे राजाओ के माथे पर तिलक गान की प्रक्रिया हटा ली गयी थी[77] किन्तु शेष धर्मावलम्बियो की अपेक्षा जपूतो को निश्चय ही उच्च स्थान प्रदान किया जाता था तथा वे सभी राजपूत । शाही सेवा मे थे, जजिया कर स मुक्त थे।[78]

दूसरी ओर, इस प्रकार की कल्पना करना भी भूल होगी कि औरगजेब ने जपूतो के प्रति नीति उसी भाव स अपनायी थी जिस प्रकार अकबर ने। म पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि अपने राज्यकाल के प्रथम तक की समाप्ति स पूव राजपूतो की नियुक्तियो एव पदोन्नतियो के मामले म ौरगजेब कुछ रोकथाम करन लगा था। राज्यकाल के अन्तिम तीस वर्षों म म्राट न जिस प्रकार कुछ प्रतिष्ठित राजपूत अधिकारियो के साथ व्यवहार ाया उसस उनके प्रति उसका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। रामसिंह हाडा, लपतराव बुन्देला तथा जयसिंह ऐस तीन राजपूत अधिकारी थे जिन्होंने अपनी म्पूर्ण सैनिक टुकडियो के साथ दक्खन में शाही सेवा की।[79] किन्तु फिर भी लपत का मनसब केवल 3,000/3,000, रामसिंह हाडा का 3,000/1,500 (200 × 2 3 अस्पा) और राजा जयसिंह का मनसब 2 000/2,000 ही रहा। ब शहजादा बेदार बख्त न 1705 ई० म राजा जयसिंह की नियुक्ति अपने ायब के रूप म मालवा म की, तो औरगजेब ने उस मसनद पर बठने स रोक दिया और यह बात स्पष्ट कर दी कि आमतौर पर एक राजपूत की नियुक्ति वनर या यहाँ तक कि फौजदार के पद पर भी नही होनी चाहिए।[80]

की जाती थी, लेकिन सैनिक दृष्टि से गैर-दक्खनियों की दक्खन में उपस्थिति आवश्यक थी अतः सभी लोगों के लिए दक्खन में जागीरें प्रदान करना सम्भव न होने के कारण, दक्खनियों को साम्राज्य के अन्य भागों में भी जागीरें प्रदान करनी पड़ी।

अबुल फज़ल मामूरी ने एक उद्धरण में जिस पर खाफी खाँ की दृष्टि नहीं पड़ी उल्लेख किया है कि औरंगज़ेब के अंतिम वर्षों में दक्खनियों की बढ़ती हुई संख्या पर पुराने अमीर-खानाज़ाद असन्तुष्ट थे। 'अन्त में, मामला यहाँ तक पहुँच गया कि सम्पूर्ण क्षेत्र दक्खन में भर्ती किये गये नये रंगरूटों को जागीर में प्रदान कर दिया गया, तथा उनके प्रतिनिधियों ने घूस देकर सर्वोत्तम जागीरें जो दक्खनियों को अधिकतम लगान दे सकती थी प्राप्त कर ली, और इस प्रकार अब यह सभी लोगों के लिए सुस्पष्ट था कि नये और अपरिचित मनसबदारों के मनसब और उनकी संख्या में किस प्रकार निरन्तर वृद्धि होने लगी जबकि पुराने मनसबदारों के मनसब घटने लगे।"[89]

किन्तु सभी दक्खनियों ने एक समान प्रगति नहीं की। जिन्हें दक्खन में ही जागीरें प्राप्त हुई उनकी स्थिति स्पृहणीय नहीं थी। 1677 के लगभग से ही दक्खनियों को खूराक-ए-फीलान-ए-हल्का (शाही अस्तबल के हाथियों की खूराक) सम्बन्धी खर्च से 'उनकी दयनीय स्थिति एवं उनकी जागीरों की कम आय के कारण छूट दी जा चुकी थी।[90] मराठों की शक्ति के उद्भव के साथ साथ उनके द्वारा तहस-नहस किये जाने वाले प्रदेशों की परिधि के विस्तार और अन्त में 1702-4 के दुर्भिक्ष के कारण उनकी दशा बहुत ही खराब हो गयी। औरंगज़ेब के राज्यकाल के अंतिम वर्ष में, दक्खन की बर्बादी का ब्यौरा देने के उपरान्त भीमसेन ने यह कहा है कि इस प्रदेश (अर्थात दक्खन) के मनसबदार अपनी जागीरों से कुछ भी प्राप्त कर पाने की असमर्थता के कारण वास्तव में मराठों के पास जाने लगे थे।[91]

मराठे

जिस समय से मलिक अम्बर ने मराठा सरदारों और उनके अनुयाइयों (बारगियों) का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना प्रारम्भ किया दक्खन के युद्धों में मराठों के महत्त्व को मुगल भलीभाँति समझने लगे थे। 1616 ई० में जिस महान पराजय का मुँह मलिक अम्बर को शाहनवाज़ खाँ के हाथों देखना पड़ा, उसमें प्रमुख भाग मराठा अवसरवादियों ने मुगलों के पक्ष में होकर लिया था। शाहजहाँ के प्रारम्भिक वर्षों में जब सम्राट स्वयं अहमदनगर राज्य को समाप्त करने के लिए दक्खन की ओर बढ़ा तो दक्खन की शाही नौकरी में मराठों की भर्ती में एक नया चरण प्रारम्भ हुआ। मराठा शक्ति के उत्कर्ष, जिसकी अभिव्यक्ति

दक्खन में शिवाजी द्वारा स्वतंत्र मराठा राज्य के रूप में हुई, से एक नयी परिस्थिति उत्पन्न हुइ। दक्खन के मामलों में मराठों के बढ़ते हुए महत्व की झलक हम मुगल अधिकारी वर्ग में बढ़ते हुए मराठा तत्व में मिलती है जिसके कारण न केवल सैनिक उपायों द्वारा नयी चुनौती का सामना करने का प्रयास किया गया वरन साथ ही साथ इस बात की भी चेष्टा की गयी कि मराठों के कुछ वर्गों को मुगल अमीर-वर्ग में समेट लिया जाये। नीचे जो तालिका दी गयी है उससे अमीर वर्ग में मराठों की तीव्र गति से बढ़ती हुई संख्या और उनकी स्थिति मालूम होती है—

	शाहजहाँ	1658-78	1679 1707
5,000 व उससे ऊपर	3	3	16
3,000 से 4 500	6	6	18
1,000 से 2 700	4	18	62
योग	13	27	96
मनसबदारों की कुल संख्या में से मराठों की कुल संख्या का प्रतिशत	29	55	167

इस प्रकार परिस्थितियों के दबाव के कारण औरंगजेब को आने वाले वर्षों में मराठों का सेना में लेने के लिए पूर्ण रूप से द्वार खोलने पड़े। वह 5 000/5 000 का मनसब प्रदान कर के भी शिवाजी को अपने पक्ष में न कर सका था और मराठा सरदार उसके दरबार में से भाग गया हुआ था। उसके जीवन के अन्तिम वर्षों में शिवाजी का पौत्र शाहू 7 000/7 000 का मनसबदार था, और इस प्रकार उसकी गणना यद्यपि प्रतीक रूप से ही सही, साम्राज्य के सर्वोच्च अमीरों में प्रवश्य होने लगी थी।

मराठा सरदारों को मनसब प्रदान करके अपने पक्ष में करने की चेष्टा अन्त में असफल सिद्ध हुई क्योंकि कुछ मराठा सरदार तो पक्ष में कर लिये गये किन्तु अन्य ने नये दुर्गों को बनाने तथा मुगल प्रदेशों को तहस-नहस करने में उनका स्थान ले लिया। सम्भवतः इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि मराठों का समाज राजपूत उप-जातियों की भाँति जहाँ सरदार द्वारा अधीनस्थता स्वीकार कर लेने पर सम्पूर्ण उप-जाति अधीनस्थ हो जाती थी सगठित नहीं था। मराठों में जब तक विरोध करने या लूटमार करने से कोई प्रत्याशा रहती थी, तब तक मनिक टुकड़ियों के सरदार या छोटे-मोटे जमीदार सदैव विद्रोही

सरदार के रूप में उभरते रहते थे। परिणामस्वरूप औरंगजेब के अंतर्गत मराठा अमीर वर्ग अपनी स्वामिभक्ति में अस्थिर रहा, उनके सरदार मुगलों के पास आते रहे और उन्हें छोड़ कर निरंतर जाते रहे। इस प्रकार राजपूतों के समान मराठा अमीर वर्ग मुगल प्रशासक वर्ग में वास्तव में प्रभावशाली स्थान प्राप्त न कर सका। मराठों की उपस्थिति मुगल साम्राज्य के रचनात्मक विस्तार का द्योतक नहीं वरन उसके पराभव एवं पतन का लक्षण थी।

हिंदू

औरंगजेब के हिन्दू अमीर वर्ग में राजपूत और मराठा दोनों मिल कर प्रचुर बहुमत में थे। यह कहा गया है कि औरंगजेब के राज्यकाल में न केवल राजपूतों वरन सम्पूर्ण हिंदू अमीर वर्ग को क्षति पहुंची। एस० आर० शर्मा ने औरंगजेब के अन्तर्गत 1 000 जात व उसके ऊपर के 160 हिंदू मनसबदारों की तालिका बनायी है।[8] इस तालिका के आधार पर उनका विश्वास है कि कुल मनसबदारों की संख्या दुगनी[93] होने पर भी हिंदू अमीरों की संख्या उतनी ही बनी रही जितनी कि वह शाहजहां के राज्यकाल में थी। इस कथन से सम्बन्धित किसी भी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम यह बता चुके हैं कि औरंगजेब के अंतर्गत अमीर-वर्ग की दुगनी वृद्धि की भ्रान्ति जवाबित एवं आलमगीरी को गलत पढ़ने के कारण है उसमें मनसबदारों, अहदियों तापचियों आदि की कुल संख्या केवल अमीरों के लिए ही प्रयोग की गयी है।[94] इसके साथ ही औरंगजेब के राज्यकाल में हिंदू मनसबदारों की कुल संख्या शर्मा की सूची में अपूर्ण आंकड़ों पर आधारित है अतएव वह निश्चित निष्कर्ष के लिए आधारभूत साबित नहीं हो

	अकबर 1595		शाहजहां 1628 58		औरंगजेब 1658 78		1679 1707	
	कुल	हिंदू	कुल	हिंदू	कुल	हिंदू	कुल	हिंदू
5 000 व उसके ऊपर	7	1	49	12	51	10	79	26
3 000 से 4 500	10	1	88	22	90	18	133	36
1 000 से 2,700	17	6	300	[illegible]	345	77	363	120
500 से 900	64	14						
योग	98	22	437	98	486	105	575	182

सकती।[95] इस पुस्तक से संलग्न तालिकाओं में 1 000 व उसके ऊपर के उन्हीं मनसबदारों चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, के नाम दिये गये हैं जो ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि यह तालिकाएँ अब भी अपूर्ण हों किन्तु फिर भी उन्हें हिन्दू व मुसलमान अमीरों के अनुपात के सम्बन्ध में, विश्वसनीय समझा जा सकता है, क्योंकि गलती की गुंजाइश दोनों पक्षों में बराबर है। आईन के आधार पर हिन्दू अमीरों और मनसबदारों की संख्या, जो 1595 ई० में सेवा में थे, तथा शाहजहाँ के राज्यकाल के मनसबदारों की संख्या जो लाहौरी की सूची में दी हुई है का साथ साथ पिछले पृष्ठ पर दी हुई तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

हिन्दू अमीरों की स्थिति के श्रेष्ठतर मूल्यांकन के लिए कुल संख्या में उनकी संख्या के प्रतिशत का उल्लेख भी करना चाहिए—

	अकबर 1595	शाहजहाँ 1628 58	औरंगजेब 1658 78	1679 1707
5 000 व उसके ऊपर	14 3	24 5	19 6	32 9
3 000 से 4 500	10 0	25 0	20 0	27 1
1 000 से 2,700	35 3	21 3	22 3	33 1[96]
500 से 900	21 8			
योग	22 5	22 4	21 6	31 6

औरंगजेब के राज्यकाल के प्रथम चरण में हिन्दू अमीरों की स्थिति में कुछ ह्रास दृष्टिगोचर होता है किन्तु अन्तिम 29 वर्षों में वह बहुत ही सुधर गयी। परिणामस्वरूप इस काल में, शाहजहाँ या उसके पूर्व किसी भी काल की अपेक्षा अनुपातत कहीं अधिक हिन्दू शाही सेवा में थे।

इस प्रकार यह तालिकाएँ, औरंगजेब पर लगाये गये एक प्रकार के अभियोगों का कि वह हिन्दू मनसबदारों के प्रति भेदभाव रखता था एक उत्तम वकील की भाँति में उत्तर दे सकती हैं। किन्तु फिर भी वास्तव में मामला इतना सरल नहीं है। इस काल में अमीर-वर्ग में मराठों की संख्या राजपूतों से भी अधिक होने लगी थी अतः उनके प्रवेश के कारण हिन्दुओं की संख्या में वृद्धि हो गयी थी। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण भर्ती नहीं किया गया था वरन् एक प्रकार से वे जबरदस्ती अमीर वर्ग में घुस आये थे। दक्कन के सापानिक दबाव ने औरंगजेब को इस बात पर बाध्य कर दिया था कि मराठों को अधीन बनाने के लिए वह उन्हें अधिकाधिक संख्या में शाही सेवा में ले, किन्तु वस्तुतः इसके पूर्व उसने हिन्दू अमीरों की संख्या को घटाने की ही चेष्टा की थी। यह तथ्य 1658 78 की अवधि से सम्बद्ध आँकड़ों से स्पष्ट है। जैसा

कि हम देख चुके हैं कि इस अवधि के अन्त तक ही राजपूतों की संख्या में ह्रास होने लगा था जिसमें आगामी काल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। कुछ भी हो, केवल इन आँकड़ों के आधार पर पक्ष या विपक्ष में किसी प्रकार की धारणा नहीं बनायी जा सकती और यह अपनी जगह पर एक सत्य है कि औरंगजेब की धार्मिक भेदभाव की नीति के बावजूद उसके अमीर वर्ग में हिन्दुओं का बहुत बड़ा अंग बना रहा।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अमीर वर्ग का सुस्पष्ट विस्तार तब तक नहीं हुआ जब तक कि औरंगजेब ने सम्पूर्ण दक्खन को विजित करने की नीति का पालन करना प्रारम्भ नहीं किया। इस काल में नयी भर्ती करने के परिणामस्वरूप अमीर वर्ग की आन्तरिक संरचना में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अमीर-वर्ग में मराठा समेत दक्खनियों की अनुपातिक संख्या में विशेषकर उच्चतर श्रेणी में वृद्धि हो गयी। कुछ पुराने तत्त्वों जैसे राजपूत बारहा के सय्यद तथा अन्य की तदनुरूप स्थिति गिर गयी। तूरानी व ईरानी भी अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को भी थोड़ा-बहुत खो बैठे। बीजापुर की सेवा में पहले जो अफगान अधिकारी थे उनके आ जाने के कारण अफगानों की स्थिति में सुधार हुआ।

अबुल फजल मामूरी ने इन सब परिवर्तनों का सार यह दिया है कि खान जादा—अर्थात उन परिवारों के अमीर जिनका पहले से शाही सेवा से सम्बन्ध था—को ही मुख्यतः नुकसान पहुँचा। हो सकता है कि उसके इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति हो किन्तु हमारे साक्ष्य से किसी सीमा तक उसकी पुष्टि हो जाती है। नये रंगरूटों की भर्ती उनकी योग्यता एवं गुणों के कारण नहीं हुई वरन इसलिए हुई कि दक्खन में वे पहले से ही शक्तिशाली थे और उन्हें केवल उच्च मनसब प्रदान करके ही पक्ष में किया जा सकता था। साथ ही साथ मध्य एशिया तथा फारस के कुलीन परिवारों में से भी भर्ती होती रही किन्तु यह बहुत ही छोटे पैमाने तक सीमित थी। गैरकुलीन शिक्षित वर्गों के लिए बहुत ही कम अवसर था। वज़ारत खाँ तथा इनायतुल्लाह खाँ जैसे कुछ विद्वानों की पदोन्नतियाँ अवश्य ही हुई हों किन्तु उनकी संख्या बहुत ही सीमित थी। फिर भी उन साहसिक व्यक्तियों के लिए गुंजाइश थी जो अपने सैनिकों को संगठित कर साम्राज्य के नियन्त्रण के बाहर के प्रदेशों में सरदार या शासक बन बैठते थे और फिर शाही सेवा में प्रवेश करने की चेष्टा किया करते थे। अनेक मराठा सरदारों ने इस अद्भुत ढंग को ग्रहण कर उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। किन्तु साधारण भर्ती के समय, मुगलों के पास ऐसी उपयुक्त व्यवस्था न थी कि वे केवल योग्यता के आधार पर ही किसी को शाही सेवा में लें, परिवार और कबीला ही अधिकांशतः निर्णायक तत्त्व थे।

तालिका 1 (अ)

औरंगज़ेब के मनसबदारों मे भारतीयों, विदेशी और विदेशियो के वंशजों का अनुपात

1658-1678

	विदेशी और उनके वंशज						
भारतीय	भारत मे जन्मे	भारत के बाहर जन्मे	जन्म स्थान अज्ञात	विदेशियो व उनके वंशजो की कुल संख्या	अज्ञात समूह के	कुल संख्या	टिप्पणी
5,000 तथा उसके ऊपर के मनसबदार							
17	14	15	3	32	2	51	दो मनसबदारो मे से, जिनकी जाति के बारे मे ज्ञात नही है, एक तो भारत मे पैदा हुआ और दूसरे के बारे मे यह ज्ञात नही कि वह भारत मे पैदा हुआ या नही।
3 000 से 4 500 तक के मनसबदार							
38	34	10	4	48	4	90	चार मनसबदारो मे से जिनकी जाति के बारे म मालूम नही, दो का जन्म भारत मे हुआ था, और शेष दो के बारे मे यह ज्ञात नही कि उनका जन्म भारत में या भारत के बाहर हुआ।
1 000 से 2 700 तक के मनसबदार							
160	69	30	23	122	63	345	63 मनसबदारो मे से जिनकी जाति के सबध में ज्ञात नही 4 का जन्म भारत में हुआ और अन्य के बारे मे मालूम नही कि उनका जन्म भारत म या भारत के बाहर हुआ।
215	117	55	30	202	69	486	

तालिका 1 (ब)

औरंगज़ेब के मनसबदारों में भारतीय, विदेशी और विदेशियों के वंशजों का अनुपात

1679-1707

	विदेशी और उनके वंशज						
भारतीय	भारत में जन्मे	भारत के बाहर जन्मे	जन्म स्थान अज्ञात	विदेशियों व उनके वंशजों की कुल संख्या	अज्ञात समूह के	कुल संख्या	टिप्पणी
5 000 तथा उसके ऊपर के मनसबदार							
46	14	6	—	20	13	79	13 मनसबदारों में से जिनकी जाति के बारे में मालूम नहीं 3 का जन्म भारत में हुआ और शेष 10 के बारे में ज्ञात नहीं कि उनका जन्म भारत में हुआ या भारत के बाहर हुआ।
3 000 से 4 500 तक के मनसबदार							
58	46	15	1	62	13	133	13 मनसबदारों में से जिनकी जाति के बारे में मालूम नहीं 4 का भारत में जन्म हुआ और शेष 9 के बारे में ज्ञात नहीं कि उनका भारत में जन्म हुआ या बाहर।
1 000 से 2 700 तक के मनसबदार							
181	82	25	8	115	67	363	67 मनसबदारों में से जिनकी जाति मालूम नहीं 10 का जन्म भारत में हुआ और शेष 57 के बारे में मालूम नहीं कि उनका जन्म भारत में या भारत के बाहर हुआ।
285	142	46	[illegible]	197	93	575	

तालिका 2 (ग्र)

ग्रौरगज़ेब के ग्रमीर-वर्ग की जातीय एव धार्मिक सरचना

1658-1678

ईरानी	तूरानी	ग्रफगान	भारतीय मुसल०	ग्रन्य मुसल०	मुसलमानो की कुल सख्या	राजपूत	मराठे	ग्रन्य हिन्दू	कुल हिन्दू	कुल योग
5,000 व उसके ऊपर के मनसबदार										
23	9	3	4	2	41	6	3	1	10	51
3 000 से 4 500 तक के मनसबदार										
32	16	9	10	5	72	11	6	1	18	90
1 000 से 2,700 तक के मनसबदार										
81	42	31	51	63	268	54	18	5	77	345
136	67	43	65	70	381	71	27	7	105	486

तालिका 2 (ब)

ग्रौरगज़ेब के ग्रमीर-वग की जातीय एव धार्मिक सरचना

1679-1707

ईरानी	तूरानी	ग्रफगान	भारतीय मुसल०	ग्रन्य मुसल०	मुसलमानो की कुल सख्या	राजपूत	मराठे	ग्रन्य हिन्दू	कुल हिन्दू	कुल योग
5 000 व उससे ऊपर के मनसबदार										
14	6	10	10	13	53	5	16	5	26	79
3 000 से 4 500 तक के मनसबदार										
40	22	4	18	13	97	15	18	3	36	133
1 000 से 2 700 तक के मनसबदार										
72	44	20	41	1 66	243	53	62	5	120	363
126	72	34	69	62	393	73	96	13	182	575

तालिका 3 (अ)
खानाज़ाद और ज़मींदार

1658-1678

खानाज़ाद		ज़मींदार			
मनसबदारों के वंशज	मनसबदारों के वंशज नहीं	जिनके निकट सम्बन्धी सेवा में थे	जो कि स्वयं सेवा में आए	ज़मींदारों का योग	कुल योग
5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार					
20	24	5	2	7	51
3 000 से 4,500 तक के मनसबदार					
51	28	10	1	11	90
1 000 से 2 700 तक के मनसबदार					
103	192	24	26	50	345
174	244	39	29	68	486

तालिका 3 (ब)
खानाज़ाद और ज़मींदार

1679 1707

खानाज़ाद		ज़मींदार			
मनसबदारों के वंशज	मनसबदारों के वंशज नहीं	जिनके निकट सम्बन्धी सेवा में थे	जो कि स्वयं सेवा में आए	ज़मींदारों का योग	कुल योग
5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार					
18	46	6	9	15	79
3 000 से 4 500 तक के मनसबदार					
57	56	13	7	20	133
1 000 से 2 700 तक के मनसबदार					
145	172	33	13	46	363
220	274	52	29	81	575

तालिका 4 (अ)

दक्खनी

1658-1678

	मनसवदारो की कुल सख्या	दक्खनी तथा दक्षिणी भारतीय
5,000 व उसके ऊपर के मनसवदार	51	10
3,000 से 4,500 तक के मनसवदार	90	13
1,000 से 2 700 तक के मनसवदार	345	35
योग	486	58

तालिका 4 (ब)

दक्खनी

1679-1707

	मनसवदारो की कुल सख्या	दक्खनी तथा दक्षिणी भारतीय
5 000 व उसके ऊपर के मनसवदार	79	48
3,000 स 4 500 तक के मनसवदार	133	34
1,000 से 2,700 तक के मनसवदार	363	78
योग	575	169

संदर्भ

1 बादशाहनामा II पृ० 715।
2. ज़वाबित-ए आलमगीरी प० 15 अ।
3 वही, मुमालिक-ए-महरूसा-ए आलमगीरी प 137 ब। इस प्रकार एस० आर० शर्मा की यह कल्पना कि ज़वाबित-ए आलमगीरी म उल्लिखित संख्या 14 449 केवल मनसब दारों की संख्या है, सही नहीं है—(रेलिजस पालिसी ऑफ द मुग़ल एम्परर्स पृ० 132)।
4 आईन I 160-65 बादशाहनामा I पृ० 292 328 बादशाहनामा II पृ० 717 52।
5 अमल-ए-सालेह III पृ० 448 89।
6 यह वृद्धि उस समय प्रचुर रूप में दृष्टिगोचर होती है जबकि कोई बहुत ही सूक्ष्म ढंग से अकबर के राज्यकाल के चालीसवें वर्ष म 1 000 जात के ऊपर के जीवित मनसबदारों की संख्या (आईन की सूची पर आधारित) की तुलना शाहजहाँ के राज्यकाल के दसवें वर्ष म मनसबदारों की संख्या (लाहौरी पर आधारित) स करे। अकबर के राज्यकाल के चालीसवें वर्ष मनसबदारों की संख्या 34 था और शाहजहाँ के शासनकाल के दसवें वर्ष 191—अर्थात् 5 5 गुनी वृद्धि।
7 पुस्तक के अन्त म प्रस्तुत औरंगजेब के मनसबदारों की सूचियाँ देखिये।
8 शाहजहाँ के राज्यकाल के प्रथम दो वर्षों के आँकड़ कजवीनी तथा लाहौरी द्वारा उल्लिखित पदोन्नतियों एव नियुक्तियों पर आधारित हैं तथा औरंगजेब के प्रथम दो वर्षों के आँकड़े काज़िम द्वारा आलमगीरनामा म उल्लिखित आँकड़ों पर आधारित हैं।
9 यह निष्कर्ष लाहौरी की दोनों सूचियों को मिला कर पर निकला है परन्तु समान रूप से आये हुए नामों की संख्या को छोड़ दिया गया है।
10 खाफी खाँ II प 396-97 मासूरी प 156 व 157 अ वस्तूर अल अमल-ए आगही प० 36 दस्तूर-उल-इंशा प० 28 अ।
11 खाफी खाँ II प 411 12।
12. 'खानाज़ाद' की परिभाषा के लिए देखिये—बहार-ए आजम एम० बी खानाज़ाद' शब्द का अर्थ यद्यपि 'गुलाम का पुत्र' या गुलाम अथवा है किन्तु उसका प्रयोग उन सभी मनसबदारों के लिए किया गया है जो मनसबदारों के सम्बन्धी एव वंशज थ।
13 अध्याय के अन्त म तालिका 3 (अ) तथा 3 (ब) देखिये।
14 मासूरी प० 156 व 157 अ खाफी खाँ II प० 396-97।
15 बलबन के राज्यकाल मे 'नस्ल' के सन्दर्भ के लिए देखिये—बरनी तारीख-ए फिरोज़ शाही (स०) प्रो० एस ए० रशीद अलीगढ़ I प [illegible] 107 125 163।
16 देखिये—अध्याय 2 तथा 3।
17 पुस्तक के अन्त में दिये गये परिशिष्ट पर आधारित।
18 इस अध्याय के अन्त मे तालिकाएं 4 (अ) तथा 4 (ब) देखिये।
मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने बीजापुर के प्रमुख अमीर मुल्ला अहमद नवा को अपने पक्ष म कर लिया तथा राजा की सिफारिश पर मुल्ला अहमद को 6 000/6 000 का मनसब प्रदान किया गया (आलमगीरनामा प० 919-20 फतूहात-ए आलमगीरी प० 103 ब 116 ब 117 ब 165 ब अखबारात (राज्यकाल का आठवाँ वर्ष)। दक्खन म शत्रुओं

के सेनानायकों एवं सेनाध्यक्षों को अपने स्वामी का साथ छोड़ने के लिए उकसाने के बारे में देखिये—मनूची IV पृ० 239-40। दक्खन के राज्यों के अन्तिम रूप से विलय होने के पश्चात् भी उनके अमीरों को मुग़ल अमीर-वर्ग में स्थान दिया गया—देखिये—ववाकित-ए आलमगीरी पृ० 163 अ 163 ब मासीर-ए आलमगीरी पृ० 184 224 ख़ाफ़ी ख़ाँ II पृ० 304 370 373, मामूरी पृ० 187 अ अख़बारात 7 दिसम्बर राज्यकाल का चवालीसवाँ वर्ष।

19 जब 1644 में गोपीनाथ को दक्खन में दीवान विभाग में पेशदस्त (मुख्य लिपिक) नियुक्त किया गया तो उसे उसके पूर्ववर्ती की भाँति 1 000/20 का मनसब दिया गया (सलेक्टेड डाक्यूमेंटस ऑफ़ शाहजहाँ'स रेन पृ० 64)। इसी प्रकार से नुस्ख़ा-ए दिलकुशा का रचयिता भीमसेन सक्सेना जाति का था। औरंगज़ेब के राज्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में उसके पिता का मनसब 150/10 था (दिलकुशा पृ० 21 अ)। राव दलपत राव की सेवा में भर्ती होने से पूर्व, भीमसेन स्वयं कुछ समय तक मनसबदार रहा।

20 उदाहरण के लिए, शेख़ अब्दुल क़वी 5 000/400 तथा मुल्ला इवाज़ वजिह् 1 000/200 के मनसब तक पहुँचे।

21 गुलदस्ता अलीगढ़ सर सुलेमान संग्रह 666/44 पृ० 4 अ 5 ब।

22 ख़ुलासात उस सियाक़ पृ० 54 ब।

23 अकबरनामा, III पृ० 366। अबुल फ़ज़ल यहाँ लिखता है कि मिर्ज़ों के परामर्शदाताओं को यह ज्ञात नहीं था कि ईरानी व तूरानी लोग अकबर के प्रति कितने स्वामिभक्त थे और न ही उन्हें यह ज्ञात था कि राजपूत तथा अन्य हिन्दुस्तानी कितने साहसी थे।

24 उद्धरित—दबिस्तान-ए मज़ाहिब (सं०) नज़र अशरफ़ कलकत्ता पृ० 431 32।

25 मर्दुम-ए मुज़फ़्फ़र पृ० 19 अ 19 ब—उद्धरित हॉकिन्स 'अर्ली ट्रैवेल्स' पृ० 106-7।

26 इस साक्ष्य की विवेचना के लिए देखिये—रिफ़ाक़त अली ख़ाँ का शोध निबन्ध 'जहाँगीर एण्ड द राजपूत्स' प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस अलीगढ़ सेशन 1960 पृ० 223-25।

27 इंडिया एट द डेथ ऑफ़ अकबर पृ० 69-70।

28 बर्नियर पृ० 209, 212।

29 इस विषय पर पूर्ण विचार के लिए देखिये—सतीश चन्द्र पार्टीज़ एण्ड पॉलिटिक्स एट द मुग़ल कोर्ट पृ० XXIX।

30 देखिये—अध्याय के अन्त में तालिकाएँ 1 (अ), 1 (ब) जिनके बारे में यह निर्धारण नहीं किया जा सकता कि उनका जन्म किस देश में हुआ 1 000 ज़ात या उससे ऊपर के अमीरों में उनकी संख्या 1658-1678 की सूची में 69 है तथा 1679-1707 की सूची में 93 अर्थात् कुल मनसबदारों की संख्या का क्रमशः 14.4 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत। वे सभी मुसलमान हैं। इस प्रकार से वर्गीकृत मुस्लिम गुटों की आपेक्षिक शक्ति को परिकलित करते समय प्रतिशत बनाने के लिए मनसबदारों की कुल संख्या में से उनकी संख्या को घटा देना अनुचित है तथा मुसलमानों या हिन्दुओं या वर्गीकृत हिन्दू गुटों की आपेक्षिक शक्ति को मालूम करने के लिए इनको गणना कुल योग में करनी चाहिए।

31 अध्याय के अन्त में तालिकाएँ 1 (अ) तथा 1 (ब) देखिये।

32 मुंशी भागचन्द जामी-उल इंशा ब्रिटिश म्यूज़ियम, ओरि० 1702, पृ० 67 अ।

33 बर्नियर पृ० 404।

34 देखिये—अध्याय के अन्त में तालिका 2 (अ) और 2 (ब)।
35 मीरात अल-इस्तिलाह् प० 78 अ।
36 मासूरी प० 179 अ खाफी खाँ II प० 378-79।
37 ईरानी अमीरों के अधिकांशतः शिया होने के लिए देखिये—मन्यूची II प० 326-27।
38 देखिये—आई० एच० कुरैशी का शोध निबंध जरनल आफ पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी खण्ड VIII भाग II पृ० 97-119।
39 अध्याय 4 में दी गयी तालिकाएं देखिये।
40 बर्नियर प० 8 26।
41 अध्याय 4 में दी गयी तालिकाएँ देखिये।
42 बर्नियर प० 3।
43 टवर्नियर भाग 2 पृ० 138।
44 वही।
45 उद्धरित—खाफी खाँ II पृ० 72। एक रोचक उद्धरण में उसने कहा है कि अमीर द्वारा सम्राट की सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग कर देने के कारण सम्राट ने—जो कि खानजादों का (बहुत ही बड़ा) संरक्षक है—ख्वाफ के सभी लोगों पर अत्यधिक कृपाएँ करना प्रारम्भ कर दिया है। यहाँ तक कि औरंगजेब के राज्यकाल में ख्वाफ़ जिसका खुरासान के सभी भागों में कोई भी विशेष अस्तित्व नहीं है के निवासी ऊपर उठे तथा उन्होंने उच्च पद प्राप्त किये जैसा कि पूर्व शासकों के इतिहास में कभी भी नहीं देखा गया। वास्तव में खुरासान के अन्य लोगों की अपेक्षा ख्वाफ के निवासी देखने में उजड्ड तथा शुष्क थे लेकिन उनमें से अधिकांशतः अपना कर्त्तव्यपालन करने में बहुत ही चुस्त और दक्ष थे। स्वामिभक्ति में उनकी गणना (साम्राज्य के) दृढ़ स्वामिभक्त व्यक्तियों में की जा सकती है।
46 अहकाम पृ 39।
47 ईसामी फ़ुतुह-उस-सलातीन स० महदी हुसन प० 244।
48 दिलकुशा प० 84 ब।
49 इस प्रसंग के स्पष्टीकरण के लिए देखिये—डा० एच० रहीम का शोध निबंध जहाँगीर्स पालिसी टुवर्ड्स द अफ़ग़ान्स जरनल आफ पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी 1959 खण्ड VII भाग III प० 205-10।
50 दिलकुशा प० 84 ब 162 ब दुर-उल उलूम प० 15 अ। कर्त्तव्य का पालन करने में लापरवाही दिखाने के अभियोग पर शाहजहाँ ने बहादुर खाँ नामक एक अफ़ग़ान अधिकारी से जिसने बल्ख तथा बदख्शा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया था जागीर वापस ले ली—अमल-ए-सालह III प० 23।
51 आदाब-ए-आलमगीरी पृ० 143।
52 अध्याय 4 में तालिकाएं देखिये।
53 मासूरी प० 156 ब।
54 मनूची II प० 453।
55 दिलकुशा प० 173 ब 174 अ।
56 अध्याय के अन्त में तालिकाएँ 2 (अ) तथा 2 (ब) देखिये।
57 तुज़ुक-ए-जहाँगीरी प० 366।

58 अहकाम, पृ० 32, 8।
59 मासूरी पृ० 156 ब। शहजादा मुअज्जम को लिखे गये औरंगजेब के एक पत्र के अनुसार कश्मीरी होना भी एक अयोग्यता थी (रुकायम-ए-करायम पृ 15 अ-ब)।
60 इस तथ्य की ओर पहली बार एस० आर० शर्मा ने संकेत किया—रेलीजस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्परर्स (पृ० 98 101) में उनकी वास्तविक संख्या दी गयी है।
61 आदाब-ए-आलमगीरी पृ० 24 अ 25 अ रुक्कात-ए-आलमगीरी पृ० 113, 115। यह बहुत ही रोचक बात है कि इसका सम्बन्ध औरंगजेब द्वारा प्रकट किये गये उस समय के विरोध से है जब शाहजहाँ ने राव करण की पदोन्नति के सम्बन्ध में औरंगजेब के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
62. वीर विनोद II पृ० 423-24 426-27 आदाब ए आलमगीरी पृ० 355 अ, 326 अ।
63 वही पृ० 419-20 टिप्पणी। इस निष्कर्ष के अनुसार मैंने अपने पेपर द रैलिजस इशू इन द वार आफ सक्सेशन 1658 59 जो मैंने अलीगढ़ सेशन आफ द इंडियन हिस्ट्री काग्रेस 1960 में पढ़ा था में लिया है। इसी का पुनः प्रकाशन मेडिवल इंडिया क्वार्टरली (खण्ड V, पृ० 80 87) में हुआ है।
64 दारा शिकोह इतस्तत परन्तु विशपठौर से पृ० 175-78।
65 अध्याय 4 में तालिकाएँ देखिये।
66 रायल एशियाटिक सोसाइटी लन्दन (पाण्डुलिपि संख्या 173)। अम्बुनरानी की व्यार नामा-ए राजपूताना (पृ० 132) में प्रकाशित।
67 बर्नियर पृ० 40।
68 मासूरी पृ० 156 ब।
69 राजपूत प्रश्न एवं अमीर वर्ग का उसके प्रति दृष्टिकोण की विवेचना के लिए अध्याय 4 देखिये।
70 उद्धरित—सरकार हिस्ट्री आफ़ औरंगजेब खण्ड III पृ० 367।
71 उदाहरणत —तुजुक-ए-जहाँगीरी पृ० 106 आदाब-ए-आलमगीरी पृ० 26 अ रुक्कात ए-आलमगीर पृ० 120।
72 इस संधि द्वारा (जो राणा राजसिंह से की गयी थी) उन परगनो जो 1654 में साम्राज्य में विलय कर लिए गए थे तथा जिन्हें 1659 में वापस ले लिया गया था को छोड़ कर मेवाड़ का सम्पूर्ण प्रदेश वापस कर दिया गया। राणा को वही मनसब (5 000/5 000) प्रदान किया गया जो उसके पिता को दिया गया था।
73 इस अध्याय के अन्त में तालिका 2 (ब) देखिये।
74 सरकार हिस्ट्री आफ़ औरंगजेब खण्ड IV पृ० 302 (बिना वर्ष या तिथि दिये हुए ही सरकार ने अखबारात को उद्धरित किया है, किन्तु लेखक को अखबारात में यह सन्दर्भ कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ)।
75 रैलीजस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्परर्स पृ० 134।
76 वीर विनोद III 777 78।
77 मआसिर-ए-आलमगीरी पृ० 176।
78 ईसरदास पृ 74 अ-ब।
79 दिलकुशा पृ० 140 अ 141 अ।
80 इनायतुल्लाह अहकाम-ए आलमगीरी पृ० 62 ब।

81 सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ औरंगज़ेब्स रेन पृ० 64।
82 मामूरी पृ० 156 ब, रुक्कआत पृ० 31 ब।
83 आदाब-ए आलमगीरी पृ० 25 ब 33 अ 33 ब 35 ब 36 ब 43 अ।
84 सेलेक्टेड डॉक्यूमेन्ट्स ऑफ शाहजहाँस रेन पृ० 1 27 13 और यत्र-तत्र।
85 सेलेक्टेड डॉक्यूमेन्ट्स ऑफ औरंगज़ेब्स रेन, पृ० 64।
86 उपरोक्त पृ० 182। उन व्यक्तियों को जो 1 000 ज़ात तक के मनसबदार थे इस नियम से मुक्त कर दिया गया।
87 मीरात-उल-आलम पृ० 214 व 215 साम्राज्य की जमा—9,24 17 16 082 दाम दक्खन के प्रान्तों की जमा—2 96 70 00 000 दाम।
88 ज़वाबित-ए आलमगीरी पृ० 3 अ 5 ब साम्राज्य की जमा—13 80 23 56 000 दाम दक्खन के प्रान्तों की जमा—6 00 22,22 140 दाम।
89 मामूरी पृ० 156 ब 157 अ।
90 सेलेक्टेड डाक्यूमेन्ट्स ऑफ औरंगज़ेब्स रेन पृ० 115।
91 रुक्कआत पृ० 140 अ।
92 रेलिजस पॉलिसी ऑफ द मुग़ल एम्परर्स पृ० 178-80।
93 वही पृ० 131।
94 वही पृ० 131 132।
95 एम० आर० शर्मा अपनी पुस्तक (पृ 131) में कहते हैं कि उन्हें औरंगज़ेब के अन्तर्गत 1 000 व उससे ऊपर के 148 हिन्दू मनसबदारों के नाम मिले हैं, किन्तु उन्होंने परिशिष्ट में 160 नाम दिये हैं। मेरी निजी तालिकाओं में इसी श्रेणी के 251 हिन्दू मनसबदारों के नाम हैं। मैंने ये तालिकाएँ स्वतन्त्र रूप से बनायी हैं और शर्माजी द्वारा परिशिष्ट में दिये गये 160 मनसबदारों में से 14 के नाम उनमें नहीं हैं। उनमें शर्माजी ने प्रताप को 5 000 ज़ात का मनसबदार बनाया है जबकि वास्तव में वह शम्भा का प्रतिनिधि था, जिसका मनसब 5 000 ज़ात था। (रुक्कआत पृ० 35 अ-ब सेलेक्टेड डाक्यूमेन्ट्स ऑफ औरंगज़ेब्स रेन पृ 66)। इनमें से 14 के बारे में तथा अन्य के बारे में भी उदाहरणार्थ सन्ताजी जाधव (5 000 ज़ात) और टोंक के राजा जयसिंह (5 000 ज़ात) के सम्बन्ध में मुझे अत्यधिक सन्देह है (1700 ई में टोंक के फौजदार राजसिंह का मनसब केवल 400/300 ही था—अख़बारात 18 शाबान 43वाँ राजकीय वर्ष)।
96 अध्याय के अन्त में तालिका 2 (अ) तथा 2 (ब) देखिये।

अध्याय
2

अमीर-वर्ग का सगठन—मनसब, वेतन तथा सेवा की शर्तें

मनसब प्रथा का विकास

मुगलो के अतगत अधिकारी वग म 'मनसब' (पद, स्थान, श्रणी) शब्द किसी पद पर आसीन (मनसबदार) व्यक्ति के स्थान का द्योतक था। मनसब अपने ही म एक पद नही था वह उसके प्राप्तकर्ता के स्तर को ही निर्धारित नही करता था, वरन् उसके वेतन को भी निश्चित करता था तथा उसे यह उत्तरदायित्व सौंपता था कि वह निश्चित सख्या मे सनिको को घोडो व साज सामान के साथ, अनुरक्षित करेगा।

भारतीय मुगलो के समय स बहुत पूव से ही तुर्की सनाओ मे घुडसवारो का सगठन दशमलव प्रणाली के नमूने पर आधारित था। दिल्ली के सुलतानो के अन्तगत जा एक मान्श प्रथा लागू हुई थी उसके अनुसार 10 घुडसवार (सवार) एक सर ए खल के अन्तगत, 10 सर ए खला को एक 'सिपहसालार' के अ तगत, दस सिपहसालारा को एक अमीर के अ तगत, 10 अमीरो को एक 'मलिक' के अन्तगत, 10 मलिको को एक खान के अन्तगत, और कम से कम 10 खानो को एक सम्राट के अन्तगत रखा गया था। इस प्रकार एक सर ए खल के अन्तगत 10 व्यक्ति एक सिपहसालार के अ तगत 100, एक अमीर के अ तगत 1,000, एक मलिक के अ तगत 10 000 तथा एक खान के अ तर्गत 1,00,000 व्यक्तियो की कमान होना चाहिए।[1] किन्तु वस्तुत यह केवल एक काल्पनिक गणना ही है। यही नही, बरनी के द्वारा दिये गये इस विवरण म एक त्रुटि भी रह गयी है। चौदहवी शताब्दी के एक अरब निवासी द्वारा दिये गय विवरण के अनुसार भारतीय सेना म 'खान के अन्तगत 10 000 अश्वारोही मलिक के अन्तगत 1,000, अमीर के अन्तगत 1,00 और सिपहसालार के अन्तगत उसस भी कम अश्वारोही होते हैं। इस प्रकार तीन उच्चतम श्रेणी के अधिकारियो की सनिक टुकडिया का आकार 1/10 कम हो जाता है।" चगेजी मगोलो, जिनका भारतीय मुगलो ने वशज होने का दावा किया, की सेना म

सबसे छोटा सनिक टुकडी 10 घुडसवारो की होती थी तथा अधिकारियों की ऐसी 10 इकाइयाँ '1,00 के सेनानायक' के अन्तर्गत हुआ करती थी, 100 के 10 सेनानायक' '1,000 के सेनानायक' के अन्तर्गत और 1 000 के 10 सेनानायक' '10,000 के एक सेनानायक' के अन्तर्गत हुआ करते थे।[3] 10 000 की एक सनिक टुकडी को साधारणत एक तुमान कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यवस्था म मुख्य सिद्धान्त यह था कि निम्न श्रेणी के अधिकारी उच्च श्रेणी के अधिकारियों के अधीन रहें तथा उनकी टुकडियाँ उच्च श्रेणी के अधिकारियों की सनिक टुकडियों का अंग बनी रहे। दिल्ली सल्तनत म, यदि यह मान लिया जाय कि खान के अन्तर्गत 10 000 घुडसवार थे तो यह संख्या 10 मलिकों के अन्तर्गत रहने वाली सनिक टुकडियाँ, जो कि उसकी सेवा मे रहती थी, के समरूप थी इत्यादि।

यह कहा गया है कि मनसब प्रथा की उत्पत्ति दशमलव प्रणाली पर आधारित सनिक संगठन से हुई।[4] इसमे कुछ सत्यता हो सकती है किन्तु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कुछ महत्त्वपूर्ण मामलो म मनसबदारी प्रथा, जिसे अकबर ने लागू किया, पहले की प्रणाली से भिन्न थी, साथ ही-साथ यह अत्यधिक व्यापक एवं नियन्त्रणीय थी।

मुगल मनसब प्रथा म सभी मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से सम्राट के मातहत थे चाहे वे 10 सवारो या 5 000 सवारो का ही क्यो न सचालित करते हो। अमीरो (उच्च श्रेणी के मनसबदार)तथा शेष मनसबदारो के मध्य भेद मुख्यत परम्परागत था तथा उसका सनिक संगठन पर प्रभाव नही पडता था। इस प्रकार 5,000 का मनसबदार 1,000 के पाच मनसबदारो को अपने अन्तर्गत रखकर अपनी सनिक टुकडी नही बना सकता था। उसका मनसब केवल उसकी ही सनिक टुकडी को इंगित करता था। अपनी सेना की विभिन्न सनिक इकाइयो की देखभाल करने हेतु वह अपने अधीन अधिकारियों को रख तो सकता था लेकिन ऐसे अधीनस्थ अधिकारी तब तक मनसबदार नही हो सकते थे जब तक कि उनकी निजी सनिक टुकडियाँ उनके उच्च अधिकारियों की सनिक टुकडियों से पृथक न हो।[5]

इसके अतिरिक्त मुगल मनसब द्विसूचक होता था तथा दो संख्याओ को सकेतित करता था—एक को जात (निजी) व दूसरे को सवार (घुडसवार) सम्बोधित किया जाता था। अकबर के राज्यकाल के अंतिम वर्षों से ही जात की संख्या कृत्रिम संख्या बन चुकी थी जिसका मुख्य काय लागू वेतनमान के अनुसार वेतन को इंगित करने के साथ अधिकारी वर्ग मे मनसबदार को निश्चित स्थान पर रखना था।[6] दूसरी ओर सवार पद इसका निर्धारण करता था कि मनसबदार को कितने घुडसवार और घोडे रखने पडेंगे। अतएव इसे अश्व सनिक या सनिक पद कहना चाहिए। अकबर के उत्तरकालीन वर्षों म पहले

पहले हमें यह दूसरे पद के रूप में मिलता है।

जब हम आदर्श से स्पष्ट विचलन देखते हैं तो हमें पूर्व काल में ही द्विपद सिद्धान्त के अंकुर की विद्यमानता दृष्टिगोचर होने लगती है। बरनी बलबन की घोषणा को उद्धृत करते हुए कहता है कि यदि एक मलिक अपनी 10,000 की सैनिक टुकड़ी नहीं रखता तो वह इस उपाधि के उपयुक्त नहीं है।[7] किन्तु साथ ही साथ यही इतिहासकार हमें यह भी बताता है कि बदायूं के गवर्नर मलिक बक्बक के पास 4,000 सैनिक (चाकर) थे, और वह यह बात ऐसे सन्दर्भ में कहता है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि बक्बक के पास अपवादस्वरूप एक बहुत ही बड़ी सैनिक टुकड़ी थी।[8] इस प्रकार यद्यपि पहले को बक्बक 10,000 सैनिकों का सेनानायक था, किन्तु वास्तव में उसके पास 4,000 सैनिक ही थे। मारलैण्ड ने भी यह बात बतायी है कि किस भांति प्रारम्भिक मुगलों के समय में उच्च उपाधिधारी अधिकारी बहुत ही कम अवसरों पर अपनी उपाधियों के अनुसार सैनिक टुकड़ियाँ रखते थे तथा यह सुझाव दिया है कि ऐसी परिस्थिति से निबटने के लिए ही अकबर द्वारा द्विपद सिद्धान्त की व्यवस्था की गयी।[9] विभिन्न अमीरों का पदानुक्रम निर्धारित करने के लिए सांकेतिक पद जात मनसब तक ही सीमित रखा गया। किन्तु प्रत्येक अमीर द्वारा उसके वेतन या निर्धारित आय के अनुरूप सैनिक टुकड़ियाँ रखने की व्यवस्था पर भली भाँति नियन्त्रण रखने के लिए एक सवार पद की व्यवस्था की गयी जो जात पद के या तो बराबर हुआ करता था या उससे कम।[10]

यद्यपि सत्रहवीं शताब्दी में अकबर की मनसबदारी प्रथा के आधारभूत तत्वों को बनाये रखा गया किन्तु साथ-ही साथ उसमें कुछ नये तत्व भी सामने आये। इस प्रकार जहाँगीर के अन्तर्गत हम प्रथम बार दो अस्पा-सेह अस्पा मनसब के सम्बन्ध में सुनते हैं। शाहजहाँ के अन्तर्गत हम नये मासिक वलन-मान, 'मासिक अनुपात' तथा विभिन्न सवार मनसबों के अन्तर्गत सैनिक टुकड़ियों का आधार निर्धारित करने के लिए नियम मिलते हैं। इन तत्वों और इनके अतिरिक्त अन्य तत्वों जैसे प्रतिबंधित (मशरूत) मनसब जो कि अकबर के समय में भी होंगे की जानकारी औरंगजेब के काल में अति स्पष्ट हो जाती है। अगले पृष्ठों में हम पहले मनसब वेतन मान और उसके निर्धारण की विधि के बारे में, तदुपरान्त मनसबदारों के सैनिक उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा करेंगे।

जात और सवार पद

अकबर के समय में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, साधारणतः सवार पद जात पद के या तो बराबर होता था या उससे कम। उसके उत्तराधिकारियों के अन्तर्गत भी स्थिति इसी प्रकार की रही। अब्दुल अजीज ने ऐसे

पांच उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनमें सवार पद जात पद से अधिक हैं किन्तु उनका विचार है कि ऐसा केवल प्रतिलिपि की त्रुटियों के कारण है।[11] किन्तु औरंगजेब के शासनकाल के द्वितीय भाग में, ऐसे मनसबदार बहुत ही अधिक संख्या में थे जिनके सवार पद जात पद से अधिक थे।[12] यह सत्य है कि कुछ में सवार पद प्रतिबन्धित (मशरूत) थे। जयपुर अखबारात में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें साधारण पद तथा प्रतिबन्धित सवार पद को मिलाकर जात पद से कहीं अधिक था।[13] किन्तु साथ-ही साथ ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ सवार पद में पूर्णरूप से और न उसका कोई भाग प्रतिबन्धित है और फिर भी वह जात पद से अधिक था।[14] विशेषतः औरंगजेब के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में अनेक उदाहरणों में सवार पद जात पद से अधिक कुछ सीमा तक केवल इस कारण भी हो सकता है कि उस समय अनुभवी एवं योग्य अधिकारियों का अभाव था[15] जिसके कारण सम्राट को उन लोगों को जिनकी कार्य-कुशलता पर वह भरोसा कर सकता था बड़ी सैनिक टुकड़ियाँ प्रदान करनी पड़ीं। बचत करने के विचार ने भी सम्भवतः सम्राट को इस बात के लिए प्रेरित किया होगा कि अमीरों के जात पद के अनुपात में बिना वृद्धि किये हुए उनके अन्तर्गत सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया जाय। सवार पद का जात पद से बढ़ने के कारण चाहे जो कुछ भी हो इस प्रथा का प्रचलन स्पष्टतः सीमित था। साधारणतः यह प्रथा मनसबदारों की उच्च श्रेणियों पर लागू नहीं होती थी। यह कोई आधारीय या सङ्कल्पित सुधार न था। ऐसी युक्ति का प्रयोग केवल वहीं किया गया जहाँ औचित्य ने ऐसा करने पर बाध्य कर दिया था।

प्रतिबन्धित (मशरूत) पद

पहले के जात और सवार पदों में ही प्रतिबन्धित (मशरूत) पदों को साधारणतः जोड़ दिया जाता था। मीरात-अल-इस्तिलाह के रचयिता के अनुसार जात मनसब के साथ अप्रतिबन्धित सवार मनसब प्रदान किया जाता था और प्रतिबन्धित मनसब किसी विशिष्ट अधिकारी को किसी विशेष पद पर सेवाएँ करने की बात को ध्यान में रखकर प्रदान किया जाता था। उदाहरणार्थ, यदि किसी मनसबदार को एक विशेष प्रदेश में फौजदार नियुक्त किया जाता था और इस बात का आभास होता था कि उसके द्वारा सन्तोषजनक कार्यों के करने के लिए 100 सवारों के मनसब की और आवश्यकता है तो फौजदार के मनसब में प्रतिबन्धित मनसब की वृद्धि कर दी जाती थी ताकि वह 100 सवारों को भर्ती कर ले। इन अतिरिक्त प्रतिबन्धित मनसबों के वेतन के लिए उसे जागीर भी प्रदान कर दी जाती थी। जब उसे इस पद से स्थानान्तरित कर

किया जाता था, तो साधारणतः उसका प्रतिबंधित मनसब रद्द कर दिया जाता था और अतिरिक्त दी गयी जागीर भी उससे वापस ले ली जाती थी।[16] कभी-कभी तो प्रतिबंधित मनसब का पूरा या उसका एक भाग अप्रतिबंधित कर दिया जाता था। ऐसा होने पर उक्त मनसबदार की पदोन्नति समझी जाती थी और साधारणतः उक्त मनसबदार को सम्मान सूचक चिह्न प्रदान करने की दशा में ही ऐसा होता था।[17]

दो अस्पा-सेह अस्पा पद

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है जहाँगीर के राज्यकाल में मनसबदारी प्रथा में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, अर्थात्—दो अस्पा सेह अस्पा मनसब का लागू किया जाना। जहाँगीर के राज्यकाल के दसवें वर्ष में जब महाबत खाँ को दक्खन के कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया तो उसे विशिष्ट ढंग से सम्मानित करने के लिए उसके मनसब में से 1700 सवारों को दो अस्पा सेह अस्पा कर दिया गया।[18] यह किसी अमीर को दो अस्पा सेह अस्पा मनसब प्रदान किये जाने का यह सर्वप्रथम उदाहरण है। जहाँगीर के राज्यकाल में तो दो अस्पा सेह अस्पा मनसब दिए जाने से सम्बंधित उदाहरण अभिलिखित हैं किन्तु शाहजहाँ के शासनकाल में वे अनेक बार प्रदत्त किये गये। 1000 जात व उसके ऊपर के मनसबदारों की नीचे दी गयी तालिका में यह तथ्य देखा जा सकता है—

	योग	दो अस्पा सेह अस्पा मनसब के मनसबदार
शासन का 10वाँ वर्ष[19]	191	12
शासन का 20वाँ वर्ष[20]	219	23
शासन का 30वाँ वर्ष[21]	253	25

औरंगजेब के शासनकाल में इस प्रकार के मनसब प्राप्त करने वालों की संख्या और भी बढ़ गयी। उसके शासनकाल के प्रथम बीस वर्षों में 1000 जात व उसके ऊपर के कुल 486 मनसबदारों की संख्या में से 68 मनसबदार ऐसे थे जिनके पास दो अस्पा-सेह अस्पा मनसब था। औरंगजेब के शासनकाल के शेष भाग में, 1000 जात व उसके ऊपर के 575 मनसबदारों में से 70 ऐसे अभिलिखित मनसबदार थे जिनके पास यह मनसब था।

सद्धान्तिक रूप से दो अस्पा-सेह अस्पा मनसब को सवार पद का ही एक अंग माना जाता था। इस मनसब का व्यक्त करने का राजकीय ढंग इस प्रकार से था—

उदाहरणार्थ, 4 000 जात 4 000 सवार कुल (इमा) दो अस्पा-सह अस्पा" जिसका अर्थ था 4 000/4 000+4 000, या 4 000 जात, 4 000 सवार, उसमें से 1 000 दो अस्पा-सह अस्पा, अर्थात—4 000/4 000+1,000। इस प्रकार वह कभी भी सवार पद से नहीं बढ़ सकता था। यदि सवार पद का कोई भी भाग दो अस्पा सेह अस्पा कर लिया जाता था तो शेष पद का बारावर्दी कहा जाता था। अर्थात् यदि 4 000 सवारों मे से 1 000 दो अस्पा-सह अस्पा होते थे तो शेष 3 000 को बारावर्दी कहते थे।[3] बारावर्दी पद के भाग के लिए अमीर को उसी दर से भुगतान किया जाता था जिस प्रकार से उसके साधारण मनसब के लिए, तथा उसका उत्तरदायित्व भी उसी पैमाने पर होता था परन्तु दो अस्पा सह अस्पा पद के लिए उसका उत्तरदायित्व एवं वेतन दोनों ही दुगुने कर दिए जाते थे। दूसरे शब्दों में सैनिक उत्तरदायित्व एवं वेतन की दृष्टि से 4 000 सवार पद, जिसमें से 1 000 सवार दो अस्पा-सह अस्पा थे का वास्तविक अर्थ 5 000 सवार था (अर्थात् 3 000 साधारण+1 000 2-3 अस्पा=3 000 साधारण+1 000×2 साधारण=5 000 साधारण)। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब सम्राट किसी व्यक्ति पर कृपा करना चाहता था या यह चाहता था कि बिना उसके जात पद में वृद्धि के (जो साधारणतया सवार पद से बड़ी हुआ करती थी) वह एक बड़ी सैनिक टुकड़ी रखे तो वह उसको दो अस्पा-सह अस्पा पद प्रदान कर दिया करता था।[4]

पदों के लिए वेतन

व्यावहारिक रूप से मुग़लों का अमीर-वर्ग अपनी आय के लिए प्रशासन द्वारा दिए गए वेतन पर ही निर्भर रहता था चाहे वह नकद में हो अथवा जागीरों के रूप में। प्रत्येक अमीर को जो वेतन प्राप्त होता था उसका निर्धारण उसके मनसब द्वारा होता था। कभी कभी अमीरों को अतिरिक्त वेतन इनाम के रूप में भी दिया जाता था[5] किन्तु यह भुगतान मनसब के अनुसार दी गयी धन राशि के पूरक के रूप में समझा जाता था। मनसब जैसा कि हम पहले देख चुके हैं सदैव द्विसूचक—जात व सवार—होता था। कुछ उदाहरणों मे सवार पद में ही उसी प्रकार का एक अतिरिक्त पद जो दो अस्पा-सह अस्पा कहलाता था, जोड़ दिया जाता था। इनमे से प्रत्येक पद के लिए मनसबदार निश्चित वेतन की धनराशि, जो सस्थापित मानों द्वारा निर्धारित रहती थी की पृथक पृथक माँग के लिए जिसे 'तलब' कहा जाता था, दावा करने का अधिकारी था।[26]

इससे पूर्व कि हम उन महत्वपूर्ण सिद्धान्तों, जिनके आधार पर यह वेतन मान बनाये जाते थे, पर ध्यान दें हमे इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि

ज़ात पद मुख्यतः व्यक्तिगत होता था, सवार पद (और पूरक दो अस्पा सेह अस्पा पद) सैनिक टुकड़ियों के आकार को निर्धारित करता था जो अमीरों को रखनी पड़ती थी। अतः इससे यह ज्ञात होता है कि प्रथम पद का वेतन प्राप्तकर्ता को अपने एवं अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए तथा अपने व्यक्तिगत नौकर चाकरों पर व्यय करने के लिए मिलता था जबकि दूसरी और तीसरी मदों के लिए किया गया भुगतान अपनी सैनिक टुकड़ियों पर खर्च करने के लिए होता था। इस प्रकार, वेतन सम्बन्धी प्रमाणपत्रों को तैयार करते समय, प्रथम मद के लिए वेतन 'खासह' (व्यक्तिगत) और बाद वाली मदों का 'ताबीनान' (सैनिक टुकड़ी या परिचर) कहा जाता था।[7] अकबर के समय से लेकर, मनसब की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन की स्वीकृत सूचियां उपलब्ध हैं, और व्यक्तिगत अमीरों के वेतन के आंकड़ों से सम्बन्धित अनेक सन्दर्भों को भी उनमें जोड़ा जा सकता है।[8] जिस कार्य के लिए वेतन का भुगतान किया जाता था, उसके अनुसार मनसबों की प्रत्येक श्रेणी के लिए वेतन मान से कुछ तत्व ज्ञात होते हैं जिनके सम्बन्ध में उल्लेख किया जा सकता है।

1) जात पद की एक संख्या के लिए निर्धारित वेतन का दूसरे ज़ात पद से साधारण गणितीय आनुपातिक सम्बन्ध नहीं रहता था इसलिए जात मनसब की प्रत्येक श्रेणी के लिए वेतन पृथक पृथक उल्लेखित हैं। उच्चतर मनसब पर पदोन्नति होने पर वेतन यथानुपात नहीं बढ़ता था। दूसरे 5000 के नीचे के पदों के लिए जात पद का वेतन विविध रूप में तीन श्रेणियों के लिए निर्धारित किया जाता था—प्रथम जब सवार पद जात पद के बराबर या आधे से कम न हो, द्वितीय जब सवार पद जात पद का आधा हो, और तृतीय जब वह आधे से कम हो। प्रथम श्रेणी का वेतन द्वितीय श्रेणी के वेतन से और द्वितीय श्रेणी का वेतन तृतीय श्रेणी से अधिक होता था।

2) विभिन्न पदों में सवार पद का वेतन पृथक रूप से निर्धारित नहीं होता था, परन्तु सवार पद की दर प्रत्येक इकाई के लिए निरपवाद रूप से व्यक्त होती थी। सवार पद के वेतन का परिकलन करने के लिए उस धन राशि को सवार पद की संख्या से गुणा करना पड़ता था। परिकलन करने का यह ढंग हमें उस समय समझ में आता है जब हम यह ध्यान में रखते हैं कि जो कुछ भी हम यहां विचार कर रहे हैं वह अपेक्षित सैनिक टुकड़ियों को रखने के लिए 'अनुबंधित दरें' हैं। दस घुड़सवारों को औसत ढंग से दी गयी धनराशि किसी एक को भुगतान की गयी धनराशि का दसगुना होगी, और इसलिए उच्च पदों के वेतन में वृद्धि निश्चित गणितीय अनुपात में की जाती थी।

3) दो अस्पा सेह अस्पा पद को सवार पद का एक अंश[9] इस विशिष्टता

के साथ समझा जाता था कि इस पद की संख्या का उत्तरदायित्व साधारण पद के उत्तरदायित्व से दुगना होता था।[30] इसलिए उसका वेतन भी साधारण पद से दुगना होना अवश्यम्भावी था। उदाहरणार्थ यदि किसी मनसबदार का पद 3 000 सवार था, और उसमें से 1 000 सवार दो अस्पा सेह अस्पा थे तथा प्रत्येक सवार पद की इकाई के वेतन की दर 8 000 दाम थी तो उसके वेतन का परिकलन निम्नलिखित ढंग से होगा—

3 000 के सवार पद में से 1 000 दो अस्पा-सेह अस्पा। इस प्रकार उसमें 2 000 बारावर्दी (साधारण) सवार होंगे जिनका वेतन 2,000 × 8 000 = 16 000 000 दाम होगा। और 1 000 दो अस्पा-सेह अस्पा का वेतन 1 000 × 8 000 × 2 = 16 000 000 दाम होगा। कुल योग = 32 000 000 दाम।[31]

इस प्रकार से सवार पद का वेतन उसी संख्या के जात पद के वेतन से कहीं अधिक होगा क्योंकि प्रथम के अनुसार सैनिकों को रखने के लिए धन मिलता था जबकि दूसरा अमीर का व्यक्तिगत वेतन था।

आईन में वेतन रुपयों में व्यक्त किया गया है, लेकिन परवर्ती मानों में वह दाम में दिया गया है।[32] अकबर के काल से जमा या प्रत्येक परगने की आय की उस रकम का जो वेतन के एवज में आवंटन (जागीर) के लिए निर्धारित की जाती थी दाम में ही मूल्यांकन होता था और जागीर के मूल्यांकन की मुद्रा की इस इकाई (दाम) में वेतन-तालिकाओं में उल्लिखित करना बहुत ही श्रेयस्कर समझा गया होगा।

मोरलैण्ड ने यह प्रदर्शित किया है कि अकबर और शाहजहाँ के समय के मध्य जात व सवार पदों के वेतन को धीरे धीरे किस प्रकार घटाया गया।[33] इस काल के विभिन्न प्रपत्रों एवं नियम पुस्तिकाओं में इस सम्बन्ध में अत्यधिक साक्ष्य उपलब्ध हैं जो मोरलैण्ड को तो उपलब्ध नहीं हो सके थे किन्तु फिर भी उसके निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। अतएव हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम इस विषय में विस्तारपूर्वक जायें। शाहजहाँ द्वारा निश्चित किये गये वेतनमान हमें कम से कम तीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं[34] जबकि औरंगजेब के समय की तालिकाएं जिनमें उसी प्रकार के वेतनमानों का उल्लेख है कहीं अधिक संख्या में हैं।[35] औरंगजेब के राज्यकाल के दस्तूर उल अमलों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि शाहजहाँ ने जो वेतन मान निश्चित किये थे उनमें किसी भी प्रकार का भी परिवर्तन न करते हुए औरंगजेब ने उन्हें जारी रखा। जात पदों के लिए वेतन के विस्तृत आँकड़े वही हैं जबकि सवार पदों के लिए 8 000 दाम प्रति इकाई की दर से भुगतान होता रहा। इस अध्याय के अन्त में दिये गये एक परिशिष्ट में दो शासनकालों से सम्बन्धित

विभिन्न जात पदों की संख्या की तुलनात्मक तालिकाएं दी गयी हैं।

मासिक-अनुमाप

मासिक अनुमाप या अनुपात का नियम जो सर्वप्रथम शाहजहां के राज्य काल में अस्तित्व में आया शीघ्र ही सर्वव्यापी हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी उत्पत्ति सरकार द्वारा निर्धारित रकम (जमा) तथा जागीर से वास्तव में वसूल की गयी लगान की रकम (हासिल) के बीच अंतर के कारण हुई।[36] इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ऐसी जागीर प्राप्त करता जिसकी जमा कागज पर उसके वार्षिक वेतन-दावे (तलब) के बराबर हुआ करती थी, तो वस्तुतः उसे उसमें अपने दावे का केवल 1/2 या 1/4 भाग ही प्राप्त हो पाता था। ऐसी स्थिति में जागीर को क्रमशः 'शशमाहा' (छमाही) या 'सेहमाहा' (तिमाही) आय वाली जागीर ही कहा जाता था।[37] जहां वास्तविक वसूली से जमा अत्यधिक हुआ करती थी वहां जागीर मासिक अनुमाप में बहुत ही नीचे होती थी। शाहजहां के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में मुगल-दक्खन की वास्तविक हासिल जमा का केवल चौथाई भाग था (अर्थात तीन मास के बराबर)।[38] इस प्रकार दक्खन में अधिकांशतः मनसबदारों की जागीरें चार माहा से अधिक तो नहीं प्रत्युत अधिकतर उससे कम ही हुआ करती थी।[39] उत्तरी भारत में परिस्थितियां बेहतर ही दिखायी पड़ती हैं। शाहजहां के अन्तिम वर्षों में तथा औरंगज़ेब के शासनकाल में, इस बात की हम शिकायतें सुनायी पड़ती हैं कि उत्तरी भारत से दक्खन के स्थानान्तरण किये जाने के कारण एक जागीर निम्नतर मासिक मान पर हो जाती थी।[40]

मासिक प्रणाली नकद वेतन के सम्बन्ध में भी लागू होती थी। स्वभावतः एक व्यक्ति को जिसके पास पांच माहा जागीर हो, कभी भी नकदी बना दिये जाने पर पूरे बारह महीने का वेतन नहीं दिया जा सकता था। शाहजहां ने, राज्यकाल के 27वें वर्ष में जारी किये गये एक फरमान में यह घोषणा की कि नकदी वेतनों (तनख्वाह-ए-नकदी) के अठमाहा के ऊपर या 'चार माहा' की दरों के नीचे कभी भी निर्धारित न किया जाये। शाही राजकुमारों को छोड़कर उपरोक्त सिद्धांत का अपवाद साम्राज्य के केवल दो अमीरों के सन्दर्भ में मिलता है जिन्हें दस माहा अनुमाप के अनुसार वेतन मिलता था।[41]

किसी अर्थ्यापती द्वारा अपनी जागीर से वसूल किया गया हासिल का जमा से अनुपात, वस्तुतः मासिक अनुमाप के सही अनुपात से केवल अनुमानतः मिलता-जुलता होता। विरला जागीरदार ही कागज पर लिखे हुए वेतन का 5/12 या 7/12 भाग पूर्णरूप से वसूल कर पाता था। दूसरी ओर, नकदी भुगतान में मासिक अनुपात का पूर्णतः अनुसरण होता था। यदि किसी मनसबदार का

कागज़ पर वार्षिक वेतन एक लाख दाम हो।[4] तो कुछ नियम पुस्तिकाओं में ऐसी तालिका मिलती है जिसमें एक नक्द वेतन पाने वाले मनसबदार को प्रत्येक मासिक अनुपात के अन्तर्गत रुपए और आनों (वास्तविक मुद्रा) में धनराशि का भुगतान किये जाने का उल्लेख किया गया है—

12 माह रु० 2,500	11 माह रु० 2 291/10॥	10 माह रु० 2 083/5।	9 माह रु० 1875
8 माह रु० 1 666/10॥	7 माह रु० 1,458/5।	6 माह रु० 1 250	5 माह रु० 1 041/10॥
4 माह रु० 833/5।	3 माह रु० 625	2 माह रु० 416/10॥	1 माह रु० 208/5।

ज़वाबित-ए-आलमगीरी में 100 दाम 1 000 दाम और 10 000 दाम वेतन के लिए भी इसी प्रकार की तालिकाएं दी गयी हैं। इन सभी तालिकाओं में सही सही गणितीय अनुपातों का अनुसरण किया गया है। विभिन्न ज़ात पदों के निए स्वीकृत किये गये प्रत्येक मासिक अनुपात के हिसाब से वार्षिक वेतन का उल्लेख खुलासात उस सियक में किया गया है।

एक नियम पुस्तक में सुस्पष्ट ढंग से यह उल्लिखित है कि जो तालिकाएं ऊपर दी गयी हैं वे केवल नकदी पाने वाले ज़ात पदों के वेतन के बारे में ही लागू होती हैं। उनके सवार पद (ताबीनान) के लिए विभिन्न मासिक दरों का भुगतान बिलकुल ही भिन्न अनुमाप के हिसाब से किया जाता था। यह अनुमाप ताबीनान शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है जो अगले पृष्ठ पर तालिका में प्रदर्शित है।[54]

इस तालिका का महत्त्व केवल तभी समझा जा सकता है जब हम शाहजहाँ के उस फरमान का उल्लेख यहाँ करें जो उसने अपने राज्यकाल के 27वें वर्ष में जारी किया था। यह आदेश यह घोषित करता है कि दरबार से इस बात का अनुमोदन किया गया है कि जो अमीर और मनसबदार जागीरों के स्थान पर नकद पाते हैं और प्रत्येक दाग हुए घोड़े (अस्प दागी) के लिए जागीरदारों के साथ रसद घोड़ों पर आने वाले खर्च के अन्तर को घटा कर 8 माह, 7 माह 6 माह के लिए 30 रुपये 5 4 माह के लिए 26 रुपये प्राप्त करते हैं उनके लिए यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें 8 माह के लिए या 4 माह के नीचे 30 रुपये भुगतान करना तर्कसंगत नहीं है। अतएव हम लोगों ने निश्चय किया है कि इस वर्ष के मिहिर के सौर माह के प्रारम्भ से

12 माह प्रति व्यक्ति (फी नफर) प्रति माह रु० 40	11 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 37/8 आना	10 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 35	9 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 32/8 आना
8 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 30	7 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 27/8 आना	6 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 25	5 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 22/8 आना
4 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 20	3 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 17/8 आना	2 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 15	1 माह प्रति व्यक्ति प्रति माह रु० 12/8 आना

इस्फन्दारमुज माह के अन्त तक '1/5 नियम' के अनुसार (अर्थात जिसके अनुसार सवार पद की संख्या का 1/5 भाग घुड़सवारों का रखना ही पड़ता था) घोड़े दाग जायें, तथा प्रति घोड़े के लिए '8-माह' के लिए तीस रुपया, '7-माह' के लिए 27 रुपये 8 आने, '6-माह' के लिए 25 रुपये, '5 माह' के लिए 22 रुपये 8 आने तथा '4 माह' के लिए 20 रुपये भुगतान किया जाये।[41] इस आदेश को, औरंगजेब के उस पत्र के साथ पढ़ना चाहिए जो उसने शाहजहाँ के शासनकाल के 29वें वर्ष लिखा था, तथा जिसमें उस शाही आदेश का उद्धरण किया गया है, जिसके अनुसार '3 माह' तथा '2 माह' के लिए क्रमशः 17 रुपये 8 आने और 15 रुपये (अन्यत्र कही) वेतन मंजूर किया गया, और मिहिर (खरीफ) पुन्त द्वितीय, मास के प्रारम्भ में 20 रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से (दस्तक के लिए) निर्धारित किया गया अर्थात उसी दर से जैसा कि 4-माह के लिए।[43]

इस साक्ष्य से निम्नलिखित तथ्य निश्चित होते हैं। प्रथम यह कि जिन व्यक्तियों को नकद वेतन मिलता था उन्हें उनके सवार पद के लिए उस वर्ष उनके सवार पद की संख्या को 8 000 दाम से गुणा करने के पश्चात प्राप्त संख्या के बराबर धन नहीं दिया जाता था, जैसा कि जागीरें पाने वालों के साथ किया जाता था। दूसरी ओर पद्धति यह थी कि पहले इस बात का निर्धारण कर लिया जाता था कि मनसबदार को अपने सवार पद के अनुसार कितनी बड़ी सनिक टुकड़ी रखनी पड़ेगी। नकदी के प्रकरण में इसका निर्धारण एवं बटा पाँच नियम के अनुसार होता था। उसके पश्चात् निर्धारित सवारों की संख्या

को '12 माही' अनुमाप के अन्तर्गत भुगतान की स्थिति में, 40 रुपए प्रति माह की दर [redacted] गुणा कर दिया जाता था। वे लोग जो निम्नतर मासिक अनुमाप के अन्तर्गत रखे गये होते थे उनके लिए प्रति सवार की दर घटा दी गयी थी, किन्तु यह उस अनुपात से नहीं होता था जो किसी महीने का बारह के साथ होता था। यह वे दरें हैं जिन्हें ऊपर दी गयी तालिका में पुनः उल्लिखित किया गया है और जो शाहजहाँ के फरमान का विषय है।

एक बटा पाँच नियम के अन्तर्गत मनसबदारों को जितनी संख्या में आदमी और घोड़े रखने पड़ते थे उनका विस्तृत विवरण हम बादशाहनामा और ख़ुलासात उस सियाक में मिलता है।[16] इन्हीं के आधार पर कार्य करते हुए तथा ऊपर दी गयी तालिका का प्रयोग करते हुए हम सवार पद के किसी भी नक्दी पाने वाले का वेतन जो उसे किसी भी मासिक अनुमाप के हिसाब से मिलना चाहिए मालूम कर सकते हैं। नीचे दी गयी तालिका के दूसरे स्तम्भ में इसी ढंग से परिकलन करके 100 सवार पद के नक्दी पाने वालों के वेतन को दिखाया गया है। तीसरे स्तम्भ में शाहजहाँ के 27वें वर्ष के पूर्व से आधारित दर से परिकलित वेतन (7 4 माह) और जो दर (2 3 माह) आगे चलकर *दक्खन में लागू की गयी* का उल्लेख किया गया है। चौथे स्तम्भ में सवार पद की प्रति इकाई का 8 000 दाम की दर के आधार पर परिकलित वेतन दिखाया गया है और प्रत्येक महीने के लिए आँकड़े सही ढंग से गणितीय अनुपात में निरूपित करते हैं—

1	2	3	4
12 माह	रु० 21 120		रु० 20 000 (8 00 000 दाम)
11	18 000		18 333
10 ,	15 120		16 666
9 ,	12 480		15 000
8	10 440	रु० 10 440	13 333
7	8 250	9,000	11 666
6 ,	6 600	7 920	10 000
5	5 400	6,240	8 333
4	3 840	4 992	6 666
3	2 520	2 880	5 000
2	1 440	1,920	3 333
1	600	—	1 666

इस तालिका म जो कुतूहलजनक बात स्पष्ट होती है वह यह है कि उच्च तर मासिक अनुमाप वाले नकदियो का वेतन निम्नतर मासिक अनुमाप वालो की अपेक्षा प्रति घोडे के हिसाब से, कही अधिक था। जसा कि तीसर स्तम्भ के आंकडा से स्पष्ट है शाहजहाँ के 27वें वष के आदेश स पूव निम्नतर श्रणिया की दशा बदतर थी। कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि औरगजेब न दक्खन के वायसराय क रूप म इस आदश म सुधार करन पर इतना क्या बल दिया तथा शाहजहा के द्वारा दक्खन म 2 व 3 मासिक अनुमापा म नियत लोगा को छूट दिय जाने पर क्या इतना कृतन हो गया। पर तु एसा प्रतीत होता है कि सम्राट के रूप म औरगजेब अपनी उन दलीला को जो उसने वायसराय के रूप म पश की थी स्वय भूल गया तथा जो तालिका हमने पुन उल्लेखित की है उसस यह बात साबित होती है कि उसन शाहजहाँ द्वारा प्रतिष्ठित नय मान को ही जारी रखा। 12 माह से 7 माह तक की वेतन-तालिकाए केवल शक्षिक अभिरुचि के लिए ही रही, क्योकि अपने शासनकाल के 21वें वष म औरगजेब ने शाहजहा द्वारा सभी नकदिया को दिय गय अधिकतम भत्ते का 8 माह म घटा कर 6 माह का कर देने का निणय किया।[48]

वेतन मे से कटौतिया

स्वीकृत किय गये दावे (मुकरर तलब) म से कई प्रकार की कटौतिया हुआ करती थी। सबस अधिक कटौतिया दक्खनिया, अर्थात बीजापुरी हैदराबादिया और मराठा अधिकारियो, जो मुगला की सेवा मे थे के वतन म स हुआ करती थी। सबसे पहले दोना पदा के लिए वेतन का परिकलन कर लिया जाता था और उसके पश्चात उसका चौथाई भाग काट लिया जाता था और शष के लिए या तो जागीरें प्रदान कर दी जाती थी या नक्द वतन। इस कटौती का '7 बाज ए दाम ए-चौथाई' या दाम मे 1/4 कटौती कहा जाता था। यह कटौती शाहजहाँ के काल म लागू की गयी थी और औरगजेब ने इसे जारी रखा।[49]

चौथाई एक इस प्रकार की कटौती थी जो अमीर वग के एक विशेष भाग पर ही लागू होती थी। तथापि, यह एक उत्तरदायित्व था जो सम्भवत उतने महत्व का ता नही फिर भी बहुत ही सारगर्भित था तथा जो सभी अमारा पर, जब तक कि उन्ह विशेष रूप स छूट न दे दी गयी हो, लागू होता था। इसम कई मदें थी जिन्हें मिला कर एक ही वग 'खूराक ए-दव्वाब' (जानवरा क लिए घास-दाना) के अन्तगत रखा गया था। एसा प्रतीत होता है कि मूलत यह केवल कुछ सख्या मे सम्राट के हाथियो घाडा और ऊँटा को खिलान तथा गाडियाँ रखने से सम्बन्धित उत्तरदायित्व था। अधिकारी के जात पद के अनुसार ही सख्या का नियमन होना था। प्रत्यक पद के हिसाब स जितनी सख्या म

जानवर आदि रखने पड़ते थे उससे सम्बन्धित एक पूर्ण मापक्रम, आईन में दिया हुआ है।[50] यद्यपि खूराक ए दव्वाब शब्द प्रयुक्त जन के अन्य में नहीं मिलता है किन्तु यह स्पष्ट है कि उसका तात्पर्य उसी उत्तरदायित्व से है। औरंगजेब के शासनकाल की एक नियम पुस्तिका में एक से अधिक में हम यह शब्द मिलता है जिसका अर्थ अमीरों द्वारा रखे जाने वाले जानवरों का घास-दाना है।[51] प्रत्येक पद के अधिकारियों का जितनी संख्या में जानवरों (घोड़े व हाथी) को खिलाना पड़ता था उसका वास्तविक ब्यौरा दिया हुआ है।

अमीरों को जानवर सौंपने के पश्चात् अगला कदम यह था कि शाही अस्तबल में जानवर रखे जायें और इस बात की माँग की जाय कि अमीर उनकी खुराक के लिए खर्चा दें।[52] इस प्रकार उन तालिकाओं में जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है जानवरों की संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक जानवर की खुराक के मानक खर्च का ब्यौरा दिया गया है। अमीर द्वारा वेतन के लिए किये गये दावे अथवा तलब में से खूराक या रसद का खुराक का मूल्य काट लेना शाहजहाँ के समय तक वास्तव में एक प्रथा बन गयी थी।[54] तथापि औरंगजेब के शासनकाल में हम यह देखते हैं कि पूर्ण वेतन के लिए जागीरें प्रदान कर दी जाती थीं तदुपरान्त खुराक नकद या माल के रूप में माँगी जाती थी। जागीरदारों से इसे वसूल करने के लिए सजावल या शाही सन्देशवाहक भेजे जाते थे।[55] ऐसा प्रतीत होता है कि इसे अमीर बहुत ही बुरा मानते थे। औरंगजेब के 46वें शासकीय वर्ष में, हाथियों की खुराक के बारे में सम्राट ने इस प्रणाली के उन्मूलन के लिए सहमति दे दी। अतएव इस कर का पुनः दाम में परिवर्तित करना पड़ा और वे जागीरें जिनकी आय जमा के बराबर थी जागीरदारों के हाथों से वापस लेनी पड़ीं। इस प्रकार वे खुराक एकत्र करने या जानवरों के लिए नकद रकम देने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिये गये।[56] मुगल शासन काल में यही कार्यवाही सम्पूर्ण खुराक ए दव्वाब के लिए लागू कर दी गयी जिससे सभी मनसबदारों को अत्यधिक राहत मिली।[57]

नियमों के अन्तर्गत खूराक ए दव्वाब ऐसे किसी अधिकारी पर नहीं लगाया जाता था, जो 14 लाख दाम या उससे कम वेतन पा रहा हो या उन लोगों से जिनके पास कोई सवार पद न था या जिनके पद 400 जात या 200 सवार से नीचे थे।[58] इसके अतिरिक्त सम्राट कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारियों को भी इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया करता था।[59]

एक अन्य प्रकार की कटौती हुआ करती थी जिसे पारिभाषिक अर्थों में इरमास कहते हैं। बदायुनी के अनुसार तलब ए इजनास (रसद के लिए माँग) का यह इसका दूसरा नाम था।[60] अपने शब्दकोश में इनायतुल्ला फज़ा यह लिखता है कि अकबर के प्रशासन में इस शब्द का प्रयोग नकद एवं वेतन के अतिरिक्त,

उन सभी वस्तुओं के लिए होता था जो सैनिकों को दी जाती थी और वह इस शब्द का 'इखराजात' से तादात्म्य स्थापित करने में बदायूनी का अनुसरण करता है।[61] स्पष्टतः माल के रूप में इस प्रकार के भुगतान का मूल्यांकन होता था और उसकी कटौती वतन में से की जाती थी।[62] अबुल फजल ने जो कुछ आईन में कहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कटौती उनके लिए था जो घोड़े सम्राट अपने अमीरों को उपहार में भेंट किया करते थे।[63] शाहजहां के शासन काल के वतन विवरण में इस प्रकार की कटौती, दो अन्य महत्त्वपूर्ण कटौतियां, 'रसद' खूराक तथा चौथाई के साथ संलग्न है।[64]

'नकदिया' को नकद में जो वतन दिया जाता था, उसमें भी कई प्रकार की कटौतियाँ की जाती थीं जैसे दो दामी (अर्थात रुपये में से दो दाम), जो 5 प्रतिशत के बराबर थी।[65]

इन कटौतियों के अतिरिक्त कई प्रकार के अर्थ दण्ड या जुर्माने भी थे। विभिन्न कारणों के लिए किन्तु अधिकांशतः अमीरों से जितने सैनिकों की आशा की जाती थी उनमें कमी के कारण यह जुर्माने आरोपित किये जाते थे। यदि अश्वारोहियों की संख्या के 1/4 भाग से अधिक फौती (मृतक) या फरारी (पलायित) दर्ज होते अथवा अन्तिम भर्ती के समय से यदि 1/4 से अधिक व्यक्ति नये रंगरूट के रूप में भर्ती होते, तो अमीर को प्रति सवार के हिसाब से 4 मुहर अर्थ-दण्ड के रूप में देना पड़ता था। इसी प्रकार घोड़ों की संख्या में भी किसी प्रकार की कमी पर प्रति घोड़े दो मुहर के हिसाब से अर्थ-दण्ड वसूल किया जाता था।[66]

कभी कभी विशेषरूप से अभियानों के समय, सम्राट मनसबदारों को पदागी देने के लिए भी आदेश दे दिया करता था। इन्हें मसाएदत कहते थे। उदाहरणार्थ बल्ख और बदख्शां अभियानों में नकदिया को उनके वतन का 1/4 भाग तक पदागी के रूप में दिया गया था।[67] नकद के रूप में पदागी धन के अतिरिक्त मसाएदत के एक भाग के रूप में घोड़े व साज सामान भी उन्हें दिये जाते थे।[68] यह सब कुछ बाद में उस अधिकारी के प्रति सरकारी दावे के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता था और इसे मुतालिबा (खज़ाने का दावा) कहते थे। 1656 ई० में एक अंग्रेज व्यापारी ने मुतालिबा की परिभाषा इस प्रकार दी है— जब अमीर किसी युद्ध में रत हो तो सम्राट के खज़ाने से उन्हें धन देना और फिर उनकी जागीरों से उस धन को वसूल कर लेना।[69]

किन्तु मुतालिबा में सम्भवतः मसाएदत के अतिरिक्त अन्य मदें भी सम्मिलित थीं जैसे जुर्माने या अर्थ दण्ड। कुछ भी हो, प्रायः अधिकारी बड़ी-बड़ी रकमों के लिए शाही खज़ाने के ऋणी होते थे। जब अली मर्दान खाँ की मृत्यु हुई तो उसके विरुद्ध मुतालिब की रकम 50 लाख रुपए से किसी भी प्रकार कम

जानवर प्राप्ति रखने पड़ते थे उनसे सम्बन्धित एक पूर्ण मापक्रम, आईन में दिया हुआ है।[50] यद्यपि 'ख़ुराक ए दव्वाब' शब्द अबुलफज़ल के ग्रन्थ में नहीं मिलता है किन्तु यह स्पष्ट है कि उसका तात्पर्य उसी उत्तरदायित्व से है। औरंगज़ेब के शासनकाल की एक नियम पुस्तिका में एक स्थान में हम यह शब्द मिलता है जिसका अर्थ अमीरों द्वारा रखे जाने वाले जानवरों का खान-पान है।[1] प्रत्येक पद के अधिकारियों को जितनी संख्या में जानवरों (घोड़े व हाथी) को खिलाना पड़ता था उसका वास्तविक ब्यौरा दिया हुआ है।

अमीरों को जानवर सौंपने के पश्चात् अगला कदम यह था कि शाही अस्तबल में जानवर रख जायें और इस बात की माँग की जाय कि अमीर उनकी ख़ुराक के लिए खर्चा दें।[53] इस प्रकार उन तालिकाओं में जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है जानवरों की संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक जानवर की ख़ुराक के मानक खर्च का ब्यौरा दिया गया है। अमीर द्वारा वेतन के लिए दिये गये दावे अथवा तलब में से ख़ुराक या रसद ए ख़ुराक का मूल्य काट लेना शाह जहाँ के समय तक वास्तव में एक प्रथा बन गयी थी।[54] तथापि औरंगज़ेब के शासनकाल में हम यह देखते हैं कि पूर्ण वेतन के लिए जागीरें प्रदान कर दी जाती थीं तदुपरान्त ख़ुराक नक़द या माल के रूप में माँगी जाती थी जागीर दारों से इसे वसूल करने के लिए सज़ावल या शाही सन्देशवाहक भेजे जाते थे।[55] ऐसा प्रतीत होता है कि इसे अमीर बहुत ही बुरा मानते थे। औरंगज़ेब के 46वें शासकीय वर्ष में हाथियों की ख़ुराक के बारे में सम्राट ने इस प्रणाली के उन्मूलन के लिए सहमति दे दी। अतएव इस कर को पुनः दाम में परिवर्तित करना पड़ा और वे जागीरें जिनकी आय जमा के बराबर थी जागीरदारों के हाथों से वापस लेनी पड़ीं, इस प्रकार वे ख़ुराक एकत्र करने या जानवरों के लिए नक़द रकम देने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिये गये।[56] मुग़ल शासन काल में यही कार्यवाही सम्पूर्ण ख़ुराक ए-दव्वाब के लिए लागू कर दी गयी जिससे सभी मनसबदारों को अत्यधिक राहत मिली।[57]

नियमों के अन्तर्गत ख़ुराक ए-दव्वाब ऐसे किसी अधिकारी पर नहीं लगाया जाता था जो 14 लाख दाम या उससे कम वेतन पा रहा हो या उन लोगों से जिनके पास कोई सवार पद न था या जिनके पद 400 ज़ात या 200 सवार से नीचे थे।[58] इसके अतिरिक्त सम्राट कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारियों को भी इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया करता था।[59]

एक अन्य प्रकार की कटौती हुआ करती थी जिसे पारिभाषित ग्रन्थों में इरमास कहते हैं। बदायूनी के अनुसार तलब ए इजनास' (रसद के लिए माँग) का यह इसका दूसरा नाम था।[60] अपने शब्दकोश में इलाहदाद फ़ैज़ी यह लिखता है कि अकबर के प्रशासन में इस शब्द का प्रयोग, नक़द एवं वेतन के अतिरिक्त

उन सभी वस्तुओं के लिए होता था जो सनिकों को दी जाती थी और वह इस शब्द का 'इरमास' से तादात्म्य स्थापित करने में बदायुनी का अनुसरण करता है।[61] स्पष्टतः माल के रूप में इस प्रकार के भुगतान का मूल्यांकन होता था और उसकी कटौती वतन में से की जाती थी।[6] अबुल फजल ने जो कुछ आईन में कहा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कटौती उनके लिए थी जो घोड़े सम्राट अपने अमीरों को उपहार में भेंट किया करते थे।[63] शाहजहां के शासन काल के वतन विवरण में इस प्रकार की कटौती, दो अन्य महत्त्वपूर्ण कटौतियां, 'रसद खुराक तथा चौथाई' के साथ संलग्न है।[64]

नकदियों को नकद में जो वतन दिया जाता था, उसमें से भी कई प्रकार की कटौतियाँ की जाती थी जैसे 'दो-दामी' (अर्थात् रुपये में से दो दाम), जो 5 प्रतिशत के बराबर थी।[65]

इन कटौतियों के अतिरिक्त कई प्रकार के अर्थ दण्ड या 'जुर्माने' भी थे। विभिन्न कारणों के लिए किन्तु अधिकांशतः अमीरों से जितने सनिकों की आशा की जाती थी उनमें कमी के कारण यह जुर्माने आरोपित किये जाते थे। यदि अश्वारोहियों की संख्या के 1/4 भाग से अधिक 'फौती' (मृतक) या 'फरारी' (पलायित) दर्ज होते अथवा अन्तिम भर्ती के समय से यदि 1/4 से अधिक व्यक्ति भय रंगरूट के रूप में पेश होते तो अमीर को प्रति सवार के हिसाब से 4 मुहर अर्थ-दण्ड के रूप में देना पड़ता था। इसी प्रकार घोड़ों की संख्या में भी किसी प्रकार की कमी पर प्रति घोड़े दो मुहर के हिसाब से अर्थ-दण्ड वसूल किया जाता था।[66]

कभी-कभी विशेषरूप से अभियानों के समय सम्राट मनसबदारों को पेशगी देने का निर्देश भी प्रदान किया करता था। इसे 'मसाअदत' कहते थे। उदाहरणार्थ, बल्ख और बदख्शां अभियानों में नकदियों को उनके वतन का 1/4 भाग तक पेशगी के रूप में दिया गया था।[67] नकद के रूप में पेशगी देने के अतिरिक्त मसाअदत के एक भाग के रूप में घोड़े व साज सामान भी उन्हें दिये जाते थे।[68] यह सब कुछ बाद में उस अधिकारी के प्रति नकदी दावे के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता था और उसे मुतालिबा (सरकारी दावा) कहते थे। 1656 ई० में एक अंग्रेज व्यापारी ने मुतालिबा की परिभाषा इस प्रकार दी है—"जब अमीर किसी युद्ध में रत हो तो सम्राट के खजाने से उन्हें धन देना और फिर उनकी जागीरों से उस धन को वसूल कर लेना।[69]

किन्तु मुतालिबा में सम्भवतः मसाअदत के अतिरिक्त अन्य मदें भी सम्मिलित थी जैसे जुर्माने या अर्थ दण्ड। कुछ भी हो, प्रायः अधिकारी बड़ी-बड़ी रकमों के लिए शाही खजाने के ऋणी होते थे। जब अली मर्दान खां की मृत्यु हुई तो उसके विरुद्ध मुतालिबे की रकम 50 लाख रुपए से किसी भी प्रकार कम

नहीं थी।[70] औरंगजेब का राजकीय इतिहासकार उसकी इस बात के लिए सराहना करता है कि उसने अपने अधिकारियों के पूर्वजों द्वारा अनुबंधित मुतालिबों को माफ कर दिया। यदि पिता पर मुतालिबा शेष हो और उसका पुत्र 4000 या उससे कम का मनसबदार हो तो वह मुतालिबा माफ कर दिया जाता था। अन्य व्यक्तियों से, यदि उन्हें अपने पिता से विरासत में प्रत्यधिक सम्पत्ति प्राप्त हुई हो मुतालिबा तलब कर लिया जाता था यदि उन्हें विरासत में कम धन मिला हो तो मुतालिब की रकम में कुछ छूट कर दी जाती थी, और यदि उन्हें विरासत में कुछ भी न मिला हो तो सम्पूर्ण मुतालिबा माफ कर दिया जाता था।[71] इस प्रकार यद्यपि इसके में तो मुतालिब की रकम इकट्ठा होने दी जाती थी किन्तु साधारणतः इस रकम के बराबर की जागीर का वापस लेकर मुतालिबा वसूल कर लिया जाता था।[72] शाहजहाँ के सुप्रसिद्ध मन्त्री सादुल्लाह खाँ पर सन्देह था कि उसने अमीरों को हिसाब देने के लिए न बुलाकर, बकाया मुतालिब की रकम संचित करने देने की छूट देकर उनके साथ पक्षपात किया।[73]

इससे पूर्व जब कभी मुहासिबा (हिसाब किताब का निपटारा) होता था, तो आमतौर पर मुतालिबा अधिकारियों की तलब से या असंतुष्ट दावों से अधिक होता था। किन्तु औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में परिस्थितियाँ बदल गयीं, अधिकारियों को दीर्घकालीन जागीरें नहीं प्राप्त होती थीं, इसलिए उनके दावे संचित होते रहते थे। अब चूंकि अमीरों की रकम प्रायः बकाया रहने लगी प्रशासन की नीति बदल गयी और वित्तीय विभाग से अमीरों के लिए मुसाहिबा अथवा हिसाब किताब का निपटारा करना साधारणतः दुष्कर कार्य हो गया। मासूरी के अनुसार यदि अथक परिश्रम द्वारा किसी हिमायती को अपने पक्ष में ले लेने एवं एक प्रवीन एवं योग्य प्रतिनिधि (वकील) को अपने कार्य में लगाने तथा 7 या 8 महीनों की दौड़धूप करने व अत्यधिक धन व्यय करने के पश्चात् कोई अधिकारी अपने दावे (तलब) साबित करने में सफल भी हो गया तो अत्यधिक परिश्रम के उपरान्त उसे उस धन का केवल एक चौथाई भाग ही मिल पाता था। अन्त में धीरे धीरे सारी व्यवस्था ही लुप्त हो गयी।[74]

संक्षेप में मारलण्ड ने निष्कर्षात्मक ढंग से साबित कर दिया है कि अकबर के समय से लेकर शाहजहाँ और औरंगजेब के समय तक सवारों को जो वेतन दिया जा सकता था उसे धीरे धीरे घटा दिया गया। तथापि इस कटौती से अमीरों की आय पर प्रत्यक्ष रूप से विशेष प्रभाव न पड़ा क्योंकि उनके सैनिक उत्तरदायित्व भी कम कर दिये गये। दूसरी ओर शाहजहाँ के काल में मासिक अनुमाप लागू कर दिये जाने के कारण अमीरों के वेतनमान पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा क्योंकि इसके कारण भर्ती किये गये सवारों को दिया जाने वाला

वेतन ही नहीं घटा वरन जात पद के अन्तर्गत अमीरों को भुगतान किये जाने वाला व्यक्तिगत वेतन भी कम हो गया। यह धारणा कि मासिक अनुमाप केवल सवार[75] पद पर ही लागू होता था, पूर्व उल्लेखित साक्ष्य के अनुसार असंगत मालूम होती है। चूंकि औरंगजेब के समय में यह एक आम बात हो गयी थी कि छमाही मासिक अनुमाप से अधिक की जागीरें प्रदान न की जायें, इस प्रकार वेतनों में अत्यधिक कटौती हो गयी थी। कुछ सीमा तक इसका प्रतिसन्तुलन, जैसा कि आगे स्पष्ट किया जायेगा, अमीरों द्वारा सवारों और घोड़ों का रखने से सम्बन्धित उत्तरदायित्व में बहुत बुरी तरह कमी करके किया गया। इसके अतिरिक्त शाहजहाँ के समय से लेकर आगे तक विभिन्न मदों के अन्तर्गत बहुत बड़ी कटौतियाँ भी की गयी। अतएव, ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में, अमीरों की मूल आय में निश्चित ही कमी आयी, परन्तु इस कमी की सीमा के बारे में कोई सुनिश्चित धारणा बना सकना कठिन होगा।

मनसबदारों के सैनिक उत्तरदायित्व

जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं दो पदों (जात व सवार) की व्यवस्था का प्रादुर्भाव अकबर के शासनकाल के द्वितीय चरण में हुआ। सम्भवतः, इसका उद्देश्य प्रत्येक मनसबदार को इस बात के लिए बाध्य करना था कि वह निर्धारित की गयी संख्या में घोड़े व घुड़सवारों को शाही सेवा के लिए वास्तव में रखेगा। किन्तु अमीरों में भ्रष्टाचार इतना अधिक फैला हुआ था कि केवल कागजी आदेश ही उसे दूर नहीं कर सकता था। इसलिए, सैनिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण न करने के सभी बहानों को रोकने के लिए अकबर ने घोड़ों के लिए दाग' (निशान) और आदमियों के लिए 'चेहरा (हुलिया) प्रचलित किया।[76]

अबुल फजल ने जो विवरण दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर के शासनकाल में मनसबदार से यह आशा की जाती थी कि वह अपने सवार पद की संख्या के अनुसार आदमियों को हाजिरी के लिए लायगा और किसी प्रकार की कमी पर उसे दण्ड दिया जाता था। एक रोचक और विचारणीय प्रश्न है—क्या मनसबदारों को अपने सवार पदों के बराबर जो संख्या लानी पड़ती थी वह अश्वारोहियों की थी या घोड़ों की? हम मालूम है कि अकबर द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार प्रत्येक सैनिक टुकड़ी में घोड़ों की संख्या अश्वारोहियों की संख्या से दुगनी होनी चाहिए थी। इस प्रकार एक आदमी जिसका सवार पद 100 था, उसे या तो 100 आदमी और 200 घोड़े या 50 आदमी और 100 घोड़े रखना पड़ते थे।[77] चूंकि शाहजहाँ के समय में एक बटा तीन के नियम के अन्तर्गत, उसको 33 आदमी और 66 घोड़े लाने पड़ते थे और इस प्रकार 100 तथा 33 के मध्य अन्तर अत्यधिक है, अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि

अकबर के समय में 100 के सवार पद के लिए 50 आदमी और 100 घोड़े रखना अपेक्षित था। किन्तु इस विषय में यह धारणा मुख्यतः अनुमान मात्र ही है।[78]

ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँगीर के समय में मनसबदारों द्वारा रखी जाने वाली सैनिक टुकड़ियों पर नियन्त्रण ढीला हो गया किन्तु इसके लिए भी कोई निश्चयात्मक सबूत नहीं है।[79] जब शाहजहाँ सिंहासन पर बैठा तो उसने सम्पूर्ण मनसबदारी प्रथा को स्पष्टतः नये आधार पर पुनः संगठित कर लिया। अकबर के नियमों एवं अधिनियमों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया। साथ ही उसने अमीरों द्वारा रखी जाने वाली सैनिक टुकड़ियों की वास्तविक स्थिति को औपचारिक स्तर प्रदान किया। लाहौरी के बादशाहनामा में एक उद्धरण से मनसबदारी प्रथा के मुख्य तत्व विशेषकर दाग से सम्बन्धित स्पष्ट होते हैं। लेखक के अनुसार साम्राज्य का यह कानून था कि उन मनसबदारों को जिनके पास हिन्दुस्तान के प्रान्तों में से किसी एक में जागीरें थीं और जो उसी प्रान्त में जहाँ उनकी जागीरें थीं तैनात हों अपने सवार पद के 1/3 भाग के बराबर की संख्या में अश्वारोहियों को हाजिरी के लिए लाना पड़ता था। किन्तु यदि वे उस प्रान्त से बाहर जहाँ उनकी जागीरें थीं तैनात हों तो उन्हें केवल 1/4 भाग और यदि बल्ख और बदख्शां में हों तो 1/5 भाग के बराबर की संख्या में अश्वारोहियों को हाजिरी के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था।[80] बाद में अंतिम नियम उन लोगों पर भी लागू कर दिया गया जो काबुल प्रान्त में तैनात थे।[81] ऐसा प्रतीत होता है कि नकदियों या मनसबदारों को जो नकद वेतन पाते थे, एक बटा पाँच के नियम के अनुसार अपनी सैनिक टुकड़ियों को हाजिरी के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था। शाहजहाँ के शासनकाल के 27वें वर्ष में जारी किये गये एक फरमान (या दस्तूर अल अमल) में इस बात का स्पष्टतः उल्लेख है।[8] इन नये नियमों की पुष्टि खुलासात उस सियक से भी होती है जिसकी रचना औरंगजेब के अंतिम वर्षों में हुई थी।[83]

जहाँ तक दो अस्पा सेह अस्पा मनसब पद वाले मनसबदारों का प्रश्न है लाहौरी इस बात को स्पष्ट कर देता है कि दो अस्पा सेह अस्पा पद वाले मनसबदार का उत्तरदायित्व साधारण (बारावर्दी) सवार पद के उत्तरदायित्व से बिलकुल दुगने थे। इस प्रकार जब एक बटा पाँच नियम के अन्तर्गत बारह मासिक अनुमाप के अनुसार एक 5 000 सवार पद वाले को 1,000 आदमी और 2 200 घोड़े रखने पड़ते थे तो 5 000 दो अस्पा-सेह अस्पा वाले को 2 000 आदमी और 4 400 घोड़े रखने पड़ते थे।[84]

लाहौरी ने आदमियों और घोड़ों की वास्तविक संख्या का उल्लेख किया है—अर्थात् सेह अस्पा, दो अस्पा, और यक अस्पा या 3 घोड़े, 2 घोड़े और 1

घोड़े वाले सैनिकों की संख्या जिन्हें प्रत्येक मासिक अनुमाप के अनुरूप 'एक बटा पांच नियम' के अनुसार हाजिरी के लिए अवश्य ही उपस्थित करना पड़ता था। उसके कथनों को सुविधा के लिए निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है—

महीने	सेह अस्पा (प्रत्येक व्यक्ति तीन घोड़ा के साथ)	दो अस्पा (प्रत्येक व्यक्ति दो घोड़ों के साथ)	यक अस्पा (प्रत्येक व्यक्ति एक घोड़े के साथ)	योग	
				आदमी	घोड़े
12	300	600	100	1 000	2,200
11	250	500	250	1 000	2 000
10	—	800	200	1 000	1,800
9	—	600	400	1 000	1 600
8	—	450	550	1 000	1 450
7	—	250	750	1,000	1,250
6	—	100	900	1 000	1 100
5	—	—	1 000	1 000	1 000[85]

तालिका में मासिक अनुमाप की प्रत्येक निम्न श्रेणी में घोड़ों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। प्रत्येक मासिक अनुपात के लिए उल्लिखित घोड़ों के अनुपात को देखकर यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि एक बटा तीन और एक बटा चार नियमों के लिए निर्धारित किये गये मान के अनुरूप हैं। उपरोक्त नियमों के अंतर्गत आदमियों और घोड़े रखने से सम्बन्धित तालिका बनाते समय अब्दुल अजीज ने केवल लाहौरी द्वारा 'एक बटा पांच नियम' के लिए दिये गये आंकड़ों को ही लेकर स्पष्टतः भूल की है।[86] वस्तुतः एक बटा तीन नियम के अन्तर्गत आवश्यकताओं से सम्बन्धित खुलासात उस सियक में दी गयी सूचना हमारे पास है। खुलासात उस सियक इस बात को भी साबित कर देता है कि बादशाहनामा में जो नये घोड़ों की सप्लाई की शर्तें दी हुई हैं वे न केवल शाहजहां के उत्तरी-पश्चिमी अभियानों के लिए ही लागू हुईं वरन् वे सभी स्थानों के लिए जहां मनसबदार एक बटा पांच नियम के अंतर्गत काम कर रहे थे, स्थायी रूप से लागू कर दी गयीं। इसका अर्थ यह हुआ कि शाहजहां ने जो व्यवस्था स्थापित की वह औरंगजेब के समय में जारी रही। खुलासात उस सियक में दी गयी तालिकाएं नीचे प्रस्तुत की गयी हैं। यह तालिकाएं यह मान कर चलती हैं कि उल्लेखित उत्तरदायित्व 100 सवार पद वाले मनसबदार के लिए हैं। बादशाहनामा में दी गयी तालिका

स इस ब्यौरे की तुलना करने के लिए हम यहां प्रत्येक संख्या को 50 से गुणा करना पड़ता है।

ख—100 सवार पद वाले मनसबदारों के लिए एक बटा पांच नियम'

माह	सह अस्पा	दो अस्पा	यक अस्पा	आदमी	घोड़े
12	6	12	2	20	44
11	5	10	5	20	40
10	—	15	5	20	35
9	—	12	8	20	32
8	—	11	9	20	31
7	—	5	15	20	25
6	—	2	18	20	22
5	—	—	20	20	20
4	—	—	16	16	16
3	—	—	12	12	12
2	—	—	8	8	8
1	—	—	4	4	4

ग—उन मनसबदारों के लिए, जो किसी प्रांत में तैनात हैं और उनकी जागीरें भी उसी प्रांत में हैं, भर्ती करने का एक बटा तीन नियम

माह	दो अस्पा	यक अस्पा	आदमी	घोड़े
12	22	12	34	56
11	17	17	34	51
10	12	22	34	46
9	8	26	34	42
8	3	31	34	37
7	1	33	34	35
6	—	34	34	34
5	—	24	24	24
4	—	18	18	18
3	—	14	14	14
2	—	11	11	11
1	—	9	9	9[37]

यह बात बहुत ही रोचक व ध्यान देने योग्य है कि कुछ बातों को छोड़कर खुलासात-उस सियक में 'एक बटा पांच नियम' के लिए दी गयी तालिका लाहौरी द्वारा उल्लेखित मान के अनुरूप है। अन्तर केवल यह है कि खुलासात उस सियक 1 महीने तक का विवरण देता है जबकि लाहौरी की तालिका पांचवें मासिक-अनुपात पर ही समाप्त हो जाती है।[89] कुछ भी हो, इसमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि औरंगजेब के समय में एक मासिक अनुपात या दो मासिक-अनुपात के आधार पर जागीरें प्रदान की जाती थीं। ऐसा कोई भी उदाहरण सामने नहीं आया है जहाँ तीन मासिक अनुपात के नीचे कोई जागीर प्रदान की गयी हो।

मनसबदारों की टुकड़ियों का निरीक्षण करने एवं उनके घोड़ों को दागने से सम्बन्धित अनेक विस्तृत अधिनियम विशेषकर जवाबित-ए आलमगीरी तथा खुलासात-उस सियक से हमें प्राप्त हुए हैं।[89] 'नक्दी मनसबदारों' (नकद वेतन पाने वाले) को दाग़न वाले अधिकारियों से वर्ष में दो बार एक नवीनीकरण पत्र (तसीहा) उपलब्ध करना पड़ता था। यदि कोई मनसबदार छह महीने के अन्दर नवीनीकरण-पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता तो उसे दो महीने का समय और दिया जाता था। यदि फिर भी वह नवीनीकरण पत्र प्राप्त करने में असफल रहता तो आठ महीने से ऊपर का उसका वेतन रोक लिया जाता था।[90]

जहाँ तक वेतन का कुछ भाग नकद और कुछ जागीर के रूप में प्राप्त करने वाले मनसबदारों का प्रश्न है यदि उनके वेतन के आधे भाग से अधिक उन्हें जागीर के रूप में दिया जाता तो उन्हें जागीरदारों के लिए नियमों के अनुसार, दाग-सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ता था—अर्थात् उन्हें प्रत्येक वर्ष अपने घोड़ों को दागवाने के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था और विलम्ब की दशा में उन्हें छः माह का और समय दिया जाता था। अतिविलम्ब की दशा में उनका वेतन रोक लिया जाता था या जागीरदारों के लिए नियमों के अनुसार उनका वेतन समाप्त कर दिया जाता था। यदि मनसबदार को आधे से अधिक वेतन नक़द में दिया जाता तो उन पर नक़दियों के लिए निर्धारित नियम लागू होते थे। यदि वेतन का आधा भाग नक़द में और आधा भाग जागीर के रूप में किसी मनसबदार को दिया जाता तो विलम्ब की दशा में नक़दियों के लिए नियमों के अनुसार उसे और समय दिया जाता था।[91]

वाक़या-ए अजमेर से ज्ञात होता है कि औरंगज़ेब के शासनकाल के 23वें वर्ष में एक आदेश का एक प्रारूप जारी किया गया कि सभी नक़दी हर तीसरे महीने और सभी जागीरदार हर छठे महीने अपनी सैनिक टुकड़ियों को दागवाने के लिए प्रस्तुत करें।[92]

मारात-ए अहमदी (1652 ई०) में शाहजहाँ का एक फरमान है जिसमें

ये नियम किये गये हैं कि किस अनुपात में घोड़ों को दागने की आवश्यकता होगी या उनकी अपेक्षा की जायेगी। इस प्रकार 5 सवार पद के लिए 'एक बटा पांच नियम' के अन्तर्गत (1/4 घुड़सवारों का अतिरिक्त अनुपात छोड़ दिया गया) दगवाने के लिए एक ही घुड़सवार पर्याप्त समझा जाता था। दस सवार के पद की अवस्था में एक बटा चार नियम के अन्तर्गत 2½ घुड़सवार रखना पड़ता था किन्तु यह अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह या तो 3 या 2 घोड़े दगवाने के लिए लाये। यदि वह 3 सवार दगवाने के लिए लाता था तो उसके वेतन में आधे सवार पद के लिए रसद का खर्च जोड़ दिया जाता था परन्तु यदि वह दो सवार लाता था तो उसके वेतन में से 1/2 सवार तक के रसद के खर्च में कटौती कर दी जाती थी। पन्द्रह सवारों के पद की अवस्था में उसे केवल 4 घोड़े दगवाने के लिए लाने पड़ते थे। जमींदारों को अपने सवार पद की संख्या के आधे सवार दगवाने के लिए लाने पड़ते थे। हाज़िरी के लिए लाये जाने वाले घोड़ों की नस्ल पर भी सतर्कतापूर्वक नियन्त्रण होता था। पूर्वोल्लिखित फरमान के अनुसार दक्खन, अहमदाबाद, बंगाल और उड़ीसा के प्रान्तों को छोड़कर किसी भी प्रान्त में ताजी घोड़ों को नहीं दागा जा सकता था।[93]

तथापि ख़ुलासात उस सियक के अनुसार जिन मनसबदारों को नकद वेतन मिलता था उन्हें केवल तुर्की घोड़े ही दाग के लिए लाने पड़ते थे और जागीरदारों को निर्धारित संख्या के एक तिहाई भाग की पूर्ति तुर्की और याबू घोड़ों से करनी पड़ती थी।[94]

जात पद के अन्तर्गत अपेक्षित जानवरों के समूह का निरीक्षण करने के लिए भी दाग प्रथा लागू की गयी थी।[95] 5 000 जात और उसके ऊपर के मनसबदारों के लिए दाग का यह नियम लागू नहीं होता था किन्तु इस पद के नीचे के सभी मनसबदारों को इस नियम का पालन करना पड़ता था।[96] औरंगजेब ने 25वें राजकीय वर्ष में एक आदेश इस आशय का जारी किया कि 5 000 जात पद तक के दक्खन में कार्यरत सभी मनसबदार अपने घोड़ों को (जात पद के अनुसार निर्धारित संख्या में) दगवाने के लिए लायें।[97]

जो मनसबदार निर्धारित संख्या में सैनिकों को नहीं रखते थे उनके प्रति कठोर रुख अपनाया जाता था। उदाहरणार्थ एक अवसर पर औरंगजेब को यह यह सूचना दी गयी कि सआदत खाँ के अन्तर्गत सौ बन्दूकचियों को नियुक्त किया गया था किन्तु निरीक्षण करते समय केवल 65 उपस्थित थे और शेष 35 बाद में आये। सम्राट ने आदेश दिया कि उसे उपस्थिति प्रमाण पत्र न दिया जाये।[98] जिस मनसबदार के सैनिक निर्धारित संख्या से कम हुआ करते थे उसकी पदावनति करके या उस पर जुर्माना करके दण्डित किया जाता था और प्रायः उसकी जागीर घटा दी जाती थी।[99]

इसके विपरीत विशेष परिस्थितियों में सम्राट किसी भी मनसबदार के निर्धारित सवारों को घटा भी सकता था। उदाहरणार्थ, 38वें राजकीय वर्ष मे औरंगजेब ने हमीद खां की सैनिक टुकड़ी को 1/4 से घटा कर 1/5 कर दिया।[100] 1685 ई० मे जब फिरोज जंग बहादुर को इस आशय का आदेश दिया गया कि वह रसद और एक बड़ी सेना को साथ लेकर बीजापुर मे शहजादा आजम की मदद करे, तो सम्राट ने दरबार में तैनात 100 से 400 तक के मनसबदारों को 'एक बटा तीन नियम' के अन्तर्गत दाग सम्बन्धी नियमों के पालन करने से मुक्त कर दिया ताकि शाही अधिकारी उनके घोड़ों को खरीद कर शहजादे के रिसाले को परिपूर्ण कर दें।[101] कभी कभी सम्राट ऐसे मनसबदार को जिसकी प्रतिबन्धित पदोन्नति की गयी हो प्रतिबन्धित पदोन्नति की सीमा तक ही दाग के लिए छूट दे दिया करता था।[10] कुछ उदाहरणों में सम्राट सीमित काल के लिए मनसबदार को दाग से छूट दे दिया करता था—जैसे, 38वें राजकीय वर्ष मे औरंगजेब ने शाहजहानाबाद के कोतवाल और फौजदार काजी खां को दाग से छूट दे दी थी।[103] औरंगजेब के आठवें राजकीय वर्ष में जब मीर अजीज ने हज जाना चाहा तो हज से वापस लौटने तक उसको दाग से मुक्त कर दिया गया।[104]

भर्ती एवं पदोन्नति

सैद्धान्तिक रूप से सभी मनसबदारों की नियुक्ति प्रत्यक्षतः सम्राट द्वारा होती थी और, जहां तक सम्भव हो सकता था पदाभिलाषियों को मनसबदारों के रूप में नामांकित होने के लिए स्वयं उसके सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था। शहंशाह की आँखें प्रत्येक व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों को पहचान करने के लिए अत्यन्त पनी एवं पारखी समझी जाती थी। अबुल फजल के अनुसार, "सम्राट पहली ही दृष्टि में कुछ व्यक्तियों को देख लेता है और उनको उच्च पद प्रदान करता है।[10] बख्शी की यह जिम्मेवारी होती थी कि वह नौकरी के लिए सम्राट के सामने उपस्थित हुए सभी अभ्यर्थियों—ईरानी, तूरानी, रूमी, फिरंगी, हिन्दी और कश्मीरियों को प्रस्तुत करे।[106]

तथापि, भर्ती करने का एक अन्य ढंग यह भी था कि साम्राज्य के प्रमुख अमीर, विशेषकर प्रान्तों के गवर्नर एवं सैनिक अभियानों के नेता की नियुक्ति के लिए सम्राट से व्यक्तियों की सिफारिश किया करते थे। आमतौर पर उनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती थीं और जिन व्यक्तियों की वे सिफारिश करते थे उन्हें मनसब प्रदान कर दिए जाते थे।[107] कभी-कभी, जिन व्यक्तियों को अमीरों की सिफारिश पर निम्न श्रेणी के मनसब प्रदान किए जाते थे उन्हें निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने को सम्राट आदेश देता था और उसके बाद उन्हें

मनसब प्रदान किये जाते थे।[108] शाही परिवार के शहजादे भी सम्राट से व्यक्तियों की नियुक्तियों के लिए सिफारिश किया करते थे और अधिकांशत उनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती थी।[109]

सम्राट के समक्ष एक बार सिफारिश प्रस्तुत करने और उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति आदेश तयार करने के लिए सुपरिष्कृत कार्य विधि का अनुसरण किया जाता था। शाही स्वीकृति दीवान, बख्शी और 'साहिब ए तौजीह' (सैनिक लेखपाल) के पास निरीक्षण के लिए भेजी जाती थी। इन शाही अधिकारियों के हाथों से गुजरने के बाद अर्जी पुन सम्राट के पास भेज दी जाती थी और सम्राट द्वारा द्वितीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर नियुक्ति आदेश (फरमान) तयार किया जाता था तथा वजीर की मुहर के अन्त गत जारी होने से पूर्व उस पर विभिन्न अधिकारियों, विशेषकर दीवान तथा बख्शी की मुहर की आवश्यकता पड़ती थी।[110]

मनसब के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को जमानत (जामिन) देनी पड़ती थी, तथा इस नियम को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाता था। मनूची के अनुसार 'सभी उच्च व निम्न सैनिकों, सेनानायकों और कर्मचारियों को जमानत देने के लिए बाध्य किया जाता है और बिना इसके उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती। यह प्रथा इतनी सामान्य एव आम है कि शहजादे तक इस परम्परा का पालन करना आवश्यक समझते हैं।[111] ऐसा प्रतीत होता है कि वरिष्ठ पेशावर महाजनों और साहूकारों को भी प्रशासन जमानत के रूप में स्वीकार कर लेता था।[112] मनसबदार के व्यवहार के लिए उन व्यक्तियों को जो जमानत लिया करते थे उत्तरदायी ठहराया जाता था और यदि कोई मनसबदार प्रशासन के किसी भी अग्रिम को पूर्ण करने में असफल रहता तो उसी को पूरा करना पड़ता था।[113] इस प्रकार जमानतों का प्राप्त करना बहुत ही कठिन था, और वस्तुत उन्हें खरीदा जाता था। जब औरंगजेब ने दक्खनियों को इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया तो इसे उनके प्रति बड़ी रियायत समझी गयी थी।[114]

पदोन्नति करने की कार्यविधि उसी भाँति थी जैसी कि प्रथम मनसब प्रदान करने की। आमतौर पर पदोन्नति के लिए सिफारिश (या तजवीज) के शाह जादे सेनानायक या सूबेदार ही किया करते थे जिनके अन्तर्गत मनसबदार कार्य कर रहा हो।[115] सम्राट के लिए सामान्य परम्परा यह थी कि वह उत्सवों के अवसर पर[116] राजकीय वर्ष के प्रारम्भ में और अपने जन्मोत्सव पर[117] मनसबों में वृद्धि करे। किन्तु अन्य अवसरों पर भी जैसे कि सैनिक अभियान के प्रारम्भ में या अन्त में पदोन्नतियाँ की जाती थी।[118]

पदोन्नतियाँ विभिन्न कारणों से होती थी। सैनिक सेवा में वीरता और

नाम	पद	पूर्व-मनसब (यदि मालूम हैं)	पदोन्नति	स्रोत
1 शाहनवाज़ खां	गुजरात का सूबेदार	5,000/5,000	1,000/1,000 2 3 अस्पा	आलमगीरनामा, पृ० 210।
2 फिदाई खां	अवध तथा गोरखपुर का फौजदार	4 000/2,000	1,500 सवार	आदाब ए-आलमगीरी, प० 260 अ।
3 अमीर खाँ	काबुल का सूबेदार	4 000/4,000	1,000/1 000 2 3 अस्पा	आलमगीरनामा, पृ० 661।
4 शाहमात खां	गज़नी का फौजदार	3,000/1,000	1,000 सवार	आदाब ए-आलमगीरी, प० 286 ब।
5 अरब खां	बहराइच का फौजदार	3 000/700	800 सवार	आदाब ए आलमगीरी, प० 279 ब।
6 मुहम्मद बेग	मियान दो आब का फौजदार	1 000/600	500/100	आदाब ए आलमगीरी, प० 241।
7 नामगार खां	सिकन्दरपुर का फौजदार	1 000/400	500/300	आदाब ए आलमगीरी, प० 280 अ।
8 महमूद	एक महाल का फौजदार	1 000/200	800 सवार	मीरात अल आलम, प० 160 अ 160 ब।
9 तरबियात खां	उड़ीसा का फौजदार	—	4 000/3,000 (500×3 2 अस्पा)	मीरात अल आलम, प० 208 अ।
10 इकराम खाँ	अकबराबाद शहर के इर्द गिर्द का फौजदार	—	1 000 सवार	आदाब ए आलमगीरी, प० 280 ब।
11 जबरदस्त खाँ	होशगाबाद का फौजदार	—	1 000/1 000 (2 3 अस्पा)	मीरात अल आलम प० 360 अ 360 ब।

योग्यता का विशेष महत्त्व होता था,[119] दूसरी ओर उन अमीरों की भी पदोन्नति की जाती थी जो उत्तम उपहार तथा पेशकश प्रस्तुत करते थे।[120] सामान्यतः पदोन्नति, हालाँकि निरपवाद रूप से नहीं उसी समय की जाती थी जब यह देख लिया जाता था कि प्रमुख अधिकारी वास्तव में उच्च पद के लिए योग्य है। किन्तु प्राय हम यह भी देखते हैं कि उच्च पदों पर नियुक्तियों के समय मनसबदारों के पदों में भी साथ साथ वृद्धि कर दी जाती थी। इस प्रकार की ऐसी पदोन्नतियों की सूची पिछले पृष्ठ पर दी गयी है जहाँ व्यक्तिगत मनसब में मौलिक वृद्धि की गयी हो (और मशरूत नहीं अर्थात् जब मनसबदार का उच्च पद से स्थानान्तरण हो तो उसे वह मनसब छोड़ना पड़े)। किन्तु उच्च पदों पर कुछ ऐसी नियुक्तियों के भी उदाहरण हैं जहाँ उसके अनुसार मनसब में वृद्धि नहीं की गयी। आमतौर पर मनसब में वृद्धि मौजूदा मनसब के अनुपात में ही हुआ करती थी मूल मनसब की अपेक्षा मनसब में अत्यधिक वृद्धि का किया जाना अपवाद था। साधारणतः मूल मनसब में 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मनसब की वृद्धि नहीं की जाती थी जैसा कि अपने ऐतिहासिक ग्रन्थों में उल्लेखित पदोन्नतियों पर दृष्टि डालने से स्पष्टतः पता चलता है। तदनुसार औरंगजेब द्वारा खान ए जहान बहादुर जफर जंग का 700 जात से 5000 की आकस्मिक पदोन्नति पर मआसीर उल-उमरा का रचयिता आश्चर्य प्रकट करता है।[121] 7000/7000 (2 3 अस्पा) के ऊपर के भी मनसब शाही परिवार के शाहजादों के लिए सुरक्षित थे।[122]

राजसात

अमीरों के वेतन एवं सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई भी विवरण उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि इस बात पर विचार न कर लिया जाय कि जो सम्पत्ति उन्होंने अपने सेवा काल में संचित की वह कहाँ तक सुरक्षित थी तथा क्या वे उसे अपने उत्तराधिकारियों के हाथों में सौंप सकते थे। विशिष्ट अभियोगों या त्रुटियों के उदाहरणों को छोड़कर, साधारणतः मुगल अमीर अपने जीवनकाल में इस सम्बन्ध में सुरक्षा का अनुभव करते थे। विवादग्रस्त विषय तो यह है कि क्या एक अमीर सकुशल अपनी सम्पत्ति को अपने वैध उत्तराधिकारियों को सौंप सकता था? इस सम्बन्ध में कुछ साक्ष्य हैं कि सम्राट् अपने सभी दिवंगत अधिकारियों की सम्पत्ति पर अधिकार रखने का दावा करता था।

मुसलमानों के निरंकुश शासन के इतिहास के प्रारम्भिक समय में राजा का अधिकार अपने अधिकारियों द्वारा संचित की गयी पूँजी एवं उनकी सम्पत्ति पर रहा है। दास प्रथा के लागू किये जाने से अब्बासी खलीफाओं को अपने

अधिकारियों की सम्पत्ति पर दावा करने का वैधानिक बहाना (अर्थात 'शरियत के अनुसार) मिल गया। इस्लामी कानून के अन्तर्गत, एक दास द्वारा प्राप्त की गयी सम्पत्ति उसके जीवन एवं मृत्योपरान्त दोनों ही अवस्थाओं में सदैव उसके स्वामी की ही हुआ करती थी, जबकि एक स्वतन्त्र व्यक्ति की सम्पत्ति उसके पुत्रों या उसके निकटतम सम्बन्धियों को मिलती थी।[123] दिल्ली के सुलतानों के पास भी अत्यधिक संख्या में दास अधिकारी हुआ करते थे। फिरोज तुगलक जैसे एक सुल्तान ने भी, जो इस्लामी कानून से समानरूपता बनाये रखने के लिए चिन्तित रहता था, अपने एक अधिकारी की सम्पत्ति को इस आधार पर जब्त करना न्यायोचित ठहराया कि वह उसका दास्यमुक्त किया हुआ दास था।[1 4]

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय मुगलों ने दास अधिकारियों में से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सेवा में न लेने के मामले में दिल्ली के सुल्तानों का अनुसरण किया किन्तु फिर भी उन्होंने अपने 'स्वतन्त्र' अधिकारियों की सम्पत्ति पर वैसा ही दावा किया है जैसा कि वे इस्लामी कानून के अन्तर्गत दासों की सम्पत्ति पर कर सकते थे। उत्तराधिकार के सम्बन्ध में सम्राट के इस अधिकार का निरूपण आईन-ए अकबरी में नहीं किया गया, किन्तु अकबर के समय से अनेक यूरोपीय यात्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया है।[125] सम्भवतः सबसे पहले इस सम्बन्ध में मदम पत्रों में मिलता है जिनमें हमें बताया गया है कि "इस मुगल सम्राट की यह परम्परा है कि वह अपने अमीरों के परलोक सिधारने पर उनकी सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले ले, और उसमें से जितना वह चाहे उसके पुत्रों को दे दे किन्तु साधारणतः वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तथा उसके ज्येष्ठ पुत्र के लिए उसके हृदय में अत्यधिक आदर होता है, जो समयानुकूल अपने पिता की पूर्ण उपाधि प्राप्त कर लेता है।'[126]

जो कुछ भी यहाँ तथा अन्य यूरोपीय विवरणों में स्पष्टतः लिखा हुआ है कि वास्तव में पहले सम्राट अमीर की सम्पूर्ण सम्पत्ति को अपने हाथों में ले लेता था, तदुपरान्त जिस भाँति वह चाहता था उसका निबटारा करता था। उसमें से कुछ भाग वह अपने लिए ले लेता था और दिवंगत अमीर के उत्तराधिकारियों को किस अनुपात में शेष सम्पत्ति मिलेगी उसका निर्धारण स्वयं करके उनके लिए छोड़ देता था। उपरोक्त तथ्य विदेशियों की मनगढ़न्त बातें नहीं थी बल्कि इसके उदाहरण, अकबर व शाहजहाँ के काल से सम्बन्धित, विद्यमान हैं।

1575 ई० में जब मुनीम खाँ की मृत्यु हुई तो उसकी सम्पूर्ण पूँजी एवं सम्पत्ति राजसात कर ली गयी, इसके लिए 'जब्त' शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सत्य है कि वह कोई भी उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं मरा। (उसके एक ही जीवित पुत्र था जिसे उसने धनमीकृत कर दिया था) और इस प्रकार केवल राज्य ही उसका वारिस हो सकता है।[1] तथापि, जब अबुल फज़ल,

जिसके अनेक पुत्र थे, का वध हुआ तो उसकी सम्पूर्ण चल सम्पत्ति सम्राट के सम्मुख रखी गयी और यह उल्लेखित है कि उसके परिवार के प्रति कृपा प्रदर्शित करते हुए सम्राट ने उसकी सम्पत्ति को राजसात या जब्त करने से मना कर दिया।[128] शाहजहां ने 1657 में अलीमर्दान खाँ की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की सम्भवतः वह औरंगजेब के सिंहासनारोहण के पूर्व की वास्तविक स्थिति का सबसे उत्तम उदाहरण है।

दिवंगत की सम्पूर्ण सम्पत्ति, माल और नकद के रूप में एक करोड़ रुपया अधिकृत कर लिया गया था (बकायद ए-जब्त दर आमद)। मुक्तहस्त उदारता से सम्राट ने 30 लाख इब्राहीम खां को और 20 लाख उसके शेष अन्य तीन पुत्रों और दस पुत्रियों को दे दिया जबकि 50 लाख रुपया बकाया 'मुतालिबा' के रूप में शाही राजकोष में जमा कर दिया गया।[129]

यहां सबसे रोचक बात तो यह है कि शाही अधिकार केवल मुतालिबा अर्थात् दिवंगत अमीर द्वारा शाही राजकोष से उधार ली हुई धनराशि वसूल करने तक ही सीमित न था, वरन उत्तराधिकार सम्बन्धी इस्लामी कानून की पूर्ण उपेक्षा करते हुए उसकी सम्पूर्ण विरासत का निपटारा करने तक विस्तृत था। कानून में सभी भाइयों का समान भाग और बहनों को भाइयों के भाग का आधा देने की व्यवस्था थी लेकिन उपरोक्त उदाहरण में एक पुत्र को (ज्येष्ठ पुत्र नहीं) 30 लाख मिला जबकि 3 पुत्रों और 10 पुत्रियों को 20 लाख में ही सन्तुष्ट रहना पड़ा।[130] एक हिन्दू अमीर राजा बिठ्ठलदास के उदाहरण में, शाहजहां ने उसी प्रकार हिन्दू कानून की उपेक्षा करते हुए उसकी विरासत के मामले को निपटाने के लिए अपने अधिकार पर बल दिया। राजा द्वारा छोड़े गये दस लाख रुपयों में से 6 लाख उसके ज्येष्ठ पुत्र को तथा अन्य तीन पुत्रों को क्रमशः 3 लाख 60 हजार और 40 हजार रुपए मिले।[131]

इस प्रकार व्यवहार में सम्राट ने किसी अमीर की सम्पूर्ण सम्पत्ति जब्त नहीं की उसने केवल अपना मुतालिबा और यदि चाहा तो उससे अधिक कुछ और ले लिया। किन्तु सद्धान्तिक रूप में केवल वह ही विरासत का एकमात्र उत्तराधिकारी था तथा जब वह दिवंगत अमीर के परिवार के सदस्यों को विरासत सौंपता था तो बँटवारा करते समय अपनी ही इच्छा का अनुसरण करता था। काजियों को हस्तक्षेप करने का अधिकार न था।

दो समकालीन इतिहासकारों के अनुसार इस व्यवस्था में औरंगजेब ने गहन परिवर्तन किया। इन इतिहासकारों ने उन अमीरों की जिन्हें शाही कोष में कोई बकाया रकम का भुगतान नहीं करना था सम्पत्ति को अन्यायपूर्ण पुराने ढंग से अधिकार में लिये जाने की भर्त्सना की है और लिखा है कि औरंगजेब ने मुतालिबा पर दावा करने के अलावा अपने अमीरों की सम्पत्ति पर सभी दावों को

न उसके उत्तराधिकारियों को उसकी सम्पत्ति जिसे राजसात नहीं किया गया था, अधिकृत करने की अनुमति प्रदान कर दी। खान के केवल हाथी व घोड़े आदि ही ले लिए गये जिन्हें दरबार में भेज दिया गया।[138] 1702 ई० में नाएब ए मीर सामान फाजिल खाँ ने सम्राट को बताया कि लुतुफुल्लाह खाँ नामक एक दिवंगत अधिकारी के जिसके ऊपर राज्य का एक लाख सत्रह हजार रुपया बकाया था उत्तराधिकारियों को उसकी विरासत अधिकृत करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी थी। सम्राट ने आदेश दिया कि उक्त खान के हाथी और घोड़े जब्त कर लिए जायें किन्तु शेष सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों के पास ही रहने दी गयी।[139]

कुछ भी हो, उपर्युक्त उदाहरण पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं करते जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि औरंगजेब ने वास्तव में राजसात की पुरानी प्रथा को मूलरूप से परिवर्तित किया। इस सम्बन्ध में बर्नियर के कथनों को भी हम अस्वीकृत कर सकते हैं क्योंकि वे औरंगजेब के प्रथम आदेश (1666 ई०) से पूर्व के काल से सम्बन्धित हैं और इस प्रकार उसके द्वारा किये गये सुधार से पूर्व प्रचलित व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। इसके बावजूद मनूची, जिसने औरंगजेब के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में लिखा स्पष्टतः कहता है—

'वह (औरंगजेब) अपने सेनानायकों अधिकारियों एवं अन्य सेवकों की मृत्यु होते ही **इस घोषणा के पश्चात भी कि मृतक व्यक्तियों की सम्पत्ति अथवा माल पर वह कोई दावा न करेगा,** उनकी प्रत्येक वस्तु को छीन लेता है। तथापि इस बहाने कि वे उसके ही अधिकारी हैं और राज्य के प्रति ऋणी हैं वह प्रत्येक वस्तु को अधिकृत कर लेता है। यदि उनकी विधवाएँ हों तो वह उन्हें प्रतिवर्ष थोड़ा सा धन और भूमि उनकी जीविकोपार्जन के लिए प्रदान कर देता है।'[140]

रेखांकित शब्द यह प्रदर्शित करते हैं कि मनूची को औरंगजेब द्वारा 1666 तथा 1691 में जारी किये गये उन आदेशों के सम्बन्ध में जानकारी थी जिनकी सम्भवतः उसके दरबारियों ने इन आदेशों के रचयिता की भूरि भूरि प्रशंसा की। मनूची के अनुसार इन आदेशों का प्रायः उल्लंघन होता रहता था और सम्राट निरन्तर अपने अधिकारों का जिनका उसने सरेआम परित्याग कर दिया था, प्रयोग करते हुए अपने अधिकारियों की सम्पत्ति पर दावा करता रहा।

मनूची पूर्णतः गलत नहीं है इसकी पुष्टि अनेक उन वास्तविक उदाहरणों से होती है जहाँ वास्तव में राजसात के अधिकार का दावा किया गया।

जब 1694 ई० में गुजरात सूबे के नाजिम मुख्तार खाँ की मृत्यु हुई तो वहाँ के दीवान मुहम्मद ताहिर तथा अन्य अधिकारियों ने उसकी सम्पत्ति राजसात कर ली।[141] 1682 ई० में जब मुहम्मद अमीन खाँ की मृत्यु हुई मुहम्मद लतीफ दीवान तथा गुजरात प्रान्त के अन्य अधिकारियों ने उसकी सम्पूर्ण चल एवं

अचल सम्पत्ति यहाँ तक कि उनके जानवरों को भी, राजसात कर लिया।[11] काबुल के सूबेदार अमीर खाँ की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने असद खाँ को आदेश दिया कि वह लाहौर के दीवान को इस आशय का पत्र लिखे कि वह बहुत ही सतर्कतापूर्वक एवं उद्यम से उसकी सम्पत्ति इस प्रकार राजसात करे जिससे कि कोई भी वस्तु उनके हाथों से बचकर न निकल पाये। उनसे यह भी कहा गया कि वह अन्य सूत्रों से भी सूचना प्राप्त कर ले तथा अमीर खाँ की प्रत्येक वस्तु को चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो, अपने कब्जे में कर ले।[113] 1678 ई० में जसवन्तसिंह की मृत्यु हुई और औरंगजेब ने आदेश दिया कि उसका सम्पूर्ण खजाना और धन जब्त कर लिया जाय।[114] कुछ भी हो, जसवन्त सिंह के सम्बन्ध में तो यह मालूम ही था कि उसके नाम पर राज्य का धन बकाया था।[115] इस प्रकार हम ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जहाँ मृतक अमीरों की सम्पत्ति शहंशाह ने जब्त कर ली। ऐसे उदाहरणों की एक लम्बी सूची भी बन सकती है किन्तु इन सभी उदाहरणों में यह स्पष्ट नहीं है कि सम्पत्ति का जब्त किया जाना मुतालिब को वसूल करने के लिए था या राजसात के अधिकार को लागू करने के लिए।[116]

इस साक्ष्य के आधार पर हम औरंगजेब के प्रशंसकों का साथ देने से इनकार कर सकते हैं जिनके अनुसार वह एक सुधारक था तथा जिसने अमीर-वर्ग को राजसात प्रणाली रूपी जुए से मुक्त कर दिया। हम देख चुके हैं कि वास्तव में यह जुआ औरंगजेब से पूर्व भी हल्का था। व्यावहारिक रूप में इसका अर्थ केवल यह था—(1) कि दिवंगत अधिकारी की सम्पत्ति पर सबसे पहले राज्य की बकाया रकम का अधिकार होना चाहिए, (2) कि उसकी शेष सम्पत्ति का निपटारा करते समय सम्राट की न कि शरियत की, आवाज निर्णयात्मक होनी चाहिए। 1666 तथा 1691 ई० के दो अधिकारों में से पहले की पुष्टि कर दी, किन्तु सिद्धान्ततः दूसरे अधिकार का परित्याग कर दिया। फिर भी व्यावहारिक रूप में जैसा कि हम देख चुके हैं औरंगजेब ने जब चाहा इस अधिकार का प्रयोग किया। उसने जो दो आदेश जारी किये वे आरम्भ निराधार अध्यादेश थे, जिन्हें वह विशेष उदाहरणों में लागू कर भी सकता था और नहीं भी।

सम्पूर्ण मुगल राजसात प्रणाली के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए और उसे सभी बुराइयों का स्रोत मानते हुए भी कुछ यूरोपीय यात्रियों एवं आधुनिक लेखकों[117] के विचारों से सहमत होना कठिन है। उदाहरणार्थ बर्नियर ने उसकी भर्त्सना करते हुए उसे क्रूर परम्परा बतलाया है। उसने यह कहा है कि इसके कारण परिवारों के लिए अपने स्तर तथा सम्पत्ति को बनाये रखना अति कठिन हो गया था—सम्राट का उनकी सभी सम्पत्ति का वारिस हो जाने के कारण अब कोई भी परिवार अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बनाए रख सकता है और

अमीर की मृत्यु के पश्चात प्राय वह परिवार शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और उसके पुत्र या कम से कम उसके पौत्र साधारणत भिखारियों की स्थिति में पहुँचा दिये जाते हैं।[148] मोरलैण्ड ने सुझाव दिया है कि राजसात प्रणाली ने अमीरों के लिए अत्यधिक असुरक्षा उत्पन्न कर दी थी और यही कारण है कि अमीर अत्यधिक धन विलासिता पर व्यय किया करते थे और न तो बचत करते थे और न ही उसे किसी काम में लगाते थे।[149]

ये कथन इस बात की कल्पना कर लेते हैं कि व्यावहारिक रूप में सम्राट अपने अमीरों की सम्पत्ति पर अधिकार का प्रयोग करता था तथा उसे या तो पूर्णरूप से या उसके बड़े हिस्से को जब्त कर लेता था। यह सत्य से बहुत ही परे है। सभी अमीर खर्चीले नहीं हुआ करते थे उनमें से अनेकों ने बचत की तथा अत्यधिक पूंजी संचित की। वस्तुत, पलसरट को आश्चर्य हुआ कि राजसात प्रणाली के बावजूद अमीर निरन्तर धन संचित करते रहे और उन्हें विश्वास करना पड़ा कि उन्हें सम्पत्ति से मोह केवल उसी के कारण ही था।[150] वास्तव में प्रत्येक अमीर को यह विश्वास था कि उसकी सम्पत्ति मुतालिब के भुगतान के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में ही रहेगी हालांकि वह सम्पत्ति एक पुत्र को (साधारणत ज्येष्ठ पुत्र को ही किन्तु सम्भवत दूसरे पुत्र को जो उसका या सम्राट का कृपापात्र हो) अन्य पुत्रों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होगी। यही कारण था कि वे धन संचित किया करते थे। इस प्रकार राजसात की प्रणाली का महत्त्व आर्थिक होने की अपेक्षा सैद्धान्तिक एवं वैधानिक अधिक था।

संदर्भ

1 बरनी तारीख-ए फिरोजशाही (स०) शेख अब्दुर रशीद भाग I पृ 167 (बिब इण्डि (स०) पृ० 145)। बगरा खाँ द्वारा कैकुबाद को परामर्श। बुगरा खाँ साम्राज्य में 10 खान चाहता था किन्तु बरनी के हिसाब से इसका अर्थ 10 लाख सैनिकों की सेना—जो एक असंगत संख्या होगी।

2 शहाबुद्दीन अल उमरी मसालिक अल अबसार फी ममालिक अल अमसार (अनु) स्पाइस रशीद तथा हक पृ 28 अल-कलकशन्दी सुभ अल आशा उद्धरण ओ आटो स्पाइस द्वारा अनुवादित एन अरब एकाउन्ट आफ द फोर्टीन्थ सेन्चुरी पृ० 67।

3 पृ एच० ह्वायर हिस्ट्री आफ द मराठाज भाग I पृ 108 109।

4 उदाहरण के लिए देखिये—अब्दुल-अजीज द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी पृ० 16-25।

5 यह तब हो सकता था जब किसी परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य को उच्च मनसब दिया गया हो और उसके सम्बन्धियों को जो उसके साथ संलग्न कर दिये गये हों निम्न मनसब दिये गये हों। सम्बन्धियों के कुल मनसब ऐसी दशा में वरिष्ठ सदस्य के मनसब से कम आया करते थे। इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि वे मनसब यथावत पृथक ही थे तथा उन्हें पृथक सैनिक टुकड़ियाँ रखनी पड़ती थीं।

6 मोरलैण्ड, जे० आर० ए० एस० 1936 पृ० 647 अब्दुल अज़ीज़, द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुग़ल आर्मी प० 93।

7 बरनी पूर्वोल्लिखित।

8 बरनी तारीख़ए फ़िरोज़शाही (स) प्रो एम० ए० रशीद भाग I पृ० 48।

9 रुक (मनसब) इन द मुगल स्टेट सर्विस ज० आर ए० एस० 1936 प० 641 65। अकबर के अन्तर्गत मनसब लागू करने के लिए देखिये—ए ज कुमर प्रासीडिंग्ज आफ इन्डियन हिस्ट्री कांग्रेस देहली अधिवेशन 1961 प 155 56।

10 अबुल फ़ज़्ल के अनुसार इस निमित्त (उसे सहायता प्रदान करने के लिए) सम्राट ने मनसबदारों के पद (मनसब) दहबाशी (10 का सेनानायक) से लेकर दसहज़ारी (10 000 का सेनानायक) तक लागू कर दिये परन्तु 5 000 से ऊपर की श्रेणियाँ अपने सम्माननीय पुत्रों के लिए सुरक्षित रखीं मनसबदारों के मासिक अनुपात उनकी सैनिक टुकड़ियों (सवारों) के हिसाब से घटते-बढ़ते थे। जिस अधिकारी का सैनिक टुकड़ा (सवार) उसके मनसब की संख्या के बराबर हुआ करता था उसे प्रथम श्रेणी में रखा जाता था। यदि उसकी सैनिक टुकड़ी (सवार) की संख्या (उसके मनसब की) आधी या आधे से ऊपर होती थी तो उसे द्वितीय श्रेणी में रखा जाता था और तृतीय श्रेणी में उससे भी कम संख्या की टुकड़ी रखने वाले आते थे। —आईन ए अकबरी भाग I प० 123 124 (अनु०) ब्लोकमन स० फिलाट प० 248। 'अकबरनामा' के अनुसार यह वर्गीकरण सन् 1003 हि /1595 ई० में किया।

प्रत्येक जात पद के उप-वर्गीकरण करने का सिद्धान्त ख़ासात-उस मियर्ज़ में भी दिया गया है (प० 48 ब तथा मीरात अल-इस्तिलाह प 15 ■ 15 ब) मीरात अल-इस्तिलाह के अनुसार जिस मनसबदार का मनसब 500 के नीचे हुआ करता था उसे सवार पद नहीं दिया जाता था (प० 15 ब)। किन्तु सत्रहवीं शताब्दी में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जब सवार पद उन लोगों को भी दिये गये जिनके मनसब 500 जात से भी कम थे।

11 अब्दुल अज़ीज़ द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुग़ल आर्मी प 3।

12 अध्याय के अन्त में परिशिष्ट के अन्त में परिशिष्ट अ देखिये।

13 रावतमल झाला को बेना शाहज़ादा उर्फ़ प्रकाशगढ़ का क़िलेदार तथा फौजदार नियुक्त किया गया और उसे 200 सवारों का प्रतिबन्धित मनसब दिया गया था इसलिए उसका मनसब 700/900 हो गया (अख़बारात 4 मुहर्रम 45वाँ राज्य वर्ष)। करतलब खाँ दीवान तथा फ़ौजदार मख़सूमाबाद की अम्बाल तथा मदनीपुर का भी फौजदार नियुक्त किया गया और उसकी 500 सवारों की प्रतिबन्धित पदोन्नति की गयी इस प्रकार अन्त में उसका मनसब 900/1 000 हो गया (26 सफर 45वाँ राज्य वर्ष)। शुजाअत खाँ गुजरात के सूबेदार को जोधपुर का भी फौजदार नियुक्त किया गया और उसे 4 000 सवारों का प्रतिबन्धित मनसब प्रदान किया गया और इस प्रकार उसका मनसब अन्त में 5 000/8 000 हो गया (मासिर-उल उमरा भाग I पृ 317)।

■ यह तर्क किया जा सकता है कि जहाँ जात पद से सवार पद अधिक होता था ऐसा या तो प्रतिबन्धित या दो अस्पा-सेह अस्पा (2×3 अस्पा) के सम्मिलित होने के कारण होता था। इस प्रकार 1 000/1 200 का अर्थ 1 000/1 000 (200×2 3 अस्पा) हो सकता था। परन्तु, यह तर्क सुनिश्चित उदाहरण के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा

सकता। अख़बारात में साधारणतः मनसब-स्तर के दो अस्पा-सेह् अस्पा पद का उल्लेख पृथक् रूप से किया गया है।

15 रक़ायम-ए-करायम के अनुसार कुशल व्यक्तियों के न मिलने पर औरंगज़ेब खेद प्रकट करता है (पृ० 6 अ) निगारनामा पृ० 139 अ कलामात-ए-तयाबात पृ० 21 अ, [redacted] अ 97 ब 135 ब वाक़या-ए-अजमेर पृ० 645।

16 मीरात-उल-इस्तिलाह पृ 14 ब। परगना बटारी आदि में फ़ौजदारी के पद पर नियुक्त होने की अवधि के दौरान शार खाँ के पुत्र मज़फ़्फ़र को 400/400 का प्रतिबंधित मनसब प्रदान किया गया था (मीरात-ए-अहमदी भाग I पृ० 289-90)। दाद अन्दाज़ खाँ का प्रतिबंधित मनसब उस समय रद्द कर दिया गया जब उसका तबादला लोनार आदि की फ़ौजदारी से कर दिया गया (अख़बारात 23 सफ़र औरंगज़ेब के राज्यकाल का 36वाँ वर्ष)। शाह मनवर का प्रतिबंधित मनसब उस समय रद्द कर दिया जब उसका तबादला रामनगर की क़िलेदारी और फ़ौजदारी से कर दिया गया (2 शाबान 37वाँ राज्य वर्ष)। शुजाअत खाँ की प्रतिबंधित पदोन्नति रद्द कर दी गयी (मीरात-ए-अहमदी भाग I पृ० 317)। मुहम्मद बेग की प्रतिबंधित पदोन्नति रद्द कर दी गयी (अख़बारात 8 ज़िलहिज्जा 43वाँ राजकीय वर्ष)। औरंग [redacted] खाँ की प्रतिबंधित पदोन्नति उस समय रद्द कर दी गयी जब उसका तबादला धारवार की फ़ौजदारी से कर दिया गया (18 रजब 46वाँ राजकीय वर्ष)। अलीदाद खाँ की प्रतिबंधित पदोन्नति उस समय रद्द कर दी गयी जब उसका तबादला देव दुर्ग की क़िलेदारी से कर दिया गया (13 रबी उस-सानी—2 38 वाँ राजकीय वर्ष)।

17 सिलहट के फ़ौजदार हिम्मत यार का प्रतिबंधित सवार मनसब अप्रतिबंधित कर दिया गया (अख़बारात 16 ज़िलहिज्जा 38वाँ राजकीय वर्ष)। जब मुहम्मद सालेह को फ़तेहपुर सीकरी का फ़ौजदार नियुक्त किया गया तो उसके प्रतिबंधित मनसब के 300 सवार को अप्रतिबंधित कर दिया गया (28 ज़िलहिज्जा 45वाँ राजकीय वर्ष)। रावसमल झाला को परनाला का क़िलेदार तथा फ़ौजदार नियुक्त किया गया उसका 700/700 का मनसब था जिसमें से 300/200 तो अप्रतिबंधित थे और शेष प्रतिबंधित थे (4 मुहर्रम 45वाँ राजकीय वर्ष)। अ दाऊद खाँ के मनसब के 200 प्रतिबंधित सवार अप्रतिबंधित कर दिये गये (11 रमज़ान 45वाँ राजकीय वर्ष)।

18 तुज़ुक पृ 147 किन्तु महाबत खाँ अपने कर्तव्यों का पालन भली भाँति करने में असफल रहा इसलिए उसका अतिरिक्त दो अस्पा-सेह् अस्पा मनसब वापस ले लिया गया और जो वेतन उसके लिए उसे दिया जाता था उसे देना बन्द कर दिया गया (पृ 190)। फिर भी जहाँगीर के 19वें राजकीय वर्ष में महाबत खाँ को 7 000/7 000 (2 3 अस्पा) का मनसब प्रदान किया गया (तुज़ुक मिर्ज़ा हदी द्वारा पुनर्गठित पृ० 391)। जहाँगीर के राज्यकाल के अन्त में आसफ़ खाँ को 7 000/7 000 (2 3 अस्पा) का मनसब दिया गया था बादशाहनामा भाग I पृ 113।

19 लाहौरी बादशाहनामा खण्ड I पृ 292 312।

20 वही खण्ड II पृ 717 737।

21 वारिस बादशाहनामा ओरि 1675 पृ 200 अ 214 अ।

22. इस पुस्तक के अन्त में प्रस्तुत परिशिष्ट में दी गयी सूचना पर आधारित।

23 दारावर्दी शब्द के प्रयोग के लिए देखिये—सलेक्टेड डाक्यूमेंट्स आफ़ शाहजहान्स

रेन पृ० 138 141 159 160 208। लाहौरी खण्ड II पृ० 507 इस्म-ए-नवी सिन्दगी पृ 146 ब सेलेक्टेड डाक्यूमेंटस आफ औरंगजेब्स रेन पृ० 5 6 10 47 102 103 111 121। उद्धरित—मोरलैण्ड जे० आर० ए० एस०, 1936 पृ० 662 64।

24 उद्धरित—मीरात अल इस्तिलाह पृ० 15 ब।

25 उद्धरित—मिर्जा राजा जयसिंह के उदाहरण के लिए—आलमगीरनामा पृ० 618।

26 अब तक इस विषय की भली भांति चर्चा मोरलैण्ड ने ही की है जे० आर० एस० 1963 पृ० 661 65। मोरलैण्ड का अध्ययन केवल जयपुर के दस्तावेजों पर ही आधारित था। सेलेक्टेड डाक्यूमेंटस आफ शाहजहांस रेन में अनेक अप्रकाशित मुद्रित हैं, विशेषत पृ 64 73 79 [illegible] 109-13 150-52, 175 77। मोरलैण्ड द्वारा दिये गये विवरण कि किस ढंग से प्राप्य वेतन का हिसाब किताब होता था तथा तलब शब्द का क्या महत्व था उक्त बातों की पुष्टि करता है।

27 देखिये—सेलेक्टेड डॉक्यूमेन्टस आफ़ शाहजहांस रेन पृ० 109-12, 176।

28 आईन खण्ड I 124-31। शाहजहां के शासनकाल के 9वें वर्ष में अफ़ज़ल खां ने जो वेतनमान लागू किये, फरहंग-ए-कारदानी पृ 43 49 में उसकी प्रतिलिपि दी गयी है। सेलेक्टेड डाक्यूमेन्टस आफ शाहजहांस रेन पृ० 79 84 में 14वें वर्ष में इस्लाम खां ने जो वेतन-तालिका लागू की उसका उल्लेख है और दस्तूर-उल अमल ए आलमगीरी पृ 121 23 में उसी शासनकाल में साहुल्लाह खां द्वारा लागू की गयी सूची का उल्लेख है। जवाबित-ए आलमगीरी में औरंगजेब के शासनकाल की वेतन-तालिकाएं [illegible], पृ 42 ब-45 ब हालात-ए-अमालिक-ए महरूसा-ए आलमगीरी पृ 149 ब 151 ब। इस अध्याय के अन्त में परिशिष्ट ब में वेतनमान तालिकाबद्ध रूप में दिये गये हैं।

29 जैसे 5 000 जात 4 000 सवार जिसमें सभी (हया) दो अस्पा-सेह अस्पा।

30 उद्धरित—लाहौरी बादशाहनामा खण्ड II पृ 507।

31 दो अस्पा-सेह अस्पा पद की बारावर्दी के वेतन से दुगना या 16 000 दाम पद की प्रति इकाई के हिसाब से दिया जाता था यह कथन दस्तूर अल अमल-ए इस्म-ए नवी सिन्दगी, एफ 6599 पृ 146 ब में है। मोरलैण्ड (जे० आर० ए० एस० 1936 पृ० 662) ने जयपुर रिकार्ड्स में के एक फरमान का उल्लेख किया है जिसमें इसी आधार पर परिकल्पना किया गया है। इसी प्रकार से कोई भी यह निष्कर्ष ऐसे उदाहरणों से निकाल सकता है जहां दो अस्पा-सेह अस्पा मनसबदारों के कुल वेतन उल्लेखित हैं। उदाहरणार्थ लाहौरी कृत बादशाहनामा खण्ड II पृ० 258 321 715 सालेह III पृ० 246। यह देखा जा सकता है कि दो अस्पा सेह अस्पा पद का मनसबदार साधारण दर से दुगना वेतन केवल इस कारण पाता था कि उसके दो अस्पा सेह अस्पा पद की संख्या सवार पद में से घटा दी जाती थी। अथवा यदि यह समझा जाये कि उसका दो अस्पा-सेह अस्पा पद अतिरिक्त पद है और उसके वेतन का भुगतान उसी दर से होता है तो भी परिणाम वही होगा। अर्थात परिकल्पित उदाहरण में यदि हम दो अस्पा-सेह अस्पा पद को सवार पद के साथ जोड़ दें तथा उस संख्या के साथ गुणा कर दें अर्थात् 4 000 सवार को 8 000 दाम के हिसाब से तो योग वही होगा—32 000 000 दाम। इस प्रकार सालेह के ग्रंथ खण्ड III पृ 112 पर जयसिंह के 1,000 सवार को दो अस्पा-सेह अस्पा में परिवर्तित करने पर उसके कुल वेतन

में अतिरिक्त 8 000 000 दाम (1 000 × 8 000) दिखलाया गया है।

32 उद्धरित—मनूची खण्ड II पृ० 374 75। "जब सम्राट एक मनसबदार या अमीर के भत्ते का निर्धारण करता है या उसके बारे में आदेश देता है तो वह रुपये के बारे में बात न कर दाम की ही बात करता है क्योंकि उसी में हिसाब किताब होता है और उसे वे एक रुपये में 40 गिनते हैं। एक देश में जहाँ कि धातु मानप्रणाली हो दो धातुओं के सिक्कों का मूल्य बराबर परिवर्तित होता रहता है इसलिए राजकीय कार्यों के लिए चाँदी के रुपये पर आधारित एक धातु के सिक्के बनाये जाते थे। ताँबे की मात्रा का किसी भी समय कोई भी मान क्यों न हो चाँदी का एक रुपया 40 दाम के बराबर समझा जाता था। यह दाम (दाम-ए-मनसबी) वास्तव में अविद्यमान ताँबे का सिक्का था। वास्तविक तौर के सिक्कों का वजन उनके मान के अनुसार था।

33 जे० आर ए० एस 1936 प 641-65।

34 परिशिष्ट ब देखिये।

35 वही।

36 जागीरदारी पर अध्याय देखिये।

37 देखिये—इरफान हबीब द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया प 264 65 तथा पाद टिप्पणी। लाहौरी खण्ड II प 507 पर जब मासिक मनसबों के अनुसार अमीरों के सनिक उत्तरदायित्व की सूची देता है तो वह उनकी जागीरों के बारे में 12 माही या 11 माही की चर्चा करता है इत्यादि।

38 आदाब ए आलमगीरी प 25 ब 18 ब 19 अ 24 ब सेलेक्टेड डाक्यूमेंटस आफ औरंगजेब्स रेन प० 115।

39 आदाब-ए आलमगीरी प 25 ब रुक्कात-ए आलमगीर 116-17। यहाँ यह कहा गया है कि दक्कन में मनसबदारों की जागीरें या तो चार माह या उससे कम की थी (आदाब प 33 अ-ब) रुक्कात ए आलमगीर प 129।

40 आदाब ए आलमगीर प 35 ब 36 ब 40 अ-40 ब 43 अ रुक्कात ए आलमगीर 88 136 37 सेलेक्टेड डाक्यूमेंटस आफ औरंगजेब्स रेन प 84।

41 मीरात ए अहमदी I प 278। औरंगजेब ने अपने शासन काल के 21वें वर्ष में आदेश दिया कि तनख्वाहों को 8 माहा या 7 माहा के हिसाब से वेतन का भुगतान न किया जाय केवल 6-माहा वेतन अनुपात ही की स्वीकृति थी (मआसीर-ए आलमगीर प 160)।

42 जवाबित-ए आलमगीरी प 41 ब-45 ब हालात-ए मुमालिक-ए महरूसा ए आलमगीरी प 149 अ 151 ब फरहंग-ए कारदानी प 43-49 बोडलीन ओ 390 प 40 अ (डा इरफान हबीब द्वारा उद्धरित)। तुलनीय—ख लासात उस सियक प 47 ब 50 अ। इन नियम-पुस्तकों में दिये गये आँकड़ों में कुछ त्रुटियाँ हैं लेकिन ये त्रुटियाँ केवल प्रतिलिपियों की त्रुटियों के कारण ही मालूम होती हैं।

43 बोडलीन ओ 390 प 42 अ-43 अ फरहंग ए-कारदानी (प 24 अ-ब) में इसी प्रकार की एक तालिका की प्रतिलिपि 6-माह तक की दी गयी है। उसके पश्चात् उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है 5 माह—20 रु 13 आना 4 माह—16 रु 10 आना 3 माह—रु 12/7½ आना। इसके आगे उसमें किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। जवाबित-ए आलमगीरी प 45 ब-46 ब मुमालिक-ए महरूसा ए आलमगीरी प

151 ब 152 अ ।

44 मीरात-ए अहमदी I पृ० 227 28 ।

45 आदाब-ए आलमगीरी पृ० 33 अ-ब रुक्कात ए आलमगीर पृ० 129 ।

46 मनसबदारों के सैनिक उत्तरदायित्व से सम्बन्धित खण्ड पीछे देखें पृ० 53 ।

47 आदाब-ए-आलमगीरी पृ० 33 अ-ब रुक्कात ए आलमगीर पृ० 129 ।

48 मआसीर-ए आलमगीरी पृ० 160 ।

49 इस कटौती के लिए देखिये—जवाबित ए आलमगीरी पृ० 43 ब सेलेक्टेड डॉक्यूमेंटस आफ औरंगज़ेब्स रेन पृ० 63 64 11वें वर्ष में लागू किया गया एक शाही आदेश इस आशय का उल्लिखित है कि उन सभी लोगों को बीजापुर तथा हैदराबाद (गोलकुण्डा) के प्रशासन की सेवा में रह चुके हैं चाहे वे वास्तव में फारस से हो क्यों न आये हों के वेतन में से एक चौथाई काट ली जाये । देखिये—अबुल फज़ल मामूरी पृ० 156 ब इसमें इराकिया अर्थात् सभी लोग जो इराकी तथा बीजापुरियों व हैदराबादियों के नौकर थे और जो शाही सेवा में भर्ती हो चुके थे के वेतन में से एक-चौथाई भाग की कटौती के बारे में उल्लेख किया गया है । शाहजहाँ I के शासनकाल में एक-चौथाई की कटौती के लिए देखिये—सेलेक्टेड डाक्यूमेंटस आफ शाहजहान्स रेन पृ० 2 18 आदाब-ए-आलमगीरी पृ० 25 ब ।

50 आईन I पृ० 124-31 अब्दुल अज़ीज़ द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुग़ल आर्मी पृ० 50-57 ।

51 कौकिब मजहर 86 पृ० 75 ब ।

52 दस्तूर-ए नवाज़िन्दी पृ० 146 अ 147 अ ।

53 उद्धरित—मनूची II पृ० 372 73 ।

54 सलेक्टेड डाक्यूमेंटस ऑफ शाहजहान्स रेन पृ० 1 दस्तूर-ए-नवाज़िन्दी पृ० 147 अ ।

55 अता करी खाँ के पत्र शामिल मन इन्शा बाडिन पाण्डुलिपि पृ० 71 अ 72 अ 74 अ-ब । शाहजहान के 3वें वर्ष में जब एक अमीर ने प्रार्थना की कि उसे इस शुल्क से मुक्त कर दिया जाये तो औरंगज़ेब ने उसे छूट देने की तौर पर आदेश दिया कि (...) एक माह उसकी जागीर में से काट लिया जाये (अखबारात 3 रबी अव्वल 37वां राजकीय वर्ष) ।

56. अखबारात 3 रबी अव्वल 46वां राजकीय वर्ष ।

57 खाफ़ी खाँ II 601 3 ।

58. दस्तूर-ए नवाज़िन्दी पृ० 146 अ 147 अ मज़हर 86 पृ० 75 ब 76 अ ।

59 मआसीर-ए आलमगीरी पृ० 86 अखबारात 15 सफ़र 36वां राजकीय वर्ष 28 ज़िल्हिज 29 रबी उस सानी 39वां राजकीय वर्ष 13 रबी उल-सानी 39वां राजकीय वर्ष 2 सफ़र 43वां राजकीय वर्ष 27 रबी उल-सानी 46वां राजकीय वर्ष ।

60 बर्नियर II पृ० 07 ।

61 मआसिर-उल उमरा (...) डॉ मुहम्मद बाकर लाहौर हि० 1334 पृ० 55 (जहाँ 'पस्माँद' का प्रयोग 'पेशकश' के अर्थ में किया गया है) ।

62 उद्धरित—बर्नियर पृ० 215-16 जो 'पस्मानाम' को 'जायनाम' लिखता है ।

63. आईन भाग I पृ० 132 ।

64 सेलेक्टेड डॉक्यूमेन्ट्स ऑफ शाहजहान्स रेन पृ० 12 ।

65 सेलेक्टेड डॉक्यूमेंटस ऑफ शाहजहान्स रेन प० 26 27 [redacted] 70 जवाबित-ए आलम गीरी प० 37 ब सेलक्टेड डॉक्यूमेंटस ऑफ औरंगजेब्स रेन प० 241-42।
66 अख्तर 86 13 अन्य जवाबित-ए आलमगीरी प० 40 ब।
67 लाहौरी बादशाहनामा भाग II प० 507।
68 पखबारात छठा रमजान 49वाँ राजकीय वर्ष 18 जिल्दा 38वाँ राजकीय वर्ष।
69 इगलिश फक्ट्रीज 1655-60 पृ 67।
70 अमल-ए सालेह भाग III पृ 248।
71 आलमगीरनामा पृ 1083।
72 उद्धरित—निगदुश्ता प 139 ब म शिकायत की गयी है कि मुतालिबा ममाएदाम और जर्माने आदि के लिए जागीरें वापस ले ली गयी हैं।
73 इगलिश फक्ट्रीज 1655-60 पृ० 66-67।
74 मामूरी प 192 ब खाफी खाँ II 396-97 दस्तूर उल अमल-आगाही प० 53 रक्रायम-ए-करायम प० 8 ब वकाया-ए नियामत खाँ अली प० 16 भी देखिये।
75 प्रस्तुत अजीज द मनसबदारी सिस्टम एण्ड मुगल आर्मी प 69।
76 आईन भाग I पृ० 135 (अनु०) पृ० 266-67। महान् सम्राट के मीरवर (मनसबदार) प्रत्येक वर्ष अपने घोडो पर नया दाग लगवाते हैं, और इस प्रकार सेना की कुशलता को बनाए रखते हैं चूँकि उनके प्रयास के कारण ही प्रतिष्ठाकांक्षी व्यक्ति सच्चाई का मार्ग चयन करना जानते हैं। यदि कोई मनसबदार अपने आदमियो को हाजिरी के लिए लाने म विलम्ब करता है तो उसकी जागीर (इक्ता) का 1/10वाँ भाग रोक रखा जाता है। इसपूर्व जब पुन दाग लगाया जाता था वे घोड पर हाजिरी का अंक लगा देते थ उदाहरणार्थ जब घोड की हाजिरी दूसरी बार हुई हो तो उस पर 2 का चिह्न लगा देना इत्यादि। अब चूँकि प्रत्येक श्रेणी के सनिको का एक विशेष चिह्न होता है यह चिह्न अगली हाजिरी के समय पुन लगा दिया जाने लगा है। अहदियो के मामले मे पहली प्रथा बनी रही कुछ विनयिकचा और सम्राट के निजी नौकर चाकरो जिन्हें अपना जागीरो की देखभाल करने का फरसत न थी जो मासिक वेतन नकद में मिलता था तथा [redacted] महीनो म एक बार अपन घोडो की हाजिरी दिलवानी पडती थी। वे अमीर जिनकी जागीरें बहुत ही दूर स्थित थी 12 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व अपने घोडों की हाजिरी दिलवाने के लिए नहीं लाते थे परन्तु जब अन्तिम हाजिरी होने से 6 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो उनकी आय म से 1/10 भाग काट लिया जाता है। यदि किसी मनसबदार की पदोन्नति उच्च मनसब पर हुई हो और उसे अपने घोडों की हाजिरी के लिए अन्तिम बार प्रस्तुत किए हुए 3 वर्ष हो गये हो तो उसे जात (व्यक्तिगत) पद के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन मिलता है और केवल प्रथम बार हाजिरी हो जाने के उपरान्त (ही) उसके आदमियो की संख्या म वृद्धि के हिसाब से उसे भत्ता मिलता है। उसके उपरान्त ही उसके पुराने और नये आदमियो को धनदान प्राप्त होते हैं। चिह्न के नवीनीकरण के लिए अगली हाजिरियो के समय यदि कोई सैनिक अपने पुराने घोड के बदले मे उससे अच्छा घोडा लाता है तो उसे सम्राट के सम्मुख ले जाया जाता है जो उसका निरीक्षण करते है और उसे स्वीकार करते हैं।
77 आईन-ए-अकबरी भाग I प 123-24।

78 हमारे सुझाव के पक्ष में साक्ष्य अबुल फजल के एक पत्र जो पत्रो के एक सदिग्ध एव सन्देहात्मक सग्रह में सुरक्षित है से उपलब्ध हुआ है। इस पत्र के अनुसार 100 सवार के मनसबदार को अधिक से अधिक 50 अश्वारोही लाने पडते थे (रुक्कात-ए अबुल फजल पृ० 45 नवलकिशोर सस्करण)।
79 विवेचना के लिए देखिये—मोरलैण्ड ज० आर० ए० एस० 1936 पृ० 641 65।
80 लाहौरी बादशाहनामा II पृ० 505 507।
81 मीरात-ए अहमदी I पृ 228 (शाहजहाँ का फरमान 27वाँ राजकीय वर्ष)। लेकिन 'वाकया ए अजमेर' देखें जिसमे काबुल मे नौकरी करने वाले एक राजपूत अधिकारी को 1/4 के नियम के अनुसार अपने आदमियो को हाजिरी के लिए प्रस्तुत करना पडता था। शाहजहाँ के 25वें राजकीय वर्ष मे जयसिंह को शहजादा औरगजेब के साथ कन्धार अभियान पर भेजने के लिए दरबार मे बुलाया गया। जयसिंह से कहा गया कि वह अपनी सनिक टकडी को 1/4 के नियम के अनुसार लाये और यदि यह सम्भव न हो तो 1/5 नियम के अनसार (जयपुर डाक्यूमेन्टस सख्या 79 पृ 145)।
82 मीरात-ए अहमदी खण्ड I पृ 228।
83 ख लासात-उस सियक्र पृ० 54 अ।
84 लाहौरी बादशाहनामा II पृ० 506-507।
85 वही।
86 उद्धरित—नोमान ए० सिद्दीकी प्रोसीडिंग्स ऑफ इण्डियन हिस्ट्री काग्रेस दिल्ली अधिवेशन 1961 पृ० 157-62।
87 ख लासात उस सियक्र पृ० 54 अ 54 ब। तुलनीय—वाकया-ए अजमेर पृ० 339 (उसी प्रान्त में काय करने वालो पर 1/3 का नियम लागू होता था)। 1/4 और 1/5 का नियम घोडे दागने के बारे मे प्रयोग किया जाता था (मीरात-ए अहमदी भाग I पृ० 227 29) आक़िल खाँ की सनिक टकडी की जाँच करने के लिए 1/4 के नियम का प्रयोग किया गया (अखबारात, 15 शाबान 10वाँ राजकीय वर्ष) मालूमात-उल अफाक़ पृ० 196-97।
88 प्रति एक सौ सवार पद के मनसब में आदमियों और घोडो से सम्बन्धित मान में इस इस प्रकार अन्तर है—

95 आईन खण्ड I पृ 135।

96 ख़ुलासात-उत्‌ तवारीख़ पृ 54 ब।

97 अख़बारात 21 शव्वाल 25वाँ राजकीय वर्ष।

98 वाक़या-ए अजमेर, पृ० 537। एक अन्य अवसर पर दरबार को यह सूचना दी गयी कि राजा रायसिंह के पुत्र एक सौ सवार से अधिक सनिक न रखते और दाग़ के समय उन्होंने हरनाथ कछवाहा से सवार उधार लिये थे। इस मामले से सम्बद्ध अधिकारी ने यह सिफ़ारिश की कि राजा से इस बात की पूछ-ताछ की जाये कि वह निर्धारित संख्या में सनिकों को क्यों नहीं रख रहा है (वही पृ 542)।

99 मीरात-ए अहमदी खण्ड I पृ० 265 66 सलेक्टेड डाक्यूमेंट्स ऑफ़ शाहजहाँनामा रेन पृ० 165 72। इसके आगे यह भी उल्लेखित है कि 3,20 000 दाम के कुल अनुदान में से 60 800 दाम उस समय तक रोक लिये जाय जब तक अभ्यर्थियों के घोड़ों पर दाग़ लगाने का काय पूर्ण नहीं हो जाता।

दाग़ सम्बन्धी सनद आदि के प्रस्तुत करने पर ही वेतन का भुगतान किया जाता था इत्यादि—वाक़या-ए अजमेर पृ० 529।

100 अख़बारात 25 ज़िलहिज्जा 38वाँ राजकीय वर्ष।

101 मआसीर-ए आलमगीरी पृ 264-65 दिलकुशा पृ० 90 ब।

102 अख़बारात 23 सफ़र 36वाँ राजकीय वर्ष 2 सफ़र 43वाँ राजकीय वर्ष 29 मुहर्रम 37वाँ राजकीय वर्ष ख़ानज़ाद खाँ के प्रतिबंधित मनसब में से 300 सवारों को दाग़ से मुक्त कर दिया गया था (11 रमज़ान 45वाँ राजकीय वर्ष)।

103 अख़बारात 28 रबी-उल अव्वल 38वाँ राजकीय वर्ष।

104 अख़बारात 7 जमादा-उल-सानी 7वाँ राजकीय वर्ष।

105 आईन खण्ड I पृ 248 (अनु) पृ 124 (मूल) चन्द्रभान ब्राह्मण का गुलदस्ता पृ० 8 अ। प्रतापसिंह तथा अन्य पात्र व्यक्ति सुन्दरदास सिसोदिया के पुत्र मनसब प्राप्त करने के लिए औरंगज़ेब के सम्मुख प्रस्तुत किय गये और उन्हें उचित मनसब दिये गये (अख़बारात 8 ज़िलहिज्जा 20वाँ राजकीय वर्ष)। मानसिंह और अन्य व्यक्ति राजा रायसिंह के पुत्र औरंगज़ेब के सम्मुख मनसब प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किये गये। उन सभी को उचित मनसब दिये गये (3 शाबान 24वाँ राजकीय वर्ष)। बसरा के हकीम इस्लाम ख़ाँ ने 11वें राजकीय वर्ष में औरंगज़ेब से भेंट की। उसे 5 000/5 000 का मनसब प्रदान किया गया—उद्धरित ख़ाफ़ी ख़ाँ खण्ड II पृ० 234 मासूरी पृ 144 अ।

106 आईन खण्ड I पृ 105 बख़्शी के कर्तव्यों के लिए हिदायत-उल-क़वायद पृ 11 व 12 अ देखिये।

107 उदाहरणार्थ मुल्ला अहमद नथा को जयसिंह की सिफ़ारिश पर 6 000/6 000 का मनसब प्रदान किया गया था (आलमगीरनामा पृ० 919 20 फ़ाख़र ख़ाँ के पुत्र मुतर्ज़ा ख़ाँ को ज़ुल्फ़िक़ार ख़ाँ बहादुर की सिफ़ारिश पर 400/100 का मनसब प्रदान किया गया था (अख़बारात 9 ज़िक़दा 39वाँ राजकीय वर्ष) सरदारसिंह हाड़ा को रुहुल्लाह ख़ाँ की सिफ़ारिश पर 500/200 का मनसब प्रदान किया था (2 शव्वाल 25वाँ राजकीय वर्ष) अनवर कृष्ण के ज़मींदार दलपतराव को रुस्तम दिल ख़ाँ की सिफ़ारिश पर 500/200 का मनसब प्रदान किया गया था (1 मुहर्रम 45वाँ राजकीय

वर्ष) राजसिंह को अजमेर के नाजिम सय्यद अब्दुल्ला खाँ की सिफ़ारिश पर टोडा का फ़ौजदार नियुक्त किया गया और 400/300 का मनसब प्रदान किया गया था (18 शाबान 43वाँ राजकीय वर्ष) सैय्यद शाह को बदार बख्त की सिफ़ारिश पर 5 000/2 000 का मनसब प्रदान किया गया था (24 शव्वाल 45वाँ राजकीय वर्ष) दोडी राव को हरबियत खाँ की सिफ़ारिश पर 1 500/1 000 का मनसब प्रदान किया गया था (मआसीर-ए-अरकान समूरिया पृ० 131 अ)।

108 बहरमन्द खाँ ने अपने कुछ नौकरों को मनसब प्रदान करने के लिए औरंगजेब से सिफ़ारिश की। सम्राट ने आदेश दिया कि सम्बन्धियों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाये (अखबारात 21 रबी उल अव्वल 44वाँ राजकीय वर्ष)।

109 जगतसिंह तथा अन्य व्यक्तियों को शाही सेवा में शहज़ादा शाह आलम की सिफ़ारिश पर भर्ती किया गया था (अखबारात 8 शाबान 24वाँ राजकीय वर्ष)। शहज़ादा आज़म ने कुछ व्यक्तियों के लिए उचित मनसब की सिफ़ारिश की और उसकी सिफ़ारिश स्वीकार कर ली गयी थी (अखबारात 13 रमज़ान 13वाँ राजकीय वर्ष)। औरंगज़ेब ने शाहजहाँ से कई व्यक्तियों के लिए मनसब की सिफ़ारिश की थी (आदाब ए आलमगीरी पृ० 108 व 109 अ)।

110 इस कार्यविधि का विस्तृत विवरण इब्न हसन की पुस्तक 'द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ़ द मुग़ल एम्पायर' में दिया हुआ है पृ० 93 आईन खण्ड I पृ० 136 और ज़वाबित ए-आलमगीरी पृ० 17 30 ब भी देखिये।

111 मनूची खण्ड II पृ० 377।

112 सियाकनामा संख्या 353 पन्ने अंकित नहीं "भुगतान दरबार के एक 'हस्ब-उल हुक्म' के द्वारा सबलसिंह खत्री जिसे परगना बिदनूर का कार्यभार सौंपा गया के पक्ष में एक लाख रुपये की ज़मानत भवू साहू की ओर से स्वीकृत की गयी (1689-90 ई०)।

113 ज़मानत लेने के लिए देखिये—फ़रहंग-ए-कारदानी पृ० 20 अ ज़वाबित ए आलमगीरी पृ० 19 ब 25 ब 32 ब।

114 सेलेक्टेड डाक्यूमेंट्स ऑफ़ औरंगज़ेब्स रेन पृ० 182।

115 अखबारात 29 रबी-उस-सानी 8वाँ राजकीय वर्ष (कुतुबुद्दीन खाँ रघुनाथसिंह और इनायत खाँ की उच्च मनसबों पर पदोन्नति की गयी)।

116 मआसीर-ए-आलमगीरी यत्र-तत्र।

117 आलमगीरनामा।

118 1665 में शहज़ादा मुहम्मद मुअज्ज़म को महाराणा जसवंतसिंह के साथ फ़ारस के शाह के विरुद्ध मुग़ल सेना की सुरक्षा करने के लिए तैनात किया गया। जिन अमीरों को शहज़ादे के साथ नियुक्त किया गया उनकी पदोन्नति की गयी और उन्हें खिलअत उपाधियाँ आदि प्रदान की गयी—आलमगीरनामा पृ० 976-77। 1661 में जब जम्मू के कुछ ज़मींदारों ने विद्रोह किया तो उन सभी अफ़सरों की जिन्हें विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था पदोन्नति कर दी गयी—पृ० 757 58। बीजापुर को विजित करने के उपरान्त 20 से लेकर 7 000 तक के मनसबदारों की जो बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान में रत थे पदोन्नति कर दी गयी (फ़ुतूहात-ए आलमगीरी पृ० 105 ब)। बीजापुर को विजित करने के उपरान्त जिन अमीरों की पदोन्नति की गयी उनके मूल मनसब नाम और पदोन्नति पृथक-पृथक उल्लेखित हैं—

जवाबित-ए आलमगीरी प० 159 व 63 अ। जब हैदराबाद को विजित किया गया तो सभी मनसबदारों की जो अभियान में भाग ले रहे थे पदोन्नति कर दी गयी—उपरोक्त प० 163 व 65 अ। 1666 ई० में अफगान नेताओं ने समर्पण कर दिया औरंगजेब ने सभी अमीरों की जो अफगानों के विरुद्ध युद्ध का संचालन कर रहे थे पदोन्नति कर दी (आलमगीरनामा प० 1056-57)। पुरंदर को विजित करने के उपरान्त जब शिवाजी ने समर्पण कर दिया सभी अमीरों की जो राजा जयसिंह के साथ इस अभियान में भाग ले रहे थे पदोन्नति कर दी गयी (आलमगीरनामा पृ० 907 909)। बंगला को विजित करने के उपरान्त फतहउल्लाह खाँ की सिफारिश पर औरंगजेब ने खाँन सम्प्रदाय के सभी मनसबदारों की पदोन्नति कर दी (खाफी खाँ खण्ड II प० 494)।

119 दिलकुशा प० 97 अ-ब 115 अ और यत्र-तत्र अखबार-ए आलमगीरी प० 21व 22 ब 25 अ।

120 अध्याय 5 का खण्ड प्रशासन में अमीरों का व्यवहार देखिये।

121 मआसीर-उल-उमरा खण्ड I प० 813।

122 जब जयसिंह इस मनसब तक पहुँच गया तो उसके पश्चात मनसब में वृद्धि केवल उसे इनाम देकर ही हो सकती थी न कि उसके मूल मनसब में वृद्धि करके (आलमगीर नामा प० 618)। हातिम खाँ आलमगीरनामा प० 109 अ मीरात अल आलम प० 160 अ मीरात-ए-जहान नुमा प० 268 अ। केवल आसफ खाँ ही एक ऐसा अमीर था जो इस अवरोध को पार कर सका जिसे शाहजहाँ ने 9 000/9 000 (2 3 अस्पा) का मनसब प्रदान किया। किन्तु शाहजहाँ ने यह निश्चित कर लिया कि उसका उदाहरण विशिष्ट है और किसी भी अन्य अमीर को 7 000/7 000 के ऊपर पदोन्नति नहीं दी जायेगी (लाहौरी बादशाहनामा खण्ड II प० 25)।

123 लेवी सोशल स्ट्रक्चर आफ इस्लाम कैम्ब्रिज 1957 प० 78 देखिये दासों (साधारणत जन्म से तुर्की) की नियुक्ति ने अब्बासी तथा अन्य शासकों को जो अपने प्रशासन को दास अधिकारियों पर ही आधारित रखना उचित समझते थे शरियत या वैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिया जो यदि वे जन्म से स्वतन्त्र व्यक्तियों को नौकरशाही के लिए भर्ती करते उन्हें प्राप्त नहीं होता। शरियत एक दास को चाहे उसका ओहदा कुछ भी हो तीन प्रतिबन्धों के अन्तर्गत रखता है वह अपने स्वामी की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता उसकी मृत्यु पर उसकी विरासत उसके स्वामी जो उसका एकमात्र उत्तराधिकारी है, को प्राप्त होती है अन्त में उसके सभी बच्चे एक के बाद दूसरा उसके स्वामी के दास होते हैं। शरियत द्वारा प्रदत्त यह विशिष्ट अधिकार जो स्वामी को अपने दासों पर प्राप्त हैं सम्भवत उन दास नौकरशाहियों का कारण था जो बार-बार हमें इस्लामी इतिहास में दिखायी पड़ती हैं।

124 अफीफ तारीख-ए फिरोजशाही प० 445 वह अधिकारी बशीर इमाद उल मुल्क था जो 12 करोड़ दाम की सम्पत्ति छोड़ गया था इस धन में से 9 करोड़ को राजसात कर लिया गया था और शेष 3 करोड़ इमाद उल मुल्क के पुत्रों दामादों पत्नियों दत्तक पुत्रों और दासों में बाँट दिया गया था। किन्तु कानूनन सुल्तान को दास्यभवन दास की सम्पत्ति लेने का कोई भी अधिकार न था और इस प्रकार फिरोज के इस कार्य को राज्य का कार्य समझना चाहिए।

125 बर्नियर पृ० 211-12 मनूची II पृ० 417, थेवनो, पृ० 241, पेलसर्ट, मनु० मोरलैण्ड जहाँगीर्स इंडिया पृ० 54-56।

126 वही III, पृ० 34।

127 बायज़ीद 349 बदायूनी III पृ० 217-18।

128 वाक़यात-ए असद बेग ब्रि० म्यू० आर० 1996 पृ० 6।

129 अमल-ए-सालेह III पृ० 246-48 तुहफ़ा-ए शाहजहाँनी पृ० 27 ब।

130 जब इस्लाम खाँ की मृत्यु हुई यह स्पष्टतः तय कर लिया गया कि केवल 'मुतालिबा' तथा जो उपहार उसने दक्कन के जमींदारों से प्राप्त किये हैं उन्हीं को शाही कोष में जमा किया जाये। उसकी सम्पत्ति का शेष भाग उसके उत्तराधिकारियों को प्रदान किया गया और उन्हें आदेश दिया गया कि वे वसीयत के अनुसार उसे आपस में बाँट लें (वारिस पृ० 16-17)। यह एक अपवाद था जो सम्भवतः उक्त नियम को साबित कर देता है।

131 वारिस पृ० 154।

132 मासिर-ए आलमगीरी पृ० 531 मीरात अल आलम पृ० 211 ब।

133 मीरात-ए-अहमदी खण्ड I, पृ० 135 267 और 319।

134 वही पृ० 326।

135 अख़बारात 9वीं जमादा उस-सानी 8वीं राजकीय वर्ष रहमत खाँ के दामाद अब्दुर रहीम खाँ की अर्ज़ी पर आदेश जारी किया गया। 1662 में अली यार बेग की मृत्यु हुई दिवंगत अमीर की सम्पत्ति में से केवल मुतालिबा (राज्य की बकाया रकम) ही वसूल किया गया और शेष सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को दे दी गयी (सिलेक्टेड वाकयाए ऑफ़ द दक्कन संख्या 14 पृ० 50)।

136 मीरात-ए अहमदी खण्ड I पृ० 319। स्वर्गीय रशीद खाँ की सम्पत्ति उसके पुत्र महम्मद हुसन को दी गयी और उससे सरकारी कर जो उसके पिता को देना था, का भुगतान करने के लिए कहा गया (अख़बारात 10 रबी-उल-अव्वल 45वाँ राजकीय वर्ष)। बीजापुरियों के विरुद्ध युद्ध करते समय इस्लाम खाँ रूमी की मृत्यु 1676 ई० में हुई। उसकी सम्पत्ति जिसमें तीन लाख रुपया और बीस हज़ार अशर्फियाँ थीं और जिसे दक्कन और शोलापुर में राजसात कर लिया था को उसके पुत्रों को दे दिया गया और उनसे उनके पिता पर राज्य की बकाया रकम का भुगतान करने को कहा गया (मासिर उल-उमरा खण्ड I पृ० 246-47)।

137 अख़बारात 5 ज़िलहिज्जा 44वाँ राजकीय वर्ष।

138 मीरात-ए-अहमदी खण्ड I पृ० 345। स्वर्गीय इख़लास खाँ की सम्पत्ति उसके पुत्रों को दे दी गयी थी उसके केवल घोड़े और हाथी ही राज्य के लिए ज़ब्त किये गये थे (अख़बारात 19 रजब 43वाँ राजकीय वर्ष)।

139 अख़बारात 7 शाबान 46वाँ राजकीय वर्ष।

140 मनूची खण्ड II पृ० 417 तुलनीय—एम० एन० दास नौरिस एम्बसी टू औरंगज़ेब पृ० 146।

141 मीरात-ए-अहमदी खण्ड I पृ० 310-11।

142 वही पृ० 302। स्वर्गीय मुहम्मद अमीन खाँ की कुल सम्पत्ति जो राज्य ने ज़ब्त कर ली थी के विस्तृत विवरण के लिए मासिर-ए आलमगीरी पृ० 226 देखिये।

143 रुक्कायत-ए-करायम पृ० 14 अ। अमीर खाँ का लगभग दो लाख रुपया कुछ अशर्फ़ियाँ तथा गहने उसके पुत्र ने छिपा लिये किन्तु बाद में इस सम्पत्ति के बारे में पता चल गया और वह जब्त कर ली गयी। अख़बारात 25 रबी-उल-अव्वल 44वाँ राजकीय वर्ष; कलामात-ए-तय्यबात पृ० 24 ब; एच० एच० दास, नौरिस एम्बसी टू औरंगज़ेब पृ० 285।

144 वाक़या-ए-अजमेर पृ० 77, 81, 83 और 84; मआसीर-ए-आलमगीरी पृ० 173।

145 मीरात-ए-अहमदी खण्ड 1 पृ० 277। दिलेर ख़ाँ के विरुद्ध राज्य ऋण था अतः उसकी मृत्यु के पश्चात् औरंगजेब ने आदेश दिया कि उसकी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जाये (दिलकुशा पृ० 83 ब)।

146 मथुरा का फौजदार अब्दुन नबी लड़ते समय एक गोले से मारा गया और उसकी सारी सम्पत्ति राज्य के लिए जब्त कर ली गयी थी (कामवार, तज़किरा-ए-सलातिन-ए-चग़ताई पृ० 260 ब; मआसीर-ए-आलमगीरी पृ० 83)। बख्शी-उल-मुल्क मुख़लिस खाँ की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात् जब्त कर ली गयी थी (अख़बारात 4 शाबान औरंगजेब का 44वाँ राजकीय वर्ष)। अरशद खाँ की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात् राज्य के लिए ज़ब्त कर ली गयी थी (अख़बारात 10 रबी-उल-अव्वल 45वाँ राजकीय वर्ष)। मुहम्मद जाफर को स्वर्गीय क़ासिम खाँ की सम्पत्ति राजसात् करने के लिए तैनात किया गया था (19 जुमादा उस-सानी 39वाँ राजकीय वर्ष)। कारतलब खाँ की सम्पूर्ण सम्पत्ति राजसात् कर ली गयी थी (मआसिर-उल-उमरा भाग II पृ० 705)। औरंगजेब के 38वें राजकीय वर्ष में ख़ान-ए-जहाँ बहादुर ज़फ़र जंग कोकलताश की मृत्यु हुई और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्य के लिए जब्त कर ली गयी थी (दिलकुशा पृ० 118 ब)।

147 सरकार, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन तृतीय संस्करण 1935 पृ० 175-76।

148 बर्नियर पृ० 211-12; करेरी पृ० 241 भी देखिये।

149 इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर पृ० 262-63।

150 पेलसर्ट, अनु० मोरलैण्ड, जहाँगीर्स इंडिया पृ० 54-56।

परिशिष्ट—घ

जात पद से अधिक सवार पद वाले मनसबदार

	नाम	मनसब	स्रोत
1	गोरखपुर का फौजदार (नाम नहीं दिया हुआ है)	3 000/4,000	अखबारात, 28 मुहरम 43वां राजकीय वर्ष ।
2	किशोरसिंह हाडा	2 500/3 000	अखबारात, 28 जमादा, 38वां राजकीय वर्ष ।
3	ख्वाजा मुहम्मद आरिफ मुजाहिद खां	2 500/2 800	अखबारात, 16 रबी उस-सानी, 39वां राजकीय वर्ष । नामवार प० 273 अ ।
4	राव दलपत	2,500/2 700	दिलकुशा, प० 136 अ ।
5	हादी खां	2 000/2,400	अखबारात, 13 रमजान 13वां राजकीय वर्ष ।
6	रामचन्द	2 000/3,000	माआसीर ए आलमगीरी पृ० 423 ।
7	कबाद खां	2,000/2 500	आलमगीरनामा, पृ० 120 ।
8	सरदार खा	2,000/2 500	आलमगीरनामा, पृ० 629 ।
9	शेर अफगन	1,500/1,700	माआसीर ए आलमगीरी, पृ० 381 ।
10	अल्लाहदाद खां	1,500/2 000	अखबारात, 15 जमादा उस-सानी, 46वां राजकीय वर्ष ।
11	दिलेर पुत्र बहादुर रुहेला	1,000/1,200 (500×2 3 अस्पा)	आलमगीरनामा, पृ० 661 ।

	नाम	मनसब	स्रोत
12	मोहतशम खां	1 000/1,200 (1 000×2 3 अस्पा)	अखबारात, 15 जमादा उस-सानी, 46वां राजकीय वर्ष। अखबारात 16 रजब, 24वां राजकीय वर्ष।
13	काफ़ूर खां	1,000/1 200	अखबारात, 8 ज़िक्दा, 39वां राजकीय वर्ष।
14	सयद हसन अली खां	1 000/1 200	अखबारात 28 ज़िक्दा, 43वां राजकीय वर्ष।
15	इफ्तिख़ार खां	1 000/1 500	अखबारात, 26 रजब 45वां राजकीय वर्ष।
16	कुंवर विजयसिंह	1 000/2 000	अखबारात 9 रमज़ान 44वां राजकीय वर्ष।
17	मामूर खां	1 000/1 200	अखबारात 4 ज़िक्दा 46वां राजकीय वर्ष।
18	रहमान दाद खां	1 000/1 500	अखबारात 15 जमादा उस-सानी 46वां राजकीय वर्ष।
19	समन्दर खां	1 000/1 200	अखबारात 1 मुहर्रम 45वां राजकीय वर्ष।
20	अब्दुल समद खां	1 000/1 100 (300×2 3 अस्पा)	अखबारात 7 ज़िक्दा 38वां राजकीय वर्ष।
21	मुहम्मद मुराद खां	900/1 000	अखबारात 10 रबी-उल अव्वल 45वां राजकीय वर्ष।
22	बहराम	1 000/1 700	आलमगीरनामा पृ० 1039।
23	कारतलब खां	900/1 000	अखबारात 26 सफर, 45वां राजकीय वर्ष।
24	नजफ कुली	800/1 000	अखबारात, 5 मुहर्रम, 45वां राजकीय वर्ष।
25	फतह जालोरी	700/1 400	अखबारात, 15 शाबान, 24वां राजकीय वर्ष।
26	औरंग खां	700/900 (400×2 3 अस्पा)	अखबारात 28 रमज़ान 46वां राजकीय वर्ष।
27	हाफिज़ खां	700/900	अखबारात 29 सफर, 46वां राजकीय वर्ष।

28	ख्वाजा खुदा यार खाँ	700/1 000	अखबारात, 14 रबी उस-सानी, 44वाँ राजकीय वर्ष।
29	आग़ा कुली खाँ	700/800	अखबारात, 9 जिकदा, 40वाँ राजकीय वर्ष।
30	रावतमल झाला	700/900	अखबारात, 4 मुहर्रम, 45वाँ राजकीय वर्ष।
31	मीर मुबारकुल्लाह	700/1 000	माआसीर उल उमरा, I, पृ० 204 5।
32	मुहम्मद कामयाब	600/620	अखबारात, 8 जिलहिज्जा 43वाँ राजकीय वर्ष।
33	शुकुरुल्लाह खाँ	500/1,700	अखबारात, 13 रमजान, 47वाँ राजकीय वर्ष। माआसीर ए आलमगीरी, पृ० 303 4।
34	अबुल	500/600	अखबारात 11 जिलहिज्जा, 38वाँ राजकीय वर्ष।
35	हिम्मत यार	500/900	अखबारात, 16 जिलहिज्जा, 38वाँ राजकीय वर्ष।
36	खानचन्द बुन्देला	500/650	अखबारात, 1 रबी उस-सानी, 38वाँ राजकीय वर्ष।
37	मुहम्मद सालेह	500/700	अखबारात, 28 जिलहिज्जा 45वाँ राजकीय वर्ष।
38	खिदमत तलब खाँ शाह बेग	500/640	अखबारात, 2 मुहर्रम, 45वाँ राजकीय वर्ष।
39	असफन्दियार	500/700	अखबारात, 27 सफर, 45वाँ राजकीय वर्ष।
40	मीर मुहम्मद लतीफ	500/600	अखबारात, 9 रमजान, 44वाँ राजकीय वर्ष।
41	वली दाद	500/650	अखबारात, 19 मुहर्रम, 45वाँ राजकीय वर्ष।
42	सय्यद मुदस्सिर	500/600	अखबारात, 11 शाबान, 43वाँ राजकीय वर्ष।
43	नियाज़ खाँ	500/800	माआसीर ए आलमगीरी, पृ० 474।
44	फौजदार खाँ	500/700	अखबारात, 2 शाबान, 37वाँ राजकीय वर्ष।
45	तिलोकसिंह	400/450	अखबारात, 13 रबी-उस-सानी, 38वाँ राजकीय वर्ष।
46	मुहम्मद रफी	400/650	अखबारात, 4 जमादा-उल अव्वल, 38वाँ राजकीय वर्ष।
47	दिलावर खाँ पुत्र अल्लाह दाद खाँ	400/500	अखबारात, 19 जिकदा, 38वाँ राजकीय वर्ष।

	नाम	मनसब	स्रोत
48	शाकिर खाँ	400/1 000 (200×2 3 अस्पा)	अखबारात, 13 रमजान, 47वाँ राजकीय वष।
49	कासिम खाँ	400/700 (250×2 3 अस्पा)	अखबारात, 6 रजब, 46वाँ राजकीय वष।
50	मुहम्मद कासिम पुत्र शेर खाँ	400/450	अखबारात, 13 रजब, 43वाँ राजकीय वष।
51	मुहम्मद शरीफ	400/560	अखबारात, 16 मुहर्रम 38वाँ राजकीय वष।
52	केशवदास	300/500	अखबारात 5 ज़िकदा, 38वाँ राजकीय वष।
53	मीर मुहम्मद सजी	300/700	अखबारात 29 रबी उस सानी, 38वाँ राजकीय वष।
54	दिलावर खाँ	300/700	अखबारात 1 रमजान 46वाँ राजकीय वष।
55	सफ शिकन खाँ	300/500 (400×2 3 अस्पा)	अखबारात 29 सफर 46वाँ राजकीय वष।
56	रामचन्द पुत्र दलपत बुन्देला	300/500	अखबारात 3 मुहर्रम 45वाँ राजकीय वष।
57	आज़म पुत्र हिम्मत	300/420	अखबारात, 28 सफर 43वाँ राजकीय वष।
58	मुहम्मद सरदार पुत्र दीनदार	100/400 (200×2 3 अस्पा)	अखबारात 19 जिलहिज्जा, 43वाँ राजकीय वष।
59	भीमसिंह	300/400	अखबारात, 5 रजब 39वाँ राजकीय वष।
60.	गरीबदास	300/500	अखबारात 21 जमादा-उस सानी, 39वाँ राजकीय वष।
61	मुहम्मद मुराद	300/450	अखबारात 3 जमादा उस-सानी, 38वाँ राजकीय वष।
62.	नूर खाँ	300/450	अखबारात, 1 मुहर्रम, 38वाँ राजकीय वष।

परिशिष्ट—ब

जात पद के वेतन की तालिका

(7,000 जात)

स्रोत	सदर्भ पृष्ठ या पन्ना	श्रेणी 1
आईन ए अकबरी, खण्ड I	पृ० 124	रु० 45,000 (प्रति माह) 21,600 000 दाम (वार्षिक)
फ़रहग ए-करदानी	प० 43 49	14 000 000 दाम (वार्षिक)
सलेक्टेड डाक्यूमेन्टस ऑफ शाहजहा स रेन	पृ० 80	14,000,000 दाम (वार्षिक)
दस्तूर-उल अमल ए आलमगीरी	प० 125 अ	14,000,000 दाम (वार्षिक)
जवाबित ए आलमगीरी	प० 42 ब-45 ब	14,000 000 दाम (वार्षिक)
मुमालिक ए महरुसा-ए-आलमगीरी	प० 149 ब	14 000,000 दाम (वार्षिक)
खुलासात उस सियक	प० 48 ब-49 अ	14 000 000 दाम (वार्षिक)
मालूमात-उल अफाक	पृ० 195 96	14,000,000 दाम (वार्षिक)

जात पद के वेतन की तालिका

(5 000 जात)

स्रोत	सदम पृष्ठ या पन्ना	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
आईन ए अकबरी खण्ड I	पृ० 124	रु० 30 000 (प्रति माह) 14 400 000 दाम (वा०)	रु० 29 000 (प्रति माह) 13 920 000 दाम (वा०)	रु० 28 000 (प्रति माह) 13 440 000 दाम (वा०)
फरहंग ए-कारदानी	प० 43-49	10 000 000 दाम "	9,700 000 दाम "	9 400 000 दाम "
सलेक्टेड डाक्यूमेन्टस आफ शाहजहा स रेन	पृ० 80	10,000 000 दाम "	9 700 000 दाम 9,800 000[1] दाम	9 400 000 दाम " 9 600 000[2] दाम "
दस्तूर उल अमल ए आलमगीरी	प० 125 अ 125 ब	10 000 000 दाम "	9,700 000 दाम	9 400 000 दाम
जवाबित ए आलमगीरी	प० 42 ब-45 ब	(9 400 000) दाम "	9 700 000 दाम "	9 400 000 दाम "
हालात ए मुमालिक ए महरूसा ए आलमगीरी	प० 149 ब	10 000 000 दाम	9 700 000 दाम	9 400 000 दाम
खुलासात उस सियक	प० 48 ब-49 अ	10 000 000 दाम	9,700 000 दाम "	9 400 000 दाम
मालूमात उल अफाक	पृ० 195 96	10 000 000 दाम	9 700 000 दाम "	9 400 000 दाम "

1 प्रचलित पूर्व मानों के अनुसार। 2. कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिलिपि की त्रुटियां मालूम पड़ती हैं। वा०—वार्षिक

ज़ात पद के वेतन की तालिका

(4,000 ज़ात)

ज़ात	संदर्भ पृष्ठ या पन्ना	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
आईन ए अकबरी खण्ड I	पृ० 125	रु० 22 000 (प्रति माह) 10 560 000 दाम (वा०)	रु० 21,800 (प्रति माह) 10 464 000 दाम (वा०)	रु० 21 600 (प्रति माह) 10 368 000 दाम (वा०)
फरहंग ए कारदानी	प० 43-49	8 000 000 दाम "	7 700 000 दाम "	7,400 000 दाम "
सलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स आफ शाहजहाँ स रेन	पृ० 80	8 000 000 दाम "	7 700 000 दाम " 7,800 000[1]	7 400,000 दाम " 7,600,000[1]
दस्तूर उल अमल ए आलमगीरी	प० 125 [illegible] 125 ब	8 000 000 दाम "	7 700 000 दाम "	7 400 000 दाम "
ज़वाबित ए आलमगीरी	प० 42 व 45 ब	8 000 000 दाम "	7,700 000 दाम "	7 400 000 दाम "
मुमालिक ए महरूसा ए आलमगीरी	प० 150 अ	8 000 000 दाम "	7,700 000 दाम "	7,400 000 दाम "
खुलासात उस सियक	प० 48 ब-49 अ	8 000 000 दाम "	7 700 000 दाम "	7,400 000 दाम "
मालूमात उल अफाक	पृ० 195 96	8 000 000 दाम "	7,700,000 दाम "	7,400,000 दाम "

1 प्रचलित पूर्व मानों के अनुसार।

वा०—वार्षिक

ज़ात पद के वेतन की तालिका

(3 000 ज़ात)

स्रोत	संदर्भ पृष्ठ या पन्ना	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
ग्राईन ए ग्रकबरी, खण्ड I	पृ० 126	रु० 17 000 (प्रति माह) 8,160 000 दाम (वा०)	रु० 16 800 (प्रति माह) 8 064 000 दाम (वा०)	रु० 16,700 (प्रति माह) 8 016 000 दाम वा०)
फरहग ए करदानी	प० 43 49	6 000 000 दाम ”	5,700 000 दाम	5 400 000[1] दाम ”
सलक्टेड डाक्यूमन्टस ग्राफ शाहजहा स रैन	पृ० 81	6 000 000[1] दाम '	5 700 000[1] दाम 5 800 000 (पहन के दस्तूर उल ग्रमल के ग्रनुसार)	5 600 000 दाम
दस्तूर उल ग्रमल ए ग्रालमगीरी	प० 125 ग्र ब	6 000 000 दाम '	5 700 000 दाम ”	5 400 000 दाम
जवाबित ए ग्रालमगीरी	प० 42 ब-45 ब	6 000 000 दाम ”	5 700 000 दाम '	5 400 000 दाम ”
मुमालिक ए महरसा ए ग्रालमगीरी	प० 150 ग्र	6 000 000 दाम '	5 700 000 दाम ”	5,400 000 दाम ”
खुलासात उस सियक	प० 48 ब 49 ग्र	6 000 000 दाम ”	5 700 000 दाम	5 400 000 दाम '

1 प्रचलित पूर्व मानों के ग्रनुसार।

वा०—वार्षिक

जात पद के वेतन की तालिका

(2 000 जात)

स्रोत	सदंभ पृष्ठ या पन्ना	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
आईन ए अकबरी, खण्ड I	पृ० 127	रु० 12 000 (प्रति माह) 5 760 000 दाम (वा०) 4 000 000 दाम	रु० 11,900 (प्रति माह) 5 712 000 दाम (वा०) 3,700 000 दाम	रु० 11 800 (प्रति माह) 5 664 000 दाम (वा०) 3,400 000 दाम
फरहंग ए-करदानी	पृ० 43 49	4 000 000 दाम	3,700 000 दाम	3,400,000 दाम
सलेक्टेड डाक्यूमेन्टस आफ शाहजहां'स रेन	पृ० 81		3 800 000[1] दाम (पहले के दस्तूर उल अमल के अनुसार)	3 600 000[1] दाम (पहले के दस्तूर उल अमल के अनुसार)
दस्तूर उल अमल ए आलमगीरी	पृ० 125 अ 125 ब	4 000 000 दाम	3,700,000 दाम	3 400,000 दाम
जवाबित ए आलमगीरी	पृ० 42 ब 45 ब	4 000 000 दाम	3,700 000 दाम	3 400 000 दाम
मुमालिक ए-महरूसा ए आलमगीरी	पृ० 150 अ—	4 000 000 दाम	3,700 000 दाम	3 400 000 दाम
खुलासात उस सियक	पृ० 48 ब 49 अ	4 000 000 दाम	3,700 000 दाम	3 400,000 दाम
मालूमात उल अफाक	पृ० 195 96	4 000,000 दाम	5,700,000 दाम	5 400 000[2] दाम

वा०—वार्षिक

2. यह आँकड़ प्रतिलिपि की त्रुटियाँ मालूम होती हैं।

जात पद के वेतन की तालिका

(1 000 जात)

स्रोत	सदंभ पृष्ठ या पन्ना	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
आईन ए अकबरी, खण्ड 1	पृ० 128	रु० 8 200 (प्रति माह) 3 936 000 दाम (वा०)	रु० 8 100 (प्रति माह) 3,888 000 दाम (वा०)	रु० 8 000 (प्रति माह) 3,840 000 दाम (वा०)
फरहंग ए-करदानी	प० 43 49	2 000 000 दाम	1,900,000 दाम	1 700 000 दाम
सलक्टेड डाक्यूमेन्टस आफ शाहजहान्स रेन	पृ० 81 82	2,000 000 दाम '	1 900 000 दाम "	1 700 000 दाम
दस्तूर उल अमल ए आलमगीरी	प० 125 अ 126 अ	2 000 000 दाम "	1 900 000 दाम '	1 700 000 दाम "
ज़वाबित ए आलमगीरी	प० 42 ब 45 ब	2 000 000 दाम '	1 900 000 दाम '	1,700 000 दाम '
मुमालिक ए महरुसा ए आलमगीरी	प० 150 अ	2 000 000 दाम	1 900 000 दाम	1 700 000 दाम
खुलासात उस सियक	प० 48 ब 49 अ	2 000 000 दाम "	1 900 000 दाम	1,700 000 दाम '
मालूमात उल अफाक	पृ० 195 96	2 000 000 दाम '	1,900 000 दाम	1 700 000 दाम '

वा०—वार्षिक

अध्याय
3

जागीरदारी प्रथा एवं अमीर-वर्ग

(द जागीरदारी सिस्टम एण्ड नोबिलिटी)

मुगल साम्राज्य के मनसबदारों के वेतन का भुगतान नकद में अथवा आवटन के रूप में प्रदान की गयी भूमि-क्षेत्र द्वारा होने वाली आय से होता था। इन क्षेत्रों में उन्हें लगान तथा सम्राट द्वारा लगाये गये या अनुमोदित अन्य करों को वसूल करने का अधिकार था। इस प्रकार सुपुर्द किये गये क्षेत्र 'जागीर' और 'तुयूल' के नाम से जाने जाते थे तथापि कभी कभी दिल्ली के सुल्तानों के समय में प्रयुक्त होने वाले शब्द 'इक्ता' का प्रयोग भी होता था। नकद में भुगतान पाने वाले अधिकारियों को 'नकदी', और जब उनके पास आवटन होते थे तो उन्हें 'जागीरदार' एवं 'तुयूलदार' कहा जाता था। मीरात उल इस्तिलाह के रचयिता के अनुसार 'तुयूल' शब्द का मूलरूप में प्रयोग वस्तुतः शाही परिवार के शहजादों के आवटनों के लिए हुआ करता था परन्तु कम से कम औरंगजेब के समय में इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः सभी प्रकार के आवटनों के लिए होने लगा था।[2] सम्राट की आय के लिए जो भूमि आरक्षित थी उसे 'खालिसा या खालिसा ए शरीफा' कहते थे। तथा उन इलाकों को, जो प्रदान करने के लिए थे किन्तु जिनका प्रबन्ध कुछ समय के लिए शाही अधिकारियों द्वारा होता था, 'पै-बाकी' कहते थे।[3]

साम्राज्य का अधिकांश भाग 'जागीर' के रूप में नियत था। उदाहरणार्थ, औरंगजेब के शासनकाल के 10वें वर्ष, सम्पूर्ण साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व (जमादामी) 924 करोड दाम में से 725 करोड जागीरदारों को नियत था या पै बाकी में आता था।[4] अकबर के करोड़ी प्रयोग जब एक प्रकार से सम्पूर्ण साम्राज्य को खालिसा के अन्तर्गत रख दिया गया था, की भांति कोई अन्य प्रयोग 17वीं शताब्दी में नहीं दोहराया गया। वस्तुतः, जहांगीर के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में खालिसा घट कर 28 करोड दाम[5] या कुल जमा के 1/20 भाग से भी कम रह गया। लेकिन उस समय के बाद से, विशेषतः शाहजहां के राज्यकाल में खालिसा क्षेत्र में वृद्धि हुई। कुल जमा 880 करोड में से खालिसा की जमा की राशि 120 करोड हो गयी, अर्थात् शाहजहां के राज्यकाल

के 20वें वर्ष में सम्पूर्ण साम्राज्य की कुल जमा में से 1/7 से अधिक खालिसा थी।[6] औरंगजेब के राज्यकाल के 10वें वर्ष में वह कुल जमा का 1/5 भाग थी।[7] इसके पश्चात खालिसा की निश्चित सीमाओं के बारे में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है।

ऊपर दिये गये आँकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि साम्राज्य का अधिकांश भाग खालिसा के अन्तर्गत था। साथ ही सम्राट की आय भी प्रचुर थी जो सीधे उसके खजाने द्वारा एकत्र की जाती थी। इस आय में से वह अपने सैनिकों, तोपचियों, परिचारकों आदि तथा नकदी मनसबदारों के वेतन का भुगतान करता था। इसके बावजूद सत्य यह है कि साम्राज्य के राजस्व का 4/5 से भी अधिक भाग जागीरदारों को दिया जा चुका था।

ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में इस तथ्य के महत्त्व को पूर्णतः नहीं समझा गया है। पाठ्य पुस्तकों, यहां तक कि स्तरीय ग्रन्थों[1] के रचयिताओं ने, राजस्व एवं प्रशासन के अन्य विभागों पर वाद विवाद करते समय यह पूर्व धारणा बना ली है कि खालिसा का प्रबन्ध करने की व्यवस्था सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के समान ही थी। इस प्रकार वे यह विश्लेषण करने में असफल रहे हैं कि जागीरदारी प्रथा प्रशासन के साथ किस प्रकार जुड़ी हुई थी तथा किस प्रकार इस संस्था के चालू रहने के कारण नयी समस्याएँ उत्पन्न हुई जिनके समाधान के लिए समय समय पर तरकीबें अपनायी गयी। प्रस्तुत अध्याय में जागीरदारी प्रथा, सत्रहवीं शताब्दी में इस प्रथा द्वारा उत्पन्न समस्याओं तथा उनका मुगल प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करके प्रचलित विकृति को सही करने का प्रयास किया जायगा।

जागीरों का समर्पण

साधारणतः एक मनसबदार को उसके जात और सवार पदों के लिए वेतन के स्थान पर जागीरें दी जाती थीं। ऐसी जागीरों को 'जागीर-ए-तनख्वाह' या 'तनख्वाह-ए-जागीर' कहते थे।[9]

जब किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्ति के अवसर पर शर्तों के साथ जागीर प्रदान की जाती थी तो उस जागीर को मशरूत या प्रतिबन्धित जागीर कहते थे।[10] उदाहरणार्थ 1672 में जब मुहम्मद अमीन खाँ को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया, उसे उस पद के साथ संलग्न सरकार पाटन तथा वेराम ग्राम की जागीर मशरूत के रूप में प्रदान की गयी।[11] वे जागीरें जिनके अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सेवा के उत्तरदायित्व का बन्धन नहीं था तथा जो पद से स्वतंत्र थीं, इनाम के नाम से जानी जाती थीं।[1] यह निश्चित करना

कि अमुक मनसबदार नकद या जागीर के रूप में वेतन प्राप्त करेगा, सम्राट के ऊपर निर्भर करता था।[12]

चूंकि जागीर नकद वेतन के स्थान पर दी जाती थी, यह अत्यंत आवश्यक था कि उसकी आय कम से-कम उतने वेतन के बराबर हो जिसके लिए वह हकदार था। यदि जागीर की आय कम होती थी तो उसे नुकसान होता और ऐसी दशा में वह अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर सकता था। मोरलैंड ने विविध प्रकार के आंकड़े उद्धृत किये हैं जिन्हें प्रत्येक महाल[11] अथवा राजस्व की इकाई का औसत या साधारण आय माना गया था, और जिनके आधार पर सभी जागीर आवंटन नियत किये जाते थे। अकबर के समय इन आंकड़ों को जमा दाम के अंतर्गत रखा गया था जिसको गलती से 'मूल्यांकन' समझा गया है।[13] उसी श्रेणी के आंकड़ों के लिए जमादामी शब्द का प्रयोग 17वीं शताब्दी में हुआ। सम्भवतः ऐसा इसलिए हुआ कि आंकड़ों का उल्लेख 'दाम' में होता था, जिसका परिकलन निश्चित अनुपात के हिसाब से 1 रुपये में 40 दाम होता था। वेतनों के लिए भी इकाई की इसी संज्ञा का प्रयोग होता था, हालांकि प्रचलित मुद्रा रुपया ही थी, और मूल तांबे के दाम के मूल्य में उसके पहले के मूल्य—एक रुपये का 1/40—से वृद्धि हो चुकी थी।[14] इस नये शब्द जमादामी का महत्त्व यह है कि अब हम, जिस आधार पर जागीरें प्रदान की जाती थीं उनकी जमादामी के आंकड़ों व गांव के व्यक्तिगत किसान की साधारण जमा या किसी मौसम में उसकी जमादामी के आधार पर दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।

जब कभी किसी व्यक्ति को जागीर प्रदान की जाती थी तो जो भी परगने या गांव उसे प्रदान किये जाते थे उनकी जमादामी सरकारी खाता में उसके वेतन के बिलकुल बराबर होती थी। यह उन आदेशों से स्पष्ट है जिनके द्वारा जागीरें प्रदान की गयीं और जो आदेश अब भी उपलब्ध हैं। इनमें सबसे पहले, अभ्यर्पिती का पद उल्लेखित रहता था। उसके पश्चात अनुमोदित की गयी तालिकाओं एवं उसके पद के अनुसार उसे कितना वेतन मिलना चाहिए इसका ब्यौरा उसमें दिया रहता था। इसको 'मुकर्रर तलब' या 'अनुमोदित दावा' कहते थे। इस दावे की पूर्ति करने के लिए, जमादामी आंकड़ों के साथ परगनों का ब्यौरा दिया रहता था। जमादामी आंकड़ों का योग वेतन दावे (अथवा वेतन के लिए किये गये दावा) की राशि के बराबर हुआ करता था।[17] ऐसी स्थिति में जब अनुमोदित वेतन-दावा की राशि का भुगतान एक परगने की कुल जमा को न प्रदान कर उसके एक भाग द्वारा की जाती थी तो उस भाग का ब्यौरा दे दिया जाता था। ऐसी स्थिति में 'दीवानी' अथवा सरकारी वित्तीय विभाग परगने के गांवों का अभ्यर्पितियों के मध्य, जिनकी जमा के लिए का दावा उन होता था,

विभाजित करने (तिस्मत) का आदेश देता था।[18] परन्तु प्रशासन का प्रबल सदैव इस ओर होता था कि एक सम्पूर्ण परगने (महाल) को दो तीन जागीरदारों में मध्य विभाजित करने के स्थान पर किसी एक जागीरदार को प्रदान किया जाय।[19]

सत्रहवीं शताब्दी में यथार्थत किस प्रकार जमादामी आँकड़े मालूम किये जाते थे यह एक अस्पष्ट विषय है। जैसा अकबर[9] के शासनकाल में होता था कि पिछले दस वर्षों (दह साला) में एकत्र किये हुए राजस्व (हाल व हासिल) का औसत निकाल कर जमादामी मालूम की जाती थी यही ढंग उसके उत्तराधिकारियों के समय में प्रचलित रहा या नहीं इस विषय की विवेचना प्रत्यक्ष रूप से किसी भी समकालीन इतिहासकार ने नहीं की है। फिर भी जैसा हम निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि केन्द्रीय प्रशासन परगना के हाल ए हासिल सम्बन्धी कागजों तथा प्रान्तों के दस वर्षों के राजस्व (मुवाज़ना ए दह-साला) के तुलनात्मक ब्यौरों[1] की सूचनाएं एकत्र करने में रुचि रखता था।

निःसन्देह अकबर के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों की यह समस्या कि जमा व हासिल[2] में बहुत ही अन्तर था, ज्यों-की त्यों बनी रही। यदि उसके सम्बन्ध में कुछ कहा भी जा सकता है तो यह कि 17वीं शताब्दी में यह समस्या और अधिक गम्भीर बन गयी। दक्खन की द्वितीय वायसरायटी के समय औरंगज़ेब ने शाहजहाँ से निवेदन किया कि इन सूबों (दक्खन के) की जमादामी घटाने (अनुमोदित) के पश्चात 1 449 000 000 दाम है। उसका वास्तविक राजस्व (मत्सूल) घटाई हुई राशि 1 200 000 रुपये को मिला कर जिस दीवानों ने गढ़ नहीं किया और उस प्राकृतिक प्रकोप (आफत) में रख दिया 10 000 000 रुपया होता है (अर्थात 400 000 000 दाम), जो जमादामी के औसत का तिमाही (या एक चौथाई) भी नहीं होता है।[3] इस कथन का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि साम्राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी ही स्थिति थी। फिर भी सकल हासिल की रकम यदा कदा ही जमा की कुल रकम के बराबर होती थी। एक प्रपत्र में अवध में दो जागीरों को पट्टे पर देने का उल्लेख है जिसमें हम इस आशय के कथन मिलते हैं कि उनमें से एक जागीर आठ माहा और दूसरी सात माहा व सात दिन के लिए पट्टे पर थी क्योंकि पहले उदाहरण में जमा 440 000 दाम और पट्टे से आय 7 333 रुपये 4 आने थी और दूसरे उदाहरण में आँकड़े क्रमशः 210 000 दाम और 3 162 रुपये[4] थे। जहाँ तक इस अन्तर की प्रकृति एवं प्रभाव का, मासिक नियम के अन्तर्गत नियमित मनसबदारों के वेतन एवं उत्तरदायित्व को प्रभावित करने का प्रश्न है उसके बारे में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

यदि राजस्व प्रत्याशा से बहुत कम वसूल होता तो कभी-कभी समजन कर

दिया जाता था। इस प्रकार की कटौती को 'तख्फीफ ए-दामी' कहते थे। ऐसे उदाहरणो म, जागीरदार घटी हुई धनराशि का हकदार था, ताकि जमादामी को उसके वेतन के बराबर रखा जा सके। यह समजन या तो राजकोष म से नक्द भुगतान करके या उसी राशि के बराबर की अतिरिक्त जागीर प्रदान करके किया जाता था।[5] इसी प्रकार से यदि जागीरदार द्वारा वास्तविक वसूल किय गये राजस्व की वास्तविक राशि जमादामी स या जागीरदारो के लिए अनुमोदित 'मासिक अनुपात' म अधिक होती थी, तो उसका अन्तर अभ्यर्पिती से वसूल किया जा सकता था।[26] कभी-कभी कोई ईमानदार जागीरदार स्वय इस बात की सूचना दे दिया करता था कि उसने मासिक अनुपात द्वारा निर्धारित राशि स अधिक राजस्व वसूल कर लिया था। ऐस उदाहरणो म जागीरदार का सवार पद बढा कर शेष राजस्व समजित किया जा सकता था।[7] समय समय पर आवटनो के राजस्व सम्बन्धी पत्रो म सशोधन भी किये जात थे, कागज पर जागीर के मूल्य की तुलना वसूल किय गय वास्तविक राजस्व स भी प्राय की जाती थी और तदनुसार जिस श्रेणी की जागीर होती थी उसके मासिक अनुपात म परिवतन कर दिय जात थ।[28]

जागीरो का अन्तरण

जागीरो की प्रकृति ही अन्तरणीय थी। मुगल साम्राज्य का यह निश्चित सिद्धान्त था कि किसी भी व्यक्ति के पास दीघकाल तक एक वही जागीर न रहे। अबुल फज़ल ने जागीर का माली द्वारा अपने पौधो को प्रतिरोपित करने की तरह बताया है।[29] हाकिन्स स लकर बर्नियर तक 17वी शताब्दी के सभी यूरोपीय यात्रियो ने यह देखा कि 'वतन-जागीरो' को छोड कर, सभी जागीरो का प्रत्यक तीसर या चौथे वष अन्तरण या तगय्युर होता था।[30] वस्तुत अन्तरण के सम्बन्ध मे हमारे इस कथन का वास्तविक आधार ऐतिहासिक ग्रन्थो, पत्रो, अपत्रो म उपलब्ध वास्तविक साक्ष्य हैं—यह सम्पूण सामग्री इतनी विपुल है कि यहाँ उस उद्धरित नही किया जा सकता। इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि प्रशासकीय पत्रो के किसी भी सग्रह जसे आदाब ए आलमगीरी या निगार नामा ए मुन्शी म अन्तरण के अनेक उदाहरण मिलेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के आवटनो के लिए कोई भी समय निश्चित नही था, जसा कि भीम सेन न कहा है कि 'जागीरदारो के प्रतिनिधि' कभी भी 'यह आशा नही करते थ कि अगल वष के लिए जागीरो का अनुमान (बहाली) कर दिया जायगा।[31]

जागीरदारो के दृष्टिकोण स अन्तरण प्रणाली म कुछ जटिलताएँ थी। अन्तरण के लिए यह पूव कल्पना कर ली गयी थी कि बगाल व उडीसा को छोड कर सभी स्थानो मे रबी और खरीफ की फसलो का मूल्य सामान्य था।[3] वास्तव मे

रबी व खरीफ की फसलें कहीं भी सामान्य मूल्य की नहीं हुआ करती थी, परिणामस्वरूप वर्ष के मध्य में अन्तरण के कारण जागीरदारों को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता था। कभी-कभी तो अमीर्लगिनी को पहले की बकाया रकम वसूल करके खज़ाने में भेजना पड़ता था।[33]

जागीरों का अन्तरण केवल सिद्धान्तवश ही नहीं किया जाता था। प्रायः उनका स्थानान्तरण इसलिए भी किया जाता था कि जब किसी मनसबदार को किसी प्रान्त में सेवा के लिए भेजा जाता तो उसे वहाँ जागीर देना आवश्यक समझा जाता था और इसी प्रकार जिन्हें वहाँ से बुला लिया जाता था उन्हें अन्यत्र जागीर प्रदान करने की आवश्यकता होती थी। शाहजहाँ के समय में जब औरंगज़ेब दक्खन का वायसराय था तो उसने अनेक अवसरों पर सदैव इस बात का विरोध किया कि उसके साथ तनात व्यक्तियों की जागीरें उत्तरी भारत से अन्तरित की जा रही थीं यद्यपि उसके विरोध का कोई नतीजा नहीं निकला।[34] सम्राट के रूप में 1694 ई० में उसने आदेश दिया कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को जो दक्खन में सेवा कर रहे थे वहीं जागीरें प्रदान की जायें।[35] मीरात-ए-अहमदी में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्हें गुजरात में एक ही स्थान का फौजदार और जागीरदार नियुक्त किया गया था।[36] जागीरों को प्रदान करते समय एवं उनका अन्तरण करते समय एक अन्य बात ध्यान में रखी जाती थी कि जागीरदारों को उन प्रदेशों की व्यवस्था करने के योग्य होना चाहिए जो उन्हें प्रदान किये जाते थे। फर्रुखसियर के समय लिखी गयी एक प्रशासनिक नियम-पुस्तक में सिफारिश की गयी है कि जागीरों को निम्नलिखित सिद्धान्त के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए— गवर्नरों को अपनी जागीर का 1/4 भाग विद्रोही (जोरतलब) क्षेत्रों में तथा शेष मध्य श्रेणी (औसत) वाले क्षेत्रों में मिलना चाहिए, दीवानों, बख्शियों तथा अन्य उच्च मनसबदारों को मध्य श्रेणी के इलाकों में आधी जागीरें तथा शेष राजस्व देने वाले (रयती) इलाकों में मिलनी चाहिए, छोटे मनसबदारों की जागीरें पूर्णतः रयती क्षेत्रों में होनी चाहिए।[37]

साम्राज्य की एकता एवं सम्बद्धता के लिए जागीरों की अन्तरण प्रणाली का होना आवश्यक था। इस अन्तरण द्वारा ही अमीरों या सैनिक अधिकारियों को स्थानीय जनता से सम्बन्ध स्थापित करने तथा स्थानीय शक्तियों के रूप में विकसित होने से रोका जा सकता था। इस प्रणाली के अन्तर्गत ही वे देश के किसी भी भाग को अपना नहीं कह सकते थे और उन्हें पूर्णतः सम्राट की इच्छा पर ही निर्भर रहना पड़ता था।

वतन जागीरें

केवल वतन-जागीरें ही जागीर अन्तरण की साधारण प्रणाली में अपवाद

थी। वतन जागीरो की उत्पत्ति जमीदारो या क्षेत्रीय सरदारो को मुगल सेवा म प्रवेश करन के साथ हुई। सरदारो ने मनसब या पद प्राप्त किये, जिसका वेतन उनके ग्रधिराज्य की जमा के बराबर होता था परतु उनके ग्रधिराज्य ग्रध-स्वतन्त्र थे ग्रत जमा का परिकलन मनमाने ढग से होता था।[38] उनके पुराने ग्रधिराज्य वतन कहे जाते थे जो उनके परिवार के ही हाथो मे रहा करते थे, जसा कि राजा इन्दरसिंह न ग्रौरगजेब को भेजे गये एक प्रतिवदन म लिखा था—'ग्रधिष्ठित प्रथा यह थी कि वतनदारो की मृत्यापरान्त उनके वतन के निर्धारित राजस्व (दमहा) के ग्रनुसार (उनके उत्तराधिकारियो को) मनसब दिये जाते हैं।'[39]

सिद्धान्तत सम्राट किसी भी वतन जागीर म उत्तराधिकार का प्रश्न निश्चित करने म स्वतत्र था। किन्तु नियमत सम्राट ने शासन करने वाले वश से उसकी वतन जागीर को न तो पूणत ग्रौर न ही उसके किसी भाग को पुनग्रहीत किया।[40] इस प्रकार 1679 ई० म ग्रौरगज़ेब द्वारा जोधपुर को खालिसा म विलयित करने के कारण राठौडा म ग्रत्यधिक ग्रसन्तोष उत्पन्न हुग्रा, क्योकि उन्होने उसके इस काय को ग्रधिष्ठित परम्परा का उल्लघन समझा।[41] उसी शासनकाल के कुछ ग्रन्य उदाहरणा मे न तो वशगत उत्तराधिकारी के ग्रभाव को ग्रौर न ही विद्रोह को वतन जागीर को पुनग्रहीत करन का पर्याप्त कारण समझा गया। ग्रौरगज़ेब के विरुद्ध विविध प्रकार की विरोधात्मक कायवाहियो के बावजूद 1659 ई० मे मारवाड के जसवन्तसिंह को क्षमा कर दिया गया ग्रौर उसके वतन को ग्रछूता छोड दिया गया।[42] मुकुन्दसिंह हाडा के पुत्र जगतसिंह जो 2 000/1 000 का मनसबदार था की मत्यु (1681 ई०) हो गयी ग्रौर उसका कोई पुत्र नही था। उसका वतन रतनसिंह के पुत्र किशोर को जो दिवगत जगत-सिंह का निकटतम सम्बधी था प्रदान कर दिया गया।[43] ग्रौरगज़ेब के 43वें राजकीय वप म बीकानेर के राजा करन न सम्राट के विरुद्ध विद्रोह किया ग्रौर जब उसने ग्रमीर खा की मध्यस्थता पर समपण किया तो उसे क्षमा कर दिया गया ग्रौर उसे मनसब प्रदान किया गया तथा उसकी वतन जागीर को हाथ भी नही लगाया गया।[44]

वतन जागीर वालो के मनसबो म यदि कोई वृद्धि होती थी या प्रारम्भ ही से उनके पास ऐसा मनसब होता जिसका वेतन उनकी वतन जागीरो की जमादामी से पूण नही हो पाता था तो उन्हे उनकी वतन जागीरो के ग्रतिरिक्त साधारण तनख्वाह-जागीरें प्रदान कर दी जाती थी।[45] उदाहरणाथ, यद्यपि महा राजा जसवन्तसिंह के पास सम्पूण मारवाड वतन जागीर के रूप म था, लेकिन उसके पास हिसार (सूबा दिल्ली) म भी जागीरें थी। जब वह दूसरी बार गुजरात का सूबदार नियुक्त हुग्रा उसी मूल्य की जागीरें उसे गुजरात म प्रदान

कर दी गयी।[46]

यह आवश्यक नहीं था कि वतन जागीरें एक पद या मनसब के लिए ही दी जायें। जैसा कि हमें मालूम है कि एक उदाहरण में वह इनाम में या बिना किसी उत्तरदायित्व के, वतन के रूप में प्रदान की गयी थी।[47]

जैसा कि हम ऊपर विवेचित कर चुके हैं वतन जागीरों की उत्पत्ति उन ज़मींदारों के साथ समझौते के कारण हुई जिनका मुग़ल साम्राज्य के विस्तार से पूर्व से ही अपने वतन (मातृभूमि) पर अधिकार था। साधारणतः ग़ैर ज़मींदारों के हाथों में वतन जागीर जैसा कोई इलाका नहीं था। इन मनसबदारों को रियायत देने के लिए जहाँगीर ने अलतून-तमग़ा (या अल तमग़ा) जागीरों को जो स्थायी रूप से उनके पास रह सकती थी स्थापित करने का निर्णय लिया।[48] किन्तु यह जागीरें जन्म भूमि या सम्भवतः किसी अमीर के परिवार के निवास-स्थान तक ही सीमित थीं और उनकी तुलना राजपूत सरदारों के विशाल पैतृक अधिराज्यों से नहीं की जा सकती। औरंगज़ेब के शासनकाल से सम्बन्धित अल तमग़ा जागीरों के बहुत ही कम सदर्भ उपलब्ध हैं। किन्तु एक उच्चाधिकारी के अनुरोध से प्रतीत होता है कि यह उस समय भी प्रदान की जाती थी। उसने अनुरोध किया था कि लाहौर प्रान्त में अल-तमग़ा में 10 लाख दाम आय की जागीर प्रदान करके उसे उसके परिवार को फारस से लाने में सहायता पहुँचायी जाये।[49]

जागीरदारों के वित्तीय अधिकार

आवंटन सम्बन्धी आदेशों में लगभग निश्चित शब्दों में सम्राट द्वारा जागीरदारों को प्रदत्त अधिकारों का विवरण दिया रहता था। स्थानीय अधिकारियों और 'मुखिया, भूमिधारियों और किसानों' को यह सूचित किया जाता है कि 'वे उचित ढंग एवं सच्चाई से प्राधिकृत राजस्व (माल ए वाजिबी) तथा राज्य के सभी दावों (हुकूक ए दीवानी) के बारे में नामज़द किये हुए व्यक्ति (अर्थात जागीरदार) के प्रतिनिधियों (गुमाश्ता) के प्रति उत्तरदायी हों।[50] जागीरदार को जागीरदार के रूप में लगान और प्राधिकृत करों को वसूल करने के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार प्रत्यायुक्त नहीं किये जाते थे। इस अधिकार के लिए भी उससे यह आशा की जाती थी कि वह उसका प्रयोग शाही नियमानुसार ही करेगा। मोरलैण्ड ने यह इंगित किया है कि अबुल फज़ल की भाषा में किंचित भी सन्देह की गुंजाइश नहीं है कि जागीरें उन आदेशों से अनुबन्धित थीं जिनके अनुसार लगान का आकलन करना और उसके वसूल किये जाने की कार्यविधि अवलोकित की गयी थी।[51] रसिकदास करोड़ी के नाम 8वें राजकीय वर्ष में राजस्व व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी किये गये वृहत फरमान में औरंगज़ेब द्वारा

इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है—'जागीरदारों के महालों (परगना) के सभी कर वसूल करने वालों (आमिलों) को इनमें दिये हुए नियमों का पालन करना है।' औरंगजेब द्वारा रसिकदास तथा मुहम्मद हाशिम के नाम जारी किये गये फ़रमानों में यह आदेश दिया गया था कि कुल उत्पादन का आधे से अधिक लगान के रूप में धन नहीं लिया जाना चाहिए और इस आदेश का पालन जागीरों में भी किया जाय। एक असाधारण उदाहरण, जहाँ जागीरदारों ने इस आदेश के उल्लंघन करने की चेष्टा की किन्तु उसके बारे में पता चल गया, का उल्लेख एक ऐसे आदेश में है जिसे मीरात ए अहमदी में उद्धृत किया गया है—'अनाज के ऊँचे भाव के कारण (किसानों पर) कर की निर्धारित की गयी दर (जमा) की राशि अधिकतम सीमा तक पहुँच गयी। उसके पश्चात अनाज सस्ता हो गया। जागीरदारों तथा राजस्व अधिकारियों (मुतसद्दियों) ने पहले की जमा को ध्यान में रखते हुए धमकी देकर मनमाना कर निर्धारित (जमाबन्दी) किया। उन्होंने फसल का आधा भाग लेने का निश्चय किया और उपज का आकलन 250 मन किया जबकि वास्तविक उपज केवल 100 मन ही हुई। (250 मन का आधा अर्थात 125 मन लगान के रूप में माँग कर) उन्होंने उसका (किसान का) जीवन एक वर्ष तक दयनीय बना दिया और उसकी सम्पूर्ण कमाई छीन ली तथा उसे मार मार कर खेत जोतने पर विवश कर दिया। (इसलिए यह आदेश दिया गया) कि वे उपज का केवल आधा भाग ही लें तथा इससे अधिक किसी अन्य प्रकार की माँग न करें।"[53]

इस प्रकार के साधारण कथन कि कुल उपज का आधे से अधिक भाग जागीरदार लगान के रूप में वसूल न करें, तत्कालीन शासन के राजस्व-सम्बन्धी

का, जो उसके प्रतिबन्धो का उल्लघन करने के लिए अभियोगी थे, दण्ड देने में हिचकिचाता था तथा कुछ सीमा तक ऐसा इस कारण भी था कि दीवान निषिद्ध वस्तुओ पर लागू कर से प्राप्त आय को जागीर की जमादामी में सम्मिलित करते रहे और इस प्रकार जागीरदारो के लिए सिवाय इसके कि वे अपने वेतन की सम्पूर्ण धनराशि को पूर्ण करने के लिए उन्हे वसूल करें उनके सम्मुख कोई अन्य विकल्प न रहा।[57] मीरात में उल्लिखित निम्नलिखित घटना से निश्चित ही सम्राट की उदारता दिखलायी पडती है। 1668 ई० में सम्राट को सूचना दी गयी कि पालमपुर का फौजदार, कमाल जौहरी गऊ चराई तथा 'खुराक ए आस्पान' वसूल किया करता था। जाच के पश्चात आदेश दिया गया कि उसमे कहा जाय कि वह उन्हे वसूल न करे।[58] यह तथ्य कि मुतसद्दियो द्वारा कमाल जौहरी के विरुद्ध की गयी शिकायत पर सम्राट ने उसे केवल ऐसा करने पर मना किया और उसे कोई भी दण्ड न दिया इस बात का द्योतक है कि आदेशो का उल्लघन करना बहुत ही आम बात थी। 1659 में औरगजेब ने मुहतासिब, मुल्ला ईवाज वाजिह को इसलिए नियुक्त किया कि वह इस बात को देखे कि जिन शुल्को को उन्मूलित किया जा चुका था वे वसूल न किये जायें और कुछ मुतसद्दियो एव अहदियो को आदेश दिया गया कि आवश्यकता पडने पर वे मुल्ला ईवाज की सहायता करें। साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तो में शुल्को आदि के उन्मूलन के लिए भी आदेश भेजे गये।[59] किन्तु प्रत्यक्षत अपने उद्देश्य में मुहतासिब को केवल सीमित सफलता ही प्राप्त हुई।

जागीरो का प्रशासन

जागीरदारो को अपनी जागीरो में राजस्व तथा कर वसूल करने के लिए अपने ही प्रतिनिधि रखने पडते थे। नि स देह बडे जागीरदारो द्वारा की गयी व्यवस्था छोटे मन्सबदारो की अपेक्षा, बहुत ही सुव्यवस्थित आधार पर हुआ करती थी। शाहजादा की जागीरो का प्रशासनिक ढाचा आमतौर पर खालिसा के प्रतिरूप ही तैयार किया जाता था। शाहजादा की जागीरो के परगनो के आमिलो को करोडी (कर वसूल करने वाले) कहा जाता था। वस तो यह नाम खालिसा मे राजस्व एकत्र करने वालो के लिए ही सुरक्षित था।[60] स्वतन्त्र सहयोगी के रूप में उनके साथ एक 'अमीन' (कर निर्धारित करने वाला), एक फोतदार (खजाची) और एक कारकून (लिपिक) भी हुआ करता था।[61] कभी कभी इनमे से कुछ पद एक ही व्यक्ति को दे दिये जाते थे। उदाहरणार्थ, मुहम्मद मुअज्जम ने आदेश दिया था कि उसकी जागीर के परगनो में अमीन व करोडी के पद सयुक्त कर दिये जायें तथा एक ही व्यक्ति के हाथो में हो।[6]

सामान्य जागीरदार का मुख्य प्रतिनिधि (गुमाश्ता) आमिल हुआ करता

था, जिसे 'गिरदार' भी कहा करते थे। कभी-कभी अमीर और ख्वाजाओं के साथ भी उसे सौंप दिये जाते थे। प्रायः जागीरदार आमिलों को, भविष्य में वसूल किये जाने वाले धन के लिए, जैसा कि खालिसा में हुआ करता था, एक इकरारनामा या अनुबंध-पत्र निष्पन्न करने के लिए भी बाध्य करते थे। जागीरदार आमतौर पर आमिलों से कुछ धन, जिसे 'कब्ज' कहते थे, वसूल किया करते थे और सर्वत्र प्रथा यही थी कि जो व्यक्ति सबसे अधिक कब्ज जागीरदार को दे उसी को आमिल नियुक्त किया जाय।[63] नियमतः जागीरदार उन्हीं व्यक्तियों को अपनी जागीर में अपना प्रतिनिधि एवं अधिकारी नियुक्त करता था जिनके उस इलाके में निजी हित नहीं होते थे, ताकि उसके अधिकारी, विशेषत आमिल, जिनके सम्बन्ध स्थानीय जनता से हुआ करते थे, जमींदारों आदि से मिलकर जागीरदारों के हितों के विरुद्ध कार्य न कर सकें।[64] कभी-कभी, विशेषत जबकि वह अपनी जागीर से बहुत दूर हो, जागीरदार को अपने प्रतिनिधियों पर नियन्त्रण रखने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। औरंगजेब के एक उच्च अधिकारी, ईजाद बख्श रसा ने आलंकारिक ढंग से शिकायत की कि "जब वह दक्खन में सेवा कर रहा था, तो उत्तरी भारत में उसकी जागीर रूपी नाव, उसके आमिलों द्वारा किये गये गबन की बाढ़ में डगमगा रही थी।"[65]

कुछ जागीरदारों ने, अपनी जागीरों के कुछ हिस्सों को अपने सनियों में बाँट कर अपने भार का कुछ भाग उनके कंधों पर डालने की चेष्टा की तथा उनसे यह कहा कि वे उन गाँवों में, जो उन्हें अपने मालिक की जागीरों से प्राप्त हुए थे, राजस्व एकत्र कर अपना वेतन प्राप्त करें।[66] छोटे जागीरदारों को जिनके पास इतने साधन नहीं होते थे कि वे दूर बैठकर राजस्व वसूल कर सकें विशेष रूप से एक अन्य प्रथा—इजारा अर्थात् लगान वसूल करने का ठेका दे देने की प्रथा—बहुत ही पसन्द थी।[67] इलाहाबाद में परिरक्षित प्रबंध से सम्बन्धित प्रपत्रों में उल्लिखित सभी इजारा व्यवस्थाएँ छोटे जागीरदारों द्वारा की गयी थीं।[68] इसके विपरीत बड़े जागीरदारों के पास आमतौर पर आमिलों एवं अन्य अधिकारियों की पूरी सेना कर वसूल करने के लिए थी। किन्तु बड़े अमीर भी कभी-कभी अपनी जागीरें को इजारा पर उठा दिया करते थे। उदाहरणार्थ 1696 में कश्मीर से इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि बड़े अमीरों ने, जिन्हें कश्मीर में जागीरें प्रदान की गयी थीं, व्यापारियों को इजारे पर जागीरें उठा दी थीं और वे बहुत ही क्रूरतापूर्वक राजस्व वसूल कर रहे थे।[69]

किसानों के लिए इजारा अभिशाप समझा जाता था। इजारेदार सर्वोच्च वाली बोली कर अपने लिए कार्य प्राप्त कर लेते थे। तदुपरान्त वे अपने लिए लाभ कमाने और जागीरदार को दिये गये वचनों को पूरा करने के लिए कोई

बसर नहीं छोड़ते थे। शाहजहाँ के इतिहासकार सादिक खां के अनुसार यह प्रथा शाहजहाँ के राज्यकाल में बहुत ही आम हो गयी थी और किसानों की बर्बादी के कारणों में एक थी।[70] दरबार में नैतिक दृष्टि से इजारे की कठोर निन्दा की जाती थी और यह बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि कश्मीर के उदाहरण में जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है औरंगजेब ने इस प्रथा को वहाँ समाप्त करने के लिए सभी जागीरों का खालिसा में सम्मिलित कर, कठोर कदम उठाया।[71] किन्तु ऐसा कोई भी विश्वास करने योग्य कारण नजर नहीं आता कि इजारा कानूनी रूप से निषिद्ध था। यदि ऐसा होता तो इलाहाबाद में जो नियमित इजारा प्रपत्र परिरक्षित हैं, वे न तो तैयार किये जाते और न ही लिपिबद्ध।

जागीरदार और जमींदार

18वीं शताब्दी की एक नियम-पुस्तक मीरात अल इस्तिलाह के रचयिता ने जमींदार शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी है— इसका शाब्दिक अर्थ जमीन का मालिक (साहिब ए-जमीन) है किन्तु अब (वास्तव में) वह एक गाँव की जमीन या कस्बे का मालिक होता है जो खेती (भी) करता है।[7] इस प्रकार जमींदार केवल ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास केवल वही भूमि होती थी जिस पर वह खेती करता था। आर्थिक स्तर में अनेक छोटे-मोटे जमींदार उन समृद्धशाली किसानों से मिलते जुलते थे जो अपने खेतों को पट्टे पर उठा दिया करते थे। इसके बिलकुल विपरीत करद सरदार तथा स्वायत्तशासी राजा थे जिन्हें मुगल सार्वजनिक अधिलेखा कार्यालय जमींदार कहा करता था।

यह एक स्मरणीय तथ्य है कि अकबर से औरंगजेब के समय तक जो राजस्व-सम्बन्धी सामान्य नियम लागू किये गये उनके अन्तर्गत प्रस्तावित स्तरीय राजस्व व्यवस्था में से जमींदारों को पृथक रखा गया। उदाहरणार्थ रसिकदास के लिए औरंगजेब के फरमान में इस बात पर बल दिया गया है कि खालिसा तथा जागीरदारों के अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसानों पर ही राजस्व निर्धारित किया जाय। उसमें जमींदार का केवल एक ही बार उल्लेख है और वह भी अवैध करों को उगाहने के सम्बन्ध में।[73] दूसरी ओर ऐसे साक्ष्य अत्यधिक मात्रा में हैं कि जमींदार पूरे गाँवों की ओर से राजस्व का भुगतान करते थे। वाकया ए अजमेर (1679 80)[74] और रायद अन्दाज खां (1700 ई०) के बसवारा तथा अवध[75] से सम्बन्धित पत्रों में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जमींदार उन इलाकों में जो जब्त या स्तरीय प्रशासन के अन्तर्गत आते थे आईन में दी हुई दर सम्बन्धी तालिकाओं के अनुसार लगान (माल) दे रहे थे या उन्हें लगान देने के लिए बाध्य किया गया था।

एक सम्भव व्याख्या यह हो सकती है कि प्रत्येक इलाके में कुछ भूमि जमींदारों के अन्तर्गत हुआ करती थी, जबकि शेष भूमि किसानों (रयती) के हाथों में। और वहाँ कोई भी जमींदार बिचौलियों के रूप में नहीं हुआ करता था। यह स्मरणीय है कि इस प्रकार का व्यापक वर्गीकरण औरंगजेब के शासनकाल में रचित सियक्नामा नामक नियम-पुस्तक में दिया हुआ है, जहाँ भूमि दो वर्गों में विभाजित की गयी है—'रयती' (किसान द्वारा हस्तगत) और 'ताल्लुका'। 'ताल्लुका' शब्द अब धीरे धीरे जमींदारी का पर्यायवाची बन रहा था।[76]

यदि उपर्युक्त परिकल्पना स्वीकार कर ली जाय तो आमतौर पर एक जागीरदार को अपनी जागीर में किसानों और जमींदारों, दोनों से ही निबटना पड़ता था। यह अन्त ही सम्भव है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति रही हो कि जमींदार के हाथों में रहने वाली जमीन को सरसरी तौर पर कूतने के पश्चात बिना किसानों से सम्पर्क स्थापित किये हुए, उनसे राजस्व वसूल कर लिया जाय। इसका उल्लेख औरंगजेब के शासनकाल से सम्बन्धित अवध के दो जोड़ी प्रपत्रों में मिलता है। दोनों ही में करदाता उन गाँवों का जमींदार (मालिक) या ताल्लुकेदार है जिनके लिए उसने राजस्व का भुगतान किया है। दोनों ही उदाहरणों में कर निर्धारक जागीरदार के प्रतिनिधि हैं। किन्तु जबकि प्रपत्रों की प्रथम जोड़ी में लगान प्रतिवर्ष परिवर्तित होता दिखाया गया है, दूसरे में प्रत्येक वर्ष के लिए उसी राशि (बिल मुक्ता) पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार दूसरे में जागीरदार की माँग किसानों के वास्तविक पैदावार से स्वतन्त्र थी।

लगान या भूमि-कर का सरसरी तौर पर निर्धारण तथा जमींदारों के द्वारा उसके वसूल किये जाने में साधारणतः जागीरदारों तथा उनके प्रतिनिधियों के काम को काफी सुलभ बना दिया जाता। इसकी भी आशा की जा सकती है कि उन्होंने जमींदारी प्रथा का स्वागत किया हो। इस पर भी जमींदारों के ही विरोध एवं वैमनस्य का उन्हें सर्वाधिक सामना करना पड़ा। अत्यधिक कर-निर्धारण जमींदारों को उनकी आय से वंचित कर सकता था, और ऐसी स्थिति में वे अपने सशस्त्र परिवारों का कुछ उदाहरणों में किसानों की सहायता से साथ प्रयोग करते हुए जागीरदार की अवज्ञा कर सकते थे। हिदायत उल-क़वायद में जमींदारों का वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया है—एक आज्ञाकारी एवं कर का भुगतान करने वाले (रयती) थे तथा दूसरे विद्रोही (जोरतलब) थे। उसमें आगे कहा गया है कि एक जागीरदार जिसका मनसब कम होता था उसे आम तौर पर विद्रोही जमींदारों का दबाव में बड़ी कठिनाइयाँ होती थीं।[8] इज़ाद बख्श रसा द्वारा ईश्वर के नाम एक अर्ध हास्यपूर्ण अर्जी में यह बताया गया है कि अपनी जागीर में प्रवेश करने के उपरान्त सबसे पहले जागीरदार को उद्दण्ड

ज़मीदारों को दबाना पड़ता था।[79]

इस प्रकार के व्यतिक्रमणों के कारण एक ज़मीदार अपनी ज़मीन्दारी अधिकारों से हाथ भी धो सकता था। किन्तु रन्‍ अन्दाज़ खाँ के पत्र यह स्पष्ट कर देते हैं कि सम्राट के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति ज़मीन्दार को न तो बर्खास्त कर सकता था और न ही उसकी नियुक्ति कर सकता था। एक अधिकारी या जागीरदार केवल अपनी सिफारिश (तजवीज) ही दरबार में भेज सकता था।[80] कभी-कभी उसी पुराने परिवार का कोई अन्य सदस्य उस विद्रोही ज़मीन्दार के स्थान पर नियुक्त किया जा सकता था। औरंगज़ेब के समय में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब बाहरी व्यक्तियों को जो प्रायः मुसलमान होते थे भी नियुक्त किया गया था।[81] नियुक्ति के लिए मुख्य शर्त यह थी कि मनोनीत व्यक्ति के पास एक जुलूस या सशक्त परिचरों का एक समूह हो।[8] असाधारण उदाहरणों में, एक जागीरदार स्वयं उस क्षेत्र का जो कि उसके अन्तर्गत हो ज़मीदार नियुक्त किया जा सकता था। मथुरा के निकट के एक जागीरदार के लिए दरबार द्वारा जारी की गयी ज़मीन्दारी की सनद में ऐसा उदाहरण मिलता है। सनद इस प्रकार है— जैसा कि महान सम्राट के समक्ष यह अनुमोदित किया गया है कि नवाब बहादुर हसन अली खाँ बकला इस्लामाबाद (मथुरा) के फौजदार ने सिफारिश की है कि सूबा अकबराबाद के सन्दर नामक परगने में स्थित 25 गावों (जिनका विवरण नीचे दिया हुआ है) को जहाँ विद्रोही निवास करते हैं तथा जो दौलत के पुत्र नवाब कासिम की जागीर में है ज़मीन्दारी में कासिम को प्रदान कर दिया जाय और उसने अर्जी दी है कि दरबार द्वारा फरमान जारी किया जाय तथा आदेश दिया जाये कि उपर निर्दिष्ट गावों को कासिम की ज़मीन्दारी में दे दिया जाये। अतः शाही आदेश जारी किया गया है कि हमने कथित गावों की ज़मीदारी कासिम को प्रदान कर दी है जिससे वह अभद्र विद्रोहियों को वहाँ से निकाल सके और लगान का भुगतान करने वाले किसानों को वहाँ बसा सके। जब तक यह गाँव उस जागीर में है वह भूमि-कर तथा अन्य कर (माल-ए-वाजिब व हुकूक-ए-दीवानी) अपने पास रख सकता है। जब उपर्युक्त गाँव अन्य किसी व्यक्ति को जागीर में प्रदान कर दिये जायें तो वह राजस्व वसूल करने (हासिल) के लिए उस स्थान के आमिल (राजस्व वसूल करने वाला) के प्रति उत्तरदायी होगा।[83]

इस आदेश से ज्ञात होता है कि यद्यपि एक जागीरदार को किसी प्रदेश का ज़मीदार बनाया जा सकता था किन्तु वह प्रदेश उसकी वतन जागीर कदापि नहीं बन सकता था। जागीर अन्तरणीय रहती थी जबकि ज़मीदारी स्थायी पैतृक सम्पत्ति होती थी।

यह सुझाव दिया गया है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में प्रशासन तथा

जागीरदारों या जमींदार वर्ग पर अत्यधिक दबाव बढ़ा।[85] मनूची ने लिखा है—'आमतौर पर (मुगल साम्राज्य के) वायसराय और गवर्नर हिन्दू राज कुमारों तथा जमींदारों से निरन्तर लड़ते रहने की दशा में हैं—उनमें से कुछ से इसलिए कि वे उनकी भूमि को छीनना चाहते हैं, दूसरों से इसलिए कि वे उनको पारम्परिक राजस्व से अधिक राजस्व दें।'[85] राज्य तथा जमींदारों के मध्य भूमि कर के भुगतान का झगड़ा, मध्ययुगीन समाज की एक अनवरत विशेषता थी। यह कहना कि इस प्रकार के झगड़े औरंगजेब के काल की देन थे, सन्देहात्मक प्रतीत होता है। इस विषय पर पूर्ववर्ती राज्यकालों के विस्तृत साक्ष्य अभी हमारे सामने नहीं आये हैं। किन्तु ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि पूर्व-काल के लिए उस प्रकार की सामग्री का साधारणतः हमारे पास अभाव है जबकि वे औरंगजेब के शासनकाल के लिए उपलब्ध हैं जैसे, अखबारात, मआ के अलग संग्रह एवं पत्र आदि। किन्तु किसी व्यवस्था के रूप में जमींदारों के ऊपर दबाव पूर्णतः पूर्वजों से ही प्राप्त हुआ हो तो भी औरंगजेब के शासनकाल में उसके जारी रहने के कुछ नवीन कारण होने चाहिए। जैसा कि हम देखेंगे, जागीरों की बहुत कमी थी और यदि जागीर वास्तव में उपलब्ध हो भी गयी तो वसूल किया गया राजस्व जमा से कम होता था। इसलिए 'मासिक अनुमाप लागू किये गये। ऐसी स्थिति में, हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि औरंगजेब के राज्यकाल के उत्तरार्द्ध में जागीरदारों ने जमींदारों को बहुत कर निचोड़ना प्रारम्भ कर दिया। इस शोषण की अवस्था में, जैसा कि मनूची हमें बताता है 'मुगल राज्य में बहुधा राजाओं और जमींदारों का कोई न कोई विद्रोह चलता ही रहता था।'[86] किन्तु इससे पूर्व कि हम किसी निश्चयात्मक निष्कर्ष पर पहुँचें इस सम्बन्ध में और अधिक छानबीन की आवश्यकता है।

जागीरदारों पर शाही नियन्त्रण

हम पहले ही कह चुके हैं कि जागीरदारी प्रथा मुगल प्रशासन का एक प्रमुख स्तम्भ थी। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अपनी जागीर की सीमाओं में रहने वाली जनता पर जागीरदार का पूर्ण अधिकार था। इसके विपरीत सम्राट तथा उसके मन्त्रियों के अन्तर्गत उसके प्रभुत्व पर नियन्त्रण, लगभग एक समानान्तर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा होता था।

राजस्व वसूल करने के क्षेत्र में प्रत्येक परगने में सम्राट के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो अधिकारी होते थे, जिन्हें 'कानूनगो' और 'चौधरी' (परगने के प्रमुख') कहते थे। आमतौर पर पूर्वोक्त एक लिपिक तथा अन्य रोकड़, एक जमींदार होता था।[87] साधारणतः उनके पद वंशानुगत होते थे किन्तु निरपवाद रूप से उनकी नियुक्ति शाही आदेश या सनद के आधार पर

हुआ करती थी। सम्राट द्वारा उन्हें अपदस्थ भी किया जा सकता था। किन्तु नियमत उनकी नियुक्ति आजीवन हुआ करती थी और इसलिए जबकि जागीरदार प्रात जाते रहते थे, वे अपने पदों पर स्थायी रूप से बने रहते थे। प्रत्येक जागीरदार या उसके प्रतिनिधि को कर निर्धारण एव उसे वसूल करने में इन अधिकारियों की सहायता पर अत्यधिक निर्भर रहना पडता था। इन अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि वे उनकी सहायता करें किन्तु साथ ही साथ उन्हें वसूल किये गये कर के हिसाब किताब की जाच भी करनी पडती थी और यह देखना पड़ता था कि किसानो से अनियमित कर तो वसूल नहीं किये जाते थे।[88]

सम्राट द्वारा नियुक्त किये गये फौजदारों या मनिब अधिकारियों का कार्य कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखना था। इन कर्तव्यों का पालन करते समय वे जागीरों में भी कार्यवाही कर सकते थे तथापि कुछ जागीरदारों ने अपनी ही जागीर में फौजदार का पद प्राप्त कर लिया था। पूर्ववर्ती राज्यकालो में भी यह प्रथा रही होगी। औरंगजेब के शासनकाल में सम्राट द्वारा जागीरदारों को फौजदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के निःसन्देह अनेक उदाहरण हैं।[89]

जागीरदार के पास न्यायिक अधिकार नहीं होते थे। प्रत्येक परगने में शाही फरमान द्वारा नियुक्त किया गया एक काजी हुआ करता था जो दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों को सुनता था और उनका निर्णय करता था। वह जागीरदार से पूर्णत स्वतन्त्र था तथा उसकी आय का साधन मदद-ए-माश अनुदान हुआ करता था जो सम्राट द्वारा उसे मिलता था।[90]

प्रान्त में समाचार प्रतिवेदक जिन्हें वाकिया-ए-नवीस एव सवानिह नवीस भी कहा जाता था होते थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जो कि उनके कार्य क्षेत्र में घटित हुई हो, बिना किसी व्यक्ति की चिन्ता किये हुए अपनी टीकाओं और शिकायतों समेत समाचार भेजेंगे। जागीरदारों तथा उनके प्रतिनिधियों का व्यवहार भी ऐसा विषय था जिसके सम्बन्ध में वे अपनी सूचनाएं निरन्तर भेजते रहते थे।[91]

जागीर का कोई भी निवासी या किसान सीधे दरबार में शिकायतें कर सकता था[92] और इस प्रकार सम्राट के पास हस्तक्षेप करने एवं जागीरदार के किसी भी अत्याचारी कार्य के लिए जिसके लिए उसे दोषी पाया गया हो, दण्ड देने का अधिकार सुरक्षित था।

प्रायः सम्राट विभिन्न जागीरदारों के प्रशासन की जाच पडताल के लिए भी आदेश दिया करता था। अपनी जागीर में सम्राट द्वारा बताये गये ढंग के अनुसार प्रशासन न करने पर औरंगजेब को शाहजहाँ की भर्त्सना सुननी पडी थी तथा उसे अपने व्यवहार के सम्बन्ध में सफाई देनी पडी थी।[93] सम्भवत

जागीरदारों के लिए कभी-कभी यह स्वाभाविक ही था कि वे अपनी वसूली एवं प्रशासनिक व्यवहार के सम्बन्ध में सूचनाओं को एकत्र किये जाने के काम में रुकावट डालें। 1692 में इस बात की सूचना दी गयी कि गुजरात के जागीरदार देसाईयों तथा 'मुकद्दमों' या सरदार द्वारा भेजे गये अधिकारियों को 'हासिल या 'कर वसूली' के सम्बन्ध में सूचनाएँ देने से रोक रहे थे। इस पर गुजरात के सूबेदार ने 'सज़ावलों' या विशिष्ट अधिकारियों को जागीरदारों के पास उन्हें शाही आदेशों का पालन करने पर बाध्य करने के लिए भेजा, ताकि वे शाही अधिकारियों को स्वतन्त्रतापूर्वक सूचनाएँ एकत्र करने दें।[94]

कुछ अवसरों पर सम्राट जागीरदारों को अपने प्रशासन में सुधार करने के लिए भी आदेश दे सकता था। औरंगज़ेब ने नमीरी खाँ को अपनी जागीर का प्रशासन ठोस आधार पर स्थापित करने एवं वहाँ के सभी विद्रोही तत्वों का दमन करने के लिए आदेश दिया।[95] शाहज़ादा आज़म ने मुहम्मद बाकर को जब बन्दरगाह का लेखा नियन्त्रक नियुक्त किया तो औरंगज़ेब ने शाहज़ादे को डाँटा फटकारा और कहा कि एक चोर को 'जनता का अभिभावक' नहीं नियुक्त करना चाहिए।[96] अपनी जागीर का प्रशासन ईरानियों के हाथों में सौंप देने के लिए औरंगज़ेब ने शाहज़ादा मुअज्ज़म की कटु आलोचना की।[97]

लेकिन साथ-ही-साथ, शाही प्रशासन ने जागीरदारों के प्रति, विशेषतः उनकी जागीरों की व्यवस्था एवं अपने राजस्व का प्रसन्नतापूर्वक निर्विघ्न उपयोग करने के कुछ उत्तरदायित्व भी ग्रहण किये। उदाहरणार्थ सीरी मस्तगढ़ के किलेदार मुहम्मद जान बेग ने सम्राट से शिकायत की कि बडक के फौजदार शेर खाँ ने उसके मुवक्किल (मुहम्मद जान बेग) की जागीर में से दो वर्ष का राजस्व वसूल कर लिया है। सम्राट ने उक्त धनराशि को वापस किये जाने का आदेश दिया।[98] गुलबर्गा के फौजदार और किलेदार अलिफ खाँ के नायब ने सीदी मिफताह की जागीर के आमिल को कैद कर लिया। जब इस घटना की सूचना सम्राट को दी गयी तो उसने आदेश दिया कि गुर्ज़बरदारों को आमिल को मुक्त कराने के लिए नियुक्त किया जाय तथा धनराशि वापिस कर दी जाये।[99] परगना काइनी के जागीरदार सफ शिकन खाँ ने शिकायत की कि उक्त परगने के फौजदार बहादुर खाँ ने वहाँ के रैयतों को सताया है और रयत भाग गये हैं। सफ शिकन खाँ ने यह भी अनुरोध किया कि उसे उक्त परगने का फौजदार नियुक्त कर दिया जाये। सम्राट ने औरंगाबाद के हारिस इनायत खाँ को आदेश दिया कि वह यह देखे कि कोई किसानों के साथ अत्याचार न करे।[100] मुहम्मद मुनीम ने सम्राट को सूचना दी कि मुहम्मद हुसन कम्बो ने फरियादी की जागीर में राजस्व वसूल कर लिया है। सम्राट ने आकिल खाँ को आदेश दिया कि वह अभियोगी को दरबार में भेज दे।[101] जमशेद खाँ के वकील ने

शिकायत की कि जहाँगीर कुली खाँ के पुत्र इज्जत बेग ने उसके मुवक्किल की जागीर को लूट लिया और माल हड़प लिया। फरियादी ने यह भी प्रार्थना की कि गुज़बदारों का नियुक्त कर दिया जाय। सम्राट ने बहरमन्द खाँ को आदेश दिया कि वह जहाँगीर कुली खाँ को ताकीद कर कि वह अपने पुत्र से पूरी धनराशि वापिस करने के लिए कहे और उसे यह चेतावनी दे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोहरायी न जायें।[10]

जो साक्ष्य हमने ऊपर प्रस्तुत किये हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि जहाँ तक औरंगजेब के राज्यकाल का प्रश्न है उसके राज्यकाल में जागीरदारों ने खुल्लम खुल्ला स्वायत्तता या स्वतन्त्र होने की प्रवृत्ति का परिचय नहीं दिया। इसके विपरीत अनेक महत्त्वपूर्ण मामलों में न केवल उन्हें रोका गया तथा शाही प्रशासन द्वारा नियन्त्रित रखा गया वरन् उन्हें अपनी जागीरों की व्यवस्था के लिए प्रशासन पर पूर्णतः आधारित रहना पड़ता था।

जागीरदार और कृषक

फ्रांसीसी पर्यटक बर्नियर ने मुगल साम्राज्य की असफलता के कारणों का तर्कपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है जिसकी भविष्यवाणी उसने औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में उस समय की जब अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। बर्नियर का मुख्य तर्क यह था कि जागीरों के अन्तरण की प्रणाली ने अनिवार्य रूप से देश को अत्याचार तथा सर्वनाश की ओर अग्रसर किया। वह लिखता है तिमारियोटस (जागीरदारों के लिए बर्नियर द्वारा प्रयुक्त शब्द) सूबेदार तथा राजस्व के ठेकेदार अपनी ओर से इस प्रकार से तर्क करते हैं कि इस भूमि की उपेक्षित दशा हमारे मस्तिष्क में परेशानी क्यों उत्पन्न करे? और हम उसे उत्पादक बनाने के लिए अपना समय तथा धन क्या व्यय करें? किसी भी क्षण हम उससे वंचित किये जा सकते हैं और हमारा परिश्रम न तो हम और न ही हमारे बच्चों को लाभ पहुँचा सकता है। भूमि से जितना हो सके हम धन खींच लेना चाहिए भले ही कृषक भूखा रहे या फरार ही क्यों न हो जाय और जब हम उसे छोड़ देने का आदेश प्राप्त हो तो उसे उजाड़ वियावान छोड़ जायें।[103]

ऐसा प्रतीत होता है कि बर्नियर व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता के विचार से अत्यधिक प्रभावित था तथा जागीरों के अन्तरण में उसे इस अधिकार का उल्लंघन दिखायी दिया और इस प्रकार उत्तेजित होकर उसने इस प्रथा की कठोर निन्दा की। कुछ भी हो उसके कथनों को अस्वीकृत करने के लिए यह पर्याप्त कारण नहीं है। वस्तुतः उसका समर्थन एक भारतीय द्रष्टा ने भी किया है जिसने 1700 ई० या उसके आस पास लिखा तथा जिसमें इस प्रकार की पूर्व

धारणा विद्यमान नहीं थी। भीमसेन ने लिखा है, 'जागीरदार के प्रतिनिधियों को दरबार के लिपिकों के कृपण व्यवहार के प्रति संशय के कारण जो किसी न किसी बहाने से जागीर स्थानांतरित कर देते हैं अगले वर्ष उसी जागीर के अनुमोदन की कोई आशा नहीं रहती है, और इसलिए उन्होंने दयालुतापूर्वक किसानों की रक्षा करने की आदत छोड़ दी है। जागीरदार कर वसूल करने वाले को भेजते समय अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण उससे कुछ पेशगी (कर्ज) ले लेता है और वह कर वसूल करने वाला जागीर में पहुँचने पर यह सोचता रहता है कि सम्भवतः कोई अन्य कर वसूल करने वाला तो उसके पीछे-पीछे नहीं आ रहा है जिसने उससे अधिक कर्ज जागीरदार को दे दिया हो, और इस प्रकार वह अपना कार्य क्रूरतापूर्वक करता है तथा अपनी माँगों (तहसील) पर डटा रहता है। कुछ किसान तो प्राधिकृत राजस्व का भुगतान करने में लापरवाह नहीं हैं किन्तु इस अग्राह्य ममभेदन लूट मार की इस बुराई ने उन्हें भी उद्दण्ड बना दिया है।"[101]

बर्नियर तथा भीमसेन के इन कथनों में कुछ सार है, किन्तु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक जागीरदार जिसका अपनी जागीर में कोई स्थायी हित नहीं था उसके लिए, एक व्यक्ति के रूप में, यह सबसे बड़ा लालच था कि वह उस हंसनी को मार दे जो उसके सम्पूर्ण वर्ग के लिए सोने के अण्डे देती थी। अतएव इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि जागीरदारों में किसानों पर अत्याचार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी जिसका उत्पत्ति का आधार जागीर स्थानांतरित करने की प्रणाली ही थी।

इसमें पूर्व कि हम इस सामान्यीकरण को स्वीकार करें, दो प्रश्नों का उठाना प्रासंगिक होगा। प्रथम, क्या बिना सम्राट या प्रशासन की रोक टोक के जागीरदार अपनी इच्छाओं को कार्यान्वित कर लेने में समर्थ थे? दूसरे क्या सम्राट स्वयं, यदि वह चाहता तो, जागीरदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को रोकने के लिए व्यावहारिक रूप से उपयुक्त कार्यवाहियाँ करने में समर्थ था?

अन्तिम खण्ड को पूर्णरूप से प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए अर्पित किया गया है। यह साबित करने के लिए कि औरंगजेब के शासनकाल के अधिकांश भाग में जागीरदारों पर शाही नियंत्रण नाम मात्र का नहीं वरन वास्तविक था, सम्भवतः हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य उपलब्ध है। इसलिए हमें अब दूसरे प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

यह आशा करना तर्कसंगत है कि एक व्यक्तिगत जागीरदार भूमि में से अधिक से अधिक निचोड़ने की कोशिश करेगा, और सम्राट उससे अधिक दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण अपनायेगा। उसका सम्बन्ध अपने अधिकारियों के केवल तत्कालीन एवं निजी उपलब्धियों से ही न था, वरन साम्राज्य की दीर्घकालीन

समृद्धि से भी था। यदि अगणित संख्या में किसानों को भूखों मरने दिया जाता तथा यदि पैदावार कम होने दी जाती तो साम्राज्य के राजस्व के साधनों में कमी आ जाती और उसकी नींवें हिल जाती। औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति था जो इस बात को समझता था और यह उसके दो फरमानों जो उसने अपने 8वें तथा 13वें राजकीय वर्ष में जारी किये, से स्पष्ट है। प्रथम फरमान में जो रसिकदास करोड़ी के नाम था इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि उसकी धाराएँ जागीरों तथा खालिसा दोनों में सामान्य रूप में लागू होंगी। उसका मुख्य उद्देश्य किसानों से वसूल किये जाने वाले भूमि-कर के निर्धारण एवं उसके वसूल करने में सुधार करना था तथा किसानों पर अत्याचार और उनके ऊपर करों का अत्यधिक भार पड़ने देने से रोक थाम करना था। दूसरा फरमान जो मुहम्मद हाशिम के नाम था भूमि पर किसानों के अधिकारों की रक्षा के प्रति विशेष ध्यान रखता है चाहे ही किसान भूमि को छोड़ भी दें तो भी उस भूमि पर उनके अधिकारों की मान्यता दी जाय।[105] औरंगजेब के उस आदेश को हम पहले ही उद्धृत कर चुके हैं जहाँ विशेष रूप में गुजरात में जागीरदारों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उसने कड़ी निन्दा की है, क्योंकि उन्होंने किसानों से कपटी तरीकों से जितने धन के वे अधिकारी थे उससे कहीं अधिक वसूल करने की चेष्टा की थी।[106] यह मालूम कर सकना अत्यन्त कठिन है कि किस सीमा तक जागीरदार शाही अधिनियमों का उल्लंघन करते रहे तथा अपनी जागीर की जनता पर अत्याचार करते रहे। मारलैण्ड के इस विचार का कि 17वीं शताब्दी में राजस्व की माँग बहुत ही अधिक बढ़ गयी थी तथा जमादामी आँकड़ों में वृद्धि का होना बढ़े हुए अत्याचार के कारण था, विरोध इस आधार पर प्रकट किया गया कि उसने यह गलत धारणा बना ली कि इस काल में मूल्य निरन्तर स्थिर हो रहे जबकि वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्य दुगने बढ़ चुके थे। अन्य शब्दों में इस तथ्य के अतिरिक्त कि जमादामी तथा हासिल (भुगतान किया गया राजस्व) में विशेष अन्तर था जमादामी वास्तविक रूप में नहीं प्रत्युत नाममात्र की वृद्धि इंगित करती है,[107] दूसरी ओर यह तथ्य कि जमादामी के आँकड़ों में वास्तव में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई इस बात को जरूरी साबित नहीं करता कि अत्याचार में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। कुल राजस्व इसलिए सामान्य रहा होगा क्योंकि कृषि कार्य में ह्रास के फलस्वरूप राजस्व की गिरावट की पूर्ति जोती गयी भूमि पर पहले से अधिक राजस्व की माँग ने कर दी होगी।

इन प्रश्नों की विस्तृत ढंग से छानबीन करने का प्रयास प्रस्तुत विषय की सीमा के बाहर है। उपर्युक्त कथनों के अनुसार विशेषतः दक्खन जैसे प्रदेश में, ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब के राज्यकाल के अन्त में किसानों की

दशा दयनीय हो गयी थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों म औरगजेब दक्खन के युद्ध म फसा रहा जिसम उस अपन सभी साधना, शक्ति एव मनोयाग स सलग्न होना पडा। जागीरदारा के ऊपर पहले जसा नियन्त्रण ढीला पड गया होगा। हम इसी स दम मे, मनूची तथा अय व्यक्तिया के कथनो का परीक्षण करना चाहिए कि क्या औरगजेब न अपन अधिकारियो को रोकन के लिए कोई भी गम्भीर प्रयत्न करना छोड दिया और अत्याचार की बहुत ही वीभत्स काय वाहियो के सम्बन्ध म शिकायतें होन पर वह केवल नरम फटकार ही लगाने लगा ?[108]

क्या किसाना पर यह अत्याचार मुख्यत औरगजेब के युद्धा का परिणाम था, जिसके कारण शाही नियन्त्रण मे ढिलाई आयी या वह स्वय म विद्रोहा का कारण था, क्योंकि उसने भूखे किसानो को, जिन्हे अब कोई भी आशा न रह गयी थी, विद्रोहियो की बाहो म डाल दिया ? इन प्रश्ना को या ही छाड देना चाहिए। साम्राज्य के पतन के कारण की व्याख्या करन के लिए हाल ही मे दूसरे विकल्प को एक मत के रूप म सामने रखा गया है।[109] यद्यपि इस मत के समथन मे बहुत सार अकाटय तक प्रस्तुत किय गये हैं, किन्तु उसे असामयिक मत नही बनन देना चाहिए। अभी हमारे साक्ष्य बहुत ही सीमित हैं कि हम किसी निश्चयात्मक निष्कष पर पहुँच सकें और जब तक विभिन्न प्रदशो की दशा के सम्बन्ध म उपलब्ध साक्ष्या का सावधानी स विश्लेषण न कर लिया जाये, तब तक इस विषय पर सभी सुझावा को नितान्त अस्थायी समझना चाहिए।

जागीरदारी प्रथा मे सकट

औरगजेब के शासनकाल के मध्य तक जागीरदारी प्रथा अपन प्रामाणिक मुगल रूप म सुचारु रूप स काय करती रही। किन्तु औरगजेब के अन्तिम छत्तीस वर्षों म साम्राज्य के आर्थिक साधनो पर दक्खन के युद्धो के बढते हुए क्षोभ के कारण तथा उत्तरी भारत म सम्राट एव उसके दरबार की अनुपस्थिति के फलस्वरूप प्रशासन के अव्यवस्थित होने के कारण वह जटिल व्यवस्था जिसके अन्तगत जागीरें प्रदान की जाती थी अपनी कायकुशलता खोने लगी। यह सत्य है कि औरगजेब के अंतिम वर्षों ने अव्यवस्था का प्रथम चरण ही देखा किन्तु यह भत का प्रारम्भ ही था।

इस प्रथम चरण म जिस आवरण मे सकट ने सामने आकर जागीर प्रथा को हिलाकर रख दिया उसे एक समकालीन लेखक ने बे-जागीरी कहा है। मामूरी के अनुसार 'एक ससार जागीर रहित हो गया और वहाँ कोई भी प-बाकी शेष न रही। वेतन के दावेदारा के खाते पर सम्राट ने बार-बार

लिखा— यहाँ सौ बीमार व्यक्तियों के लिए केवल एक ही अनार है।' सेनाओं को भेजते समय तथा कृपा के लिए उपयुक्त उच्च अधिकारियों का (सनिक) काय नियत करते समय प बाकी के अभाव को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक हो गया कि शर्तों के आधार पर कुछ अमीरों की जागीरें वापस ले ली जायें और अन्य को प्रदान कर दी जायें। अतएव सम्राट ने परगना के राजस्व की खाता-बहियों को मँगवाया और अनेक व्यक्तियों के आबटनों को रद्द कर दिया और यह तबाही निःसहाय तथा दरिद्रों के विलाप का एक और कारण बन गयी।'[110] लेखक के अनुसार अत्यधिक संख्या में दक्खनी अमीरों के, जिन्हें औरंगजेब ने शत्रुओं का पक्ष छोड़कर मान का लालच देकर या विद्रोही बनने से रोकने के लिए बड़े उदार पमाने पर मनसब प्रदान किये, शाही सेवा में प्रवेश करने का यह प्रत्यक्ष परिणाम था।[111]

कोई भी प बाकी शेष न रही थी अर्थात कोई भी प्रदेश जागीर में देने के लिए शेष न रहा था—एक ऐसा कथन है जो औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों से सम्बंधित हमारे ऐतिहासिक ग्रन्थों में बार बार मिलता है। यह कथन या तो स्वयं सम्राट के या उसके अधिकारियों में से किसी एक के मुह से निरन्तर कहलवाया गया है। औरंगजेब ने आजम को लिखते हुए स्पष्टतः कहा कि 'प बाकी की कमी है और वेतन मांगने वालों की अधिकता।'[112] यह कहा जाता है कि वह बार बार यह कहा करता था कि उपलब्ध पै-बाकी का प्रदेश एक अनार के समान है जो सौ बीमारों को चाहिए।[113] इसीलिए 1691 में उसने बख्शियों को निर्देश दिया कि वे नये व्यक्तियों के लिए मनसब की सिफारिश न करें।[114] यह भी कहा जाता है कि इनायतउल्लाह खां ने एक बार सम्राट से शिकायत भी की उन अधिकारियों की सूची असीमित है जो सम्राट के सम्मुख प्रतिदिन प्रस्तुत किये जाते हैं जबकि जागीर में प्रदान की जाने वाली भूमि सीमित है। असीमित संख्या सीमित संख्या के बराबर कैसे हो सकती है?'[115]

प बाकी के अभाव के कारण जागीरदारी प्रथा का प्रतिदिन का काय अत्यन्त कठिन होता गया। जिन व्यक्तियों की मनसबों पर नियुक्तियाँ हुई उनके लिए जागीर प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया। बहुत से अधिकारी तो चार चार, पाँच पाँच वर्षों तक जागीर प्राप्त करने में असफल रहे।[116] एक मसखरे ने दरबार में कहा कि नयी नियुक्ति प्राप्त एक बालक मनसबदार उस समय तक बूढ़ा हो चुकेगा जब उसे जागीर मिलेगी।[117] किसी भांति एक बार जागीर प्राप्त हो भी गयी तो यह निश्चय न था कि उसकी जागीर किसी अन्य व्यक्ति को तब तक स्थानान्तरित नहीं की जायेगी जब तक उसके बदले में उसे कोई अन्य जागीर नहीं दे दी जाती। इस प्रकार अनेक व्यक्ति, चाहे वे दीघकाल स

सन्दर्भ

1 साधारण महज़ातों को जागीरों के लिए इस प्रकार के वाक्यों जैसे 'जागीर ए या तुयूल ए, दुक्ता ए, सरकार ए दौलत मदार' का प्रयोग किया गया है।
2 मीरात अल इस्तिलाह प 15 म।
3 ख वासात उम सियक प 24 ब वाकयात-ए अजमेर प० 74 375-76 मासूरी प० 156 ब 157 ब।
4 मीरात अल आलम प० 214 ब यही आँकड़े मानूमात अल अफ़ाक म भी दिये गये हैं, पृ० 194।
5 फ़ज़ौनो प० 423। साम्राज्य की जमा के लिए मजलिस अस सलातीन प 115 अ ब देखिये।
6 लाहौरी बादशाहनामा II प 710-13।
7 मीरात अल-आलम पूर्वोद्धृत।
8 पी० सरन की प्राविन्शियल गवनमन्ट ऑफ द मुगल्स में जागीरों म जागीरदारों के राजस्व एकत्र करने वाले प्रतिनिधियों तक का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
9 दिलकुशा प० 139 ब इलाहाबाद डाक्यूमेन्ट्स 789।
10 मासिर-ए आलमगीरी खण्ड I प० 303।
11 वही प० 289।
12 लाहौरी खण्ड II पृ 397। जहाँआरा अवम को सूरत इनाम म दिया गया था। राजा जयसिंह का सम्मान इनाम देकर किया गया था उस समय तक मिर्ज़ा राजा जयसिंह को उच्चतम मनसब जो किसी अमीर को दिया जा सकता था दिया जा चुका था इस और अधिक सम्मानित करने का इसके इसके सिवा उसे इनाम प्रावन्त प्रदान किय जायें विकल्प ही न था—आलमगीरनामा पृ० 618।
13 अखबारात 45वाँ राजवर्ष प 46। 1701 म औरंगज़ेब न एक आज्ञा जारी किया कि यदि रुहुल्लाह खाँ मुहम्मद अमीन खाँ तथा सियादत खाँ आदि के रिसालों के सैनिक अपने वतन व एवज म जागीरें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हो तो उन्हें मुअत्तल कर दिया जाये।
14 एक महाल प्राय परगने के बराबर था जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी। किन्तु यह परगने से छोटा भी हो सकती थी अथवा कई प्रशासनिक इकाइयों के बीच भी।
15 उद्धरित—मोरलैण्ड एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया पृ० 56 09 212 240।
16 उद्धरित—मनूची II म 374-75। दाम के मूल्य में वृद्धि के लिए देखिये—मोरलैण्ड अकबर टु औरंगज़ेब प० 183-85 और इरफ़ान हबीब करेन्सी सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर मैडिवल इंडिया क्वार्टर्ली खण्ड IV। दाम जिसमें वेतन का उल्लेख किया जाता था इस प्रकार हिसाब किताब का मुद्रा बन गया और उसका कोई भी सम्बन्ध उस नाम के वास्तविक तांबे के सिक्के से न रह गया।
17 प्रावन्त सम्बन्धी आदेश सलेक्टेड डॉक्यूमेन्ट्स ऑफ शाहजहान्स रेन' में प्रकाशित है। अनमान्ति वेतन-तालिकाएँ ग्रन्थ के पृ 79-84 पर दी हुई हैं। और विनोद II (पृ० 428-31) और प्रावन्त सम्बन्धी आदेशों के बारे में मोरलैण्ड द्वारा दिये गये विवरण के लिए ज० आर० ए एस० 1936 (प 641-62) देखिये।

18 देखिये—वाउया-ए अजमेर पृ० 470 637 इलाहाबाद डाक्यूमेन्ट्स संख्या 890।
19 रुक्कात-ए-आलमगीर, पृ० 26-27 फजर 86, पृ० 6 अ 7 अ।
20 मोरलैण्ड एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, पृ० 96-98।
21 मीरात-ए अहमदी I पृ० 326-27। यह कथन गुजरात से सम्बंधित है, 1692। इसके अतिरिक्त देखिये—नियरनामा, पृ० 100-101 जहाँ इस बात का उल्लेख किया गया है कि मुवाजना-ए-रसाला तथा आय हासिल सम्बन्धी कागजों का केन्द्रीय दीवान के दफ्तर में नियम से जमा करना पड़ता था। यह नियम-पुस्तक औरंगजेब के समय में लिखी गयी थी। सलेक्टेड डाक्यूमेंट्स ऑफ शाहजहान्स रेन पृ० 89-90 194-95 रुक्कात-ए आलमगीर पृ० III 107 164।
22 आईन II पृ० 2 अकबरनामा, II पृ० 270 वही III पृ० 117।
23 आदाब-ए-आलमगीरी पृ० 27 अ 27 ब रुक्कात-ए आलमगीर पृ० 121 23।
24 इलाहाबाद डाक्यूमेंट्स संख्या 884, 885।
25 सलेक्टेड डाक्यूमेंट्स ऑफ शाहजहान्स रेन पृ० 177 आदाब-ए आलमगीरी पृ० 18 ब 19 अ 24 ब 25 ब, 29 ब 30 अ, 39 अ 40 अ-40ब 43 अ रुक्कात, पृ० 88 95-96 98।
26 आदाब-ए आलमगीरी पृ० 40 अ-40 ब रुक्कात-ए आलमगीर पृ० 130-33 मामासीर-ए आलमगीरी पृ० 170 फतुहिया-ए इब्रिया पृ० 117 अ-ब।
27 अखबारात के अनुसार (औरंगजेब का 12वाँ राजकीय वर्ष पृ० 223) असद खाँ ने सम्राट को सूचना दी कि मुकरम खाँ ने उसे सूचित किया था कि दक्खन में उसकी जागीर की वास्तविक आय उसके लिए अनुमानित किये गये मासिक अनुपात से अधिक है। अतएव यह आदेश दिया गया कि मुकरम खाँ के मनसब में 100 सवारों की वृद्धि उसकी अब आय को प्रतिसन्तुलन करने के लिए कर दी जाये। अकबरनामा III पृ० 459 भी देखिये।
28 अखबारात, 50वाँ राजकीय वर्ष पृ० 9 रुक्कात-ए आलमगीर पृ० 10।
29 अकबरनामा II, पृ 332 33।
30 मर्सी दृ वेस्स पृ० 114 डि लैयट अनु० होयलैण्ड पृ० 94-95 बर्नियर पृ० 227।
31 निगारनामा-ए-मुंशी, पृ० 139 अ।
32 सेलेक्टेड डाक्यूमेन्ट्स ऑफ शाहजहान्स रेन पृ० 76-77 फजर 86 पृ० 60 ब।
33 मीरात ए अहमदी, खण्ड I पृ० 305 फतुहिया-ए-इब्रिया पृ० 130 ब।
34 आदाब-ए आलमगीरी पृ० 18 ब 19 अ 25 ब 40 अ-40 ब 43 अ।
35 अखबारात 38वाँ राजकीय वर्ष, पृ० 46।
36 मीरात-ए अहमदी I पृ० 341, 343।
37 हिदायत उल-कवायद अलीगढ़ पाण्डुलिपि, पृ० 8 अ।
38 तुलनीय—पालामऊ के जमींदार प्रताप के साथ जो समझौता हुआ—लाहौरी बादशाहनामा II पृ० 360-61।
39 सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ औरंगजेब्स रेन पृ० 121। राजा इन्द्रसिंह की वतन जागीर की जमादामी उसके मनसब के मुताबिक वेतन से अधिक थी। इसलिए उसने प्रार्थना की कि या तो उसके मनसब में वृद्धि कर दी जाये ताकि उसका वेतन जमादामी के बराबर हो जाय या उसके वर्तमान मनसब के वतन के बराबर जमादामी को घटा

दिया जाये। दोनों ही दशाओं में किसी भी अन्य व्यक्ति को उसके वतन जागीर में हिस्सा नहीं दिया जा सकता था। इसलिए उसके मनसब में वृद्धि कर दी गयी। रुक्क़ात-ए-आलमगीर पृ० 167 लाहौरी बादशाहनामा I पृ० 161।

40 केवल अस्थायी उपाय के रूप में—उद्धरित—सतीश चन्द्र पार्टीज़ एण्ड पालिटिक्स ऐट द मुग़ल कोर्ट (1707-40) पृ० 31 32।

41 वाक़या-ए-अजमेर पृ० 87 83 245-46 और यत्र-तत्र।

42. मामूरी, पृ० 107 ब।

43 दिलकुशा पृ० 83 अ।

44 मामूरी पृ० 116 ब।

45 उदाहरणार्थ मेवाड़ के राव करन को मनसब व जागीर प्रदान करने से सम्बन्धित जहाँगीर का फ़रमान वीर विनोद II पृ० 239 में देखिये।

46 मीरात-ए-अहमदी I पृ० 277।

47 अख़बारात 25वाँ राजकीय वर्ष पृ० 270 पद के अतिरिक्त भान पुरोहित को परगना खोर जोगीगढ़ में 30 लाख दाम तथा इनाम में वतन प्रदान किया गया।

48 तुज़ुक पृ० 10।

49 प्रतिम प्रश्न इशा कूच बिहार के फ़ौजदार अली कुली खाँ के पत्र (लगभग 1700 ई०) बोडले पांडुलिपि पृ० 99 ब 100 अ।

50 सेलेक्टेड डॉक्यूमेन्टस आफ़ शाहजहाँस रेन पृ० 5।

51 एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया पृ० 91 92।

52. सरकार द्वारा जे० ए० एस० बी० में प्रकाशित मूल एन एस II (1906) पृ० 223-55।

53 मीरात-ए-अहमदी I पृ० 263 यह आदेश औरंगज़ेब के 8वें राजकीय वर्ष में जारी हुआ था।

54 निगारनामा-ए-मुंशी पृ० 80 92 98 144-45 रक़ायम-ए-करायम पृ० 24 अ-ब दुर-उल-उलूम पृ० 140 ब।

55 आलमगीरनामा I पृ० 437 38 उन्मूलित करों के विस्तृत ब्यौरों से सम्बन्धित औरंगज़ेब के अनेक आदेश जो उसने अपने राज्यकाल में पारित किये मीरात-ए-अहमदी I पृ० 259 264 286 288 में दिये हुए हैं।

56 मीरात-ए-अहमदी I पृ० 249।

57 ख़ाफ़ी ख़ाँ II पृ० 88-89 मीरात-ए-अहमदी I पृ० 263-64 दुर्र उल उलूम पृ० 255 व 256 अ।

58 मीरात-ए-अहमदी I पृ० 275।

59 सेलेक्टेड डॉक्यूमेन्टस आफ़ शाहजहाँस रेन पृ० 121 निगारनामा-ए-मुंशी पृ० 8 और यत्र-तत्र।

60 आलमगीरनामा पृ० 392।

61 निगारनामा-ए-मुंशी पृ० 136-37 दुर उल उलूम पृ० 138 ब 139 अ।

62 निगारनामा-ए-मुंशी पृ० 77।

63 दिलकुशा पृ० 139 अ।

64 यह टिप्पणी इलाहाबाद रिकार्ड आफ़िस में जागीरदारों द्वारा राजस्व वसूल करने की व्यवस्था से सम्बन्धित 17वीं शताब्दी के प्रपत्रों के अध्ययन पर आधारित है।

65 रियाजुल वग्म प 5 ब।
66 इलाहाबाद डाक्यूमेन्टस संख्या 78) वाक्या-ए अजमेर प० 329।
67 उद्धरित—शाह वली उल्लाह सियासी मक्तूबात पृ० 42 जहा यह सिफारिश की गयी है कि छोटे मनसबदारों को वेतन जागीरों के द्वारा नहीं बल्कि नकद दिया जाये क्योंकि वे लोग अपनी जागीर से स्वय राजस्व नहीं वसूल कर सकते हैं और उन्हें इजारे पर उठाने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
68 इलाहाबाद डाक्यूमेन्टस, संख्या 884-87 889 90।
69 अखबारात 39वाँ राजकीय वर्ष, प० 144।
70 सादिक खाँ शाहजहाँनामा ओर० 174 प 10 अ-ब।
71 अखबारात पूर्वोद्धृत।
72 मीरात अल इस्तिलाह प० 122 ब मोरलण्ड ने जमींदार को सरदार भी कहा है। आईन ए अकबरी के आधार पर उसकी धारणा की टीका टिप्पणी के लिए देखिये—इरफान हबीब प्रासीडिंग्स आफ द इडियन हिस्ट्री कांग्रेस त्रिवेन्द्रम सेशन (1958), पृ० 320-22।
73 ज ए० एस० बी संख्या II 1906 स० सरकार प० 223 55।
74 वाक्या-ए अजमेर पृ० 55 398।
75 इशा ए रोशन कलाम प० 2 अ 3 अ।
76 सियाकनामा प० 35 36। जमादार तथा ताल्लुकदार के मध्य एकरूपता के लिए देखिये—कलकत्ते की 1703 का बिक्री दस्तावेज मोरलण्ड द्वारा उद्धरित एग्रेरियन सिस्टम प 191 92 तथा ताल्लुका और ताल्लुकदार शब्द के लिए देखिये—इरफान हबीब द एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इंडिया प० 139 171।
77 इलाहाबाद डाक्यूमेन्टस संख्या 897 1206 1220 1223।
78 हिदायत उल क्वायद प० 65 अ ब।
79 बयाज-ए ख्वाजा बख्श रसा इण्डि० ओ 4014 प 2 अ 2 ब। इस सन्दर्भ के लिए मैं डॉ० इरफान हबीब का आभारी हूँ।
80 'इशा-ए रोशन कलाम प 3 ब 4 अ 7 अ।
81 इशा-ए रोशन कलाम म अनेक मुसलमानों की नियुक्तियाँ उल्लिखित हैं (प 3 ब 4 अ 7 अ)। जमादारों की अनेक नियुक्तियों के बारे म अखबारात देखिये।
82 इशा ए रोशन कलाम प 34 ब।
83 निगारनामा ए मुशी प० 152।
84 इरफान हबीब द एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इंडिया प 334-39।
85 मनूची II पृ० 431 32।
86 वही पृ० 462।
87 उन्नाव जिले के पुराने मुगल रिकार्डों का विस्तृत ढग से अध्ययन करने के उपरान्त इस तथ्य को सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने सामने रखा (मोरलण्ड द्वारा उद्धृत—जे० आर ए० एस० 1938 प० 516)।
88 कानूनगो और उसके बारे में देखिये—निगारनामा-ए-मुशी प० 91 140 हिदायत उल-क्वायद अलीगढ़ पाण्डुलिपि प० 16 अ-ब और फर्रुखसियर के शासनकाल के अपत्रों का अनुवाद प्रोसीडिंग्स आफ द इंडियन हिस्टारिकल रिकार्ड स कमीशन,

XXXI खण्ड 2 1845 पृ 142-47। चौधराई और देशमुखी के लिए मोरलण्ड द्वारा अनुवादित प्रपत्र जे० आर० ए एस० 1938 पृ० 516 में देखिये मीरात-ए अहमदी I पृ० 216 तथा निगारनामा-ए-मुंशी पृ० 80 मजहर ए-शाहजहाँनी पृ० 189 देखिये।

89 अखबारात 38वाँ राजकीय वर्ष पृ० 480 तथा यत्र-तत्र इन्शा-ए रोशन कलाम पृ० 6 ब 11 व 24 ब।

90 सियाक़नामा पृ० 36 इलाहाबाद डॉक्यूमेंटस संख्या 782 1203।

91 निगारनामा ए-मुंशी पृ 87 88 द इंगलिश फैक्ट्रीज़ 1678-84 खण्ड III, (न्यू सिरीज़) पृ० 310 भी देखिये।

92 रुक्क़ात-ए-आलमगीर स० नदवी पृ 119 वाक़या-ए अजमेर पृ० 217 19 रुक्क़ात-ए आलमगीर कानपुर संस्करण पृ० 40-41 मजहर-ए शाहजहाँनी पृ० 174।

93 आदाब-ए आलमगीरी पृ० 18 अ 19 ब 20 अ 40 अ-40 ब।

94 मीरात-ए-अहमदी I पृ० 326-27।

95 आदाब ए आलमगीरी पृ० 168 ब।

96 खज़ायन-ए-करायन पृ० 1 ब।

97 वही पृ० 8 ब।

98 अखबारात 36वाँ राजकीय वर्ष पृ० 8।

99 वही 38वाँ राजकीय वर्ष पृ 525।

100 वही 38वाँ राजकीय वर्ष पृ 480।

101 वही 36वाँ राजकीय वर्ष पृ० 18।

102 वही 38वाँ राजकीय वर्ष पृ० 480-82।

103 बर्नियर पृ० 227 वह अनुचित ढंग से जागीरदारों को अपने काल के फ्रांसीसी अभिजात वर्ग के समान बताने की चेष्टा करता है, तथा इस तथ्य को भूल जाता है कि फ्रांसीसी अभिजात वर्ग भी अपने सामन्ती अधिकार प्राप्त थे किन्तु फ्रांस का प्रशासन मध्य वर्ग के व्यक्तियों के हाथों में आ रहा था।

बंगाल में किसानों के अत्याचार के लिए देखिये—फतहिया-ए इब्रिया पृ० 117 ब 119 अ 125 अ 126 अ 127 अ-ब 131 अ-ब द ट्रेवल्स आफ़ पीटर मण्डी 1608-1667 खण्ड II पृ० 73 भी देखिये।

104 दिलकुशा पृ 138 ब 139 अ।

105 इन दोनों फरमानों का मूल सरकार द्वारा ज ए० एस० बी , एन० एस 2 1906 पृ० 223-55 में प्रकाशित किया गया है। मैंने मुहम्मद हाशिम के लिए भेजे गये फरमान के मूल को दुर उल उलूम पृ 139 ब 149 ब तथा मीरात-ए अहमदी I पृ 268 72 में दिये गये मूल से मिला कर देखा है।

106 मीरात ए अहमदी खण्ड I पृ० 263 8वें राजकीय वर्ष में आदेश जारी किया गया था।

107 उद्धृत इरफ़ान हबीब द एग्रेरियन सिस्टम आफ मुग़ल इंडिया पृ 326-28।

108 मनूची II पृ 387 दिलकुशा पृ० 159 अ खाफ़ी खाँ II पृ० 550।

109 इरफ़ान हबीब एग्रेरियन सिस्टम आफ मुग़ल इंडिया पृ 317 51।

110 मामूरी पृ 157 अ।

111 वही पृ 156 ब 157 अ खाफ़ी खाँ II पृ० 396।

112 दस्तूर-उल-अमल-ए-आगाही पृ० 36 रक़ायम-ए-करायम पृ० 28 ब।

113 एक अनार सद बीमार (मासूरी पृ० 157 ब) खाफ़ी ख़ाँ, II, पृ० 602-603।

114 खाफ़ी ख़ाँ II पृ० 411 12।

115 सरकार द्वारा 'अनेकडोटस आफ औरंगजेब' में उद्धृत पृ० 110। सम्राट ने प्रति उत्तर में कहा "अभाव में तथा ईश्वर के दरबार (जिसका वह औरंगजेब केवल प्रतिनिधि ही था) की सामा में विश्वास करना कुफ्र व पाप का सार है। यह उत्तर यद्यपि औरंगजेब की धार्मावृत्ति का द्योतक है किन्तु उस समस्या का जो उसके बख्शी के सम्मुख थी कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता।

116 मासूरी पृ० 179 ब 182 ब खाफ़ी ख़ाँ II पृ० 396।

117 खाफ़ी ख़ाँ, II, पृ० 379 मासूरी पृ० 179 ब।

118 मासूरी पृ० 157 म खाफ़ी ख़ाँ II पृ० 396।

119 वही पृ० 156 ब 157 म 182 ब वही पृ० 396-97।

120 दस्तूर-उल-अमल-ए-आगाही पृ० 64 65।

121 मासूरी पृ० 156 ब 157 म।

122 दिलकुशा पृ० 169 ब एक भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण के लिए देखिये—सतीशचन्द्र, पार्टीज़ एण्ड पालिटिक्स ऐट द मुग़ल कोर्ट पृ० 29-34।

123 मारात मल-कलिमात पृ० 64 ब।

अध्याय

4

अमीर-वर्ग तथा राजनीति

(द नोबल्स एंड पालिटिक्स)

औरंगजेब तथा अमीर-वर्ग—प्रथम चरण (1658 66)

सिद्धान्ततः सम्राट के अधिकार असीमित थे, किन्तु वह अपने अमीर वर्ग अथवा अधिकारी वर्ग—अपने अमीरों व मनसबदारों के माध्यम से ही शासन कर सकता था। उसकी नीतियाँ उन्हीं के द्वारा ही क्रियान्वित की जा सकती थीं। अतएव, अमीरों के विचार एवं स्थिति उन नीतियों के निर्माण में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भाग अदा करते थे। उनके विचार सदैव एकमत कदापि नहीं हो सकते थे और न ही सभी अमीरों के हित ही एक प्रकार के हो सकते थे। नीति के महत्त्वपूर्ण मामलों पर कभी कभी अमीर आपस ही में वर्गों एवं गुटों के रूप में मतभेद रखते थे। चूंकि मुगल अमीर वर्ग में विभिन्न जातीय एवं धार्मिक तत्व विद्यमान थे इसलिए अमीर वर्ग गुटबन्दी उत्पन्न होने के लिए सदैव ही उर्वर भूमि के समान थे। प्रशासन का अत्यधिक केन्द्रीयकरण मनसबदारी प्रथा (एक ही तारतम्य में सभी अधिकारियों को मनसब देकर रखना) जागीर का निरन्तर अन्तरण आदि सभी-कुछ दलबन्दी को दबाने के लिए या उसे नियन्त्रित रखने के लिए किया गया था। यह भी अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि दलबन्दी व्यक्तियों के मध्य साधारण द्वेष से कुछ अधिक बात होती है। जब तक हमें लगभग स्थायी दलों से सम्बन्धित साक्ष्य उपलब्ध न हो जायें, हम केवल इस तथ्य में दलों के होने की कल्पना नहीं कर सकते कि एक अमुक अधिकारी के कुछ निजी शत्रु थे जो दरबार में या उसके बाहर उसके विरुद्ध षड्यन्त्र रचते थे। अमीरों के किसी भी महत्त्वपूर्ण वर्ग विशेषकर बड़े अमीरों के निजी हितों का सम्बन्ध निश्चय ही साम्राज्य के सम्मुख आने वाले बड़े मामलों से होगा तथा उन मामलों में उनका हाथ अवश्य ही होगा। इसलिए प्रस्तुत अध्याय में हम इसका अध्ययन करेंगे कि अमीर वर्ग में किस सीमा तक साहचर्य था? साथ ही साथ विभिन्न शाही नीतियों के प्रति अमीरों के विभिन्न गुटों का दृष्टिकोण किस प्रकार का था?

मोटे तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहाँ के राज्यकाल में अमीर

वर्ग सुस्पष्ट गुटबन्दी से मुक्त था। उसके राज्यकाल के अन्त में जब संकट विकसित होने लगा और उसका प्रत्येक पुत्र, सिंहासन के लिए पूर्व अनुमानित संघर्ष के लिए अपना समुदाय बनाने लगा तो निःसन्देह दल बनने लगे। किन्तु यह दल साधारणतः जातीय एवं धार्मिक आधार पर नहीं बने थे और प्रत्येक शहज़ादे ने व्यक्तिगत अमीरों से जो वादे किये थे या व्यक्तिगत शहज़ादा से जिन अमीरों के निजी सम्बन्ध थे वही उन दलों को बनाने में मुख्य कारण हुए। प्रतिद्वन्द्वी शहज़ादा के समर्थकों (सामूगढ़ के युद्ध तक औरंगज़ेब और दारा के उदाहरण में) के सम्बन्ध में यह ज्ञात आगे (पृष्ठ 144 45 पर) दी गयी तालिकाओं के विश्लेषण द्वारा भलीभाँति स्पष्ट की जा सकती है।

यह स्पष्ट है कि औरंगज़ेब की सहायता करने वाले 1 000 ज़ात व उसके ऊपर के 124 मनसबदारों में 20 तूरानी, 27 ईरानी 23 अफ़गान, 33 अन्य मुसलमान 9 राजपूत 10 मराठे और दो अन्य हिन्दू थे। दारा शिकोह के 87 समर्थक 1 000 ज़ात व उसके ऊपर के मनसबदारों में 16 तूरानी, 23 ईरानी, 1 अफ़गान, 23 अन्य मुसलमान, 22 राजपूत तथा 2 मराठा थे। शाहशुजा का समर्थन 1 000 ज़ात व उसके ऊपर के 10 मनसबदारों ने किया—उनमें 3 तूरानी 1 ईरानी, 1 अफ़गान और 5 अन्य मुसलमान थे। मुरादबख्श के ज्ञात सहायक 1,000 ज़ात व उसके ऊपर के 11 मनसबदारों में 1 ईरानी, 1 अफ़गान, 7 अन्य मुसलमान तथा 2 राजपूत थे।[1]

इस प्रकार औरंगज़ेब को जिस अमीर वर्ग से सहायता मिली वह काफी व्यापक था। प्रथम अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि इस समय औरंगज़ेब के लिए हिन्दू अमीरों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रश्न ही न था। इसके विपरीत उसने राजपूत राजाओं—राणा राजसिंह मिर्ज़ा राजा जयसिंह और यहाँ तक कि जसवन्तसिंह को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत यत्न किये और इसमें उसे बहुत सीमा तक सफलता भी प्राप्त हुई। इसी प्रकार, इस बात का किंचित मात्र भी प्रमाण नहीं है कि उसने सुन्नी अमीरों को शिया अमीरों के विरुद्ध खड़ा करने की चेष्टा की।

सिंहासन पर बैठने के उपरान्त औरंगज़ेब की नीति वैसी ही रही जैसी सिंहासन के लिए संघर्ष करते समय थी। पहले अपने बड़े भाई और फिर अपने सबसे छोटे भाई को मार कर वह सिंहासन पर बैठा था। उसने अपने पिता को भी बन्दी बना लिया था। उस सिंहासन को छीनना किसी भी अन्य मुग़ल सम्राट से कहीं अधिक न्यायसंगत ठहराना था। एक वैधानिक सुझाव जिसके प्रयोग द्वारा वह अपने पिता को सिंहासनाच्युत करने में सम्बन्धित अपनी कार्यवाही का समर्थन किया करता था यह था कि वह अपने पिता से अधिक योग्य था।[2] अब अपनी उत्कृष्ट सफलता की उपलब्धियों द्वारा उसे इस बात को व्यवहार

उत्तराधिकार के युद्ध में प्रतियोगी शाहज़ादों के समर्थक, 1658-59

मनसबदार	दारा शिकोह				औरंगज़ेब			
	5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार	3 000 से 4 500 तक के मनसबदार	1 000 से 2 500 तक के मनसबदार	योग	5,000 व उसके ऊपर के मनसबदार	3 000 से 4 500 तक के मनसबदार	1 000 से 2 500 तक के मनसबदार	योग
मुसलमान								
ईरानी	3	4	16	23	4	7	16	27
तूरानी	1	2	13	16	1	3	16	20
अफ़गान	—	—	1	1	—	4	19	23
अन्य मुसलमान	—	4	19	23	1	4	28	33
योग	4	10	49	63	6	18	79	103
हिन्दू								
राजपूत	2	6	14	22	2	2	5	9
मराठे	1	1	—	2	—	2	8	10
अन्य हिन्दू	—	—	—	—	—	—	2	2
योग	3	7	14	24	[illegible]	4	15	21
कुल योग	7	17	63	87	8	22	94	124

उत्तराधिकार के युद्ध मे प्रतियोगी शहजादो के समर्थक, 1658-59

मनसबदार	शाह शुजा				मुराद बख्श			
	5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार	3 000 से 4 500 तक के मनसबदार	1 000 से 2,500 तक के मनसबदार	योग	5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार	3,000 से 4 500 तक के मनसबदार	1 000 से 2,500 तक के मनसबदार	योग
मुसलमान								
ईरानी	—	1	—	1	—	1	—	1
तूरानी	1	1	1	3	—	—	—	—
अफगान	—	—	1	1	—	1	—	1
अन्य मुसलमान	—	1	4	5	1	—	6	7
योग	1	3	6	10	1	2	6	9
हिन्दू								
राजपूत	—	—	—	—	—	—	2	2
मराठे	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य हिन्दू	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	—	—	—	—	—	—	2	2
कुल योग	1	3	6	10	1	2	8	11

म साबित करना था, और सनिक विजया मे अधिक उत्कृष्ट कोई अय बात नही हो सकती थी। इसलिए एव ओजस्वी सनिक नीति अपनायी गयी। 1660 ई० म महाराष्ट्र म शायस्ता खाँ ने एक बडे अभियान का श्रीगणेश किया। 1661 ई० म बिहार मे पालामऊ विलयित किया गया और मीर जुमला ने कूच बिहार पर कब्जा किया। 1662 63 म मीर जुमला का आसाम पर प्रसिद्ध आक्रमण हुआ। 1663 ई० म गुजरात [redacted] नवानगर राज्य का विलयीकरण हुआ। 1665 ई० म मिर्जा राजा जयसिंह ने पुर धर की सधि द्वारा शिवाजी के विरुद्ध सफल अभियान समाप्त किया। 1665 66 ई० म मुगला न बीजापुर पर भीषण आक्रमण किया। 1666 ई० म शायस्ता खाँ न चटगाँव पर कब्जा किया। 17वी शताब्दी के कुछ ही दशको म ऐसी तीव्र सनिक कायवाहियाँ होती हुई देखी गयी हागी।

ऐसी आक्रामक नीति के लिए अमीरा के पूण सहयोग की आवश्यकता थी। सभी मतभेदो को दूर रखना था। इसके अतिरिक्त शाहजहाँ 1666 ई० तक जीवित रहा। अत शाही नीति म किसी भी प्रकार स गम्भीर परिवतन जो अमीर वग के एक बडे भाग के हितो को नुकसान पहुँचा सकता था शाहजहाँ के पुन स्थापन की चेष्टा का ज म दे सकत थे।

औरगजेब और अमीर वग—द्वितीय चरण (1666 1679)

ऐसा प्रतीत हाता है कि 1666 ई० के लगभग औरगजेब न एक ऐसी नीति अपनाना प्रारम्भ किया जो प्रत्यक्षत उसके पूववर्ती शासका की नीति की विरोधी तो नही किन्तु कुछ सीमा तक प्रकृति म उसस भिन्न थी। हम प्रथम अध्याय म देख चुके हैं कि इस काल म सम्राट न राजपूता की पदान्नति एव भर्ती म कमी करना प्रारम्भ कर दिया था। इसस पूव कि हम इस बात की छान-बीन करें कि यह परिवतन कब प्रारम्भ हुआ 1666 ई० के उपरा त सक्षेप म राजनीतिक स्थिति का परीक्षण करना आवश्यक है।

सबस पहली बात ता यह थी कि 1666 ई० म शाहजहा की मृत्यु के उप रा त औरगजेब का स्थान ग्रहण करने क लिए कोइ भी व्यक्ति न था तथा सम्भवत अमीर वग की ओर स विरोध का भय उसके हृदय स दूर हो चुका था।

दूसरे यह भी स्पष्ट हो चुका था कि विस्तार करने की दु साहसी नीति जो 1659 ई० म प्रारम्भ की गयी पूणत असफल सिद्ध हुई। आसाम पर मीर जुमला के आक्रमण का अन्त निराशामय अपसरण म हुआ जब कि कूच बिहार के विलयीकरण का काय छोड दना पडा। महाराष्ट्र म शायस्ता खा के अभियान का समापन उसके ही शिविर को लूट लिय जान व शिवाजी द्वारा 1664 ई० मे सूरत को लूटन के साथ हुआ। यदि जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध

सफलता भी मिली थी तो उसके सैनिक विजय के फलों को बहुत हद तक 1666 ई० में शिवाजी के आगरे से भाग जाने ने छीन लिया। अंत में, जयसिंह द्वारा बीजापुर पर आक्रमण का अन्त दयनीय असफलता में हुआ और 1667 ई० में उसका दिल टूट गया और वह परलोक सिधार गया।

इन निरंतर असफलताओं के साथ ही साम्राज्य का विस्तार करने की सम्राट की चेष्टा कुछ समय के लिए रुक गयी और विद्रोह का काल प्रारम्भ हुआ। छठे दशक के मध्य में ही ब्रज क्षेत्र में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया। 1672 ई० में सतनामियों ने विद्रोह किया और उनको प्रारम्भिक सफलताएँ आश्चर्यजनक रहीं। 1667 ई० में पेशावर के निकट यूसुफजइयों ने विद्रोह किया, 1672 ई० में अफरीदियों ने भी विद्रोह किया और 1674 ई० में औरंगजेब को हसन अब्दाल जाना पड़ा। 1670 ई० में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध पुनः युद्ध प्रारम्भ किया और दूसरी बार सूरत को लूटा।

सैनिक क्षेत्र में अपनी सफलताओं द्वारा अपने पिता को बन्दी बनाने तथा अपने भाइयों के कत्ल किये जाने को न्यायसंगत ठहराने वाले शासक औरंगजेब ने सभी व्यक्तिगत प्रयासों के बावजूद अपने को असफल पाया। अब 1658-59 के षड्यन्त्र के लिए एक नये कार्योत्तर औचित्य को ढूँढ निकालना आवश्यक हो गया। विकसित होती हुई अपनी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के अनुरूप उसने साम्राज्य की इस्लामी प्रकृति को महत्त्व देकर अपने कार्यों को उचित ठहराया और शाही ताज के चारों ओर एक धार्मिक प्रभामण्डल बनाने हेतु उसने एक नयी धार्मिक नीति का सूत्रपात किया। हिन्दुओं[3] के प्रति भेदभाव की नीति मुस्लिम कट्टरता को साम्राज्य के साथ यथासम्भव निकट लाने की चेष्टा के साथ जुड़ी हुई थी। सम्राट ने सातवें दशक के मध्य मुसलमान धर्मतत्त्वज्ञों से अपने प्रत्येक राजनीतिक कार्य के लिए जब समर्थन प्राप्त करने की कोशिश शुरू की तो परिणामस्वरूप इन अनुरोधों ने कुछ अमीरों को विरोध करने के लिए उत्तेजित कर दिया।

सातवें दशक के अन्त में सम्राट के नाम एक पत्र में महाबत खाँ ने सम्राट की उस नीति पर आश्चर्य प्रकट किया जिसने चित्तौड़ा को पन्नियों में तथा गौरैयों को शिकारियों में बदल दिया था। एक ओर राज्य के अनुभवी एवं योग्य अधिकारियों पर से विश्वास तथा भरोसा तो समाप्त कर दिया गया है किन्तु इसके विपरीत पाखण्डी रहस्यवादियों (मशाएखाँ रिया कोश) तथा बुद्धिहीन विद्वानों (उलमायान न ताहा होश) पर पूर्णरूप से भरोसा किया जाता है। चूंकि बादशाह की सोहबत के लिए ही ये व्यक्ति अपना मान एवं शिष्टाचार बेच रहे हैं अतः उन पर भरोसा करना न तो ईश्वर द्वारा निर्देशित मार्ग के अनुसार है और न ही यह बात सांसारिक मामलों के अनुरूप है। इस प्रकार हर तरह से ये व्यक्ति अशक्त हैं। देश बर्बाद हो रहा है सेना हतोत्साहित

है, किसानों को रौंदा जा चुका है, निम्न वर्ग के लोग दुःख से चिल्ला रहे हैं और अमीर उपद्रव करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। (जैसी कि कहावत है) काजी को वित्तीय व्यवस्था सौंप दी गयी है और काजी घूस लेकर ही सन्तुष्ट है।[4] इस पत्र के लिखे जाने के कुछ समय पश्चात् औरंगजेब इससे भी आगे बढ़ा और उसने 1679 में जजिया लगा दिया। इससे अमीर वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में विशेष चिन्ता उत्पन्न हुई और हमें बतलाया गया है कि दरबार में उच्च पदों एवं सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस कार्यवाही का विरोध किया। उन्होंने नम्रता पूर्वक सम्राट से अनुरोध किया कि वह संयम से काम लें।[5]

किन्तु सम्भवतः केवल अपनी प्रतिष्ठा को नये आधार पर ऊपर उठाने की इच्छा ने ही औरंगजेब को एक नयी धार्मिक एवं राजपूत नीति का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित नहीं किया। जब तक साम्राज्य का विस्तार होता रहा भविष्य की ओर देख कर सम्पूर्ण अमीर वर्ग अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट कर सकता था। किन्तु एक बार 1667 ई० की भाँति यह स्पष्ट हो जाने के पश्चात् कि तीव्र गति से साम्राज्य विस्तार की आशा नहीं की जा सकती और जब स्वयं साम्राज्य में ही अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी हो मनसबदारों की पदोन्नति की अभिलाषा को सन्तुष्ट करना इतना सरल कार्य नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में सम्राट के लिए यह बहुत ही आवश्यक बात थी कि अमीर वर्ग के बहुसंख्यकों के लिए आय के साधन बनाये जायें तथा अल्पसंख्यकों के लिए धीरे धीरे ये द्वार बन्द कर दिये जायें। राजपूतों के वर्ग को अन्य धर्माव लम्बी होने के कारण आसानी से पृथक किया जा सकता था। उनका तिरोभाव सम्राट की नयी प्रयतिमान कट्टरता की भाव भंगिमा के अनुरूप भी था। जैसा हम देख चुके हैं राजपूत अपने पूर्वजों के राज्यों में या वतन जागीरों में अनुमोदित किये जाते रहे किन्तु उन्हें दिये गये कुल मनसबों की संख्या यदि आने वाले वर्षों में घटा दी जाती तो वतन जागीरों के बाहर शाही जागीरों में उनका हिस्सा तदनुरूप गिर जाता। यह जागीरें रोटियाँ और मछलियाँ थीं, जो औरंगजेब ने अपने मुसलमान अमीर वर्ग का इसलिए दी ताकि वह उसके सिंहासन के पीछे एक होकर अत्यधिक दृढ़तापूर्वक खड़े रह सकें। जिन कारणों से 1679 80 ई० में राजपूतों का विद्रोह हुआ व समकालीन ग्रन्थों में दिये गये विवरणों में विभिन्नताओं और आधुनिक वाद विवादों के कारण अस्पष्ट हो गये हैं। सौभाग्यवश वाक्या ए अजमेर में इसी काल से सम्बन्धित हमारे पास अनेक सूचनाएँ हैं जिन्हें अजमेर के समाचार प्रतिवेदक ने लिपिबद्ध किया है। इस संघर्ष एवं उससे सम्बद्ध विषयों पर यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है। संक्षेप में, यह ग्रन्थ इस बात को स्पष्ट करता है कि जब जसवन्तसिंह के निःसन्तान मर जाने से मूलभूत कठिनाइयाँ अवश्य उत्पन्न हुईं औरंगजेब की नीति राजपूतों

को सन्तुष्ट करने के लिए नहीं थी, और जसवन्तसिंह के अधिकारियों तथा गद्दी के लिए अनुमोदित दावेदार, राजा इन्दरसिंह के मध्य झगड़े का लाभ उठाते हुए उसने प्रत्यक्ष रूप से मारवाड़ राज्य को समाप्त करने की चेष्टा की।[6]

जब राजा जसवन्तसिंह की मृत्यु हुई उसके कोई पुत्र न था। जब तक उसके उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो, औरंगजेब ने राजधानी जोधपुर समेत सम्पूर्ण मारवाड़ को, केवल दो परगनों को छोड़ कर, 'खालिसा' में ले लेने के लिए घोषणा कर दी तथा शाही अधिकारियों को उक्त राज्य का कार्यभार सँभालने के लिए रवाना कर दिया। इस बात ने राठौरों में आक्रोश उत्पन्न कर दिया, उन्होंने घोषणा की कि यदि जोधपुर को, जो उनके कुल का मुख्य स्थान है तथा जहाँ दिवंगत राजा का शोक मनाया जा रहा था, खालिसा में अन्तर्गत लिया गया तो राठौरों की प्रतिष्ठा की हानि पहुँचेगी—'शाही वंश के शासन काल में विशेष कृपाओं के बावजूद, किसी भूमि या जमींदार को उसके निवास स्थान (वतन) से कभी नहीं निकाला गया। राठौर, जो सदैव ही निष्ठावान एवं स्वामिभक्त रहे हैं, साधारण रूप से केवल इतना ही अनुरोध करते हैं कि उन्हें निर्वासित न किया जाय।" वे सम्पूर्ण मारवाड़ देने के लिए राजी थे किन्तु जोधपुर के असुरक्षित शहर को समर्पित करने के लिए तैयार न थे।[7] औरंगजेब ने अपना पहला आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया, किन्तु उसने दूसरा आदेश जारी किया कि जसवन्तसिंह के सभी अधिकारियों के पास दिवंगत राजा द्वारा दी गयी जागीरों के बराबर अनुदान या पट्टे रहने दिये जायेंगे और उन्हें इन जागीरों के अनुरूप मनसब प्राप्त होंगे।[8] यह स्पष्टतः घूस थी, और इसका मतलब जोधपुर का समाप्त करना था। तथापि इससे मारवाड़ के आंतरिक मामलों पर सम्राट के नियंत्रण में अत्यधिक वृद्धि हो जाती। जसवन्तसिंह के अधिकारियों ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस सौदे में साझेदार बनने से इनकार कर दिया।[9]

इसी बीच यह मालूम हुआ कि राजा की दो रानियों ने, जो गर्भवती थीं, दो पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक अजीतसिंह था। इसने शाही निर्णय में परिवर्तन करना आवश्यक कर दिया, क्योंकि अब यह धारणा नहीं बनायी जा सकती थी कि राजा जसवन्तसिंह कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ गया। दोनों में से एक पुत्र को अपना राजा स्वीकार कर लिये जाने की चेष्टा में राठौर अपनी चरम सीमा तक पहुँच गये। जसवन्तसिंह की मुख्य रानी, रानी हाडी, ने तो यहाँ तक कहा कि यदि केवल जोधपुर ही राजा के पुत्र को दे दिया जाय तो राजपूत जोधपुर के समस्त मन्दिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद बनवाने के लिए तैयार हो जायेंगे।[10] वे सगोत्रीय प्रतिद्वन्द्वी एवं गद्दी के दावेदार, इन्दरसिंह से कहीं अधिक उपहार (पेशकश) देने के लिए राजी थे।[11] उन्होंने अपने प्रस्ताव

मुगल अमीरों की दक्खन में नियुक्तियाँ हुई उन्हें उपयुक्त सैनिक टुकड़ियाँ रखने में कठिनाई होती थी, और इसी कारण वे सैनिक दृष्टि से अपने दक्खनी विरोधियों से उत्तम न थे।[0]

ऐसी परिस्थितियों में मुगल सेनानायकों और दक्खनियों के मध्य साठ गाठ की सूचनाओं का निरन्तर प्राप्त होते रहना स्वाभाविक ही था। जहाँगीर के अन्तर्गत खान ए खाना तदुपरान्त खान ए जहाँ लोदी पर सन्देह किया गया कि उन्होंने अहमदनगर से घूस लेकर उसे कुछ प्रदेश सौंप दिये थे। औरंगजेब के राज्यकाल के प्रारम्भिक भाग में शहजादा शाह आलम तथा अनेक अधिकारियों के सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि वे दक्खन में अग्रगामी नीति के विरुद्ध थे। 1663 ई० में औरंगजेब ने शाह आलम पर मराठों को कुचलने में लापरवाही दिखाने का आरोप लगाया और उसे हटा कर जयसिंह को दक्खन का वायसराय नियुक्त किया। 1667 ई० में शहजादा शाह आलम तथा जसवन्त सिंह की सिफारिश पर शिवाजी को क्षमा कर दिया गया और उसके पुत्र शम्भाजी को 5 000/5 000 का मनसब प्रदान किया गया शिवाजी को इस बात की अनुमति भी प्रदान कर दी गयी कि जहाँ तक उसके साधन उसका साथ दें वहाँ तक वह बीजापुर राज्य का प्रदेश विजित कर ले अन्यथा वह अपने को अपने राज्य की सीमा तक ही सीमित रखे तथा दक्खन के सूबेदार की राय के अनुसार कार्यवाही करे।[1] जब 1668 ई० में शहजादा शाह आलम दक्खन का सूबेदार था तो एक ओर दिलेर खाँ तथा दूसरी ओर शाह आलम व जसवन्तसिंह के मध्य मतभेद थे क्योंकि राजकुमार और राजा मराठों को दण्ड देने में ढील थे।[2] सन 1095 हिजरी (1682 83 ई०) में यह आरोप लगाया गया कि शाह आलम सय्यद अब्दुल्लाह खाँ अमीन खाँ नज्म सानी और सादिक खाँ की बीजापुर के शासक के साथ गुप्त सन्धि थी। औरंगजेब ने राजकुमार को बुरी तरह फटकारा सय्यद अब्दुल्लाह को बन्दी बना लिया तथा अन्य को नौकरी से निकाल दिया।[3] गोलकुण्डा के शासक अबुल हसन के प्रति नम्र व्यवहार अपनाने के लिए औरंगजेब को आगे चल कर शाह आलम व बहादुर खाँ कोकलताश को पुनः फटकारना पड़ा। शाह आलम ने गोलकुण्डा की सेना के सेनानायक इब्राहीम खाँ को सूचित किया कि अबुल हसन के प्रति नम्र दृष्टिकोण अपनाने के कारण सम्राट द्वारा उसकी कटु निन्दा की गयी थी।[21] 1685 ई० में कुतुब शाह से गुप्त सन्धि तथा शम्भाजी से मैत्रीभाव रखने के आरोप में शाह आलम को बन्दी बना लिया गया।

बहादुर खाँ (या खान ए जहाँ बहादुर जफर जंग कोकलताश) जो किसी समय औरंगजेब का एक अमीर था पर बारम्बार सन्देह किया गया कि दक्खन की शक्तियों से उसके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। उसे 1672 ई० में दक्खन का वायसराय

नियुक्त किया गया था। एक मुगल अमीर दिलेर खाँ तथा बीजापुर के दरबार के अफगान अमीरों के सरदार अब्दुल करीम ने उस पर शिवाजी के प्रति उसकी सहानुभूति होने का आरोप लगाया था।[6] 1681 ई० में जब सम्भाजी ने बुरहानपुर के आस पास के शहरों को लूटा तो सर्वत्र यह विश्वास किया गया कि बहादुर खाँ ने सम्भाजी से घूस ली थी और दूसरी ओर कूच कर गया जबकि मराठा शासक अपने माल के साथ भाग गया।[7] औरंगजेब स्वयं बहादुर खाँ पर गुप्त रूप से आदिलशाह की सेवा में होने का सन्देह करता था।[8] बहादुर खाँ ने हैदराबाद के कुछ दुर्गों व जिलों को अधिकृत करने में लापरवाही दिखायी थी, परिणामस्वरूप औरंगजेब को सजावलों व चावदारों को शीघ्र कार्य पूर्ण करवाने के लिए भेजना पड़ा।[9] आगे चल कर सर्वत्र यह विश्वास किया जाने लगा कि बहादुर खाँ पूर्णतः दक्खन में औरंगजेब की अग्रगामी नीति के विरुद्ध था और इसलिए उसने मराठों से गुप्त समझौता कर लिया होगा।[10] 1688 ई० में अकबराबाद के निकट जाटों ने विद्रोह किया। दिखाने के लिए तो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर खाँ का तबादला दक्खन से कर दिया गया किन्तु वास्तव में यह कार्य दक्खन में उसकी उपस्थिति से पिण्ड छुड़ाने के लिए किया गया था।[11]

यद्यपि दो बार जसवन्तसिंह को दक्खन में नियुक्त किया गया, किन्तु फिर भी यही विश्वास किया जाता रहा कि हृदय से वह विस्तारवादी नीति के विरुद्ध था। उस पर सन्देह किया गया कि शायस्ता खाँ के शिविर पर 1663 ई० की रात्रि में जो आक्रमण शिवाजी ने किया था उसमें उसका हाथ था।[12] हम देख चुके हैं कि जसवन्तसिंह की दूसरी बार दक्खन में नियुक्ति के दौरान दिलेर खाँ ने उस पर यह आरोप लगाया था कि मराठों के विरुद्ध कार्यवाही में वह हमेशा ढील से काम लेता था।

ऐसा प्रतीत होता है कि महाबत खाँ की भी वैसी ही ख्याति थी। दक्खन में शाही कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उसके नाम भी सिरोडन का उल्लेख खाफी खाँ ने एक आख्यायिका में किया है। सम्राट ने एक बार जाफर खाँ से महाबत खाँ से कहा कि शिवाजी को कुचलना आवश्यक था। महाबत खाँ ने प्रत्युत्तर दिया कि शिवाजी के विरुद्ध सेना भेजने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि काजी का आदेश (फतवा) ही पर्याप्त होगा।[13] 1671 ई० में सम्राट को सूचित किया गया कि महाबत खाँ का शिवाजी से गुप्त समझौता था और इसीलिए वह मराठों के विरुद्ध प्रयत्नशील नहीं था। इसीलिए उसके स्थान पर बहादुर खाँ कोकल्ताश को नियुक्त किया गया।[14]

दक्खन के किसी न किसी राज्य से अमीरों के विभिन्न वर्गों का सम्बन्ध या सहानुभूति थी। स्वभावतः कुछ राजपूत मनसबदारों को मराठों से सहानुभूति

थी।[35]

दाऊद खां कुरेशी आदिल शाह के विरुद्ध जयसिंह के अभियान का सुल्लम खुल्ला विरोधी था और उसने यह कह कर कि यह अभियान कुरान के आदेशों के विरुद्ध था, मुसलमान सैनिकों को निरुत्साहित करने की चेष्टा की।[36] ऐसा प्रतीत होता है कि दक्खन में तैनात अफगान मनसबदारों के हृदय में बीजापुर के लिए नम्र स्थान बन गया था, क्योंकि बीजापुर के दरबार में उनकी जाति के अनेक व्यक्ति थे। 1677 ई० में बहादुर खां कोकलताश ने बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए जब सैनिक तैयारियाँ शुरू की उस समय शाही सेना के अफगान अधिकारियों ने बीजापुर के अफगान अमीरों के नेता अब्दुल करीम को सलाह दी कि वह बहादुर खां के सम्मुख संधि की शर्तें पेश करे क्योंकि यदि बहादुर खाँ के अन्तर्गत सम्पूर्ण मुगल सेना ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया तो बीजापुरियों के लिए इस आक्रमण का सामना करना कठिन हो जायगा। इस घटना तथा अन्य घटनाओं से औरंगजेब प्रभावित हुआ और दक्खन में अफगानों के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर उसने 1678 ई० में असद खाँ को दक्खन का वायसराय नियुक्त कर दिया।[37]

गोलकुण्डा के सन्दर्भ में ईरानी अमीरों पर सन्देह किया गया कि शिया मत में उनके विश्वास के कारण ही उनकी सहानुभूति कुतुब शाह के प्रति थी। मुगल दरबार में यह आरोप लगाया गया कि ईरानी अमीर गोलकुण्डा की घेराबन्दी में सख्ती नहीं कर रहे थे।[38] किन्तु गोलकुण्डा का विनाश करने से सम्बन्धित विरोध केवल ईरानियों तक ही सीमित नहीं था। औरंगजेब ने अपने मुख्य काजी शेख उल इस्लाम, से गोलकुण्डा और बीजापुर के विरुद्ध युद्ध के सम्बन्ध में राय मांगी। काजी ने इस युद्ध को जिहाद की प्रकृति देने से इनकार कर दिया, परिणामस्वरूप उसे हज पर जाने के लिए कह दिया गया।[39] काजी अब्दुल्लाह जिसे शेख उल इस्लाम के स्थान पर नियुक्त किया गया था ने एक दिन कहा कि गोलकुण्डा से संधि कर लेना ही अति उत्तम होगा क्योंकि इससे मुसलमानों का अनावश्यक रक्तपात होना टल जायगा। औरंगजेब बहुत ही क्रुद्ध हुआ और उसने काजी अब्दुल्लाह को आदेश दिया कि वह दरबार में न आया करे तथा अपने को अदालती कार्यों तक ही सीमित रखे।[40]

किन्तु दक्खन की ओर साम्राज्य का विस्तार करने की इस मुहिम में सभी अमीरों ने भाग नहीं लिया था। दक्खन में अग्रगामी नीति का एक प्रमुख समर्थक मिर्ज़ा राजा जयसिंह था जिसे शायस्ता खां की पराजय के उपरान्त दक्खन में स्थिति सुधारने के लिए भेजा गया था। सर्वप्रथम जयसिंह ने शिवाजी को ही अपना लक्ष्य बनाया और उसे पुरन्धर में संधि करने के लिए बाध्य किया। इसके पश्चात उसकी योजना मराठों को मातहती साझेदारी में लेकर उनकी

सहायता से बीजापुर राज्य के ऊपर आक्रमण करने की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्खन में औरंगजेब उतनी सेना नहीं रखना चाहता था जितनी जयसिंह माँग रहा था, न ही आदिलशाहियों में फूट के बीज बोने के लिए दक्खनियों की भर्ती एवं उनकी पदोन्नतियों के सम्बन्ध में जयसिंह की सिफारिशों का ही उसने अनुमोदन किया।[32]

निस्सन्देह, अग्रगामी नीति में विश्वास न करने वाले अनेक व्यक्तियों को जयसिंह की योजना पर आपत्तियाँ थीं। यह सत्य है कि जहाँगीर के समय से मुगलों ने मराठों को मनसब देना प्रारम्भ कर दिया था। किन्तु शिवाजी से जिसने व्यावहारिक रूप से अपनी राजनीतिक शक्ति का एक पृथक केन्द्र स्थापित कर लिया था, सहयोग की माँग करना एक दूसरी बात थी। दक्खन में जयसिंह का पूर्वाधिकारी, शायस्ता खाँ मराठों के इतना विरुद्ध था कि उसने कभी भी उन्हें न तो अश्वारोहियों और न ही पैदल सैनिकों के रूप में भर्ती किया।[4] परीक्षा की घड़ी उस समय आयी जब शिवाजी एक उपयुक्त मनसब प्राप्त करने के लिए आगरे में उपस्थित हुआ। अनेक अमीर जिनका नेतृत्व जसवन्तसिंह (जिसके अनुसार शिवाजी एक 'मामूली भूमिया' था) जाफर खाँ और मुहम्मद अमीन खाँ कर रहे थे, शिवाजी को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार दिये जाने के विरुद्ध थे, जब कि जयसिंह की नीति के समर्थक अमीन खाँ सैयद मुर्तजा खाँ और आकिल खाँ थे।[33] ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में सम्राट कोई निर्णय न ले सका, जिसका खेदजनक परिणाम यह हुआ कि शिवाजी को न कुचला ही जा सका और न ही सन्तुष्ट किया जा सका।

अन्त में, न तो जयसिंह और न ही उसके आलोचकों की नीति सफल हो सकी। प्रयोजनबद्ध या सम्भवतः परिस्थितियों के दबाव के कारण, औरंगजेब को तीनों दक्खनी शक्तियों—मराठों, बीजापुर और गोलकुण्डा के विरुद्ध एक साथ संघर्ष करना पड़ा। बिना किसी औचित्य के यही अग्रगामी नीति थी। किन्तु इसके लिए अत्यधिक सैनिक उद्यम की आवश्यकता थी, जिसने मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया, और एक बार इस कार्य को हाथ में ले लिए जाने के पश्चात न तो दक्खन और न ही मुगल साम्राज्य पहले जैसे रह सकते थे।

दक्खन की समस्या तथा अमीर-वर्ग—1689 1707

1682 से लेकर 1707 में अपनी मृत्यु तक औरंगजेब 25 वर्षों से अधिक दक्खन में रहा। इस काल के प्रथम चरण में ऐसा प्रतीत होता है कि वह दक्खन के तीनों राजनीतिक केन्द्रों को तोड़ने में सफल हो गया था। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुण्डा विजित कर लिये गये तथा 1689 में मराठा शासक सम्भाजी पकड़ा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। तथापि, शीघ्र ही

यह स्पष्ट हो गया कि शक्तिशाली केन्द्र के अभाव में भी मराठे संघर्ष को जारी रखेंगे। जब कर्नाटक में गंगाराम का पीछा करने के लिए मुग़ल सेनाओं ने प्रवेश किया, तो मराठा सरदारों ने अपने असंख्य पहाड़ी दुर्गों में सम्पूर्ण दक्खन पर छापा मारने का आयोजन किया। दक्खन में राजनीतिक विरोध को समाप्त करने के इस संकल्प पर औरंगज़ेब डटा रहा और उस संकल्प में कभी भी शिथिलता न आयी। उसने अपने सैनिक-साधना के एक बड़े भाग को इस कार्य में लगा दिया और उसने मराठों के विरुद्ध जिस युद्ध की घोषणा की उसे जिहाद की संज्ञा दी (1699)। उसे आशा थी कि इस प्रकार की घोषणा तथा दक्खन में उसकी उपस्थिति दक्खनी युद्ध के विरुद्ध उसके अधिकारियों के किसी खुलेआम खुल्ला विरोध पर रोक लगा देगी।[44] किन्तु एक ओर, दक्खन में अत्यधिक सैनिक-साधनों को लगा देने एक दीर्घकालीन युद्ध की सम्भावनाएँ और दूसरी ओर, उसके परिणाम के अनिश्चित होने की सम्भावनाओं ने गम्भीर राजनीतिक संकट उत्पन्न कर दिये जिसके प्रति अमीर उदासीन हुए बिना न रह सके। निस्सन्देह दक्खन में अन्तग्रस्तता को प्रत्येक अमीर ने पृथक्-पृथक् ढंग से देखा। पुराने परिवारों के अमीरों-खानाजादों की दृष्टि में दक्खनियों का मुग़ल अमीर वर्ग में आगमन अभिशाप था तथा वे अपनी प्रभावशाली स्थिति के पुनर्स्थापन के लिए छटपटा रहे।[45] जो वास्तव में दक्खन में लड़ रहे थे उनकी दृष्टि में दुर्ग्राह्य मराठों के विरुद्ध कभी न समाप्त होने वाली लड़ाई बिलकुल बेकार थी उनमें से अनेक मराठों के साथ समझौता चाहते थे जिससे दोनों ही पक्ष दक्खन में शान्तिपूर्वक रह सकें या इसके विकल्प में वे यह चाहते थे कि सम्राट अपने मुख्य अधिकारियों को लेकर उत्तरी भारत वापस लौट जाय तथा अपने मातहतों को दक्खन में अनियमित युद्ध चालू रखने के लिए छोड़ जाये। दलपतराव बुन्देला का एक अधिकारी इतिहासकार भीमसेन उस विचारधारा का जो समझौते के पक्ष में थी एक अच्छा प्रतिनिधि था। युद्ध के कारण दक्खन में हुई बर्बादी जिस ढंग से मराठे लूट पर जीवन निर्वाह कर रहे थे तथा जिस सीमा तक मुग़ल सैनिक व्यवस्था गिर चुकी थी में वह अत्यधिक प्रभावित था।[46] औरंगज़ेब की युद्ध-नीति का वह कटु आलोचक था। सारा देश हाथों से निकल रहा था तथा जनता शत्रु के हाथों लुट रही थी किन्तु औरंगज़ेब केवल मराठा दुर्गों को विजित करने में ही लगा हुआ था।[47] यहाँ तक कि सम्राट को वज़ीर असद खाँ ने एक बार निर्भीकतापूर्वक यह सोच कर कि जब तक सम्राट की निजी प्रतिष्ठा सन्निहित है तब तक मराठों से कोई भी समझौता सम्भव नहीं हो सकता सुझाव दिया कि सम्राट को अब दक्खन छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे सभी उद्देश्य जिनको प्राप्त करने के लिए वह आया था प्राप्त हो चुके थे। किन्तु इसके एवज में उसे सम्राट से केवल एक कटु झिड़की ही मिली।[48]

कुछ अमीर स्वयं दक्खन छोड़ने व उत्तरी भारत लौटने के लिए चिन्तित थे। बहरमन्द खाँ ने सम्राट को एक लाख रुपया देने का प्रस्ताव रखा ताकि एक वर्ष के लिए उसे दिल्ली जाने की अनुमति मिल जाये।[49] लेकिन अधिकांश अमीरों ने शाही आदेशों का बेमन से पालन कर या मराठों से गुप्त समझौता कर अपनी रक्षा की। यह कहा गया है कि औरंगजेब ने घोषणा की कि उसे स्वयं दक्खन में रहना पड़ेगा नहीं तो उसके अधिकारी उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे।[50] उसकी यह शिकायत कि अधिकारियों को आदेशानुसार कार्य करने के लिए चेतावनी देनी पड़ती थी अखबारात में परिलक्षित है।[51] भीमसेन के अनुसार मुगल अधिकारियों को कभी-कभी मराठों का विरोध करने की अपेक्षा उनसे व्यक्तिगत सौदे करना अधिक लाभदायक मालूम होता था।[52] मनूची का भी यही कथन है और वह लाडन खाँ पन्नी, जिसका मराठों से गुप्त समझौता था, का उदाहरण प्रस्तुत करता है।[53] वस्तुतः, दक्खनी अमीर अपनी स्वामिभक्ति में बहुत ही अस्थिर थे। 1689 ई० में हैदराबादी अमीरों ने जिन्हें हाल ही में मुगल सेवा में लिया गया था विद्रोह करके शाही उद्देश्य को बड़ी क्षति पहुँचायी।[54] 1691 में जब जुल्फिकार खाँ जिंजी की किलाबन्दी कर रहा था उस समय दक्खनी अमीरों ने जो उसके साथ थे साथ छोड़ दिया और राजाराम से मिल गये।[55] भीमसेन ने 1700 ई० में लिखते हुए कहा कि (दक्खन) देश के मनसबदार बड़ी संख्या में साथ छोड़ कर मराठों के पास जा रहे हैं।[56]

ऐसी स्थिति में दरबार में सन्देह और षड्यन्त्रों एवं अमीरों में पारस्परिक द्वेष के लिए पूरी छूट थी। औरंगजेब ने स्वयं मुहम्मद मुराद खाँ को बतलाया कि युद्ध में उसके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस के सम्बन्ध में उसे जानकारी है, किन्तु कुछ अमीर यह नहीं चाहते थे कि यह बात सम्राट के ध्यान में लायी जाय। तरबियत खाँ, मुहम्मद मुराद खाँ से द्वेष रखता था जबकि अनेक प्रमुख अमीर फतहउल्लाह खाँ से द्वेष रखते थे।[57] औरंगजेब सम्भाजी को बन्दी बनाने वाले मुकर्रब खाँ की पदोन्नति अन्य अमीरों के द्वेष के कारण नहीं कर सका।[59] तथा ग्वाल मन्जहाँ बारहा के पुत्र लश्कर खाँ और जुल्फिकार खाँ नुसरत जंग के बीच कटु ईर्ष्या थी।[60]

1686 ई० में जब औरंगजेब गोलकुंडा की घेराबन्दी कर रहा था कुछ अमीरों ने ईर्ष्या के कारण फिरोजुद्दीन खाँ के पुत्र सफशिकन खाँ पर असत्यापित आरोप लगाया कि वह घेराबन्दी को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर रहा था। इस पर औरंगजेब ने उसे पदच्युत कर दिया और उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली। परन्तु जब यह निश्चित हो गया कि असत्यापित आरोप झूठा था तो औरंगजेब ने सफशिकन खाँ को उसके पूर्व पद एवं मनसब पर उसे पुनः प्रतिष्ठित कर दिया।[61] 1699 में जब रुस्तम खाँ का तोपखाना तरबियत खाँ की टुकड़ी में

कर लिया गया तो उसने सम्राट को अर्जी दी कि सम्राट द्वारा नियत किये गये किसी भी काय को वह करने के लिए तयार था, किन्तु वह तरबियात खाँ के साथ काय करने के लिए तयार नही था।[8]

दक्खन म युद्ध क दौरान ईर्ष्या एव द्वेष के इस प्रकार के उदाहरणो की कई गुना गिनती की जा सकती है[63] किन्तु उपयुक्त उदाहरण उनकी प्रकृति स्पष्ट करने के लिए पयाप्त हैं।

ऐसे वातावरण म गुटो और दलो का बनना तथा विभिन्न दिशाओ म उनम खींचातानी होना अपरिहाय ही था। चूकि मुगल उद्देश्य की पूण सफलता के सम्बन्ध म सन्देह बढता ही जा रहा था अत अमीरो को अपने व्यक्तिगत हितो की ओर देखना स्वाभाविक ही था। 1700 ई० म मनूची न लिखा है जिस प्रकार मुगल साम्राज्य म घटनाए घटित होती हैं उससे अधिक आश्चयप्रद कोई अन्य घटना नही हो सकती। सम्राट राजकुमार सूबेदार और सेनानायक की अपनी अपनी योजनाओ म सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी ही नीतियाँ हैं।[11]

सबसे बडे अमीरो मे दो गुट उत्पन्न हुए जो नयी गुटबन्दी के प्रतीक बने। उन्हें हम मोटे तौर म ईरानी व तूरानी की सज्ञा द सकते हैं। जसा कि हम प्रथम अध्याय मे देख चुके हैं इन दो जातियो के अमीरो के मध्य पुरानी वमनस्यता थी। औरंगजेब के अन्तिम वर्षों म प्रमुख ईरानी अमीरो म असद खाँ व उसका पुत्र जुल्फिकार खाँ और प्रमुख तूरानी अमीर गाजीउद्दीन खाँ फिरोज जग और उसका पुत्र चिन किलिच खा थे।

दोनो गुटो की प्रकृति एव प्रत्येक के प्रमुख व्यक्तियो के जीवन वत्त का सतर्कतापूर्वक विश्लेषण डा० सतीशचन्द्र ने अपने ग्रन्थ **पार्टीज एण्ड पालिटिक्स ऐट द मुगल कोर्ट, 1707 40** म किया है। जसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रथम गुट मुख्यत पारिवारिक एव व्यक्तिगत गुट था जो पारिवारिक निष्ठाओ तथा जुल्फिकार खाँ से व्यक्तिगत सम्बन्धो के कारण बधा हुआ था।[6] असद खाँ और जुल्फिकार खा के अतिरिक्त दाऊद खा पन्नी दलपतराव बुन्देला और रामसिंह हाडा भी इस गुट के सदस्य समझे जा सकते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय उनके सयुक्त मनसबो की सख्या 25 000 जात और 23 5000 सवार थी—

असद खाँ	7 000/7 000
जुल्फिकार खा	6 000/6 000
दाऊद खा पन्नी	6 000/6 000
दलपतराव बुन्देला	3 000/3 000
रामसिंह हाडा	3 000/1 500
योग	25 000/23 500

गाजी उद्दीन खाँ फिरोज जंग का गुट "जातीय एवं पारिवारिक गुट था", क्योंकि उसके सभी अनुगामी तूरानी थे।[66] उनके संयुक्त मनसबों की संख्या 20 000 जात/15 600 सवार थी—

गाजीउद्दीन खाँ फिरोज जंग	7,000/7 000
चिन किलिच खाँ	5,000/5,000
मुहम्मद अमीन खाँ	2 500/1,500
हामिद खाँ	4 000/1,500
रहीम उद्दीन खाँ	1,500/600
योग	20 000/15,600

औरंगजेब के समय एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व, जो दोनों गुटों में सामान्य था, उनका दक्कन में अत्यधिक अन्तग्रस्त होना था। जुल्फिकार खाँ और गाजीउद्दीन खाँ दोनों ही ने दीर्घकाल तक दक्कन में सैनिक सेवाएँ की थीं और वे निश्चय ही औरंगजेब के प्रमुख सेनानायक थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दक्कन में उनके हितों के निहित होने का स्पष्टीकरण शहजादा आजम के साथ उत्तर जाने में उनकी अत्यधिक हिचकिचाहट से हो जाता है।[67]

किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दक्कन ही में दोनों गुट विभिन्न नीतियों के समर्थक थे। असद खाँ और जुल्फिकार खाँ का विश्वास था या धीरे धीरे उन्हें विश्वास हो गया था कि मराठों को अपने पक्ष में करना आवश्यक था और उनसे एक समझौते के द्वारा ही दक्कन में मुगल सत्ता को बचाया जा सकता था। 1698 में जुल्फिकार खाँ ने जिंजी को विजित किया किन्तु राजाराम भाग निकला या उसे भागने दिया गया।[68] एक वर्ष पूर्व ही जुल्फिकार खाँ ने समझौते के लिए राजाराम का एक प्रस्ताव औरंगजेब के पास भेजा था किन्तु औरंगजेब उसे स्वीकार करने के लिए तैयार न हुआ।[69] 1705 में जब औरंगजेब वकिनकेरा में बुरी तरह मुसीबत में फंसा हुआ था तो जुल्फिकार खाँ को उसके अधिकारियों के साथ बुलाया गया था। जुल्फिकार खाँ के आते ही स्थिति सुधर गयी और कुछ ही समय पश्चात दुर्ग विजित हो गया। किन्तु औरंगजेब को सन्देह हुआ कि जुल्फिकार खाँ और राव दलपत की चालों के कारण ही मराठा सेनाएं बिना किसी क्षति के भाग गयीं।[70] बाद में जब औरंगजेब ने मराठों में फूट के बीज बोना चाहा तो उसने शाहू को जुल्फिकार खाँ को सौंप दिया ताकि वह मराठा सरदारों से बातचीत कर सके।[71] शाहू को 7 000/7 000 का मनसब तथा राजा की उपाधि भी दी गयी।[72] जुल्फिकार खाँ ने मराठा सरदारों को मैत्रीपूर्ण पत्र लिखे और उनसे शाहू के साथ मिल जाने के लिए कहा किन्तु

उनकी ओर से कोई स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई।[73] मराठों को अपने पक्ष में करने के लिए जुल्फिकार खां द्वारा की गयी चेष्टा का उल्लेख एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी द्रष्टा फ्रैंक्वाएस मार्टिन ने की है। उसके अनुसार जुल्फिकार खां इस समझौते के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा था।[74]

जुल्फिकार खां के घनिष्ठ मित्र दाऊद खां पन्नी का मराठों के साथ गुप्त समझौता था और जब 1705 में वह कर्नाटक का गवर्नर था तो उसने उन्हें कुचलने की तनिक भी चेष्टा नहीं की।[75]

जुल्फिकार खां ने बारम्बार मराठों से समझौता करने के लिए वार्तालाप करने की चेष्टा की किन्तु उसके विपरीत गाजीउद्दीन खां फिरोज जंग ने उनके प्रति अटल एवं दृढ़प्रतिज्ञ दृष्टिकोण अपनाया। इसके बावजूद वह ऐसी योजनाएं बनाने के लिए प्रसिद्ध था जो पूर्णतः स्वामिभक्ति की भावना के अनुकूल न थी। ईसरदास ने एक घटना का उल्लेख किया है जिससे ज्ञात होता है कि गाजीउद्दीन खां औरंगजेब के पश्चात स्वतन्त्र होने की बात सोच रहा था और उसने अपनी सैनिक सफलताओं के आधार पर अपने लिए दक्खन में एक राज्य की स्थापना करने के बारे में सोचा होगा। यह कहा जाता है कि औरंगजेब ने उस पर सन्देह करना प्रारम्भ कर दिया था और ईसरदास ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि औरंगजेब द्वारा भेजे गये एक चिकित्सक ने ही गाजीउद्दीन को अन्धा बना दिया था।[76]

अमीर वर्ग में दोनों गुटों द्वारा प्रदर्शित द्वेष, ईर्ष्या और गुटबन्दी ने एक गम्भीर राजनीतिक संकट की ओर संकेत किया है जिसका सामना मुगल साम्राज्य को भविष्य में करना था। औरंगजेब की नीति सफल हो सकती थी—यद्यपि इसमें भी सन्देह है—यदि उसके अधिकांश अधिकारी अपने कार्यों में निष्ठा, अनन्य उद्देश्य एवं संकल्प ला सकते। किन्तु उनकी गुटबन्दी ने औरंगजेब को इस समर्थन से वंचित कर दिया। इसी गुटबन्दी में हम उच्च अमीरों में सम्राट एवं शाही नीतियों के प्रति अत्यधिक मात्रा में विश्वास के कारण अभाव की झलक मिलती है। यह एक महत्त्वपूर्ण बात है कि गाजीउद्दीन खां के नेतृत्व वाले गुट ने जो औरंगजेब की दक्खन की नीति का दिखावटी समर्थन कर रहा था अन्त में उस नीति के असफल होने की कल्पना भी की और इस प्रकार से उसके पुत्र के शासनकाल में दक्खन में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना भी हुई।

सन्दर्भ

1 यह आंकड़े अध्याय के अन्त में दिये गये परिशिष्ट पर आधारित हैं। देखिये—लेखक का शोध निबन्ध 'द रिलीजस इश इन द वार आफ सक्सेशन 1658-69' जिसे लेखक ने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस अलीगढ़ सेशन 1960 में पढ़ा, मडिवल इंडिया क्वार्टर्ली, खण्ड

V पृ० 80-87।

2 देखिये—औरंगजेब के शाहजहाँ के नाम पत्र—आदाब-ए आलमगीरी पृ० 289 व 293 व रुक्क़ात-ए आलमगीर पृ 211 12 216-18 223 26 काजी वहाब के विचार के लिए मीरात-ए अहमदी I पृ० 248 देखिये।

3 1665 म हिंदू व्यापारियों द्वारा ले जाने वाले माल पर चुंगी की दर बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दी गयी जबकि मुसलमानों के लिए चुंगी की दर ढाई प्रतिशत ही लागू की गयी। 1667 में मुसलमानों के लिए चुंगी पूर्ण रूप से हटा ली गयी किन्तु 1682 ई० मे पुन लागू कर दी गयी। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा ले जाने वाले माल पर चुंगी की दर 3 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत कर दी गयी (वोल्ट० फार्ट्रिफि कजर 288 प III व 19 ब)। 1669 म मन्दिर तोड़ने के लिए आदेश जारी किया गया (मासीर-ए-आलमगीरी प० 81)। इस आदेश का सवत्र पालन किया गया इसका पता अनेक प्रपत्रों से ज्ञात होता है (वाक़या-ए अजमेर वाक़या-ए रणथम्भौर अखबारात आदि सहित)। साथ-ही-साथ स्पष्टत कुछ अपवाद भी हुए और औरंगजेब म हिन्दू व जन मन्दिरों तथा धम-तत्वज्ञों को जो अनुदान दिये वे उपलब्ध हैं—बम्बई के ज्ञानचन्द्र द्वारा लिखित शोध निबंध पाकिस्तान हिस्टारिकल सोसाइटी अक्तूबर 1957 प० 247 54 जुलाई 1958 पृ० 208-13 अक्तूबर 1958 प० 269 72 जनवरी 1958 प० 55 56 जनवरी 1959 प० 36-39 और अप्रैल 1959 पृ० 99-100 हिन्दुओं विशपकर ब्राह्मणों को दिये गये अनदानों के लिए के० के० दत्ता द्वारा तयार की गयी सूची देखिये—सम फ़रमान्स सनद्स एण्ड परवानाज़ (1578-1802) पटना 1962 भाग II संख्या 36 45 51 58 60 64 113 117 130 154 219 220 221 262 263 278 279 280 300 308 325 326 330 364 374 आदि। 1699 ई० मे हरदोई जिले म गोपामऊ में भौनिघराय ने गोपीनाथ का मन्दिर व एक सुन्दर तालाब बनवाया यह बात भी ध्यान रखने योग्य है। (ए ममहरर आरकियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया पृ० 279)। 1679 मे पुन मसलमानो पर जजिया लगाया गया।

4 आर० ए० एम० पशियन कैटलाग 173 प० 8 अ 11 अ। यह पत्र 1676 ई० में वजीर के पद पर असद खाँ की नियुक्ति के पश्चात लिखा गया क्योंकि इस पत्र में उच्च पद पर उसकी पदोन्नति के सदभ म आलोचना है।

5 मनूची III प 288।

6 विस्तृत विवाद के लिए देखिये—लेखक का शोध-पत्र द काजज आफ द राठौर रिबलियन आफ 1679-80 प्रोसीडिंग्स आफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस दिल्ली सशन 1961 प० 135-41।

7 वाक़या-ए अजमेर पृ० 80-83।

8 वही पृ० 114।

9 सूबेदार के मनाने के बावजूद भी उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि उन्हें यह मालूम है कि वे शाही सेना का सामना नहीं कर सकेंगे उन्होंने यह तय किया है कि वे खरीदे जाने की अपेक्षा मरना ही पसन्द करेंगे (वाक़या ए अजमेर प० 116)।

10 वाक़या-ए अजमेर प० 167 244-46।

11 वही प० 244।

12 वही पृ 245-46।

13 वही पृ० 241 270 277 78।
14 फ़तूहात-ए-आलमगीरी प० 75 अ-ब मासीर-ए-आलमगीरी पृ० 168 जब एक सेना की कमान देकर बहादुर खाँ कोकलताश को मेवाड़ भेजा गया उसने राणा के राज्य पर नियंत्रण बनाये रखने की कोशिश न की (मामूरी प० 51 अ)।
15 खाफी खाँ II प० 276-77 दिलकुशा प० 78 ब।
16 बर्नियर पृ 196-97।
17 मयर II पृ० 51 मनूची III पृ० 271 भी देखिये।
18 दिलकुशा प 123 ब।
19 वही इंगलिश फैक्ट्रीज़ 1665 1667 पृ० 152।
20 अाख्बारत-ए-आलमगीरी प 25 ब 27 अ-ब।
21 दिलकुशा प 35 अ 35 ब।
22 वही प० 34 ब 35 अ शाह आलम बीजापुर के विरुद्ध दक्खन में दिलेर खाँ की अग्रगामी नीति के विरुद्ध था (फतूहात ए आलमगीरी प० 59 अ)।
23 मामूरी प 168 ब 169 अ खाफी खाँ II प० 3 0-21 फ़तूहात-ए-आलमगीरी प० 100 ब मासीर-ए-आलमगीरी पृ० 293-94।
24 मामूरी प० 165 अ-ब खाफ़ी खाँ II पृ० 300-301।
25 वही प० 171 अ-ब वही पृ० 330-34 दिलकुशा 93 ब 94 अ फ़तूहात-ए-आलमगीरी प० 113 अ 115 ब मासीर-ए-आलमगीरी पृ० 294-95 मनूची II पृ० 302 304।
26 दिलकुशा प० 69 ब। शिवाजी ने बहादुर खाँ कोकलताश के सामने प्रस्ताव रखा कि मराठों व मुगलों में संधि हो जानी चाहिए। बहादुर खाँ ने गंगाराम गुजराती नामक अपने सेवक को उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में शिवाजी के पास भेजा। किन्तु शिवाजी ने गंगाराम से व्यंग्य करते हुए पूछा कि मुगलों ने उन पर किस प्रकार का दबाव डाला था जिससे वह उनसे संधि कर लें (दिलकुशा प० 63 अ ब) द इंगलिश फैक्ट्रीज़ 1670-77 खण्ड I (न्यू सिरीज़) पृ० 124।
27 मामूरी प० 153 ब खाफी खाँ II पृ० 274-75।
28 रुक्क़ात-ए-आलमगीर प० 127।
29 मामूरी प 163 अ।
30 वही प 167 ब 168 अ दिलकुशा प 118 ब 119 अ खाफी खाँ II पृ 313-314 बहादुर खाँ ने औरंगज़ेब के सम्मुख मराठों की परवी की थी (दिलकुशा प० 99 ब 100 अ)।
31 मामूरी प 173 ब खाफी खाँ II प० 316।
32 दिलकुशा प 24 अ ब मामूरी प० 131 अ खाफी खाँ II पृ० 175। दक्खन में जसवन्तसिंह के व्यवहार से औरंगज़ेब असंतुष्ट था और इसीलिए उसने उसे वापस बुला लिया और उसके स्थान पर जयसिंह को नियुक्त कर दिया। जसवन्तसिंह के लिए यह बात प्रसिद्ध थी कि उसने बीजापुर से 9000 पगोडा लिये थे और उस राज्य के साथ गुप्त समझौता कर लिया था (मीरात-ए-आलम प 190 ब 191 अ)।
33 खाफ़ी खाँ II प 216-17।
34 दिलकुशा प 51 ब।

35 खाफ़ी खाँ II पृ० 229।
36 हुस्न अजुमन पृ० 190 ब (सरकार द्वारा उद्धृत, IV पृ० 149)।
37 दिलकुशा, पृ० 67 ब-69 अ। दिलेर खाँ बीजापुर से संधि करना चाहता था क्योंकि बीजापुर में अफगानों के हाथों में सत्ता थी (दिलकुशा, पृ० 68 ब)।
38 मामूरी पृ० 175 ब बर्नियर पृ० 211 गोलकुण्डा की घेराबन्दी के सम्बन्ध में लिये गये व्यंग्यात्मक विवरण द्वारा नियामत अली हमें इस भ्रम में नहीं रहने देता कि उसकी सहानुभूति किसके साथ थी।
39 मामूरी पृ० 162 अ।
40 वही पृ० 173 अ अबुल हसन ने संधि की जो शर्तें प्रस्तुत की थीं उन्हें औरंगज़ेब ने अस्वीकार कर दिया (मामूरी पृ० 174 मआसीर-ए-आलमगीरी पृ० 287 88)।
41 जयसिंह की योजना के सुस्पष्ट विवरण के लिए देखिये—सरकार IV पृ० 120-21 जो प्रधानतः हुस्न अजुमन पर आधारित है। आलमगीरनामा पृ० 913 दिलकुशा पृ० 28 ब खाफ़ी खाँ, II पृ 184 भी देखिये। दकनियों की भर्ती के लिए औरंगज़ेब के मना करने के बारे में दिलकुशा पृ० 31 ब देखिये। 29 ज़िल्काद 8वाँ राजकीय वर्ष को औरंगज़ेब ने जयसिंह से कहा कि दकनियों की बात और उनके वायदे पर विश्वास नहीं किया जा सकता (जयपुर डॉक्यूमेन्ट्स संख्या 98 पृ० 184 निगारनामा-ए-मुंशी पृ 121)।
42 मामूरी पृ० 130 अ।
43 सरकार हाउस ऑफ़ शिवाजी पृ० 158-60।
44 मामूरी पृ० 196 अ खाफ़ी खाँ II पृ० 478 80।
45 अध्याय 1 देखिये।
46 दिलकुशा पृ० 138 ब 140 अ। दक्खन में शाही सेना की दयनीय दशा के लिए देखिये—वाक़या-ए-नियामत खाँ अली पृ० 15 117।
47 वही पृ० 140 अ।
48 इनायतुल्लाह खाँ अहकाम-ए-आलमगीरी पृ० 25 ब 26 अ।
49 मआसीर-उल-उमरा I पृ० 457।
50 मनूची IV पृ 115।
51 अखबारात, 28 शाबान 43वाँ राजकीय वर्ष। दक्खन में मुगल अमीरों की लापरवाही विलम्बकारी चालों व बुज़दिली के लिए वाक़या-ए-नियामत खाँ अली पृ 142 देखिये।
52 दिलकुशा पृ० 140 अ-ब।
53 मनूची IV पृ० 98 228 29।
54 सरकार V पृ० 68।
55 दिलकुशा, पृ० 99 ब।
56 वही पृ० 140 अ रहीम दाद खाँ जैसे पलायनकर्ता के सम्बन्ध में रोचक अध्ययन प्रो० एम० आर० कडक ने किया है प्रोसीडिंग्स आफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस अलीगढ़ सेशन 1960 पृ० 259-60।
57 मामूरी, पृ० 145 अ-ब। मुहम्मद मुराद और कुतुबुल मुल्क में वैमनस्यता थी (उपरोक्त, पृ० 197 ब 198 ब)।
58. खाफ़ी खाँ II पृ० 488 89।

59 वही पृ० 391 92 मासूरी प० 181 अ।

60 मआसीर-ए आलमगीरी पृ 356।

61 खाफ़ी खाँ II प० 359 मासूरी प० 175 ब।

62 अखबारात 14 शव्वाल 43वाँ राजकीय वर्ष।

63 तरबियत खाँ व फ़िरोज़ जंग में वैमनस्यता (मआसीर-ए-आलमगीरी पृ० 290) अली मर्दान खाँ और ज़ुल्फ़िकार खाँ में ईर्ष्या (मनूची III पृ० 273) 1705 में मराठों को कुचलने के लिए, ख़ुदाबन्द खाँ ने ज़ुल्फ़िकार खाँ को सहयोग देने से इन्कार कर दिया क्योंकि उसे ज़ुल्फ़िकार खाँ से ईर्ष्या थी (दिलकुशा प 137 अ)। एक ओर खानाज़ादों में और दूसरी ओर दक्खनी अमीरों जो मुग़ल सेवा में नये भर्ती हुए थे के मध्य ईर्ष्या के लिए देखिये—मासूरी प० 181 अ खाफ़ी खाँ II प० 391 92।

64 मनूची II पृ० 270।

65 पार्टीज़ एण्ड पालिटिक्स प० 6।

66 वही पृ 9।

67 दिलकुशा प० 162 अ 172 ब आज़म अल-हुब प० 188-92 खाफ़ी खाँ II प० 572।

68 इससे औरंगज़ेब नाराज़ हुआ (मआसीर-ए आलमगीरी प० 391 92)।

69 दिलकुशा प० 122 अ-ब।

70 वही प० 153 अ।

71 वही प 154-55 ब मआसीर-ए आलमगीरी पृ० 511 मनूची III पृ 498-99।

72 रक़ायम-ए-करायम प० 23 ब दिलकुशा प 98 अ।

73 दिलकुशा प० 154 ब 155 अ।

74 सरकार द्वारा उद्धरित हिस्ट्री आफ औरंगज़ेब V प० 101।

75 मनूची IV प [illegible] 228-29 मीरात-ए अहमदी I पृ० 403।

76 फ़तूहात-ए आलमगीरी प० 145 अ-ब।

परिशिष्ट

उत्तराधिकार के युद्ध मे दारा शिकोह के समथक

1658-59

क्रम स०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	स्रोत
		5 000 व उससे अधिक के मनसबदार		
1	महाराजा जसवन्तसिंह	6 000/6 000 (5 000×2 3 अस्पा)	राजपूत	तुहफा ए शाहजहानी, 29 ब, दिलकुशा, 14 अ, आलमगीरनामा, 32, 41, 49, 56, 59, औरग नामा, 13, अमल ए सालेह, III, 284, 449, हातिम खाँ, 10 अ, मा० उ०, III, 599 604 ।
2	रुस्तम खाँ फिरोज जग दक्खनी	6 000/6 000 (5 000×2 3 अस्पा)	काकेशियन (तूरानी)	मा० उ०, II, 270 76, अमल ए सालेह, III, 298 449, मामूरी 98 ब, ईसरदास 26 अ, औरग नामा, 20, 25, आलमगीरनामा, 96 99 दिलकुशा 16 अ, तुहफा-ए शाहजहानी, 29 ब, आकिल खाँ, 62 ।

क्रम स० नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	स्रोत
3 शाहनवाज खाँ सफवी	6000/6000 (5000×2 3 ग्रस्पा)	ईरानी	हातिम खाँ 69 ग्र 72 ग्र, मा० उ०, II, 670 76, मामूरी, 107 ग्र, 108 ग्र, ईसरदास, 43 ग्र, ग्रालमगीरनामा, 296 313 322 ग्रमल ए-सालेह III 331 ग्राकिल खाँ 110 111, 118।
4 कासिम खाँ	5000/5000 (2 3 ग्रस्पा)	ईरानी	ईसरदास 20 ब, 23 ग्र, हातिम खाँ 10 ग्र 17 ग्र 18 ग्र ब, 21 ग्र 29 ग्र, ग्रौरगनामा 7, तुहफा ए शाहजहानी 29 ब ग्रालमगीरनामा, 33 41 65 72 96 मामूरी 97 ग्र-ब, ग्रमल ए सालेह III 285 87 450 मा० उ० III 95 97, ग्राकिल खाँ 39 42।
5 खलील उल्लाह खाँ (विवादग्रस्त व्यक्ति)	5000/5000	ईरानी	ग्रौरगनामा 20 ग्रमल ए सालेह, III 451 ग्रालमगीरनामा 85 99 हातिम खाँ, 26 ग्र 29 ग्र मा० उ० I 775 82 ग्राकिल खाँ 59।
6 राजा रार्यासह सिसौदिया	5000/2500	राजपूत	ग्रालमगीरनामा 65 हातिम खाँ 21 ग्र ग्रमल ए सालेह, III 451 मा० उ०, II 297 301 ग्राकिल खाँ 39।
7 मालोजी	5000/5000	मराठा	ग्रालमगीरनामा 66 71 96, मामूरी 97 ब हातिम खाँ, 21 ग्र 29 ब, ग्रमल ए सालेह, III 451, ग्राकिल खाँ, 39।

3 000 से 4 000 तक के मनसबदार

8 राव छत्रसाल हाडा	4 000/4 000	राजपूत	दिलकुशा 16 अ, तुहफा ए शाहजहानी 29 ब, औरंगनामा, 20, अमल ए-सालेह, III, 452 आलमगीरनामा, 95, मा० उ०, II 260 63, ईसरदास 26 अ, आकिल खाँ 60।
9 इब्राहीम खाँ	4 000/3 000	ईरानी	आलमगीरनामा 95, मनूची, I 271, हातिम खा 29 अ, मा० उ०, I, 295 301।
10 दाऊद खाँ कुरनी	4 000/3,000	अन्य मुसलमान	दिलकुशा, 19 अ आलमगीरनामा, 85 95, 143, 182 188 230, मामूरी 102 अ, ईसरदास, 23 अ, मा० उ०, II, 32 37, आकिल खा, 60।
11 बाकी बग बहादुर खाँ	4 000/3 000	अन्य मुसलमान	अमल ए सालेह, III 277 ईसरदास, 9 ब, मामूरी, 102 ब, मा० उ० I 444 47, आलमगीरनामा, 125 170।
12 राजा रूपसिंह राठौड	4 000/3 000	राजपूत	अमल ए सालेह III 300, 453 हातिम खा 29 अ, आलमगीरनामा, 95, 102, मा० उ० II 268 70, आकिल खाँ, 60।
13 ख्वाजा अब्दुल बका, इफ्तखार खाँ	3 000/3 000 (2 3 अस्पा)	तूरानी	अमल ए सालेह III 453, आलमगीरनामा, 65, औरंगनामा, 8, 13 मा० उ०, I, 200 203, हातिम खा, 10 अ, 17 अ 21 अ।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति-वर्ग	स्रोत
14	सयद इब्राहीम मुतज़ा खाँ	3 000/3 000	अन्य मुसलमान	ईसरदास, 36 अ, अमल ए-सालेह III 454।
15	परसो जी	3 000/2 000	मराठा	आलमगीरनामा 66 71 140 अमल ए-सालेह III 455, हातिम खाँ 21 अ 29 ब।
16	मुगल खाँ	3 000/2 000	ईरानी *	ईसरदास . 36 अ अमल ए-सालेह III 455 मा० उ० III 490 92।
17	मुकुन्दसिंह हाडा	3 000/2 000	राजपूत	अमल ए सालेह, III 287 455 दिलकुशा 14 ब ईसरदास, 20 ब औरंगनामा 8 हातिम खाँ, 21 अ आलमगीरनामा 65 70 आकिल खाँ 41।
18	ताहिर शव ताहिर खाँ	3 000/1 500	तूरानी	अमल ए सालेह III, 455 औरंगनामा 20 आलमगीरनामा 95 मा० उ० II 751 54 हातिम खाँ 29 अ, आकिल खाँ, 60।
19	सयद कासिम बारहा[1]	3 000/1 000	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 126, 171 225 मामूरी 100 ब मा० उ० II 681 83 आकिल खाँ 101 हातिम खाँ 54 ब 66 ब।
20	रामसिंह राठौड	3 000/1,500	राजपूत	मामूरी, 99 ब औरंगनामा 20, आलमगीरनामा 85, 95 हातिम खाँ, 26 अ 29 अ, अमल ए सालेह, III, 455।

1 सामूगढ़ में दारा शिकोह की पराजय के उपरान्त सैयद कासिम बारहा ने दारा शिकोह के आदेशो के अन्तर्गत इलाहाबाद का दुर्ग शाह शुजा को सौंप दिया और उसकी ओर से खजवाह के युद्ध मे भाग लिया।

21	जाफर खाँ अहसान	3 000/1 500	ईरानी	आलमगीरनामा, 96, हातिम खाँ, 29 ब, अमल-ए-सालेह, III, 455।
22	कुँवर रामसिंह	3 000/2 000	राजपूत	हातिम खाँ, 29 ब, आलमगीरनामा, 96, अमल ए-सालेह, III, 455, आकिल खाँ, 60।
23	बरमदेव सिसौदिया	3 000/1,000	राजपूत	आलमगीरनामा, 95, अमल ए-सालेह, III, 456।
24	अब्दुल्लाह बेग गज अली खाँ	3 000/1,000	ईरानी	मा० उ०, III, 155, आलमगीरनामा, 427।
		1 000 से 2 500 तक के मनसबदार		
25	सयद शेर खाँ बारहा	2 500/1 200	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 65, 95, हातिम खाँ, 21 अ, 29 अ, मा० उ०, II, 667 68।
26	गिरधरदास गौड	2 000/2,000	राजपूत	आलमगीरनामा, 95, हातिम खाँ, 29 अ, अमल ए सालेह, III, 458।
27	मुहम्मद सालेह तरखान	2,000/2 000	तूरानी	ईसरदास, 26 अ, अमल ए सालेह III, 458।
28	राजा सुजानसिंह बुन्देला	2 000/2 000 (500×2 3 अस्पा)	राजपूत	मामूरी, 97 ब, आलमगीरनामा, 65, 70, औरंगनामा, 8, हातिम खाँ, 21 अ, अमल ए सालेह, III, 457।
29	इरादत खाँ	2 000/2 000	ईरानी	ईसरदास, 36 अ, अमल-ए-सालेह III, 458, मा० उ०, I, 203-206।
30	सयद सलाबत खाँ बारहा	2 000/1 500	अन्य मुसलमान	हातिम खाँ, 47 अ, आलमगीरनामा, 170 198, अमल ए-सालेह, III, 459।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति [illegible]	स्रोत
31	कबाद खाँ	2,500/1 500	तूरानी	औरंगनामा, 20, हातिम खाँ, 26 अ 29 अ, आलमगीरनामा 85, 95, अमल ए-सालह, III 456, आकिल खाँ 60।
32	अब्दुल्लाह खाँ सईद खाँ	2 000/1,500	तूरानी	ईसरदास 36 अ, अमल ए सालह, III, 458, मा० उ० II, 807।
33	शिवराम गौड	2 000/1,500	राजपूत	आलमगीरनामा 57 95 102 अमल ए सालह, III, 300 458 मामूरी 99 अ हातिम खा, 29 अ।
34	रतन राठौर	2 000/2,000	राजपूत	मामूरी, 97 अ, आलमगीरनामा 65, 70 हातिम खाँ 21 अ, अमल ए-सालेह, III, 458।
35	अर्जुन गौड	2,000/1 500	राजपूत	मामूरी, 99 व आलमगीरनामा, 65 70 अमल ए-सालह III 287 300 458 औरंगनामा 14, हातिम खाँ 21 अ।
36	अमरसिंह चन्द्रावत	2 000/1 000	राजपूत	आलमगीरनामा 65, 71, हातिम खा 21 [illegible], अमल ए-सालेह III 460।
37	फज उल्लाह खा	2,000/1 000	ईरानी	आलमगीरनामा, 96, अमल ए-सालेह, III, 459, मा० उ०, III, 28 30।
38	मुखलिस खाँ	2 000/800	तूरानी	हातिम खाँ, 21 [illegible] आलमगीरनामा 65, अमल ए-सालेह, III 460।

39	खुशहाल बेग काशगरी	2 000/800	तूरानी	आलमगीरनामा, 65, 96, हातिम खाँ, 21 अ, अमल ए सालेह, III, 460।
40	सुजानसिंह सिसोदिया	2 000/800	राजपूत	मामूरी 97 ब, अमल ए सालेह, III, 460।
41	अब्दुल्ला बेग असकर खाँ नज्मसानी	1 000 से ऊपर	ईरानी	मामूरी 108 ब, आलमगीरनामा, 95, 313, 465 हातिम खाँ 26 अ 29 अ, 68 ब, मा० उ० II, 809।
42	खजर खाँ	1,500/1 500	तूरानी	अमल ए सालेह III 321, 461 आलमगीरनामा, 179 198 99।
43	फिरोज खाँ मेवाती	1 500/1 000	अन्य मुसलमान	मामूरी, 108 अ, हातिम खाँ, 29 ब 68 ब, आलमगीरनामा, 96, 205, 313, 440।
44	हुसन बेग खाँ जिग	1,500/1 000	ईरानी	हातिम खाँ, 29 अ, आलमगीरनामा, 95, मा० उ० I 591 93।
45	मुहम्मद बेग	1,000/600	तूरानी	आलमगीरनामा, 65, अमल ए-सालेह III 466।
46	मीर मीरान	1,500/500	ईरानी	अमल ए सालेह, III, 463, आलमगीरनामा, 95, हातिम खाँ, 29 अ।
47	मीर रुस्तम खवाफी	1,500/500	ईरानी	आलमगीरनामा 232, 274 399।
48	रहमत खाँ	1,500/400	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 297, अमल ए सालेह, III 463।
49	सयद मसूद बारहा	1 500/300	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 207, 268।
50	सयद फिरोज रुस्तम खाँ	1 500/200	अन्य मुसलमान	ईसरदास 9 ब, आलमगीरनामा, 161 213।
51	सयद सालार बारहा	1 000/1 000	अन्य मुसलमान	हातिम खाँ, 21 अ, आलमगीरनामा, 65, अमल ए सालेह, III, 464।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
52	गज़नफर खाँ	1,000/900	ईरानी	आलमगीरनामा 95, हातिम खाँ, 29 अ, मा० उ०, II 866 67 अमल ए सालेह, III 465 ।
53	इमाम कुली	1 000/800	ईरानी	अमल ए सालेह, III 465, आलमगीरनामा 85 ।
54	मुहम्मद सालह वज़ीर खाँ	1,000/800	ईरानी	आलमगीरनामा, 104 हातिम खाँ 31 ब, अमल ए सालेह III 465 ।
55	महासिंह भदौरिया	1 000/800	राजपूत	हातिम खाँ 29 ब, आलमगीरनामा 96 240 अमल ए-सालेह III 465 ।
56	शाह मुअज्जम	1,000/800	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 96 106 अमल ए सालेह, III, 465 ।
57	असफंदियार बेग	1,000/1 000	ईरानी	आलमगीरनामा, 106, अमल ए सालेह III 464 ।
58	कीरतसिंह	1 000/900	राजपूत	हातिम खाँ 29 ब आलमगीरनामा 96 अमल ए-सालेह III, 465 ।
59	मगोल खाँ इवाफी	1 000/700	ईरानी	अमल ए सालेह III 465, आलमगीरनामा, 314 ।
60	सुल्तान हुसन	1 000/500	ईरानी	हातिम खाँ 21 अ, 29 अ आलमगीरनामा, 65, 95 मा० उ०, I 252 ।
61	फाखिर खाँ नज्मसानी	2 500/1 000	ईरानी	हातिम खाँ, 29 ब मा० उ०, III 26 28, आलमगीरनामा 96, आकिल खाँ, 60, अमल ए-सालह, III 457 ।
62	यादगार बेग	1 000/500	तूरानी	आलमगीरनामा, 65 अमल ए-सालेह III 467 ।

63 मुहम्मद मुकीम मुगल खाँ, पुत्र शाहबेग खाँ	1 000/700	तूरानी	हातिम खाँ 21 अ, अमल ए सालेह, III 465, आलमगीरनामा 65 ।
64 महेन्दास	1 000/500	राजपूत	आलमगीरनामा, 65, ईसरदास, 20 ब, हातिम खाँ, 21 [illegible], अमल ए सालेह, III, 467 ।
65 गोधनदास राठौर	1 000/500	राजपूत	हातिम खाँ, 21 अ, आलमगीरनामा, 65 अमल-ए-सालेह III, 467 ।
66 किशनसिंह तँवर	1 000/500	राजपूत	हातिम खाँ, 29 अ, आलमगीरनामा, 95, अमल ए सालेह, III, 467 ।
67 ख्वाजा रहमतउल्लाह सरबुलद खाँ	1 000/500	तूरानी	हातिम खाँ, 29 अ, आलमगीरनामा, 96 113, मा० उ०, II, 477, अमल ए सालेह, III 467 ।
68 सयद बहादुर बहकरी	1,000/500	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 96, हातिम खाँ, 29 ब, अमल ए सालेह, III 467 ।
69 सयद अहमद	1 000/500	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 176, अमल ए सालेह, III, 467 ।
70 अब्दुल नबी खाँ	1 000/500	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 96, हातिम खाँ 29 ब, अमल ए सालेह III, 467 ।
71 सयद नजाबत बारहा	1 000/500	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 96, हातिम खाँ, 29 ब, अमल-ए सालेह, III 467 ।
72 सयद गैरत खाँ बारहा या इज्जत खाँ	1 000/500	अन्य मुसलमान	मामूरी, 103 ब, अमल ए-सालेह, III, 467, आलम गीरनामामा, 178, 180 ।

क्रम स०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
73	भीम पुत्र बिट्ठलदास गौड	1 000/400	राजपूत	आलमगीरनामा, 65 95 मामूरी 99 ब, अमल ए सालेह III 468 ।
74	पृथीराज थानी	1 000/400	राजपूत	आलमगीरनामा, 95 237 हातिम खाँ, 29 अ ।
75	सयद मुनव्वर बारहा	1 000/400	अन्य मुसलमान	हातिम खा, 29 ब आलमगीरनामा, 96 अमल ए सालेह III 468 ।
76	सयद मकबूल आलम बारहा	1 000/400	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 96, हातिम खाँ 29 ब, अमल ए सालेह III 468 ।
77	सयद इब्राहीम दारा बुखारी (बाद में मुस्तफा खा)	1 000/400	अन्य मुसलमान	मामूरी 108 अ, हातिम खाँ 68 ब, आलमगीरनामा 313 347 ।
78	अब्बास अफगान	1 000/400	अफगान	आलमगीरनामा 213 215 ।
79	सयद नुरुल आयेन बारहा	1 000/300	अन्य मुसलमान	अमल ए सालेह III, 469 आलमगीरनामा 96, हातिम खाँ, 29 ब ।
80	ख्वाजा मुहम्मद सादिक बख्शी	1 000/300	तूरानी	आलमगीरनामा, 188 206 ।
81	इस्माईल बग	1 000/300	ईरानी	आलमगीरनामा, 95 106 हातिम खाँ 29 अ, अमल ए सालेह, III 469 ।
82	ईशाक बग	1 000/300	ईरानी	हातिम खाँ 29 अ अमल ए सालेह, III 469, आलमगीरनामा 95 106 ।

83	मुहम्मद शरीफ कुलीज खाँ पुत्र इस्लाम खाँ मशहदी	1 000/200	ईरानी	आलमगीरनामा 314, 324, अमल ए-सालेह III, 469, हातिम खाँ 69 अ, मा॰ उ॰, I, 166, आकिल खाँ, 118।
84	मुहम्मद हुसन सिलदोज	1 000/200	तूरानी	आलमगीरनामा, 200 210, 213।
85	शाव निज़ाम	1 000/50	अन्य मुसलमान	मा॰ उ॰, I, 222, आलमगीरनामा 274, 399।
86	सयद नाहर खाँ बारहा	अमीर	अन्य मुसलमान	मामूरी 99 अ हातिम खाँ, 32 अ, आलमगीर-नामा, 104।
87	सयद अहमद बुखारी	अमीर	तूरानी	मामूरी 110 अ ब।

उत्तराधिकार के युद्ध मे औरगजेब के समथक

1658-59

क्रम स०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वग	स्रोत
		5 000 व उसके ऊपर के मनसबदार		
1	मिर्जा शुजा नजाबत खाँ खान ए खाना	7 000/7 000	तूरानी	आलमगीरनामा 42 54 61, 88 117 दिलकुशा, 13 ब मा० उ० III 821 28, हतिम खाँ 12 ब, 16 अ ।
2	मीर मुहम्मद सईद मीर जुमला मुअज्जम खाँ	6 000/6 000 (2 3 अस्पा)	ईरानी	दिलकुशा 18 अ, तुहफा ए शाहजहानी 30 ब, औरगनामा 37, मामूरी 103 ब, मा० उ०, III, 530-55 आलमगीरनामा, 84, 198 267, हातिम खाँ, 25 ब, मनूची, I 262 ।
3	राणा राजसिह	ˆ000/5 000	राजपूत	आलमगीरनामा 129 194, वीर विनोद II, 419 20 421 27, मा० उ० II, 206 208, अमल-ए सालेह III 451 ।

4	अबु तालिब शायस्ता खाँ	- 6 000/6 000 (2 3 अस्पा)	ईरानी	दिलकुशा 12 अ 19 अ, आलमगीरनामा, 111, 114 130, 321, मा० उ० II 690 707, हातिम खां, 26 ब, मनूची, I 255 ।
5	शेख मीर खवाफी	5 000/5 000	ईरानी	ईसरदास, 20 ब मासूरी, 97 अ, 98 ब, औरग नामा, 41, अमल ए-सालेह III, 332, आलमगीर-नामा 68 92 98 156 57, तुहफा ए शाह जहानी 30 अ, हातिम खां, 28 ब, मा० उ०, II, 668 70 ।
6	मुहम्मद ताहिर मशहदी, वजीर खां	5,000/5,000	ईरानी	दिलकुशा, 14 ब, आलमगीरनामा, 50, मासूरी, 96 ब हातिम खां, 15 अ, मा० उ०, III, 936 40 ।
7	सरफराज खां दक्खनी	5 000/4 000	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 47, मा० उ०, II, 469 73 ।
8	चम्पत बुन्देला	5,000/—	राजपूत	दिलकुशा, 15 ब, आलमगीरनामा, 78 92, 163, 207 217, हातिम खां, 24 ब, 28 अ, मनूची, I, 269 70 ।

3 000 से 4,500 जात के मनसबदार

9	शारतलब खा (यशवन्त राव)	4 000/4 000 (1,000×2 3 अस्पा)	अन्य मुसलमान	हातिम खां 20 अ, 24 अ 28 अ, आलमगीरनामा, 55, 63, 76, 92, मा० उ०, III 153 ।
10	गाज़ी बीजापुरी, रनदौला खा	4 000/4,000	अफगान	आलमगीरनामा 76 93, हातिम खा 13 अ, 24 अ, 28 ब, मा० उ०, II, 309 ।

क्रम स०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
11	जादोराव	4 000/2 500	मराठा	आलमगीरनामा, 47 55 हातिम खाँ 14 अ, 20 अ।
12	मुहम्मद बेग जुल्फिकार खाँ	4 000/2 000	ईरानी	मामूरी, 97 अ, आलमगीरनामा 51, 62 76 92, 157, मा० उ० II, 89 93, हातिम खाँ, 21 ब, आकिल खाँ 39, 59।
13	मीर जियाउद्दीन हुसन हिम्मत खाँ इस्लाम खाँ	4 000/2 000	तूरानी	मामूरी 97 ब तुहफा ए शाहजहानी, 30 ब, आलमगीरनामा, 43 76 92 157 मा० उ०, I, 217 20 हातिम खाँ 12 ब, 24 अ 28 अ, आकिल खाँ 39।
14	मुल्तफात खाँ, आज़म खाँ	4 000/2,500	ईरानी	रुक्का 14 ब औरंगनामा, 26 आलमगीरनामा 51 75, 92 मामूरी 98 ब मा० उ०, III 500 503 हातिम खाँ 28 ब।
15	मिर्ज़ा मुहम्मद मश्हदी अमानत खाँ	4 000/2 000	ईरानी	आलमगीरनामा 51 53 63, मामूरी, 96 ब, मा० उ० I 222 25, हातिम खाँ, 15 ब, 20 ब, 28 ब।
16	मिर्ज़ा सुल्तान सफवी	4 000/2 000	ईरानी	आलमगीरनामा, 46 218 मा० उ० III 581 83।
17	दामाजी दक्खनी	4 000/1,300	मराठा	हातिम खाँ 14 ब आलमगीरनामा 47 63।
18	ख्वाजा आबिद खाँ	4 000/700	तूरानी	मा० उ० III 120-23, आलमगीरनामा 44, 51, 55 76 हातिम खाँ, 13 ब 24 अ।

19	सय्यद महमूद नसीरी खाँ	3,000/2,500	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 79, 93 126 मा० उ०, I, 782 84, अमल ए सालेह III, 454, मामूरी, 98 अ, हातिम खाँ, 25 अ।
20	फतह रुहेला फतहजंग खाँ	3,000/2,500	अफगान	हातिम खाँ, 14 अ, 24 अ, 28 ब, आलमगीरनामा, 47, 51, 76 93, 290, मा० उ०, III, 22 26।
21	राजा इन्दरमन धंधेरा	3 000/2 000	राजपूत	आलमगीरनामा, 43, 62, 76, 92, 247, हातिम खाँ, 20 अ, 28 अ, मा० उ०, II, 265 66।
22	मीर मलिक हुसन बहादुर खाँ	3,000/1,500	ईरानी	दिलकुशा 14 ब, 19 अ, आलमगीरनामा, 44 51, 54, 62, 92, मा० उ० I, 791 813, हातिम खाँ, 13 अ 16 अ, 28 ब, आकिल खाँ, 39, 59।
23	मुर्शीद कुली खाँ	3,000/1,500	ईरानी	औरंगनामा, 15, मामूरी, 97 ब, आलमगीरनामा, 44 54, 62, 67 मा० उ०, III, 493 500, हातिम खाँ, 13 अ, 16 अ, 18 ब, आकिल खाँ, 39, 41।
24	हसन खाँ दक्खनी	3 000/2,500	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 45, टी० यू० 'एव , हातिम खाँ, 13 ब।
25	मुजफ्फर लादी, लोदी खाँ	3 000/2,000	अफगान	हातिम खाँ 15 अ, 19 ब, 28 [illegible] आलमगीरनामा, 51 76 291।
26	शम्सुद्दीन ख्वेशगी	3,000/2 000	अफगान	मा० उ०, II, 676 77 आलमगीरनामा 45, हातिम खाँ 13 ब।

क्रम स०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
27	मुफ्ताखर खा सिपहदार खा खान ए आजम	3 000/2 000	ईरानी	आलमगीरनामा 47, 51, 62, 75, 92, हातिम खाँ, 14 अ, 20 अ, 24 अ।
28	अब्दुरहमान बीजापुरी शरजा खाँ	3 000/1 500	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 76, 92 208, 209 टी० यू० 'श', हातिम खाँ 24 अ।
29	अब्दुल्लाह् बेग मुखलिस खाँ, यकताज खा	3 000/1,500	तूरानी	आलमगीरनामा, 63 78, 93 मा० उ०, III 968-70 हातिम खाँ, 20 ब 24 ब 28 ब।
30	राजा राजरूप कोहिस्तानी	3,000/3 000	राजपूत	आलमगीरनामा 181 187, 1°0 320।
	1 000 से 2 500 तक के मनसबदार			
31	हादी दाद खा	2 500/2,500	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 62 108, हातिम खाँ 20 अ, 28 ब अमल ए-सालेह, III 456।
32	भेल अफगान पुरदिल खाँ	2 500/2 000	अफगान	हातिम खा 15 [illegible] 19 ब 28 अ, आलमगीरनामा 52, 334।
33	मुहम्मद इब्राहीम शुजाअत खाँ	2 000/1 000	तूरानी	हातिम खाँ 13 ब, 16 अ 19 ब 24 अ, आलम गीरनामा 45 51, 54 61 92।
34	दादाजी	[illegible]500/1 000	मराठा	आलमगीरनामा 48 हातिम खाँ 14 ब।
35	मानाजी भोसल	2,500/1 500	मराठा	आलमगीरनामा 128, हातिम खाँ 16 अ, से० डा० औ० 7।

36 रुस्तम राव	2,500/1,200	मराठा	हातिम खाँ, 14 अ, 20 अ, आलमगीरनामा, 47, 55 ।
37 बाबाजी भोसले (हाबाजी)	2,500/1 500	मराठा	आलमगीरनामा, 54, 63, अमल ए-सालेह, III, 460 ।
38 सादात खाँ	2,000/1,500	ईरानी	हातिम खाँ, 28 ब, आलमगीरनामा 62, अमल ए सालेह, III, 458 ।
39 व्यास राव	2 000/1,200	मराठा	आलमगीरनामा, 48, हातिम खाँ, 14 ब ।
40 सयद हसन (बाद में—इकराम खाँ)	2 000/1,000	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 92, 346-47, मा० उ०, I, 215 16, अमल ए सालेह, III, 459 ।
41 बेतूजी दक्खनी	2 000/1,000	मराठा	हातिम खाँ, 14 अ, 20 अ, आलमगीरनामा, 47, 63 ।
42 अब्दुल्लाह खाँ सराई	2,000/1 000	तूरानी	आलमगीरनामा, 47, 63 ।
43 सयद शेरजमाँ बारहा, मुजफ्फर खाँ	2 000/600	अन्य मुसलमान	मा० उ०, II, 465, आलमगीरनामा, 47, 54, 61, 92, हातिम खाँ, 14 अ, 19 ब, 28 अ ।
44 वली मिशालदार	2 000/1,000	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 45, हातिम खाँ, 13 ब, 15 ब, अमल ए-सालेह, III 463 ।
45 मीर शमसुद्दीन मुख्तार खाँ, पुत्र मुख्तार खाँ	2 000/1,000	ईरानी	मामूरी 96 ब, आलमगीरनामा 47, 51 62, 92, हातिम खाँ, 14 अ 20 अ, 28 अ, मा० उ०, III, 620 23 ।
46 बख्तियार खाँ, खवास खाँ	2,000/1,500	अफगान	आलमगीरनामा, 52, 53, 92, 132, हातिम खाँ, 15 अ-ब 28 अ ।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
47	मुहम्मद ताहिर सफ़शिकन ख़ाँ	2000/1000	ईरानी	मासूरी, 97 अ, मिमदुग्रा, 14 ब आलमगीर नामा, 53 68, हातिम ख़ाँ 15 ब, 20 अ, मा० उ० II, 738-40।
48	मुहम्मद आक़िल बिरलास बहादुर ख़ाँ	2000/400	तूरानी	आलमगीरनामा, 53, 55, हातिम ख़ाँ 16 अ, 20 ब 28 अ।
49	मीर मुराद मज़न्दरानी ग़ैरत ख़ाँ	2000/400	ईरानी	आलमगीरनामा, 54-55 92, हातिम ख़ाँ, 16 अ, 20 ब।
50	कमाल लोदी हरबुज़ ख़ाँ	2000/500	अफ़ग़ान	आलमगीरनामा 55, 63, 76, 77, हातिम ख़ाँ 19 ब 24 अ, 28 ब।
51	बुख़ारा का सय्यद मुहम्मद मुर्तज़ा ख़ाँ	2000/500	तूरानी	हातिम ख़ाँ 15 अ 20 अ 24 अ 28 ब, आलमगीरनामा 51 68 77 101।
52	मीर मासूम ख़ाँ	1500/1000	ईरानी	आलमगीरनामा 51 210 मा० उ० II 676, हातिम ख़ाँ 15 अ।
53	ख़ुशहाल बेग कशग़ारी कुलिज ख़ाँ	उच्च मनसब	तूरानी	हातिम ख़ाँ 15 ब, 20 ब, 28 ब, आलमगीर नामा 53, 63, 471, 914।
54	अहमद बेग दरगाही इख़लास ख़ाँ	2000/500	अफ़ग़ान	हातिम ख़ाँ, 19 ब, 24 अ, 28 ब, आलमगीरनामा, 77।
55	बेग मुहम्मद रवेगी दीलदार ख़ाँ	2000/500	अफ़ग़ान	हातिम ख़ाँ, 24 अ, आलमगीरनामा, 63, 77 93, 108।

00/600	अफगान	आलमगीरनामा, 62, 76, हातिम खाँ, 20 अ, 24 अ, मा० उ०, III, 777 78 ।
00/200	तूरानी	मा० उ०, III, 946 49, हातिम खाँ, 20 अ, 24 अ, 28 अ, आलमगीरनामा, 77, 92 ।
00/1,500 (2 3 अस्पा)	अन्य मुसलमान	अमल ए सालेह III 460, हातिम खाँ, 19 ब, 24 अ, आलमगीरनामा, 62, मा० उ०, II 303 305 ।
00/500	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 62, अमल ए सालेह, III, 467 ।
00/400	ईरानी	मा० उ०, II, 679 81, आलमगीरनामा, 63, 237, हातिम खाँ, 20 ब ।
00/1 000	तूरानी	आलमगीरनामा, 63, 94, 831, हातिम खाँ, 20 ब, मा० उ० I, 216 ।
00/500	अफगान	आलमगीरनामा, 63, 291, हातिम खाँ, 20 अ, अमल ए सालेह, III, 468 ।
00/1,000	मराठा	हातिम खाँ, 14 अ, आलमगीरनामा, 48 ।
00/1,000	राजपूत	आलमगीरनामा, 199 200, बादशाहनामा, II, 738 ।
00/1,000	मराठा	आलमगीरनामा, 48, हातिम खाँ 14 ब ।
00/1,000	राजपूत	आलमगीरनामा, 77, 215, हातिम खाँ 24 ब, अमल ए-सालेह III 462 ।
00/1,000	तूरानी	आलमगीरनामा, 48 हातिम खाँ 14 अ ।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
68	मुहम्मद शरीफ पोलकजी	1,500/1 000	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 54, हातिम खाँ, 16 अ, 20 ब।
69	सय्यद मन्सूर खाँ	1 000/400	अन्य मुसलमान	हातिम खाँ, 28 ब, आलमगीरनामा 63, अमल-ए सालह III, 468, मा० उ० II, 449 52।
70	दौलतमन्द खाँ दक्खनी	1,500/1 000	अफगान	हातिम खाँ, 20 अ 28 ब, आलमगीरनामा, 63, 93, अमल ए सालह, III 462।
71	हयात अफगान जबरदस्त खाँ	1 000/800	अफगान	आलमगीरनामा 54 92, हातिम खाँ 20 अ 28 अ।
72	करन काछी, मालवा का जमींदार	1,500/500	हिन्दू	आलमगीरनामा 52 92, हातिम खाँ, 15 अ, 20 [redacted] 28 ब।
73	मीर अहमद	1 500/800	ईरानी	हातिम खाँ 13 ब, आलमगीरनामा 45 53, मा० उ० III 516 18।
74	मुहम्मद मुनीम खाँ	1 500/600	तूरानी	आलमगीरनामा 45, 51 55, मा० उ० III 589, हातिम खाँ 13 ब, 20 अ, 28 ब।
75	मीर सालेह	1 500/500	अन्य मुसलमान	हातिम खाँ 13 ब, आलमगीरनामा 45।
76	मुहम्मद बेग जुल्कदार खाँ	1 500/500	तूरानी	आलमगीरनामा 63, 77 448, हातिम खाँ 20 अ, 28 ब।
77	इस्माइल खाँ नियाज़ी	1 500/300	अफगान	आलमगीरनामा, 45, 62, 92, हातिम खाँ 24 अ।
78	काज़ी निज़ाम करसरोदी	1 500/200	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 48, 53, मा० उ०, III, 566 68, मामूरी, 98 ब, हातिम खाँ, 14 अ, 16 अ।

79	मिर्जा अफगान	1 500/500	अफगान	आलमगीरनामा 53, 305, हातिम खाँ, 15 ब।
80	मीर अबुलफजल मामूरी, मामूर खाँ	1,500/500	ईरानी	हातिम खाँ, 15 ब, 19 ब आलमगीरनामा, 53, 62, 77।
81	शेख अब्दुल अजीज	1,000/500	अन्य मुसलमान	मामूरी, 97 ब, आलमगीरनामा, 62, 74, 77, मा० उ०, II, 686, हातिम खाँ 20 ब, से० डा० औ०, 74।
82	सफुद्दीन महमूद फकिरुल्लाह, सफ खाँ	1,500/700	तूरानी	मामूरी, 98 ब, आलमगीरनामा, 78, 92, मा० उ०, II 479 85, हातिम खाँ, 24 ब।
83	मीर होशदार, होशदार खाँ	1,500/700	ईरानी	आलमगीरनामा, 51, 62 92, मा० उ०, III, 943-46, हातिम खाँ, 14 अ, 20 ब, 28 अ।
84	ईसा बेग सजावर खाँ	1,500/200	अन्य मुसलमान	मामूरी, 96 ब, आलमगीरनामा, 46, 53, 63, 108, हातिम खाँ, 20 ब, 28 ब।
85	हमीदुद्दीन खाँ, खानाजाद खाँ	1,500/200	ईरानी	आलमगीरनामा, 55 77, 94, 270 594।
86	शेख अब्दुल कावी	1,500/100	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 54 94, 231, मा० उ०, I, 225-29।
87	मीर बहादुर दिल जान सिपर खाँ	1 000/400	ईरानी	हातिम खाँ, 20 अ, आलमगीरनामा 62, 127, अमल ए-सालेह, III, 468, मा० उ० I, 535, से० डा० औ०, 29।
88	अजलबाश खाँ	1,500/700	ईरानी	आलमगीरनामा, 63, 291, हातिम खाँ, 20 ब।
89	मीर असकरी आकिल खाँ	1,500/500	ईरानी	आलमगीरनामा 44, 193 94, मा० उ० II 821।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
115	दौलत अफगान	1 000/500	अफगान	आलमगीरनामा, 78।
116	मुहम्मद मुकीम	1,000/500	तूरानी	हातिम खां, 24 ब, आलमगीरनामा 78।
117	बहराम	1 000/600	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 93, 486, हातिम खां, 28 ब।
118	इनायत खां	1,000/500	अफगान	आलमगीरनामा 92, हातिम खां, 28 अ।
119	अबु मुस्लिम	1 000/300	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 92, 206, हातिम खां 28 ब।
120	शुभकरन बुन्देला	1 000/500	राजपूत	दिलकुशा 14 ब, 18 ब, आलमगीरनामा, 63 93, 190, 249, हातिम खां, 16 ब 20 ब 28 ब।
121	एतिबार खां ख्वाजासरा	1 000/200	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 193।
122	हकीम मुहम्मद अमीन शीराजी	1,000/	ईरानी	आलमगीरनामा 45, हातिम खां, 13 ब।
123	मीर मुहम्मद महदी उरदिस्तानी	1 000/	ईरानी	आलमगीरनामा 45, मआसीर ए आलमगीरी 70 हातिम खां 13 ब मा० उ० I 599 600।
124	इरादत बारहा	अमीर	अन्य मुसलमान	मामूरी, 98 ब।

उत्तराधिकार के युद्ध मे शाह शुजा के समर्थक

1658-59

क्रम स०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
		5,000 और उसके ऊपर के मनसबदार		
1	अब्दुर्रहमान, पुत्र नजर मुहम्मद खाँ	5 000/2,500	तूरानी	मामूरी, 104 ब, आलमगीरनामा, 250, 257, 267, 341, हातिम खाँ 58 अ, मा० उ०, II, 809 812।
		3 000 से 4,500 तक के मनसबदार		
2	मुराद खाँ, मुकर्रम खाँ सफवी	3 000/3 000	ईरानी	आलमगीरनामा, 239, 251, 267, मामूरी, 104 ब, 106 अ, हातिम खाँ, 54 ब, मा० उ० III, 583 86 अमल ए-सालेह, III, 454, आकिल खाँ 104।
3	मीर अबुल मआली	3,000/2 000	तूरानी	आलमगीरनामा, 240 41, 251, हातिम खाँ, 58 ब, मा० उ०, III, 557 60।
4	सयद कासिम बारहा	3 000/1,000	अन्य मुसलमान	मामूरी, 104 अ, हातिम खाँ, 54 ब, आलमगीर-नामा, 250, 257 303, मा० उ०, II, 681 82, आकिल खाँ, 104, 124।

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
		1 000 से 2 500 तक के मनसबदार		
5	सयद आलम बारहा	2,000/1 000	अन्य मुसलमान	अमल ए सालेह III 325, ईसरदास, 9 ब, आलमगीरनामा, 239, 252, 358, मामूरी 105 ब, बादशाहनामा, II, 727 मा० उ०, II, 454-56, आकिल खाँ 103, 129।
6	नुरुल हसन बारहा	1 000/400	अन्य मुसलमान	मामूरी 114 ब, आलमगीरनामा, 499, 504, बादशाहनामा II, 736, अमल ए-सालेह III, 468 आकिल खाँ 124।
7	अबु मुहम्मद	1 000/800	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 349, अमल ए सालेह, III, 465।
8	हसन रवेश्गी	उच्च मनसब	अफगान	हातिम खाँ 54 ब 58 ब, मामूरी, 106 अ, आलमगीरनामा 239 251 257 आकिल खाँ, 103 106।
9	इन हुसन (दारोगा ए-तोपखाना)	अमीर	अन्य मुसलमान	मामूरी 114 ब, 117 अ आलमगीरनामा 544 554।
10	सयद कुली उजबेक	अमीर	तूरानी	हातिम खाँ 58 ब मामूरी 116 अ 117 ब, आलमगीरनामा 251 527 544 561।

नोट—इल्लाहवर्दी खाँ को शाह शुजा के समर्थकों में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि उसने शाह शुजा के शिविर मे मतभेद उत्पन्न किया और उसके सैनिक कार्यों को ठप्प करने की चेष्टा की। उसने उसे खजवा के युद्ध में धोखा दिया और शहजादे ने उसे अकबरनगर में मौत के घाट उतार दिया। (रियाज उस सलातिन 217 मा० उ०, I 207, आकिल खा 127, खाफी खाँ 85 मनूची I 330 31)।

उत्तराधिकार के युद्ध मे मुराद बख्श के समर्थक
1658 59

क्रम सं०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति वर्ग	स्रोत
		5 000 और उसके ऊपर के मनसबदार		
1	शाहबाज़	5 000/	अन्य मुसलमान	मामूरी, 96 अ 101 ब, ईसरदास, 10 य, 11 अ, 32 ब, हातिम खाँ 9 अ मनूची I 301, मा० उ० I 298, आकिल खाँ, 95।
		3,000 से 4,500 तक के मनसबदार		
2	इब्राहीम खाँ[1]	4 000/3 000	ईरानी	मामूरी, 101 ब, 102 अ हातिम खाँ 41 ब, मनूची I 301 302, मा० उ०, I 295 301, आलमगीरनामा, 139 158, आकिल खाँ, 87।
3	कुतुबुद्दीन खाँ ख्वेशगी	3 000/3 000 (2 3 अस्पा)	अफगान	आलमगीरनामा 139 140, दिलकुशा, 17 अ ब ईसरदास 10 [redacted] 32 ब, 34 अ, मीरात ए अहमदी, I 240, मा० उ०, III, 103।
		1 000 से 2,500 तक के मनसबदार		
4	देवीसिंह बुन्देला	2 000/2 000	राजपूत	आलमगीरनामा, 71 74 139 206, 207 ईसरदास 21 अ मामूरी 97 ब, हातिम खाँ 23 अ, मा० उ० II, 295 97।

1 सामूगढ़ के युद्ध में इब्राहीम खाँ ने दारा शिकोह की ओर से युद्ध किया किन्तु युद्ध के पश्चात् मुराद बख्श से मिल गया। जब मुराद बख्श बन्दी बना लिया गया तो इब्राहीम खाँ ने औरंगज़ेब की सेवा करने से इन्कार कर दिया और सेवा से अवकाश ले लिया।

क्रम स०	नाम व उपाधि	मनसब	जाति-वर्ग	स्रोत
5	सयद हसन बारहा	2000/2000	अन्य मुसलमान	अमल-ए सालेह, III, 461 ईसरदास, 17 ब आलमगीरनामा, 139 140।
6	राणा गरीबदास सिसोदिया	1,500/700	राजपूत	ईसरदास 17 ब 24 ब, आलमगीरनामा 107, अमल ए-सालेह III 463, हातिम खाँ 33 ब।
7	सुल्तान यार	1 500/1 500	अन्य मुसलमान	हातिम खाँ, 33 ब, ईसरदास 17 ब 24 ब, आलमगीरनामा, 107 मीरात-ए अहमदी, I, 235, अमल-ए-सालेह, III, 461।
8	दिलदार (दिलदोस्त)	1 500/1 000	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा, 139, 140, अमल-ए-सालेह, III, 463 मीरात-ए अहमदी I, 233।
9	रहमत खाँ[1]	1 500/400	अन्य मुसलमान	मीरात-ए अहमदी 237 240, आलमगीरनामा, 139-40 हातिम खाँ 41 ब, अमल ए सालेह III, 463।
10	सयद शेखान बारहा	1 000/900	अन्य मुसलमान	ईसरदास 17 ब, आलमगीरनामा, 107, हातिम खाँ 33 ब, बादशाहनामा II 733।
11	सयद मन्सूर बारहा	1 000/400	अन्य मुसलमान	आलमगीरनामा 139 140 ईसरदास 17 ब, हातिम खाँ 41 ब, अमल ए-सालेह, III 468 मीरात ए अहमदी I 235।

1 धरमत और सामूगढ़ के युद्ध में रहमत खाँ मुराद बख्श की ओर से लड़ा। जब मुराद बख्श को बन्दी बना लिया गया रहमत खाँ शाहनवाज खाँ सफवी के साथ देवराई के युद्ध में पूर्व भाग सिरोह से आकर मिल गया।

अध्याय
5

अमीर-वर्ग तथा प्रशासन

(नोबल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन)

अमीर-वर्ग—दरबार में

निरंकुश राज-तन्त्र में, जैसा कि मुगलों का था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी अधिकारियों का भाग्य सम्राट के अनुमोदन पर निर्भर करता था। इस प्रकार दरबार ही केन्द्र बिन्दु था जिसकी ओर अमीरों की दृष्टि निरन्तर लगी रहती थी। साथ ही-साथ सम्राट को मनसबदारों के माध्यम से ही साम्राज्य पर शासन करना पड़ता था और उसे हर समय यह देखना पड़ता था कि वे केवल उसके आदेशों का ही नहीं पालन कर रहे हैं वरन जो अधिकार उन्हें प्रदत्त किये गये हैं उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार मुगल दरबार तथा अमीर-वर्ग के सम्बन्धों का अध्ययन एक रोचक विषय है और इस अध्ययन से हम उन बन्धनों जो अमीर वर्ग को सिंहासन से बाँधे रखते थे को समझने में सहायता मिल सकती है।

दरबार की दृष्टि से किसी भी खास समय में मुगल अमीर वर्ग को दो गुटों में विभाजित किया जा सकता है—तनात ए रकब अर्थात वे जो दरबार में तैनात थे, और 'तनात ए सूबाजात' अर्थात वे जो सूबों में नियुक्त थे। यह विभाजन पूर्णतः व्यक्तिगत अधिकारियों की, जो निरन्तर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अन्तरित किये जाते थे नियुक्तियों पर आधारित था।

मुगलों में यह एक प्रचलित प्रथा थी कि जब एक उच्च अमीर का स्थानान्तरण होता था तो नयी नियुक्ति का कार्यभार सँभालने के लिए प्रस्थान करने से पूर्व वह स्वयं दरबार में उपस्थित होता था। किन्तु यदि स्थानान्तरण अमीर द्वारा की गयी किसी त्रुटि के कारण हुआ हो, तो उसे दरबार में आने की अनुमति नहीं दी जाती थी।[1] कोई अधिकारी यदि बिना शाही अनुमति के अपना पद छोड़ कर दरबार में आता था, तो उसे पदच्युत किया जा सकता था।

अमीरों को तनात ए रकब और तनात ए सूबाजात में रखने के लिए कई बातों का ध्यान में रखना स्वाभाविक था।[3] जिन अमीरों में व्यवस्था करने की और प्रशासनिक योग्यताएं होती थी, उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में नियुक्त किया जाता था और उन्हें तब तक दरबार में वापस नहीं बुलाया जाता था जब

तक उनकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो। दरबार में उपस्थित अमीरों को एक सुरक्षित सेना समझा जाता था और वे सम्राट द्वारा सभी महत्त्वपूर्ण अभियानों में भाग लेने के लिए तैनात किए जाते थे। इसी प्रकार उच्च श्रेणी के तथा योग्य सेनानायकों को भी कभी कभी दरबार में प्रत्यक्ष रूप से सम्राट की आँखों के सामने रख लिया जाता था ताकि वे किसी विशेष सैनिक अभियान के लिए उपलब्ध हो सकें। सम्राट के लिए यह भी एक समझदारी की बात थी कि वह एक विशाल सेना अपने साथ रखे ताकि किसी शक्तिशाली सेनानायक के किसी भी षडयन्त्र को वह रोक सके। एक घटना जिसमें औरंगज़ेब के दरबार के अधिकारी फतह उल्लाह खाँ बहादुर आलमगीरशाही का हाथ था से यह ज्ञात होता है कि ऐसे मामलों में मुगल सतर्क रहते थे। एक दिन फतह उल्लाह ने अनुरोध किया कि यदि 5 000 सैनिक उसे दे दिये जायें तो वह दक्खन से मराठों को उखाड़ कर फेंक सकता है। औरंगज़ेब ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि इतने सैनिकों को उसकी कमान के अन्तर्गत रखने से पूर्व उसे स्वयं एक दक्ष सेनानायक व 5 000 अश्वों को अपनी रक्षा के लिए तैयार रखना पड़ेगा।[4]

दरबार का शिष्टाचार

जब अमीर दरबार में उपस्थित रहते थे तो उनका यह परम कर्त्तव्य था कि वे दिन में दो बार प्रातः और सन्ध्या सम्राट के सामने उपस्थित हों। कभी कभी किसी अमीर को उसकी बीमारी या अति आवश्यक व्यक्तिगत कार्य के कारण इस उत्तरदायित्व से छूट दे दी जाती थी। शाही सभा में तथा औपचारिक अवसरों पर अमीरों को ठीक तरह से अग्रता क्रम में रखने के लिए निश्चित नियमों एवं व्यवस्थाओं का कठोरतापूर्वक पालन किया जाता था। विभिन्न मनसबों के प्रतिष्ठित अमीरों के लिए विभिन्न पंक्तियाँ निश्चित थीं और प्रत्येक अमीर को अपने निर्धारित स्थान पर खड़ा होना पड़ता था।[5]

दरबार में कार्यवाहियाँ चलती रहने की अवधि में किसी भी अमीर को बैठने की आज्ञा न थी।[6] जब सम्राट सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता था तो कोई भी व्यक्ति बिना सम्राट से अनुमति लिये अपना स्थान नहीं छोड़ सकता था।[7] 1683 में यह आदेश दिया गया कि 2 000 के पद के नीचे के मनसबदार सम्राट से विदा लेते समय फातिहा पढ़े जाने के लिए प्रतीक्षा न करें।[8] किसी को भी सीधे सम्राट को अर्ज़ी देने की अनुमति नहीं थी।[9] बिना सम्राट की अनुमति के कोई भी व्यक्ति शस्त्रों से लैस न तो दरबार में आ सकता था और न ही सम्राट की वैयक्तिक सभा में उपस्थित हो सकता था।[10] गुलाल-बार के या सम्राट के निवास-स्थान के बाड़े में पालकी में बैठ कर आना वर्जित था।[11] 1693 में औरंगज़ेब ने आदेश दिया कि जब अमीर दरबार में आयें तो उनकी

पोशाक या रंग लाल नहीं होना चाहिए और न ही उनके कपड़े उन रंगों में रंगे हुए होने चाहिए जो शरियत के अनुसार वर्जित थे।[12] अमीरों को 'नीम आस्तीन (आधी बांह) की कोई भी पोशाक पहन कर आने तथा सम्राट की उपस्थिति में कंधे पर शाल लपेटने की मनाही थी।[13] दरबार में अमीरों द्वारा एक-दूसरे को पान देना शिष्टाचार के विरुद्ध था और इसलिए उसे वर्जित कर दिया गया था।[14]

जब मनसबदार दरबार में रहते थे तो सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य जो उन्हें करना पड़ता था वह शाही महल का चौकी-पहरा था।[15] ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर ने जो प्रथा लागू की वह उसी रूप में औरंगजेब के समय तक चलती रही। उदाहरणार्थ टवर्नियर द्वारा दिये गये विवरण में यह बात स्पष्ट हो जाती है—"जैसा मैंने अन्यत्र कहा है कि, प्रथम दरबार दुर्याढ़िया से घिरा हुआ है। उनसे सम्बद्ध छोटे छोटे कमरे हैं, और पहरा देते समय अमीर यहां ठहरते हैं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सप्ताह में अमीरों में से एक को चौकी पहरे के लिए आना पड़ता है। दरबार में, शाही महल के आस पास, या शिविर में, या युद्ध के मैदान में उसकी कमान के अन्तर्गत अश्वारोही और अनेक हाथी रहते हैं। इन अमीरों में से सबसे बड़ा अमीर 2,000 घोड़े रखता है किन्तु जब शाही परिवार का राजकुमार चौकी पहरे पर रहता था तो उसके पास 6,000 तक घोड़े रहते हैं।"[16] अन्यत्र टवर्नियर ने कहा है "मुख्य अमीर, बारी बारी से, प्रत्येक सोमवार को चौकी पहरे पर आते हैं, और सप्ताह के अन्त से पूर्व उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती है। इनमें से कुछ अमीर 5,000 से 6,000 तक घोड़े रखते हैं और शहर के आस-पास अपने शिविर लगाते हैं।[17] जवाबित ए आलमगीरी में चौकी पहरे में बीमारी, विवाह और निकटतम सम्बन्धियों की मृत्यु के कारण अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में विस्तृत नियमों एवं व्यवस्थाओं का उल्लेख है।[18]

जब सम्राट का जुलूस जाता था और वह हाथी पर सवार होकर निकलता था तो अमीर घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे-पीछे चलते थे, और जब वह घोड़े पर सवार होकर निकलता था तो अमीर उसके पीछे-पीछे पैदल ही चलते थे।[19]

दरबार की अनेक प्रथाएं सम्राट का विशेषाधिकार समझी जाती थीं। जहाँगीर ने एक बार उन प्रथाओं को, जो केवल सम्राट व शाही दरबार के लिए ही आरक्षित थी[20] सूचीबद्ध कर आदेश निकाला था। उनमें से एक हाथियों की लड़ाई करवाना था। यह निषेध औरंगजेब के राज्यकाल में चलता रहा, औरंगजेब ने रतलाम के जमादार के मनसब में 500 जात घटा दिये और उसके गुमाश्ते (कर वसूल करने वाले) को दरबार में हाजिर किये जाने का

आदेश दिया ताकि उसे उपयुक्त दण्ड दिया जा सके क्योंकि उक्त गुमाश्ता हाथियो की लड़ाइया का आयोजन किया करता था।[1]

दरबारी शिष्टाचार सम्बन्धी इन विस्तृत नियमो का वास्तविक उद्देश्य शाही प्रतिष्ठा एव शाही शक्ति की महत्ता का अमीरो पर प्रभाव डालना था। बीसवी शताब्दी के किसी शुष्क प्रकृति के व्यक्ति को यह सब उपकरण क्या हो न हास्यास्पद और बतुके लगें किन्तु मध्य युग म यह प्रशासन के आवश्यक उपकरण समझे जाते थे। यह मध्ययुगीन सम्राटो की नीति थी कि उत्साहपूर्वक जितना अधिक से अधिक हो सके व अपनी शानो शौकत का बनाये रखें ताकि अमीर यह समझ सकें कि वे चाहे जितने ही बड़े एव शक्तिशाली क्यो न हो, सम्राट की तुलना म कुछ भी नही थे और उनके अधिकार शक्ति एव उनकी प्रतिष्ठा सम्राट की ही इच्छा पर पूर्णत निर्भर करती थी। साथ ही साथ सम्राट जनता को भी प्रभावित करना चाहता था ताकि वे भी इस बात को समझ लें कि बड़े से बड़े अमीर केवल उसके नौकर थे और प्रजा की स्वामिभक्ति पर केवल उसी की प्रभुता थी।

उपाधिया और विशिष्ट सम्मान

सभी देशा म सम्मानार्थ विशिष्टताएँ रही हैं और प्राय उन्होने मातहत व्यक्तियो को अधिक से अधिक उद्यम करने के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य भी किया है। इस सर्वव्यापी नियम से मुगल सम्राटो की नीति कोई अपवाद न थी तथा अपने म बेकार वस्तुओ को अत्यधिक प्रिय एव लुभावनी वस्तुओ म सफलतापूर्वक परिणत करने म उन्होने निश्चय ही सफलता प्राप्त की। जिन सम्मानसूचक चिह्नो को व प्रदान करते थे उनम सबसे महत्त्वपूर्ण थे—उपाधियाँ खिलअतें पताकाएं और नक्कारे या नगाड़े आदि तथा उपहार जैसे जड़ाऊ खजर पान आदि।

उपाधियो के सम्बन्ध म हम मनूची के इस कथन को ध्यान म रख सकते हैं— सम्राट यह नाम (जिनसे अमीर जाने जाते थे) या तो विशिष्ट सम्मान के रूप म तथा उनकी सेवाओ की मान्यता प्रदान करते हुए या अपनी पसन्द तथा मर्जी के कारण देता था। ये अमीर अधिक से अधिक धन के साथ साथ उपाधिया प्राप्त कर सकते थे। मनूची ने यह भी कहा है कि औरंगजेब के समय म इन सम्मानसूचक उपाधियो को प्रदान करने म दरबार उदार हो गया था— इस समय उनकी सख्या बहुत ही अधिक है किन्तु शाहजहा के समय ऐसा न था और उपाधिया प्राप्त करना बहुत ही कठिन था, क्योकि उसे प्राप्त करने के लिए तुरत भारी रकम का भुगतान करना तथा शानो शौकत बनाये रखने के लिए अत्यधिक रकम रखनी पड़ती थी। किन्तु आजकल औरंगजेब इस

ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता है और उपाधियाँ किन्तु कम वेतन के साथ प्रदान कर देता है।

एक बार प्रदान की गयी उपाधि ही सरकारी तौर पर अमीर के नाम का काय करती थी। मुसलमान अमीरों के लिए कई उपाधियां सुरक्षित रहती थी और अन्य उपाधियां हिन्दुओं के लिए। कुछ उपाधियां विभिन्न व्यवसायों के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहती थी।[3]

उपाधि देते समय बहुत ही सतर्कता दिखायी जाती थी ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपेक्षित पद पर न पहुँचा हो उसे खान' की उपाधि न मिल जाये।[4] यह बात ध्यान रखने की है कि उपाधियों के वितरण में वंशानुगत का तत्त्व कम से कम औरंगजेब के समय में मिलता है। यदि दिवंगत अमीर का कोई भी पुत्र ख्याति प्राप्त कर लेता था तो साधारणतः उसे उसके पिता की पदवी दे दी जाती थी।[5] पुनः, एक ही समय में किन्हीं भी दो अमीरों की उपाधि समान नहीं हो सकती थी,[6] यद्यपि उपाधियों वाले अमीरों की अनेक उपाधियां या तो उनकी मृत्यु के पश्चात या नयी उपाधियां प्राप्त करने पर पुरानी उपाधियों को छोड़ देने पर अन्य अमीरों को प्रदान कर दी जाती थी। अतः महाबत खाँ मुर्शीद कुली खाँ अमीर खाँ की उपाधियां पूर्व उपाधिधारियों के मृत्योपरान्त अन्य अमीरों को प्राप्त हुई। अमीर उल उमरा शायस्ता खाँ ने जब खान ए जहां की उपाधि त्याग दी तो यह उपाधि बहादुर खाँ को प्रदान कर दी गयी। उन उपाधियों को जिन्हें पहले प्रभावशाली अमीर ग्रहण कर चुके थे अधिक महत्ता प्रदान की जाती थी इसलिए प्रायः अमीर उपहार और घूस देकर भी उपाधियां खरीदने के लिए तैयार रहते थे।[7]

उपाधियों के साथ, जो अमीरों के नाम का काय करती थी कलापूर्ण उपनाम एवं उपपद भी हुआ करते थे तथा प्रत्येक प्रतिष्ठित अमीर को सम्बोधित करने का ढंग निर्धारित होता था जिसका प्रयोग सभी सरकारी पत्र व्यवहार में किया जाता था।[8] साधारणतः उपाधियां सम्राट के सिंहासनारोहण के समय ईरानी नव-वर्ष (नौरोज) के दिवस पर सम्राट की वर्षगांठ पर तथा शाही सेना द्वारा विजय प्राप्त करने के दिन प्रदान की जाती थी।[9]

शाही कृपा के रूप में अमीरों को खिलअतें भेंट में दी जाती थीं। यह खिलअतें तीन से लेकर सात तक विभिन्न प्रकार की होती थी। जो खिलअतें विशिष्ट सम्मान के रूप में प्रदान की जाती थी उन्हें मलबूस ए-खास' (या सम्राट की निजी खिलअतें) कहते थे।[10] साधारणतः खिलअतें उन्हीं अवसरों पर प्रदान की जाती थी जिन पर उपाधियाँ तथा वे भिन्न भिन्न मौसम के अनुसार भी प्रदान की जाती थी। हिन्दू अमीरों को कभी कभी दशहरा के त्योहार पर खिलअतें प्रदान की जाती थी।[11]

सम्राट द्वारा अमीरों को दी जाने वाली पताकाओं का अबुल फज़ल ने विवरण दिया है—अलम, छत्रतोक, तुमनतोक, और झण्डा।[3] शाहजहां के समय में एक नयी प्रकार की पताका, माही मरातिब देना प्रारम्भ किया गया था। लाहौरी के अनुसार चौथे राजकीय वर्ष में शाहजहां ने इस प्रकार की पताका नसीरी खाँ को प्रदान की। उसके अनुसार, पुराने समय में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा माही मरातिब' प्रदान किए जाते थे। यह प्रथा दक्खन के शासकों ने उनसे ग्रहण की और दक्खन में यह प्रथा अब भी सर्वप्रचलित है। वहाँ के शासक इसे उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं जिसे वे सर्वोच्च सम्मान के योग्य समझते हैं।'[33] मुगल साम्राज्य में भी ऐसा प्रतीत होता है कि माही मरातिब सर्वोच्च सम्मान सूचक चिह्न बन गया था और 7000 के पद से नीचे के अमीर को माही मरातिब प्रदान नहीं किया जाता था। केवल जुल्फिकार खां नुसरत जंग के ही उदाहरण में उसके पिता वज़ीर उल मुमालिक असद खां के अनुरोध करने पर इस नियम में ढील दी गयी, क्योंकि जिस समय उसे माही मरातिब दिया गया उसका मनसब 6000/6000 था।[34]

अलम या पताका 1,000 या उससे उच्च पद वाले किसी भी अमीर को प्रदान की जा सकती थी।[35] प्राप्तकर्ता के कन्धे पर अलम या पताका रख दी जाती थी और प्राप्तकर्ता को कोरनिश (या झुक कर अभिवादन) करनी पड़ती थी।[36]

नौबत बजाने का अधिकार विशिष्ट कृपा के रूप में किसी अमीर को दिया जा सकता था। किन्तु इस अधिकार के प्राप्तकर्ता का मनसब 2000 या उससे अधिक होना चाहिए था।[3] यह प्रकल्पित था कि प्राप्तकर्ता सम्राट की उपस्थिति में या सम्राट के निवास स्थान के निकट एक निश्चित दूरी तक नक्कारा कभी नहीं बजवायेगा।[38] नक्कारा प्रदान किए जाने की विधि अलम दिये जाने के ही समान थी, अर्थात नक्कारे को प्राप्तकर्ता के कन्धों पर रख दिया जाता था और उसे कोरनिश करनी पड़ती थी।[39]

नकद अनुदानों के अतिरिक्त सम्राट नाना प्रकार के अन्य उपहार भी अमीरों को प्रदान करता था, उदाहरणार्थ रत्नजड़े आभूषण रत्नजड़ी मूठ वाली खंजरें और तलवारें सोने व चाँदी के साज सहित हाथी व घोड़े और सुनहरी झालर लगी हुई पालकियाँ इत्यादि।[40] कभी कभी पदम ए मुरस्सा (कमल जैसा रत्नजड़ा आभूषण) भी प्रदान किया जाता था किन्तु ऐसे अवसर बहुत कम ही हुआ करते थे।[41] तीन हजार के मनसब से कम वाले अमीर को सामान्य रूप से सरपेच यामिनी (पगड़ी में सामने की तरफ लगाया जाने वाला एक आभूषण) नहीं दिया जाता था।[4] औरंगजेब का आदेश था कि कोई भी अमीर जिसको सरपेच उपहार में प्रदान किया गया हो इतवार को छोड़कर

अन्य किसी भी दिन इस आभूषण को नहीं पहन सकता था। अमीरों का अपने लिए सरपेच बनवाने का और अथवा सरपेच अपनी पगड़ी में लगाने का अधिकार नहीं था।[43] नीलम की अँगूठी, जिसके किनारे पर प्राप्तकर्ता का नाम खुदा हुआ हो, का उपहार में दिया जाना असाधारण सम्मान समझा जाता था।[44]

इसके अतिरिक्त और भी तरीके थे जिनके द्वारा सम्राट कुछ विशेष अमीरों के प्रति स्नेह प्रकट कर सकता था। उनमें से एक सम्राट द्वारा सर्वोच्च अमीरों को सदभावनापूर्ण, औपचारिक एव बधाई-पत्रों का लिखना था।[45] तथा जब कभी ऐसे किसी अमीर का कोई सम्बन्धी परलोक सिधार जाता था तो शोक-सन्तप्त के प्रति अपनी संवेदनाएँ प्रकट करने के लिए सम्राट अपनी ओर से किसी व्यक्ति को भेज देता था।[46]

अमीर वर्ग के श्रेष्ठ अमीर शाही परिवार से विवाह द्वारा सम्बन्धित थे। साधारणत सम्राट और उसके पुत्र ऐसे परिवारों में विवाह करते थे जिनके सम्बन्धियों के पास न केवल उच्च मनसब ही होते थे वरन् कुलीन वंश की प्रतिष्ठा भी होती थी। इस प्रकार बड़े-बड़े राजपूत घरानों एव ऐतिमाद उद दौला के परिवार की भांति अन्य परिवार कई पुश्तों तक शाही परिवार को बहुएँ देते रहे। सम्राट का अपने लिए या अपने पुत्रों में से किसी के लिए दुलहन की माँग करना विशिष्ट सम्मान का चिह्न समझा जाता था, और यह सम्मान साधारणत केवल प्रतिष्ठित-तम परिवारों के लिए ही सुरक्षित था। तथापि, राजनीतिक कारणों से सम्राट स्वयं अपनी बहनों व पुत्रियों का विवाह शाही परिवार से बाहर किसी व्यक्ति के साथ नहीं करता था। या तो व अविवाहित रहती थीं या शाही परिवार में ही उनके लिए वर ढूंढे जाते थे।[47] अन्य राजकुमारियों के लिए शाही प्रतिष्ठा पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था और राजनीतिक दृष्टि से भी उनका विवाह महत्त्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। उदाहरण के लिए, 1672 में मुराद की पुत्री आयशा बानो का विवाह ईरानी परिवार के एक अमीर मुहम्मद सालह से हुआ।[48]

उपहारों की प्रथा

अमीरों द्वारा सम्राट को उपहार या भेंट देने की प्रथा दरबारी शिष्टाचार का एक अंग बन गयी थी। वस्तुत सम्पूर्ण एशिया में यह एक साधारण रिवाज था कि "श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास खाली हाथों नहीं जाना चाहिए।"[49] सम्राट को भेंट देना एक सार्वजनिक कार्य था, और यह आशा की जाती थी कि भेंट की क़ीमत और तड़क भड़क शाही दरबार की शानो-शौकत में वृद्धि करेगी।

अधिकारियों द्वारा भेंट में दी गयी वस्तुओं को 'पेशकश' कहते थे। कुछ विशेष अवसरों पर दरबार में उपस्थित अमीरों से पेशकश की आशा की जाती थी।[50]

सम्राट के सिंहासनारोहण की वर्षगाँठ सम्राट की वर्षगाँठ, नौरोज (ईरानी नव वर्ष दिवस) राजकुमार या राजकुमारी के जन्म दिवस, विजयोत्सव तथा बीमारी से सम्राट का स्वस्थ होना, ऐसे अवसरों में से थे। जब कभी अमीर सम्राट की विशेष कृपा चाहते थे उस समय भी वे पेशकश देते थे।[51] गद्दी पर बैठते समय जमींदार पेशकश देते थे, जबकि करद (कर देने वाले) राजकुमार वार्षिक पेशकश देते थे।[5] पेशकश से जमींदार तथा करद राजकुमारों द्वारा दिए जाने वाले पेशकश की प्रकृति में अन्तर होता था। यह पेशकश सम्राट की सर्वश्रेष्ठता की मान्यता एवं उसके साथ ही साथ एक व्यक्ति का गद्दी के लिए नियुक्त करने के सम्बन्ध में शाही अधिकार का स्पष्टतापूर्वक प्रयोग किये जाने का प्रतीक था।

प्रायः पेशकश नकद में न देकर रत्नों, बहुमूल्य वस्तुओं आदि के रूप में दी जाती थी। जाफर खाँ सम्राट को उपहार में भेंट करने के लिए टवर्नियर का एक हीरे के लिए अधिक से अधिक दाम देने के लिए तैयार था।[3] सम्राट को पेशकश में दिये गये रत्न आदि का मूल्यांकन नकद में होता था। अमीरों से यह आशा की जाती थी कि वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार पेशकश देंगे।[1]

पेशकश के अतिरिक्त नज्र भी थी। औरंगजेब ने 1700 ई० में आदेश दिया कि जो भी पेशकश नकद में भेंट की जाय उसे नज्र कहा जाय।[5] अगले वर्ष उसने आदेश दिया कि राजकुमारों द्वारा दी गयी भेंट के लिए नज्र के स्थान पर नियाज शब्द का प्रयोग तथा अमीरों की भेंट के लिए पेशकश के स्थान पर निसार शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए।[56] लेकिन, सम्भवतः पूर्वकाल में नज्र पेशकश से इन अर्थों में भिन्न थी कि वह कम मूल्य की होती थी तथा तुलनी के कम महत्त्वपूर्ण वाले अवसरों पर अधिकतर देन के रूप में दी जाती थी। इस प्रकार अमीर अपने परिवार में खुशी के अवसरों पर जैसे पुत्र के पैदा होने पर सम्राट को उपहार देते थे।[57] बीमारी से स्वस्थ होने के पश्चात कोई अमीर सम्राट को नज्र दे सकता था।[58] जब कभी कोई अमीर अपनी नियुक्ति के समय [9] या जागीर[60] से दरबार में आता था उस समय भी वह नज्र दे सकता था। एक उदाहरण में पद पर पुनः बहाल होने पर एक अमीर ने नज्र दी थी। जो रकम नज्र में दी जाती थी, चाहे वह नज्र बड़े ■ बड़े अमीर द्वारा ही क्यों न दी गयी हो वह साधारणतः कम ही होती थी—गिनती में कुछ मुहरें (न्यूनतम एक मुहर) और कुछ रुपये (कम से कम पाँच रुपये)।

जबकि यह सत्य है कि नज्र साधारणतः एक सांकेतिक धनराशि थी पेशकश अमीरों पर भार स्वरूप रहता होगा। बर्नियर का यह कथन कहाँ तक सही है कि अमीरों द्वारा सम्राट को दिये जाने वाले उपहार उनकी बरबादी का कुछ सीमा तक कारण थे यह कहना कठिन है।[61] किन्तु आर्थिक पक्ष के अतिरिक्त

नैतिक दृष्टि स भी यह प्रथा आलोचना के योग्य है। प्राय सम्राट का कृपा प्राप्त करन की आशा म पत्यक्ष प्रच्छन्न रिश्वत ही होती थी। यदि सम्राट स्वय ही ऐसा तमाशा प्रस्तुत करता था तो ग्रमीर व ग्रन्य अधिकारी बिना किसी नियत्रण के, जसा हम अगले खण्ड म देखेंगे, उसके उदाहरण का अनुसरण करन म तनिक भी सकोच नही करत थे।

मनसबदार एव सावजनिक सेवा

सावजनिक सेवा के सम्बन्ध म मुगलों की धारणा का निधारण राजकीय काय के क्षेत्र एव उसकी प्रकृति द्वारा होता था। आधुनिक राज्यों के विपरीत उस समय 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण' राज्य के वास्तविक उद्देश्य का अग न था। इसका नतिक आधार—जसा कि मुगल निरकुश राजतन्त्र के प्रधान अधिवक्ता अबुल फजल न कहा है—न्याय, विधि एव व्यवस्था की स्थापना, अत्याचारों व जनता के विभिन्न वर्गों के मध्य हिंसात्मक सघष को रोकने म निहित था।[6] साधारण अर्थों मे लोक कल्याण एक प्रशसनीय आदश समझा जाता था लेकिन उस परिकल्पना का व्यावहारिक रूप केवल परोपकारी सस्थाओं की स्थापना करने, अकाल के समय किय जान वाले राहत-कार्यों, किसानों का तकावी ऋण देन तथा विद्वानों एव धमप्राण व्यक्तियों आदि को भूमि एव नकद अनुदान देन म ही प्रगट होता था। राज्य की मुख्य रुचि सना का सगठित करने, राजस्व वसूल करन तथा न्यायपालिका के काय करन म थी। न्यायपालिका स्वय म एक पृथक सस्था थी तथा प्रशासन के शेष सभी काय मनसबदारों को सौंप गये थे।

मनसबदारी सस्था म सभी प्रशासनिक सेवाए बिना किसी सरकारी प्रविभाजन के सनिक वित्तीय एव कायकारिणी की सभी शाखाओं सहित, सम्मिलित थी। सनिक उत्तरदायित्व प्रत्येक मनसबदार को निरपवाद रूप स उसके सवार पद के अनुसार सौंप जाते थे। चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था पृथक पृथक विभागों म विभिन्न पदों के साथ स्थापित की गयी थी जसे फौजदार (सनिक व दीवानी मामलों म सम्बन्धित) दीवान (वित्तीय), कोतवाल (पुलिस) आदि आदि, इसलिए मनसबदार को उसके पद के अनुसार विभिन्न प्रकार के काय सौंप गये थे। इस प्रकार, मनसबदार के सनिक और असनिक कार्यों म नाममात्र का भी किसी प्रकार का अन्तर न था। फिर भी, वस्तुत भिन्न भिन्न व्यक्तियों को प्राय उनके अनुभव तथा प्रशिक्षण के अनुसार असनिक (राजस्व) तथा सनिक काय सौंपे जाते थे। उदाहरणाथ, जयसिंह[63] दाऊद खाँ कुरेशी,[64] निसरत खा[6] बहादुर खा जाफर जग कोकलताश,[66] अमीर खाँ[67] दलपत बुन्देला[68] आदि अमीरों को सदव सनिक काय ही सौंपे गये तथा उनसे कभी भी वित्तीय एव राजस्व सम्बन्धी काम नही कराये गये। वास्तव म ऐसे उदाहरणों की सख्या

करवाई भी जा सकती है। इसी प्रकार कुछ अमीरों को सैन्य वित्तीय एवं कार्यकारिणी के कार्य ही सौंपे गये जैसे—राजा रघुनाथ[69] इनायत उल्लाह खाँ,[70] फाज़िल खाँ[71] बहरमन्द खाँ[72] आदि।

इसके साथ ही ऐसे भी उदाहरण हैं जब उन्हीं मनसबदारों ने भिन्न भिन्न समय पर विभिन्न विभागों में भी कार्य किया। अमानत खाँ जो बीजापुर में दीवान के पद पर दफ्तरदारी-तन, बयूतात ए रिकाब तथा अन्त में सूरत के बन्दरगाह का मुतसद्दी था दो बार औरंगाबाद का हाकिम (या सेनानायक) भी नियुक्त किया गया था।[73] अशरफ खाँ जो विभिन्न कालों में दारोगा दाग़, शाही पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर तथा सुलेमान शिकोह का बख्शी रहा था तथा जिसने दारा शिकोह व जहाँआरा के दीवान के रूप में कार्य किया उस अमीर को सूबेदार भी नियुक्त किया गया था।[74] रूह उल्लाह खाँ ने केवल अहदियों के मीरबख्शी के पद पर वरन् अहला बख्शी खान-ए-सामान अहला बख्शी (पुन), द्वितीय बख्शी प्रथम बख्शी के पद पर कार्य रहा वरन् उसने धमऊ और सहारनपुर के फौजदार तथा उड़ीसा के सूबेदार के रूप में भी कार्य किया।[75] मुहम्मद अमीन खाँ औरंगज़ेब का सद्र ए कुल और इस प्रकार न्याय विभाग का अधिकारी था किन्तु जीवनकाल में सदैव उसे अनेक सैनिक कार्य सौंपे गये।[76]

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साधारणतः न्यायपालिका एक पृथक संस्था मानी जाती थी क्योंकि इसमें एक विशिष्ट शैक्षिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। अतएव काज़ी एवं सद्र केवल इसी शाखा में जीविका की आशा कर सकते थे। उदाहरणार्थ सैयद जलाल खाँ बुखारी[77] अब्दुल वहाब[78] शेख उल इस्लाम[79] ने न्यायपालिका में ही अपनी जीविका उपार्जित की और उन्हें कभी भी अन्य कोई कार्य नहीं सौंपा गया। केवल अमीन खाँ ही अपवाद प्रतीत होता है। न्यायपालिका के अधिकारियों को यदाकदा ही कार्यकारिणी एवं वित्तीय कार्य सौंपे गये थे सम्भवतः इसलिए कि उनमें प्रशासनिक अभिरुचि पैदा होने की सम्भावना न रह सके। आधुनिक न्यायपालिका की भाँति मुग़लों की न्यायपालिका एक स्वतन्त्र संस्था नहीं थी, किन्तु फिर भी कुछ सीमा तक कार्यकारिणी की तानाशाही पर इसका नियन्त्रण था। अमीर व प्रशासक दोनों ही न्यायपालिका को एक पृथक संस्था मानते थे जिसे देश के प्रशासन से कोई भी मतलब नहीं था। न्यायपालिका का प्रशासन में हस्तक्षेप प्राय अमीरों को सहन नहीं होता था।[80] महाबत खाँ ने साम्राज्य के काज़ियों की शक्ति वृद्धि के विरुद्ध औरंगज़ेब से एक पत्र में घोर विरोध प्रकट किया था।[81]

सिद्धान्ततः एक बार यदि किसी व्यक्ति ने मनसब स्वीकार कर लिया तो वह अपनी सम्पूर्ण सेवाएँ सम्राट की इच्छा पर छोड़ देता था और उसका कार्य सैनिक टुकड़ी को मुहैया कर देने या अपने पद के अनुसार अपने अन्य उत्तर

दायित्वों को पूर्ण कर देने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता था। उस किसी भी विभाग में कोई भी कार्य, उस पद के लिए विशिष्ट वेतन के बिना भी दिया जा सकता था। उसके ज्ञात पद के अनुसार मिल रहे वेतन में सब कुछ सम्मिलित होता था। यदि वह सम्राट के मन के मुताबिक अपना कार्य करने में असफल रहता था तो उसके किसी भत्ते या गृह कर उसे दण्डित नहीं किया जाता था वरन् उसका मनसब घटा दिया जाता था।[8]

ऐसा प्रतीत होता है कि मनसबदार के मनसब एवं उसे दिये गये पद के बीच साम्य स्थापित करने के लिए कुछ नियमों का विकास धीरे धीरे हुआ। कार्यकारिणी में, प्रान्तों में तीन महत्त्वपूर्ण पद थे उदाहरणार्थ—नाजिम या सूबेदार (या गवर्नर), फौजदार और थानेदार। साधारणतः उन अमीरों को ही जिनका मनसब 2,500 से 7,000 तक होता था 'सूबेदार' नियुक्त किया जाता था। वस्तुतः, महत्त्व की दृष्टि से, प्रान्तीय पदों में अत्यधिक पारस्परिक अन्तर था। एक ओर तो काबुल,[83] गुजरात,[84] और बंगाल[8] आदि की सूबेदारियाँ थीं जहाँ केवल उच्चतर श्रेणियों के मनसबदारों की ही नियुक्ति होती थी। दूसरी ओर कश्मीर[86] और अजमेर[87] आदि सूबे थे जहाँ द्वितीय श्रेणी के मनसबदारों की नियुक्ति होती थी।

जहाँ तक 'फौजदार' के पद पर नियुक्ति का प्रश्न था, साधारणतः 500 से लेकर 5,000 तक के मनसबदारों की नियुक्ति इस पद पर होती थी। वस्तुतः महत्त्व की दृष्टि से फौजदार के उत्तरदायित्व में पारस्परिक अन्तर विशेष था। अजमेर प्रान्त का गवर्नर फौजदार ए अजमेर के नाम से जाना जाता था तथा सम्पूर्ण प्रान्त उसकी फौजदारी के अधिकार क्षेत्र में समझा जाता था।[88] गुजरात में सोरठ की फौजदारी थी जहाँ केवल उच्चतर श्रेणी के अमीरों की ही नियुक्ति होती थी।[89] इस सम्बन्ध में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जैसे—बसवाड़ा (जहाँ का फौजदार प्रबन्ध व इलाहाबाद के सूबेदारों से स्वतन्त्र था)[90], जौनपुर और कर्नाटक,[91] और राहेरी[9] आदि, जहाँ प्रथम श्रेणी के मनसबदारों की नियुक्ति होती थी। दूसरी ओर, कुछ बहुत ही छोटी फौजदारियाँ थीं उदाहरणार्थ अहमदाबाद शहर व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की फौजदारी,[93] रायसन,[94] खाऊन[9] आदि की फौजदारियाँ जहाँ साधारणतः निम्न श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति होती थी। कुछ फौजदारियाँ स्थानीय जागीरदारों को सौंप दी जाती थीं।[96] इनमें से कुछ फौजदारियाँ सम्भवतः प्रत्येक सूबे में साधारणतः सूबेदार के हाथों में रहती थीं, जिसका प्रशासन वह स्वयं अपने नायब द्वारा करवाता था या पद विशेष के लिए अपनी पसन्द के किसी व्यक्ति को नियुक्त करता था।[9]

फौजदार के बाद थानेदार का पद था। थानेदारों की सुनिश्चित प्रकृति,

उनके कार्यों एवं स्थानीय फौजदारों के उन पर नियन्त्रण क्षेत्र के विषय में स्पष्ट ज्ञात नहीं है। कुछ थानेदारियाँ तो इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण थीं कि बहुत ही उच्च श्रेणी के अमीरों की नियुक्ति उन पर होती थी। कोल्हापुर,[98] बहादुरा[99] और लोहगढ़[100] की थानेदारियाँ इसका उदाहरण हैं। यहाँ के थानेदारों पर स्थानीय फौजदारों का कभी भी नियन्त्रण रहा या नहीं, यह निर्णय कर पाना कठिन है। दूसरी ओर छोटी थानेदारियाँ भी थीं जैसे सरहद,[101] खाण्डा[10] आदि की थानेदारियाँ, जहाँ केवल छोटे मनसबदार ही नियुक्त किये जाते थे। 1671 में जसवन्तसिंह (7000/7000—5000×2-3 अस्पा) को जमरूद का थानेदार नियुक्त किया गया,[103] किन्तु उसकी नियुक्ति निश्चित क्रम में न होकर राजनीतिक प्रवृत्ति की थी। साधारणत: ऐसा प्रतीत होता है कि 200 के ऊपर के पद के अमीरों को थानेदार नियुक्त किया जाता था।

वित्तीय एवं पूर्णतया प्रशासनिक विभागों में दीवान, मीरबख्शी, द्वितीय बख्शी और तृतीय बख्शी के पद महत्त्वपूर्ण थे। केन्द्रीय दीवान को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी समझा जाता था और प्रथम श्रेणी के अमीरों जैसे मुअज्जम खाँ, वजीर खाँ और जाफर खाँ आदि को ही इस पद पर नियुक्त किया गया।[104] मीरबख्शी का पद भी इतना ही महत्त्वपूर्ण था, तथा यह पद भी प्रथम श्रेणी के अमीरों जैसे मुहम्मद खाँ[105] और जुल्फिकार खाँ[106] को ही सौंपे गये। द्वितीय व तृतीय बख्शी के पदों पर द्वितीय श्रेणी के अमीरों की नियुक्ति किया गया।[107]

किसी मनसबदार को केवल विभिन्न विभागों में ही पद नहीं दिये जाते थे वरन उसे किसी भी सूबे में सम्राट द्वारा तय किये गये किसी भी कार्य के लिए भेजा जा सकता था। पूर्व शासनकालों की भाँति औरंगजेब के सम्पूर्ण शासनकाल में अमीरों के ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ अमीरों को एक सूबे से दूसरे सूबे तथा साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानान्तरित किया गया। किसी भी अमीर का जीवन चरित्र इस बात को पुष्टि कर सकता है कि उसे समय समय पर साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों में नियुक्त किया जाता रहा।[108]

उपर्युक्त तथ्यों से हम मनसबदारी व्यवस्था एवं साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सम्बन्ध के बारे में कुछ सामान्य निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में सैनिक, असैनिक एवं वित्तीय सेवाएं शामिल थीं अर्थात न्यायपालिका को छोड़कर सभी सार्वजनिक सेवाएँ। मनसबदार का मनसब न्यूनतम सैनिक उत्तरदायित्व इंगित करता था, किन्तु उसके अतिरिक्त किसी भी विभाग में उसे कोई भी कार्य सौंपा जा सकता था। अमीर के मनसब तथा उसे दिये गये पद में कोई भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने पर भी दोनों के मध्य एक व्यापक सम्बन्ध था। प्रत्येक अर्थ में मनसबदार ही साम्राज्य का

एकमात्र शासक वग था तथा इस दृष्टि से वह सत्रहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध एव अठारहवी शताब्दी के फ्रासीसी अभिजात वग स भिन्न था जिसे प्रशासनिक व्यवस्था से पृथक कर दिया गया था। प्रशासन की व्यापक काय व्यवस्था बिना मानदृता कायकर्ताओ जो कभी-कभी बहुत ही प्रभावशाली होते थे की सहायता म नही चलायी जा सकती थी। किन्तु साधारणत मुगल अमीर वग न प्रशासन पर निरन्तर अपना प्रभाव बनाये रखा और उसने आन्तरिक तारतम्य को व्यक्तिगत अमीरो या एक सूत्र से दूसरे सूत्र को स्थानान्तरण किये जाने वाली प्रणाली द्वारा सुरक्षित रखा। इसके कारण अमीर वग की प्रकृति वास्तव म साम्राज्यिक (या अखिल भारतीय) बन गयी तथा इसने सकीण तत्वो एव परम्पराओ के प्रभाव को क्षीण कर दिया।

प्रशासन मे अमीरो का व्यवहार

चूकि मुगल अमीर वग अभिजात वग की प्रतिष्ठा एव नौकरशाही के कार्यों को एक प्रशासक वग म सयुक्त किये हुए था अत यह देखना श्रेयस्कर होगा कि प्रशासक वग के रूप म ये किस प्रकार व्यवहार करते थे। कुछ सीमा तक उनके व्यवहार पर सम्राट का नियन्त्रण था, जो उन्हे पदा नत पदावनत, पदच्युत या फिर पुरस्कृत कर सकता था तथा दण्ड भी द सकता था। किन्तु इस प्रकार नियन्त्रण करने वाली शाही नीति मुख्यत उस उद्देश्य म जो मुगल प्रशासन अपने स मुख रखता था, निधारित होती थी। जसा हम पहले कह चुके हैं पुन निर्माण क लिए शक्तिशाली भावना की आशा आधुनिक अर्थो म उस समय नही की जा सकती थी, अधिक से अधिक प्रशासन का मुख्य काय विधि एव व्यवस्था बनाये रखना एव असाधारण विपदा म सहायता पहुचाना था। अकबर के अन्तगत मुनह ए कुल या औरगजेब के अन्तगत शरियत के सिद्धान्तो को ध्यान म रखते हुए रहस्यवाद या धार्मिक तत्वो की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था और शाही प्रशासन यदि वास्तव म नही तो कम-से-कम कागज पर ही सभी नतिकता एव पुण्यशीलता का अनुमोदक था। इस बात के प्रतिबिम्ब राज्य का ध्यान मुख्यत आय का वद्धन सनिक साधना म वद्धि करने तथा प्रशासन की अत्यधिक कायक्षमता बनाये रखने की ओर था। जिन कारणो से औरगजेब न विभिन्न अधिकारियो को पदावनत किया उनके विश्लेषण स स्पष्ट हो जायगा कि किन अपराधो को जबकि प्रशासन के उद्देश्य सीमित थ सम्राट न विशिष्ट अपवाद बना लिया। इस प्रकार, सम्राट के आदेशो का उल्लघन करना सम्राट के मन क मुताबिक काय न करना तथा निधारित सख्या मे सनिको का न रखना, कुछ एस अभियोग थ जिनके लिए साधारणत दण्ड दिया जाता था। जिन अन्य कार्यों क लिए कोई भी अधिकारी दण्ड का भागी हो

सकता था उनमे से कुछ थे—सम्राट के विशिष्ट अधिकारों पर अतिक्रमण करना, शत्रु से किसी प्रकार के सम्बन्ध रखना विद्रोहियों के साथ सहानुभूति रखना या कार्य करते समय कायरता दिखाना आदि। अनैतिक कार्यों (मदिरापान आदि) पर भी मनसब घटा दिया जा सकता था। अन्त में अत्याचार एवं कुव्यवस्था, खून एवं डकैती करने के आरोप पर भी दण्ड दिया जा सकता था।[109] किन्तु अन्तिम क्षेत्र में अपने अमीरों के प्रति व्यवहार करते समय औरंगजेब ने सदैव आश्चर्यजनक विनम्रता दिखायी। खाफी खां के अनुसार यद्यपि उसने किसानों व व्यापारियों पर लगाये गये अनेक गैर कानूनी करों का उन्मूलन कर दिया था लेकिन फिर भी उसने उन करों को निरन्तर वसूल करते रहने वालों को कभी भी दण्ड नहीं दिया। वस्तुतः स्वयं उसका वित्तीय विभाग अमीरों से साठ गांठ कर, ऐसे सभी करों को जागीरों की जमा में शामिल करता था।[110] आठवें राजकीय वर्ष में जारी किये गये एक आदेश में औरंगजेब ने स्वयं ही कहा है कि गुजरात में जागीरदार किसानों से वास्तविक उपज से कहीं अधिक लगान की माँग कर रहे हैं और जब वे उनकी माँगों को पूरा न कर पाते थे तो वे उनके ऊपर अत्याचार करते थे। सिवाय इसके कि ऐसी कुप्रथाओं पर वह बार-बार प्रतिबन्ध लगाता रहा उसने ऐसे अभियोगियों को जो खुल्लम-खुल्ला शाही नियमों का उल्लंघन करते थे दण्ड देने की कोई भी व्यवस्था न की।[111] औरंगजेब ने यदि कभी कोई दण्ड दिया भी तो वह नहीं के बराबर होता था। यहां तक कि संगीन जुर्म करने पर भी अमीर अपने पद में साधारण कटौती करा कर बच निकलते थे। औरंगजेब ने स्वयं ही अपने अधिकारियों के प्रति अत्यधिक विनम्र व्यवहार के लिए ख्याति प्राप्त की। जहां कहां उसके स्वयं के सैनिक हित प्रत्यक्ष रूप से निहित नहीं थे वहाँ वह अपने आदेशों के उल्लंघन किये जाने पर क्षमा करने या उस पर ध्यान न देने के लिए तत्पर रहता था।[11]

जब शाही नियन्त्रण ढीला हो गया तो नियन्त्रित करने वाली शक्ति केवल अमीरों की सदसद्विचार शक्ति ही थी। इसका उपरी तौर में अनेक मामलों पर ध्यान न देने के लिए राजी किया जा सकता था। घूस देने का आम रिवाज दूसरा सर्वोत्तम उदाहरण था। कुछ ऐसे अधिकारी थे जो घूस या उपहार लेने से घृणा करते थे[113] किन्तु यह तथ्य कि इस काल के लेखकों की दृष्टि में इस भ्रान्त का कुछ व्यक्तियों में विद्यमान होना एक अपवाद के रूप में उल्लेखनीय था, इस बात का द्योतक है कि अमीरों को साधारणतः इस प्रथा में कोई त्रुटि नहीं दिखायी दी। वस्तुतः जैसा हमने पहले कहा है, सम्राट की उपहार की अपेक्षा करने व स्वीकार करने की प्रवृत्ति उनके लिए अभत्सनीय आदर्श बन गयी थी।

किसी भी कार्य को करने के लिए यहां तक कि शाही आदेशों के अधीन

किये जाने वाले कार्यों या उनके पद के अनुरूप विशेष रूप से उल्लेखित कार्यों के लिए अमीर उपहारो की आशा करते थ। इस प्रकार मनूची के अनुसार, गवनर व फौजदार गावो, मकानो एव जमीनो स उन व्यक्तियो को जिन्ह यह सब शाही फरमानो द्वारा मिला हुआ था, बेदखल कर दिया करते थे यदि वे उन्ह उपहार नही देत थे।[114] मदद ए मआश फरमानो के मूल लेख जिसम अधिकारियो को आदेश दिये गये है कि वे विभिन्न बहानो द्वारा अभ्यर्थियो से उपहार और अनुलाभ न लें इस बात के द्योतक है कि मनूची न अतिशयोक्ति नही की है।[115] उच्च स्तर पर भी यही कहानी सुनी जा सकती है। नव स्थापित इगलिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राजदूत विलियम नौरिस को यह बताया गया कि औरगजेब ने कम्पनी को उसके साम्राज्य म व्यापार करने की अनुमति देने का निणय कर लिया था किन्तु आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध करने के लिए सम्राट को 2,00 000 रुपये तथा उसके अधिकारियो को 1,00 000 रुपये भेंट म देने पड़ेंगे।[116]

एसी स्थिति तो तब थी जब कत्तव्य का मामला था, और जहाँ अमीरो के स्वनिणय पर कायवाही निभर करती थी वहा मूल्य इससे भी अधिक था। जब अग्रेजो ने पश्चिमी तट पर मुगलो से कुछ विशेषाधिकार चाहे तो उन्होंने दक्खन के गवनर बहादुर खाँ कोकलताश को उपहार भेजे किन्तु बिचौलिया द्वारा धोखा खा गये। यह दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि (बहादुर खा का) 'बिना उदारतापूवक पारितोष जिसे वह सम्राट की भाति अत्यधिक महत्त्व देता था दिये हुए कुछ भी प्राप्त नही किया जा सकता था।[117] यदि सम्राट से मध्यस्थता के लिए या किसी मुकदमे म सिफारिश के लिए किसी अमीर की सहायता लेनी हो तो उसके लिए मूल्य चुकाना पडता था। त्रिचनापल्ली की रानी द्वारा अपनी रक्षा हेतु की गयी अपील की सिफारिश सम्राट स करने के लिए दाऊद खा न पहले ही उसस बहुत सुन्दर उपहार ले लिये[118] तथा अँग्रेजो की अर्जी अपनी सिफारिश समेत औरगजेब के पास भेजने के लिए उनस 25 000 रुपये लिये।[119] दरबार म उपस्थित रहने वाले अमीर, जिनकी पहुच सम्राट तक थी अपनी प्रतिष्ठा नुसार अधिक स अधिक पैसा किसी काय को कराने का मागते थे। औरगजेब के मीर मुन्शी या मुख्य सचिव काबिल खा न सम्राट की सेवा मे ढाई वर्षो के अन्दर 12 लाख रुपये नकद एव बहुमूल्य वस्तुए जमा की।[120] सम्राट के सम्मुख अपने मुकदमे के लिए, नौरिस को असद खा दीवान का समथन प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य उपहार देने पडे।[121] इसी प्रकार अधीनस्थ अधिकारी भी अपने से उच्च अधिकारियों के पास किसी प्रकार की मध्यस्थता के लिए अपनी प्रतिष्ठा नुसार मूल्य माँगते थे। खालिसा के दीवान रशीद खाँ का पेशकार (निजी-सहायक) चतुर्भुज एव परगने, जिसका नाम नही दिया हुआ है के अमीन व फौज

दार मुहम्मद मुकीम से 1 000 रुपया प्रति वर्ष प्राप्त करता था। चतुर्भुज के उत्तराधिकारी बलीराम को उसी अधिकारी ने 250 रुपये मूल्य का एक र भेजा था।[1]

इसके साथ ही यदि कोई अमीर किसी व्यक्ति को सहायता के स्थान प हानि पहुँचा सकता था तो उससे भी उपहार मांगता था। उदाहरणार्थ, भीमसे को अपना मनसब बनाये रखने के लिए दरबार में अनेक व्यक्तियों को धन दे पड़ा।[13] सम्भवत उसने ऐसी कोई गलती नहीं की थी जिसके कारण उसे अपने मनसब से हाथ धोना पड़ता। लेकिन अन्य व्यक्ति जो नियुक्त किये जाने उपयुक्त थे वे उन व्यक्तियों का जिनका कार्य उनका पता लगाना और उनक भण्डाफोड़ करना था उपहार देकर बच निकलते थे। मनूची बतलाता है वि औरंगजेब के अपेक्षाकृत युवा अमीर, धनाढ्य बनने की उत्कण्ठा में लूट मा तथा अनुचित कार्य करते हैं। वे वाक्या नवीस (राजकीय रिपोर्टर) औ खुफिया नवीस (गुप्त रिपोर्टर) को घूस दे देते हैं ताकि सम्राट को उनके कार्य में कुछ मालूम न हो सके।[14] इस प्रकार के भयादोहन में हमें अब प्रत्यक्ष अपहरण पर आ जाना चाहिए। इस कार्य में बंगाल का गवर्नर शायस्ता ख सम्भवत अपने उच्च पद के मद में सबसे अधिक दुस्साहसी था। बाबरी के अनुसार उसने चिम्मा नामक एक व्यापारी को 50 000 रुपया देने पर विवश किया।[15]

इस प्रकार के उपायों से मध्यम श्रेणी के मनसबदार अतिशय धन प्राप्त कर लिया करते थे। मथुरा का फौजदार अब्दुन्नबी (2 000/1 500) 13 लाख रुपये 9 300 मुहरें और 4 50 000 रुपये के मूल्य की बहुमूल्य वस्तुएँ छोड़ कर मरा।[16] बंगाल का गवर्नर आजम खाँ कोका (4 000/4 000) 22 लाख रुपय और 1 12 000 मोहरें छोड़ कर मरा।[17]

इस प्रकार सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए घूस देकर काम कराना ए मुख्य ढंग बन गया था जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या तो अपनी रक्षा के लिए या दूसरों के विनाश के लिए प्रशासन की सहायता प्राप्त कर सकता था। होना ही कार्यों को इस प्रकार करवाना राज्य के सभी अधिनियमों एवं शाही आदेशों के पूर्णत विरुद्ध था। ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब के समय में इस प्रथा को रोकने के लिए कोई भी गम्भीर प्रयास नहीं किया गया। केवल उसी समय जैसा मुनी काजिल खां के उदाहरण में हुआ जब घूस लेने की सभी सीमाएं पार कर ली गयी और सम्भवत उच्च श्रेणी के सभी अमीर नाराज हो गये सम्राट ने कार्यवाही की। किन्तु सम्भवत यह कार्यवाही भी कदा चित ही कठोर हुआ करती थी काजिल खां को दरबार के पद से हटा दिया गया और उसका मकान जब्त कर लिया गया।[18] गबन के मामलों में इससे

अधिक कठोर रवैया दिखलाया जाता था, क्योंकि इसमें शाही राजकोष का प्रत्यक्ष मामला था। किन्तु यदि गबन किया हुआ धन वापस कर दिया गया हो तो मामला समाप्त समझा जाता था।[1] [9]

घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार के विवरण पर आधारित मुगल प्रशासक वर्ग की जो तस्वीर हमें मिलती है वह प्रशंसनीय नहीं है। यह सम्भव है कि व्यक्तिगत मुगल अमीर इस बात को महसूस करते हों कि प्रशासन की पूर्ण आकृति को तहस नहस किये बिना सुशासन की तो बात ही क्या है भ्रष्टाचार को एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। इस पर भी जो चित्र हमने खींचा है वह एकपक्षीय या अतिरंजित है क्योंकि साक्ष्य की प्रकृति सीमित होने के कारण उसमें त्रुटियां होनी सम्भव हैं, परन्तु सब प्रकार की रद्दो-बदल के बाद भी यह कहना अनुचित न होगा कि मुगल अमीर वर्ग एक अत्यन्त अदूरदर्शी वर्ग था। इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण चाहे जो कुछ भी रहे हों उनके तत्कालीन निजी लाभ ने उन्हें भविष्य में प्रशासन पर सभी संकटों के प्रति अन्धा बना दिया था। ऐसे वर्ग द्वारा कोई भी केन्द्रीय नीति ईमानदारी एवं नियमित रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। उसकी नोच-खसोट से सबसे पहले यदि नागरिक प्रशासन को वास्तव में हानि हुई तो मुगल साम्राज्य के सैनिक एवं राजनैतिक ऐश्वर्य को अन्त में अवश्य ही हानि पहुंचनी थी। और औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वह अंतिम अवस्था आ ही चुकी थी।

सदर्भ

1 1663 में जब शायस्ता खाँ का अन्तरण दक्खन से बंगाल उसकी लापरवाही के कारण जिसके परिणामस्वरूप शिवाजी ने उसके शिविर पर रात्रि में आक्रमण कर दिया था किया गया तो उसे दरबार में आने की अनुमति नहीं दी गयी (दिलकुशा प 24 अ 24 ब मासूरी 131 अ खाफी खाँ II पृ० 175)। 1672 ई में जब अफगानों के हाथों मुहम्मद अमीन खाँ को बहुत बड़ी क्षति उठाना पड़ी तो उसका तबादला गुजरात कर दिया गया और उसे आदेश दिया गया कि बिना शाही दरबार में उपस्थित हुए वह सीधे उक्त सूबे को चला जाये (मआसीर-ए-आलमगीरी प 121)।

2 अखबारात 30वाँ राजकीय वर्ष पृ० 275।

3 सम्राट के निकट सेना व सूबों की तैनात सेना में कोई भी अन्तर नहीं है। (बर्नियर प 218)

4 मआसीर उल उमरा खण्ड III पृ० 46। फतह-उल्लाह के सैनिक कार्यों के लिए देखिये—खाफी खाँ खण्ड II पृ० 496 500। औरंगजेब ने गाजीउद्दीन खाँ का तोपखाना जब्त कर लिया था (मआसीर-ए-आलमगीरी प 468 69)।

5 इस नियम का सख्ती से पालन होता था और इसमें कोई भी अपवाद नहीं हो सकता था। दरबार की बहुप्रचलित घटना जिसके कारण 1666 ई में शिवाजी आगरा से भाग खड़ा हुआ से इस पर प्रकाश पड़ता है। शिवाजी को अन्य पंच-हजारी अमीरों

के साथ खड़ा कर लिया गया था। उसके सामने साम्राज्य के अन्य अमीर थे जिनका मनसब 7 000 था। शिवाजी को बुरा लगा उसने अपना असंतुष्टता प्रकट की और कवर रामसिंह से इस बात की शिकायत की (आलमगीरनामा पृ० 968-69 खाफ़ी खाँ II पृ 190-91)। एक बार मतलब खाँ दाहिनी ओर के बाड़ में खड़ा था उसे आदेश दिया गया कि वह बाड़ के बाहर आई और मनीम खाँ के निकट तथा नुसरत खाँ के आगे खड़ा हो (अखबारात 27 जमादि उस-सानी 44वाँ राजकीय वर्ष)। बहरमन्द खाँ के अनुरोध पर बाद में मतलब खाँ करावाल बेग को कटहरे में खड़े होने की अनुमति दी गयी (अखबारात 16 शव्वाल 43वाँ राजकीय वर्ष)। दक्खन के तोपखाने के दारोगा मंसूर खाँ को कटहरे के भीतर खड़े होने की अनुमति दी गयी (अखबारात 9 रमज़ान 45वाँ राजकीय वर्ष)।

6 मनूची I पृ 147-48 मीराते अहमदी इस्तलाह पृ० 15 ब।
7 अखबारात 40वाँ राजकीय वर्ष पृ० 71।
8 मआसीर-ए आलमगीरी पृ 224।
9 अखबारात 40वाँ राजकीय वर्ष पृ 71।
10 सम्राट ने कहारों के दारोगा कलाल खाँ को दरबार में बल्ला से लम लाने की अनुमति दी थी (अखबारात 45वाँ राजकीय वर्ष पृ 170 ब)।
11 दिवान बहरमन्द खाँ की भाँति जुल्फिकार खाँ को पालकी में बैठ कर गुसलखाना तक आने की अनुमति दी गयी थी (अखबारात 47वाँ राजकीय वर्ष फरहात अल-नाज़रीन पृ 178 ब)।
12 मासूरी पृ० 140 अ।
13 मीराते अहमदी इस्तिलाह पृ 16 ब।
14 मनूची खण्ड I पृ 202।
15 रात्रि में चौकी-पहरे के विस्तृत विवरण के लिए देखिये—आईने I अनवाद पृ 267 69।
16 टवर्नियर I पृ० 302 03।
17 वही पृ० 126 हिन्दू राजकुमारों तथा सेनानायकों में यह प्रथा थी कि वे शाही दुर्ग के नीचे अपने शिविरों के साथ प्रत्येक सप्ताह में 24 घण्टे तक सेवा में रहें (मनूची I पृ 207)। सम्भवत चौकी के सम्बन्ध में उसने ऐसा लिखा है।
18 ज़वाबित-ए आलमगीरी पृ 3 अ इण्डियन ट्रैवेल्स आफ़ थेवेनो पृ 48 भी देखें।
19 टवर्नियर I पृ 308 310 दि ट्रैवल्स आफ पीटर मण्डी 1608 1667 II पृ 199।
20 तुजक पृ 100।
21 इसरारास पृ 144 व 145 अ।
22 मनूची II पृ 369।
23 ज़वाबित-ए आलमगीरी पृ 15 अ 15 ब मनूची II पृ० 366 69।
24 अखबारात 5 रमज़ान 47वाँ राजकीय वर्ष।
25 मीर खाँ को उसके पिता अमीर खाँ की उपाधि प्रदान की गयी (मआसीर-ए आलमगीरी पृ 489) में म्मान इस्माईल एतिकाद खाँ को उसके पूर्वजों की उपाधि जुल्फिकार खाँ 1689 ई में प्रदान की गयी (उपरोक्त पृ० 331 32) मिर्ज़ा नहरास्प को

उसके पूर्वजों को उपाधि महाबत खाँ प्रदान की गयी (मआसीर अल उमरा III पृ० 590) सय्यद महमूद को खान-ए-दौरां की वंशानुगत उपाधि प्रदान की गयी (मआसीर अल-उमरा, I पृ० 784)।

26 खाफी खाँ (II पृ० 627 28) बहादुर शाह के राज्यकाल में इस नियम की अवहेलना किये जाने की निन्दा करता है क्योंकि वह एक ही उपाधि कई व्यक्तियों को प्रदान कर देता था।

27 मीर खाँ को अमीर खाँ की वंशानुगत उपाधि प्रदान की गयी औरंगज़ेब ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि जब उसका पिता मीर खाँ से अमीर खाँ बना तो मीर खाँ ने सम्राट शाहजहाँ को अपनी उपाधि में 'अ' (अलिफ) शब्द जोड़ने के लिए एक लाख रुपया दिया था—मआसीर-ए-आलमगीरी पृ० 489 फरहात-ए-नाज़रीन पृ० 179 अ।

28 अकबरनामा पृ० 10-77 रुक्आत-ए-आलमगीरी पृ० 107 व 109 अ प्रकार 86 पृ० 31 व 36 अ।

29 राजकीय एतिहासिक ग्रन्थ या आलमगीरनामा या लाहौरी के बादशाहनामा में दी गयी सूचियों से यह स्पष्ट है कि ऐसे अवसरों पर उपाधियाँ प्रदान की जाती थी।

30 खिलअत के विस्तृत विवरण के लिए देखिये—टर्वानियर I पृ 163 मनूची II पृ० 464 इर्विन द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स पृ० 29 जब किसी को खिलअत प्रदान की जाती थी तो प्राप्तकर्ता खिलअत धारण करने से पूर्व और उसके पश्चात् चार बार बार सम्राट के सम्मुख तसलीम करता था। साधारणतः खिलअतों के सम्बन्ध में चार बार तसलीम करना ही पर्याप्त था (गुलदस्ता पृ० 6 ब)।

31 आलमगीरनामा यत्र-तत्र।

32 विस्तृत विवरण के लिए देखिये—आईन खण्ड I पृ० 29 30।

33 लाहौरी I पृ० 398 99 माही मरातिब के विस्तृत विवरण के लिए देखिये—पान मेमॉयर ऑफ द दरबार इन इंडिया पृ० 355 56 मीरात अल इस्तिलाह पृ० 16 अ इर्विन द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स पृ० 33। माही मरातिब की उत्पत्ति ईरानी है और यह कहा जाता है कि ईरान के शासक खुसरो परवेज़ ने 591 ई० में इसे देना आरम्भ किया। मुगलों ने इसे ईरान से ग्रहण किया (ब्लोखमन खण्ड I पृ० 176 बीर विनोद (II पृ 190) में श्यामलदास द्वारा उद्धरित)।

34 रवायत-ए-दरायत पृ० 12 अ। मीरात अल इस्तिलाह (पृ 16 अ) के अनुसार 'माही-मरातिब' 6 000/6 000 के अमीर को दिया जा सकता था।

35 मीरात अल इस्तिलाह पृ० 16 अ इस कथन की पुष्टि समकालीन एतिहासिक ग्रन्थों से होती है। 1694 में औरंगज़ेब ने शाह बेग खाँ से कहा कि 1 000 से 7 000 के बीच के मनसबदारों चिह्न अलम व नक्कारे मिले हैं या नहीं मिले हैं के सम्बन्ध में उसे सूचना दें (अखबारात 38वाँ राजकीय वर्ष पृ० 226)।

36 मीरात अल इस्तिलाह पृ 16 अ गुलदस्ता पृ० 6 ब।

37 मीरात-अल इस्तिलाह पृ० 16 अ।

38 1719 में हुसैन अली खाँ ने नक्कारा बजवाते हुए दिल्ली में प्रवेश किया और घोषणा की कि अब वह अपनी गिनती सम्राट के नौकरों में नहीं करता था (खाफ़ी खाँ II पृ 804)।

39 मीरात अल इस्तिलाह पृ० 16 अ।

40 इस प्रकार के उपहारों को दिये जाने से सम्बन्धित औपचारिकताओं के सम्बन्ध में चन्द्र भान ब्राह्मन के गुलदस्ता में एक रोचक उद्धरण है। साम्राज्य के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति जिसको मनसब दिया जाता था या जिसकी पदोन्नति की जाती थी या जिसे जागीर प्रदान की जाती थी उसे चार बार सलाम (तसलीम) करना पड़ता था। रत्न और रत्न जड़े आभूषण प्राप्तकर्ता के सिर पर रख जाते थे पौहूँची सद्र और मालाएं आदि हाथ गले गर्दन या कान पर रखा जाता था और प्राप्तकर्ता को चार बार तसलीम या सलाम करना पड़ता था।

हथियारों के सम्बन्ध में नियम यह था कि तलवार प्राप्तकर्ता के गले में लटका दी जाती थी खंजर और जामधर सिर पर तथा तरकश कंधे पर रख दिया जाता था और चार बार सलाम करने के उपरान्त प्राप्तकर्ता को उसे ग्रहण करने की अनुमति दे दी जाती थी। कमानें और बन्दूक कंधे पर रख दी जाती थी और प्राप्तकर्ता चार बार तसलीम करने के उपरान्त उन वस्तुओं को हाथ में ले लेता था। जिरह-बख्तर प्राप्तकर्ता की गर्दन पर और कवच उसके कंधे पर रख दिया जाता था और वह उसे पहन लिया करता था। इसी प्रकार हाथी व घोड़ों को उपहार में देते समय घोड़े की रास और महावत का सोटा प्राप्तकर्ता के कंधे पर रख दिया जाता था और प्राप्तकर्ता को तसलीम करनी पड़ती थी (गुलदस्ता पृ० 6 ब 7 अ)।

41 जब जयसिंह को शिवाजी को दण्ड देने का कार्य भार सौंपा गया तो उसे खिलअत आदि के अतिरिक्त पद्म-ए-मुरस्सा भी प्रदान किया गया (मासूरी प 131 ब)।

42 रुक्कायम-ए-करायम प 14 अ 14 ब पथान खाँ के पुत्र के सम्बन्ध में इस नियम का पालन न किया जाना अपवाद के रूप में था।

43 रुक्कायम-ए-करायम प 0 ब।

44 दस्तूर उल अमल अगाही पृ 61 रुक्कायम-ए-करायम प 13 ब।

45 आदाब-ए-आलमगीरी प 106 अ 144 ब 150 ब रुक्कायम-ए-करायम प 5 ब 6 ब 17 अ 17 ब।

46 मासिरे-आलमगीरी प 103 323।

47 कम-से-कम शाहजहाँ और औरंगजेब के राज्यकाल के सम्बन्ध में यह सत्य है।

48 मासिरे-आलमगीरी प 1 0। जिस प्रकार वह राजकुमारियों अपने पतियों के साथ व्यवहार करता था उसके लिए देखिये—टबर्नियर 1 प 313।

49 बर्नियर प० 200।

50 अपनी पत्नियाँ में दिये गये अवसरों को राजकीय ऐतिहासिक ग्रन्थ (आलमगीरनामा) में देखा जा सकता है जहाँ प्रतिष्ठित अमीरों द्वारा पेशकश में दी गयी वस्तुओं या नकद धन के सम्बन्ध में सन्दर्भ है।

51 दक्खन में अपनी द्वितीय वायसरायल्टी के समय औरंगजेब ने मीर जुमला को लिखा कि वह कर्नाटक के जमींदार श्रीरंगा रायाउ के प्रतिनिधि को पेशकश के साथ दरबार में भेजे (आदाब-ए-आलमगीरी प 77 ब)। औरंगजेब ने शाह सुल्तान को सूचित किया कि जो सामान पेशकश के रूप में उसने भेजा था वह प्राप्त हुआ (आदाब-ए-आलमगीरी प 155 ब)। राणा राजसिंह ने दो रत्न जड़ी तलवारें और एक रत्न जड़ा भाला सम्राट को पेशकश के रूप में भेजा जो स्वीकार कर लिया गया था (आलमगीरनामा प 341)।

52 टर्वनियर I पृ० 308 310 आलमगीरनामा पृ० 837 मनूची, II पृ० 348-49 मनूची III पृ० 411।
53 टर्वनियर I पृ० 112 301 बर्नियर पृ० 271।
54 आलमगीरनामा यत्र-तत्र। सम्राट को भेंट में दिये गये रत्नों का मूल्य सदैव उल्लेखित है।
55 अखबारात 9 जमादि उस-सानी 44वाँ राजकीय वर्ष।
56 मासिर-ए आलमगीरी पृ० 440
57 अखबारात 28 रबी-उस-सानी तथा 1 जमादि उस-सानी 8वाँ राजकीय वर्ष 25 रबी उल-अव्वल 38वाँ राजकीय वर्ष।
58 अखबारात 28 रबी-उस-सानी 1 जमादि उल अव्वल 1 जुमादि-उस-सानी 8वाँ राजकीय वर्ष 3 जिलहिज्ज और 4 जिलदा 9वाँ राजकीय वर्ष।
59 अखबारात 20 रजब 12वाँ राजकीय वर्ष 20 रजब 43वाँ राजकीय वर्ष।
60 अखबारात 28 रबी उस-सानी 8वाँ राजकीय वर्ष।
61 बर्नियर पृ० 213।
62 मानूचि खण्ड I पृ० 201 203।
63 आलमगीरनामा पृ 39 184 306 315 324 414 तथा 866 मामूरी पृ० 131 ब।
64 मासिर उल उमरा II पृ 32 37।
65 आलमगीरनामा पृ० 160 315 मामूरी पृ 131 ब खाफी खाँ II पृ० 178 दिलकुशा पृ० 28 अ 28 ब मासिर उल उमरा II पृ० 42 तथा 56।
66 दिलकुशा पृ० 51 ब मासिर-ए आलमगीरी पृ० 123 24 मामूरी, पृ० 173 ब खाफी खाँ II पृ० 316।
67 आलमगीरनामा पृ० 1045 तथा 1057 मासिर-ए आलमगीरी पृ० 61 मासिर उल उमरा I पृ० 277 87।
68 दिलकुशा पृ 105 ब 114 ब 115 अ तथा 153 अ मासिर-ए आलमगीरी पृ० 284 तथा 356 मासिर उल उमरा II पृ 317 23।
69 आलमगीरनामा पृ 749 763 829 मासिर उल-उमरा II पृ 282।
70 मासिर-ए आलमगीरी पृ० 314 345 तथा 393।
71 वही पृ० 393 94 खाफी खाँ II पृ 175।
72 मासिर उल उमरा I पृ 484-85।
73 वही I पृ 287 90 मासिर-ए आलमगीरी पृ० 347।
74 मासिर उल उमरा I पृ० 272 74।
75 आलमगीरनामा पृ 830 1061 मासिर ए आलमगीरी पृ 127 144 150 156 195 तथा 281।
76 मासिर उल उमरा I पृ० 346-50।
77 मीरात-ए अहमदी I पृ० 218 लाहौरी II पृ 365 मासिर उल-उमरा III, पृ 447 51।
78 खाफी खाँ II पृ 216 मासिर उल उमरा I पृ० 235-41।
79 मामूरी पृ 162 अ मासिर उल उमरा I पृ० 237 39।
80 रियाज-उ-ईजाद बख्श रसा पृ 8 अ 11 अ खाफी खाँ II पृ० 215-17।

81 साम्राज्य अब काजिया पर निर्भर है और एक काजी घूस से ही सन्तुष्ट है।

82 उदाहरणार्थ जब यह सूचित किया गया कि सना का बख्शी नसनाम खाँ और वाकया निगार इस्वनाम खाँ शहजादा बदार बख्त से आकर नहीं मिले थे तो सम्राट ने दोनों का मनसब घटा दिया—अखबारात 16 शाबान 43वाँ राजकीय वर्ष।

83 महाबत खाँ 6 000/5 000 (3 500×2 3 अस्पा) के हाथों में काबुल की सूबेदारी थी (आलमगीरनामा 229)। महाबत खाँ के स्थानान्तरण के पश्चात अमीर खाँ 5 000/5 000 (1 000×2 3 अस्पा) की नियुक्ति उस पद पर हुई (उपरोक्त पृ० 661)।

84 शाहनवाज खाँ सफवी 6 000/6 000 (5 000×2 3 अस्पा) गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया था (आलमगीरनामा पृ 210)। उसके बाद राजा जसवन्तसिंह 7 000/7 000 (5 000×2 3 अस्पा) के हाथों में गुजरात की सूबेदारी रही (उपरोक्त पृ० 346)।

85 मुअज्जम खाँ मीर जुमला 7 000/7 000 (2 3 अस्पा) के हाथों में बंगाल की सूबेदारी थी (आलमगीरनामा पृ० 676) उसका उत्तराधिकारी शायस्ता खाँ अमीर उल उमरा था 7 000/7 000 (2 3 अस्पा) (उपरोक्त पृ० 848)।

86 लश्कर खाँ 2 500/2 000 के हाथों में कश्मीर सूबा था (आलमगीरनामा पृ 195) 1672 ई में इफ्तिखार खाँ 2 000/1 000 को कश्मीर का सूबेदार नियुक्त किया गया (मआसीर अल उमरा I पृ० 254)।

87 तरबियत खाँ 4 000/4 000 को 1659 में अजमेर का हाकिम नियुक्त किया गया (आलमगीरनामा पृ 119 304) 1679 में इफ्तिखार खाँ को अजमेर का हाकिम नियुक्त किया गया (वाक़या-ए अजमेर)।

88 वाक़या-ए अजमेर।

89 रकायम ए-करायम पृ 3 व 9 ब दस्तूर ए अमल ए आगाही पृ 38।

90 इंशा ए रोशन कलाम।

91 जुल्फिकार खाँ 5 000/5 000 के हाथों में कर्नाटक-हैदराबाद की फौजदारी थी मआसीर अल उमरा II पृ 65 कासिम खाँ 3 500/3 500 (2 000×2 3 अस्पा) के हाथों में कर्नाटक-बीजापुर की फौजदारी था (अखबारात 15 सफर 35वाँ राजकीय वर्ष)।

92 अब्दुर्रज़्ज़ाक लारी 5 000/5 000 को राहेरी का फौजदार नियुक्त किया गया (खाफी खाँ II पृ 405)। फिदाई खाँ 4 000/4 000 को गोरखपुर का फौजदार नियुक्त किया गया (आदाब-ए आलमगीरी 260 अ) तरबियत खाँ 4 000/3 000 को उड़ीसा का फौजदार नियुक्त किया गया (मीरात अल-आलम पृ० 208 अ)।

93 अखबारात आजम का शिविर 24 रजब 47वाँ राजकीय वर्ष।

94 मीर फजलुल्लाह 500/_00 को रायसन का किलेदार व फौजदार नियुक्त किया गया था (अखबारात 38वा राजकीय वर्ष पृ 378)।

95 आका बहराम 500/400 का खाऊन का फौजदार नियुक्त किया गया (अखबारात 9 रजब 24वाँ राजकीय वर्ष) नुसरत खाँ 700/ 00 (2 3 अस्पा) जामिन का फौजदार रहा किन्तु बाद में उसे निलम्बित कर दिया गया (अखबारात 11वाँ रबी-उल अव्वल 37वाँ राजकीय वर्ष)।

96 अध्याय 3 देखिये।

97 अखबारात 36वां राजकीय वर्ष प० 73 37वां राजकीय वर्ष प 201 202।

98 खान-ए आलम इखलास खाँ (6 000/5 000) को शाहजहाँपुर का थानेदार नियुक्त किया गया और उसके स्थानान्तरण के उपरान्त उसका छोटा भाई इखतिसास खाँ (4 000/2 600) को उसी थानेदारी पर नियुक्त किया गया (अखबारात 4 रबी-उल अव्वल 42वां राजकीय वर्ष)।

99 रनदौला खाँ (4 000/4 000) को बहादरा की थानेदारी दी गयी और उसके स्थानान्तरण के उपरान्त नागाजा खान (5 000/4 000) को उसी थानेदारी पर नियुक्त किया गया (अखबारात 8 मुहर्रम 44वां राजकीय वर्ष)।

100 मुहम्मद सालिह खां (3 000/1 200) को लोहगढ़ का थानेदार नियुक्त किया गया (मासामीर-उल उमरा III प० 246)।

101 मानसिंह (200/50) को गारहा का थानेदार नियुक्त किया गया (अखबारात 24वां राजकीय वर्ष प० 57)।

102 अलाउद्दीन (700/500) के हाथों में खाण्डा की थानेदारी थी (अखबारात 28 रजब 24वां राजकीय वर्ष)।

103 मासीर-ए-आलमगीरी प० 109।

104 वकाइअत ए आलमगीरी प 82 अ 82 ब।

105 खाफी खां II प० 407।

106 मासीर-ए आलमगीरी प 461।

107 औरंगजेब के शासनकाल के प्रारम्भ में असद खाँ (4 000/2 000) द्वितीय बख्शी था (मासीर-उल उमरा, I पृ 311)। 1694 में मुखलिस खाँ (2 000/700) को द्वितीय बख्शी नियुक्त किया गया (मासीर-ए आलमगीरी प० 349)। 1704 में मिर्जा सदरी खाँ को तृतीय बख्शी नियुक्त किया गया। उस समय उसका मनसब 3 000/1 000 था (मासीर-ए आलमगीरी प 482)।

108 सम्भवतः अमीरों की उस दशा के लिए यह कथन पूर्णतः सत्य सिद्ध नहीं होता जो दक्खनी थे।

109 उदाहरण—अखबारात 19 रबी उस सानी 1 वां राजकीय वर्ष 3 शाबान 24वां रा० व० 14 शाबान 43वां रा० व 5 शाबान 43वां रा० व० 8 जमादि-उल अव्वल 44वां रा व० 9 जिलहिज्ज 45वां रा० व 20 रमजान 40वां रा० व० 24 शाबान 37वां रा० व 10 जिकाद 39वां रा० व 25वां रा० व प० 388 6 जिकाद 17वां रा० व 27 मुहर्रम 4 थां रा व 2 रबी उल अव्वल 43वां रा० व 10 शाबान 43वां रा० व० 19 जमादि 45वां रा० व 5 रबी उल अव्वल 43वां रा व० 11 मुहर्रम 46वां रा व० 1 जिकाद 43वां रा व 11 रबी-उल अव्वल 34वां रा व 24 रबी-उल अव्वल 43वां रा० व 15 जमादि उस-सानी 44वां रा० व० 24 रमजान 44वां रा व 2 जमादि 9वां रा० व 23 जिकाद 43वां रा० व० 7 जिलहिज्ज 47वां रा व खाफी खां II प० 275 478-83 मामूरी प० 155 [redacted] 178 व मासीर-ए आलमगीरी पृ० 88 89।

110 खाफी खाँ II पृ० 88 89।

111 मीरात-ए अहमदी I प० 203 मआसिर-ए शाहजहानी, पृ० 177 180।

112. मनूची III प० 260 IV प० 98 तथा 100 भीमसेन ने भी कहा है कि अपने

अन्तिम वर्षों में औरंगजेब का ध्यान दुर्गों को अधिकृत करने (किलागीरी) में ही लगा रहा और उसने साम्राज्य की दशा पर तनिक भी ध्यान न दिया (दिलकुशा पृ 146 अ) मजहर ए शाहजहानी प० 173 74।

113 इंगलिश फैक्ट्रीज 1661 64 पृ० 203 205 मामूरी पृ० 175 व 179 अ खाफी खाँ II पृ० 261 तथा 375 81।

114 मनूची III पृ० 232 दिलकुशा पृ० 84 अ।

115 अत्यधिक संख्या में इस प्रकार के फरमान उपलब्ध हैं। इलाहाबाद में यू पी रिकार्ड्स आफिस में ऐसे फरमानों का बहुमूल्य संग्रह है। उनका मूल मत्र अकबर के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों से प्रमाणित किया गया।

116 मनूची III 300-301 उद्धरित— एच एच० दास द नौरिस एम्बैसी टू औरंगजेब पृ 221 227।

117 फ्रायर पृ 329-30 द इंगलिश फैक्ट्रीज 1670-77 भाग I (न्यू सिरीज) पृ 190।

118 मनूची III पृ 411।

119 वही पृ 412 13।

120 मआसीर-ए आलमगीरी पृ० 191।

121 मनूची III पृ० 300।

122 अखबारात 11 रजब 39वाँ राजकीय वर्ष।

123 दिलकुशा पृ० 84 अ।

124 मनूची II पृ 451 52 III पृ 291 देखिये— इंगलिश फैक्ट्रीज 1670-77 खण्ड I (न्यू सिरीज) पृ 267।

125 बावेरी द फैक्ट्रीज राउण्ड द बे आफ बंगाल पृ 153 ५८ द इंगलिश फैक्ट्रीज 1661 64 पृ 140 1668 69 पृ० 315 भी देखिए।

126 मआसीर-ए आलमगीरी पृ 83।

127 वही पृ 169।

128 वही पृ 190-91।

129 1702 में छानिमा के दीवान के पेशकार चतुर्भुज को एक लाख रुपये गबन करने के अभियोग में कैद कर लिया गया। तत्पश्चात 25 000 रुपये का भुगतान किये जाने तथा इस बात का आश्वासन देने पर कि वह बकाया रकम का भुगतान किश्तों में कर देगा आज्ञानुसार उसे छोड़ दिया गया (अखबारात 13 शाबान 45वाँ राजकीय वर्ष)। लेकिन रनमस्तखाँ खाँ जिसने बिराज के दुर्ग का अनाज अपने आधिपत्य कर उससे प्राप्त धन हड़प लिया था के मनसब में से बतौर 300 सवार ही घटाये गये (अखबारात 22 शव्वाल 38वाँ राजकीय वर्ष)। द इंगलिश फैक्ट्रीज 1670-77 खण्ड I (न्यू सिरीज) पृ 267 भी देखिये।

अध्याय
6

अमीर-वर्ग एवं आर्थिक जीवन

(नोबल्स एंड इकॉनोमिक लाइफ)

अमीरों की व्यापार में भूमिका

समकालीन यूरोपीय अमीर वर्ग की भाँति मुगल अमीर-वर्ग भूमि से अनुबन्धित नहीं था, उनकी जागीरों का (या राजस्व आवंटन) नियमित रूप से स्थानान्तरण होता रहता था और उनमें से अनेक नकदी थे अर्थात उन्हें सीधे राजकोष से नकद वेतन प्राप्त होता था। किन्तु यदि मुगल अमीर अनुवांशिक जागीरदार नहीं थे तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह व्यावसायिक प्रशासक वर्ग था। जीवन में उनका मुख्य उद्देश्य वेतन अर्जित करना था, न कि व्यापारिक लाभ, न ही उनका या उनमें से अधिकांश का व्यापारिक 'मध्य-वर्ग' से ही उत्थान हुआ, जैसा कि समकालीन आंग्ल 'भद्रतन्त्र' के एक विशाल भाग के उदाहरण में हुआ। मुगल अमीरों के जीवन से सम्बन्धित सामग्री विपुल मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु उसमें व्यापारी परिवार में जन्मे व्यक्तियों के उदाहरण मिलना कठिन है। निःसंदेह मीर जुमला का एक ऐसा उदाहरण है जो एक व्यापारी से प्रशासक बन गया। पठानों के सन्दर्भ में मनूची का कहना है कि उन्होंने व्यापारियों एवं योद्धाओं का पक्ष समर्थित कर लिया था और वे दरबारियों की श्रेणी में प्रवेश पाना (अपने साधन एवं अनुचरों के आधार पर) व्यापार में पूँजी निवेश के समान समझते थे।[1] नुरुल्लाह खाँ एक अन्य अमीर था जो मूलतः एक व्यापारी था तथा जिसने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ख्याति प्राप्त की।[2] लेकिन बात यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि औरंगजेब के समय के किसी अन्य ऐसे अमीर का हमें पता नहीं मिलता जिसने अपना जीवन व्यापारी के रूप में प्रारम्भ किया हो।

किन्तु प्रशासक-वर्ग का सदस्य होने के कारण, कोई भी अमीर अपने को व्यापारिक संसार से पृथक नहीं रख सका। चाहे उनके पास जागीरें हों या उन्हें राजकोष से वेतन प्राप्त हो रहा हो जागीरदारों की आमदनी नकदी में ही हुआ करती थी। जैसा कि हम अध्याय 3 में देख ही चुके हैं कि नकद में लेन-देन पूर्णतः प्रचलित था, तथा जागीरों से राजस्व अधिकार नकद में वसूल किया जाता था। जब हम इस काल के अमीरों की मिल्कों, नकद और आभूषणों के

रूप मे अतुल सम्पत्ति संचित करते हुए देखते हैं तो हमें तनिक भी आश्चर्य न होना चाहिए। उन अमीरों के लिए जिनके पास अत्यधिक नकद धन था, यह स्वाभाविक ही था कि वे उसमें या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करें या व्यापारियों को धन देकर, उस धन में वृद्धि करने की इच्छा करें। समुद्री व्यापार के लिए आवश्यक धन का सबसे बड़ा स्रोत मुग़ल अभिजात-वर्ग था। टवर्नियर के अनुसार "सूरत पहुंचने पर तुम्हें अत्यधिक धन दिखायी पड़ेगा। क्योंकि हिन्दुस्तान के अमीरों का यह मुख्य धन्धा है कि वे अपने धन को उन जहाजों पर सट्टे में लगायें जो हरमुज़, बसरा और मोखा तथा बन्टाम, अचिन या फ़िलीपीन जा रहे हों।'[3]

व्यापारिक क्षेत्र में इस प्रकार की व्यापारिक लागत का सबसे अच्छा उदाहरण मीर जुमला प्रस्तुत करता है। वह अंग्रेज़ों[4] से निरन्तर व्यापारिक सौदे करता रहा और कभी-कभी अंग्रेज़ व्यापारियों को उसने धन भी दिया।[5] अन्य व्यक्तियों को भी मीर जुमला धन दिया करता था और वास्तविक रूप से वह एक 'व्यापारी शाहज़ादा' था। उसके जहाज़ अराकान, दक्खनी भारत[6] और फारस के मध्य व्यापार किया करते थे। इंगलिश फैक्ट्रीज़ इन इण्डिया के निम्न लिखित उद्धरण से यह भली भांति ज्ञात होता है कि फ़ारस से समुद्री व्यापार करने में उसकी रुचि थी—

"तुम्हें (चेम्बर और उनके साथियों को) हमारी आम सलाह-मशविरों की प्रतिलिपि द्वारा ज्ञात होगा कि हमने नव्वाब से मित्रता बनाये रखना स्वीकार किया है क्योंकि अब उसे जब जहाज़ वापस नहीं लिया जा सकता, या तो वह ऐन नामक जहाज़ साज़-सामान एवं भण्डार सहित ले ले या तुम्हारे नये जहाज़ को। किन्तु इस वर्ष तुम्हें ऐसा दिखावा करना चाहिए जैसे तुम्हें यह मालूम ही नहीं है कि हमने किसी भी भांति इस बात का निर्णय कर लिया है, ताकि यह बात उसे मालूम हो सके। तुम्हें उसके हिसाब किताब से मालूम ही है कि नव्वाब हमारे प्रति पैंचगुना अधिक ऋणी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष पिछले वर्ष की भांति 25 टन गोन्द-लाख के लिए हमारी सहायता लेता है और जिसके लिए फारस में वह न कोई किराया देता है और न चुंगी ही।'[7]

तथापि अमीरों का ध्यान केवल वाह्य व्यापार तक ही सीमित नहीं रहा वरन् सम्भवतः बहुत हद तक आन्तरिक व्यापार पर भी छाया रहा। यहाँ उनकी व्यावसायिक अनभिज्ञता की पूर्ति उनकी शक्ति एवं प्रभाव के दुरुपयोग ने कर दी। गुजरात के अधिकारियों को भेजे गये औरंगज़ेब के फरमान में इस प्रकार के व्यापारिक सौदों के सन्दर्भ हैं, जो अमीरों ने किये और जिससे उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ।[8]

एक मुग़ल अमीर के रूप में समुद्री व्यापार करने के सम्बन्ध में यदि मीर

जुमला का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है तो आन्तरिक व्यापार में उलझे रहने वाले एक अमीर के रूप में शायस्ता खां का उदाहरण सर्वोत्तम है। धन के लिए उसने अपनी असीमित क्षुधा की तृप्ति का रास्ता बंगाल के आन्तरिक व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करके निकाला।

'शायस्ता खां, जहाज द्वारा नमक, सुपारी तथा अन्य वस्तुएं आयात करता था और उन्हें बंगाल में लाभप्रद दरों पर बेचा करता था। इसके अतिरिक्त उसने एक स्वर्ण मोहर के बदले दो या तीन तोला स्वर्ण लेकर 17 करोड़ रुपया एकत्र किया। वह ढाका शहर में व्यापारियों तथा सौदागरों को नमक व सुपारी भी बेचा करता था। इस प्रकार वे स्वयं इन वस्तुओं को खरीदने व बेचने से वंचित कर दिये गये।"[9] उसी स्रोत से हमें ज्ञात होता है कि शायस्ता खां ने 'अनेक स्थानों पर 1,52 000 रुपये के मूल्य के नमक के बड़े बड़े गोदाम स्थापित कर लिये थे।'[10]

इसी अमीर के सम्बन्ध में इंगलिश रेकॉर्ड्स में भी उसी प्रकार की सूचनाएँ भरी पड़ी हुई हैं। 'नव्वाब (शायस्ता खां) के अधिकारी लोगों को सताते हैं, सभी वस्तुओं पर एकाधिकार स्थापित करते हैं यहां तक कि निम्न से निम्न वस्तु जैसे जानवरों के लिए घास, जलाने वाली लकड़ी, फूस आदि, न ही वे उन सभी लोगों को सताने में चूकते हैं जो व्यापार करते हैं चाहे वे देशी हों या विदेशी।[11] पटना से लिखते हुए चारनौक ने (3 जुलाई, 1664) कहा कि 'शायस्ता खां की इच्छा थी कि शोरे का पूर्ण व्यापार अपने हाथों में ले ले और फिर उसे हमारे तथा डचों के हाथों अपनी दरों पर बेचे, चूंकि वह जानता है कि खाड़ी में जहाज खाली नहीं वापस जा सकते हैं। लेकिन इस वर्ष उसे 4 000 या 5,000 मन से अधिक शोरा नहीं मिल सकेगा। उसके दारोगा ने सौदागरों को इतनी बुरी तरह से परेशान किया है कि वे लगभग यहां से भाग खड़े हुए हैं। वह इस बात का दिखावा करता है कि वह सारा शोरा सम्राट के लिए खरीद रहा है। कुल मिला कर युद्धों के लिए उसे कभी भी प्रतिवर्ष 1 000 या 1,500 मन से अधिक आवश्यकता नहीं पड़ा।[12]

किसी न किसी प्रकार व्यापारिक लाभ कमाने की शायस्ता खां की तीव्र इच्छा कोई अपवाद न थी। 1703 ई० के लगभग सम्राट को सूचित किया गया कि शाहजादा अज़ीम उश शान अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए, जिसे उसने सौदा-ए-खास कहा जबरदस्ती सामान खरीद रहा था। औरंगज़ेब ने शाहजादे की कठोर भर्त्सना की और उसके कार्य को व्यंग्यात्मक रूप से सौदा-ए-खाम (कच्चा सौदा) कहा और लोगों को लूटने के लिए उसने शहज़ादे को बेवकूफ एवं अत्याचारी बताया।[13]

निस्सन्देह मुगल अमीर विनाशी वस्तुओं, विशेषत जवाहरात का व्यापार

करने में रुचि रखते थे। टर्वनियर से शायस्ता खाँ की खरीदारियाँ इस बात का उदाहरण हैं। यहां तक कि यह फ्रांसीसी सौदागर इस अधिपति की ओर से 1654 में जवाहरात खरीदने के लिए यूरोप भी गया।[14]

कभी-कभी अमीरों के माध्यम से सम्राट स्वयं भी जवाहरात खरीदता था। *शायस्ता खां ने 109 मोती औरंगजेब को भेजे, किन्तु शाही विशेषज्ञों के अनु*मान के अनुसार खान ने उनके मूल्य के बारे में जो सिफारिश की वह बहुत ही अधिक थी अतएव सम्राट ने उन्हें खरीदने के बजाय वापस कर दिया।[15] इससे पूर्व एक अन्य अवसर पर शायस्ता खां ने एक जवाहर और कुछ मोती औरंगजेब के पास, जब वह राजकुमार था भेजे और औरंगजेब ने उससे उनके मूल्यों के बारे में पूछताछ की ताकि उसका भुगतान किया जा सके।[16]

अपनी रुचि एवं निर्देशनों के अनुसार विलासी वस्तुएँ और अन्य सामान प्राप्त करने की इच्छा के कारण साधारणतया अमीर वर्ग को खिलअतें, बर्तन, हथियार, सज्जा-सामग्री आदि बनवाने के लिए अपने कारखानों[17] की स्थापना करनी पड़ी जिनमें अत्यधिक संख्या में कारीगर रखे जाते थे।[18] इन कारखानों की प्रकृति एवं अमीरों का इन कारखानों में भर्ती किये गये कारीगरों के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन बर्नियर के एक सुप्रसिद्ध उद्धरण में प्राप्त होता है। उसके अनुसार 'कुशल कारीगरों की गर्व कर सकने योग्य एक कर्मशाला दिल्ली में ढूंढ़ना दुश्वार होगा। ऐसा केवल इसलिए नहीं था कि लोगों में कला उपार्जित करने की क्षमता नहीं है वरन भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति उपलब्ध है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनके पास औजार तक नहीं हैं और जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कभी भी किसी से प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं किया बनाये गये कारीगरी के सुन्दर नमूनों के उदाहरण अत्यधिक संख्या में उपलब्ध हैं। घना व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु सस्ते दामों में मिल जाती है। जब कभी किसी अमीर या मनसबदार को एक कारीगर की सेवाओं की आवश्यकता होती तो वह उसे बाजार से बुलवा लेता है यदि आवश्यकता होती तो वह शक्ति का प्रयोग भी करता ताकि उस गरीब आदमी को कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सके और जब कार्य समाप्त हो जाता था तो बेरहम मालिक उसके श्रम के अनुसार नहीं वरन अपने हिसाब से मामूली पारिश्रमिक दे देता है कारीगर अपने को इस बात के लिए भाग्यशाली समझता है कि भुगतान के रूप में उसे कोड़े खाने को नहीं मिले। इस प्रकार केवल वे ही कलाकार अपनी कला में ख्याति प्राप्त कर पाते हैं जो सम्राट या किसी शक्तिशाली अमीर की सेवा में होते हैं तथा जो केवल अपने सरंक्षक के लिए ही कार्य करते हैं।[19]

अमीरों द्वारा कायम किये गये कारखानों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। बख्तावर खां के इस अभिमानी दावे कि उसने विभिन्न

शहरों[9] में अनेक कारखाने स्थापित किये है, के साथ ही साथ शुजाअत खाँ के कारखानों की इतिहासकारों द्वारा की गयी प्रशंसा का भी रखा जा सकता है। शुजाअत खाँ के कारखानों में बने वस्त्र, प्लेटों, बर्तनों आदि की औरंगजेब ने बहुत ही प्रशंसा की है और शुजाअत खाँ ने यह वस्तुएँ उपहारस्वरूप सम्राट तथा अन्य अमीरों को भी भेजा।[1]

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अमीरों के अतिरिक्त, सम्राट और राजकुमारों तथा राजकुमारियों के भी कारखाने हुआ करते थे। उदाहरणार्थ, औरंगजेब द्वारा शाहजहाँ को भेजे गये एक पत्र से हम यह देखते हैं कि कुशल कारीगरों के अभाव में शाही कारखाना और राजकुमारी जहाँआरा के कारखानों का उत्पादन बहुत कम हो गया था। औरंगजेब के व्यक्तिगत कारखानों में काम करने वाले कारीगरों के काम की सम्राट ने प्रशंसा नहीं की थी।[2] एक अन्य पत्र में जो औरंगजेब ने जहाँआरा बेगम को लिखा, उसने आश्वासन दिया कि कारखाने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और जिन वस्तुओं की आवश्यकता उसे होगी उनका उत्पादन होता रहेगा।[3]

यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापारिक कार्यों में धन लगाये जाने के प्रमाण हैं, किन्तु यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि सच्चे ढंग से व्यापारिक लाभ कमाने में उनकी रुचि थी। इसके विपरीत, वे व्यापार कार्य में कभी-कभी रुकावटें डालते थे ताकि वे अपनी आमदनी, सम्पत्ति का प्रयोग करके नहीं वरन् अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके बढ़ा सकें। व्यापारियों एवं सौदागरों को आवश्यक विशेषाधिकार प्राप्त करने में पूर्व अमीरों को घूस देने की आवश्यकता होती थी।

1667 ई० में जब फ्रांसीसी व्यापारियों ने व्यापार के लिए सम्राट से एक फ़रमान लेना चाहा तो उन्हें सम्राट को विदेशी अद्भुत वस्तुओं के रूप में 30 000 रुपये, साथ ही 10 000 रुपये जाफर खाँ को और इतनी ही राशि अन्य अमीरों को देनी पड़ी। जब उपरोक्त धनराशि का भुगतान हो गया तो व्यापार के लिए एक परवाना फ्रांसीसी व्यापारियों को दिया गया और उन्हें इस बात की अनुमति दी गयी कि वे सूरत में एक मकान किराये पर ले लें और अपने माल पर यथा मूल्य 2 प्रतिशत चुंगी दें।[4]

1659 में मीर जुमला ने कासिम बाजार में अंग्रेजों का व्यापार उस समय तक बन्द कर दिया जब तक कि उसे उपहार न मिले और उसके पश्चात् ही उसने उन्हें व्यापार करने की अनुमति दी।[5] 1660 में मीर जुमला ने अंग्रेज व्यापारियों से 50,000 पगोडा माँग और उसने उनसे 32 000 पगोडा जो उस कम्पनी को देने थे छोड़ देने की माँग की।[6] जब वह बंगाल का सूबेदार था, तो मीर जुमला ने अंग्रेज व्यापारियों को चुंगी न देने की छूट दे दी थी और

उनके बन्दरगाह में अंग्रेज़ व्यापारियों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये देने पड़ते थे।[27] व्यापार और विनिमय में सभी जगह भ्रष्टाचार था और जब तक कि अधिकारियों को कुछ रकम नहीं मिल जाती थी तब तक वे सहायता नहीं करते थे।

टैवर्नियर के अनुसार, "यह बिल्कुल सत्य है कि जो तुर्की, फ़ारस तथा भारतवर्ष में राजकुमारों के दरबार में व्यापार करना चाहते हैं वे तब तक किसी वस्तु का व्यापार नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपहार तैयार न हों और विभिन्न प्रकार के विभिन्न अधिकारियों के लिए किसी समय भी उनकी आवश्यकता हो तब उन्हें चुनी हुई रकम की थैली न हो।" सम्राट व सूबेदार के बदलने पर व्यापारियों को, फ़रमानों व परवानों के पुनर्नवीनीकरण के लिए कुछ-न-कुछ रकम खर्च करनी पड़ती थी।[9]

बंगाल में शायस्ता खाँ के समय में अंग्रेज़ व्यापारी परेशान थे क्योंकि शायस्ता खाँ ने इस बात पर ज़ोर देना शुरू किया कि चाहे इस समय उनका व्यापार हो या न हो वे उसे 3,000 रुपये के मूल्य के उपहार दें। "यद्यपि इस समय हमारा या हमारे स्वामियों का व्यापार बहुत ही कम बल्कि न के बराबर है फिर भी नवाब के शासन में हम परेशानी से मुक्त नहीं हैं। इस बात की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि सम्राट के आदेशानुसार बालासोर और हिजली को विजित कर बंगाल के सूबे के अन्तर्गत रख लिया गया है जिसके लिए विशेष कर इस समय सिवाय पश्चात्ताप करने के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही स्थान एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आ गये हैं जो अन्यायी एवं अत्यन्त लोभी हैं। चाहे कोई भी जहाज़ आये या न आये हमें भय है कि प्रतिवर्ष इस स्थान पर हमसे 3,000 रुपये उपहार के रूप में लिये जायेंगे क्योंकि इस शहर (अर्थात् हुगली) का लगान एवं चुंगी उसकी जागीर है।"[30]

मीरात-ए-अहमदी में औरंगज़ेब का एक फ़रमान सुरक्षित है जो इस बात का द्योतक है कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के मुग़ल अमीर ग़ैरक़ानूनी कर एवं शुल्क लगा कर व्यापार और विनिमय को निचोड़ते थे।

औरंगज़ेब ने गुजरात प्रान्त के जागीरदारों को आदेश दिये कि वे इन शुल्कों को—जैसे राहदारी, माही, मल्लाही, तरकारी, तहबाज़ारी आदि को—जो समाप्त कर दिये गये थे व्यापारियों और सौदागरों से वसूल न करें। उनके लिए अनाज आदि कम दामों पर ख़रीद कर उसे ऊँचे दामों पर बेचना वर्जित था। उन्हें अनाज के व्यापारियों तथा अन्य व्यापारियों एवं सौदागरों की ओर से भेंट किये गये उपहारों को स्वीकार करना मना था। सम्राट ने उन्हें यह भी आदेश दिया कि वे व्यापारियों पर ग़ैरक़ानूनी शुल्क न लगायें।[31]

यद्यपि इस काल में भूमि से प्राप्त राजस्व ही अमीरों की आमदनी का मुख्य भाग रहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस आमदनी को विभिन्न प्रकार की

व्यापारिक सट्टेबाजियों में भाग लेकर बढ़ान से लाभ के सम्बन्ध में उच्च वर्ग के अमीरों के एक भाग का अत्यधिक चाव हो चुका था। यहाँ तक कि शहजादे तथा शाही परिवार के सदस्य एवं बेगमें भी व्यापारिक सट्टेबाजी द्वारा लाभ कमाने में पीछे न रहे।[2] दूसरी ओर, यद्यपि यह सत्य है कि अमीर कभी-कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने सरकारी पद का अनुचित प्रयोग भी करते थे, किन्तु इस प्रकार के उदाहरणों के सम्बन्ध में बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए। मध्य युग में आर्थिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप, विशेष कृपाएँ प्राप्त करना एवं उपयुक्त घूस, उपहार आदि देकर एकाधिकार स्थापित करना, आदि तथ्य के रूप में मान लेना चाहिए।

जागीरों से आमदनी की अनिश्चितता के बावजूद, औरंगजेब के समय के अधिकांश अमीरों की आय के साधन अत्यधिक थे। वे वसूल किये गये लगान को या तो पूँजी के रूप में लगा सकते थे या अपने परिवार के सदस्यों या अपने अनुचरों के उपभोग में आने वाली वस्तुओं पर व्यय कर सकते थे। सारांश में, उच्चतर स्तर पर व्यक्तिगत उपभोग, व्यापार व उद्योग को बढ़ाने में सहायता की अपेक्षा बहुत ही बड़ा बाधक था, क्योंकि इसके कारण व्यय ही में विलासी वस्तुओं के उत्पादन तथा उन्हें प्राप्त करने पर बल दिया गया। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन के नये तरीकों एवं प्रविधियों के विकास के लिए प्रेरणा देने की बहुत ही कम गुंजाइश रह गयी। उद्योग के सम्बन्ध में अमीरों के विभाग कारखानों या उन प्रतिष्ठानों से, जिनमें उनके विलासोपकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निम्न कीमत पर कारीगर रखे जाते थे, कभी भी आगे न उठ सके।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि चाहे उन्होंने कुशल कारीगरों को कितना ही संरक्षण क्यों न प्रदान किया हो, अधिकांशतः उनके पूँजी निवेश की प्रकृति इस प्रकार की नहीं थी जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रविधियों में किसी प्रकार का सुधार हो सकता।

संदर्भ

1 मनूची खण्ड II पृ० 453।
2. मिरात-उल-अलमातीन पृ० 224 उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने पास 3000 खाद का मनसब था।
3 टैवर्नियर खण्ड I पृ० 31।
4 नव्वाब के धन को हम निर्विवाद एवं बिना किसी दावे के यह सोच कर कि दुकानिया उसे वापस कर देगा तथा हिसाब चुकता कर देगा, अवश्य ही स्वीकार कर लेते हैं और भविष्य के लिए कोई भी इस प्रकार की कठिन एवं अनुचित माँग को स्वीकार नहीं करता। उनके जहाज को हम वापस लेने की चेष्टा करेंगे और अगले माह में हमें आशा

है कि हम इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का ब्योरा दे सकेंगे (द इंगलिश फक्ट्रीज इन इंडिया 1661 64 पृ० 68)।

5 इस बीच चारनोक और ब्लन्ट को आदेश दिया गया कि वे तत्काल श्री ट्रू वसिया को अपनी कार्यवाहियों का ब्योरा दें। ट्रू वसिया से अनुरोध किया गया कि जो धन उस मीर जुमला ने दिया है वह उसका भुगतान करे और उसे पुन काफी मात्रा में शोरा सम्भरण करने की आवश्यकता की याद दिलायी गयी द इंगलिश फैक्ट्रीज इन इन्डिया 1661 64 पृ० 153 1665-67 पृ० 135 और 145।

6 वाक़या-ए-दक्खन, डा० यूसुफ हुसन द्वारा सम्पादित संख्या 2 (1 मुहर्रम 1702 हिजरी)।

7 इंगलिश फक्ट्रीज 1661 64 पृ० 148-49 मीर जुमला की व्यापारिक कार्यवाहियों के लिए देखिये—जे एन सरकार द लाइफ आफ मीर जुमला पृ० 216-18।

8 मीरात ए-अहमदी खण्ड I पृ० 286-88 गुजरात स्टेट आफ कामर्शियल एक्टीविटीज रकायम-ए-करायम पृ० 20 ब।

9 एस के० भयान एनल्स आफ देहली बादशाहत गोहाटी 1947 पृ० 167 68।

10 उपरोक्त पृ 169 72 अपनी जागीर में मिर्जा राजा जयसिंह ने नमक बनाना शुरू किया परिणामस्वरूप परगना साभर में नमक बनाने वाले शाही कारखाने को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष नुकसान होने लगा। शाहजहाँ ने तुरन्त जयसिंह को आदेश दिया कि वह नमक बनाना बन्द करे अन्यथा उसकी जागीर स्थानान्तरित कर दी जायेगी (जयपुर डाक्यूमेंटस संख्या 68 5 शव्वाल 1053 हिजरी)।

11 डायरीज आफ स्ट्रिनशाम मास्टर I पृ० 80 बंगाल में अधिकारियों द्वारा वस्तुओं को एकाधिकृत करने की प्रवृत्ति के लिए देखिये—फतह-ए इबिया पृ 127 अ।

12 इंगलिश फक्ट्रीज 1661 64 पृ० 395 96।

13 रियाज उस-सलातीन पृ० 243-44।

14 टर्वनियर खण्ड I पृ 320-22। टर्वनियर के अनुसार व्यापार के मामले में भारतीय बहुत ही दक्ष थे और बिना किसी विलम्ब के ऋण का भुगतान कर देते थे (खण्ड I पृ० 326)। 1652 में शायस्ता खां ने टर्वनियर से 96 000 रुपये के मूल्य की वस्तुए खरीदीं 1660 में उसने दूसरी बार टर्वनियर से कुछ वस्तुए खरीदीं 1666 में उसने पुन उससे कुछ विलासी वस्तुएं खरीदीं (खण्ड I पृ 15 16)। शायस्ता खां ने टर्वनियर से खूबसूरत जवाहरात उसे लाकर देने के लिए कहा और उसे आश्वासन दिया कि वह सम्राट की भाति ही उदारतापूर्वक उनकी कीमत देगा (खण्ड I पृ० 245)।

15 आदाब ए आलमगीरी पृ 113 अ।

16 वही पृ० 113 अ-ब।

17 आजकल आमतौर से विद्वान कारखाना शब्द को केवल सम्राट राजकुमारों और अमीरों द्वारा कायम की गयी कर्मशाला से सलग्न करते हैं। लेकिन यहां यह भी कहना आवश्यक है कि सत्रहवीं शताब्दी में विदेशी व्यापारी कम्पनियों के भी कारखाने होते थे (द इंगलिश फैक्ट्रीज 1618-21 पृ 198)। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्तिगत व्यापारियों के भी कारखाने हुआ करते थे।

18 दिल्ली आगरा लाहौर और बरहानपुर में बख्तावर खां के कारखानों उसके मकानों एवं भवनों के सदर्भ के लिए देखिये—मीरात ए आलम पृ० 253 ब।

19 बर्नियर पृ० 254-56।

20 मीरात अल आलम पृ० 253।
21 मआसीर-ए आलमगीरी पृ० 405-406।
22 आदाब-ए आलमगीरी पृ० 25 अ।
23 वही पृ० 196 अ।
24 द इगलिश फक्ट्रीज इन इडिया 1665-66 पृ० 281।
25 वही पृ० 292 93।
26 वही पृ० 391 92।
27 वही पृ० 393-94।
28 टवर्नियर खण्ड I पृ० 115।
29 द इगलिश फक्ट्रीज इन इडिया 1665-60 पृ० 197 98, मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात् नये सूबेदार दाऊद खाँ से अपने परवाना के नवीनीकरण के लिए अग्रज व्यापारियों को अनक कठिनाइयों का सामना करना पडा (इगलिश फक्ट्रीज 1661 64 पृ० 288)।
30 द इगलिस फक्ट्रीज इन इडिया 1665-67, पृ० 258 59।
31 मीरात-ए अहमदी खण्ड I पृ० 286-88।
राहदारी—राह शुल्क।
माही—मछियारे द्वारा बाजार म मछली लाकर बचने के ऊपर कर।
मल्लाही—दुकानदारो व्यापारियो तथा राहगीरो के ऊपर घाट कर।
तरकारी—काश्तकारों द्वारा बाजार म हरी सब्जी लाने के ऊपर कर।
तहबजारी—दुकानदारो के ऊपर भूमि-कर।
32. एस० चन्द्र बगाल पास्ट एण्ड प्रजण्ट जलाई दिसम्बर 1959 पृ० 92 97।

अध्याय
7

अमीरो के प्रतिष्ठान

(द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नोबल्स)

अमीर-वर्ग की 'सरकार'

पहले एक अध्याय में हम बता चुके हैं कि मनसबदार किस प्रकार वेतन प्राप्त करते थे। वे साम्राज्य के प्रशासक-वर्ग में थे, लेकिन फिर भी अपनी आय के लिए मुख्यत प्रशासन पर ही निर्भर रहते थे। सम्राट ही उनकी अनुमोदित आय या वेतन के लिए उन्हें जागीरें प्रदान करता था और यदि वे नक्दी हुए तो वह उन्हें नकद में वेतन देता था। इसके एवज में उन्हें सैनिक टुकड़ियाँ रखनी पड़ती थी और प्रशासन की सेवा में रहते हुए अन्य खर्च उठाने पड़ते थे। अपने निजी साधनों से किये गये भुगतान की कोई भी लेखा परीक्षा मुगल प्रशासन के लिए पूर्णत अपरिचित वस्तु थी। अमीरों के व्यक्तिगत खर्चों को न रोका जाता था और न ही उनका निरीक्षण किया जाता था। निरीक्षण केवल उनके द्वारा व्यवस्थित पार्श्वमियो सामान या उनकी सेवाओं का होता था।[1] इस प्रकार प्रत्येक अमीर की अर्ध स्वतन्त्र सरकार (प्रशासन) हुआ करती थी, जिसमें उसकी सैनिक टुकड़ी उसके अधिकारी घरेलू नौकर-चाकर हरम, सेवक और परिजन सम्मिलित थे। इस प्रकार के सभी प्रशासनों की स्वतन्त्र इकाइयाँ थी क्योंकि शासक के प्रति सैनिक तथा अन्य उत्तरदायित्व को निभाने के पश्चात् जिस तरह अमीर चाहते थे अपनी आय में से खर्च करते थे। निःसन्देह एक अमीर की सरकार में प्रमुख स्थान वित्तीय विभाग का होता था, जो उसके प्रतिनिधियों द्वारा उसकी जागीर से राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता था। इस आय की वृद्धि कभी-कभी उपहारों और रिश्वत से या व्यापारिक उद्यमों से हो जाया करती थी। प्रत्येक अमीर का एक 'दीवान' हुआ करता था जिसके अन्तर्गत अमीर के प्रतिष्ठान के वित्तीय प्रशासन एवं कर्मचारीगण हुआ करते थे। पलसर्ट के अनुसार नियमानुसार स्वामियों की सम्पत्ति एवं उनकी कार्यवाहियाँ गुप्त नहीं थी, बल्कि सबको मालूम रहती थी, क्योंकि प्रत्येक अमीर का एक दीवान होता था जिसके द्वारा सब कार्यवाहियाँ की जाती थीं। दीवान के अनेक मातहती हुआ करते हैं और एक आदमी के करने योग्य काम को करने के लिए यहाँ दस व्यक्ति होते हैं, और प्रत्येक के हाथों में

निश्चित आय होता है जिसके सम्बन्ध में वह ही उत्तरदायी होता है।"[5] यह स्पष्ट नहीं है कि वह अधिकारी, जिसे मनूची ने 'खज़ाची' कहा है, वह वही व्यक्ति था जिसे दीवान कहा गया। उसने हमें बताया है कि किस प्रकार 'एक व्यक्ति, जो उसके (अमीर जाफर खाँ) परिवार के लिए जड़ी-बूटियाँ और तरकारियों की कश्मीर की यात्रा के दौरान आपूर्ति करता था—इस सेनानायक के परिवार का हिसाब किताब खज़ाची के पास वर्ष के अन्त में लाया जाता था, और यह चाहता था कि जो वस्तुएँ उसने लाकर दी हैं उनका मूल्य उसे चुका दिया जाये। उसके हिसाब किताब की जाँच करने के उपरान्त उस अधिकारी को ज्ञात हुआ कि रकम बहुत ही बड़ी थी, अतएव उसने 80,000 रुपये की रकम रद्द करने का निश्चय किया।"[6]

पंजाब के एक सन्त की प्रशंसा में लिखे गये एक पद्य के रचयिता के प्रति हम बहुत ही आभारी हैं, जिसने अपने विवरण में एक अमीर की 'सरकार' के विभिन्न अधिकारियों का रोचक विवरण दिया है। उक्त रचयिता ने 1639 की घटनाओं का विवरण देते हुए, जिनका सम्बन्ध उससे व उसके भाई से था तथा जो उस समय अमीरों की सेवा में थे, अमीरों के अनेक अधिकारियों के पदों के नामों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों की ओर कुछ संकेत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले एक 'खज़ानेदार' (खज़ाची) हुआ करता था जो नकद रकम रखता था। 'मुशरिफ-ए-खज़ाना' हिसाब किताब और सनद अर्थात् बारात (भुगतान करने के लिए आदेश) और वज्ह (आय का हिसाब) रखता था। एक अमीर की सरकार में यह रचयिता इस पद पर था, और उसे अन्यत्र 'दफ्तर-ए-तौजीह' (या हिसाब किताब) रखने का कार्य प्राप्त हुआ। वास्तव में मुशरिफ ए सरकार ही खरीददारी का काम करता था किन्तु विशेष सौदे के लिए उसे अमीर के अन्य अधिकारियों से अनुमति लेनी होती थी, उदाहरणार्थ— बिना खान-ए-सामाँ और खवान-सालार के ध्यान में लाये हुए, एक मुशरिफ ने अनाज खरीद लिया, अतः उसका भर्त्सना हुई। खान-ए-सामाँ एवं खवान सालार ही क्रमशः परिवार एवं भण्डार की व्यवस्था करते थे तथा रसोई के वास्तविक कार्य की देखभाल करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी, 'बख्शी-ए-सरकार' भी हुआ करता था जो अमीर की सैनिक टुकड़ी की व्यवस्था की देखभाल किया करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि अमीर की सरकार के प्रशासन के लिए कुछ अधिष्ठित परम्पराएँ हुआ करती थीं। प्रत्येक अधिकारी अपने ही कार्य-क्षेत्र में किसी भी व्यय के लिए खज़ाची के नाम एक 'बारात (मसविदा) तैयार करता था। इस प्रकार खान-ए-सामाँ के रूप में उक्त लेखक के भाई को अमीर के एक सैनिक ने इस बात के लिए बाध्य किया कि वह अपने नाम पर बकाया रकम के लिए एक बारात लिखे, किन्तु उसने

उससे बारात के लिए वस्ना-ए सरकार के पास जाने के लिए कह दिया।[5]

अपने स्वामी की ओर से अमीर के अधिकारियों को न केवल हिसाब किताब ही रखना पड़ता था, वरन् एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन स्थानान्तरित करने की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी विशेषकर जागीरों से मुख्य केन्द्र के लिए। आमतौर पर यह कार्य हुण्डियों[6] द्वारा किया जाता था और यह बहुत ही सम्भव है कि सौदागरों की भाँति अमीर भी बहुधा इसका उपयोग करते हों।

अमीरों की सैनिक टुकड़ियाँ

स्वाभाविक रूप से एक अमीर की सैनिक टुकड़ी उसके प्रतिष्ठान का यदि सबसे महत्त्वपूर्ण नहीं तो भी काफी महत्त्वपूर्ण भाग हुआ करती थी। शाही अधिनियमों के अनुसार प्रत्येक मनसबदार को कई ताबीनान या अच्छे नस्ल के घोड़ों के साथ सवार रखने पड़ते थे, सवारों की संख्या अमीरों के मनसब द्वारा निर्धारित होती थी। ताबीनान से यह आशा की जाती थी कि वे सदैव तैयार रहेंगे और इस प्रकार वे साम्राज्य की स्थायी सेना का एक भाग थे।[7] जो सैनिक अमीर द्वारा अल्पकाल के लिए किराये पर लिए जाते थे उन्हें सेहबन्दी कहते थे और साधारणतः उन्हें ऐसे कार्यों में लगाया जाता जैसे—लगान का वसूल करना या पुलिस का कार्य करना।[8] वे हाज़िरी के लिए उपयुक्त नहीं समझे जाते थे और साधारणतः जब उनकी तुलना ताबीनान से की जाती थी तो उन्हें कुछ तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था।[9]

साधारणतः यह विश्वास किया जाता था कि मनसबदार अपने पद के अनुसार पूरी सैनिक टुकड़ियाँ नहीं रखते थे। मनूची के अनुसार, यह भद्र (मनसबदार) साधारणतः अपने अस्तबल में पचास या सौ से लेकर दो सौ घोड़े दिखाने के लिए रखते हैं। निरीक्षण के दिन वे अपने सेवकों को शस्त्रों से लैस कर उन घोड़ों पर सवार कर देते हैं और सैनिक के रूप में उन्हें सामने से ले जाते हैं। सैनिकों को जो वेतन मिलता उसे वे अपने लाभ के खाते में डाल देते हैं। साम्राज्य के सभी भागों में ऐसे अधिकारी हैं जो प्रत्येक बात पर अपनी निगाह रखते हैं, या कम-से-कम ऐसा करना उनका दायित्व है। किन्तु दरबार से दूर रहने के कारण वे निष्ठावान व्यक्तियों की भाँति अपने कर्तव्यों का पालन करने का स्वप्न भी नहीं देखते।[10]

मनूची के इस व्यापक कथन का समर्थन भीमसेन ने भी किया है, जिसके अनुसार औरंगजेब के अंतिम दिनों में केवल तीन राजपूत सरदारों को छोड़कर, कोई भी शाही अधिकारी उचित संख्या में अपने सैनिकों की टुकड़ियाँ नहीं रखता था।[11] शासन के शाही अभिलेखों में ऐसे, उच्च एवं निम्न, अधिकारियों

के सम्बन्ध में अनेक विशिष्ट शिकायतें हैं कि वे अपनी सैनिक टुकड़ियाँ ठीक से नहीं रखते थे।[12]

साधारणतः मनसबदारों के ताबीनान अभिजात 'युद्ध प्रिय कबीलों' से भर्ती किये जाते थे और प्रत्येक मनसबदार उन्हें या तो अपने कबीले में से या अभिजात युद्धप्रिय कबीलों से भर्ती करता था। अमीरों द्वारा भर्ती के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले सैनिकों के कबायली संयोजन के सम्बन्ध में प्रशासन ने स्वयं अपने अधिनियम बनाये थे। ये नियम खुलासात उस सियक में दिए हुए हैं तथा उनका सारांश इस प्रकार है—

1) ट्रांस आक्सियाना के मुगल अमीर जो दरबार में (औरंगज़ेब के) 24वें राजकीय वर्ष के पश्चात आये थे उन्हें केवल मुगलों को ही हाज़िरी के लिए प्रस्तुत करना था।

2) जो मुगल इससे पूर्व आये थे, वे अपने सैनिकों की संख्या का 1/3 भाग मुगल तथा 2/3 भाग अन्य जातियों के व्यक्ति रख सकते थे, किन्तु अफगानों की संख्या 1/6 से अधिक नहीं हो सकती थी।

3) सय्यद और शेखज़ादे (भारतीय मुसलमान) केवल अपनी ही जाति के लोग भर्ती कर सकते थे किन्तु उनकी सेना में राजपूतों और अफगानों की संख्या 1/6 से अधिक नहीं हो सकती थी।

4) अफगान अमीर अपनी सेना में दो तिहाई अफगान तथा एक तिहाई अन्य जातियों के लोगों को रख सकते थे।

5) राजपूतों के लिए वही नियम थे जो सय्यदों और शेखज़ादों के लिए, अर्थात, वे अपनी ही जाति में के लोगों को भर्ती कर सकते थे।[13]

मनूची इस अधिनियम का उल्लेख करता है और कहता है कि इसे अकबर ने लागू किया था।[14] 1680-81 ई० में अजमेर के गवर्नर तहव्वुर खाँ को इस बात पर विशेषरूप से घमण्ड था कि वह केवल तूरानियों (ट्रांस आक्सियानन्स) को ही भर्ती करता था।[15]

विभिन्न सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वह अमीर तथा सैनिकों के मध्य एक समझौते का मामला था प्रशासन उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। वस्तुतः, जैसा मनूची कहता है सैनिकों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में सेनानायकों तथा अधिकारियों के कोई भी निश्चित नियम नहीं थे क्योंकि कुछ को वे 20 या 30 रुपए देते थे और कुछ को 40, 50 या 100 रुपये।[16] ऐसा प्रतीत होता है कि साधारणतः सैनिकों को स्वयं अपने घोड़े लाने पड़ते थे। इस प्रकार एक व्यक्ति जिसके पास दो घोड़े (दो अस्पा) होते थे उस उस व्यक्ति से जिसके पास एक घोड़ा (यक अस्पा) होता था कहीं अपेक्षा अधिक वेतन दिया जाता था।[17] जहाँ तक वास्तविक वेतन मान का प्रश्न है उसका अनुमान हम

इस बात से लगा सकते हैं कि 1680 मे तहव्वुर खाँ अपने तूरानी सनिको को अधिक वेतन देने के बारे म प्रसिद्ध था। उनमे स किसी को भी, जसा कि ज्ञात होता है 60 रुपये या 50 रुपय प्रतिमास से कम नही मिलता था, और उनमे से अधिक्तर दो अस्पा सनिक थे।[18] 1685 ई० मे शाही सवा के लिए गुजरात से भर्ती किये यक अस्पाओ को 30 रुपय प्रतिमास से अधिक नही दिया जाता था।[19] सेह्-बन्दियो जिन्हें विशेष कार्यों के लिए किराये पर लिया जाता था और जिनके पास सम्भवत निम्न-स्तरीय घोडे होते थ उनका वतन बहुत ही कम था। 1682 ई० म उन्हे गुजरात मे शहजादा आजम की 'सरकार म स्थानीय सेवा के लिए 15 रुपये प्रतिमास प्रति व्यक्ति के हिसाब स किराये पर लिया था।[20]

वेतन के भुगतान करने का ढग भी एक जसा नही था। हम यह देख चुके हैं कि कभी-कभी कोई अमीर अपनी जागीर का या उसके एक भाग का वितरण अपने सैनिको म कर दिया करता था, और उन्हे लगान वसूल करने तथा उसे अपन पास रखने की अनुमति दे दिया करता था। कुछ उदाहरणो म सनिको को एक एक बारात, या अपने स्वामी की जागीर के कर एकत्र करने वाले अधिकारी के नाम एक हुण्डी दे दी जाती थी और उक्त अधिकारी जमा किय गये लगान मे स उसे रकम का भुगतान कर देता था।[1] चाहे सनिको को सीधे मुख्यालय से ही वेतन मिलता हो तो भी यह उन्हें पूर्ण रूप से सिक्को मे नही मिलता था, और 'उन्ह सदव दो महीने के वेतन के रूप म कपडे तथा परिवार म से पुराने परिधान प्रदान कर दिये जाते थे।

यह एक आम शिकायत थी कि सनिको के वतन सदव बकाया रहते हैं। हम खान ए जहाँ बारहा तथा इफ्तिखार खा जैसे बडे अमीरो को यह स्वीकार करते हुए देखते हैं कि उनके सैनिको के बकाया वेतन के दावे पाच और [redacted] महीने पुराने थ।[3] फ्रायर इस बात का विवरण देता है कि किस प्रकार जुन्नार म चाद की पहली तारीख के दिन सनिक इकट्ठा होकर गवनर के मकान पर सलाम करन और उस यह याद दिलाने के लिए कि उनका 14 महीने का वेतन बकाया है उपस्थित हुए।[4] मनूची के विवरण से ऐसा विदित होता है जसे यह एक साधारण नियम था कि (सनिको) का दो या तीन वर्षों की सवा का वतन बकाया रखा जाये।' यदि अपने बकाया वेतन के बल पर सनिक सर्राफा से उधार ले लेते थे तो ब्याज द्वारा सर्राफो क लाभ मे सनानायक या अधिकारी अपना हिस्सा लेते थे।[5] और वास्तव म हाजिरी लन वाले अधिकारी इस बात की आशा करत थ कि सनिका की दयनीय दशा उन्ह बकाया वतन का आधा भाग छोड देने पर विवश कर दगी।[6]

सनिका के साथ अमीरो का व्यवहार निस्सदेह एक सा नही था। तहव्वुर

खाँ द्वारा अपने तूरानी सनिकों के प्रति विशेष कृपापूर्ण व्यवहार के निम्नलिखित उद्धरण से, एक अपवाद द्वारा जो नियम सिद्ध करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि उन सनिकों से क्या आशा की जाती थी।

'उक्त खान का इस वर्ग के प्रति व्यवहार भ्रातृ-तुल्य है और इन व्यक्तियों द्वारा उसे बहुत-सी बातों में नीचा देखना पड़ता है। न वह अपनी चौकी पर गश्त लगाने के लिए न ही अपने दरबार में उनकी उपस्थिति (हाजिरी) के लिए, और न ही अनुपस्थिति (वजा ए गैर हाजिरी) पर उन्हें अर्थदण्ड देने के लिए बाध्य करता है।'[7]

सार्वजनिक कल्याण-कार्य एवं धर्मार्थ

देश के अतिरिक्त उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग अमीर वर्ग हस्तगत कर लेते थे और यह ज्ञात करना बहुत ही रोचक बात होगी कि वे इसमें से कितना शासित वर्ग के हितों पर व्यय करते थे। यद्यपि यह मालूम नहीं किया जा सकता कि वे इन कार्यों पर कितना धन व्यय करते थे, किन्तु फिर भी सार्वजनिक कल्याण कार्यों के सम्बन्ध में उनके विचारों के सम्बन्ध में कुछ तो कहा ही जा सकता है।

एक औसत अमीर के अत्यधिक उपयुक्त कल्याण-कार्यों के विचारों का एक उदाहरण औरंगजेब के शासनकाल के प्रारम्भिक भाग में बख्तावर खाँ द्वारा सार्वजनिक उपयोग में लायी जाने वाली अनेक इमारतों के निर्माण में मिलता है। सूची में सर्वप्रथम एक सराय का नाम आता है जो उसने शाहजहाँनाबाद के निकट बनवायी तथा उसका नाम बख्तावरनगर रखा। उसमें यात्रियों के लिए जो अपने परिवारों के साथ ठहरने के लिए आते थे, पृथक् पृथक् कमरे थे। उसके निकट उसने एक मस्जिद बनवायी जिसके एक तरफ एक पक्का कुआ और दूसरी तरफ एक स्नानागार था, और दोनों ही सार्वजनिक उपयोग के लिए थे। यहीं उसने दुकानों सहित एक बाज़ार (कटरा) स्थापित किया। सराय के निकट उसने एक उद्यान लगवाया जिसके उत्तर में उसने एक सीढ़ीदार तालाब बनवाया। सराय से 1/2 करोह की दूरी पर स्थित पहाड़ी से एक सोता बहता था। उसने इस सोते पर एक बाँध बनवाया ताकि प्यासों के लिए एक तालाब तथा प्रकृति प्रेमियों के लिए एक झरना बनवाया जा सके। यहाँ से सोते का पानी एक नहर द्वारा उद्यान के तालाब में ले जाया जाता था। उसने बख्तावरनगर तथा फ़रीदाबाद के मध्य बरसाती नदी पर एक पुल भी बनवाया। कोटा के निकट बख्तावरपुरा में उसने एक मस्जिद और तालाब तथा गरीबों के रहने के लिए एक मकान भी बनवाया। उसने इन इमारतों की व्यवस्था के लिए किराये पर देने के लिए कोठरियाँ एवं सहन भी बनवाये। शाहजहाँनाबाद के

निकट प्रसिद्ध शाह नहर पुरानी पश्चिमी जमुना नहर के ऊपर एक पुल बनवाया और एक मस्जिद बनवायी। उसने दो सार्वजनिक उद्यान, एक अधराबाद और दूसरा लाहौर में, बनवाये। अन्त में, उसने शेख नासिरुद्दीन चिराग के मकबरे के निकट एक मस्जिद बनवायी।[8] इस सूची से प्रतीत होता है कि बख्तावर खाँ की दृष्टि में सार्वजनिक हित की इमारतों में सरायें, पुल, तालाब, उद्यान तथा मस्जिदें थीं। यह आश्चर्यजनक बात है कि यद्यपि उसका कार्य धर्मवक्ताओं का औरंगजेब से परिचय कराना था, किन्तु उसने कोई मदरसा या धार्मिक विद्यालय स्थापित नहीं किया। इस प्रकार जो कुछ भी हम अन्य अमीरों द्वारा सार्वजनिक हित की दिशा में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में सुनते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक हित के सम्बन्ध में उस समय की धारणाओं के अनुसार बख्तावर खाँ ने सभी सम्भावनाएँ पूरी कीं। शायस्ता खाँ अपनी सरायों और पुलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जो उसने लाखों रुपये खर्च कर देश भर में बनवाये।[9] मीर जुमला ने हैदराबाद में एक बड़ा तालाब बनवाया और एक उद्यान लगवाया।[10] मीर खलील ने नारनौल में खलील सागर नामक एक बड़ा तालाब बनवाया।[11] इरिज खाँ ने इलिचपुर के निकट एक सराय बनवायी[*] इत्यादि। अमीरों ने जो मस्जिदें बनवायीं उनकी संख्या अत्यधिक थी। गाजीउद्दीन खाँ के लिए कहा जाता है कि उसने दिल्ली में एक खानकाह बनवायी।[13]

कभी-कभी अमीरों ने बड़े-बड़े निःशुल्क भोजनालय भी खोले। 1660 में जब उत्तरी भारत में भीषण अकाल पड़ा तो औरंगजेब ने 1000 व उसके ऊपर के सभी मनसबदारों को निःशुल्क भोजनालय खोलने का आदेश दिया।[14] इस प्रकार के सार्वजनिक कल्याण-कार्यों द्वारा जो दुःख दूर हुआ उसका महत्त्व कम नहीं समझना चाहिए, फिर भी यह स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य बहुत ही सीमित था। विषम एवं तत्कालीन विपदा में सहायता प्रदान करना, यात्रियों के लिए सुविधा एवं राहत, पीने के पानी की व्यवस्था, पूजा करने के लिए स्थानों का निर्माण करना आदि—यह सब कार्य उच्च वर्ग की आत्मा की सन्तुष्टि करने के लिए पर्याप्त थे। सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल एवं विद्यालय अमीर वर्ग की सीमा के बाहर की बातें थीं।

मुगल अमीर वर्ग साहित्य एवं कला के प्रति किसी भी भाँति उदासीन नहीं था। अनेक अमीरों ने कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान कर रखा था और उनमें से अनेक तो स्वयं भी अच्छे विद्वान और कवि थे। उनमें केवल इस विचारधारा का अभाव था कि साहित्य एवं कला का विकास एवं उन्नति केवल सार्वजनिक संस्थाओं अर्थात् विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा अधिक अच्छी प्रकार हो सकती थी। परिणामस्वरूप अमीरों ने कला और साहित्य को, संस्थाओं की स्थापना एवं व्यवस्था द्वारा उतना संरक्षण प्रदान

नहीं किया जितना व्यक्तिगत विद्वानों, हकीमों, कवियों और कलाकारों की सहायता करके तथा उन्हें अपनी सेवा में लेकर किया। इस क्षेत्र में अनेक अमीरों ने संरक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त की।[35] कुछ अमीर तो विज्ञान एवं कीमिया में भी रुचि रखते थे। इस सम्बन्ध में दानिशमन्द खाँ का उदाहरण सर्वप्रथम है। उसने चिकित्साशास्त्र के नये सिद्धान्तों के सम्बन्ध में वाद विवाद करने के लिए बर्नियर को अपनी सेवा में भर्ती किया।[36] अमीरों में अनेक स्वयं अच्छे विद्वान एवं कवि थे।[37] इस प्रकार मुगल अमीर-वर्ग किसी भी तरह से न तो असभ्य था और न ही बौद्धिक क्रिया कलापों से परे। उसमें कमी केवल इतनी ही थी कि उसमें विज्ञान तथा शिक्षा को बढ़ावा देने की तनिक भी इच्छा न थी, जो केवल नैष्ठिक संस्थाओं की स्थापना द्वारा ही हो सकती थी।

हरम एवं कुटुम्ब

अमीर "पत्नियों, नौकरों, ऊँट एवं घोड़ों के बड़े प्रतिष्ठान" रखते थे।[38] कुटुम्ब, जिसका मुख्य भाग हरम होता था, अवश्य ही अमीरों की आय का मुख्य भाग चूस लिया करता होगा।

नियमतः एक अमीर की तीन या चार पत्नियां, जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पुत्रियाँ होती थीं, हुआ करती थीं। सभी स्त्रियाँ अमीर के महल में एक हवेली में जो ऊंची दीवारों से चारों ओर घिरी होती थी, साथ साथ रहती थीं। प्रत्येक पत्नी का पृथक कक्ष हुआ करता था और उसके अनेक निजी दास—10 20 या 100, उसके भाग्यानुसार हुआ करते थे।[39] दासों का विशाल परिजन वर्ग—दासियों और हिजड़ों—को मुख्यतः इसलिए रखा जाता था कि अभिजात वर्ग की स्त्रियाँ पर्दे में रहें और बाहरी लोगों की दृष्टि उन पर न पड़ सके। अमीरों की पत्नियों के ऊपर अनेक गुप्तचरों—'बिना दाँत की बूढ़ी औरतों और बिना दाढ़ी के हिजड़ों" पर फ्रायर टिप्पणी करता है, और कहता है कि, 'वे उन स्त्रियों को आवश्यकता की वस्तुएँ जैसे—भोजन, पानी, बोतल आदि देने के लिए तथा गैर कानूनी घुसपैठियों को रोकने के लिए द्वार पर उपस्थित रहा करते थे।'[40]

महल के अन्दर भोग विलास का बोलबाला था। महल की चहारदीवारी के भीतर ही तालाब और उद्यान हुआ करते थे।[41] मुगल उद्यानों की प्रसिद्धि ठीक ही है। बहते हुए पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए तालाबों को भरने तथा झरनों के लिए पानी की व्यवस्था को बनाये रखने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया जाता था।[42] एक अमीर के हरम के भीतरी-जीवन का मनूची ने, जो असद खाँ की पत्नी नवल बाई का विश्वास-पात्र होने का दावा करता है, इस प्रकार विवरण दिया है—

'स्त्रियाँ विविध प्रकार के भोजन द्वारा अपना मनोरंजन करना पसन्द करती हैं, स्वयं को शान से सजाने के लिए कपड़े या आभूषण मोती आदि पहनती हैं, तथा अपने शरीर को सुगंधित करने के लिए नाना प्रकार की सुगन्धित वस्तुएं एवं इत्रों का प्रयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें नृत्य एवं प्रहसन द्वारा अपना मनोरंजन करने प्रेम कथाएँ और कहानियाँ सुनने, फूलों की शय्या पर विश्राम करने, बहते हुए पानी की मधुर ध्वनि सुनने, संगीत सुनने तथा अन्य इसी प्रकार के आमोद प्रमोद की पूर्ण अनुमति थी।'[43] मदिरा भी चलती थी, "सन्ध्या की ठण्डक में वे अत्यधिक मदिरापान करती हैं, स्त्रियाँ अपने पतियों से शीघ्र ही यह आदत सीख लेती हैं। सन्ध्या समय अमीर स्वयं हरम में अर्ध रात्रि तक पीने तथा संगीत एवं नृत्य से आनन्द उठाने के लिए आ जाता था।[44]

चूंकि अमीरों का विलासी जीवन और उनके उद्यान ऊंची-ऊँची दीवारों के पीछे छुपे रहते थे, अतएव बर्नियर की यह शिकायत सही प्रतीत होती है कि फ्रान्स की भाँति भारत में कोई भी व्यक्ति अमीरों के घरों को न देख सकता है और न ही आनन्द उठा सकता है।[45] परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मुग़ल अमीर अपने हरम, उद्यानों और घरेलू भोग विलास की वस्तुओं पर कम व्यय करते हों। उदाहरणार्थ भीमसेन के अनुसार अमानत खाँ, जो केवल 700 का ही मनसबदार था, ने फाजिलपुर (बुरहानपुर) में एक बहुत ही बड़ी एवं शानदार हवेली बनवायी जिसमें मिला हुआ एक उद्यान था तथा हवेली के अन्दर अनेक तालाब थे जिनमें एक नहर से पानी आता था।[46]

स्त्रियों के अतिरिक्त अमीरों के पास पालतू जानवर भी होते थे। उदाहरणार्थ दाऊद खाँ प्रतिवर्ष 2,50 000 रुपये अपने पालतू जानवरों जिसमें शेर चीता और बाज़ सम्मिलित थे पर व्यय करता था।[47]

अपने घरों के बाहर भी अमीर अपनी शान शौकत बनाये रखते थे। बर्नियर के अनुसार वे कभी भी अपने ड्योढ़ी से बाहर बिना सर्वोत्तम वेष भूषा के नहीं दिखायी देते हैं कभी वे हाथी पर सवार होकर चलते कभी घोड़े पर और अक्सर पालकी पर और उनके साथ साथ उनके घुड़सवार पदाति, उनके सेवकों का दल, जो या तो अपने स्वामी के आगे या उसके दाहिने या बायीं ओर, न केवल रास्ता साफ करने के लिए वरन मोर पंखों से मक्खियों को उड़ाने और धूल साफ करने के लिए खरका एवं पीकदान तथा अमीर की प्यास बुझाने के लिए पानी लेकर और कभी-कभी बही तथा अन्य कागजों को लेकर साथ साथ चला करते हैं।[48]

अमीर-वर्ग मे वित्तीय संकट

औरंगजेब के शासनकाल ने जागीरदारी प्रथा म बढ़ते हुए संकट को देखा और इसका अमीरो की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। मुगल अमीर-वर्ग के फिजूलखर्ची के सम्बन्ध मे बहुश चर्चा की जा चुकी है। बर्नियर ने देखा कि 'यहाँ बहुत ही कम धनाढ्य अमीर हैं इसके विपरीत, उनमे से अनेक उलझी हुई स्थिति में हैं और अत्यधिक ऋणी हैं। उसने सोचा कि ऐसा केवल उनके बड़े प्रतिष्ठानो और बहुमूल्य उपहार जो उन्हें सम्राट को देने पड़ते थे के कारण था।[49] शासनकाल के अन्तिम वर्षों म भीमसेन ने अमीरो की गहन आर्थिक कठिनाइयों की चर्चा की है, किन्तु उसने आर्थिक कठिनाइया के कारण कुछ और ही बतलाये। काश्तकारो ने खेती करना बन्द कर दिया था और इसलिए एक भी दाने का सिवाय जागीरदार के पास नही पहुँचता था। इसके अतिरिक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नही किया जा सकता था, क्योंकि जागीरदारो को जल्द स्थानान्तरित कर दिया जाता था। साथ ही साथ विभिन्न कारणो एवं बहानो से सरकारी मुदियो ने सभी प्रकार की मदो के अन्तर्गत अर्थदण्ड, कर्ज के पुनर्भुगतान आदि के लिए अमीरो के सम्मुख दावे (मुतालिबा) प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया था।[50] इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है कि दक्खन के युद्धो ने, विशाल क्षेत्रो का विध्वंस करके, सैनिक भार को और बढ़ा कर अनेक अमीरो को बर्बाद कर दिया था। उदाहरणार्थ इनायत उल्लाह खाँ जैसे अमीर ने दरबार मे भेजी गयी एक अर्जी मे इस बात की प्रार्थना की कि उसके सभी हाथी और ऊँट मर चुके थे तथा साहूकारा के लिए जमानत के लिए उसके पास कुछ भी नही था जिससे कि वे उसे कर्ज दे सकें।[51]

अन्तिम वर्षों के अखबारात अमीरो की शिकायतो से भरे पड़े हैं कि वे निर्धन हो चुके थे और उन्हें राजकोष से सहायता की आवश्यकता थी।[52] ऐसे अमीरो की संख्या बहुत ही अधिक थी जो दक्खन छोड़कर उत्तर आना चाहते थे[53] और ऐसे अनेक दक्खनी अमीर थे जो मराठो से जाकर मिल गये थे।[54]

अमीर-वर्ग पर यह आर्थिक दबाव, मुगल साम्राज्य के बढ़ते हुए गहन आर्थिक संकट का सहज परिणाम था जो 17वीं शताब्दी के अन्तिम चरण मे दृष्टिगोचर हुआ। इस संकट का बोझ सम्भवतः अमीर-वर्ग के निम्नतर भाग पर पड़ा किन्तु उच्च वर्ग भी इसके प्रभाव से पूर्णतः बच न सका। कुछ भी हो पहली मद जिस पर इस आर्थिक संकट का प्रभाव पड़ा वह अमीरो की विलासी वस्तुएँ नहीं, वरन उनकी सैनिक टुकड़ियाँ थी। इस प्रकार की अदूर-दर्शिता, ऐसे वर्ग मे जो मानो गौरव म डूबा हुआ था अवश्यम्भावी थी, इस

कारण ही साम्राज्य की सनिक कमजोरी म वद्धि हुई। सम्भवत, भीमसेन इस बात मे बहुत गलत नही है, जब वह मुगल सनानायको द्वारा वाछनीय सनिक टुकडियाँ न रखने के कारण को मराठा की सफलता का प्रथम कारण बतलाता है।[85] इसके कारण साम्राज्य का अत्यधिक हानि हुई और अमीरा की आय मे और भी कमी हो गयी। और इस प्रकार एक दुश्चक्र चलता रहा जो सम्पूर्ण अमीर वग को उस समय तक अपनी लपट म लेता रहा जब तक कि अमीर उनके हरम और हिजडे हाथी और नर सभी कुछ लुप्त न हो गये।

सदभ

1 अध्याय 2 देखिये।

2 इस अर्थ म सरकार शब्द के प्रयोग के लिए देखिये—मीरात-अल इस्तिलाह् पृ० 92 ब मासीर-ए रहीमी III प 857 निगारनामा-ए-मुशी अल-सत (मुअज्जम की 'सर कार' के लिए प्रयुक्त) द इगलिश फक्ट्रीज 1618 21 पृ० 200।

3 पैलसट पृ० 55।

4 मनूची III पृ० 416 परन्तु जाफर खाँ ने आदेश दिया कि पूरी रकम चुकता कर दी जाये।

5 सूरतसिंह तजकिरा-ए-पीर हस्सू तेली रचना सन् 1057 हिजरी पाण्डुलिपि (सम्भवत हस्तलिपि) अलीगढ मस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग की लाइब्रेरी में सरक्षित।

6 देखिये— अखबारात 28 रमजान 47वाँ राजकीय वष शरबियत खाँ की जागीर से 12 000 रुपया हुण्डी द्वारा बुरहानपुर भजा गया। निगारनामा-ए-मुशी प० 29 30 38 भी देखिये।

7 अध्याय 2 देखिये।

8 उद्धरित—बाबरनामा II अन० बवरिज प० 470 (तेहू-बन्दी को बिना हिन्दी के रूप म गलत पढा गया) निगारनामा-ए मशी प 93।

9 उद्धरित—असद बग कजवीनी क मेमॉयस प० 4 अ वाक़या-ए-अजमेर पृ० 91।

10 मनूची II प० 378 III प 409।

11 दिलकुशा प 140 अ 141 ब य तीन राजपूत सरदार—राव दलपत बुन्देला रामसिंह हाडा और जयसिंह सवाई थ।

12 देखिये—वाक्या-ए अजमर प० 355 56 अखबारात 5 जमादि-उल अव्वल 45वाँ राजकीय वष।

13 ख लासात उस सियक प० 54 ब अजर 86 प० 14 व।

14 मनूची II प 375।

15 वाक्या-ए-अजमेर प० 355 56 बहादुर खाँ की सनिक टुकडी मे केवल अफगान और राजपूत हो थ (मासूरी प 145 ब)।

16 मनूची II पृ० 378 79।

17 जब 1658 ई० में सरकार ने सैनिक सेवा के लिए गुजरात से सवार भर्ती किये तो उन सैनिकों का जिनके पास दो या तीन घोड़े (दो अस्पा-सेह अस्पा) थे उनके लिए औसतन 60 रुपये प्रतिमाह वेतन स्वीकृत किया एक अस्पा को 30 रुपया प्रतिमाह मिलता था (मीरात-ए-अहमदी, I प० 315)।

18 वाक़या-ए-अजमेर प० 355।

19 मीरात-ए-अहमदी I पृ० 316। भीमसेन के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में दक्खन में चीज़ें इतनी सस्ती थीं कि एक सवार का वेतन 15 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होता था।

20 मीरात-ए-अहमदी I प० 306।

21 निगारनामा-ए-मुंशी पृ० 73।

22 मनूची II प० 378-79।

23 अख़बारात-ए-मुज़फ़्फ़र खाँ प० 37 अ-ब वाक़या-ए अजमेर, प० 91 105 अख़बारात 9 रमज़ान 38वाँ राजकीय वर्ष।

24 फ़ायर, I प० 341।

25 मनूची I पृ० 378-79।

26 फ़ायर पूर्वोद्धृत।

27 वाक़या-ए-अजमेर पृ० 355-56।

28 मीरात अल आलम प० 252 अ 253 ब।

29 मआसीर-ए आलमगीरी पृ० 233।

30 मआसीर अल-उमरा III पृ० 530 55।

31 वही I पृ० 785-92।

32. वही I पृ० 268-72।

33 मआसीर-अल-उमरा, II पृ० 878।

34 आलमगीरनामा प० 611 शायस्ता खाँ द्वारा नि शुल्क भोजनालयों को खोलने के बारे में 'फ़तिहा-ए इब्रिया' प० 132 अ देखिये।

35 ऐतिक़ाद खाँ ग़रीबों एवं विद्वानों दोनों से ही प्रेम करता था (मआसीर अल उमरा I पृ० 232 34)। सीदी मिफ़्ताह विद्वानों को बहुत चाहता था वह उनकी सहायता करता तथा योग्य व्यक्तियों पर धन खर्च करता था। उसने अरब से अनेक अमूल्य पुस्तकें एकत्र की थीं (वही पृ० 579-83)। अमीर खाँ ने फ़ारस के अनेक विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को काफ़ी धन भेजा (वही III प० 946-69)। महम्मद सईद सरमद का बहुत ही बड़ा संरक्षक था (वही I प० 272)। जुल्फ़िकार खाँ ने नासिर अली को जो अपने काल का बहुत ही अच्छा कवि था संरक्षण दिया (मआसीर अल किराम II पृ० 130)। हुसैन अली खाँ ने अपने युग के एक कवि अब्दुल जलील को संरक्षण दिया (वही पृ० 276) तुलनीय—फ़ायर I प० 333-34 मआसीर-अल-किराम प० 95।

36 बर्नियर पृ० 324-25 352 53 'तुहफ़ात-ए हिन्द' की रचना कोकलताश के आदेशानुसार हुई रिउ ब्रिटिश म्यूज़ियम कैटलॉग I पृ० 62।

37 विद्वानों में स्वयं दानिश मन्द खाँ था (मीरात अल आलम प० 222 ब) ईरान बड़ा 'रसा' जो कुछ समय के लिए आगरा का गवर्नर था एक प्रसिद्ध कवि था और वह अलंकारिक गद्य में पत्रों का एक संग्रह छोड़ गया है (रिउ III पृ० 985-86)। बोध

सुनाम मुस्तफा (औरंगजेब का एक मनसबदार)को चिकित्साशास्त्र ज्योतिषशास्त्र सुलेख कला काव्य आदि का उत्तम ज्ञान था (मआसिर उल उमरा II पृ० 74-75)। कश्मीर का गवर्नर जफर खाँ का एक 'दीवान' उपलब्ध है (वही II पृ० 95-96)। मिर्जा मुहम्मद ताहिर जो 1 500 का मनसबदार था ने शाहजहाँ के राज्यकाल का इतिहास लिखा और एक 'दीवान' की रचना की (वही II पृ 96 97 107 108)।

व्यक्तिगत अमीरों की बौद्धिक उपलब्धियों की निम्नलिखित सूचना 'मआसीर उल-उमरा' से ली गयी है—

हिम्मत खाँ एक बहुत ही अच्छा कवि तथा हिन्दी का विद्वान था (III पृ० 946-49) इस्लाम खाँ का काव्य की तरफ झुकाव था (I पृ 217 20) मुहम्मद अशरफ (3 000/500) की रहस्यवाद म रुचि थी और उसने मौलाना जलालउद्दीन की मसनवी म से एक संग्रह तैयार किया। वह शिकस्ता नस्तालिक तथा नस्ख लिपियाँ अच्छी तरह से लिखना जानता था (I पृ० 272 74) हिसामुद्दीन (2 500/1,500) प्रत्येक विज्ञान से परिचित था और उसका काव्य की ओर झुकाव था (I पृ० 584-87) मुस्तफा खाँ को पारम्परिक साहित्य का अच्छा ज्ञान था तथा उसका काव्य की ओर झुकाव था (III पृ० 500-503)। 'वाकेयात-ए आलमगीर' का रचयिता आकिल खाँ राजी एक उच्च मनसबदार था और एक अच्छा कवि था (II पृ० 821 23) दियानत खाँ की विद्या म रुचि थी (II पृ० 59-63) मुल्ताफत खाँ आलमगीरशाही (4 000/3 000) एक अच्छा कवि था और उसने एक 'दीवान' की रचना की (I पृ 229-32)। मुतावी खाँ तर्कशास्त्र का अग्रणीय विद्वान था (III पृ० 633 36) सफ खाँ (2 500/1,500) का काव्य की ओर झुकाव था उसे संगीत तथा राग मे रुचि थी और उसने 'राग-दर्पण' नामक ग्रन्थ की रचना की(II पृ० 479-85) और खलील (5 000/4 000) को प्रत्येक विद्या का ज्ञान था और वह अपनी सुलेख-कला के लिए प्रसिद्ध था। वह संगीत म भी दक्ष था (I पृ० 785-92)।

38 बर्नियर पृ० 213।

39 पेलसर्ट पृ० 64 65 पेलसर्ट ने जहाँगीर के समय म लिखा किन्तु उसका विवरण औरंगजेब के काल के लिए भी सत्य माना जा सकता है।

40 अतहर I पृ० 328 यहाँ तक कि एक हकीम को बहुत ही सावधानी के पश्चात हरम म प्रवेश करने दिया जाता था और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि वह वहाँ किसी को देख न ले (मनूची II 352)।

41 पेलसर्ट पृ 64 बर्नियर पृ० 243 246-47।

42 देखिये—उदाहरणार्थ मीरात अल आलम पृ 252 व 253 अ विलियम स्टुअर्ट की 'गार्डन्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स' एक बहुत ही सुन्दर पुस्तक है जो मुख्यत स्वत अवलोकन पर आधारित है।

43 मनूची II पृ० 352 53।

44 पेलसर्ट पृ 65 तुलनीय—मनूची III पृ 351।

45 बर्नियर पृ० 233।

46. दिलकुशा पृ 27 अ।

47 मनूची IV पृ० 255।

48 बर्नियर पृ 213-14।

49 वही पृ० 213।

50 दिलकुशा पृ० 139 ब 141 अ।

51 अखबारात, 4 जमादि-उस-सानी, 46वाँ राजकीय वर्ष।

52 उदाहरण के लिए देखिये—अखबारात 14 सफर 44वाँ राजकीय वर्ष।

53 अखबारात 27 शव्वाल 38वाँ राजकीय वर्ष 4 जिलहिज 39वाँ राजकीय वर्ष 13 जिलहिज 39वाँ राजकीय वर्ष।

54 दिलकुशा पृ० 140 ब 155 अ।

55 वही पृ० 139 अ-ब।

उपसहार

शाहजहाँ के समय के मुगल-साम्राज्य के चरमोत्कर्ष से लेकर 18वीं शताब्दी म उसके विघटन के बीच औरगजेब का राज्यकाल अवस्थातर काल था। औरगजेब की आँखें बन्द होने से अनेक वर्षों पूर्व ही विघटन के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे थे। दक्खन म असफलता मराठो की बढ़ती हुई शक्ति साम्राज्य म विभिन्न तत्वो के विद्रोही एव हठी स्वभाव—सभी भविष्य के लिए अशुभ सन्देश थे।

अमीर-वग का अध्ययन करने का जो प्रयास पूव-पृष्ठो म किया गया है उसका अवलोकन साम्राज्य की इस सकटमयी स्थिति की पृष्ठभूमि म साथ-साथ अमीर वग म विघटन की ओर ले जाने वाली निहित प्रवत्तियो का ध्यान मे रखकर करना चाहिए।

औरगजेबकालीन अमीर वग के इतिहास का अध्ययन दो स्पष्ट प्रभित भागो म करना चाहिए—प्रथम उसके सिहासन पर बठने से लेकर 1678 तक और द्वितीय 1679 से लेकर 1707 म उसकी मृत्यु तक। राजपूत-युद्ध के प्रारम्भ होने और उसके पश्चात औरगजेब के दक्खन मे फँसने से पूव मनसबदारो की सख्या म न तो कोई विशेष वद्धि हुई और न ही अकबर के समय से चले आ रहे अमीर वग के जातीय एव धार्मिक गठन म कोई परिवतन हुआ। इस काल म विदेशी अमीर वग—अर्थात वे अमीर जो स्वय भारत आये थे और वे जिनका जन्म तो भारत ही म हुआ था किन्तु जो बाहर से भारत म आने वाले परिवारो से सम्बन्धित थे—प्रमुख स्थान ग्रहण किये रहा। इनमे ईरानियो की सख्या तूरानियो की अपेक्षा अधिक थी। प्रारम्भ म राजपूतो को बडी सख्या म पद प्रदान किये गये किन्तु 1678 के करीब तक उन्हे कुछ धक्का पहुचा और 1 000 व उसके ऊपर के मनसब वाले अमीरो म उनका अनुपात जो शाहजहाँ के अन्तगत 18 07 प्रतिशत था उससे घटकर 1658 78 के काल मे 14 6 प्रतिशत रह गया। लगभग इसी काल म औरगजेब ने अपने पूवजो की अपेक्षा, अफगानो को अधिक प्राथमिकता देनी प्रारम्भ की। खानजादो या उन अमीरो जिनके पिता या अन्य निकटतम सम्बन्धी शाही सेवा म थे के अधिक सख्या म होने के कारण औरगजेब के अमीर वग की स्थिरता दृष्टिगोचर होती है। इस काल (1658 78) म औरगजेब के अमीरो म से लगभग आधे इस श्रेणी के थे,

और यदि कुछ अमीरो के सम्बन्ध म अधिक सूचनाएँ प्राप्त हो जायें, तो उनका वास्तविक अनुपात सम्भवत और अधिक हो सकता है। फिर भी, यह महत्त्व पूर्ण बात है कि नवागन्तुक भी अधिक अनुपात मे अमीर वग मे उच्च मनसब प्राप्त करने मे सफल हो सके।

मनसबदारी प्रथा के अध्ययन से यह पता चलता है कि पूवकालो की तुलना म, प्रत्यक्षत दाग के नियमो को लागू करने, अर्थात सवार पद के अनुसार मनसबदारो को सनिक टुकडिया रखने के लिए बाध्य करने म ढिलाई नही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि औरगजेब ने मनसबदारी प्रथा के नियमो या वेतन मानो मे कोई विशेष परिवतन नही किया। उसने उनका, जस वे उसके पिता के समय म थे अक्षरश पालन करन की चप्टा की। सनिक उत्तरदायित्व को कम करना और वेतनमान का घटाना—दोनो ही बातें उसने शाहजहा स विरासत मे प्राप्त की। औरगजेब न राजसात प्रथा को भी लागू रखा यद्यपि कुछ सयम के साथ। ऐसा कहा जाता है कि उसने दिवगत अमीरो की सम्पत्ति को अपहरण करने या उस बेचने के शाही अधिकार, जिस पर पहल बल दिया जाता था, का उन्मूलन कर दिया था, किन्तु वस्तुत ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जहाँ उसने उनकी सम्पत्ति को अधिकृत कर लेन के लिए आदेश दिये। इस प्रकार यह विश्वास करने के लिए कोई भी कारण नही है कि दक्खन की ओर कूच करन से पूव औरगजेब की अमीरो के ऊपर प्रभुता को किसी प्रकार स हानि पहुँच चुकी थी या मनसबदारो को अब कठोरतापूवक उत्तरदायित्व सौंपे नही जाते थे।

इसी प्रकार औरगजेब के दक्खन मे उलझने स पूव तक जागीर नियत करने की प्रथा भली भाति काम करती रही तथा आवधिक स्थानान्तरणो का सिद्धान्त, जो अमीरो के स्थानीय सम्बन्धो को बनान तथा स्वतन्त्र शक्तियो के रूप मे उभारने से रोकने के लिए था, का भी पालन औरगजेब के शासनकाल म दृढतापूवक निरन्तर होता रहा।

अन्त मे अमीर वग के विभिन्न वर्गों के प्रति औरगजेब की नीति यद्यपि उसके पूवजो की नीति स यत्र-तत्र भिन्न होती रही स्वय म अनियन्त्रित नही थी। ऐसा कहा जाता है कि राजपूत-युद्ध कुछ सीमा तक राजपूतो के विरुद्ध भेद भाव की नीति का परिणाम था, किन्तु अधिकाश राजपूत मनसबदार शाही सेवा स पृथक नही हुए। न ही औरगजेब ने सुनिश्चित दलो एव गुटो को सहन किया और न ही उसके अन्तिम समय तक जब गाजीउद्दीन खाँ और जुल्फिकार खाँ दो विभिन्न गुटो का नतृत्व कर रहे थे किसी भी गुट का उत्कष हो सका।

इस प्रकार दक्खन की ओर प्रस्थान करन स पूव साम्राज्य के मामलो अथवा अमीर-वग के सृजन की प्रकृति मे किसी प्रकार के परिवतन मे सकट का स्रोत ढूँढ सकना सम्भव नही है। परन्तु यह कहना उपयुक्त होगा कि जिस प्रकार

अमीर वर्ग संगठित किया गया था वैसा अमीर-वर्ग समय की गति के साथ साथ, साम्राज्य के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करने को बाध्य था। यह सुझाव दिया गया है कि जागीर स्थानान्तरित करने की प्रथा के कारण जागीरदारों ने अत्याचार करना प्रारम्भ किया और इस अत्याचार के कारण उत्पीडितों ने विद्रोह किये। विचार के लिए हमने इस प्रश्न को यों ही छोड दिया है। यह सत्य है कि प्रशासक एवं सेनानायक के रूप में औरंगजेब के अमीरों को विशेषत उसके अन्तिम वर्षों में, निर्दोष प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। कार्यात्मक प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता के अभाव का कोई सम्बन्ध अनेक अमीरों की प्रशासनिक अयोग्यता से था यह प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं है। किन्तु जो बात हमें निश्चित रूप से मालूम है वह यह है कि अधिकांश अमीर बेईमान और घूसखोर थे और इसमें वे केवल सम्राट का ही अनुकरण कर रहे थे। वे प्राय सौदागरों और किसानों को गैरकानूनी कर देने के लिए बाध्य करने में अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। अमीर-वर्ग के साधन असीम थे, किन्तु यह दावा करना कठिन है कि वे आर्थिक विकास की ओर ले जाने वाले कार्यों में लगे हुए थे। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि अमीरों ने विलासी वस्तुओं और सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साधनों का बहुत ही थोड़ा भाग व्यापार में या कारीगरों को पेशगी देने के लिए 'पूंजी' के रूप में प्रयोग किया गया। इसके विपरीत एकाधिकार स्थापित करने एवं थोक व्यापार में रत होने की आदत व्यापार के लिए गम्भीर रूप से हानिकारक थी। ऐसा कहीं भी ज्ञात नहीं होता है कि उन्होंने विज्ञान तथा उत्पादन के नये तरीकों को बढावा देने के लिए कोई प्रयास किया हो। उनका संरक्षण प्राप्त करने वाले मुख्यत धार्मिक व्यक्ति और कवि थे जो इस लोक में उनकी प्रशंसा करते थे और उस लोक में उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। जब दक्खन में गम्भीर सैनिक संकट उत्पन्न हुआ तो उससे निपटने के लिए साम्राज्य के पास न तो भौतिक और न नैतिक साधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध थे।

राजपूत-युद्ध तथा दीर्घकालीन दक्खन अभियानों का अमीर वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। दक्खन में औरंगजेब की विजय फौज स्टीम रोलर का कार्य न होकर एक मन्द और बोझिल मशीन का कार्य था, जिसे शक्ति प्रदान करने के लिए उसे शत्रु दल के अभित्यागियों को घूस देकर अपनी ओर मिलाना पड़ा। दीर्घकालीन युद्ध के कारण मुगलों के अत्यधिक सैनिक मरे अमीर और अधिक दुर्बल हो गये तथा सम्राट का ध्यान अधिकाधिक दक्खन की ओर आकर्षित हुआ। फलस्वरूप उत्तर भारत का प्रशासन ढीला पड़ गया। दक्खन की अन्तग्रस्तता के कारण दक्खनी अमीरों का मुगल अमीर वर्ग में अत्यधिक संख्या में प्रवेश हुआ। अमीर वर्ग की सांख्यिक शक्ति अत्यधिक बढ गयी, परन्तु

जहाँ दक्खनियों (बीजापुरी, हैदराबादी तथा मराठों) को मुक्तहस्तता से भर्ती किया जा रहा था तथा असाधारण तौर पर उच्च मनसब प्रदान किये जा रहे थे, पुराने वंश के अमीरों की भर्ती एवं पदोन्नति को क्षति पहुंच रही थी। मासूरी खानजादों की दयनीय स्थिति का मोनोग्राफ वर्णन करता है। मराठे जिनकी संख्या एक पीढ़ी पूर्व नगण्य थी, अब राजपूतों से अधिक हो गये थे। बार-बार औरंगजेब और उसके मंत्रियों ने नयी भर्ती को रोकने का प्रयास किया था, किन्तु सैनिक एवं राजनीतिक आवश्यकता के कारण नये लोगों को मनसब प्रदान करना पड़ता रहा। फिर भी एक स्थिति ऐसी आयी जब मनसब तो प्रदान कर दिये जाते थे परन्तु अधिकारियों की अधिकता एवं कोष के आर्थिक संकट के कारण जागीरें नहीं प्रदान की जा सकती थीं क्योंकि जागीरों के नाम पर प्रदान करने को कुछ न बचा था। जब यह दशा आ गयी तथा विभिन्न जागीरदार अपने गड़बड़ी वाले इलाकों में राजस्व वसूल न कर पाये तब अमीर अपने मनसब के अनुसार वांछनीय सैनिक टुकड़ियाँ रखने में असमर्थ हो गये। फलस्वरूप, भीमसेन के अनुसार साम्राज्य की सैन्य शक्ति का ह्रास हुआ जिससे अव्यवस्था तथा विद्रोहों को प्रोत्साहन मिला।

जब अच्छी जागीर के लिए स्पर्धा तीव्र हो गयी तथा साम्राज्य की स्थिरता में विश्वास घट गया, उस समय अमीर वर्ग में गुटबन्दी का बढ़ना अवश्यम्भावी था। गाजीउद्दीन खाँ फीरोजजंग व जुल्फिकार खाँ के गुटों का उभरना ऐसी स्थिति का स्वाभाविक परिणाम था। अमीर-वर्ग में ऐसे गुटों के बढ़ने तथा आपसी विरोध के कारण साम्राज्य की नीति एवं सैनिक उद्यमों की एकता को आघात पहुँचा। इसके अतिरिक्त ऐसा सन्देह किया जाता था, जो सम्भवतः ठीक ही था कि कुछ अमीर अपने लिए स्वतन्त्र या अर्ध-स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखते थे जो औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त खुल कर सामने आया।

इतिहास में नैतिक निर्णय देने के सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिए। परन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि मुगल अमीर वर्ग के स्वयं के दृष्टिकोण से भी न केवल भारत वरन् विश्व की बदलती हुई स्थिति के अनुसार अपने को न बदल पाने में ही इसका सबसे बड़ा दोष था। औरंगजेब द्वारा साम्राज्य का धार्मिक आधार प्रदान करने की चेष्टा इस बात का द्योतक है कि उसने परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया, किन्तु इस नीति की पूर्ण असफलता ने दिखा दिया कि धार्मिक पुनरुद्धारवाद मुगल प्रशासनिक व्यवस्था तथा राजनीतिक दृष्टिकोण की काया पलटने के लिए कोई उपकल्प नहीं हो सकता था।

परिशिष्ट

औरंगज़ेब के 1,000 ज़ात व उससे अधिक के मनसबदारों की सूची

अ—1658-1678 के वे मनसबदार जो 1,000 ज़ात और उससे अधिक के मनसब पर पहुँचे

क्रम संख्या	नाम व उपाधि	उक्तकाल में सर्वोच्च मनसब	जन्मभूमि	वर्ग	उप वर्ग (राजपूत मराठा, अफ़गान ज़मींदार आदि)	सेवा में पिता या अन्य निकटतम सम्बन्धी	स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8

5,000 और उससे अधिक के मनसबदार

3 मिर्जा अबू तालिब शायस्ता खाँ अमीर उल उमरा	7000/7000 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 130, मा० उ० II 690 707 ।
4 मीर मलिक हुसन खान ए जहाँ बहादुर जाफरजंग कोकलताश	7,000/7,000 (6000 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 142, अ० मा० तै० 121 अ, मा० उ० I, 791 813 ।
5 महाराजा जसवन्तसिंह राठौर	7000/7000 (5,000 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	आ० 331 32, मा० उ० III 599 604 ।
6 मीर मुहम्मद सईद मीर जुमला मुअज्जम खाँ, खान ए-खाना सिपहसालार	7000/7000 (5,000 × 2 3 अस्पा)	ईरान	ईरानी	दक्खनी	पिता	आ० 563, मा० उ० III, 530 55 ।
7 खलीलुल्ला खाँ	6000/6,000 (2 3 अस्पा)	ईरान	ईरानी	—	भाई	आ० 119, मा० उ० I, 775 82 ।
8 शाहनवाज खाँ सफवी	6000/6000 (5000 × 2 3 अस्पा)	ईरान	ईरानी	—	पिता	आ० 209 10, मा० उ० II, 670-76 ।
9 उमदत उल मुल्क जाफर खाँ	6000/6000 (4000 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 162, मा० उ० I, 531-35 ।

1	2	3	4	5	6	7	8
10	मिर्ज़ा लहरास्प, महाबत खाँ	6 000/5 000 (3 000 × 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ग्रा० 754, मा० उ० III 590 95 ।
11	राणा राजसिंह	6,000/6 000 (1 000 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	ग्रा० 194, मा० उ० II 206-28 ।
12	सम्भाजी	6 000/6 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० ग्रा० 142, जामी अल इसा, 76 अ ।
13	मुहम्मद अमीन खाँ	6 000/5 000 (1 000 × 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	दक्खनी	पिता	ग्रा० 813 855, मा० ग्रा० 121, मा० उ० III, 613 20 ।
14	मुल्ला अहमद नथा	6 000/6 000	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	ग्रा० 919-20 त० उ० 1076 हि०, मा० उ० III 562 66 ।
15	हुसन पाशा इस्लाम खाँ रूमी	6 000/6 000	तुर्की	तूरानी	—	—	मा० ग्रा० 87 88, टी० यू० ए ।
16	मीर मुज़फ्फर हुसन फिदाई खाँ कोका आज़म खाँ	6 000/4 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ग्रा० 1061, टी० एम० 1089 हि०, टी० यू० अ', मा० उ० I 247 53 ।
17	कंज नायक	6 000/	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी जमीदार	—	दिलकुशा, 59 ब ।

18 सयद अहमद पुत्र सयद मखदूम शरजा खाँ बीजापुरी	6000/	हिंदुस्तान	तूरानी	दक्खनी	—	ब० स० 691 ।
19 शेख़ मीर ख्वाफी	5000/5000 (2 3 अस्पा)	—	ईरानी	—	—	आ० 156-57, मा० उ० II, 668 70 ।
20 मुहम्मद कासिम, कासिम खाँ, मुतमाद खाँ	5000/5000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 1027, मा० उ० III 95 99 ।
21 राजा रामसिंह कछवाहा	5,000/5000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत-ज़मींदार	पिता	अख० 19 रबी उस सानी, 12वाँ रा० वष, म० उ० II, 301 303 ।
22 जमाल खाँ, दिलेर खाँ	5000/5000 (3000× 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	भाई	मा० 1030, मा० उ० II, 42 56 ।
23 मुहम्मद ताहिर, वज़ीर खाँ	5000/5000 (2000× 2 3 अस्पा)	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 880, मा० उ० III, 936 40 ।
24 सयद महमूद, नसीरी खा खान ए दौराँ	5000/5000 (2000× 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० 126, 179, ता० मु० 1077 हि०, मा० उ० I, 782 85 ।
25 सयद मीर ख्वाफी अमीर खाँ	5,000/5000 (1000× 2 3 अस्पा)	—	ईरानी	—	भाई	आ० 661, मा० उ० II, 476-77, टी० यू० स ।

1	2	3	4	5	6	7	8
26	मुहम्मद इब्राहीम, गरत खाँ शुजात खाँ खान ए आलम	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	मा० 117, मा० उ० II, 869 72, टी० यू० 'न'।
27	मयन शाह मुहम्मद मुतज़ा खाँ	5 000/5 000	बुखारा	तूरानी	—	—	मा० 870, ता० मु० 1089 हि० मा० उ० III 597 98।
28	मुहम्मद इब्राहीम समद खाँ	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 880, मा० उ० I, 310-21।
29	यादगार बेग लश्कर खाँ जाँनिसार खाँ	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	—	—	पिता	मा० मा० 105, ता० मु० 1081 हि०, मा० उ० III, 168 71।
30	इब्राहीम खाँ पुत्र अली मर्दान खाँ	5 000/5 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	मा० 426, मा० उ० I, 295- 01।
31	मालोजी दक्खनी	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० 427, मा० उ० III, 520-24।
32.	राजा रायसिंह सिसोदिया	5 000/5 000 (500 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मीदार	पिता	मा० 1033, ता० मु० 1083 हि० मा० उ० II, 297-301।
33	दाऊद खाँ कुरैशी	5 000/4 000 (3 000 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	मा० 1033, मा० उ० II, 32 37।

34	सरफराज खाँ दक्खनी	5 000/4 000 (1 000× 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	सै० डा० औ० 48, मा० उ० II, 469 73।
35	मीर खलील खान ए-ज़मां, मुख्तार खाँ	5 000/4 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	सै० डा० औ० 111, मा० आ० 144, मा० उ० I, 785 92।
36	मिर्ज़ा मुहम्मद मशहदी, मसालत खाँ	5,000/4 000	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 355, मा० उ० I, 222-25।
37	मुकरम खाँ सफवी मुराद काम	5,000/4 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 267, मा० उ० III, 583 86।
38	इखलास खाँ, अबुल मुहम्मद	5,000/4,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान दक्खनी	—	आ० 990, मा० आ० 81, मा० उ० II, 59।
39	ताहिर शेख, ताहिर खाँ	5,000/3 000	बल्ख	तूरानी	—	—	आ० 960 मा० उ० II, 751-54।
40	मुहम्मद बेग, जुल्फिकार खाँ	5 000/3,000	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 157, मा० उ० II, 89 93।
41	मीर ज़ियाउद्दीन हुसन, इस्लाम खाँ	5 000/3 000	—	तूरानी	—	—	आ० 823, मा० उ० I 217 20।
42	अब्दुरहमान, पुत्र नजर मुहम्मद खाँ	5,000/2,500	बल्ख	तूरानी	—	—	आ० 267 341, मा० उ० II, 809 12।
43	मुल्ला शफीक यजदी, दानिशमन्द खाँ	5,000/2 500	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 880, ता० मु० 1081 हि०।

1	2	3	4	5	6	7	8
44	[illegible]	१००० २०० (स)	[illegible]	ईरानी	—	—	मा० 531 मा० उ० III, 524 30।
45	[illegible]	१०००/१००	[illegible]	ईरानी	—	[illegible]	मा० 762 मा० मु० 1082 कि०, मा० उ० I 232 34।
46	[illegible]	१०००/१०० (स०)	तूरानी	तूरानी	—	—	मा० उ० I, 431 44, मा० 1141
47	[illegible]	१०००/४००	—	—	—	—	मा० 856, [illegible] 197 ब, मा० मु० 1077 कि० मा० उ० I, 225।
48	[illegible]	१०००	हिन्दुस्तानी	भारतीय	[illegible]	—	[illegible] 15 ब।
49	[illegible]	१०००	हिन्दुस्तानी	भारतीय	[illegible]	—	[illegible] 63 ब मा० उ० II, 641
50	[illegible]	१०००/	हिन्दुस्तानी	भारतीय	[illegible]	—	मा० 971 मा० उ० III, 577 80 [illegible], 205 ब।
51	[illegible]	१०००/	[illegible]	ईरानी	—	—	[illegible] मा० उ० I, 490-93।

3 000 से 4 500 तक के मनसबदार

52	गाज़ी बीजापुरी, रनदौला खाँ	4 000/4 000 (1,000 × 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	आ० 76, मा० उ० II, 309।
53	यशवन्तराव, करतलब खाँ	4 000/4,000 (1 000 × 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 76, मा० उ० III, 153।
54	रायसिंह राठौर	4 000/4 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	आ० 288, अ० मा० तै० 124 अ, मा० उ० II, 235 36।
55	शाह बेग खाँ	4 000/4 000	—	तूरानी	—	—	आ० 439, अ० मा० तै० 124 अ।
56	शफीउल्ला, तरबियत खाँ बरलास	4,000/4,000	तूरान	तूरानी	—	—	आ० 845, मा० उ० I, 493 98।
57	मीर शम्स उद्दीन, मुख्तार खाँ	4 000/4 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 598, मा० उ० III, 620-23।
58	होशदार खाँ, पुत्र मुल्तफ़ात खाँ	4 000/4 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 47, 833 ता० मु० 1082 हि०, मा० उ० III 943-46।
59	गालिब खाँ बीजापुरी	4 000/4 000	हिंदुस्तान	—	दक्खनी	—	आ० 596, 598, मा० आ० 33, मा० उ० II 685।

1	2	3	4	5	6	7	8
60	मीर मीरान अमीर खाँ पुत्र खलीलुल्ला खाँ यज़्दी	4000/3000 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 139, मा० उ० I, 277 78।
61	मिर्ज़ा जाफ़र, अल्लाहवर्दी खाँ, पुत्र अल्लाहवर्दी खाँ तुर्कमान	4000/3000 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 1056, टी० यू० ए०', मा० उ० I, 229 32, ता० मु० 1079 हि०।
62	इन्द्रमन धंधेरा	4000/3000 (500×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	—	आ० 43 339, मा० उ० II, 265 66।
63	मिर्ज़ा सुल्तान सफ़वी	4000/3000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 880 मा० उ० III, 581 83।
64	क़बद खाँ, मीर आख़ूर	4000/3000	तूरान	तूरानी	—	—	आ० 290 634 मा० उ० III, 99 102, अ० मा० त० 124 अ।
65	नामदार खाँ	4000/3000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 1057, मा० उ० III, 830 33।
66	शेख फ़रीद उर्फ़ इख़्तराम खाँ, एहतिशाम खाँ	4000/3000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	आ० 215 855, मीरात ए आफ़ताबनुमा 537, ता० मु० 1075 हि० मा० उ० I, 220 22, अ० मा० त० 124 ब।

67	मीर मुहम्मद असगर खाँ	4000/3000	हिंदुस्तान	तूरानी	—	—	खाफी खाँ II, 246 मा० उ० I, 274 77।
68	मीर खाँ, पुत्र खलीलुल्लाह खाँ	4000/3000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 917 मा० आ० 82, मा० उ० 781।
69	जादौंराय दक्खनी	4000/2,500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा जमींदार	पितामह	आ० 161।
70	मुल्तफात खाँ आज़म खाँ	4000/2,500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 75, मा० उ० III, 500-503।
71	राव भावसिंह हाडा	4,000/2,500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत-जमींदार	पिता	आ० 267, मा० उ० II, 305 307 अ० मा० तै० 123 ब।
72	रदअन्दाज बेग, शुजाअत खाँ	4000/2,500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 116, कामवार 256 ब, ता० मु० 1084 हि०, मा० उ० II, 679 81, अ० मा० त० 124 ब।
73	ख्वाजा रहमतुल्लाह, सरबुलन्द खाँ	4000/2500	हिंदुस्तान	तूरानी	—	—	मा० आ० 139, मा० उ०, II, 477 79, पा० 304 976।
74	फजुल्ला खाँ	4000/2000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 870, मा० उ० III 28 30।
75	इस्फहान का क्वामुद्दीन खाँ	4,000/2,000	ईरान	ईरानी	—	—	मा० आ० 130, मासूरी 149 ब, मा० उ० III 109 15।

1	2	3	4	5	6	7	8
76	मीर मुहम्मद [illegible] मुकर्रम खाँ	4 000/1,500 (600 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० III, 696 701 अख० 11 रबी-उस सानी, 37वाँ रा० वर्ष ।
77	आबिद खाँ, कुलीज खाँ	4 000/1 500	तूरान	तूरानी	—	—	आ० 1056, मा० उ० III, 120-23 ।
78	दामाजी	4 000/1 300	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	आ० 47 ।
79	दाऊद खाँ पन्नी	4 000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफ़गान दक्खनी	—	मा० उ० II 63-68, स० डा० औ० 171 ।
80	रज़ीउद्दीन मुहम्मद हैदराबादी	4 000/	—	—	दक्खनी	—	से० डा० औ० 25 ।
81	तहव्वुर खाँ पादशाह कुली खाँ	4 000/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अ० मा० स० 123 ब, मा० उ० I, 447 53 ता० मु० 1092 हि० ।
82	कुतुबुद्दीन खाँ खेशगी	3 500/3 500 (2 000 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफ़गान	पिता	आ० 1033, अख० 29 रबी-उस सानी 8वाँ रा० वर्ष मा० उ० III 102 108 दस्तूर अल-अमल ए-शाहजहानी, एड० 6588, 25 अ ।
83	राजरूप, नूरपुर का राजा	3 500/3 500 (500 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	आ० 198, 625, ता० मु० 1072 हि०, मा० उ० II, 277 81 ।

84	राजा अनिरुद्ध गौड	3 500/3 000 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत-जमींदार	पिता	मा० उ० II 276-77 ।
85	राजा सुजानसिंह बुन्देला	3,500/3,000 (500×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	आ० 342, 486, 908, अ० मा० त० 124 ब, मा० उ० II, 291 95 ।
86	फतह रुहेला, फतहजंग खाँ	3,500/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	चाचा	आ० 290, मा० उ० III 22-26 ।
87	सआदत खाँ, पुत्र जफर खाँ	3,500/3 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 195, मा० उ० II, 461-63 ।
88	मीर जियाउद्दीन अली मशहदी, सियादत खाँ	3,500/2 500	—	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 1069 हि०, मा० उ० II, 463 65 ।
89	हसन अली खाँ बहादुर	3,500/2,500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 492, मा० आ० 92, 93, मा० उ० I, 593 99 ।
90	सयद सुल्तान, सलाबत खाँ बारहा, इख्लास खाँ	3,500/2 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	आ० 198, टी० यू० ए', मा० II, 457 60 ।
91	अब्दुर्रहमान बीजापुरी शरजा खाँ	3,500/2,000	हिन्दुस्तान	—	दक्खनी	—	हे० डा० ओ० 70, टी० यू० (एम० एच०) ।
92	मुबारिज खाँ	3,500/2,000	बदख्शाँ	तूरानी	—	पिता	आ० 957, मा० उ० III, 595 97, अ० मा० त० 125 अ ।

1	2	3	4	5	6	7	8
93	मीर अहमद खवाफी, मुस्तफा खाँ	3 500/2 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 490, 1049, मा० उ० III, 516 18 अ० मा० त० 125 अ, इंगलिश फक्ट्रीज, 1661 64, पृ० 103।
94	राव करन भरतिया	3,500/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मीदार	पिता	मा० 855, अ० मा० है० 125 ब, मा० उ० II, 287 91।
95	अब्दुरज्जाक गिलानी इज्जत खाँ	3 500/2 000	—	ईरानी	—	—	मा० उ० II, 475।
96	मीर सुल्तान हुसन इफ्तिखार खाँ पुत्र असालत खा	3 500/1 200	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 158, 880, ता० मु० 1095 हि०, मा० उ० I 252-55।
97	दिलदोस्त सरदार खाँ	3 000/3 000 (2,500 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	आ० 140, 1050 मा० उ० II, 422 23।
98	मीर मुहम्मद इशाक इरादत खाँ	3 000/3 000 (1 000 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 127, मा० उ० I 203 206।
99	गज़फर खाँ, पुत्र अल्लाहवर्दी खाँ तुर्कमान	3 000/3 000 (1 000 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 864, ता० मु० 1077 हि० मा० उ० II, 866-68।

100	मीर मुहम्मद सम्रादत खाँ पुत्र सम्रादत खाँ	3 000/3 000 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 1050 ।
101	इल्हामुल्लाह, रशीद खाँ	3 000/3 000 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० 76, 291, मा० उ० II, 303 305 ।
102	परसोजी दक्खनी	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	भाई	मा० 140, 231, 242 मा० उ० III, 520 24 ।
103	मुहम्मद ताहिर, सफशिकन खाँ	3,000/3,000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 334, 880, मख० 19 रजब, 9वाँ रा० वर्ष, मा० उ० II, 738 40 ।
104	मिर्जा खाँ, पौत्र अब्दुर्रहीम खाँ	3,000/3,000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पितामह	मा० 1033, अ० मा० त० 126 अ ।
105	मिर्जा खाँ मनुचिहर	3 000/3,000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० III, 586-89 ता० मु० 1083 हि० ।
106	मुहम्मद यूसुफ, शमशेर खाँ, नसीर खाँ	3 000/2,500 (1 000× 2 3 अस्पा)	—	—	—	—	मा० 196 1056 ।
107	हयात तारीन, शमशेर खाँ	3,000/2 500 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	मा० 195 647, ता० मु० 1083 हि०, मा० उ० II 677 79 ।

1	2	3	4	5	6	7	8
108	सफ्दीन महमूद, उर्फ फकीरुल्लाह सफ खाँ	3 000/2 500	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	अख० 5 रमजान, 10वाँ रा० वष मा० उ० II, 479 85।
109	अब्दुल्लाह खाँ, सईद खाँ	3,000/2 500	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	आ० 419, 762, मा० उ० II, 807 808।
110	कीरतसिंह	3 000/2,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	आ० 1061, मा० उ० III 156-58।
111	हसन खाँ दक्खनी	3 000/2 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान दक्खनी	—	आ० 45, टी० यू० एच ।
112	मुजफ्फर लोदी लोदी खाँ	3 000/2,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 291 ।
113	बख्तियार खाँ, खवास खाँ	3 000/2 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	सं० डा० औ० 73, आ० 132।
114	शम्सुद्दीन खवेशगी	3 000/2,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	आ० 45 मा० उ० II 676 77।
115	अब्दुल्लाह बेग यक्ताज खाँ मुखलिस खाँ	3 000/2 000	तूरान	तूरानी	—	पिता	आ० 117, 291 ता० मु० 1070 हि०, मा० उ० III, 968 71।
116	अब्दुल्लाह बेग गज अली खाँ	3,000/2 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	आ० 964, मा० उ० III, 155।
117	सयद इज्जत खाँ, गयरत खाँ	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 855 56, मा० आ० 150।
118	गिरधरदास गौड	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	भाई	सं० डा० औ० 28, मा० उ० II, 255 56, अ० मा० त० 126 अ।

119	मीर ग्रबुल मग्रानी मिर्जा खाँ	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	ग्रा० 240-41, मा० उ० III 557 60।
120	सयद कासिम बारहा शहामत खाँ	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	ग्रादाब० 286 ब, ग्रा० 303, 419, मा० उ० II, 681-83।
121	जलाल खाँ गक्कर	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	ग्रा० 593, हातिम खाँ 103 ब, मा० उ० I, 530 31।
122	दाताजी दक्खनी	3,000/2,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	ग्रा० 625, मा० उ० I, 522।
123	ग्रबु मुहम्मद, पौत्र इब्राहीम ग्रादिल शाह	3,000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	मा० ग्रा० 148।
124	जगजीवन, उदयजी राम	3,000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा ज़मीदार	पिता	मा० उ० I, 144।
125	ग्रन्ताजी खँडकला	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	सै० डा० ग्रो० 13।
126	सयद शेर खाँ बारहा, उर्फ सयद शहाब	3,000/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	सै० डा० ग्रो० 118, ग्रा०132।
127	ग्ररब शेख मुगल खाँ	3 000/1 500	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	ग्रादाब० 279 ब मा० उ० III, 623 25।
128	सफी खाँ	3 000/1,500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ग्रा० 1034, मा० उ० II 740 42।
129	सयद मसूर बारहा	3 000/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	ग्रा० 140, 337, मा० उ० II, 449 52।

1	2	3	4	5	6	7	8
130	अब्दुल काफी, नवाज़िश खाँ	3 000/1 200	ईरान	ईरानी	—	पिता	आ० 474, ता० मु० 1075 हि०, मा० उ० III 828 30।
131	मीर ईसा हिम्मत खाँ पुत्र इस्लाम खाँ बदख्शी	3 000/1 000 (500 ×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	आ० 880, मा० आ० 71 मा० उ० III, 946 49।
132	अहमद कुरेशी, इखलास खाँ	3 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 77, ता० मु० 1072 हि०।
133	बरमदेव सिसौदिया	3 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	आ० 762, से० डा० औ० 112, मा० उ० II, 452 54।
134	मुहम्मद बदी सुल्तान	3 000/700	तूरान	तूरानी	—	पिता	आ० 339 मा० उ० III, 636 37।
135	रघुनाथ राय रायान	3 000/700	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 763, मा० उ० II 282।
136	मीर मुहम्मद अशरफ अशरफ खाँ, ऐतिमाद खाँ	3 000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 765 856 मा० उ० I, 272 74।
137	सयद अली रिज़वी खाँ	3 000/500	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	आ० 1049, मा० उ० II, 307-309, अ० मा० तैं० 124 ब।
138	रघुनाथसिंह सिसौदिया चन्द्रावत	3,000/300	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	अख० 10 रमज़ान, 13वाँ रा० वर्ष, कामवार 250 ब।
139	शेख मीरक हरवी	3,000/200	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 396, मा० उ० III, 518 19।

		ईरान	ईरानी	—	—	अ० मा० तै० 124 ब। फर्र० 10 रमजान 13वाँ रा० वर्ष कामवार 250 ब। मा० 396 मा० उ० III 518 19।
140 दराब खाँ, पुत्र मुख्तार खाँ	3 000/	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	टी० यू० डी० मा० उ० II 39 42।
141 मीर तकी	3 000/	—	ईरानी	—	चाचा	मा० 755 880, मा० मा० 97, मा० उ० III 939।
1 000 से 2 700 तक के मनसबदार						
142 राजा देवीसिंह बुंदेला	2 500/2,500 (500 × 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मा० 206 758 से० डा० मी० 117 मा० उ० II, 295 97।
143 भील अफगान पुरदिल खाँ	2 500/2 000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 334, 758।
144 ईरज खाँ	2 500/2 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 1030, मा० उ० I, 268 72 अ० मा० तै० 126 ब।
145 अल्लाह यार बेग, अल्लाह यार खाँ	2 500/2 000	—	तूरानी	—	—	हातिम खाँ 20 ब मा० 141, 831, ता० मु० 1074 हि०, मा० उ० I 216 17।
146 मसूद यादगार, मुहम्मद बेग खाँ, मसूद खाँ पौत्र अहमद बेग खाँ	2 500/2 000	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पितामह	मा० 78, 158 196 अ० मा० तै० 126 ब।
147 मयन मुबारक मुर्तजा खाँ	2 500/2 000	हिंदुस्तान	तूरानी	—	—	मा० 832 मा० उ० III 644 46।

1	2	3	4	5	6	7	8
148	अनूपसिंह	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मा० उ० II, 289-91 ।
149	सआदत खाँ, खलीफा सुल्तान का दामाद	2,500/2 000	ईरान	ईरानी	—	—	मा० 212 ।
150	सुभकरन बुन्देला	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	मा० 301 565, 1034, अ० मा० तं० 131 ब ।
151	अबु तालिब अक़ीदत खाँ	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 140 334 ।
152	ख्वाजा बरखुरदार अशरफ खाँ, बरखुरदार खाँ	2 500/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	म० इ० मौ० 74, मा० उ० I, 206 207, टी० यू० (एम० बी) ।
153	नुसरतुल्लाह नुसरत खाँ	2 500/1 500 (700×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	मा० 141, 1061 ।
154	बाबाजी भोसले	2 500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० 54 ।
155	भगवन्तसिंह पुत्र क्षत्रमाल हाडा	2 500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मा० 474-75, अ० मा० तै० 126 ब ।
156	मनकू बिलाल दकनी	2 500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्कनी	—	मा० 472 ।
157	राव अमरसिंह चन्द्रावत	2,500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पितामह	मा० 856, अख० 29 रबी उस सानी, 8वाँ रा० वर्ष, मा० उ० II, 145-47 ।

158 अफरासियाब बेग अफरासियाब खाँ	2 500/1 500	तुर्की	तूरानी	—	—	मा० मा० 87 151 52 मा० उ० I 244-46।
159 हिसामुद्दीन	2 500/1 500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० I, 584 87।
160 मानाजी भोसले	2,500/1 500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० प्रो० 7 मा० 128, हातिम खाँ 16 म।
161 शुजाअत खाँ, उर्फ नाद खाँ, मुगल खाँ	2 500/1 400	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	मा० 193, मा० मा० 97, 153।
162 रुस्तम राव	2 500/1 200	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० 47।
163 सयद शेर जमाँ बारहा, मुजफ्फर खाँ	2,500/1 200	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० 54 291, मा० उ० II, 465।
164 मीर मासूम, मासूम खाँ	2 500/1 200	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 13 रमजान, 13वाँ रा० वष मा० उ० II 676 म० मा० तै० 128 म।
165 बेग मुहम्मद रवेगनी, दीनदार खाँ	2 500/1,200	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 965।
166 काजी निजाम करदाजी मुखलिस खाँ	2,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	मा० 48 195 294 860, मा० उ० III, 566-68।
167 मुहम्मद मुनीम, मुनीम खाँ	2 500/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 45 454 मा० उ० III, 589।
168 महदी कुली खाँ	2 500/1 000	—	—	—	—	मा० 304।

1	2	3	4	5	6	7	8
169	सफ बीजापुरी	2,500/1 000	हिंदुस्तान	—	दक्खनी	—	आ० 440, मा० आ० 496।
170	मुहम्मद कामगार कामगार खां पुत्र जाफर खां	2 500/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 856 मा० आ० 140।
171	सबलसिंह सिसोदिया	2 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	सं० डा० औ० 108, मा० उ० II, 468 69।
172	त्रिम्बकजी भोसल	2 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	आ० 48 दफ्तर ए-दीवानी, 19 जिलहिज्ज 6वां रा० वर्ष।
173	मीर असकरी आकिल खां राजी	2 500/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	आ० 981, अख० 15 शव्वाल, 10वा रा० वर्ष, मा० उ० II, 821 रियाज उश शौरा 196 अ।
174	मीर मुहम्मद महदी अरदिस्तानी, हकीम उल मुल्क	2 500/500	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 960, मा० आ० 70, मा० उ० I, 599 600।
175	मुहम्मद आकिल बरलास तहव्वुर खां	2 500/500	—	तूरानी	—	—	आ० 447।
176	अहमद बेग, जुल्कदार खां	2 500/500	हिंदुस्तान	तूरानी	—	—	आ० 448, अ० मा० त० 126 ब।
177	वजीर बेग इरादत खां	2 500/400	—	—	—	—	आ० 232 566, अ० मा तै० 126 ब।

178	सयद हिदायतुल्लाह	2500/200	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० 473, मा० उ० II 456 57।
179	चित्रमसिंह, गुलेर (पजाब) का राजा	2500/	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत-जमीदार	पिता	एम० अकबर, द पंजाब अंडर द मुगल्स 223।
180	मुहम्मद कुली मुलतान खाँ	2000/2000 (1800× 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	मा० मा० 80, मा० 964 मा० उ० II, 870 71।
181	मुबारक खाँ नियाजी	2000/2000 (1000× 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	पितामह	मा० 454, 475, मा० उ० III 511 13।
182	सुल्तान बेग, शाह कुली खाँ	2000/2,000 (1000× 2 3 अस्पा)	—	—	—	—	मा० 860, टी० यू० (एस० वी०)।
183	हुसन बेग खाँ	2000/2000 (500×2 3 अस्पा)	—	—	—	—	मा० 218।
184	सयद हसन बारहा इकराम खाँ	2000/2,000 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० 347 634 मा० उ० I 215 16, अ० मा० त० 128 व।
185	मीर मुहम्मद हादी, हादी खाँ, पुत्र रफीउद्दीन सद्र ए ईरान	2000/2,000	ईरान	ईरानी	—	—	अख० 13 रमजान 13वाँ रा० वष।

1	2	3	4	5	6	7	8
186	मुजाहिद बीजापुरी	2,000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	भ्रा० 140 ।
187	अब्दुल्लाह बेग सराई अब्दुल्लाह खाँ	2 000/2 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	—	भ्रा० 47 874 ।
188	राजा नरसिंह गौड	2 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	भ्रा० 268 865 ।
189	मुहम्मद सालेह मकरमत खाँ	2 000/2 000	—	—	—	—	भ्रा० 294, 960 अख० 13 जिक्दा, 9वाँ रा० वर्ष ।
190	राजा टोडरमल	2 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	भ्रा० 874 885, मा० उ० II, 286-87 ।
191	मुहम्मद अली बेग अली कुली खाँ पुन अली मर्दान खा	2 000/2 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	भ्रा० 885, मा० भ्रा० 109 110, कामवार 255 अ, अ० मा० त० 128 अ ।
192	सयद अब्दुल नबी	2,000/1,500 (700×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	भ्रा० 960, कामवार 249 अ, मा० उ० II, 448 ।
193	बजान बेग, कलदार खाँ	2 000/1 500 (500×2 3 अस्पा)	—	—	—	—	भ्रा० 194, 885 ।

194 जगतसिंह हाडा पुत्र मुकंदसिंह हाडा	2 000/1 500 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	ग्रा० 221 1034 दिलकुशा 79 व मा० उ० III 510।
195 नारुजी दक्खनी	[illegible]000/1 600	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 13 रमज़ान, 13वाँ रा० वष।
196 असलान कुली, असलान खाँ	2 000/800 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ग्रा० 817, 1067, मा० उ० I 277।
197 मिर्जा मुहम्मद, खंजर खाँ	2,000/1,500	हिंदुस्तान	तूरानी	—	—	ग्रा० 817, 870, टी० यू० (एस० वी०)।
198 मुल्ला याहिया, मुख़लिस खाँ	2,000/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	ग्रा० 871, मा० उ० III, 565।
199 सयद अली, पुत्र अफ़ज़ल खाँ	2,000/1,500	हिंदुस्तान	—	दक्खनी	—	ग्रा० 834।
200 पूरनमल बुंदेला	2,000/1,500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	ग्रा० 986।
201 फतह उल्लाह खाँ, पुत्र सईद खाँ तरख़ान	2,000/1,500	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	ग्रा० 339, 400, ता० मु० 1069 हि०।
202 सयद हसन खाँ बारहा, पुत्र सयद दिलेर खाँ	2,000/1,500	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	टी० यू० (एस० वी०), मा० उ० II 414 15।
203 ख्वाजा उबदुल्लाह खा	2,000/1,200	—	—	—	—	ग्रा० 473 मा० ग्रा० 88।
204 व्यासराव या बियासराव	2 000/1,200	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ग्रा० 48।
025 अली कुली बेग, अली कुली खाँ	2 000/1 000	—	—	—	—	ग्रा० 291 अ० मा० त० 131 अ।

1	2	3	4	5	6	7	8
206	वली महलदार	2000/1000	—	—	—	—	आ० 45।
207	दादाजी	2000/1000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	आ० 48।
208	खुशहाल बेग कक्शाल कुलीज खाँ, सआदत खाँ	2,000/1000	—	तूरानी	—	—	आ० 471, 914।
209	मीर इब्राहीम हुसन, मुल्तफत खाँ	2000/1000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 25 रबी उस सानी, 19वां रा० वर्ष, आ० 880 मा० उ० III, 611 13।
210	सयद मुनव्वर खाँ बारहा	2000/1000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	आ० 1034 मा० उ० II 465 68।
211	शेख अब्दुल करीम थानेसरी	2000/1000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 220।
212	सयद फिरोज खाँ बारहा, इख्लिसास खाँ	2,500/1500 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	चाचा	आ० 440 1034 मा० उ० II 473 75 फतिहा इब्रिया 158 ब।
213	मेदनीसिंह श्रीनगर निवासी पृथ्वीसिंह का पुत्र	2000/1000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	आ० 604, कामवार 236 ब।
214	तानूजी	2000/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	आ० 47।
215	पृथीसिंह पुत्र राजा जसवन्तसिंह राठौर	2,000/1000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	आ० 917 ता० मु० 1077 हि०।
216	मुहम्मद अली खाँ	2000/1000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 964 मा० उ० III 625-27।

217	नुसरत खाँ, कलदार खाँ	2,000/1 000	—	—	—	—	आ० 981 अख० 19 रजब, 9वां रा० वष।
218	अनीराय ब्राह्मन	2 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	एस० अहमद, उमरा-ए हुनूद 64।
219	मरहमत खाँ	2,000/900	—	—	—	—	आ० 972।
220	जहाँगीर कुली खाँ	000/900	—	—	—	—	अख० 9 रमजान, 13वां रा० वष, अ० मा० त० 132 अ।
221	मुहम्मद इस्माइल ऐतकाद खाँ	2 000/1,000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 156, 158।
222	इस्माइल खेशगी हुसेनजई जाँबाज खाँ	2 000/500 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 45, 464, 635, टी० यू० (एस० वी०), मा० उ० III, 777 78।
223	याकूत खाँ	2 000/700 (100×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	से० डा० पी० 10।
224	कजलबाश खाँ	2 000/800	—	ईरानी	—	—	आ० 291।
225	अब्दुल्लाह बेग, अस्कर खाँ नजमसानी	2 000/750	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	आ० 465 अख० 16 रमजान 13वां रा० वष, मा० उ० II, 809।
226	ऐतिबार खाँ	2 000/700	—	—	—	—	आ० 856।
227	सयद सुल्तान करबलाई	2,000/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	आ० 880।
228	दियानत खाँ, हकीम जमलाइ कानी	2,000/700	—	ईरानी	—	—	वी० एन० II, 728, आ० 594।

1	2	3	4	5	6	7	8
229	यलिगताश खान बहादुर	2000/700	हिंदुस्तान	तूरानी	—	—	मा० आ० 156, मनूची II, 43, मा० उ० III 971 72।
230	कमाल लोदी हरबुज खां	2000/600	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 77, 875।
231	मीर इमामुद्दीन रहमन खां	2000/600	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 140 855 56, ता० मु० 1076 हि०, मा० उ० III, 111 12।
232	रूह उल्लाह खां पुत्र खलीलुल्लाह खां	2000/600	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 870, मा० उ० II 309-15।
233	यकताज खां	2000/600	—	—	—	—	आ० 1062, मा० आ० 104।
234	मुहम्मद अली पुत्र तकरुब खां	2,000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 856, मा० आ० 140।
235	मीर मुराद मजनदानी गरत खां	2000/400	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 54।
236	जियाउद्दीन, रहमत खां	2000/300	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० II 283 86।
237	सयद मासूद बारहा	2000/300	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 268।
238	मुहम्मद बग तीरअन्दाज खां	2000/300	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	सं० डा० औ० 198, अ० मा० त० 127 अ।
239	सयद मुजफ्फर बारहा शुजाअत खां	2000/250	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	आ० 129, ता० मु० 1069 हि०।
240	मुल्ला अब्दुल सलाम लाहौरी, दारा शिकोह के गुरु	2000/-	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	फरहत 197 अ।

241	रियायत खाँ	1,500/1 500 (2 3 अस्पा)	—	—	—	—	मा० 400।
242	पहाड़सिंह गौड, इन्दरखी का	1,500/1 000 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	ईसरदास 94 ■।
243	मुराद कुली सुल्तान घक्खर	1 500/1,500 (500×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	मा० 219, 635।
244	मीर फतह, फतह खाँ	1,500/1 000 (2 3 अस्पा)	—	—	—	—	मा० 342 880, 917।
245	दिलेर खाँ, पुत्र बहादुर रुहेला	1 500/1 000 (800×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	आदाब 279 अ, मा० 965।
246	शहबाज खाँ अफगान	1,500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 197 475, 625।
247	मीर मुहम्मद मुराद सयद मुहम्मद खाँ	1,500/1,500	—	—	—	—	स० शा० मी० 74।
248	हयात अफगान, जबरदस्त खाँ	1,500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 291।
249	फौजदार खाँ	1,500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 342, 625।
250	ख्वाजा इनायतुल्लाह	1 000/700	—	—	—	—	मा० 339 885।
251	गोपालसिंह, पुत्र राजसरूप	1,500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मा० 1056।

1	2	3	4	5	6	7	8
252	कामिल खाँ	1 500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 1044 अख० 20 रबी-उस-सानी, 12वाँ रा० वर्ष।
253	बागूजी दक्खनी	1 500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 22 शाबान, चौथा रा० वर्ष।
254	सयद अब्दुरहमान, दिलावर खाँ	1,500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	दफ्तर ए-दीवानी, संख्या 2986, 7, हातिम खाँ 14 अ।
255	सारंगधर जम्मू का जमींदार	1 500/1 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	मा० 286-87।
256	हसन, पुत्र दिलावर खाँ दक्खनी	1 500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	से० डा० प्रो० 37।
257	जगतसिंह	1,500/1 400	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	दफ्तर ए-दीवानी, संख्या 2986।
258	केसरीसिंह भरतिया	1,500/1 400	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	मा० 1047।
259	सीदी फौलाद फौलाद खाँ	1 500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	कामवार 250 ब, मा० उ० I, 503, ता० मु० 1092 हि०।
260	रम्भाजी दक्खनी	1,500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० 293।
261	सिकन्दर रुहेला	1,500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 291।
262	मसूद मगली, मगली खाँ	1 500/1 000 (200×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 1039।

263	कलन्दर बेग, कलन्दर खाँ	1,500/1 000 (200×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	से० डा० प्रो० 74, मा० उ० I, 192 94।
264	राय मकरन्द	1 500/1,200	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	मा० 885।
265	भोजराज कछवाहा	1,500/1,200	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	सलेक्टेड वाक्या ऑफ द डक्कन 52, मा० 917।
266	मित्रसेन बुन्देला	1 500/1,200	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	मा० 302 1062, म० मा० तै० 132 ब।
267	दिलदार बेग, दिलदार खाँ	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	मा० 140।
268	कामगार खाँ, पुत्र कामयाब खाँ	1,500/1,000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 141, 457, 1061।
269	मुहम्मद इस्माइल, इस्माइल खाँ, पुत्र नजाबत खाँ	1,500/1,000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	मा० 755, मा० उ० II, 781।
270	दाबूजी	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० 48।
271	मुहम्मद शरीफ पोलकजी	1,500/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	मा० 54।
272	मिसरी अफगान	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 454 55।
273	हमीद काकर, काकर खाँ	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	अख० 19 रजब, 9वाँ रा० वर्ष, मा० 77, 218, हातिम खाँ 20 अ, 24 अ।
274	मानसिंह, गुलेर (पंजाब) का राजा	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	मा० 199 287।

1	2	3	4	5	6	7	8
275	हरजस गौड	1 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	ग्रा० 270 982, टी० यू० (एस० वी०)।
276	चतरभुज चौहान, अजीन का ज़मींदार	1 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	—	ग्रा० 270, ता० मु० 1079 हि०।
277	आका यूसुफ	1 500/1,000	—	—	—	—	ग्रा० 270, 448।
278	मीर रुस्तम ख़बाफी	1,500/1 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	ग्रा० 399।
279	मीर इब्राहीम, मीर तुज़ुक	1 500/1 000	—	—	—	—	ग्रा० 448, कामवार 260 अ।
280	अबुन बक़ा	1 500/1 000	—	—	—	—	ग्रा० 197।
281	राजा अमरसिंह नारोरी	1,500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	ग्रा० 447, 1056, अ० मा० त० 131 ब, मा० उ० II, 227-28।
282	याजदानी हुसन अली खाँ आलमगीर शाही का सम्भ्राता	1 500/1 000	हिंदुस्तान	तूरानी	—	चाचा	हातिम खाँ 54 ब, ग्रा० 240।
283	राजा किशनसिंह तवर	1 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	—	ग्रा० 304 428।
284	मीर इब्राहीम मोहतशम खाँ, पुत्र शेख मीर	1,500/1,000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ग्रा० 856, मा० ग्रा० 130, मा० उ० III, 646 50।
285	उदयभान राठौर	1 500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	—	ग्रा० 334।

286	सयद इब्राहीम दारा शकोही, मुस्तफा खाँ	1 500/1 000	—	—	—	—	आ० 964।
287	मुहम्मद सालेह तरखान	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	आ० 447, मा० उ० III, 560 62।
288	अली कुली तशरीफ खाँ, मुफतखार खाँ	1,500/1 000	—	ईरानी	—	पिता	आ० 565।
289	फिरोज मेवाती, फिरोज खाँ	1 500/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 440, ता० मु० 1075 हि०।
290	मानसिंह पुत्र रूपसिंह राठौर	1,500/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	आदाब 315 ब, आ० 158, 447, मा० उ० II, 270।
291	जगराम कछवाहा	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	आ० 1056।
292	असदुल्लाह इकराम खाँ पुत्र मुल्ला महमद नथा	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	आ० 957, टी० यू० (एस० वी), मा० उ० III, 564 65।
293	फरहद चेला	1,500/1 000	—	—	—	—	अख० 24 शाबान 11वाँ रा० वष।
294	रघूजी, पुत्र मानाजी भोसले	1,500/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा जमीदार	पिता	से० डा० ग्रो० 7।
295	मीर गयासुद्दीन	1 500/900	—	—	—	—	दफ्तर ए दीवानी सख्या 2986।
296	धरजाराव काका	1,500/900	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० ग्रो० 7।
297	मुस्तफा खाँ काशी	1,500/900	ईरान	ईरानी	—	—	अख० 30 जिलहिज्ज 13वाँ रा० वष, मा० उ० III 637 41।

1	2	3	4	5	6	7	8
298	मिर्ज़ा नियामतुल्लाह सोहराब खाँ	1,500/900	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 885, स० डा० ओ० 74, मा० उ० I, 586 87।
299	जलाल अफ़गान	1,500/800	हिंदुस्तान	भारतीय	अफ़गान दक्खनी	—	आ० 972।
300	रघुनाथसिंह भरतिया	1 500/900	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	—	आ० 1061 62।
301	बुजुग उम्मेद खाँ	1 500/900	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 140, 856, 956, मा० उ० I, 453 54।
302	मीर राज़ीउद्दीन	1 500/800	—	—	—	—	आ० 862।
303	सलाबत दक्खनी	1,500/700 (100×2 3 अस्पा)	—	—	दक्खनी	—	से० डा० ओ० 5।
304	रघुनाथसिंह मेरठा	1 500/800	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	—	अख० 29 रबी-उस-सानी, 8वाँ रा० वष, 20 ज़िल्दा, 10वाँ रा० वष, अ० मा० त० 130 अ।
305	याहया पाशा	1,500/700	तुर्की	तूरानी	—	—	मा० आ० 110, कामवार 255 अ।

306	रजी पुत्र अफजल खाँ	1,500/700	हिंदुस्तान	—	दक्खनी	—	मा० 834 अ० मा० त० 131 ब।
307	सरदार कियाम खाँ अलफ खाँ	1,500/700	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 290।
308	मसूद खाँ	1,500/700	—	—	—	—	से० डा० औ० 74।
309	हिज़बर खाँ पुत्र अल्लाहवर्दी खाँ	1,500/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 145, मा० पा० III, 496।
310	मीर मुहम्मद मुअज़्ज़म सियादत खाँ, मुअज़्ज़म खाँ	1,500/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 210, 334, मा० उ० II, 676, अ० मा० त० 127 ब।
311	अब्दुल फतह पुत्र शायस्ता खाँ	1,500/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 140।
312	सफुद्दीन सफवी कामयाब खाँ	1,500/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 870, मा० उ० III, 479।
313	शेख अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल अज़ीज़ खाँ निसावर खाँ	1,500/700	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	से० डा० औ० 74, मा० 141, मा० आ० 132, मा० उ० II, 686 88।
314	ख्वाजा नूर मुतमाद खाँ (हिजड़ा)	1,500/600	—	—	—	—	मा० 294 448, 960।
315	महेशदास राठौर	1,500/600	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	मा० 163।
316	मीर फज़लुल्ला फज़लुल्ला खाँ	1,500/600	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 158 1061।
317	रघुनाथसिंह राठौर, पुत्र सुन्दरदास राठौर	1,500/600	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	मा० 635।
318	यूसुफ बीजापुरी, यूसुफ खाँ	1,500/600	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	मा० 742, 880।

1	2	3	4	5	6	7	8
345	हकीम सालेह शिराज़ी सालह खाँ	1 500/250	ईरानी	ईरानी	—	—	आ० 1061 62 ।
346	शाहबेग खाँ काशगरी, शाही खा	1 500/500	तूरान	तूरानी	—	—	आ० 401, मा० आ० 158, कामवार 263 ब, 265 ब ।
347	सयद फिरोज रुस्तम खानी	1 500/200	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 161 ।
348	शेख निजाम कुरेशी	1 500/100	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 1034 ।
349	हकीम मुहम्मद अमीन शीराज़ी	1 500/50	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 399 ।
350	सरदार बेग ऐहतिमाम खाँ	1,500/	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	अ० मा० त० 131 अ ।
351	मिर्जा मुहम्मद ताहिर इनायत खाँ	1,500/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० II 762 ।
352	शेख अली बीजापुरी	1 500/	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान दक्खनी	—	दिलकुशा 26 ब ।
353	अहमद खा, पुत्र सीदी मिफ्ताह	1 500/	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी ज़मींदार	पिता	मा० उ० I 582 ।
354	मुहम्मद बेग तुर्कमान बरतलब खाँ	1,500/	ईरान	ईरानी	—	—	मा० उ० II, 706 308, टी० यू० (एस० बी०) आ० 326, 343 ।
355	शेरसिंह राठौर	1 000/1,000 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	आ० 441 ।

356	जसवन्तसिंह, डूंगरपुर का महारावल	1 000/1 000 (800×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	अख० 16 जिलहिज्ज, 38वाँ रा० वर्ष ओझा III भाग I, 115।
357	इन्दरसिंह, पुत्र राव रायसिंह	1,000/1 000 (700×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मे० डा० ग्रौ० 121, मा० उ० II, 236।
358	बहराम, पुत्र कजलबाश खाँ	1,000/1,700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ग्रा० 486, 1039।
359	राजा महासिंह भदौरिया	1,000/1 000 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	ग्रा० 1044, मा० उ० II, 229 30।
360	शेख अब्दुल हामिद, पुत्र शेख मसूर बीजापुरी	1,000/1,000 (100×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी	पिता	से० डा० ग्रौ० 47।
361	रामसिंह, पुत्र रतन राठौर	1,000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	ग्रा० 486।
362	सरबाज ?	1,000/800 (600×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	अख० 5 जमादि उस सानी 12वाँ रा० वर्ष।
363	कादिर दाद खाँ	1,000/800 (400×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	हातिम खाँ 164 ग्र, ग्रा० 1030, ग्र० मा० त० 132 ग्र।

1	2	3	4	5	6	7	8
364	उमर तारी	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 270 287 88।
365	अब्दुल हमीद बीजापुरी	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	आ० 163 291।
366	चतरजी दक्खनी	1 000 1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	आ० 206।
367	मीर बाकर खाँ	1 000/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 206 573 अ० मा० त० 131 ब।
368	महमूद दिनशाक	1,000/1 000	—	तूरानी	—	—	मा० 487 मीरात अल आलम 160 अ ब।
369	इमाम अजरदी	1 000/1 000	—	—	—	—	मा० 635।
370	मानधाता	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	आ० 647-48।
371	मुराद खाँ, तिब्बत का जमादार	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	जमादार	—	मा० 860।
372	राजा जयसिंह	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	मा० 964।
373	राजा बहरुज	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मा० 340, ता० मु० 1076 हि०, मा० उ० II, 219।
374	रुस्तम खाँ, पुत्र कज़लबाश खाँ	1 000/900	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	म० डा० मो० 74, अख० 17 रबी-उस-सानी, 12वाँ रा० वर्ष।
375	गरत बेग, शुजा खाँ	1 000/900	—	—	—	—	मा० 232 856।

376 सयद ...दर	1 000/900		—	—	—	प्रा० 862 63।
377 सरफराज़ खाँ बेग	1 000/900	—	—	—	—	प्रा० 290, टी० यू० (एस० वी०)।
378 कलन्दर दाऊदजई, कलन्दर खाँ	1 000/900	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	प्रा० 308, 960।
379 कुदाजी दक्खनी (इस्लाम स्वीकार कर लिया)	1,000/800	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	प्रा० 1062, मा० उ० III, 580।
380 सयद बहादुर बारहा	1,000/800	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	प्रा० 293।
381 इमाम कुली करावल, अगहर खाँ	1,000/800	—	ईरानी	—	—	प्रा० 216, टी० यू० (एस० वी०), रुक्कात संख्या 5/10, पृ० 11, फतिहा इब्रिया 158 ब।
382 सयद नासिरुद्दीन खाँ दक्खनी	1 000/800	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	प्रा० 45।
383 मिर्जा रहुल्ला, पुत्र यूसुफ खाँ ताशकन्दी	1 000/800	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	मा० उ० III, 966-67।
384 मीर बुरहानी	1,000/800	—	—	—	—	प्रा० 1050।
385 मफुल्ला अरब	1,000/800	—	—	—	—	प्रा० 45।
386 सूरजमल गौड	1 000/800	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	प्रा० 192।
387 इन्दरमन बुन्देला	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	दफ्तर ए दीवानी, संख्या 2983, से० डा० ग्रो० 112, प्रा० 989।
388 ख्वाजा शाह, नरीफ खाँ	1 000/700	—	—	—	—	मा० प्रा० 140।

1	2	3	4	5	6	7	8
389	ग़ुलाम मुहम्मद अफ़ग़ान	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफ़गान	—	आ० 475 ।
390	हसन बेग	1 000/700	—	—	—	—	आ० 163 ।
391	दरवेश बेग नक्शाब	1 000/700	—	तूरानी	—	—	आ० 303 ।
392	मानाजी, पुत्र बारथजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	दफ्तर ए दीवानी संख्या 2986 ।
393	तामाजी, कच्छ का ज़मींदार	1,000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	—	आ० 625 ।
394	हाजी अहमद सईद, पुत्र मौलाना मुहम्मद सईद	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	फरहत 198 व 199 अ आ० 885 ।
395	कमालुद्दीन पुत्र दिलेर खाँ	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफ़गान	पिता	मा० आ० 140 ।
396	सयद मुकद्दार	1 000/600	—	—	—	—	आ० 217 ।
397	अबुल मकारिम, पुत्र इफ्तिख़ार ख़ा	1 000/600	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 334 ।
398	सयद हामिद बुख़ारी मुजाहिद ख़ाँ	1 000/600	—	तूरानी	—	पिता	आ० 249, 918, मा० उ० III, 598 ।
399	मिर्ज़ा अली अरब, कलन्दर ख़ा	1 000/600	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	स० डा० श्रो० 74, आ० 565, मा० उ० III 115 20 ।
400	दारन ख़ाँ	1 000/600	—	—	—	—	आ० 856 ।
401	मुहम्मद आबिद फ़ज़ुल्ला ख़ाँ का भाई	1 000/600	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	भाई	आ० 140, 843 ।

402	भीमसिंह श्रीनगर का	1 000/600	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मा० 960 ।
403	सयद महमद खाँ लदूब	1 000/600	—	—	—	—	मा० 964, मा० मा० 105 । दफ्तर-ए दीवानी, संख्या 2986 ।
404	गरसुजी पुत्र बान्कर राव	1 000/600	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० मा० 149, मा० 216, 908 ।
405	नूरी बेग, तुकताज खाँ	1 000/600	—	तूरानी	—	—	मा० 55, हातिम खाँ 16 ब ।
406	सावलसिंह, काली भेट का	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	मा० 78 ।
407	दौलत अफगान	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 78, 487 ।
408	मुहम्मद मुकीम, मुकीम खाँ	1 000/500	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	मा० 268 ।
409	इनायत अफगान	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 271 ।
410	मीर अरब बलखरी	1,000/500	—	ईरानी	—	—	मा० 270 ।
411	अब्बास अफगान	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	मा० 215 ।
412	कल्याणसिंह, बांधू का	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार		मा० 221 ।
413	दरवेश मुहम्मद	1,000/500	—	—	—	—	मा० 291 ।
424	अब्दुल्ला बारी अंसारी	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	मा० 635 ।
415	कादिर दाद अंसारी	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	दफ्तर ए-दीवानी, संख्या 2986,
416	असद काशी, असद खाँ	1,000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	मा० 404, 565 ।

1	2	3	4	5	6	7	8
417	दाऊद	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	मा० 291।
418	मीर अज़ीज़ अकबर	1 000/500	—	—	—	—	दफ्तर ए-दीवानी संख्या 2986।
419	मीर बाक़ी बाक़ी खां	1 000/500	ईरान	ईरानी	—	पिता	मा० 966।
420	तातार बेग उज़बक खां	1 000/500	—	तूरानी	—	—	मा० 52 53 हातिम खां 15 अ, 28 ब, 565।
421	भावसिंह मुरीद खां	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	ज़मींदार	पिता	मा० 981, मा० उ० II, 281।
422	हामिद खां पुत्र शेख मीर	1 000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 856।
423	सीदी इब्राहीम	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी ज़मींदार	—	मा० 626।
424	सैयद शुजाअत खां बहादुर मक्करी	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० उ० II, 460 61।
425	मीर बहादुर दिल जां निसार खां	1 000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	से० डा० मो० 29 मा० उ० I, 535 37।
426	रघुजी घोपरे	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० मो० 107।
427	नुरुल हसन	1 000/500	—	—	—	—	मा० 565।
428	प्रेमसिंह श्रीनगर का ज़मींदार	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	—	मा० 872।
429	इफ्तिख़ार मुफ़्ख़िर खां, पुत्र फ़कीर खां	1 000/450	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 401 635 832, मा० उ० III 27 28।

430	मुख्तार बेग, नवाजिश खाँ	1,000/400	तुर्की	तूरानी	—	पिता	मा० ग्रा० 152 मा० उ० I 247।
431	मीर महमूद, अकीदत खाँ	1,000/400	ईरान	ईरानी	—	भाई	मा० ग्रा० 109, 113, कामवार 255 ब, मा० उ० I, 224 25।
432	जमाल खाँ	1,000/400	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	ग्रा० 147।
433	मनोहरदास सिसोदिया	1 000/400	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	ग्रा० 140।
434	गुदावन्द हब्शी, हब्श खाँ	1 000/400	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	ग्रा० 45।
435	वली बेग कलाली	1 000/400	हिन्दुस्तान	—	—	—	अख० 9 रमजान, 13वाँ रा० वर्ष, ग्रा० 876।
436	मुहम्मद सलीम	1,000/400	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	ग्रा० 196, अख० 8वाँ रा० वर्ष।
437	शेख निजाम पुत्र शाह फरीद	1,000/400	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	ग्रा० 399, हातिम खाँ 38 ब, मा० उ० I, 222।
438	मलिक जीवन, बख्तियार खाँ	1,000/400	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान जमींदार	—	ग्रा० 742, ता० मु० 1076 हि०।
439	अहमद बेग नज्मसानी	1 000/400	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	भाई	ग्रा० 885।
440	अली बेग, ऐहतिमाम खाँ	1 000/400	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ग्रा० 215, मा० उ० III, 498।
441	गदा बेग	1,000/400	—	—	—	—	ग्रा० 870।
442	राजा शेरसिंह चम्बा का जमींदार	1,000/400	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	ग्रा० 843।
443	ख्वाजा सादिक बदख्शी	1 000/400	तूरान	तूरानी	—	—	ग्रा० 977।

1	2	3	4	5	6	7	8
444	सयद यादगार हुसन बारहा	1 500/600	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	आ० 1062, हातिम खाँ 56 ब, अख० 17 जिलहिज्ज, 20वाँ रा० वष।
445	बनवालीदास भरतिया	1 000/400	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	आ० 1047, अ० मा० तै० 132 अ।
446	बादल बख्तियार	1 000/350	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	आ० 1034।
447	सयद जनुल आबिदीन बुखारी	1 000/300	—	तूरानी	—	—	हातिम खाँ 13 ब, आ० 45।
448	अबु मुस्लिम	1 000/300	—	—	—	—	आ० 206।
449	सयद मिर्ज़ा मशवारी	1 000/300	ईरान	ईरानी	—	—	आ० 346।
450	सयद अली	1 000/300	—	—	—	—	आ० 918।
451	दरबार खाँ, ख्वाजासरा	1 000/300	—	—	—	—	आ० 960।
452	पहला विजाई	1 000/300	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 13 रमजान, 13वाँ रा० वष।
453	हाजी मुहम्मद शफी शफी खाँ	1,000/300	—	—	—	—	अख० 22 सफर 20वाँ रा० वष, आ० 870।
454	मुहम्मद शुजा, शुजाअत खा, पुत्र क्विामुद्दीन खाँ	1,000/300	ईरान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 153, कामवार 263 अ, मा० उ० III, 114 15।
455	बख्तावर खाँ	1 000/250	—	—	—	—	आ० 960, मा० आ० 140, टो० यू० (एस० बी०)।

456	नज़ीर खाँ ख्वाजासरा	1 000/250	—	—	—	—	प्रा० 742।
457	मसूर नासिर खाँ अब्दुल्ला का भाई, काशगर का राजा	1 000/250	तूरान	तूरानी	—	—	प्रा० 762।
458	मुहम्मद कासिम अली मर्दान खानी	1 000/250	ईरान	ईरानी	—	पिता	प्रा० 268।
459	मीर महदी यज़्दी	1,000/200	—	ईरानी	—	—	प्रा० 163।
460	नियामतुल्ला, पुत्र हिसामुद्दीन खाँ	1,000/200	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	प्रा० 52।
461	ख्वाजा कली, किफायत खाँ	1 000/200	—	—	—	—	प्रा० 77।
462	ईसा खाँ	1,000/200	—	—	—	—	प्रख० 13 रमजान, 13वाँ रा० वध।
463	कुतुब खानी	1,000/200	—	ईरानी	—	—	प्रा० 268।
464	मीर अबुल हसन शाह शुजाई	1,000/200	—	—	—	—	प्रा० 161।
465	अमानुल्लाह	1 000/200	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	प्रा० 197, मा० उ० I, 232।
466	मुहम्मद हुसन सिलदोज	1,000/200	—	तूरानी	—	—	प्रा० 210।
467	शेर अफगान	1,000/200	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	प्रा० 287।
468	असमत्उल्ला खाँ	1 000/200	—	—	—	—	प्रा० 861।
469	मुल्ला ईवाज़ वजेह	1,000/200	बल्ख	तूरानी	—	—	प्रा० 392, मा० प्रा० 150, 156।
470	मीर अज़ीज़	1,000/200	—	—	—	—	प्रा० 861।
471	अमानत खाँ मीरक मुइनुद्दीन	1 000/200	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० प्रा० 110, मा० उ० I, 258 68।

1	2	3	4	5	6	7	8
472	मीर याकूब, शमशेर खाँ	1,000/150	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	आ० 195, मा० उ० II, 670, ता० मु० 1086 हि० ।
473	ख्वाजा इस्माइल वेग किरमानी	1,000/150	—	ईरानी	—	—	आ० 218, 487 ।
474	इस्लाम कुली	1 000/100	तूरान	तूरानी	—	—	मा० आ० 76, कामवार 249 अ ।
475	महदी, काशगर के शासक अब्दुल्ला का सम्भ्राता	1 000/100	तूरान	तूरानी	—	—	आ० 565 66 ।
476	इनायत खाँ	2,000/2 000	ईरान	ईरानी	—	—	मा० उ० II, 813 18, द इंगलिश फक्ट्रीज, 1661 64, 203, 205 ।
477	मीर अब्दुल मावूद (भक्करी)	1 000/	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	सेलेक्टेड वाकया आफ द डकन 68 ।
478	चाँद खाँ, पुत्र मीर मुतर्जा	1,000/	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	मामूरी 149 अ, अ० मा० त० 132 अ ।
479	भगवन्त	1 000/	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	से० डा० औ० 104 ।
480	इकराम खाँ सद्र	1,000/	—	—	—	—	अ० मा० त० 131 ब ।
481	राजा जसवन्तसिंह बुंदेला	1 000/	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	मा० आ० 169, मा० उ II, 293 94 ।
482	मनीराम	1 000/	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	से० डा० औ० 40 ।

483	राजा उमरसिंह, जस्वा (पंजाब) [redacted] राजा	1000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	एम० अकबर पंजाब अण्डर द मुगल्स, 226।
484	नेग मसुम फतह, क़ाबिल ख़ाँ	1000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	प० मा० त० 132 ब, मा० 190, आदाब 1 ब।
485	राव मोहकमसिंह, पुत्र अमरसिंह चन्द्रावत	उच्च मनसब[1]	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मा० उ० II 147-48।
486.	मुहम्मद बेग क़ाबिल, पुत्र मिर्ज़ा क़ाज़िम	अमीर	ईरान	ईरानी	—	—	मीरात अल आलम 281 ब।

1 मोहकमसिंह का मनसब नहीं दिया गया है—परन्तु जब उसके पिता अमरसिंह को राव की उपाधि दी गयी तो उसकी पदोन्नति पतक मनसब 1000/900 पर कर दी गयी। इसके पश्चात् अमरसिंह की पदोन्नति 1,500/900 के मनसब पर कर दी गयी। अमरसिंह की मृत्यु के बाद मोहकमसिंह को टीका प्रदान किया गया तथा उसे 'राव' की पैतृक उपाधि प्रदान की गयी (मा० उ० III 147-48)।

ब—1679-1707 के वे मनसबदार जो 1,000 जात और उससे अधिक के मनसब पर पहुँचे

क्रम संख्या	नाम व उपाधि	उक्तकाल में सर्वोच्च मनसब	जन्मभूमि	वर्ग	उप वर्ग (राजपूत, मराठा अफगान जमींदार आदि)	सेवा में पिता या अन्य निकटतम सम्बन्धी	स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8
		5 000 और उससे अधिक के मनसबदार					
1	मिर्जा अबु तालिब, शायस्ता खाँ, अमीर उल उमरा	7,000/7,000 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 5, म० मा० त० 121 अ, मा० उ० II, 690-706।
2	मीर मलिक हुसन, खान ए जहाँ बहादुर जफरजंग कोकलताश	7,500/7 000 (6 000×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 142, ता० मु० 9, अ० मा० तै० 121 अ, मा० उ० I, 798 813।

3 मीर शहाबुद्दीन गाजीउद्दीन खानबहादुर फिरोजजंग	7 000/7 000 (3 000×2 3 अस्पा)	तूरान	तूरानी	—	पिता	अख० 6 जमादि उस-सानी 46वाँ रा० वर्ष, ज० आ० 165 अ, मा० आ० 302 481 ता० मु० 27 मा० उ० II 872 79।
4 सीदी मसूद, मसूद खाँ	7 000/7,000 (2 000×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी जमींदार	—	ईसरदास 126 अ, 144 अ, से० डा० औ० 222, कामवार 281 ब, ब० स० 767, मा० आ० 315 16।
5 जमशेद खाँ बीजापुरी	7 000/7 000 (1,200×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	अख० 20 शाबान, 37वाँ रा० वर्ष, ज० आ० *164 ब*, कामवार 301, ता० मु० 17।
6 अब्दुल रऊफ मियाना, दिलेर खाँ	7,000/7 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान-दक्खिनी	—	ज० आ० *164 अ*, मा० आ० 280, ब० स० 756, मा० उ० II, *56 59*, टी० यू० (एस० बी०)।
7 राजा शाहू	7,000/7 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० औ० 219, मा० आ० 332, रुक्कायम ए-करायम 23 ब, अ० मा० तै० 121 ब, कामवार 281 ब, मा० उ० II, 342 58।

1	2	3	4	5	6	7	8
8	शख निज़ाम जुनदी हैदराबादी, मुकरब खां खान ए ज़मां, फतहजग	7000/7000	हिदुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	ज० ग्रा० 131 ब ता० मु० 8, मा० ग्रा० 324, मा० उ० I 794 98 ।
9	सयद मखदूम, शरज़ा खां रुस्तम खां	7000/7000	हिदुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	स० डा० ग्रौ० 199, ज० ग्रा० 164 ग्र०, मा० ग्रा० 176, 280, 480 मा० उ० II, 502 504, चदरभान ब्राह्मन गुलदस्ता, 4 व 5 ग्र ।
10	सयद ग्रब्दुल कादिर खा	7,000/7000	—	—	दक्खनी	—	ग्रख० 23 रजब, 39वा रा० वप स० डा० ग्रौ० 222 ।
11	मुहम्मद इब्राहीम ग्रसद खा	7000/7000	हिदुस्तान	ईरानी	—	पिता	स० डा० ग्रौ० 169 ज० ग्रा० 164 ब, मा० ग्रा० 392, मा० उ० I 310 21 ।
12	ग्रज़ीजुद्दीन बहरमन्द खा	7000/7000	हिदुस्तान	ईरानी	—	पिता	दफ्तर ए दीवानी (हैदराबाद), 25 जमादि उस सानी 23वां रा० वप ता० मु० 16, मा० ग्रा० 369 374, मा० उ० I 454 57 ।

13 अलाउद्दीन नायक (पिदिया नायक का भूतपूर्व बख्शी)	7000/7000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	कामवार 301 ■ 309 ■।
14 हबश खां[1]	7000/7000	—	—	दक्खनी	—	दफ्तर ए दीवानी संख्या 784 18 जमादि उस-सानी 33वां रा० वर्ष।
15 मुहम्मद इब्राहीम, खलीलुल्ला खां महाबत खां	7,000/6000 (1000× 2 3 अस्पा)	ईरान	ईरानी	दक्खनी	—	से० डा० ग्रो० 170, ज० मा० 165 ग्र, मा० मा० 269, मा० उ० III, 627 32।
16 चगता खानबहादुर फतेहजंग काशगरी	7000/	तूरान	तूरानी	—	—	टी० यू० (एस० वी०)।
17 सयद मुजफ्फर हैदराबादी	7000/	—	—	दक्खनी	—	ता० मु० 1097 हि०, कामवार 272 ब, मा० मा० 227।
18 इखलास खां, खान ए आलम	6,000/5,000 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	ज० मा० 131 ब 132 ग्र, मा० मा० 324, 384, मा० उ० I, 816-17, म० मा० सं० 121 ब।
19 मीर मीरान अमीर खां	6000/5000 (3,000× 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 25 शव्वाल, 25वां रा० वर्ष, मा० उ० I 277 87।

1 डा० यूसुफ हुसन खां ने ग़लती से इस नाम को हसन खां पढ़ा है (से० डा० ग्रो० 222)।

1	2	3	4	5	6	7	8
48	नेक निहाद खां	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अख॰ 13 शव्वाल, 38वां रा॰ वर्ष।
49	अहसान खां	5 000/5 000	—	—	दक्खनी	—	ज॰ आ॰ 164 ब।
50	परया नायक, या पिदिया नायक	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी जमींदार	—	दिलकुशा 95 ब मा॰ आ॰ 513, खाफी खां II, 370।
51	मालूजी	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से॰ डा॰ औ॰ 187 206।
52	माइनुल्ला	5 000/5 000	—	—	—	—	स॰ डा॰ औ॰ 203।
53	जगन नायक	5 000/5 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी जमींदार	—	से॰ डा॰ औ॰ 205, मासूरी 205 ब।
54	पादशाह कुली खां	5 000/5 000	—	—	दक्खनी	—	स॰ डा॰ औ॰ 222।
55	ख्वाजा रहमतुल्लाह सरबुलन्द खां	5 000/4 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	—	ता॰ मु॰ 1090 हि॰, मा॰ उ॰ II, 477 79, आ॰ 976, अ॰ मा॰ त॰ 124 ब।
56	भाकू बजारा	5 000/4 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	मा॰ आ॰ 393, अ॰ मा॰ त॰ 122 ब।
57	मीर मुहम्मद खलील सिपहदार खां खान ए जमां मुफ्तखर खां	5 000/4 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा॰ आ॰ 209, ता॰ मु॰ 1095 हि॰, मा॰ उ॰ I 785 92, अ॰ मा॰ त॰ 122 ब।

58 नागोजी माने या नाकोजी	5 000/4 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 8 मुहर्रम 44वां रा० वर्ष, दिलकुशा 122 ब।
59 सीदी सलीम खां	5 000/4 000	हिंदुस्तान	भारतीय	जमीदार-दक्खनी	—	स० डा० मो० 207 ज० मा० 164 ब।
60 महराम खां	5 000/4 000	—	—	—	—	से० डा० मो० 219।
61 सय्यद मुहम्मद कलदार, बगलोर का	5 000/4 000	—	—	दक्खनी	—	ईसरदास 131 म-ब।
62 मुहम्मद हुसन सिपहदार खां, नसीरी खां	5 000/3 500 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 481 496, कामवार 286 ब, मा० उ० II, 949 51 मीरात-ए आफताबनुमा 583।
63 बहराजी पांधरे	5 000/3,000 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 1 जमादि-उस सानी, 38वां रा० वर्ष।
64 सआदतमन्द खां	5,000/3 000 (500×2 3 अस्पा)	—	—	—	—	स० डा० मो० 20 ।
65 शेर बाज खां	5 000/3,000	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	अख० 8 जमादि-उल अव्वल, 44वां रा० वर्ष।
66 सुमेशकर	5,000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा-जमीदार	—	ईसरदास 165 ब, मामूरी 206 अ, खाफी खां II, 532।

1	2	3	4	5	6	7	8
67	परसराम	5 000/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मामूरी 156 ब ।
68	सीदी खाँ मुहम्मद पुत्र सीदी मसूद	5 000/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी जमीदार	पिता	ईसरदास 126 अ ।
69	खेवजी	5 000/2 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	वाकिया पेपस जयपुर, 17 जिकदा 47वाँ रा० वष ।
70	हसन अली खानबहादुर आलमगीरशाही	5 000/2 500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 189, ता० मु० 1097 हि०, मा० उ० II 593 99 ।
71	शाह मीरान मुनव्वर खाँ, या मन्नू खा	5 000/2 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	मा० आ० 324, 364 384, ता० मु० 22, मा० उ० III, 654 55 कामवार 279 अ ।
72	सुजानराव या शिवभान राव	5 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० आ० 421, कामवार 291 अ अ० मा० त० 123 अ ।
73	राजा भीमसिंह	5 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	ता० मु० 6, स० डा० प्रो० 170, ज आ० 166 अ, मा० आ० 212, 369 ।
74	सयद शाह	5 000/2,000	—	—	दक्खनी	—	अख० 24 शव्वाल 45वाँ रा० वष ।
75	राजाजी जनादन	5 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	दफ्तर ए-दीवानी संख्या 2978 ।
76	जनकूजी	1 500/1,200	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 26 रजब 37वाँ रा० वष ।

77 जगजू खाँ दक्खनी	5 000/-	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान दक्खनी	—	टी० यू० (एस० बी०) ।
78 नाथजी दक्खनी	5 000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अ० मा० त० 123 अ ।
79 पाम नायक, पिदिया नायक का चाचा	5 000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	दिलकुशा 95 व ब० स० 750, ता० मु० 1099 हि० ।
3 000 से 4,500 तक के मनसबदार						
80 कासिम खाँ किरमानी	4 500/2,500 (1 000× 2 3 अस्पा)	ईरान	ईरानी	—	—	अख० 15 सफर, 36वाँ रा० वर्ष, खाफी खाँ II 284, ता० मु० 7, मा० उ० III, 123 26 ।
81 मीर शम्सुद्दीन, मुख्तार खाँ	4 000/2,500 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 26 रजब, 45वाँ रा० वर्ष, ता० मु० 1095 हि०, मा० आ० 460, मा० उ० III, 620 23 ।
82. गाजी बीजापुरी, रन्दौला खाँ	4,000/4 000 (1 000× 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	मा० उ० II, 309, अ० मा० त० 124 अ ।
83 मुहम्मद अमीर, शाह कुली खाँ	4 000/4 000	—	—	दक्खनी	—	से० डा० ओ० 222, मा० आ० 194 ।
84 यशवन्तराव, या बसवन्तराव दक्खनी	4 000/4,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० आ० 219, कामवार 271 अ, अ० मा० तं० 123 व ।

1	2	3	4	5	6	7	8
85	शेख अब्दुल्ला, इख्तिसार खाँ	4 000/4 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	—	अग्र० 4 रबी उल अव्वल 42वाँ रा० वर्ष, मा० आ० 324 ।
86	अब्दुल्ला खाँ हैदराबाद के अबुल हसन का दत्तक पुत्र	4 000/- 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	मा० आ० 303 अ० मा० स० 124 अ ।
87	तरबियात खाँ बरलास शफ़ुन्ना	4 000/4 000	तूरान	तूरानी	—	—	ता० मु० 1096 हि० मा० उ० I, 493 98 ।
88	अब्दुल हमीद	4 000/4 000	—	—	—	—	स० डा० मो० 124 ।
89	माहलाजी नायक	4 000/4 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० डा० मो० 134 ।
90	मीरान नेकनियत खाँ का भाई	4 000/4 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	भाई	अग्र०25 जमादि उस-सानी, 44वाँ रा० वर्ष, स० डा० मो० 203 ।
91	गालिब खाँ	4 000/3 500	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	—	मा० आ० 473, अ० मा० स० 124 अ ।
92	मुहम्मद खलील, जबरदस्त खाँ	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अग्र० 22 रमज़ान, 40वाँ रा० वर्ष 28 मुहर्रम, 43वाँ रा० वर्ष, मा० आ० 497, मा० उ० I, 300, कामवार 299 अ ।
93	इब्राहीम गोरी	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफ़गान	—	मे० डा० मो० 219 ।
94	मुहम्मद मुराद खाँ, सोलत जगबहादुर	4 000/3 000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	मासूरी 200 अ, कामवार 292 अ ।

95	मीर सदरुद्दीन सफशिकन खाँ	4,000/3 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	ज० मा० 160 ब कामवार 273 ब मा० उ० II 746-47।
96	इज्जत खाँ, सफशिकन खाँ	4 000/3,000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	मामूरी 174 ब, मा० मा० 150, कामवार 265 ब, मा० 855।
97	सिकंदर ब खाँ, असकंदर खाँ	4,000/3 000	तूरान	तूरानी	—	—	मा० मा० 262, 280, म० मा० त० 124 ब।
98	पीर मुहम्मद अगहर खाँ	4 000/3,000	हिंदुस्तान	तूरानी	—	—	खाफी खाँ II, 246, कामवार 268 ब, ईसरदास 164 ब, मा० उ० I, 274 77।
99	अब्दुर्रज्जाक लारी	4 000/3 000	ईरान	ईरानी	दक्खनी	—	से० डा० मो० 195, मा० मा० 347, मा० उ० II, 818 21।
100	मुहम्मद रमजानी, अबु नासर शायस्ता खाँ द्वितीय	4,000/2,500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० मा० 442 516, कामवार 294 ब, मा० उ० I, 292 93, म० मा० त० 124 ब।
101	राव भावसिंह हाडा	4 000/2,500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मा० 267, म० मा० त० 123 ब, गहलोत 'राजपूताने का इतिहास 74, कामवार 272 ब।
102	फज उल्लाह खाँ	4,000/2 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० मा० 210, मा० उ० III, 26 30 ता० मु० 1092 हि० म० मा० त० 124 ब।

1	2	3	4	5	6	7	8
103	नामदार खाँ	4 000/2,000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० III 830-33।
104	मीर मुहम्मद इशाक, मुकरम खाँ	4 000/1 500 (600×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 11 रबी उस सानी 37वाँ रा० वर्ष, मा० उ० III, 695 701, ता० मु० 36।
105	मीर मुहम्मद इब्राहीम, मोहतशाम खाँ	4 000/1 500 (500×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 19 रमज़ान, 25वाँ रा० वर्ष, 18 शाबान 24वाँ रा० वर्ष।
106	मीर मोहम्मद खलील तरबियात खाँ, पुत्र दोराब खाँ	4 000/2 200	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 381, 485, 505, ता० मु० 22, अ० मा० त० 123 ब मा० उ० I, 498 503।
107	मुहम्मद अमीन खाँ चिनबहादुर	4 000/1 500	तूरान	तूरानी	—	चाचा	कामवार 279 ब, मा० आ० 481 506 518, मा० उ० I, 346 50।
108	मीर मुहम्मद अस्करी, आकिल खा राजी	4 000/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	—	ता मु० 8, मा० उ० II, 821 23, अ० मा० त० 174 ब, रियाज़ उस शोरा 196, मीरात उल ख़ियाल 360-62।
109	अशरफ खाँ ऐतिमाद खाँ	4,000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अ० मा० त० 124 ब, मा० उ० I 272-74, टी० यू० (एस० वी०)।

110 मीर मुहम्मद हादी, हकीम-उल मुल्क	4000/500	ईरान	ईरानी	—	—	ज० मा० 161 अ मा० मा० 362 कामवार 284 ब 286 अ मा० उ० I 599 600 ।
111 शेख लाडू	4,000/	हिंदुस्तान	तूरानी	दक्खनी	—	मा० मा० 297 कामवार 279 अ ।
112 राजा छत्रसाल बुंदेला	4,000/	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	कामवार 291, दिलकुशा 157 ब, 158 अ, मा० उ० II, 510 12 ।
113 बाजी चह्वान डफले, पुत्र सत्वाजी डफले	4,000/	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा जमींदार	पिता	अख़बारात, सरकार द्वारा उद्धरित, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, भाग 5, 209 ।
114 सियाजी	4000/	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	सै० डा० ग्रो० 128, शर्मा, द रिलीजस पालिसी आफ द मुगल एम्परस 178 ।
115 तहव्वुर खाँ, पादशाह कुली खाँ	4,000/	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० मा० 188 अ० मा० तै० 123 ब, मा० उ० I, 447 53, ता० मु० 1092 हि० ।
116 मुहिब्ब ए अली, असकर खाँ हैदराबादी	4,000/	हिन्दुस्तान	—	दक्खनी	—	दिलकुशा 95 अ, कामवार 286 ब, मा० आ० 369 प्रोसीडिंग्स ऑफ डक्न हिस्ट्री कान्फ्रेंस, 1945, पृ० 30, डाक्यूमेंट संख्या 20, अ० मा० त० 126 अ ।

1	2	3	4	5	6	7	8
117	मीर शम्सुद्दीन, उर्फ मुख़लिस खां	3 500/3 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 374 405, ता० मु० 13, ज० आ० 165 ब, कामवार 289 अ, मा० उ० III, 641 44।
118	जान सिपर खां, दोराब खां सानी मुख़्तार का भाई	3,500/2 500 (1 000× 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 6 ज़िलहिज्ज, 39वां रा० वर्ष 1। रमज़ान 43वां रा० वर्ष, अ० मा० त० 127 अ।
119	इल्हामुल्लाह, रशीद खां	3 500/3 000 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० डा० औ० 181 मा० उ० II 303 305, कामवार 274 ब, अ० मा० त० 124 ब।
120	मीर कमरुद्दीन मुख़्तार खां	3 500/3 000 (1 000× 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 5 जमादि उल अव्वल, 38वां रा० वर्ष मा० आ० 220 370, कामवार 275 अ मा० उ० III 655 60।
121	मुगल खां, अरब शेख़	3 500/3 000	तूरान	तूरानी	—	पिता	सै० डा० औ० 170, मा० आ० 246, मा० उ० III 623 25।
122	मुहम्मद यार खां	3 500/3,000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 8 रबी उस-सानी, 39वां रा० वर्ष, मा० आ० 384, 462 कामवार 296 अ मा० उ० III, 706 11 मीरात ए आफ्ताब नुमा 592।

							स 164 अ।
123	मुहम्मद सईद फिरोज खां	3 500/3 000	—	—	—	—	ईसरदास 164 अ।
124	मियान हाजि, हैबत खां	3 500/3 000	—	—	—	—	
125	अनिरुद्ध हाडा, बूंदी का	3 500/3,000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	ईसरदास 95 अ कामवार 273 अ, अ० मा० त० 127 अ।
126	हमादुद्दीन खां बहादुर पुत्र सरदार खां	3,500/2,800	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	अख० 26 रमजान, 45वां रा० वप मा० आ० 485, 505, मा० उ० I 605 11।
127	मिर्जा सदरुद्दीन मुहम्मद खां सफवी, शाह नवाज खां	3,500/2,500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 433 439, 505, कामवार 292 अ, अ० मा० त० 124 ब, ता० मु० 30, मा० उ० III 692 94।
128	साफा खां	3,500/2 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 28 शव्वाल, 38वां रा० वप ता० मु० 5।
129	अनूपसिंह, पुत्र राव करन भरतिया	3 500/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	कामवार 277 ब, मा० उ० II, 289 91 अ० मा० तै० 124 ब।
130	जकिया देशमुख	3 500/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा जमींदार	—	मामूरी 200 अ, मा० आ० 513, कामवार 302 अ।
131	मुहम्मद हसन, हिम्मत खां	3,500/2 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 282, ता० मु० 7, मा० उ० III, 949 51।

1	2	3	4	5	6	7	8
117	मीर शम्सुद्दीन, उर्फ मुख़्लिस खाँ	3 500/3 000	ईरान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 374, 405, ता० मु० 13, ज० आ० 165 ब, कामवार 289 अ, मा० उ० III 641 44।
118	जान सिपर खाँ, दोराब खाँ यानी मुख़्तार का भाई	3 500/2 500 (1 000× 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 6 ज़िलहिज्ज, 39वां रा० वर्ष, 1। रमज़ान, 43वां रा० वर्ष, अ० मा० त० 127 अ।
119	इल्हामुल्लाह रशीद खाँ	3 500/3 000 (500×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	से० डा० ओ० 181, मा० उ० II 303 305, कामवार 274 ब अ० मा० त० 124 ब।
120	मीर कमरुद्दीन मुख़्तार खाँ	3 500/3 000 (1 000× 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 5 जमादि उल अव्वल 38वां रा० वर्ष, मा० आ० 220, 370, कामवार 275 अ, मा० उ० III 655 60।
121	मुग़ल खाँ अरब शेख़	3 500/3 000	तूरान	तूरानी	—	पिता	से० डा० ओ० 170 मा० आ० 246 मा० उ० III 623 25।
122	मुहम्मद यार खाँ	3 500/3 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 8 रबी उस सानी, 39वां रा० वर्ष, मा० आ० 384, 462, कामवार 296 अ मा० उ० III 706 11, मीरात ए आफ्ताब नुमा 592।

123 मुहम्मद सईद फिरोज खाँ	3,500/3 000	—	—	—	—	ईसरदास 164 ब।
124 मियान हाजि हैवत खाँ	3 500/3 000	—	—	—	—	ईसरदास 164 ब।
125 अनिरुद्ध हाडा, बूंदी का	3,500/3,000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	ईसरदास 95 ब, कामवार 273 ब, ब० मा० त० 127 ब।
126 हमीदुद्दीन खाँ बहादुर पुत्र सरदार खाँ	3,500/2 800	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	अख० 26 रमजान, 45वां रा० व, मा० आ० 485, 505, मा० उ० I 605 11।
127 मिर्जा सदरुद्दीन मुहम्मद खाँ सफवी, शाह नवाज खाँ	3,500/2,500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 433, 439, 505, कामवार 292 ब, ब० मा० त० 124 ब, ता० मु० 30, मा० उ० III, 692 94।
128 साफी खाँ	3,500/2 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 28 शव्वाल, 38वां रा० व, ता० मु० 5।
129 अनूपसिंह, पुत्र राव करन भरतिया	3,500/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	कामवार 277 ब, मा० उ० II, 289 91, ब० मा० त० 124 ब।
130 जकिया देशमुख	3 500/2,000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा-जमींदार	—	मामूरी 200 ब मा० आ० 513, कामवार 302 ब।
131 मुहम्मद हसन, हिम्मत खाँ	3 500/2 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 282, ता० मु० 7 मा० उ० III, 949 51।

1	[illegible]	3	4	5	6	7	8
132	इन्दरसिंह, पुत्र रायसिंह	3,500/2 000 (300×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	दिलकुशा 76 अ, मा० आ० 175 मा० उ० II 236 त० उ० (हबीबगंज कलक्शन) 206 अ।
133	उदतसिंह बुन्देला, ओरछा का राजा	3 500/1 600	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	—	अख० 25 रबी उल अव्वल 38वाँ रा० वर्ष मा० आ० 350, कामवार 282 अ 297 ब, अ० मा० त० 124 ब।
134	क्वामुद्दीन खाँ, इस्फहान का	3,500/1 500[1]	ईरान	ईरानी	—	—	मा० आ० 139, मा० उ० III 109 15, ता० मु० 1091 हि०।
135	उम्मेदसिंह बुन्देला	3 500/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	—	मा० उ० II 294, मा० आ० 473।
136	मीर मुहम्मद हसन, खानाजाद खाँ, रुहुल्लाह खाँ द्वितीय	3,500/1,200	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 340 349 386, 404, ता० मु० 16, मा० उ० II 315 17, अ० मा० तै० 126 ब।
137	सयद अयूब	3 500/700	—	—	—	—	अख० 19 शव्वाल 45वाँ रा० वर्ष।

1 मामूरी (149 ब) के अनुसार क्वामुद्दीन खाँ का मनसब 5 000/3 000 [illegible] परन्तु अन्य स्रोत मामूरी के इस कथन की सम्पुष्टि नहीं करते।

138 सयद अोगलान सियादत खाँ	3 500/500	तूरान	तूरानी	—	—	कामवार 272 [illegible] 275 म मा० उ० II 494 96।
139 तरसूजी या परसूजी	3 500/	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अ० मा० त० 125 व।
140 भरतसिंह, शाहपुर का राजा	3,500/	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	जे० एस० गहलोत, राजपूताना का इतिहास 558।
141 बुज़ुग उम्मेद खाँ	3,500/	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 6, मा० उ० I, 453 54 अ० मा० त० 127 म।
142 इमाम कुली अगहर खाँ	3 500/	हिंदुस्तान	तूरानी	—	—	ता० मु० 3 त० उ० अ'।
143 मुहम्मद ईशाक तरबियात खाँ	3,500/	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० I, 403, कामवार 296 अ, अ० मा० त० 124 ब।
144 सुल्तान हुसन उफ इफ्तिखार खाँ	3 500/	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 1092 हि०, मा० उ० I, 252-55।
145 दिलदोस्त, सरदार खाँ पुत्र अब्दुल हादी, असालत खाँ पुत्र सरफराज खाँ चागता	3 000/3,000 (2 500 × 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	कामवार 268 ब, ता० मु० 1098 हि०, मा० उ० II, 422 23।
146 मीर अहमद, सआदत खाँ, पुत्र सआदत खाँ	3 000/3 000 (500 × 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० 1050, कामवार 277 ब।
147 ताकूजी	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 10 ज़िल्दा, 38वाँ रा० वष (1694 म मुग़ल नौकरी छोड़ दी)।

1	2	3	4	5	6	7	8
148	दलपतराव बुंदेला	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	दिलकुशा 157 अ, ता० मु० 23 मा० आ० 392, मा० उ० II 317 23।
149	वामदेव, छतनाल कारा का जमींदार	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	मा० आ० 495, अ० मा० तै० 125 ब।
150	अबुल खैर	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० आ० 515 मा० उ० II, 687 मामूरी 181 ब, खाफी खाँ II 392।
151	नेताजी पुत्र जानराव	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० पो० 175।
152	धौनूजी पुत्र शम्भाजी	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० पो० 176।
153	आनंदराव	3 000/3 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 10 जिल्दा 38वाँ रा० वर्ष।
154	सफुद्दीन महमूद, उर्फ फकीरुल्लाह, सफ खाँ	3 000/2 500	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	कारनामा 265 अ, अख० 5 रमजान 10वाँ रा० वर्ष, आ० 966 मा० उ० II 479 85 अ० मा० त० 125 ब।
155	शेख मीर, तहव्वुर खाँ फिदाई खाँ	3 000/2 500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 432, 493, मा० उ० II, 745-46।

156	अबू मुहम्मद खाँ बीजापुरी	3 000/2 500	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	मा० आ० 351 म० मा० उ० 125 अ।
157	सालेह खाँ, फिदाई खाँ	3,000/2,500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 5 जमादि-उल अव्वल, 38वाँ रा० वर्ष, मा० आ० 368, मा० उ० III, 33 34।
158	दुर्गादास राठौर	3 000/2,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	मा० आ० 395, कामवार 286 ब, 299 ब, ईसरदास 168 अ ब, अ० मा० त० 125 ब।
159	भान पुरोहित	3 000/2,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा-जमींदार	—	स० डा० औ० 187, (सम्पादक ने गलती से इस नाम को स० डा० औ० 187 मे मियाँ पवत पढ़ा है)।
160	लुतफुल्लाह खाँ	3,000/2,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अख० 3 सफर, 36वाँ रा० वर्ष, 27 जिलहिज्ज, 43वाँ रा० वर्ष, मा० आ० 412 441, मा० उ० III, 171 77।
161	हफीजुल्लाह खाँ, पुत्र सआदतुल्लाह खाँ	3 000/2,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० आ० 407, 432, ता० मु० 13, मा० उ० II, 520।
162	इन्द्रसिंह, पुत्र राणा राजसिंह	3,000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	मा० आ० 405 481, कामवार 286 अ, 289 अ।

1	2	3	4	5	6	7	8
163	किशनाजी	3 000/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ईसरदास 117 अ-ब।
164	सयद कासिम बारहा शहामत खां	3 000/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	कामवार 268 ब मा० उ० II 681 83।
165	इरज खां कजलबाश	3 000/2 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	दिलकुशा 77 ब अ० मा० त० 126 ब मा० उ० I 268 72।
166	शरीफुल मुल्क हैदराबाद के अबुल हसन का भतीजा	3 000/2 000	हिंदुस्तान	—	दक्खनी	—	कामवार 276 ब मा० आ० 209 अ० मा० त० 125 ब, मा० उ० II 688 907।
167	लश्कर खां मुनव्वर खां बारहा	3 000/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० डा० औ० 171 ज० आ० 165 ब, मा० उ० II 465 68, मा० आ० 314।
168	मुहम्मद परागी	3 000/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	स० डा० औ० 187।
169	मीर पुत्र मीरान	3 000/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० डा० औ० 203।
170	मुहम्मद अली	3 000/2 000	हिंदुस्तान	—	—	—	स० डा० औ० 208।
171	राजा उदतसिंह भदौरिया	3 000/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमादार	पिता	कामवार 272 अ, 272 ब, मईन अहमद, उमराए हनूद पृ० 65, अ० मा० त० 131 ब।
172.	सोहराब	3 000/2 000	—	—	दक्खनी	—	दफ्तर ए दीवानी संख्या 2978।
173	सूमे नायक	3 000/2 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	कामवार 299 ब, 300 ब।

471	पनगराम	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	वाकिया पेपर्स जयपुर 13 जिलहिज्ज, 25वाँ रा० वर्ष, डॉ० सतीश चन्द्र द्वारा दिया गया सन्दर्भ।
175	अह्रावत	3,000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	दफ्तर ए-दीवानी, संख्या 2980, औरंगजेब का 31वाँ रा० वर्ष।
176	जीवाजी पंडित	3 000/2 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ईसरदास 161 अ-ब।
177	मानसिंह, पुत्र रूपसिंह राठौर	3,000/1,800	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	अख० 4 तथा 24 शाबान, 24वाँ रा० वर्ष, मा० आ० 405, मा० उ० II 270, कामवार 286 ब, 289 ब।
178	ख्वाजा हामिद, हामिद खाँ बहादुर, पुत्र आबिद खाँ	3,000/1,700	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	मा आ० 481, अ० मा० तै० 125 ब, मा० उ० III, 765-69।
179	राव रामसिंह हाडा	3 000/1,500 (200×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	अख० 25 रबी उस-सानी, 44वाँ रा० वर्ष, मा० आ० 505, ता० मु० 23, मा० उ० II 323 24।
180	सैयद शेर खाँ	3,000/1,500 (200×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अख० 14 ज़िलहिज्ज 25वाँ रा० वर्ष, ता० मु० 1095 हि०।

1	2	3	4	5	6	7	8
181	मुहम्मद तकी एतिबार खाँ उर्फ़ वाफिर हैदराबादी	3 000/1 500	हिंदुस्तान	—	दक्खनी	—	सै० डा० प्रो० 170, ज० मा० 165 व मा० प्रा० 269, त० उ० ए।
182	अली कुली खाँ	3 000/1 500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	सै० डा० प्रो० 188, कामवार 288 प्र।
183	अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुर रज्ज़ाक लारी	3 000/1 500	हिंदुस्तान	ईरानी	दक्खनी	—	अख० 27 शव्वाल 38वाँ रा० वर्ष, मा० प्रा० 271, कामवार 276 ब।
184	अज़ीज़ खाँ बहादुर चगता पुत्र बहादुर रुहेला	3 000/1 500	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	ता० मु० 48, मा० प्रा० 518, अख० 4 ज़िलहिज्ज, 38वाँ रा० वर्ष, कामवार 302 ब।
185	सय्यद हामिद खाँ, मुजाहिद खाँ, पुत्र मुर्तज़ा खाँ	3 000/1 500	—	तूरानी	—	पिता	कामवार 268 ब 284 अ, मा० उ० III 598।
186	बदरजी या पादाजी	3,000/1,500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० प्रा० 480, म० मा० त० 125 ब।
187	कलिया तजम्मुन, तिब्बत का ज़मींदार	3 000/1 000 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	ज़मींदार	पिता	अख० 12 रबी उल अव्वल, 43वाँ रा० वर्ष।

188 मीर ईसा हिम्मत खाँ	3 000/1 000 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	ता० मु० 1092 हि० मा० उ० III 946-48 ।
189 बुरहानुद्दीन, ऐतिमाद खाँ, फाजिल खाँ	3 000/1,400	ईरान	ईरानी	—	चाचा	ता० मु० 14, अख०, 32 मुहर्रम, 44वाँ रा० वर्ष, मा० उ० III, 34-38, मा० आ० 317, 369, 424 ।
190 मुहम्मद सादिक, फतह उल्लाह खानबहादुर आलमगीरशाही	3 000/1,400	तूरान	तूरानी	—	—	मा० आ० 384, 443, 472, 496, मा० उ० III, 40 47, कामवार 273 अ ।
191 मुकर्रम खाँ, सियादत खाँ	3,000/1,200	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 10, से० डा० औ० 170, मा० आ० 246, कामवार 274 अ ।
192 खुदावन्द खाँ	3 000/1,200	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 22, मा० उ० I 814 1(, मा० आ० 432 514 ।
193 कामगार खाँ	3,000/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 27, से० डा० औ० 170, मा० आ० 405, मा० उ० III 159-60 कामवार 289

1	2	3	4	5	6	7	8
275	लोदी खाँ	2 000/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	अख० 13 रजब, 24वाँ रा० वर्ष।
276	अब्दुरसूल खाँ बिलग्रामी	2 000/1,500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	से० डा० ग्रो० 191, अख० 16 ज़िकदा, 40वाँ रा० वर्ष, मा० उ० II, 836 37।
277	यासीन खाँ	2,000/1,500	—	—	—	—	अख० जमादि उल अव्वल, 44वाँ रा० वर्ष।
278	रामसिंह पुत्र रतन राठौर	2 000/1,400	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मामूरी 163 ब 164 अ, मा० 486।
279	हसन अली खाँ, अब्दुल्ला खाँ बारहा (बाद में कुतुब उल-मुल्क)	2 000/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अख० 26 रजब, 45वाँ रा० वर्ष, मा० उ० III 130 40।
280	शिवसिंह	2 000/1,300	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	स० डा० ग्रो० 171।
281	असदुल्लाह इकराम खाँ दक्खनी	2 000/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	पिता	स० डा० ग्रो० 172, मा० उ० III 564 65।
282	मुहम्मद इब्राहीम, सलावत खाँ	2 000/1 200	—	—	—	—	स० डा० ग्रो० 170।
283	जाफर खाँ मुर्शीद कुली खाँ करतलब खाँ	2 000/1 100	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	मा० आ० 483, मा० उ० III 751 55।
284	तीमाजी	2,000/1 000 (100×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० ग्रो० 209।

285	अफरासियाब खाँ	2 000/1 000	तुर्की	तूरानी	—	पिता	कामवार 270 ब मा० उ० I 244-46 अ० मा० त० 131 ब।
286	ईसूजी दक्खनी	2 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	कामवार 279 [illegible] सईद अहमद उमरा ए हुनूद 373।
287	अरजूजी, पुत्र शम्भाजी	[illegible]000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० आ० 258।
288	सरफराज खाँ पन्नी बीजापुरी	2 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान दक्खनी	—	अग० 25 रमजान, 47वाँ रा० वर्ष, मा० आ० 470, फरहत उल नाजरीन, 173 ब।
289	ओबदुल्लाह खाँ ख्वाजा लुतफुल्ला खाँ का भाई	2 000/1 000	—	—	—	भाई	मा० आ० 459।
290	तुगतान खाँ	2 000/1 000	तूरान	तूरानी	—	—	अग० 5 रजब 24वाँ रा० वर्ष, खाफी खाँ II 473।
291	जगतसिंह हाडा	2 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मासूरी 164 अ, दिलकुशा, 79 ब मा० उ० III 510, अ० मा० त० 128 ब।
292	मीरक, पुत्र नकनीयत खाँ	2 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	म० डा० ओ० 203।
293	सीदी याकूत	2 000/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी जमींदार	पिता	म० डा० ओ० 207।
294	मुतजा पुत्र मसूद खाँ	2 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	म० डा० ओ० 225।

1	2	3	4	5	6	7	8
295	खलीलुल्ला खाँ, अमानुल्ला खाँ	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 22, कामवार 275 ब, टी० यू० ए, अ० मा० त० 128 ब।
296	अबू मसूर, इरादत खाँ, ऐतिकाद खाँ	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	स० डा० श्रो० 170 ता० मु० 14, मा० आ० 251 351।
297	मिर्जा इनायतुल्ला, सफ खाँ पुत्र फकीरुल्लाह	2 000/1,000	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	ता० मु० 25 अ० मा० त० 127 ब।
298	अब्दुरहमान बीजापुरी, शरजा खाँ	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	—	दक्खनी	—	स० डा० श्रो० 70 टी० यू० ए।
299	माकूजी	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 20 रमजान 40वाँ रा० वर्ष।
300	हाजी अली	2 000/1,000	—	—	—	—	अख० 20 रमजान 40वाँ रा० वर्ष।
301	सुजानसिंह, पुत्र अनूपसिंह	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	आजम अल हव 168, अख० जिल्दा, 44वाँ रा० वर्ष।
302	गाजी	2 000/1 000	—	—	—	—	से० डा० श्रो० 207।
303	अनीराय ब्राह्मन, दीवान ए-तन	2 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	एस० अहमद, उमरा ए हुनूद 64।

304 जहाँगीर कुली खाँ	2 000/900	—	—	—	—	अख० 9 रमजान 13वाँ रा० वर्ष कामवार 277 अ म० मा० तै० 132 अ।
305 सयद अजमतुल्लाह खाँ	2 000/900	हिंदुस्तान	—	—	पिता	अख० 2 रजब 43वाँ रा० वर्ष, मा० आ० 381, म० मा० तं० 128 अ।
306 लतीफ खाँ, गुसलखाने का दरोगा	2,000/700	—	—	—	—	हालात-ए मुमालिक महरूसा ए आलमगीरी, 179 अ, रुकायम-ए करायम 6 अ।
307 अब्दुल मकारिम, जाँ निसार खाँ	2,000/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 341, मा० उ० I, 537-40, दिलकुशा 126 अ, कामवार 283 अ।
308 मिर्जा मतलब, मतलब खाँ, मुतजा खाँ	2,000/700	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	मा० आ० 402, 505, ता० मु० 22, मा० उ० III, 650 53।
309 नजर बेग, मीरग खाँ	2,000/600	तूरान	तूरानी	—	पिता	मा० म० 194।
310 बुलबारिस खाँ	2,000/700	तूरान	तूरानी	—	—	मा० आ० 439, कामवार 292 अ।
311 अली आलम हैदराबादी	2 000/500	—	—	दक्खनी	—	अख० 8 ज़िलकदा, 39वाँ रा० वर्ष।
312 रावजी	2 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 25 जमादि उस-सानी, 44वाँ रा० वर्ष।

1	2	3	4	5	6	7	8
313	बहार नबी	2 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	से० डा० ओ० 199।
314	शेर अंदाज खाँ या तीर अन्दाज खाँ	2 000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	से० डा० ओ० 198, ता० मु० 20 कामवार 297 अ।
315	नाऊजी (1694 मे मुगलो की नौकरी छोड दी)	2,000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 10 जिकदा 38वां रा० वर्ष।
316	नाऊजी	2 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 20 रमजान 40वां रा० वर्ष।
317	मिर्जा मुइज्ज फितरत मौसवी खाँ	2 000/400	ईरान	ईरानी	—	—	मा० आ० 312, ता० मु० 2 कामवार मा० उ० III, 633 36 रियाज उस शारा पन्ना 337 मिरात उल ख्याल पृ० 358।
318	मुहम्मद शुजा शुजाअत खाँ सफशिकन खाँ	2 000/ 00	ईरान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 153, मा० उ० III, 114 15, कामवार 263 व 273 अ ब, अ० मा० त० 128 अ।
319	दरबार खाँ ख्वाजासरा	2 000/300	—	—	—	—	ता० मु० 1096 हि०, आ० 960।
320	अब्दुर्रहमान खाँ पुत्र इस्लाम खाँ मशहदी	2 000/200	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 14, मा० उ० I 167, कामवार 289 ब।

121 मीर [illegible] खाँ [illegible]	2000/200	हिन्दुस्तान	[illegible]रानी	—	पिता	मा० उ० I 2[illegible] 69 [illegible] ती० 127 ब।
	2000/	—	तूरानी	—	—	ता० मु० 1093 हि०।
122 [illegible] खाँ	2000/	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	कामवार 268 ब ता० मु० 20, म० मा० उ० 125 ब।
123 [illegible] खाँ	2000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान दक्खनी	भाई	मा० मा० 518, फरहत उन नाजरीन 182 ब, म० मा० त० 128 ब, मा० उ० II 64 68।
124 [illegible] खाँ	2000/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० मा० 335, ता० मु० 2, कामवार 282 ब, मा० उ० I, 252।
125 मीर [illegible] खाँ	2000/	तूरान	तूरानी	—	—	टी० यू० ए'। कामवार 274 ब, मा० मा० 234, टी० यू० तक।
126 [illegible] खाँ [illegible]	2000/	—	—	दक्खनी	—	उ० मा० 16[illegible] ब खाफी खाँ II 380।
127 [illegible] खाँ, [illegible]	2000/	—	ईरानी	—	—	
128 [illegible] खाँ [illegible] ताहिर	2000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अखबारात सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब भाग V पृ० 211 पर उद्धृत किया है।
129 [illegible]	2000/	हिन्दुस्तान	भारतीय	हिन्दू	—	से० डा० मो० 208।

130 [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
331	अब्दुल अजीज़ मियाना	2,000/-	हिंदुस्तान	भारतीय	अफ़गान दक्खनी	—	अख० 20 रमजान 40वां रा० वप ।
332	रुस्तम अली उर्फ इनायत खां	2,000/	—	—	—	—	ता० मु० 1093 हि० ।
333	मिर्ज़ा अस्करी वज़ीर खां	2 000/	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पितामह	मीरात ए आफ्ताबनुमा, 594, लेनडिसयाना, डिप्लोमटिक करेसपॉन्डेन्स आफ औरंगजेब, पृ० अंकित नहीं ।
334	मीर खां बहमनी, मुल्तफात खां	1 500/1,500 (1 200× 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	अख० 24 रजब, 24वां रा० वप, से० डा० मौ० 173, कामवार 289 ब ।
335	राजा दुरगासिंह	1 500/1 200 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	—	से० डा० मौ० 171 ।
336	सीदी कासिम फौलाद खां	1 500/1 200 (1,100× 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	अख० 18 शाबान, 24वां रा० वप ।
337	खुदादाद खां खेशगी	1 500/1 000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	से० डा० मौ० 188, अख० 20 रजब 24वां रा० वप ।
338	इनायत खां	1 500/1 000 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 6 शव्वाल 25वां रा० वप कामवार 270 ब, 280 अ ।

339	मुहम्मद बका मुजफ्फर खाँ पुत्र खान-ए जहाँ कोकलताश	1 500/1 000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	से० डा० श्रो० 140 कामवार 273 अ ।
340	मनोहरदास, शोलापुर का किलेदार	1,500/1,500 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	अख 14 जिलहिज्ज, 25वाँ रा० वर्ष ।
341	राजा जसवंतसिंह बुंदेला	1,500/1 000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत-जमींदार	पिता	स० डा० श्रो० 150-51, मामूरी 165 अ, मा० श्रा० 273, मा० उ० II, 293 94 ।
342	पहाड़सिंह गौड, इंद्रखी का जमींदार	1,500/1 000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत-जमींदार	—	ईसरदास 94 अ ।
343	नूरुलदहर बारहा, सयद सफ खाँ	1 500/700	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० श्रा० 266 341, कामवार 283 अ ।
344	शुकरुल्लाह खाँ खवाफी	1,500/1,000 (500×2-3 अस्पा)	—	ईरानी	—	—	अख 20 शाबान,37वाँ रा० वर्ष, कामवार 270 अ, ता० मु० 8 ।
345	गोपालसिंह, पुत्र राजा सरूपसिंह	1,500/1,500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	अ० मा० त० 131 ब, श्रा० 1056 ।
346	शिवजी, पुत्र मारुजी	1,500/1,500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० श्रो० 177 ।
—347	नूरसिंह	1,500/1 400	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	अख० 12 शव्वाल, 40वाँ रा० वर्ष ।

1	2	3	4	5	6	7	8
331	अब्दुल अज़ीज़ मियाना	2 000/	हिंदुस्तान	भारतीय	अफ़ग़ान दक्खनी	—	अख़० 20 रमजान 40वां रा० वर्ष ।
332	रुस्तम अली उर्फ इनायत खाँ	2 000/	—	—	—	—	ता० मु० 1093 हि० ।
333	मिर्जा अस्करी वज़ीर खाँ	2 000/	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पितामह	मीरात ए आफ्तावनुमा, 594, लेनडिसयाना, डिप्लोमेटिक करेसपान्डेन्स आफ औरंगजेब पृ० अंकित नहीं ।
334	मीर खाँ बहमनी, मुल्तफ़ात खाँ	1 500/1,500 (1,200× 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	अख़० 24 रजब 24वां रा० वर्ष, से० डा० ओ० 173, कामवार 289 ब ।
335	राजा दुरगासिंह	1,500/1 200 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	—	से० डा० ओ० 171 ।
336	सीदी कासिम, फौलाद खाँ	1 500/1 200 (1,100× 2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	अख़० 18 शाबान, 24वां रा० वर्ष ।
337	खुदादाद खाँ ख्वेशगी	1 500/1,000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	अफ़ग़ान	पिता	से० डा० ओ० 188, अख़० 20 रजब, 24वां रा० वर्ष ।
338	इनायत खाँ	1,500/1 000 (2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख़० 6 शव्वाल 25वां रा० वर्ष, कामवार 270 ब, 280 अ ।

339	मुहम्मद बका, मुज़फ्फर खाँ, पुत्र खान-ए जहाँ कोकलताश	1,500/1,000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	से० डा० ग्री०[1] 140, कामवार 273 अ।
340	मनोहरदास, धोलापुर का क़िलेदार	1,500/1 500 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	अख 14 जिलहिज्ज, 25वाँ रा० वष।
341	राजा जसवंतसिंह बुंदेला	1,500/1 000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	से० डा० ग्री० 150-51, मासूरी 165 अ, मा० आ० 273, मा० उ० II, 293 94।
342	पहाड़सिंह गौड़, इंद्रखी का ज़मींदार	1,500/1 000 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत-ज़मींदार	—	ईसरदास 94 अ।
343	नूरुलदहर बारहा, सयद सफ खाँ	1,500/700	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० आ० 266 341, कामवार 283 अ।
344	शुकरुल्लाह खाँ खवाफी	1,500/1,000 (500×2-3 अस्पा)	—	ईरानी	—	—	अख 20 शाबान,37वाँ रा० वष, कामवार 270 अ, ता० मु० 8।
345	गोपालसिंह, पुत्र राजा सरूपसिंह	1,500/1,500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	अ० मा० त० 131 ब, आ० 1056।
346	शिवजी, पुत्र मारुजी	1,500/1,500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० ग्री० 177।
—347	नूरसिंह	1,500/1,400	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	अख० 12 शव्वाल, 40वाँ रा० वष।

1	2	3	4	5	6	7	8
348	अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुर्रहीम मियाना	1,500/1,300	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	से० डा० ग्रो० 126 ।
349	वफादार खाँ जबरदस्त खाँ, पौत्र सईद खाँ	1,500/900 (400×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पितामह	कामवार 275 अ मा० आ० 255, हातिम खा 164 अ ।
350	याकूत खा	1 500/1 300	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ज० आ० 163 ब, मा० आ० 495, मा० उ० I 300 ।
351	कलन्दर बेग कलन्दर खाँ	1 500/1 000 (200×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	पिता	स० डा० ग्रो० 74, मा० उ० II 192 94 ।
352	बाकर खा	1 500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	—	अख० 8 जिक्र, 39वाँ रा० वर्ष, मा० आ० 350, अ० मा० त० 131 ब ।
353	सीदी फौलाद, फौलाद खा	1 500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	कामवार 250 ब 270 ब, ता० मु० 1092 हि० ।
354	नुसरत खा, सिपहदार खा पुत्र खान ए जहा कोकलताश	1 500/1 000 (200×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	से० डा० ग्रो० 140 मा० आ० 241 कामवार 273 अ ।
355	बिजयसिंह	1 500/1 200	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	दिलकुशा 167 ब, मा० आ० 424, मा० उ० II, 81 ।

356	अजीजुल्लाह खाँ, पुत्र खलीलुल्लाह खाँ	1,500/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	कामवार 284 अ, मा० आ० 349, 461, मा० उ० II 823 24 ।
357	मोहरमसिंह	1 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत-जमीदार	पिता	मा० उ० II, 147 ।
358	दिलेर खाँ या दिलावर खाँ, पुत्र बहादुर खाँ रुहेला	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	अख० 28 जिकदा 38वाँ रा० वष ।
359	शुकरुल्ला खाँ नज्मसानी, अस्कर खाँ	1 500/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 242, कामवार 273 ब ।
360	शेर अफगान	1,500/1 000	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अ० मा० त० 131 अ मा० आ० 381 ।
361	शेख नुरुल्लाह कादिर दाद [illegible] अन्सारी	1 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० डा० प्रो० 136 ता० मु० 4, मा० उ० III 140 ।
362	मुहम्मद मसूर मकरमत खाँ	1 500/1 000	ईरान	ईरानी	—	पितामह	मा० आ० 303 मा० उ० III, 632 मिरआत 133 ब ।
363	दौलीराव, या बनवीरराव	1 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	मा० उ० I, 499 मा० आ० 382, अ० मा० त० 131 अ ।
364	फरदुन खाँ	1,500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	पिता	मा० आ० 506, अ० मा० त० 131 ब ।
365	कनराव (या किशनराव), पुत्र काकूजी	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० प्रो० 177, अख० जमादि उस सानी, 44वाँ रा० वष ।

1	2	3	4	5	6	7	8
366	राणाजी	1 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० 5 ज़िक्दा 38वाँ रा० वर्ष।
367	सयद इब्राहीम	1 500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	अख० 1 शाबान 24वाँ रा० वर्ष।
368	बिहारीचन्द पुत्र दलपत बुंदेला	1,500/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	आज़म अल-हब 168 फरहत उल-नाज़रीन, 206 ब।
369	अब्दुल समद खाँ	1 500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफ़ग़ान	—	अख० 19 रजब 43वाँ रा० वर्ष, मीरात-ए आफ़ताबनुमा, 586।
370	साधुजी, पुत्र शिवजी नेल्कर	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	से० डा० औ० 177।
371	शिवसिंह, पुत्र नूरसिंह	1,500/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	कामवार 297 अ, अख० 12 शव्वाल, 40वाँ रा० [illegible]।
372	राव रतनसिंह, इस्लाम खाँ	1 500/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	ज़मींदार	पिता	म० उ० II 147, लेनडिसियाना, डिप्लोमैटिक करेसपॉन्डेन्स ऑफ औरंगज़ेब, टी० यू०, (एस० वी०)।
373	मुहम्मद जान करतलब खाँ	1,500/1 000	—	—	—	—	ता० मु० 28 अख० 45वाँ रा० वर्ष।

374	मीर हुसन, रहीम खाँ का भाई	1,500/1 000	—	—	—	भाई	अख० 30 मुहर्रम, 43वाँ रा० वर्ष।
375	हिरदेशाह बुंदेला	1,500/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	अख० 1 जनवरी 1707 ई०, बी० डी० गुप्ता द्वारा उदधृत, 'छत्रसाल बुंदेला', पृ० 63।
376	अमानुल्लाह खाँ	1,500/700 (200×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 488, मा० उ० I, 293 95, अ० मा० त० 128 ब।
377	परमदेव, पुत्र केसरीसिंह सिसौदिया	1,500/900	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	से० डा० औ० 125।
378	मीर मुहम्मद हुसन, अमानत खाँ द्वितीय	1,500/900	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 347, ता० मु० 11, मा० उ० I 287 90।
379	मुस्तफा खाँ काशी	1,500/900	ईरान	ईरानी	—	—	मा० उ० कामवार 286 अ, मा० उ० III, 637-41, खाफी खाँ II, 441।
380	शब्बीर पन्नी	1,500/900	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	भाई	अख० जमादि उस-सानी, 45वाँ रा० वर्ष।
381	छत्रसाल राठौर	1,500/850	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	से० डा० औ० 171, फरहत उल-नाज़रीन 206 ब, अख० रबी उल अव्वल 45वाँ रा० वर्ष।

1	2	3	4	5	6	7	8
382	हुमाम	1 500/800	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	म० डा० औ० 208।
383	शेख रज़ीउद्दीन खाँ	1 500/800	—	—	—	—	आ० 832 मा० आ० 187।
384	रघुनाथसिंह मरहठा	1 500/800	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	कामवार 266 ब अ० मा० त० 132।
385	सफद्दीन खाँ सफवी कामयाब खाँ	1 500/700	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 11 जिल्हिज्ज 25वाँ रा० वर्ष मा० उ० III 479।
386	असालत खाँ पुत्र मुज़फ्फर हैदराबादी	1 500/700	हिन्दुस्तान	—	—	पिता	मा आ 494 कामवार 272 ब अ० मा० त० 128 ब।
387	जाफर अली यामीनुल मुल्की	1 500/600 (100 × 2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	—	अख० 29 मुहर्रम 43वाँ रा० वर्ष।
388	नत्थू नायक	1,500/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	म० डा० औ० 205।
389	अब्दुल्ला खाँ	1 500/700	—	—	—	—	स० डा० औ० 170।
390	तकूजी पुत्र बहरजी	1 500/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	भाई	स० डा० औ० 176।
391	धीजी श्रोहाराव पुत्र फरनकजी	1 500/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० औ० 181।
392	सोहराब बेग मिर्ज़ा नियामतुल्ला	1 500/600	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 25। मा० उ० I, 586 87।

1	2	3	4	5	6	7	8
402	शेख़ अब्दुल अज़ीज़, अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ, ख़िदमत तलब ख़ानबहादुर	1 500/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	मा० उ० II, 686-88, ता० मु० 1096 हि० ।
403	सरूपसिंह पुत्र राजा उदतसिंह	1,500/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	मा० आ० 386, दिलकुशा 117 ब ।
404	अयमान ख़ाँ	1 500/500	—	—	—	—	अख० 5 शाबान 24वाँ रा० वर्ष ।
405	मीर अबू अल बल्ख़ी असद ख़ाँ	1,500/500	बल्ख़	तूरानी	—	—	अख० 10 रबी उल अव्वल, 45वाँ रा० वर्ष, ता० मु० 14 ।
406	जानूजी पुत्र सरजी	1 500/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० औ० 174 ।
407	आकूजी पुत्र मालूजी	1 500/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	स० डा० औ० 206 ।
408	पदमसिंह बुन्देला	1 500/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	अख० 1 जनवरी, 1707 ई०, बी० डी० गुप्ता द्वारा उद्धृत, छत्रसाल बुन्देला', पृ० 63 ।
409	सय्यद निमाज़ ख़ाँ	1,500/500	—	तूरानी	—	—	मा० उ० II 832 ।
410	तालिब ख़्वाजासरा, ख़िदमतगार ख़ाँ	1,500/350	—	—	—	—	मा० आ० 341, 350, ता० मु० 16 ।
411	हैदर कुली	1 500/400	—	—	—	—	अख० 29 मुहर्रम, 43वाँ रा० वर्ष ।

412. अब्दुर्रहीम खाँ, फिरोज जंग का भाई	1,500/300	तूरान	तूरानी	—	भाई	अख० 23 जिल्दा, 43वाँ रा० वर्ष, मा० आ० 405।
413 रहीमुद्दीन खाँ	1,500/600	तूरान	तूरानी	—	पिता	मा० आ० 481, म० मा० तै० 131 अ।
414. कामदार खाँ	1,500/300	—	—	—	—	मुमालिक-ए-महरूसा ए आलमगीरी 201 अ।
415 शफकतुल्ला, सजावर खाँ	1,500/250	हिन्दुस्तान	—	—	पिता	मा० आ० 255, मा० उ० II, 440-41, म० मा० तै० 131 ब।
416 हकीम सालेह शीराज़ी, सालह खाँ	1,500/250	ईरान	ईरानी	—	—	कामवार 271 ब, मा० 1061 62।
417 हकीम सादिक खाँ, हकीम उल-मुल्क पुत्र मोहसिन खाँ शीराज़ी	1,500/200	—	ईरानी	—	पिता	कामवार 301 ब।
418 शाही खाँ या शाह बेग काशगरी (अब्दुल्लाह खाँ)	1,500/200	तूरान	तूरानी	—	—	मा० आ० 175, कामवार 265 ब।
419 रहमान खाँ	1,500/200	—	—	—	—	ज० आ० 107 अ, मुमालिक ए महरूसा ए आलमगीरी 179 अ।

1	2	3	4	5	6	7	8
420	बख़्तावर खाँ ख्वाजासरा	1 500/	—	—	—	—	ता० मु० 1095 हि०, टी० यू०, (एम० बी०) अ० मा० त० 131 ब।
421	अब्दुर्रहीम खाँ पुत्र इस्लाम खाँ मशहदी	1 500/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 1093 हि० मा० उ० II 812 13 अ० मा० त० 131 अ।
422	देव अफ़ग़ान मुतमाद खाँ	1 500/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 196 ता० मु० 1101 हि० रामपुर 268 ब।
423	बशीरुज्ज़मा महाबत खानी रशीद खाँ	1 500/	हिन्दुस्तान	—	—	—	मा० आ० 06 ता० मु० 7, रामपुर 267 ब।
424	गाज़ी नफ़ी नफ़ी खाँ	1 500/	—	—	—	—	टी यू० (एस० बी०), रामपुर 274 अ।
425	सयद अमानत खाँ द्वितीय	1 500/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	टी० यू० (एस० बी०)।
426	हुसन अली खाँ बारहा	1 500/	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	खाफ़ी खाँ II 575 मा० उ० I 321 38।
427	असदान खाँ	1 500/	तूरान	तूरानी	—	—	मा० आ० 391, टी० यू० (एस० बी०)।
428	इसलाम खाँ	1 500/	—	—	—	—	टी० यू० (एस० बी०)।

429	अफ़ज़ल बेग, अफ़ज़ल खाँ	1,500/-	ईरान	ईरानी	—	—	कामवार 302 अ, टी० यू०, (एस० वी०)।
430	अल्लाह यार खाँ ऐतिमाम खाँ, इस्लाम खाँ	1,500/	—	—	—	—	ता० मु० 12।
431	ख्वाजा मुहम्मद अमानत खाँ	1,500/-	तूरान	तूरानी	—	—	मा० उ० III, 729 46, टी० यू०, (एस० वी०)।
432	मीर मुहम्मद उर्फ किफायत खाँ	1,400/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	—	ता० मु० 9।
433	ख्वाजा अब्दुल्लाह	1,500/	हिन्दुस्तान	तूरानी	—	—	ता० मु० 9।
434	शहमवार खाँ	1,500/	—	—	—	—	अ० मा० तै० 131 अ।
435	आका बहराम, नजमुद्दीन खाँ अस्फहानी	1,400/1,000	ईरान	ईरानी	—	—	अख० 9 रजब, 24वाँ रा० वर्ष, ता० मु० 1091 हि०।
436	मालोराव पुत्र मन्जी	1,200/1,200	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	भाई	सै० डा० प्रो० 175।
437	असफन्दियार, शहज़ादा अकबर का पौत्र	1,100/1,000	—	—	—	—	कामवार 306 अ, अख० 45वाँ रा० वर्ष।
438	मोहतशाम खाँ	1,000/1,200 (1,000× 2-3 अस्पा)	—	—	—	—	अख० 15 जमादि-उस सानी 46वाँ रा० वर्ष, 16 रजब 24वाँ रा० वर्ष।
439	सय्यद मुहम्मद पुत्र शुजा उल मुल्क	1,000/2,000	—	—	—	—	अख० 25 जमादि उस सानी, 44वाँ रा० वर्ष, म० डा० प्रो० 173।

1	2	3	4	5	6	7	8
440	मुहम्मद बेग खा	1 000/1 000 (2 3 अस्पा)	—	तूरानी	—	—	अख० 1 रबी उस-सानी, 38वां रा० वष।
441	जसवन्तसिंह डूँगरपुर का रावल	1 000/900 (800×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमादार	पिता	अख० 16 जिलहिज्ज, 38वां रा० वष।
442	खुमानसिंह या गुमानसिंह	1 000/900 (800×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	अख० 16 जिलहिज्ज, 38वां रा० वष, ओझा 'हिस्ट्री आफ राजपूताना' भाग III, खण्ड 1 119।
443	राजा सरूपसिंह पुत्र अनूपसिंह	1 000/750 (2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	[redacted] 22 जिक्दा 43वां रा० वष, मा० उ० II, 291, कामवार 289 अ।
444	राजा महासिंह भदौरिया	1 000/1 000 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमीदार	पिता	मा० उ० II, 229 30, म० मा० त० 132 अ।
445	इफ्तिखार खां, मुफ्तखीर खां, पुत्र फकीर खां	1 000/1 500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	[redacted] 24 रजब, 45वां रा० वष, मा० उ० III, 28।
446	कपूरसिंह हाडा	1 000/1 000 (500×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	स० डा० प्रो० 171।

447	रहमान दाद खाँ		[illegible]दुस्तान	भारतीय	—	—	मरा० 15 जमादि-उस-सानी, 46वाँ रा० वर्ष।
448	मामूर खाँ, ग्नैर खाँ[1]	1 000/1,200	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	मरा० 4 जिकदा 46वाँ रा० वर्ष, कामगार 273 ब, म० मा० त० 132 ब।
449	समन्दर बेग, समन्दर खाँ	1 000/1,200	—	—	—	—	मरा० 1 मुहर्रम, 45वाँ रा० वर्ष।
450	फाजिल बेग, महब्बूर खाँ	1,000/1 000	ईरान	ईरानी	—	भाई	कामगार 276 ब, मा० आ० 273, मा० उ० I, 425, म० मा० त० 132 ब।
451	मालूजी, पुत्र मरजी	1 000/1,000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० प्रो० 175।
452	राजा मानधाता	1,000/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत-जमींदार	पिता	कामगार 270 ब, मा० आ० 207 एम० अकबर, द पंजाब अण्डर द मुगल्स', 225।
453	ख्वाजा मासूम नक्शबन्दी बुखारी, सरबुलन्द खाँ	1 000/1,000	—	तूरानी	—	—	ता० मु० 1096 हि०, कामगार 266 ब।
454	राजा बख्त बुलन्द, दिलदार खाँ	1 000/1,000	हिंदुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	मा० आ० 340, म० मा० त० 132 ब।

1 सम्भवतया वही मामूर खाँ, जिसका औरंगजेब के सन् 1089 हिजरी के फरमान में 1000/1 000 (2 3 अस्पा) मनसब होने का उल्लेख है अनुवाद जरनल ऑफ यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, भाग 16 (1943) पृ० 148 में प्रकाशित।

1	2	3	4	5	6	7	8
455	सयद वजीहुद्दीन बारहा	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	अख० 10 रबी उल अव्वल, 45वाँ रा० वर्ष।
456	इरादत खाँ पुत्र आजम खाँ काका	1 000/1000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पितामह	मा० आ० 472, अ० मा० त० 131 ब।
457	मुहम्मद खाँ बीजापुरी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	अफगान दक्खनी	—	अख० 15 जमादि उस-सानी, 36वाँ रा० वर्ष।
458	मुहम्मद मुराद खाँ	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० आ० 242 कामवार 273 ब।
459	रावल रामसिंह डूंगरपुर का पुत्र खुमानसिंह	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	ओझा हिस्ट्री आफ राजपूताना, भाग III खण्ड 1 122।
460	अहमद खाँ	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	स० डा० औ० 170, मा० उ० I 274 अ० मा० त० 128 ब।
461	विजय पुत्र जानराव	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	सं० डा० औ० 175।
462	सिवजी पुत्र साहजी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	भाई	स० डा० औ० 175।
463	यसजी पुत्र बहारजी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० औ० 175।
464	दनूजी, पुत्र बनारजी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० औ० 175।
465	अम्बाजी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० औ० 177।
466	नावजी, पुत्र नाहूजी	1 000/1 000	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	सं० डा० औ० 178।

467 मयन् अमद्ुल्ला महमद	[illegible]	—	—	—	—	से० डा० ग्री० 178।
468 मानाजी, पुत्र सम्भाजी	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	से० डा० ग्री 179।
469 अब्दुल मजीद खाँ	1 000/1,000	—	—	—	—	अख० 45वां रा० वष।
470 गल्यानसिंह	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	अख० 20 जिलहिज्ज, 38वां रा० वष।
471 शमीम खाँ पुत्र जकिया	1,000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	कामवार 289 ब।
472 जाफर खाँ	1,000/600 (300×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 20 रजब, 24वां रा० वष।
473 गोपालसिंह, पुत्र मोहकमसिंह सिसौदिया (पतृक पद)	1 000/900	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	मा० उ० II, 147।
474 मनाजी, पुत्र मकाजी	1 000/500 (300×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० ग्री० 209।
475 मुहम्मद रफी	1 000/800	ईरान	ईरानी	—	चाचा	अख० 38वां रा० वष खण्ड IV, पृ० 54 मा० उ० III, 801 806।
476 मफरनाह खाँ मीर बहर	1 000/800	—	—	—	—	मा० उ० II, 486-89 मा० 45।

1	2	3	4	5	6	7	8
477	रामराव पुत्र गनपतराव	1 000/400 (300×2 3 अस्पा)	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स० डा० ग्रो० 204।
478	मानाजी पुत्र नागूजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	स० डा० ग्रो० 179।
479	खांडूजी पुत्र जावजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० ग्रो० 178।
480	देवजी पुत्र मनकूजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	से० डा० ग्रो० 178।
481	मालोजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	कामवार 277 ब, स० डा० ग्रो० 176।
482	सिवजी पुत्र सम्भाजी	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	स० डा० ग्रो० 177।
483	फिदाई खाँ पुत्र इब्राहीम खाँ	1 000/700	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	कामवार 272 ब, मा० आ० 236-37।
484	हयात खाँ	1 000/700	—	—	—	—	मुमालिक ए महरूसा ए आलम गीरी 201 अ खाफी खाँ II, 332, 505।
485	इन्दरमन बुन्देला, पुत्र पहाड़सिंह	1 000/700	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	दफ्तर ए-दीवानी, सख्या 2983, से० डा० ग्रो० 112, मा० 290, 302, 989।

486	सुल्तानसिंह	1,000/700	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	आजम अल हब, 197, अख० जमादि उल अव्वल 44वां रा० वष।
487	राजा उदयसिंह, पुत्र महासिंह भदौरिया	1,000/600 (300×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत-जमींदार	पिता	मा० उ० II, 230, से० डा० ओ० 171।
488	सयद अब्दुल्लाह खां बारहा, उफ सयद मियां	1,000/600	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	मा० उ० II, 489 91, अ० मा० त० 127 ब।
489	रहुल्लाह, नेकनाम खां, पुत्र हिम्मत खां मीर ईसा	1,000/600	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	अख० 16 शाबान, 43वां रा० वष, मा० आ० 495, 949, कामवार 289 [illegible]।
490	मीर खां, पुत्र अमीर खां	1,000/600	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 25 रजब, 47वां रा० वष, मा० आ० 493, मा० उ० 1, 286, अ० मा० तै० 132 अ।
491	मुहम्मद जाफर, पुत्र महरम खां	1,000/600	हिंदुस्तान	—	—	—	से० डा० ओ० 219।
492	राजा कल्यानसिंह, भदावर का जमीदार	1,000/600	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	—	मा० आ० 382, कामवार 288 अ।
493	मुहम्मद जान, आतिश खां	1,000/600	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ज० आ० 161 ब, ता० मु० 11 मा० उ० I 255 58।
494	अहमद सईद खां	1,000/600	—	—	—	—	आजम अल-हब, 197।

1	2	3	4	5	6	7	8
495	शकूर खां बीजापुरी	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	दक्खनी	—	ग्रख० 5 जिलहिज्ज, 47वां रा० वर्ष ।
496	बरखुरदार बेग, मीर अब्दुल सलाम खां	1 000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० II 741-42 ।
497	बहरजी	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ग्रख० 20 रमज़ान 40वां रा० वर्ष ।
498	रद अन्दाज खां	1 000/500	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	कामवार 287 ब ।
499	राजा भगवन्तसिंह पुत्र जसवन्तसिंह बुन्देला	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मींदार	पिता	दिलकुशा 96 ग्र, मा० उ० II, 294 ।
500	मुस्तफा पुत्र मसूद खां	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	से० डा० ग्रो० 225 ।
501	मिर्ज़ा बेग खां	1 000/500	—	—	—	—	से० डा० ग्रो० 211 ।
502	आगा खिरद	1 000/500	—	—	—	—	से० डा० ग्रो० 208 ।
503	बीरभान	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	से० डा० ग्रो० 205 ।
504	बयाज़िद पुत्र मूसा	1 000/500	हिन्दुस्तान	—	—	पिता	से० डा० ग्रो० 205 ।
505	बघाय, पुत्र मीरन	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	से० डा० ग्रो० 203 ।
506	अबुल फतह पुत्र दिलेर खां बीजापुरी	1 000/400	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	पिता	ग्रख० 45वां रा० वर्ष ।

507	सयद मुहम्मद	1 000/400	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	अख० रबी उल अव्वल, 45वां रा० वष, जमादि उस सानी, 45वां रा० वष।
508	मियाना खां	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	—	अख० 16 जिक्दा, 40वां रा० वष।
509	राजा सूरजमल, पुत्र राजा भीम	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	अख० 15 मुहरम, 38वां रा० वष।
510	काज़ी अकरम अकरम खां	1,000/500	हिंदुस्तान	—	—	—	मा० आ० 506 प्रासि०, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 1950, 219-221।
511	मीर बहादुर दिल, जान सिपर खा	1,000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	ता० मु० 13, मा० उ० I, 535 37।
512	अब्दुल वाहिद मीर खां	1,000/500	—	—	—	—	म० डा० ओ० 172, मा० आ० 192।
513	सीदी इब्राहीम	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	जमींदार	—	कामवार 277 ब, आ० 626।
514	बहादुरसिंह	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	पिता	कामवार 289 अ, मा० आ० 405, अ० मा० त० 132 अ।
515	मुहम्मद सामी, नुसरत खा, पुत्र खान ए जहां कोकलताश	1 000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	अख० 16 जमादि उल अव्वल, 45वां रा० वष, मा० आ० 241, 246, कामवार 273 अ।

1	2	3	4	5	6	7	8
516	दोराब खाँ	1 000/500	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० II 39 42, कामवार 265 ब, ता० मु० 1090 हि०।
517	नेतजी, पुत्र लाँहू राव	1,000/450	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	पिता	म० डा० घो० 210।
518	फतह पुत्र हुसन रुहेला	1,000/450	हिंदुस्तान	भारतीय	अफगान	पिता	स० डा० घो० 208।
519	राजा मनोहरदास	1,000/400	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मासूरी 188 ब, घा० 140।
520	शेख मुलफा	1 000/900	—	—	—	—	अख० 15 रबी उल अव्वल, 44वाँ रा० वर्ष, जमादि उल अव्वल 44वाँ रा० वर्ष।
521	बयाजी	1 000/500	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा	—	स०डा०घो० 187, अख०जमादि उल अव्वल 44वाँ रा० वर्ष।
522	अबुलफतह, पुत्र खान-ए जहाँ कोकलताश	1,000/400	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० घा० 406, म० मा० त० 131 ब।
523	मीर इब्राहीम, मरहमत खाँ, पुत्र अमीर खाँ	1,000/400	हिंदुस्तान	तूरानी	—	पिता	मा० प्र० 481 मा० उ० III, 713।
524	यक्ताज खाँ	1,000/400	तूरान	तूरानी	—	—	मा० उ० I, 503, ता० मु० 1091 हि०, कामवार 267 ब, 288 ब।

525	मुहम्मद रज़ा	1 000/400	हिंदुस्तान	—	—	पिता	मा० ग्रा० 516, अ० मा० त० 132 अ, मा० उ० II, 825।
526	मरहमत ख़ाँ, पुत्र ख्वाजा तालिब, शाहनवाज़ ख़ाँ	1 000/400	हिंदुस्तान	ईरानी	—	पिता	कामवार 299 अ।
527	दिलसिंह	1,000/400	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मीदार	—	अख० रबी उल अव्वल, 45वाँ रा० वर्ष।
528	चेतसिंह	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत	—	अख० शाबान, 45वाँ रा० वर्ष।
529	उदयसिंह, चम्बा का राजा पुत्र छतरसिंह	1,000/600	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत ज़मीदार	पिता	दस्तूर अल अमल-ए शाहजहानी, ऐड० 6588 22 अ, एम० अकबर, 'द पंजाब अण्डर द मुगल्स', पृ० 226।
530	सैयद करमुल्लाह बारहा	1 000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	—	—	दिलकुशा 77 ब, कामवार 306 अ, अख० 17 ज़िलहिज्ज, 20वाँ रा० वर्ष।
531	चन्दूजी	1 000/1 000	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० शाबान, 45वाँ रा० वर्ष।
532	राव जोगहट	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० शाबान, 45वाँ रा० वर्ष।
533	बिरमूजी	1,000/500	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	अख० शाबान, 45वाँ रा० वर्ष।
534	राव मानसिंह, पुत्र जादों राय	1 000/900 (300×2 3 अस्पा)	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा ज़मीदार	पिता	मा० उ० I, 522 अख० जमादि उल अव्वल, 44वाँ रा० वर्ष।

559 नियामतुल्लाह खाँ पुत्र रुहुल्ला खाँ	1 000/	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मीरात ए आफ्तावनुमा 593।
560 हैबतुल्लाह अरब	1 000/	—	—	—	—	मा० आ० 397।
561 बशारत खाँ	1 000/	—	—	—	—	अ० मा० त० 131 अ।
562 हाशिम	1 000/	—	—	दक्खनी	—	मामूरी 168 अ, से० डा० औ० 239।
563 नन्दलाल	अमीर (1 000)[1]	हिन्दुस्तान	भारतीय	—	—	फरहत उल-नाजरीन 207 अ।
564 जगदवराय, पुत्र दाताजी	उच्च मनसब	हिन्दुस्तान	भारतीय	मराठा जमादार	पिता	मा० उ० I, 522, दिलकुशा 79 ब, ईसरदास 138, सरकार, हिस्ट्री आफ औरंगजेब, खंड V, 212।
565 मुहम्मद असलम खाँ	उच्च मनसब	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पिता	मा० उ० III, 666-67।
566 ईजाद बख्श रसा अब्दराबाद का किलेदार	उच्च मनसब	हिन्दुस्तान	ईरानी	—	पितामह	दिलकुशा 127 अ।

1 उसी स्रोत मे छत्रसाल राठौर को अमीर के रूप में उल्लेखित किया गया है परन्तु 'सेलेक्टेड डॉक्यूमेन्ट्स ऑफ़ औरंगजेब' में उसका मनसब 1 000/500 दिया गया है। इसीलिए मैंने नन्दलाल को हजारी की श्रेणी मे रखा है।

567 देवजी	उच्च मनसब	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	भाई	वाकिया पेपर्स जयपुर, 17 ज़िलक़दा, 47वाँ रा० वर्ष, (डॉ० सतीशचन्द्र द्वारा दिया गया सन्दर्भ)।
568 किशोरदास, धोलापुर का क़िलेदार	उच्च मनसब[1]	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मा० मा० 228।
569 अजीतसिंह राठौर (बहुत अल्प समय के लिए)	उच्च मनसब[2]	हिंदुस्तान	भारतीय	राजपूत जमींदार	पिता	मीरात-ए अहमदी I, 341, मा० उ० III, 755-60।
570 मदनसिंह, पुत्र सम्भाजी	उच्च मनसब	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ईसरदास 154 व 155 अ, मा० आ० 473।
571 खंडूजी, सम्भाजी का सेनापति	उच्च मनसब	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ईसरदास 155 अ।
572 रामाजी, सम्भाजी का सेनापति	उच्च मनसब[3]	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ईसरदास 155 अ।

1 धोलापुर का क़िला युद्ध के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था और उच्च मनसब के अमीर वहाँ नियुक्त किये जाते थे (अख० 14 ज़िलहिज्ज 25वाँ रा० वर्ष)।

2 अजीतसिंह का वास्तविक मनसब कहीं नहीं दिया गया है केवल इतना ही दिया गया है कि उन्हें मनसब प्रदान किया गया और जालोर व सांचोर के परगनों का फ़ौजदार और जागीरदार बनाया गया। उसके सेनानायक दुर्गादास को 3000/2500 का मनसब प्रदान किया गया (देखिये—संख्या 158) इसलिए स्वयं उसका मनसब भी अधिक उच्च रहा होगा।

3 ईसरदास के अनुसार सम्भाजी तथा उसके पुत्र मदनसिंह के तीन सेनानायकों को 'मनसब-ए आलिया' दिया गया। साधारणतः 1,000 व उससे अधिक के मनसबदार को मनसब-ए आलिया के रूप में उल्लेखित किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
573	जनुजी गम्भाजी का सेनापति	उच्च मनसब	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	ईसरदास 155 अ ।
574	सुल्तान हुसन अह्सान खाँ मीर मलंग	उच्च मनसब	हिंदुस्तान	ईरानी	—	—	मा० उ० I, ३01 303 ।
575	मल्हार राव	उच्च मनसब	हिंदुस्तान	भारतीय	मराठा	—	रकायम ए करायम 29 अ ।

सदर्भिका

नोट   सक्षिप्त रूप 'ब्रि० म्यू० ब्रिटिश म्यूजियम को 'इण्ड० ग्रा० इण्डियन ऑफिस लाइब्रेरी को, तथा 'बाड०' बाडलियन लाइब्रेरी, ग्राक्सफोर्ड को सकेत करता है।

(क) ऐतिहासिक ग्रन्थ

युग्रान चाग्रा पी ची, द सिक्रेट हिस्ट्री ग्राफ द मगोल डायनेस्टी, ग्रनुवाद (भूमिका व व्याख्या के साथ) वह कवई युन ग्रलीगढ़, 1957।

बाबर, बाबरनामा, ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद (तुर्की भाषा की मूल प्रति से) ए० एस० बवरिज, लन्दन, 1922।

बायजीद ब्यात तजकिरा ए हुमायू व ग्रकबर, सम्पादक एम० हिदायत हुसन बिब० इण्डि० 1941।

ग्रबुल फजल, ग्रकबरनामा, बिब० इण्डि० कलकत्ता, 1873 87।

ग्रब्दुल कादिर बदायूनी, मुतखाब उत-तवारीख, सम्पादक ग्रहमद ग्रली तथा लीस बिब० इण्डि०, कलकत्ता, 1865 68।

ग्रसद बग कजवीनी, मेमायस पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू०, ग्रोरि० 1996।

ग्रब्दुल बाकी निहावदी मासीर ए रहीमी, सम्पादक हिदायत हुसन बिब० इण्डि० 1910 31।

जहाँगीर तुजुक-ए-जहाँगीरी सम्पादक सयद ग्रहमद खाँ गाजीपुर तथा ग्रलीगढ़, 1863 64।

मुनमाद खा इकबालनामा ए-जहाँगीरी लियोग्राफ-मुद्रित, नवल किशोर, 1870।

मुहम्मद शरीफ नजफी मजलिस उस-सलातीन, पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू० ग्रोरि० 1903।

ग्रब्दुल हामिद लाहौरी बादशाहनामा, सम्पादक मौलवी कबीरउद्दीन ग्रौर मौलवी ग्रब्दुर्रहीम, बिब० इण्डि० कलकत्ता 1867 68।

ग्रमीन कजवीनी बादशाहनामा, पाण्डुलिपि, ब्रि० म्यू० ग्रोरि० 173, एड० 20734, मैंने रजा पुस्तकालय (रामपुर) की पाण्डुलिपि जिसकी प्रतिलिपि इतिहास विभाग (ए० एम० यू०) में उपलब्ध है का भी उपयोग किया है।

मुहम्मद सालह कम्बो ग्रमल ए सालेह, सम्पादक जी० यजदानी, बिब० इण्डि० कलकत्ता, 1923 46।

मुहम्मद वारिस, बादशाहनामा (अब्दुल हामिद लाहौरी के बादशाहनामा का अग्र भाग) ब्रि० म्यू० एड० 6556 ओरि० 1675। इतिहास विभाग, अलीगढ़ की प्रतिलिपि (यह पाण्डुलिपि अन्त में कुछ दोषयुक्त है क्योंकि इसमें मनसबदारों की सूची नहीं दी गयी है)।

सिधारी लाल तुहफा ए-शाहजहानी, पाण्डुलिपि इण्० आ० 337।

मुहम्मद सादिक खाँ शाहजहाँनामा, पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू० ओरि० 174, ओर० 1671 लेखक ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है और अपना काल्पनिक नाम लिया है। आत्मचरित्र की कृति जो उसने दी है प्रत्यक्ष रूप में गलत है। तो भी लेखक समकालीन था—सम्भवतः वह शाहजहाँ का एक उच्च अफसर था और उसकी कृति ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है। यह हमें बहुत सी ऐसी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ देता है जो कि राजकीय ऐतिहासिक ग्रन्थों में अनुपलब्ध हैं।

शिहाबुद्दीन तालिश फतह ए इब्रिया, पाण्डुलिपि बोड० ओरि० 589 इस पुस्तक का प्रथम भाग तारीख ए मुलुक-ए आसाम के नाम से प्रकाशित हुआ था कलकत्ता 1848।

मुहम्मद काजिम आलमगीरनामा बिब० इण्डि० कलकत्ता 1865 73।

हातिम खाँ आलमगीरनामा पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू० एड० 26233 मुहम्मद काजिम के आलमगीरनामा का संक्षिप्त संग्रह परन्तु इसमें कुछ और तथ्य भी दिए गए हैं जो मुहम्मद काजिम द्वारा नहीं दिए गये।

आकिल खाँ राजी वाकयात ए आलमगीरी सम्पादक जफर हसन अलीगढ़ 1946 इसकी रचना आकिल खाँ राजी ने की है सन् रहित नहीं है। यद्यपि इस छोटी पुस्तक के कुछ हिस्से रोचक सूचनाओं से परिपूर्ण हैं। लेकिन कुछ कथन ऐसे हैं विशेष रूप में प्रारम्भिक भाग के कुछ हिस्सों पर विश्वास करना कठिन है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लेखक ने सुनी हुई बातों के आधार पर इसकी रचना की है।

शाह मुहम्मद बका मीरात अल आलम, पाण्डुलिपि अब्दुस सलाम 84/314 आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़।

शेख मुहम्मद बका मीरात ए जहानुमा, (पूर्व उल्लिखित ग्रन्थ का पाठान्तर) पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू० 1998।

अबुल फज़ल मामूरी तारीख ए औरंगज़ेब, पाण्डुलिपि, ब्रि० म्यू०, ओरि० 1671। सादिक खाँ के शाहजहानामा का अग्र भाग। सादिक खाँ की भाँति अबुल फजल मामूरी ने जो आत्म-कथा सम्बन्धी कथन दिये हैं आंशिक रूप से बनावटी प्रतीत होते हैं। इस नाम का कोई अधिकारी अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं होता है।

अलाह यार उस्मानी, औसाफनामा ए आलमगीरी, पाण्डुलिपि कैम्ब्रिज विश्व विद्यालय की लाइब्रेरी, ब्राउन कटॉ० 100 पर्शियन 477, औरंगजेब की गद्य एवं पद्य में प्रशंसा।
सात ए-नूहजात ए आलमगीर पादशाह, पाण्डुलिपि, ब्रॉचेट, I 703, सप्लीमेंट पर्शियन 477।
ईसरदास नागर, फतुहात ए आलमगीरी, पाण्डुलिपि, ब्रि० म्यू० एड० 23884।
सुजानराय भण्डारी खुलासात उत-तवारीख सम्पादक जफर हसन दिल्ली 1918।
भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा, पाण्डुलिपि, ब्रि० म्यू० ओरि० 23।
साकी मुस्तद खां, मासासीर ए आलमगीरी बिब० इण्डि० कलकत्ता 1871।
नियामत खान ए अली, वाक़ियात ए नियामत खान ए अली, लिथोग्राफ मुद्रित नवल किशोर लखनऊ 1928।
ऐनल्स ऑफ डेल्ही पादशाहत, असमी गेतिहासिक वृत्तान्त, अनु० एस० के० भुयान, गौहाटी 1947।
अलकाबनामा, पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू०, आरि० 1913, इसमें औरंगजेब के शहजादों व अमीरों की उपाधियां लिखी हैं।
राय चतुरमन सक्सेना चहार गुलशन, अब्दुस सलाम, 292/62 आजाद पुस्तकालय, अलीगढ़। इसके कुछ हिस्सों का सर जदुनाथ सरकार ने अनुवाद एवं व्याख्या की है इण्डिया ऑफ औरंगजेब, 1901।
कामराज आज़म अल हब, पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू०, आरि० 1899।
मुहम्मद हाशिम खाफी खां मुन्तख़ब अल-लुबाब, सम्पादक के० डी० अहमद और हग, बिब० इण्डि०, कलकत्ता 1860 74। खाफी खां ने अधिकांश मासिर खां और अबुल फजल मामूरी से नकल की है, परन्तु औरंगजेब के शासनकाल के विषय मे वह कुछ नवीन सूचनाएं प्रदान करता है।
अली मुहम्मद खां मीरात ए अहमदी, सम्पादक सयद नवाब अली बडौदा 1927 28।
कामवार खां तज़किरात उत-सलातीन-ए चग़ता, पाण्डुलिपि, निटा, 40/2, मौलाना आज़ाद पुस्तकालय अलीगढ़।
मिर्ज़ा मुहम्मद बिन रुस्तम उर्फ मुतमाद खां बिन कबद उर्फ दियानत खां तारीख़ ए मुहम्मदी, दो भाग, पाण्डुलिपि इण्ड० ऑ० 3890। मैंने प्रेस कापी के भाग 6 के चौथे खण्ड का भी प्रयोग किया है जो इमतियाज़ अली अरशी द्वारा सम्पादित है 1960, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही है।
गुलाम हुसन रियाज़ उस-सलातीन, बिब० इण्डि० 1890।

(ख) प्रशासकीय साहित्य, लेखा विधि सम्बन्धी नियम-पुस्तिकाएँ आदि

अबुल फ़ज़ल आईन-ए-अकबरी [illegible] 1867। अनुवाद यहाँ भी उद्धरण दिया गया है [illegible] (I) और [illegible] (II व III) के जैरेट द्वारा भाग 1 [illegible] 1927 और 1939) और [illegible] द्वारा भाग 2 और 3 (कलकत्ता [illegible]) में [illegible] किया गया है।

मुंशी [illegible] [illegible] 1634 [illegible] [illegible] [illegible] 23 [illegible] 1634 तक का [illegible] [illegible] किया गया है।

दस्तूर-उल-अमल [illegible] व [illegible] पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू० ऐड० 6598।

दस्तूर-उल-अमल-ए-आलमगीरी, पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू० ऐड० 6599।

दस्तूर-उल-अमल [illegible] पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू० ऐड० 6598 पन्ना 134-95।

ज़वाबित-ए-आलमगीरी पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू० ऐड० 1641।

[illegible] पाण्डुलिपि सर सुलेमान संग्रह 440/14 मौलाना आज़ाद पुस्तकालय अलीगढ़।

[illegible] पाण्डुलिपि अब्दुस्सलाम संग्रह 370/149 मौलाना आज़ाद पुस्तकालय अलीगढ़।

[illegible] पाण्डुलिपि अब्दुस्सलाम संग्रह 315/85 मौलाना आज़ाद पुस्तकालय अलीगढ़।

दस्तूर-उल-अमल, पाण्डुलिपि [illegible] 86।

मुंशी [illegible] [illegible] 1694-96। [illegible] 1879।

दस्तूर-उल-अमल [illegible] पाण्डुलिपि सर सुलेमान संग्रह 675/53 मौलाना आज़ाद पुस्तकालय अलीगढ़।

हाजी [illegible] दस्तूर-उल-[illegible] पाण्डुलिपि अब्दुस्सलाम संग्रह 329/98 आज़ाद पुस्तकालय अलीगढ़।

जवाहर [illegible] दस्तूर-उल-अमल, पाण्डुलिपि सुभानुल्लाह संग्रह 954/4 मौलाना आज़ाद पुस्तकालय अलीगढ़।

(ग) अभिलेख व सकलन सहित दस्तावेज

इलाहाबाद केन्द्रीय रिकॉड आफिस (उ० प्र०) म सुरक्षित अभिलेख। इस सग्रह म फरमान, उपहार पत्र, बयनामे, हिबानाम, निणय आदि और अन्य दूसरे दस्तावेज, जो अनुदान से सम्बन्धित हैं, सग्रहित हैं। कुछ दस्तावेज 16वीं शताब्दी से सम्बन्धित हैं परन्तु अधिकाश 17वीं तथा 18वीं शताब्दी स।

जयपुर रेकाड स (सीनामऊ प्रतिलिपि)—सम्बोधित अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला—यह दिन प्रतिदिन के दरबारी समाचार और आम्बर के राजा के प्रतिनिधि द्वारा भेजे गय पत्रो का सग्रह है। अखबारात म हम मुख्यत दरबार म सावजनिक रूप से किय गय कार्यों का ब्यौरा मिलता है उदाहरणाथ—मनसबदारो की नियुक्ति, पदोन्नति व पदावनति, अफसरो की नियुक्ति, प्रान्तो स समाचारो की प्राप्ति व सनिक अभियान आक्रमण, सम्राट की किसी विशेष समस्या के प्रति प्रशासकीय आज्ञा इत्यादि।

जयपुर मे सुरक्षित प्रपत्र (जो कि इस समय बीकानेर म हैं)। अलीगढ के इतिहास विभाग मे कुछ चुने हुए दस्तावेजो की प्रतिलिपि उपलब्ध हैं।

सैलेक्टेड डॉक्यूमेन्टस आफ शाहजहा स रेन, दफ्तर ए दीवानी, हैदराबाद 1950।

सैलेक्टेड वाकिया आफ द डक्कन (1660 71), सम्पादक यूसुफ हुसन खाँ, हैदराबाद, 1953।

सैलेक्टेड डॉक्यूमेन्टस आफ औरगजेब्स रेन, सम्पादक यूसुफ हुसन खा, हैदराबाद, 1959।

वाक्या ए-अजमेर, 1678 80 ई० असफिया पुस्तकालय हैदराबाद, फन ए तारीख, 2242 अलीगढ के इतिहास विभाग म प्रतिलिपि सख्या 15 और 16। इस पुस्तकालय म उस समाचारलखक की रिपाट सग्रहित है जिसन पहले रणथम्भौर म, तदुपरान्त अजमर और अन्तत राजकीय सना म पादशाह कुली खाँ के अन्तर्गत राजपूत युद्ध म भाग लिया। रिपोर्टें मुगल प्रशासन और राठौरा क 1679 80 के विद्रोह के बारे मे बहुत लाभदायक सूचनाएँ प्रदान करती हैं।

अहकाम ए आलमगीरी, सम्पादक सर जदुनाथ सरकार। यह एनकिडोटस आफ औरगजेब का फारसी म मूल ग्रथ है जिसका जे० एन० सरकार ही ने अनुवाद किया है।

कलेक्शन ऑफ फरमान्स आफ औरगजेब एण्ड फरुखसियर, पाण्डुलिपि, फ्रेजर, 228।

इम्पीरियल फरमान्स (1577 1805 ई०) ग्रान्टेड टू द एनसेस्टस ऑफ द तिकायत महाराज, हिन्दी अंग्रेजी और गुजराती म के० एम० झवेरी द्वारा अनुवादित बम्बई 1928।

सम फरमान्स, सनद्स एण्ड परवानाज (1578 1802), के० के० दत्त द्वारा सम्पादित, पटना 1962 (बिहार में सुरक्षित)।

(घ) पत्रों का संग्रह

खान ए जहाँ सय्यद मुजफ्फर खाँ बारहा, मजद-ए-हा-ए मुजफ्फर, 1656 से पूर्व पाण्डुलिपि एड० 16859। इस संग्रह में अजीज कोका द्वारा जहाँगीर को भेजे गये पत्रों का संग्रह भी है।

बालकृष्ण ब्राह्मन—शेख जलाल हिसारी तथा बालकृष्ण ब्राह्मन के पत्र जो शाहजहाँ के शासन के अन्तिम और औरंगजेब के शासनकाल के प्रारम्भिक भाग में लिखे गये। पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू०, एड० 16859।

इंशा ए जुबदत उल अरकाम, पाण्डुलिपि जो प्रो० नुरुल हसन, अलीगढ़ के पास है। यह वे पत्र हैं जो औरंगजेब ने शाहजहाँ को 1652 के कन्धार अभियान के सन्दर्भ में लिखे थे।

औरंगजेब आदाब ए आलमगीरी, पाण्डुलिपि अब्दुस सलाम संग्रह 326/96, आजाद पुस्तकालय अलीगढ़—वे पत्र जो आकिल खाँ द्वारा औरंगजेब की तरफ से औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के पूर्व लिखे गये। यह पत्र शाहजहाँ, शाहजादा मुहम्मद सुल्तान मुअज्जम खाँ मीर जुमला, नजाबत खाँ खान ए-दौराँ नसीरी खाँ आदि को सम्बोधित करके लिखे गये थे। इस संग्रह में मुहम्मद सादिक द्वारा शाहजादा अकबर की तरफ से 1680 में राठौर विद्रोह के समय के लिखे गये पत्र भी प्राप्त हैं।

रुक्आत ए आलमगीरी, सम्पादक सयद नजीब अशरफ नदवी, आजमगढ़ 1930। इसमें औरंगजेब द्वारा शाहजहाँ जहाँनारा बेगम दारा शिकोह, शाह शुजा मुराद बख्श और अन्य शहजादों और अमीरों को लिखे गये पत्रों के संग्रह हैं, सम्पादक द्वारा अधिकांश अंश आदाब-ए आलमगीरी से उद्धृत किया गया है।

मुन्शी भागचन्द नामी मल इंशा, पाण्डुलिपि एम० आरि० 1702, जयसिंह के पत्र और वे पत्र जो मुगल दरबार से ईरानी दरबार में और ईरानी दरबार से मुगल दरबार में भेजे गये।

ईजाद बख्श रसा, रियाज उल वदाद, 1673 1695 ई० पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू०, आरि० 1725—इसमें स्वयं लेखक के पत्र हैं।

भूपतराय इंशा ए रोशन कलाम, पाण्डुलिपि अब्दुस सलाम संग्रह 339/109 मौलाना आजाद पुस्तकालय अलीगढ़। बसवाड़ा के फौजदार रदअंदाज खाँ की तरफ से लिखे गये पत्र।

खुतूत ए शिवाजी, रायल एशियाटिक सोसायटी, लन्दन, पाण्डुलिपि 173।
औरंगजेब, रुकायम ए करायम, पाण्डुलिपि, सर सुलेमान संग्रह, 412/145 मौलाना आजाद पुस्तकालय, अलीगढ़।
औरंगजेब, कलीमात ए-तयाबात, इनायतुल्ला खाँ द्वारा संग्रहित किये गये पत्र—पाण्डुलिपि अब्दुस सलाम, 322/92, मौलाना आजाद पुस्तकालय, अलीगढ़।
औरंगजेब, दस्तूर अल अमल ए अगाही, राजा जहारमल द्वारा 1743 में संग्रहित किये गये पत्र पाण्डुलिपि, अब्दुस सलाम संग्रह 323/93 मौलाना आजाद पुस्तकालय, अलीगढ़।
लखराज मन्त्री, खातीन अल इंशा या मुफीद अल इंशा, बिहार के फौजदार अली कुली खाँ की ओर से लिखे गये और चम्पतराय द्वारा 1700 ई० में संग्रह किये गये पत्र—पाण्डुलिपि, बोड० 679।
दुर उल उलुम, मुंशी गोपालराय सूरज्ज से सम्बन्धित पत्रों और दस्तावेजों का संग्रह, इसको साहिब राव सूरदज ने 1688 89 ई० में संग्रहीत एवं क्रमबद्ध किया। बोड० पाण्डुलिपि वाकर 104।
मलिकज़ादा, निगारनामा ए-मुंशी, नवल किशोर, 1882। अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पत्रों और सरकारी दस्तावेजों का संग्रह।
पत्रों का संग्रह जिसे लिनडेसियाना सूची पत्र में 'रिपोर्टस फ्राम द डकेन' कहा गया है परन्तु वास्तव में इसमें मेवाड़ और मुगल दरबार इत्यादि के बीच का पत्र-व्यवहार प्राप्त होता है जान रिलण्ड पुस्तकालय पाण्डुलिपि 353।
शाह वली उल्लाह शाह अली-उल्लाह के सियासी मकतुबात, के० ए० निजामी द्वारा उर्दू में अनुवाद के साथ सम्पादित, अलीगढ़, 1950।

(ड) जीवन-वृतान्त एवं तजकिरे

सूरतसिंह, तजकिरा ए-पीर हस्सु तेली—1057 हि० में लिखा गया। पाण्डुलिपि —(सम्भवतः लेखक की हस्तलिखित) अलीगढ़ के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में उपलब्ध है।
शेर खाँ लोदी मीरात अल खयाल लिथोग्राफ, अब्दुस सलाम संग्रह 628/49, आजाद पुस्तकालय अलीगढ़।
गुलाम अली आजाद खजाना ए अमीराह बिब० इण्डि०।
माआसीर अल करम लिथोग्राफ मुद्रित, हैदराबाद, 1913।
शाहनवाज़ खाँ माआसीर उल उमरा, सम्पादक मौलवी अब्दुर्रहीम, बिब० इण्डि० 1888, 3 भाग में मुगल अमीरों की जीवनी का प्रसिद्ध कोष।

केवलराम तज़किरात अल उमरा, पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू०, एड० 16703।

(च) फुटकर ग्रन्थ

अमीनुद्दीन खाँ, मालूमात उल अफाक, नवल किशोर संस्करण, 1870। मुख्यत इसमें संसार के आश्चर्यों का तथा अद्भुत घटनाओं का वर्णन है, साथ ही इसमें विभिन्न मुगल अधिकारियों के कार्यों का भी वर्णन है। उदाहरणार्थ —दीवान ए आला, बख्शी, दरोगा ए डाक एवं-सवानेह, सद्र उस-सुदूर व कानूनगो आदि तथा राजस्व तालिका। अन्त में मनसबदारों के वतन से सम्बन्धित तालिका है।

तारीख ए अराकान ए-सफूरिया, पाण्डुलिपि ब्रि० म्यू० ओरि० 1772।

चन्द्रभान ब्राह्मन, गुलदस्ता, पाण्डुलिपि सर सुलेमान संग्रह 666/44 आजाद पुस्तकालय अलीगढ़।

(छ) कोश

अब्दुर रशीद थट्टवी फरहंग ए रशीदी 1653 54 ई०, सम्पादक अबु ताहिर जुल्फिकार अली मुर्शिदाबादी एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल 1875।

मुन्शी टेकचन्द बहार, बहार ए-आजम 1739 40 ई० नवल किशोर 1916।

आनन्द राम मुख़लिस मीरात अल इस्तिलाह टेक्निकल शब्दों का पारिभाषिक शब्दकोश 1745 ई० अलीगढ़ के अंजुमन तरक्की उर्दू पुस्तकालय में पाण्डुलिपि।

(ज) यूरोपीय स्रोत

अर्ली ट्रेवेल्स इन इण्डिया (1583 1619) सम्पादक डब्लू० फॉस्टर लन्दन 1927।

जहाँगीर एण्ड द जेसुइट्स, अनुवाद सी० एच० पेनी लन्दन 1930।

परचाज हिज पिलग्रिम्स भाग 3 व 4 जेम्स मक्लिहोज एण्ड सन्स ग्लासगो।

टामस रो द एम्बसी आफ सर टामस रो, 1615 19 सम्पादक डब्लू० फास्टर, लन्दन 1926।

द इंग्लिश फैक्टीज इन इण्डिया, 1618 69 सम्पादक डब्लू० फास्टर 13 भाग। आक्सफोर्ड 1906-27 चूँकि भागों की संख्या नहीं दी गयी है इसलिए वर्षों के रूप में उद्धृत किये जाते हैं जो कि प्रत्येक भाग में हैं।

पीटर मण्डी ट्रेवल्स भाग 2 ट्रेवेल्स इन एशिया 1630 34, सम्पादक आर० सी० टेम्पिल हक्ल्यूत सोसाइटी, द्वितीय सिरीज लन्दन, 1914।

डि लाएट डिस्क्रिप्सन आफ इण्डिया, एण्ड फ्रेगमेंट आफ इण्डियन हिस्ट्री,

अनुवादक जे० एम० हॉयलण्ड, टिप्पणी एस० एन० बनर्जी, द एम्पायर
आफ द ग्रेट मुगल, किताब महल बम्बई 1928।
जीन बार्पतिस्ते टॅवर्नियर, टेवेल्स इन इण्डिया, 1640 67, अनुवादक वी० बाल
लन्दन, 1889।
फ्रैन्कोइस बर्नियर, ट्रेवेल्स इन मुगल एम्पायर 1656 68 अनुवादक ए० कान्स
टेबुल, सम्पादक स्मिथ।
जीन दे थेवेनाट द इण्डियन ट्रेवेल्स आफ थेवेनाट एण्ड करेरी, पुराने अनुवाद,
सम्पादक एस० एन० सेन, नई दिल्ली, 1949।
इंग्लिश फक्ट्रीज इन इण्डिया, (न्यू० सिरीज), सम्पादक सर चार्ल्स फौसेट
ऑक्सफोर्ड, 1936।
जान मार्शल, नोटस एण्ड आब्जरवेशन आन ईस्ट इण्डिया सम्पादक एस० ए०
खाँ जान मार्शल इन इण्डिया, लन्दन 1927।
टामस बॉवरे, ए जागरफिकल एकाउन्ट आफ कन्ट्रीज राउण्ड द वे आफ बंगाल,
1669 79, सम्पादक आर० पी० टेम्पिल, केम्ब्रिज, 1905।
जान फ्रेयर ए न्यू एकाउन्ट ऑफ ईस्ट इण्डिया एण्ड पर्शिया बीइंग नाइन इयर्स
ट्रेवेल्स 1627 81, सम्पादक विलियम क्रुक, हक्ल्यूत सोसाइटी द्वितीय
सिरीज लन्दन, 1909, 1912 और 1915।
स्ट्रेशम मास्टर, द डायरीज ऑफ स्ट्रेशम मास्टर, 1675 80 सम्पादक आर०
सी० टेम्पिल, इण्डियन रिकार्ड्स सिरीज, लन्दन, 1911।
पेलसर्ट जहाँगीर्स इण्डिया, अनुवादक गल व मोरलण्ड, केम्ब्रिज 1925।
निकोलाओ मनूची, स्टोरिओ डो मोगोर, 1653 1708, अनुवादक डब्लू० इर्विन
इण्डियन टेक्स्ट सिरीज, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, लन्दन, 1907 1908।

(क) आधुनिक ग्रन्थ

अब्दुल अजीज, द मनसबदारी सिस्टम एण्ड द मुगल आर्मी, लाहौर 1945।
एस० अहमद, उमरा ए-हनूद (उर्दू)।
मुहम्मद अकबर, द पंजाब अण्डर द मुगल्स, लाहौर, 1948।
सतीश चन्द्र, द पार्टीज एण्ड पालिटिक्स एट द मुगल कोर्ट (1707 40),
अलीगढ़, 1959।
एम० एस० कामेसरियट, ए हिस्टी आफ गुजरात, भाग 2 (1573 से 1578)
ओरिएण्ट लागमेन्स, 1957।
डब्लू क्रुक द ट्राइब्स एण्ड कास्टस आफ द नार्थ-वेस्टन प्राविन्सेस एण्ड अवध,
कलकत्ता, 1896।
एच० एस० दास, द नोरिस इम्बसी टू औरंगजेब, कलकत्ता, 1959।

एम० फारूकी, औरंगजेब एण्ड हिज टाइम्स बम्बई, 1935।
ए० फ्यूरर द मानुमेंटल एन्टीक्वटीज एण्ड इन्सक्रिप्शन्स इन द नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेस एण्ड अवध, इलाहाबाद 1891।
इरफान हबीब द अग्रेरियन सिस्टम आफ मुग़ल इण्डिया (1556 1707), बम्बई 1963।
इब्न हसन द सेंट्रल स्ट्रक्चर आफ द मुगल एम्पायर एण्ड इटस प्रेक्टिकल वर्किंग अप टु द ईयर 1657 आक्सफोर्ड 1936।
डी० इब्बटसन पंजाब कास्टस, लाहौर 1916।
विलियम इर्विन, द आर्मी आफ द इण्डियन मुग़ल्स, लन्दन 1903।
आर० पी० खोसला द मुग़ल किंगशिप एण्ड द नोबिलिटी, इलाहाबाद 1934।
लेवी सोशल स्ट्रक्चर आफ इस्लाम, कैम्ब्रिज 1957।
डब्लू० एच० मोरलण्ड इण्डिया एट द डेथ आफ अकबर, लन्दन 1920।
—एग्रेरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इण्डिया, केम्ब्रिज, 1929।
—अकबर टू औरंगजेब, लन्दन, 1923।
मौलाना शिबली नुमानी औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र।
गौरीशंकर हीराचन्द ओझा राजस्थान का इतिहास, भाग 3 अजमेर 1937।
बेनी प्रसाद हिस्ट्री आफ जहांगीर, दूसरा संस्करण इलाहाबाद 1930।
के० काननगो दारा शिकोह कलकत्ता, 1952।
विश्वेश्वर नाथ रेऊ मेवाड़ का इतिहास, भाग 1 1940।
पी० सरन द प्रोविन्शियल गवर्नमेंट आफ द मुग़ल्स, (1526 1658), इलाहाबाद 1941।
जदुनाथ सरकार, हिस्ट्री आफ औरंगजेब (मेनली बेस्ड आन परशियन सोर्सेज) 5 भाग कलकत्ता 1912 1916 और 1930।
—हाउस आफ शिवाजी 1960।
—शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, चौथा संस्करण 1948।
—स्टडीज इन औरंगजेब्स रेन, कलकत्ता 1933।
—मुग़ल ऐडमिनिस्ट्रेशन, कलकत्ता 1920।
जगदीश नरायण सरकार द लाइफ आफ मीर जुमला, कलकत्ता, 1951।
बी० पी० सक्सेना हिस्ट्री आफ शाहजहाँ आफ डेलही, इलाहाबाद 1958।
एस० आर० शर्मा द रलिजस पालिसी आफ द मुग़ल एम्परर्स आक्सफोर्ड, 1940, द्वितीय संस्करण बम्बई 1962।
कविराज श्यामलदास वीर विनोद 4 भाग। हिन्दी में यह मेवाड़ का इतिहास है जो मुख्य रूप से फारसी और राजस्थानी स्रोतों पर आधारित है और मुग़ल शासकों और राजकुमारों द्वारा उदयपुर के राणाओं को जो फरमान

य निशान दिय गये थे उनका मूल प्राय पूण रूप से इसमे दिया गया है।

एस० एन० सेन द मिलेटरी सिस्टम आफ द मराठाज, बम्बई, 1958।

वी० एस० स्मिथ, अकबर द ग्रेट मुगल (1542 1605), दूसरा सस्करण ऑक्सफोर्ड, 1919।

विलियम स्टुअर्ट गाडन्स आफ द इण्डियन मुगल्स, लन्दन 1913।

थोन, मेमायर्स आफ द वार इन इण्डिया।

जेम्स टॉड, ऐनल्स एण्ड एन्टीक्विटीज आफ राजस्थान, पापुलर एडीशन, 2 भाग, लन्दन, 1914।

आर० पी० त्रिपाठी, सम आस्पेक्ट्स आफ मुस्लिम ऐडमिनिस्ट्रेशन, इलाहाबाद, 1936।

—राइज एण्ड फाल आफ द मुगल एम्पायर, इलाहाबाद, 1956।

एच० एच० विल्सन, ए ग्लासरी आफ जुडिशियल एण्ड रेवेन्यू टर्म्स एण्ड सी०, आफ ब्रिटिश इण्डिया, लन्दन, 1875।

अनुक्रमणिका



□ □